"जब विश्वमानक पर इस्लामी नैतिकता को मापा जाता है, तब यह अरबी मजहब न तो मानवता का मित्र और न ही उसका पथ-प्रदर्शक ही ठहरता है। सच्चाई यह है कि यह पूरी मानवता के अस्तित्व का गंभीर संकट बना हुआ है।"

....इस्लाम धर्मोन्माद का ऐसा स्वरूप बना हुआ है जो सामाजिक अलगाव, गैर मुसलमानों से नफरत तथा प्रभुत्व, हत्या और विध्वंस द्वारा उनका विनाश कर डालने की शिक्षा देता है।

अनवर शेख (इस्लाम, पृष्ठ [illegible])

"सीधे अल्लाह के हुक्म इतने स्पष्ट हैं कि उनको अलग से कानूनबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से कुछ आदेश हैं, जो इस्लामी नैतिकता का अभिन्न भाग हैं। इस्लाम नहीं मानने वालों की हत्या करने, उन्हें लूटने और उनकी औरतों से बलात्कार करने का अल्लाह का खुला आदेश है। उनकी औरतों को विधवा तथा बच्चों को अनाथ बना देना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह के सबसे बड़े शत्रु हैं, जो इस्लाम में ईमान नहीं लाने के पाप से भरे हुए हैं।"

– अनवर शेख (इस्लाम, पृष्ठ [illegible])

".........और काफ़िर यह न समझें कि वह भाग कर हमेशा के लिए बच निकले। वह कदापि (हमको) थका नहीं सकते।"

(कुरान 8 : 59)

क्या हिंदू मिट जायेंगे? लेखक - सच्चिदानन्द चतुर्वेदी

क्या हिंदू मिट जायेंगे?

इत्था हि सोम इन्मदे ब्रह्मा चकार वर्धनम्।
शविष्ठ वज्रिन्नोजसा पृथिव्या निःशशा अहिमर्चन्ननु स्वराज्यम्॥
- ऋगवेद (१/८०/१)

स्वराज्य की प्राप्ति तभी सम्भव है जब ओज और शक्ति की सहायता से राक्षसी प्रवृत्तियों का दमन किया जाय।

लेखक
सच्चिदानन्द चतुर्वेदी

क्या हिंदू मिट जायेंगे ?

लेखक :
सच्चिदानन्द चतुर्वेदी

प्रकाशक :
धर्म प्रकाशन
महामनापुरी (निकट विवेकानन्द मठ), वाराणसी

"हर शाख पर उल्लू बैठे हैं,
अन्जाम-ए-गुलिस्तां क्या होगा?"

अगर किसी फुलवारी में हर पौधे की शाखाओं पर उल्लू बैठे हों, तो उस फुलवारी का क्या होगा? उन उल्लुओं की तरफ देखो तो चिन्ता पैदा होती है। भारत में कुछ ऐसा ही हुआ। बुद्धिहीनता के हाथ में भारत की पतवार है। जड़ता के हाथ में भारत का भाग्य है। नासमझियों का लम्बा इतिहास है। अंधविश्वासों की पुरानी परम्परा है। अंधेपन की सनातन आदत है और उन सबके हाथ में भारत का भाग्य है।

- ओशो

संस्करण : पहला, जनवरी 2006
: दूसरा, जून , 2007
: तीसरा, अक्टूबर , 2009

क्या हिंदू मिट जायेंगे ?

लेखक :
सच्चिदानन्द चतुर्वेदी

मूल्य 90/-

© लेखकाधीन

मुद्रक : काबरा ऑफसेट्स,
रवीन्द्रपुरी, वाराणसी

काफिर

अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान (विश्वास) नहीं लाने वाला व्यक्ति काफिर कहलाता है। इस्लाम का अल्लाह हिन्दुओं द्वारा मान्य भगवान, ईश्वर, ब्रह्म आदि नामों से भिन्न है। वह सातवें आसमान पर स्थित अपने अर्श (सिंहासन) पर विराजमान रहता है। वह फिरिश्तों से घिरा रहता है। सृष्टि की रचना उसके द्वारा छः दिन में की गई थी। वह सर्वज्ञाता एवं सर्व शक्तिमान है; किन्तु सर्वव्यापी नहीं है। सृष्टि का संचालन वह अपने फिरिश्तों द्वारा करता है। वह जन्नत और दोजख का मालिक है। कयामत के दिन न्याय करने वाला; मुसलमानों को जन्नत और काफिरों को दोजख की आग में जलाने वाला। अल्लाह चाहता है कि सिर्फ उसी की इबादत की जाय, उसके अलावा और किसी की नहीं। अल्लाह के सिवा दूसरे देवी-देवताओं को पूजने वाले को वह दोजख की आग में जलायेगा।

मक्का निवासी मुहम्मद साहब को अल्लाह ने अपना अन्तिम पैगम्बर बनाया। अपनी नियुक्ति की सूचना उन्हें जिब्रील फिरिश्ता से मिली। उनके सिवा और कोई यह नहीं जान सका। पैगम्बर या रसूल बनाये जाने की घोषणा उन्होंने स्वयं की। कुरान को अल्लाह का हुक्म बताया और उस पर विश्वास करने को कहा। जिन लोगों ने ईमान लाया उन्हें मोमिन, मुसलमान या ईमानवाला कहा गया और जिन लोगों ने ईमान नहीं लाया उन्हें काफिर। उन्होंने पुनः अल्लाह का हुक्म बताया, जिसके अनुसार काफिरों की हत्या, उनके धन और उनकी औरतों की लूट और उनका भोग मुसलमानों के लिए जायज कहा। काफिरों से जेहाद के नाम से तबतक युद्ध करना मुसलमानों का फर्ज बताया जबतक कि उन्हें बलात् इस्लाम स्वीकार न करा दें और वे जिस देश में रहते हैं उसे इस्लामी राज्य न बना दें।"

★ .....अल्लाह काफिरों को हिदायत (पथ प्रदर्शन) नहीं दिया करता। (कु0 2:264)

★ .....इनके लिए दुनिया में अपमान (व निरादर) और आखिरत में बड़ी सजा है। (कु0 2:114)

★ (ऐ पैगम्बर) काफिरों से कह दो कि अगर कुफ्र से बाज आ जायँ तो उनके पिछले (गुनाह) माफ कर दिये जायेंगे। और अगर फिर वही (हरकत) करेंगे तो अगले (गुनहगार) लोगों की (सजा की) रीति पड़ चुकी है.....। (कु0 8:38)

★ तो चार महीने मुल्क में चल फिर लो, और जाने रहो कि तुम अल्लाह को हरा नहीं सकोगे, और (यह कि)अल्लाह काफ़िरों को (हमेशा) जिल्लत देता है। (कु0 9:2)

★ हमने काफिरों के वास्ते जंजीरें और तौक और दहकती हुई आग तैयार कर रक्खी है। (कु0 76:4)

★ यकीनन जिन लोगों ने हमारी आयतों से इनकार किया हम उनको जल्दी ही (दोजख की) आग में झोंकेंगे। जब उनकी खालें जल जावेंगी, हम उनको दूसरी खाल से बदल देंगे ताकि अजाब का मजा चखते रहें।..... (कु0 4:56)

भूकम्प में भी इस्लामी आतंक

कश्मीर में भूकम्प आपदा ने सम्पूर्ण मानवता को द्रवित कर दिया। यदि कोई द्रवित नहीं हुआ तो वह है इस्लामी मजहबी उन्माद। भारत वर्ष से स्वयंसेवक सहायता राशि पहुँचा रहे हैं, उधर इस्लामी आतंकी मानव रक्त बहा रहे हैं। राजौरी में एक दर्जन हिन्दुओं की हत्या कर दी गई। जिस इस्लाम को भाईचारे का मजहब कहा जाता है, उसके प्रबल समर्थक संकट की इस घड़ी में भी हिंसा से बाज नहीं आ रहे हैं। यह कैसा मजहब है? यह कैसा उन्माद है, जो प्राकृतिक आपदा के समय सहायता के लिए आगे तो नहीं आता , अपितु धरती को मानव रक्त से लाल कर देता है। कश्मीर में आया भूकम्प और उसके पश्चात हिन्दुओं की हत्यायें यह सिद्ध करती हैं कि मानवता के प्रति उनकी कोई आस्था नहीं। यहाँ तक कि इस्लामी संगठन जो जेहाद की बात करते हैं वे अपने मुस्लिम बन्धुओं की सहायतार्थ आगे नहीं आये। मुस्लिम देश जो आतंकवाद के लिए धन उपलब्ध करा रहे हैं, भूकम्प पीड़ितों को एक पैसा उपलब्ध नहीं कराया। इससे ही स्पष्ट होता है कि इन लोगों के मजहब की परिभाषा क्या है। राजौरी के दो गावों में जिन हिन्दुओं की हत्याएँ की गई, उनके घर भूकम्प में ध्वस्त हो गये थे। आपदा के क्षणों में इन इस्लामी संगठनों का कार्य अपने स्वबन्धुओं की सहायता करना होना चाहिए था लेकिन सेवा और सहयोग उनकी सभ्यता के कभी अंग नहीं रहे, यदि ऐसा होता तो जो इस्लामी संगठन हैं, उनके हाथों में पीड़ित के लिए सहायता सामग्री होती, जेहादी बन्दूक न होती।

इतिहास साक्षी है जब कारगिल युद्ध हुआ तो अनेक समाचार पत्रों ने शहीदों के लिए कोष की स्थापना की थी। इस सूची में एक भी मुस्लिम नाम नहीं था। लखनऊ सचिवालय के कर्मचारियों ने एक दिन का वेतन देने की घोषणा की तो दो मुस्लिम कर्मचारियों ने वेतन कटवाने से मना कर दिया। कश्मीर की घटनाओं को इसी प्रसंग में देखना उचित होगा। जब सुनामी आपदा आई तो दर्जनों हिन्दू संगठन सेवा कार्य में लगे। बिना किसी भेदभाव के मुस्लिमों की भी भरपूर सहायता की गई। लेकिन जब कश्मीर के एक हिन्दू का घर भूकम्प से गिरा तो उसे इस्लाम के ठेकेदारों ने परिवार सहित अत्यंत निर्दयता के साथ इसलिए मार डाला कि वह बच कैसे गया।

आश्चर्य यह है कि किसी भी इस्लामी और धर्मनिरपेक्ष संगठन ने इस हत्याकाण्ड का विरोध नहीं किया, क्योंकि हिन्दू मरे हैं, हिन्दू की हत्या धर्मनिरपेक्षता को प्रभावित नहीं करती। चरित्र इस्लामी अभियान का हो या चरित्र धर्म निरपेक्षता का हो, राजौरी की घटना एक यथार्थ कह रही है जो मानव जाति के भविष्य को कहाँ ले जायेगी इस संबंध में दिल दहलाने वाली आशंकाएँ जन्म ले रही हैं।

(पुरुषोत्तम। हिन्दू सभा वार्ता 26 अक्तू.–1 नव. 2005)

विषय-सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	क्या हिन्दू मिट जायेंगे ?	12
2.	हिन्दू के अस्तित्व का प्रश्न	18
3.	देश विभाजन के समय जेहाद	28
4.	आर्य संस्कृति, अतीत, वर्तमान एवं भविष्य	37
5.	इस्लाम और गैर मुसलमान	44
6.	इस्लाम जेहाद और गैर मुसलमान	57
7.	हिन्दू पराजय का कारण	92
8.	मनुष्य की मनोभावनाएँ निम्नता की ओर सहज ही आकर्षित होती हैं।	99
9.	भारत में अध्यात्म और प्रपंच	106
10.	हिन्दू अस्तित्व–संकट और समाधान	121
11.	संदर्भ–ग्रन्थ	217

◆

विषय–परिचय

इस पुस्तक में सम्मिलित लेखों को अलग–अलग समय में पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित कराने हेतु लिखा गया था। इनके लिखने का उद्देश्य हिन्दू समाज को इस्लाम और ईसाइयत के चरित्र की जानकारी देना था।

धर्म को सामान्यतः रिलीजन या मजहब का पर्यायवाची शब्द समझ लिया जाता है, जो सही नहीं है। धर्म, अनेक विद्वानों, विचारकों, चिन्तकों, ज्ञानियों, तपस्वियों, ऋषियों, मुनियों सहित समाज के प्रबुद्ध और अनुभवी लोगों की निर्णयात्मक शुद्ध बुद्धि द्वारा आनन्दमय जीवन के लिए ढूँढे गये मार्ग या बनाये गये नियमों का समुच्चय होता है। इसकी प्रकृति सार्वभौमिक, शाश्वत एवं निरपेक्ष जैसी होती है। इसलिए धर्म मूल रूप में मानव धर्म होता है। पूरी दुनिया में, प्राचीन काल में, यह सिर्फ भारतीय भूखण्ड पर ही विकसित हुआ। यहाँ के मूल वासिन्दों को हिन्दू कहे जाने के कारण इस सनातन धर्म को हिन्दू धर्म भी कहते हैं। इसके बोध से विचारों की स्वतंत्रता और आत्म–अनुशासन की अवचेतन अन्तर्प्रेरणा पैदा होती है। इससे समाज में स्वतंत्रता, सहिष्णुता, शान्ति, सुव्यवस्था, ज्ञान, वैभव और चहुँमुखी आनन्द का वातावरण बनता है। इसी कारण प्राचीन भारत में उच्च संस्कृति विकसित हो सकी। विचारों की स्वतंत्रता के कारण अनेक कर्मकाण्ड, पंथ और उससे जुड़ कर सम्प्रदाय बनते बिगड़ते रहते हैं। सामान्य लोग किसी न किसी सम्प्रदाय या पंथ से जुड़ कर जीवन व्यतीत करते हैं। वैचारिक स्वतंत्रता का बोध परस्पर विरोधी विचारों या पंथों को बने रहने में कोई रुकावट नहीं डालता है, इसलिए समाज सहिष्णु होता है। ज्ञान, अनुभव और तर्क की प्रधानता रहती है। परिणाम स्वरूप बदलते परिवेश में देश, काल और परिस्थिति के अनुसार मानवता के कल्याण, सुख एवं आनन्द हेतु नये मार्ग निर्धारण की स्वतंत्रता बनी रहती है। यद्यपि अतीत से बँध जाने की मानव प्रकृति के कारण, पंथों–सम्प्रदायों द्वारा रुकावटें पैदा की जाती हैं, अंध विश्वास और सामाजिक रूढ़ियाँ उपजती हैं, फिर भी धर्म उन सारे बंधनों और भटकावों से छुटकारा दिलाने में समर्थ होता है। सामान्य भारतवासी पर इस संस्कृति का सदा अवचेतन प्रभाव विद्यमान रहता है। कोई वैसा सम्प्रदाय विकसित नहीं हो पाता है जो अपने विचार को मानने के लिए दमन का सहारा ले। धर्म की प्रधानता बनी रहती है, इसलिए प्राचीन भारत में राजनीति, अपनी अहंकारी, उद्दण्ड, अक्खड़ और निरंकुश प्रकृति के बावजूद धर्म से नियन्त्रित होती थी। राजकाज धर्म के नियमों से चलता था।

शामी (सेमेटिक) परम्परा इसके ठीक विपरीत है। यहूदी ईसाइयत और इस्लाम शामी परम्परा के मजहब है। "ओल्ड टेस्टामेन्ट" नाम से ज्ञात इस परम्परा में पचास से अधिक ग्रन्थ हैं। 'न्यू टेस्टामेन्ट' सिर्फ ईसाइयों से संबंधित है। मुसलमानों का धर्मग्रन्थ कुरान है।

इस परम्परा में किसी देश, राज्य या क्षेत्र का शासक अपने को पैगम्बर, ईश्वर पुत्र या दैवी सत्ता का प्रतिनिधि घोषित करता था और लोगों को सैनिक ताकत से कुचल कर अपना प्रभुत्व मनवाता था। वह जो विधान, नियम और कानून बनाता था तथा विभिन्न किस्से कहानियों द्वारा इंगित करता था, उसे ईश्वरीय आदेश, नियम या विधान घोषित कर लोगों को मानने के लिए विवश करता था। इसलिए 'ओल्ड टेस्टामेन्ट' की रचनाएँ समय समय पर सम्राटों, राजाओं, जमींदारों, सेनापतियों, पुरोहितों आदि द्वारा की या कराई गई रचनाएँ हैं, जिसका उद्देश्य अपनी प्रजा को ईश्वरीय आदेश के नाम पर अपनी बात मनवा कर अधीन बनाये रखना था। इसके द्वारा वे स्वयं को ईश्वरीय सत्ता का अधिकारी बता कर अपना स्थाई प्रभुत्व बनाये रखने की व्यवस्था करते थे। इन ग्रन्थों की रचना में किसानों, गड़ेरियों, मछुआरों आदि का भी योगदान है। भारतीय प्राचीन धर्मग्रन्थों की श्रेष्ठता के सामने अपने धर्मग्रन्थों को सारहीन पाकर यूरोपीय लोगों ने उद्दण्ड बच्चों की तरह भारतीय गौरव को नीचा दिखाने के लिए वेद को गडेरियों का गीत तक कह डाला।

इन रचनाओं में युद्ध विध्वंस, अत्याचार, अनाचार, षड्यन्त्र, धोखाधड़ी, हत्या, लूट–खसोट, नर–संहार, औरतों की लूट, बलात्कार, व्यभिचार आदि का भरमार है। शासक के हित में किये जाने वाले ये सभी दुष्कर्म ईश्वरीय विधान और नैतिक कर्म बतलाये जाते थे। इस प्रकार के विधान ही रिलीजन या मजहब बनते थे। इनकी उत्पत्ति राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिये होती थी। इसलिए इन रिलीजनों का काम धर्म की स्थापना नहीं बल्कि राजनीति की चाकरी करना था।

इस्लाम के प्रवर्त्तक मुहम्मद साहब अत्यन्त प्रतिभावान व्यक्ति थे। स्वघोषित पैगम्बर के अतिरिक्त उनमें एक साथ सम्राट, सेनापति, सैनिक, राजनीतिज्ञ, चतुर, कूटनीतिज्ञ, प्रखर वक्ता, धर्मोपदेशक, व्यापारी, न्यायाधीश, दृढ़ निश्चयी एवं अति कर्मठता के गुण थे। उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा बढ़ कर उन्माद का रूप ले चुकी थी।

वे आर्य परम्परा वाले वंश में पैदा हुए थे पर शामी परम्परा के निकट सम्पर्क में अधिक समय गुजारने के कारण उसका उन्हें ज्ञान था। अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए उन्होंने उसे ही उपयुक्त पाया। उसी मार्ग से चलकर उन्होंने इस्लाम की स्थापना की।

इस्लाम और ईसाइयत के अलावा मार्क्सवादी विचारधारा का भी तेजी से प्रचार–प्रसार हो रहा है, जिसकी उत्पत्ति भी इसी परम्परा के संस्कार से प्रभावित व्यक्ति द्वारा हुई है।

कार्ल मार्क्स मेधावी, संवेदनशील और न्यायप्रिय स्वभाव के व्यक्ति थे। यूरोपीय इतिहास के दमन, उत्पीड़न, अत्याचार और तत्कालीन शोषण को देखकर, गहन अध्ययन द्वारा उन्होंने इनके कारणों और इससे मुक्ति का उपाय ढूँढ़ा। उन्होंने देखा कि समाज परस्पर विरोधी हित वाले वर्गों में बँटा रहता है। ये सदा संघर्षरत रहते हैं। शोषक वर्ग की विचारधारा जो रिलीजन–मजहब का रूप ले लेता है, शोषित वर्गों पर लादी जाती है। ये उसके अधीन जैसे नशे में डूबे रहते हैं और शोषित बने रहते हैं। इसलिए मार्क्स ने शोषित

वर्ग के लिए, नया दर्शन, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की रचना की। उसके अनुसार पुराने अंधविश्वासी मजहबी बंधनों से मुक्त और शोषित वर्ग को संगठित होकर शोषकों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ देना चाहिए। राजसत्ता उनसे छीन कर, शोषित–मजदूर वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहिए। फिर पूँजी का समाजीकरण कर समाजवाद की स्थापना करनी चाहिए ताकि शोषण प्रथा का अन्त हो जाय। शोषण–विहीन एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना, धर्म के राज्य की अवधारणा से अलग नहीं है। रिलीजन या मजहब के बाहर जो भी विचार हों, धर्म शोषण और अन्याय का समर्थक नहीं हो सकता। यदि वह कहीं है तो वह धर्म नहीं कोई सम्प्रदाय, मजहब या रिलीजन ही हो सकता है।

दुनिया में कुछ भी निरपेक्ष या पूर्ण नहीं है। मार्क्स के विचार के परिणाम और कारणों की समीक्षा भी की जानी चाहिए। मनुष्य अपनी परम्परओं के संस्कार से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अन्यायपूर्ण मार–काट, लूट–पाट, हिंसा, विध्वंस, बलात्कार, अनाचार, अत्याचार की कथाओं से भरे यूरोपीय रिलजीनों के संस्कार से मार्क्स अछूते कैसे रह सकते थे!

इसलिए एक न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना का मार्ग भी उन्हें इससे भिन्न सूझ ही नहीं सकता था। परिणामस्वरूप मानवता को भयंकर रक्तपात और नरसंहार देखना पड़ा, न्याय के नाम पर। उन्माद में विवेक खो जाता है। औचित्य–अनौचित्य के भाव तिरोहित हो जाते हैं। मार्क्सवादी उन्माद ने एक नया वर्ग, नव शासक वर्ग पैदा कर डाला और समाजवाद के न्याय की अवधारणा को ही झुठला दिया। फलतः सत्तर वर्षों की समाजवादी जीवन पद्धति के अभ्यस्त लोगों ने उस व्यवस्था को ही उखाड़ फेंका।

काश! मार्क्स को प्राचीन आर्यों के अध्यात्म और धर्म की निकट की जानकारी होती तो वह महान न्यायी और संवेदनशील विचारक, मानवता को कुछ बहुमूल्य दे पाता। दुर्भाग्य यह कि उसने भारत को तब देखा जब सहस्राब्दियों से शामी परम्परा के आततायियों द्वारा कुचल कर भारतीय सांस्कृतिक धारा को नष्ट–भ्रष्ट कर उसे अधःपतन में पहुँचाया जा चुका था। आर्थिक क्षेत्र में भी उसे लूट कर दरिद्र बना दिया गया था। उसकी सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था तहस–नहस की जा चुकी थी। उसकी फटेहाली तथा लूट के माल से सम्पन्न बने पश्चिम को देखकर यूरोपियन गर्वोन्नत थे और भारतीय पीढ़ी हताश। सहिष्णुता, अध्यात्म और धर्म की संस्कृति, बर्बरता, दमन और अत्याचार की संस्कृति से हार कर अपना बहुमूल्य लुटा चुकी थी। उसकी प्रदूषित अवस्था एवं विकृति में भी अभी बहुत कुछ बहुमूल्य था जिसे यूरोपियन मार्क्स की दृष्टि देख नहीं सकती थी क्योंकि उसे देखने परखने के लिए योगी अरविन्द की दृष्टि की आवश्यकता थी।

आज मार्क्सवादी भी इस्लाम और ईसाइयत की शामी परम्परा की संस्कृति में फँसकर भारत की बहुमूल्य सांस्कृतिक जीवन धारा को नष्ट–भ्रष्ट करने में जुट गये हैं।

इस्लाम और ईसाइयत भारत में हिन्दू धर्म को मिटा कर अपने–अपने मजहब को स्थापित करने की होड़ में जी जान से जुटे हुए हैं। इनका सिद्धांत, मौलिक चरित्र,

इनके जन्म काल से आजतक अन्य धर्मावलम्बियों के साथ व्यवहार, अन्य धार्मिक समाजों पर इसका प्रभाव, वर्तमान स्थिति एवं हिन्दू समाज पर निकट भविष्य में पडने वाले प्रभाव पर हल्की रोशनी डालने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही हिन्दू समाज की धार्मिक, पांथिक, जातीय, शैक्षणिक, राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति पर भी थोड़ा-थोड़ा प्रकाश डाला गया है।

हिन्दू समाज इस्लाम और ईसाइयत के विस्तारवादी चरित्र पर तबतक कोई असर नहीं डाल सकता जबतक कि वह उनके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त न कर ले। पूरा हिन्दू समाज ही इस्लाम और ईसाइयत के विनाशकारी चरित्र से अनजान और असावधान बना हुआ है।

हम देखते हैं कि इतिहास का सुनियोजित विकृतिकरण किया जा रहा है। ऐसा करने वाले भी मानवता के हित में कुछ अच्छा ही सोचकर करते हैं। उनका विश्वास है कि अतीत में जो भी हुआ है उसकी उसी वीभत्स रूप की स्मृति से पीढ़ियों में कटुता का भाव बनता है, इसलिए उसमें कुछ परिवर्तन कर ऐसा लिखना ठीक होगा जिससे परस्पर सौहार्द्र बना रहे। पुनः वे सोचते हैं कि इतिहास के गौरवपूर्ण प्रसंगों को विकृत कर और लोगों का ध्यान उस आकर्षण से हटा कर नई समाज व्यवस्था को स्थापित करने की ओर मोड़ा जा सकता है जो शोषण विहीन एवं न्यायपूर्ण हो। ऐसा करते हुए वे इसकी अनदेखी करते हैं कि लोगों की स्वाभाविक इच्छा सत्य को उसके असली स्वरूप में ही जानने की होती है। इससे उन्हें वंचित करने का काम अपराध के समान है।

सत्य इतिहास का ज्ञान मनुष्य को भविष्य के मार्ग निर्धारण में मददगार होता है। बीते समय की घटनाओं से प्रकृति एवं समाज के क्रिया-कलापों की समीक्षा की जाती है। इनके निष्कर्षों से घटनाओं के घटित होने के कारणों की जानकारी प्राप्त होती है। इससे मानव-समाज या प्रकृति के संचालन के नियमों को ढूँढ कर भविष्य के जीवन को सुव्यवस्थित, सुसंस्कृत और सुखी बनाने में सहायता मिलती है। इसलिए जो लोग इतिहास लेखन को विकृत करते हैं वे मानवता के सुंदर भविष्य निर्माण के आधार को ही नष्ट कर देते हैं। गलत इतिहास से घटनाओं के घटित होने के कारणों को सही रूप में नहीं जाना जा सकेगा फलतः भविष्य की योजनाएँ निश्चित रूप से गलत होंगी। इसलिए गलत इतिहास लेखन मानवता के विरुद्ध किया जाने वाला अपराध है।

भारत के इतिहास का विकृतिकरण सुनियोजित रूप से किया जाता रहा है। पहले अंग्रेजों ने आर्यों को विदेशी आक्रमणकारी बताया ताकि वे भारत पर अपने आक्रमण और अधिकार को आर्यों के समतुल्य बता कर स्थाई बना सकें। उसके बाद इस्लामी बर्बर आक्रमणों और उसके सारे किया-कलापों को इस प्रकार सामान्य और हल्का कर इतिहास में शामिल किया गया कि लोग उसके असली कारणों और इस्लाम के चरित्र को समझ ही नहीं सके। वे नहीं जान सके कि मुस्लिम आक्रमणकारियों का उद्देश्य, अन्य संस्कृतियों को मिटा कर अरबी संस्कृति और साम्राज्य को स्थापित करना था। उनके सभी बर्बर कृत्य

इस्लाम के हुक्म के पालन में ही किये जाते थे। इतिहास की पुस्तकों में ईसाइयों द्वारा गोवा में इन्क्विजीशन की बर्बर और असभ्य कार्रवाइयों का स्पष्ट प्रकाशन नहीं किया गया। अंग्रेजी राज में ईसाई बर्बरता को छिपा कर उसके स्वरूप को उदार और सेवाभाव से युक्त बताया गया। इससे हिन्दुओं में ईसाइयत की सही जानकारी प्राप्त न हो सकी। यद्यपि ईसाई हेतुवाद की ओर मुड़कर प्राचीन बर्बरता से बहुत हद तक हटे हैं, तथापि उनमें अब भी धर्म की स्थापना की जगह सम्प्रदाय विस्तार की ही इच्छा प्रबल होती है और इस्लाम तो अब भी उसी राह पर चला जा रहा है।

हिन्दू अपनी धार्मिक सहिष्णुता की शिक्षा और संस्कारों के प्रभाव में आजतक इस्लाम और ईसाइयत के विनाशकारी चरित्र से अनभिज्ञ पागलों और मूर्खों जैसी हरकतें करते जा रहे हैं, जिसका परिणाम निकट भविष्य में ही उनके सर्वनाश के रूप में सामने आने वाला है। इस्लामी जेहाद में हिन्दुओं का कत्लेआम, उनकी चल सम्पत्ति की लूट और अचल सम्पत्ति पर अधिकार, उनकी महिलाओं का बलात्कार और अपहरण तथा बचे खुचे लोगों को गोमांस खिलाकर मुसलमान बनाने की कार्रवाई होने वाली है। उसके बाद शरीयत कानून लागू होगा। इस्लाम और ईसाई बहुल क्षेत्रों में देश का विखण्डन और हिन्दू समाज का अन्त होगा। एक हजार वर्ष से भी अधिक समय से यही हो रहा है।

लेकिन दुर्भाग्य है कि आज का हिन्दू, मैकाले शिक्षा नीति के अनुसार तैयार पाठ्यक्रमों, पाखंडी और मूर्खतापूर्ण धर्मनिरपेक्षता तथा मार्क्सवादी भटकाव और दिशाहीनता के कारण इस अति गम्भीर समस्या को देख सकने की दृष्टि खो चुका है। पूरा हिन्दू समाज ही इससे बेखबर, असावधान, असंगठित और शक्तिहीन बन कर सिर्फ स्वार्थ लिप्सा की पशु-वृत्ति और आपसी कलह में लिपटा हुआ है। यदि इस परिस्थिति को बदला नहीं गया तो हिन्दू समाज के दर्दनाक अंत को रोका न जा सकेगा। यह पुस्तक सोये हिन्दुओं का ध्यान उसके अस्तित्व की समस्या की ओर आकर्षित करने में कुछ भी उपयोगी हुई तो मेरे लिए संतोष की बात होगी।

– सच्चिदानन्द चतुर्वेदी

1. क्या हिन्दू मिट जायेंगे ?

एक अत्यन्त गम्भीर सवाल–अस्तित्व का सवाल–आज हिन्दू मानस में तीव्रता के साथ घूम रहा है। इस विषय में यथाक्रम और सांगोपांग अध्ययन करने वालों के चिन्तन के परिणाम एक भयानक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं – क्या हिन्दू मिट जायेंगे ? हिन्दू अर्थात सनातनी, बौद्ध, जैन, सिक्ख, सरना आदि। क्या देश दारुल इस्लाम बन जायेगा जिसमें सिर्फ मुसलमान होंगे और थोड़े से दबे–कुचले, स्तरहीन, अपमानित जजिया देने वाले मिमियाते ईसाई ? क्या आज के ये लफ्फाजी और शेखी बघारने वाले राजनीतिज्ञ भयानक विस्फोटों के धुएँ में खो जायेंगे ? धर्म निरपेक्षता की डींग हाँकने वाले, भ्रष्टाचरण द्वारा जनता के धन की लूट से तिजोरियाँ भरने वाले, सत्ता लोलुप दृष्टिहीन और पतित नेताओं का अन्तिम हश्र यही होगा ? हिन्दू धर्म गुरुओं, महात्माओं, सन्तों, पुरोहितों आदि के रूप में हिन्दू समाज के कल्याणार्थ त्याग और समपण क साथ प्रवॉत्तेवाद के प्रचार की जगह आश्रमों में भौतिक जीवन का आनन्द उठाने वाले मस्जिदों में नमाज पढ़ायेंगे ? सेक्युलरिज्म के समर्थन में लम्बे लेख लिखने वाले और स्वयं को निष्पक्षता का प्रतीक दर्शाने वाले, अरब के पैगम्बर के यशोगान में अपनी लेखनी का कमाल दिखायेंगे ? वामपंथी विचारक, सांस्कृतिक और सैद्धांतिक संसार में त्रिशंकू की भूमिका निभाते निभाते अन्त में भौंचक्के होकर पुनः एक भयंकर भूल की स्वीकारोक्ति के बाद माथा धुन लेंगे? क्या कवियों, लेखकों और विचारकों के पुस्तकालयों से वैसी पुस्तकें निकाल बाहर फेंक दी जायेंगी जो इस्लामी ईमान पर असर डालती हैं ? क्या बुद्धिजीवियों की बुद्धि तभी खुलेगी जब बौद्धिक स्वच्छंदता का अंत हो जायेगा ? जीवन का नैसर्गिक एवं सर्वाधिक आह्लादकारी जन्म सिद्ध अधिकार स्वतंत्रता, मस्जिदों और बुर्कों में सिमट कर रह जायेगी ? क्या मूर्ति निर्माण की गहनतम शिल्पकला का लोप हो जायेगा ? धर्म के आवरण में लिपटी बर्बरता (लूट, कत्ल, अपहरण, बलात्कार) विजयी होकर ही रहेगी ? क्या लौकिक–पारलौकिक स्वार्थ में अंधा बना, आत्म केन्द्रित, सैद्धांतिक मदिरा के नशे में डूबा संपूर्ण हिन्दू समाज अपनी संवेदन हीनता का परिणाम भुगत कर ही रहेगा ?

इसका उत्तर निश्चित "हॉ" के रूप में दिखाई देने लगा है। तथ्य और विद्वानों की समीक्षा के परिणाम यही उत्तर देते हैं। मुजाहिदीन (मुस्लिम लड़ाके), मजहबी शिक्षा और संस्कार से प्रभावित पूरे समुदाय के समर्थन से, मजहब की संपूर्ण स्थापना हेतु, जेहाद (धर्मयुद्ध) में श्रद्धापूर्वक सम्मिलित होने की स्थिति में हैं, जिनको कुरान का आदेश है –

01. हे ईमान लाने वालों (मुसलमानों) ! उन काफिरों से लड़ो जो तुम्हारे आसपास हैं; और चाहिए कि ये तुममें सख्ती पायें। (कु0 9:123)

02. फिर जब हराम के महीने बीत जायँ तो मुश्रिकों (मूर्तिपूजकों) को जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो, और पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वे तौबा कर लें, नमाज कायम करें, जकात दें तो

उनका मार्ग छोड़ दो। निःसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमा और दया करने वाला है। (कु0 9:5)

03. हे ईमान लाने वालों ! मुश्रिक नापाक हैं। (कु0 9:28)

04. निःसंदेह काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। (कु0 4:101)

05. हे ईमान लाने वालों ! ..... और काफिरों को अपना मित्र न बनाओ। अल्लाह से डरते रहो यदि तुम ईमान वाले हो। (कु0 5:57)

06. फिटकारे हुए (गैर मुस्लिम) जहाँ कहीं पाये जायेंगे, पकड़े जायेंगे और कत्ल किये जायेंगे। (कु0 33:61)

07. अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों (लूट) का वादा किया है, जो तुम्हारे हाथ आयेगी। (कु0 48:20)

08 तो जो कुछ गनीमत (लूट) का माल तुमने हासिल किया है, उसे हलाल और पाक समझकर खाओ। (कु0 8:69)

09. हे नबी ! ईमान वालों को लड़ाई पर उभारो। यदि तुममें बीस जमें रहने वाले होंगे तो वे दो सौ पर प्रभुत्व प्राप्त करेंगे और यदि तुममें से एक सौ हों तो 1000 काफिरों पर भारी रहेंगे। क्योंकि वे वैसे लोग हैं जो समझ-बूझ नहीं रखते। (कु0 8:65)

10. हे ईमान लाने वालों ! तुम यहूदियों और ईसाइयों को मित्र न बनाओ। ये आपस में एक दूसरे के मित्र हैं और जो कोई उनमें से तुम्हें मित्र बनायेगा, वंह उन्हीं में से होगा। निःसंदेह अल्लाह जुल्म करने वालों को मार्ग नहीं दिखाता। (कु0 5:51)

11. वे चाहते हैं कि जिस तरह से वे काफिर हुए हैं, उसी तरह से तुम भी काफिर हो जाओ, फिर तुम एक जैसे हो जाओ। तो उनमें से किसी को अपना साथी न बनाना जब तक कि वे अल्लाह की राह में हिजरत न करें, और यदि वे इससे फिर जावें तो उन्हें जहाँ कहीं पाओ पकड़ो और उनका बध (कत्ल) करो और उनमें से किसी को साथी और सहायक न बनाना। (कु0 4:89)

12 उन काफिरों से लड़ो। अल्लाह, तुम्हारे हाथों उन्हें यातना देगा और रुसबा करेगा और उनके मुकाबले में तुम्हारी सहायता करेगा और ईमान वालों के दिल ठंडे करेगा। (कु0 9:14)

इन्हीं शिक्षाओं और इनके प्रभाव से निर्मित संस्कारों के कारण चौदह सौ वर्षों से जेहाद (कत्ल, लूट, अपहरण, बलात्कार) का नंगा नाच मानवता झेलती आ रही है। भारत में सबसे पहले 712 ई0 में मुहम्मद बिन कासिम ने सिन्ध आक्रमण के पश्चात गवर्नर हज्जाज को भेजे अपने पत्र में जो लिखा था, उससे आक्रमण के मजहबी उद्देश्य का पता चलता है।

"राजा दाहिर, उसके भतीजे, उसके योद्धाओं और बड़े अधिकारियों को मार डाला गया है तथा काफिरों को या तो इस्लाम कबूल करवा दिया गया है या उनका वध करवा दिया गया है। मूर्तियों वाले मंदिरों के स्थान पर मस्जिदें और अन्य

इबादतगाह बना दिये गये हैं। खुत्बा पढा जाता है, अजान दी जाती है, ताकि नमाज सही वक्त पर हो सके। सुबह–शाम तकवीर और अल्लाह–ओ–अकबर की तारीफ अता की जाती है।"

(डॉ0 अम्बेडकर द्वारा "पाकिस्तान ऑर पार्टिशन ऑफ इण्डिया" में टाइटस की पुस्तक "इण्डियन इस्लाम" से उद्धृत)

यह संदेश जिसके साथ राजा दाहिर का कटा सिर भी था, प्राप्त होने पर अपने सेनापति को यह उत्तर भेजा – खुदा का हुक्म है – "काफिरों को कोई पनाह (शरण) न दो, सिर्फ उनकी गर्दनें काटो। यह जान लो कि यह महान खुदा का हुक्म है....।" (संदर्भ–वही)

इसी मजहबी उन्माद के अन्तर्गत महमूद गजनबी ने 17 बार भारत को लूटा। लाखों लोगों का कत्ल किया, लाखों औरतों को गुलाम बना कर गजनी के बाजार में बेचा। उसके बाद मुहम्मद गोरी, तैमूर, ऐबक, बलबन, खिलजी आदि से होते हुए औरंगजेब और टीपू तक यही नरसंहार की विनाश लीला चलती रही। आधुनिक युग में कुख्यात मोपला नरसंहार हुआ जिसमें 5000 हिन्दू कत्ल कर दिये गये। अनगिनत, महिलाओं का बलात्कार और अपहरण हुआ। 20,000 हिन्दुओं का बलात् धर्म परिवर्तन हुआ।

आजादी की लड़ाई और देश विभाजन के समय मजहबी मानसिकता के कारण अनगिनत लोगों का कत्ल, अपार सम्पत्ति की लूट, औरतों का बलात्कार और अपहरण तथा बलपूर्वक धर्म परिवर्तन का नंगा नाच हुआ। चर्चिल के अनुसार सिर्फ माउन्टबेटेन के समय बीस लाख लोग मारे गये थे।

सदियों से चले आ रहे इसी अत्याचार की उपज आज के पाकिस्तान, बंगलादेश और भारत के 95 प्रतिशत मुसलमान हैं, जो अपने पूर्वजों पर ढाये गये अकथनीय यातनाओं को विस्मृत कर इस्लाम का दास बन चुके हैं। अब तो हिन्दुओं को अपना पूर्वज मानने में भी उन्हें शर्म आती है।

पैगम्बर की बुद्धि की विलक्षणता का कमाल की कहेंगे कि आज चौदह सौ वर्ष बाद भी वही लोग उनका झंडा उठाये रखने को विवश हैं जिनके पूर्वजों का असीम यातना पूर्वक अन्त किया गया। पी0 आर0 कुण्डू की पुस्तक "इम्पेरियलिस्ट कैरेक्टर ऑफ इस्लाम" में एक प्रसंग उद्धृत है। पैगम्बर से अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए उनके चाचा अबू तालिब के पास मूर्तिपूजक कुरैश सरदार गये हुए थे। उस समय पैगम्बर ने कहा था – "मैंने इनके सामने ऐसा सिद्धांत रखा है, यदि ये इसे स्वीकार कर लें तो न सिर्फ अरब बल्कि पूरा संसार इनके पैरों के नीचे होगा।"

(तरज़मा–ए–कुरान मजीद, बँगला अनुवाद,सैयद अबुल आला मौदूदी पृष्ठ– 775)

उसी विलक्षणता का परिणाम है कि आजतक, अपने देश को हीन समझकर, अपनी संस्कृति से घृणा कर, अपनी जान और सम्पत्ति को दाँव पर लगाकर और दरिद्रता झेल कर दुनिया के करोड़ों मुसलमान अरब की महानता को स्वीकार कर नतमस्तक हैं।

वही कारण है जिससे पाकिस्तान के ब्रिगेडियर एस0 के0 मलिक, अपनी

पुस्तक "कुरानिक कन्सेप्ट ऑफ वार" में कहता है कि "पृथ्वी पर गैर मुस्लिमों द्वारा बनाया गया कोई कानून मुसलमानों पर लागू नहीं होता। कुरान का एक शब्द भी बदला नहीं जा सकता। इस प्रकार का प्रश्न उठाने की सजा मौत है।"

इसी मजहबी उन्माद से प्रेरित तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी मौलाना अबुल कलाम आजाद तक ने यह उद्गार व्यक्त किया था– "एक बार मुस्लिम शासन के अधीन रह चुका भारत देश, पुनः इस्लाम के लिए अवश्य ही जीता जाना चाहिए।"

मजहबी मानसिकता और जेहादी कार्रवाई से ही इस्लाम का विस्तार होता रहा है। सदियों से काफिर हिन्दू इसी प्रकार मरते कटते, लुटते–पिटते, बलात्कृत और अपमानित होते मुसलमान बनते आ रहे हैं। उनपर आई विपत्ति के प्रति हिन्दू समाज की प्रतिक्रिया आत्मघाती ही रही। उनके दुःख में साथ देने, उन्हें सांत्वना देने, उन्हें दौड़कर हृदय से लगाने और अपनाने की पहल करने के विपरीत उन्हें जाति बहिष्कृत, अछूत और तिरस्कृत ही किया गया। परिणाम स्वरूप उनके मन में संपूर्ण हिन्दू समाज के प्रति रोष और घृणा का भाव ही पैदा हुआ। कुछ तो इसके कारण, कुछ बाकी समुदाय को अपनी श्रेणी में लाने और कुछ मजहबी परम्पराओं में घुलमिल जाने के कारण पूरे देश को दारुल इस्लाम बनाने की उनकी आकांक्षाएँ उन्मादी ज्वार का रूप लेती नजर आ रही हैं।

वोट की ताकत से सत्ता पर अधिकार करने के लिए सुनियोजित ढंग से जनसंख्या वृद्धि की जा रही है। इसके लिए मजहब का ढाल इस्तेमाल हो रहा है। फिर पाकिस्तान और बंगलादेश से घुसपैठ करा कर जनसंख्या वृद्धि कराई जा रही है। हिन्दू समाज की अपनी कुरीतियों, तिलक–दहेज एवं खुलापन के चलते भारी संख्या में गैर मुस्लिम लड़कियाँ मुसलमानों के घरों में पहुँचती रहती हैं तथा थोड़ा बहुत धर्मान्तरण भी समय–समय पर हो ही जाता है। गणना के हिसाब से 25–30 वर्षों में ही सत्ता पर इस्लाम का कब्जा हो जायेगा। तब तक की मुस्लिम आबादी, उनके वोट देने की दर, हिन्दुओं के वोट देने की दर, उनका संगठित वोट और हिन्दुओं के वोट का बिखराव आदि पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जायेगा। सभी दलों के मुस्लिम सांसदों को मिलाने से संसद में बहुमत जिस दिन होगा उसी दिन वे मिलकर सरकार बना लेंगे और शरीयत का कानून थोप देंगे। इस योजना में बिकाऊ हिन्दू सांसद सत्ता की साझेदारी के लोभ में एक दूसरे से आज की तरह ही होड़ लेते रहेंगे। "बन्दे मातरम्" के संसद में गायन के सवाल पर जो कुछ हुआ उससे स्थिति का आकलन सहज ही किया जा सकता है।

लेकिन रणनीति का यहीं अंत नहीं है। विदेशी धन से बड़े पैमाने पर मदरसों का निर्माण, जेहाद के लिए मुजाहिदीनों की ट्रेनिंग और अस्त्र–शस्त्रों के भंडारण से सेक्युलरिस्टों को छोड कर सभी अवगत हैं। तथ्य को प्रकट करने से बुद्धदेव भट्टाचार्य का मुँह बन्द भले ही कराया जा सकता है लेकिन उसे बदला तो नहीं जा सकता। "आई0एस0आई0 का आतंक" नामक अपनी पुस्तक में श्री राम नरेश प्र0 सिंह, वरिष्ठ अधिकारी, इन्टेलिजेन्स ब्यूरो, भारत सरकार (सेवा निवृत्त) द्वारा आई0एस0आई0 द्वारा जेहाद में सहयोग हेतु बिछाये गये जाल का विस्तार से वर्णन

किया गया है। जेहाद के विषय में फैलाये गये भ्रम को स्पष्ट करते हुए आतंकवादी संगठन जैश–ए–मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर ने कहा, "इस्लाम में जेहाद का एकमात्र मतलब है हत्या"।

(दैनिक जागरण, पटना, 8 दिसम्बर 2003)।

हत्या ही नहीं, ऊपर दिये गये कुरान के उद्धरणों में गैर मुसलमानों से मित्रता नहीं करने, सिर्फ अपना काम निकालने तक मित्रता करने, उन्हें शत्रु समझने, घेर कर उनकी हत्या करने और उनका धन लूटने का हुक्म तो है ही, उनकी औरतों से बलात्कार और व्यभिचार करने का भी हुक्म है, जो लूट के माल के रूप में उनसे छीन कर और कैद कर लाई जाती हैं, जैसा चौदह सौ वर्षों से होता आ रहा है।

" और जो अपनी शहबत की जगह (विषयेन्द्रिय) को काबू में रखते हैं, सिवाय अपनी जोरुओं और कैद की माल (यानी बांदियों) के कि (उनके पास जाने में) उन्हें कोई गुनाह नहीं।" (कुरान 70: 29, 30)

"और औरतें जो (किसी के) निकाह में हैं (वे भी तुम पर हराम हैं) सिवाय उनके जो (क़ैद हो कर) तुम्हारे अधिकार में आई हों । अल्लाह के ये हुक्म तुम पर फर्ज हैं।.....।" (कुरान 4:24)

आतंक के वातावरण में मुसलमान बनने और उसी शिक्षा, संस्कार और परम्परा के चलते रहने के कारण, गैर मुसलमानों के साथ, हत्या, लूट और व्यभिचार को, अनैतिक, नीच और घिनौना कर्म समझने की जगह, मुसलमान मजहबी फर्ज समझते हैं। हिन्दू मानस में सहज ही यह आशंका उत्पन्न होती है कि कश्मीर जैसे छोटे से इलाके में जब भारतीय सेना वहाँ के हिन्दुओं की रक्षा नहीं कर सकी, जो आज करोड़ों की सम्पत्ति और जवान बेटे–बेटियाँ खोकर शिविर में दिन काट रहे हैं; तब एक साथ पूरे भारत में जेहाद का बिगुल बजने पर पूरे देश के रक्त में डूब जाने के सिवाय और क्या शेष बचेगा ? देश विभाजन के समय के जेहादी अभियानों का हृदय बिदारक वर्णन न्यायमूर्ति गोपाल दास खोसला ने अपनी पुस्तक "स्टर्न रेकनिंग" में विस्तार से किया है। जन्म से आज तक के इस्लामी परम्परा पर नजर डालते ही भविष्य की भयानकता साफ झलकने लगती है। किसी समुदाय के अस्तित्व का सवाल उसके जीवन की सभी समस्याओं की तुलना में हजार गुना बड़ा है। हिन्दू समाज के लोग इस समस्या पर पर्दा डाल कर स्वयं को धोखा दिये चले जा रहे हैं। जब कोई समुदाय आत्म केन्द्रित, स्वार्थी, अज्ञानी और कायर बन जाता है तब मिट जाने का स्वयं ही मार्ग तैयार करता है। फिर भी जब वह किसी के लिए भी अहितकर और आघातकारी नहीं है, तब अपने विश्वास, पंथ, विचार, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के साथ जीने के उसके मानवीय अधिकार का दूसरा अपहरण क्यों करे! पर बर्बर सांस्कृतिक परम्परा में न्याय और नैतिकता का कोई मूल्य नहीं होता।

तथ्यों के आलोक में सरकारों, तथाकथित प्रगतिशील पत्रकारों, विचारकों, वामपंथियों और धर्म निरपेक्षतावादियों से यह अपेक्षा है कि वे मुस्लिम समुदाय से कहें कि वे यह फतवा जारी करें कि कुरान, हदीस, सीरत–अन–नबी आदि जिन्हें संयुक्त रूप में शरीयत कहते हैं, में गैर मुसलमानों के प्रति शत्रुता का जो हुक्म है उसे निरस्त

किया जाता है कि जेहाद में किसी गैर मुस्लिम का कत्ल या लूट या औरतों का अपहरण जैसा नीच कर्म वर्जित कर दिया गया है। यह फतवा जारी करना और उसके समर्थन में मुसलमानों के सभी संगठनों द्वारा घोषित करना कि इस्लाम को सिर्फ आत्म संयम और ईश अराधना तक ही सीमित कर दिया गया है और उसके साथ ही परिवार नियोजन के कार्यक्रम को अपनाना, क्या वे स्वीकार करेंगे ?

जाहिर है, यह असम्भव है। वे इस्लाम में संशोधन के लिए कभी तैयार नहीं हो सकते। रक्त रंजित जेहाद द्वारा देश को दारुल इस्लाम बनाने के अपने फर्ज से वे कभी विमुख नहीं हो सकते। यही तथ्य है। यही सच्चाई है।

तब क्या आपका यह फर्ज नहीं बनता है कि सोये हिन्दुओं को जगा कर कहें कि अब भी तो अहिंसा व्रत को त्यागो और आत्मरक्षार्थ जैसे को तैसा करने को तैयार हो जाओ। हर कस्बे, बस्तियों और मुहल्लों में संगठन बना कर आत्मशक्ति में वृद्धि करो। स्वार्थ के दलदल से निकल कर आत्मरक्षा की भावना से प्रेरित बनो। क्योंकि शान्ति के लिए शक्ति का संतुलन आवश्यक शर्त है। कश्मीर का दृश्य आँखों के सामने है और शासकों का घिनौना रूप भी। गाँधी की अहिन्सा की नौटंकी से मोपलों द्वारा किये गये नर संहार और देश विभाजन काल के समय बीस लाख लोगों के कत्लेआम को देखा जा चुका है।

सरकारों, पत्रकारों, वामपंथियों, सेक्युलरिस्टों से इन आशंकाओं का तथ्यपरक उत्तर चाहिए। सभी राजनीतिक दल इस विषय पर अपनी स्पष्ट नीति का प्रकाशन करें। इस समस्या की गम्भीरता के अनुरूप अपनी कार्यशैली में बदलाव लायें। धोखाधड़ी और क्षुद्र राजनीति से ऊपर उठ कर देशव्यापी चर्चा छेड़ें और स्थाई समाधान की व्यवस्था करें, चाहे वह कितना ही कठोर क्यों न हो। सभी दलों में यह अत्यन्त खतरनाक प्रवृत्ति बनी है कि वे समस्या को उभाड़ कर उसका स्थाई समाधान निकालने के विपरीत, तात्कालिक लाभ के लिए, उसको ढँकते और उससे बचते रहना चाहते हैं। अगर यही क्रम चलता रहा तो आगे इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। जेहाद द्वारा अर्थात हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण, विध्वंस द्वारा इस्लामी सत्ता स्थापित करने और सभी गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाने के इस्लामी फर्ज को पूरा करने की विश्वव्यापी जो कट्टरता दिख रही है, उसे हल्के से नहीं लिया जाना चाहिए। उसका सबसे पहला शिकार भारत ही होने वाला है।

◆

2. हिन्दू के अस्तित्व का प्रश्न

एक समय था, जब हिन्दू समाज निश्चिंतता पूर्वक भारत भूखण्ड पर जीवन व्यतीत कर रहा था। अपनी संस्कृति और धर्म के चिन्तन के साथ परस्पर शास्त्रार्थ द्वारा जीवन के उत्कृष्टतम मार्ग की खोज में रत था कि मुस्लिम लुटेरी संस्कृति ने उसे धर दबोचा। एक पर एक सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन पर होने वाले आक्रमणों से वह हतप्रभ हो गया। उच्चतम मानव मूल्य बर्बरता के हाथों धूल धूसरित हो गये। हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण और बलात् धर्मान्तरण की ऐसी आँधी चली कि हिन्दुओं को सर उठाने का मौका ही नहीं मिला। नैतिक मानदण्ड बर्बरता के हाथों कुचल दिये गये। वह विध्वंसक तूफान तबतक जारी रहा जबतक कि अँग्रेजों ने बलपूर्वक सत्ता मुस्लिम आततायियों से छीन न ली।

किन्तु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग एक तिहाई अपने ही भाई–बन्धु उस क्रूरता और आतंक के साये में पिस कर आक्रांताओं की जीवन पद्धति और विश्वास को अपनाने को विवश हो चुके थे। अपने पूर्वजों की संस्कृति और सम्मान पर गर्वित होने के बदले उनसे नफरत करने की नसीहत के आदी बन चुके थे। उनकी राष्ट्रीयता और राष्ट्र के प्रति भाव उलट चुके थे।

इसलिए अँग्रेजी पराधीनता से मुक्ति के लिए चलने वाले स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग के बदले असहयोग करते हुए वे देश विभाजन के लिए अड़ गये। उनका तर्क था कि मुस्लिम एक अलग राष्ट्र हैं। हिन्दुओं के बीच उनका इस्लाम सुरक्षित नहीं रह सकेगा। उनके रीति–रिवाज और मजहब भिन्न हैं। उनके गौरव पुरुष और खलनायक परस्पर विरोधी रहे हैं। इसलिए हिन्दू और मुसलमान दोनों समुदायों का साथ रह कर शान्ति पूर्वक धर्म पालन करना संभव नहीं है।

समस्याओं की तथ्यपरक समीक्षा कर समुचित समाधान निकालने के विपरीत तत्कालीन हिन्दू नेता कल्पना लोक में विचरण कर रहे थे। वे हिन्दुओं को समझा रहे थे कि हिन्दू मुसलमान में कोई भेद नहीं है। दोनों ही भारतीय राष्ट्र के अंग हैं। गाँधीजी कह रहे थे, 'हिन्दुस्तान का बँटवारा मेरी लाश पर ही हो सकता है।' नेहरू जी कह रहे थे, 'पाकिस्तान एक वाहियात सपना है।' राजेन्द्र बाबू ने अपनी पुस्तक "इंडिया डिवाइडेड" में लिखा, "पाकिस्तान असम्भव है।" लेकिन इन्हीं नेताओं ने बँटवारा को स्वीकारा भी। शान्ति और अहिंसा का घूँट पिला कर हिन्दुओं को निहत्था और कायर बनाया। उसके बाद भारत का गवर्नर जेनरल माउंटबेटन को ही रहने दिया किन्तु पाकिस्तान का गवर्नर जेनरल जिन्ना को स्वीकार कर लिया। परिणामस्वरूप पाकिस्तानी पुलिस, सेना और दंगाइयों के संयुक्त जेहादी अभियान में लाखों हिन्दू कत्ल कर दिये गये। हिन्दुओं की अपार सम्पत्ति छीन ली गयी। असंख्य महिलाओं का बलात्कार और अपहरण हुआ तथा वहाँ रह गये सभी हिन्दुओं का बलात् धर्मान्तरण हुआ। पाकिस्तान में यह काम मात्र तीन महीने में पूरा हो गया था। बँगलादेश में अभी यह प्रक्रिया जोर-शोर से चल रही है। बँगलादेशी पत्रकार सलाम आजाद ने अपनी

पुस्तक "एट्रोसिटिज ऑन दि मिनोरिटीज इन बँगलादेश" में इसका वर्णन जीवंत रूप में किया है।

किन्तु दूसरी ओर भारतीय क्षेत्र में रहने वाले मुसलमान इन हिन्दू नेताओं की वज्र मूर्खता और वोट बैंक की क्षुद्र स्वार्थपरता के कारण, भारत में ही रह गये। यहाँ रहकर इन्होंने सभी प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की। अल्पसंख्यक के नाम पर इन्हें विशेषाधिकार दिया गया। अपना शिक्षण संस्थान चलाने और अपने धर्म के प्रचार प्रसार की पूरी छूट दी गयी। किन्तु हिन्दुओं को इससे वंचित रखा गया। हिन्दुओं के धर्मस्थलों से प्राप्त आमदनी तो सरकार की होने लगी, किन्तु अल्पसंख्यकों को अपने धर्मस्थान से प्राप्त आमदनी के इस्तेमाल की न सिर्फ छूट दी गई वरन् शिक्षा और मजहबी कार्य के लिए आर्थिक सहायता भी दी गई। गाँधी और नेहरू ने मुस्लिम आबादी को भारत में ही रोक लिया और फिर उनकी तुष्टिकरण की नीति को जारी रखा। धीरे धीरे रियायतों पर रियायतें लेते हुए इन्होंने अपना पाँव पसारना शुरू किया। जनसंख्या विस्तार की योजनाबद्ध कार्रवाई शुरू की गई। पहले बार–बार दंगों द्वारा सफाई बस्तियों का विस्तार किया गया, जिसमें जेहाद की सुविधाओं का अबाध विस्तार हो सके तथा कानून विरुद्ध कार्रवाई चलती रहे। अब, जबकि मुस्लिम आबादी शांतिप्रिय हिन्दुओं पर भारी पड़ने लगी है और इन सब विध्वंसक परिस्थितियों से बेखबर सोये हुए हिन्दू समाज में सुगबुगाहट दिखने लगी है तब बड़ी बुद्धिमानी से जेहादी रणनीति में परिवर्तन कर दिया गया है।

मजहब की आड़ में परिवार नियोजन से इंकार कर चुपचाप जनसंख्या विस्तार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अब, जबकि हिन्दू समाज में परिवार की संख्या सीमित रखने का प्रचलन आम हो गया है, एकमात्र परिवार नियोजन से ही इंकार कर, अधिक से अधिक औरतों से शादी और बेहिसाब बच्चे पैदा करने की नीति भारतीय से जनसंख्या अनुपात में निर्णायक असर करने में कारगर हो रही है। आज यदि किसी बस्ती में बीस घर हिन्दुओं का और एक घर मुसलमान का है तो बीस वर्ष बाद हिन्दुओं के बीस घरों की जो जनसंख्या होगी वही उस एक घर की होगी।

इसके अलावा बँगलादेश और पाकिस्तान से भारी संख्या में मुसलमान भारत में प्रवेश कर रहे हैं। वोट के माध्यम से ही मात्र पच्चीस–तीस वर्षों में सत्ता मुस्लिम हाथ में पहुंचने वाली है। तब गैर मुसलमानों को पुलिस प्रशासन और सेना की मदद से निहत्था बनाया जायेगा। ढूँढ-ढूँढ कर उनके हथियार छीन लिए जायेंगे। उसके बाद शुरू होगा, घर घर जेहाद, हिन्दू जनसंख्या की समाप्ति, उनकी सम्पत्ति की लूट, औरतों–बच्चों का अपहरण तथा संपूर्ण समाज का इस्लामीकरण। तब इस देश को दारुल इस्लाम बना जायेगा। संविधान की जगह शरीयत कानून लागू होगा। लोकतंत्र समाप्त हो जायेगा। धर्मनिरपेक्षतावादी और मार्क्सवादी नौटंकी सदा के लिए बंद हो जायेगी।

इस्लामी राज्य में गैर–मुसलमानों के लिए कैसा जीवन होता है, शेख हमदानी कृत "जसीरात ए अलमुल्क" के अनुसार खलीफा उमर ने जो तय किया था, इस प्रकार है:–1. वे नये मंदिर या पूजागृह नहीं बनायेंगे, 2. वे पुराने पूजागृहों की

मरम्मत नहीं करेंगे, 3. उनके पूजागृहों में मुस्लिमों के ठहरने पर कोई रोक नहीं होगी, 4. वे अपने पूजागृहों में घंटे नहीं बजायेंगें, 5. वे तीन दिन तक किसी मुसलमान को अपने घर में रहने देंगे तथा इस काल में उसके द्वारा किए गये किसी भी काम को पाप नहीं माना जायेगा, 6. वे अपने धर्म का प्रचार न करें, 7. वे अपने बच्चों को कुरान न पढ़ायें 8. वे अपने भाई को मुस्लिम बनने से न रोकें, 9. वे मुसलमानों जैसा नाम न रखें और न उन जैसे कपडे पहनें, 10. वे काठी और लगाम वाले धोड़े पर न चढ़ें, 11. वे अस्त्र–शस्त्र न रखें, 12. वे शराब न बेचें, 13. वे अँगूठी न पहनें, 14. वे अपने मृतकों के शव मुसलमानों के कब्रिस्तानों के निकट न लावें, 15. वे मुसलमानों के आने पर सम्मान के साथ खड़े हो जायें और जबतक बैठने की आज्ञा न मिले, खडे रहें, 16. वे किसी मुसलमान को नौकर न रखें, 17. वे पुराने लिबास न छोडें, 18. वे अपने मृतकों के लिए ऊँची आवाज में शोक न करें, 19. वे गुप्तचर का कार्य न करें, 20. वे अपनी सभाओं में मुसलमानों को आने से न रोकें, 21. वे अरबी भाषा बोलें। यदि गैर–मुस्लिम इनमें से किसी भी शर्त को तोड़ेंगे तो उनकी जान और माल पर मुसलमानों का अधिकार होगा। यह संहिता अल्लाह के हुक्म के अनुसार पहले घोषित उस सामान्य नियम के अलावा है, जिसमें कहा गया है कि "काफिर की हत्या के लिए किसी मुसलमान को दण्डित नही किया जा सकता है।"

आधुनिक काल में इस्लामी राज्य में गैर–मुस्लिमों के साथ जो व्यवहार होता है उसे बँगलादेश और पाकिस्तान के हिन्दुओं पर जो गुजरा है उससे अच्छी तरह जाना जा सकता है। वास्तव में मुसलमान अपने मजहबी दायित्वों के कारण ही अपने देश को दारुल इस्लाम में बदलने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। जब पाकिस्तान के विभाजन का ऐलान हुआ था तभी उत्साही मुस्लिम नौजवान विजयोल्लास में नाचते–गाते हुए नारा लगा रहे थे, "हँस के लिया है पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिन्दुस्तान"। जब तक देश दारुल इस्लाम नहीं हो जाता है मुसलमानों की राष्ट्रीयता किसी अन्य मुस्लिम देश के साथ जुड़ी रहती है। यही कारण है कि भारत–पाकिस्तान मैचों के समय मुसलमानों की सहानुभूति और उत्साह पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पक्ष में होती है। गोधरा जैसा जघन्य काण्ड, अक्षरधाम मंदिर में निर्दोषों की हत्या, कश्मीर में निर्दोष हिन्दुओं–सिक्खों का संहार होता है, किन्तु मुसलमान उसके विरुद्ध कभी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं।

इन सब परिस्थितियों पर पूरे हिन्दू समाज के विभिन्न वर्गों की वैसी ही प्रतिक्रिया होती है, बल्कि उससे भी मूर्खतापूर्ण और नीचतापूर्ण जैसी आजादी के पूर्व होती थी। उससे क्षुब्ध होकर डा0 अम्बेडकर ने बड़ी ही मार्मिक प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, "मैं अनुभव करता हूँ कि जो हिन्दू जन अपने बान्धवों के भाग्यों का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं ,उनकी देखने में सक्षम आँख (कार्लाइल के शब्द प्रयोगानुसार) लुप्त हो गई है और वे कुछ खोखले भ्रमजालों की चमक ओढ़े घूम रहे हैं जिनके परिणाम, मुझे भय है, हिन्दुओं के लिए घातक होंगे। हिन्दू पक्ष की ओर से ऐसी बातें सुन कर आश्चर्य होता है। पता नहीं हिन्दू बुद्धि इतनी मंद और शिथिल कैसे हो गई।"

गाँधी और नेहरू के पथ प्रदर्शन में हिन्दू समुदाय को जिस भयंकर संहार

को झेलना पडा वह देखने में इनकी सक्षम आँख के लुप्त होने और खोखले भ्रम जालों की चमक ओढे घूमने की डा0 अम्बेडकर की आशंका को शत प्रतिशत सही सिद्ध कर चुका है। स्वयं को संत–महात्मा, शान्ति का पुजारी और महान नेता कहलाने की लिप्सा से इनमें तथ्यो की स्पष्ट समझ और तद्नुरूप कार्रवाई की योग्यता नष्ट हो गई थी। परिणाम स्वरूप बीस लाख हिन्दू छेक छेक कर भेड़ बकरियों की तरह काट डाले गये, उनकी अपार सम्पत्ति छीन ली गई, अनगिनत महिलाओं का बलात्कार और अपहरण हुआ तथा बेहिसाब लोगों का बलात् धर्मान्तरण हुआ।

डा0 अम्बेडकर की टिप्पणियाँ आज के संदर्भ में भी ज्यों–की–त्यों प्रासंगिक बनी हुई हैं।भारत को दारुल इस्लाम बनाने की परिस्थिति जैसे–जैसे निकट होती जा रही है, सारा मुस्लिम समुदाय तीव्र जोश में रणनीतिक कौशल के प्रति जागृत होता जा रहा है। काश (डा0 अम्बेडकर के दृष्टिकोणानुसार) हिन्दू राजनीतिज्ञों, धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों की मंद और शिथिल बुद्धि इसे देख पाती। मजहबी मान्यताओं के कारण देश को दारुल इस्लाम बनाना मुसलमानों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण इस्लामी फर्ज है। इसके लिए प्रत्येक मुसलमान को जेहाद में भाग लेना जरुरी है। जेहाद का अर्थ है एक तरफा आक्रमण द्वारा काफिरों (गैर मुसलमानों) का कत्ल करना, उनका धन लूटना या बलपूर्वक उसपर अधिकार करना, उनकी जवान औरतों का बलात्कार या अपहरण करना, उनको बीवियाँ या लौंडिया बना कर रख लेना तथा बच्चों सहित सभी लोगों को मुसलमान बना देना। इस्लाम के जन्म के कुछ समय बाद ही मदीना में इसी प्रकार मुसलमान बनाने के तरीका की शुरुआत हुई थी, जो चौदह सौ वर्षों से लगातार उसी रास्ते से चल कर यहाँ तक पहुँचा है। पिछली सदी में मालावार में मोपला उपद्रव और देश विभाजन के समय, बंगाल और पंजाब में वही सब दुहराया गया था। देश भर में गदर के नाम से होने वाले हिन्दू–मुस्लिम दंगे मुसलमानों द्वारा वास्तव में जेहाद ही होते थे जो किसी न किसी रूप में आज तक जारी हैं। जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है, जेहाद ही है। हाँ, बीच में भय और आतंक से त्रसित जीवन प्राण रक्षा हेतु कुछ लोग इस्लाम स्वीकार करते रहे हैं, जिसे मुसलमानों द्वारा स्वेच्छा से इस्लाम स्वीकार करना, कहा जाता है। मक्का और मदीना के शुरुआती दिनों के और बाद के लोग लूट के माल और लूट की औरतों के लोभ में मुहम्मद के दल में शामिल हुए थे। दुनिया भर के सभी मुसलमान कभी न कभी इसी प्रकार की यातना अपमान और उत्पीड़न झेल कर मुसलमान बने हैं। आतंक और भय के साथ में इन संस्कारों के कारण मजहबी कट्टरता, मानसिक दासता और बुद्धि नियंत्रण द्वारा इस्लाम, उन्हीं के वंशजों द्वारा, उसी तरीके से शेष लोगों को मुसलमान बनाने में जुटा हुआ है।

मानव स्वभाव की विशेषता है कि उत्पीड़न, अपमान और दासता को झेलने के बाद उसका स्वाभिमान गिर जाता है और वह हीन भावना का शिकार बन जाता है। उस अवस्था से उबरने के लिए उसमें, बाकी समुदाय को भी, जो अभी तक स्वाभिमान पूर्वक जीवन जी रहा होता है, नीचे गिरा कर अपने स्तर पर लाने की इच्छा उपजती है। इससे समानता के बोध से स्तरीय गिरावट की भावना समाप्त हो जाती

है। इन्हीं उत्पीड़ित लोगों से इस्लाम विस्तार की योजना को पूरा कराना होता है। इसलिए धर्मान्तरण के पश्चात इनके मनोबल को उठाने के लिए धन और युवतियों के भोग की स्वाभाविक तृष्णा को उभाडा जाता है ताकि इस्लामी विस्तार के लिए इन्हें जेहाद में लगाया जा सके। काफिरों के धन की लूट और उनकी हत्या को अल्लाह का हुक्म बताया जाता है। उनके मन में मजहबी शिक्षा द्वारा बचपन से ही आक्रान्ताओं का वंशज होने का भाव भर दिया जाता है। भारत के मुसलमान ऐतिहासिक सच्चाई जानते हुए भी अपने को हिन्दुओं का वंशज न कहकर, अरबी, तुर्क, इरानी, इराकी, या अफगानी का वंशज कहते हैं।

जेहाद की व्यापक कार्रवाई, पर्याप्त साधन और शक्ति संचय के बाद, अनुकूल परिस्थिति देख कर ही की जाती है। तबतक उनकी रणनीति काफिरों के साथ घुल मिल कर रहने और शक्ति संचय करते रहने की होती है जबतक कि वे उन्हें कुचल डालने की स्थिति में न हो जायँ। इसलिए काफिरों (गैर मुसलमानों) के सभी क्रिया कलापों में, सभी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों में, उनके प्रत्येक उत्सवों में, उनके काम की जगहों, उनके आवास, उनकी सेवा से संबंधित कार्यों में शामिल रह कर शक्ति संचय करते रहने का उन्हें निर्देश है। जब शक्ति पर्याप्त हो जाय तब काफिरों पर आक्रमण कर जेहाद करने और इस्लामी झंडा गाड़ देने का हुक्म है। मुसलमानों के लिए जेहाद में शामिल होना और काफिरों को नष्ट करने के लिए जेहाद को किसी न किसी रूप में अनवरत जारी रखना फर्ज है। पैगम्बर ने बराबर चलने वाली इस लड़ाई में धोखाबाजी को मुसलमानों के लिए अनुकरणीय विधान बना दिया है। पूरे भारत के इस्लामी करण के लिए, भारत भर में इस्लामी जेहाद की जोरदार तैयारी चल रही है। मजहब के नाम पर सुनियोजित जनसंख्यावृद्धि, मदरसों में मुजाहिदीनों का शिक्षण और प्रशिक्षण तथा विदेशी धन और मदद से हथियारों का संग्रह चल रहा है। इधर हिन्दू समाज को देखने से लगता है कि मूर्खों, मतवालों और शराबियों की जमात है जो अपने आप में मगन है। अतीत में क्या हो चुका है, आज क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है और यह सब क्यों ? इसकी न कोई समझ है और न चिन्ता। वह सिर्फ जीविका की मात्र पशु वृत्ति तक सिमटा हुआ है।

हिन्दू समाज को विनाश की परिस्थिति के निकट तक पहुँचाने वाले जिम्मेवार लोगों में सबसे पहले हम धर्मगुरुओं की बात करते हैं। किसी समुदाय के मार्ग दर्शक धर्मगुरू, ज्ञानी, विद्वान और त्यागी लोग होते हैं, जिनका जीवन ही समुदाय के हित के लिए समर्पित होता है। वे सन्मार्ग की खोज और उसकी शिक्षा के प्रचार-प्रसार द्वारा समुदाय को जीवंत, वीर, ज्ञानी, स्वस्थ, सुसंस्कृत और हर प्रकार से विकसित होने में मार्ग दर्शन करते हैं। किन्तु हिन्दू समुदाय के धर्मगुरू आत्म केन्द्रित हो कर समुदाय के सम्पूर्ण हितों की चिन्ता से दूर, सिर्फ आत्म साधना और आध्यात्मिक ज्ञान तक सिमटे रहते हैं। ज्योतिषी, पुरोहित, कथा–वाचक, पंडित, उप. देशक, कर्म–कांडी आदि पूरे समाज को पाखण्ड, अंधविश्वास, निरर्थक कर्मकांड और पौराणिक कथाओं के जाल में उलझा कर भ्रमित करते रहते हैं। कुछ संत–महात्मा के

वेश में झूठे चमत्कार दिखा कर लोगों को प्रभावित करते हैं और फिर उनका आर्थिक शोषण कर मठों–आश्रमों में भौतिक भोग का आनन्द उठाते हैं।

हिन्दू समाज में कौन-कौन सी बुराइयाँ पनप रही हैं या पहले से ही समाज में व्याप्त हो कर उसे कमजोर कर रही हैं, उनमें कौन-कौन सुधार आवश्यक हैं, उन्हें कैसे दूर किया जाय, आदि विषय से जैसे इनको कुछ भी लेना-देना नहीं है। हिन्दू समाज में सती–प्रथा, बाल–विवाह, विधवा–उत्पीड़न, दासी–प्रथा आदि निकृष्टतम प्रथाएँ चलती रहीं, अंध विश्वास और पाखण्डपूर्ण कर्मकाण्डों का जाल फैला रहा, किन्तु इन लोगों ने उनके उन्मूलन हेतु कोई प्रयास नहीं किया; बल्कि उन कुरीतियों के बने रहने में ही मददगार बने रहे। बार-बार मुस्लिम आक्रमणों में हिन्दुओं के कत्लेआम के बाद धर्मान्तरण का काम होता रहा, लेकिन कभी प्रयास नहीं किया गया कि हिन्दुओं को एकजुट कर शत्रुओं पर टूट पड़ने के लिए प्रेरित किया जाय। मुसलमान बने लोगों को पुनः शुद्धिकरण द्वारा अपने धर्म में शामिल करने के विपरीत, छोटी-छोटी बातों और कारणों का हवाला दे कर उन्हें धर्म बहिष्कृत करते रहे, अपमानित करते रहे और अछूत बनाते रहे। आज समाज में जाति–प्रथा और ऊँच-नीच का भेदभाव समाज को आपस में बाँटे हुए है। छुआछूत जैसी शर्मनाक और घृणित प्रथा अभी मौजूद है। उचित सम्मान के अभाव और भेद भाव के चलते दलित वर्ग ईसाई हो रहा है। सारे धर्मगुरू भौतिक भोग का आनन्द उठा रहे हैं। इनका कर्तव्य था कि हिन्दू समाज के पतन के कारणों को खोज कर गाँव–गाँव, घर–घर जा कर उसे मिटाने के लिए प्रचार करते। दलित वर्ग के साथ सहभोज का आयोजन करते, जाति प्रथा और ऊँच-नीच के विरुद्ध उपदेश देते। अपने धर्मान्तरित बन्धुओं को शुद्धिकरण द्वारा अंगीकार करने की प्रेरणा देते। दहेज प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाते। लेकिन इन सब का कहीं नाम भी नहीं होता है। प्राचीन कालीन कथाओं तक उपदेशों को बांध कर रखने से ही हिन्दू समाज में नव चेतना जागृत न हो सकी।

किसी कथा या उपदेश में यह नहीं सुनने में आता है कि 712 ई0 में मुस्लिम आक्रमण का जो दौर शुरू हुआ, उसमें किस प्रकार के अत्याचार हुए, किस प्रकार मूर्तियों को तोड़ा गया, मंदिरों को ध्वस्त किया गया, मर्दों का कत्लेआम कर उनके सिरों के मीनार बनाये गये और औरतों का शील भंग हुआ। हमें कैसे धर्मान्तरित किया गया ! हम क्यों हारते रहे ! हमने अपने पराजित भाइयों से क्या व्यवहार किया! हममें क्या कमी थी! आज की क्या परिस्थिति है ! हमारी जनसंख्या रोज क्यों घट रही है ! निकट भविष्य में इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ! हमें मुसीबत से उबरने, हिन्दू समाज के विकास एवं सुसंस्कृति सृजन के लिए क्या करना चाहिए, आदि बातों से हमारे धर्म गुरुओं और उपदेशकों को जैसे कुछ लेना-देना ही न हो ! इसे निश्चित रूप से समझना चाहिए कि हमारे धर्माचार्यों का पतन ही हमारे समुदाय के पतन का कारण हुआ है।

सत्तासीन राजनीतिज्ञ, जिन पर समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के कल्याण एवं सुरक्षा की जिम्मेवारी होती है, आश्चर्य जनक रूप से गैर जिम्मेवार हैं। सभी

जानते हैं कि इस्लामी शरीयत के अनुपालन में समर्पित, मुसलमान समुदाय ने दारुल इस्लाम की स्थापना के लिए ही देश का विभाजन कराया और पाकिस्तान बना। यह मालूम है कि उनका असली उद्देश्य संपूर्ण भारत के इस्लामीकरण का है. जिसे अनेक मुस्लिम विद्वानों और राजनीतिज्ञों ने स्पष्टता से समय समय पर व्यक्त किया है। एफ0 के0 दुर्रानी ने अपनी पुस्तक "मीनिंग ऑफ पाकिस्तान" में इसका इस प्रकार जिक्र किया है,"पाकिस्तान का निर्माण इसलिए महत्वपूर्ण था कि इसे शिविर बनाकर शेष भारत का इस्लामी करण किया जाय।"

इस्लामीकरण का मजहबी तरीका जेहाद ही है, जिसका ऊपर वर्णन किया जा चुका है। निर्दोषों की हत्या, उनकी सम्पत्ति की लूट और बलात् दखल, औरतों का बलात्कार और अपहरण तथा बलपूर्वक धर्मान्तरण। ये कर्म दुनिया के किसी भी सभ्य, नैतिक, मर्यादित, न्यायप्रिय और सुसंस्कृत समाज में सबसे घिनौना, नीच और पापी कृत्य समझे जाते हैं, लेकिन इस्लाम में पुण्य के काम या 'नेक' काम। काफिरों (गैर–मुसलमानों) के साथ ऐसा करने वालों को अल्लाह जन्नत देता है, जिसका कुरान एवं हदीस में स्पष्ट आदेश है और चौदह सौ वर्षों का इस्लामी इतिहास जिसका सत्यापन करता है।

".....और जो कदम वह ऐसे चलते हैं कि काफिरों को (उनसे) गुस्सा आये या दुश्मनों से (माले गनीमत के तौर पर) कुछ चीज छीनते हैं, तो हर काम के बदले इनका नेक अमल लिखा जाता है। (बेशक) अल्लाह नेककारों का अज्र (प्रतिफल) अकारथ नहीं होने देता।" (कु09:120)

ये सब कोई छिपी हुई या गूढ बातें नहीं, वरन् अत्यंत स्पष्टता से घोषित तथ्य हैं। सामान्य मामलों में, हत्या;लूट जैसे आपराधिक कार्य करने वाले, यदि योजना बनाते पकड़े जाते हैं, तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करती है। लेकिन घोषित तौर पर यही करने वाले जब मजहब के नाम पर करते हैं तो सत्तासीन लोग आफतार पार्टी दे कर उनका मनोबल बढ़ाते हैं। उनके वे काम जिनसे काफिरों को गुस्सा आये या काफिरों को लूटा जाये, नेक काम हैं। तब राजनीतिज्ञ महोदय, तथाकथित प्रगतिशीलता और धर्मनिरपेक्षता की नौटंकी करने वाले महोदय, कृपया बतावें कि उनका क्या करेंगे जिनके पुत्रों का कत्ल, सम्पत्ति की लूट और बेटियों–बहुओं का बलात्कार, अपहरण और निकाह कातिलों से होगा ? जैसा मुस्लिम आक्रमण के आरम्भ से होता आ रहा है ? जैसा आधुनिक काल में, मोपलों का जेहाद, पंजाब और बंगाल में देश विभाजन के समय जेहाद, अभी-अभी कश्मीर में जो पूरा होने जा रहा है और विस्फोटों द्वारा पूरे देश में जगह-जगह हिन्दुओं के चिथड़े उड़ाए जा रहे हैं ? अपराध जिसका नेक काम है, उसको अपराध की स्वतंत्रता और भुक्तभोगी को भुगतने की स्वतंत्रता यही न आपकी धर्मनिरपेक्षता है!

कश्मीर में सेना भी पराजित हो चुकी है, वहाँ के तीन लाख हिन्दुओं की वह रक्षा न कर सकी; क्योंकि हिन्दू राजनीतिज्ञों में समझ, स्वाभिमान, नैतिकता, न्यायप्रियता एवं इच्छाशक्ति का घोर अभाव है। इन्होंने सेना की स्वतंत्र कर्रवाई पर अंकुश लगा कर उसे पंगु बना दिया और हिन्दुओं के सर्वनाश का तमाशा देखा सिर्फ इसलिए कि

'नेक' वोट पाकर ये सत्ता सुख भोगते रहें। वास्तव में आज के धर्मनिरपेक्ष हिन्दू राजनीतिज्ञ का मतलब है निम्न स्वार्थी लोग सत्ता, शक्ति, पद और धन के भूखे, सिद्धांतहीन, अनैतिक और अन्यायी लोग। अन्यथा वह कैसे इस देश का नागरिक हो सकता है जो खुले रूप में गैर मुसलमानों का कत्ल करने ,उन्हें लूटने, उनकी महिलाओं से बलात्कार करने, उनको बलात् बीवियाँ या रखैल बनाने और बलात् अपना मजहब मनवाने को अल्लाह का हुक्म कहता है ? जो बलपूर्वक इस्लामी सत्ता स्थापित करने को अपना प्रथम मजहबी फर्ज समझता है ?

मजहबी शिक्षा पर रोक, मजहबी उन्माद को बल पूर्वक मिटाना, विदेशी घुसपैठ को कडाई से रोकना, समान नागरिक संहिता लागू करना, सबको समान रूप से परिवार नियोजन के लिए बाध्य करना, धर्मान्तरण पर रोक, अल्पसंख्यक विशेषाधिकारों की समाप्ति, हिन्सापूर्ण जेहादी विश्वास का त्याग की मजहबी घोषणा तक नागरिक अधिकारों का स्थगन, सभी विद्यालयों में एक समान राष्ट्रीय, वैज्ञानिक और नैतिक शिक्षा की व्यवस्था आदि के विपरीत ये राजनीतिज्ञ इनको ही धर्म निरपेक्ष कहते हैं और उनके मजहब के प्रचार की छूट और मजहबी शिक्षा के लिए सरकारी सहायता देते हैं।

यथार्थ की अनदेखी कर अंध तुष्टिकरण की राह से चलने के कारण ही देश विभाजन के समय बीस लाख लोगों का रक्त बहा था। अभी-अभी कश्मीर के विध्वंस को सारा देश देख चुका है। आगे परिणाम क्या होने वाला है ? गाँधी नेहरू के उसी आत्मघाती मार्ग पर चलते हुए आज कै ये भ्रष्ट राजनीतिज्ञ पूरे हिन्दू समाज को उसी ज्वाला में ढकेल कर भस्म कर डालने की राह पर पुनः चल पड़े हैं।

समाज के दूसरे वर्ग के लोग भी, जैसे सरकारी नौकरशाह, बुद्धिजीवी, डाक्टर, वकील, प्रोफेसर, इन्जीनियर, व्यापारी, कारीगर, कृषक, मजदूर, आदि सभी अपनी जीविका कमाने में व्यस्त हैं। सामाजिक संबंध सिर्फ अपने काम की सीमा तक सिमट गए हैं। हिन्दू समाज में इस सर्वनाशी समस्या पर विचार कर कुछ न कुछ कार्रवाई करने का न कोई मंच है, न कोई बौद्धिक संवेदना और न ही किसी के पास समय। पूरा समाज धन और साधन–सुविधा के पीछे अंध दौड़ में शामिल है। उसे इस दौड़ में यह नहीं सूझ रहा है कि वह दिन बहुत दूर नहीं रह गया है जब उसके परिजनों का कत्लेआम होगा, जिनकी सुख-सुविधा के लिए साधन जमा करने में अंधा बना सारे कुकर्मों पर उतारू है। उसकी पीढ़ियों की संचित कमाई सहित सब कुछ लूट जायेगा, छिन जायेगा या बलात् अधिकृत कर लिया जायेगा। उनकी महिलाएँ अपमानित, बलात्कृत और अपहरित होंगी। दुनिया में कोई जातीय समुदाय शायद ही इतना अंधा हो,जितना हिन्दू।

कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से निकलने वाले विद्यार्थी, मैकाले शिक्षा नीति के प्रभाव के कारण इस समस्या की समझ खो बैठे हैं; परिणाम स्वरूप इसका उलटा ही निष्कर्ष निकालते हैं। फिर मार्क्सवादी किताबी विचारधारा का फैशन आजकल विश्वविद्यालयों में विशेष रूप से दिख रहा है। अधिकांश लड़के तो सिरफिरों की तरह बात करते मिलेंगे। नेहरू ने इस देश के हिन्दुओं के सर्वनाश की जो व्यवस्थाएँ कर

दी थीं, उनमें से शिक्षा का स्वरूप भी एक है जिसका असर साफ दिखने लगा है। दुर्भाग्य है कि इनकी समझ में बात तब आयेगी, जो आयेगी ही; जब सब कुछ खोया जा चुकेगा और जेहादी तलवार इनके सर के पास पहुँच जायेगी।

मुस्लिम आबादी तथा प्रशासन, न्याय, पुलिस और सेना में मुस्लिम प्रतिशत के बढ़ते ही, जिसके प्रयास में वे निरन्तर लगे हुए हैं, मुसलमान अपने सबसे महत्वपूर्ण मजहबी फर्ज को पूरा करने की स्थिति में पहुँच जायेंगे। मोपलों की तरह तथा बंगाल और पंजाब के जेहाद की तरह जब दस-दस, बीस-बीस, पचास-पचास हजार की संख्या में आधुनिकतम हथियारों से लैश जेहादी मुजाहिदीन (मुस्लिम लड़ाके) देश भर में एक साथ निहत्थे काफिरों का सफाया करना शुरू करेंगे, सिर्फ उस दिन ही धर्म निरपेक्षता का असली अर्थ समझ में आयेगा। लेकिन उस दिन के बाद से धर्मगुरू, उपदेशक, राजनीतिज्ञ, प्रगतिशील और बुद्धिहीन बुद्धिजीवी, खून चूस-चूस कर धन बटोरने वाले सभी अपना सब कुछ खो कर, ठिकाने लग चुके होंगे और बचे खुचे लोग गोमांस का भोग लगा कर "मुहम्मदुर्रसूलल्लाह" का कलमा पाठ कर रहे होंगे। यह कोई कल्पना या हवाई अनुमान की बात नहीं है बल्कि तथ्यपूर्ण परिस्थितियों के निश्चित परिणाम का आकलन है। इतिहास पर दृष्टि डालते ही और वर्तमान का मूल्यांकन करते ही भविष्य का भयावह दृश्य आँखों के सामने तैर जाता है। स्वार्थान्धों और वामान्धों को यह दृश्य सूझ नहीं रहा है तो कोई क्या करे।

एक बार पुनः डा0 अम्बेडकर की तत्कालीन आशंकाओं की प्रासंगिकता आज के संदर्भ में उपस्थित है। आज के नेताओं की भी "देख सकने में सक्षम आँखें लुप्त हो चुकी हैं और वे कुछ खोखले भ्रमजालों की चमक ओढ़े घूम रहे हैं, भय है, जिनके परिणाम हिन्दुओं के लिए बड़े घातक होंगे।"

हिन्दू समाज में जातीय विभाजन के कारण जातीय विखराव और वैमनस्य की स्थिति कभी-कभी बन जाती है। इसे मिटा कर समरसता स्थापित करने के उद्देश्य से जब कुछ लोग हिन्दू के नाम पर एकता बनाने का प्रयास करते हैं तब ये नीच स्तर के स्वार्थी राजनीतिज्ञ उन्हें साम्प्रदायिक कह कर हतोत्साहित करते हैं। मुस्लिम-ईसाई मिशनरी हित, हिन्दुओं के कमजोर बने रहने में होता है; इसलिए उन्हें खुश करने के लिए ये हिन्दू विरोध और जातीय आधार की राजनीति के कारण वैसा करते हैं। इनमें दूर दृष्टि और गम्भीर राष्ट्रीय भावनाओं का अभाव होता है। इनकी सोच और कार्य की दिशा सिर्फ कुर्सी तक पहुँचने की होती है। कुछ को छोड़ कर अधिकांश अर्धशिक्षित, अपराधी, सत्ता और धन की आकांक्षा वाले भ्रष्ट लोग होते हैं। उनका पूरा जीवन उसी के आसपास और उसी के जोड़तोड़ में बीतता है। लेकिन नेता बनने की उनमें कुछ विशेषताएँ होती हैं, जन सामान्य की भावनाओं और धारणाओं के अनुरूप स्वयं को दिखाने की छद्म नाटकीयता; जातीय भावनाओं को उभाड़ कर उनका नेतृत्व एवं भलाई का झूठा आश्वासन देने की धृष्टता। यही काम विद्वान और चिन्तक नहीं कर सकते हैं। वे परिस्थितियों का अध्ययन और उसकी समीक्षा कर भविष्य निर्माण हेतु विवेक सम्मत उचित परामर्श दे सकते हैं, लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं बन सकते। परिणाम होता है दिशाहीनता और अन्ततः विनाश।

राजनीतिज्ञों के चरित्र से सभी परिचित हैं। पर कोई कुछ नहीं कर पाता, सिवाय उनके कुकर्मों की सजा भोगने के।

इसलिए, अब यह आवश्यक हो गया है कि संपूर्ण हिन्दू समाज अपनी चेतना विकसित करे। हिन्दू जहाँ भी हों, जिस किसी सामाजिक आर्थिक स्थिति में हों, यह उनका कर्तव्य है कि राजनीतिज्ञों और धर्म के ठेकेदारों का भरोसा त्याग कर, मरणोन्मुख हिन्दू समाज के अस्तित्व की रक्षा के लिए स्वयं को एवं पूरे हिन्दू समाज को जागृत करें। सभी प्रकार के भेद-भाव एवं वैमनस्य भूल कर घर-घर, गाँव-गाँव, नगर-मुहल्ला में नियमित साप्ताहिक, अर्द्ध साप्ताहिक बैठकें करें। सारे देश में सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं साहित्य प्रचार के द्वारा इस समस्या की गम्भीरता से देश भर के लोगों को अवगत करावें। धर्म निरपेक्षता के मूढतापूर्ण पाखण्ड और इस संबंध में वामपंथी सोच की दिशाहीनता की परवाह न करते हुए, लोगों को बताया जाय कि हिन्दू समाज को मिटा डालने के लिए इस्लाम और ईसाइयत किस प्रकार भीतर घात में जुटे हुए हैं। दृढ़ता पूर्वक कार्रवाई न की गई तो 20-25 वर्षों में देश इस्लामी हाथ में पहुँच जायेगा।

साधु-संत और धर्मगुरू, अब हिन्दू समाज की बुराइयों को मिटाने के अभियान में शामिल हों। जातिप्रथा, छुआछूत, दहेजप्रथा और ऊँच-नीच की भावना को समाप्त करने की दिशा में पहल करें। सभी प्रकार की सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास और पाखंड को मिटाकर वैज्ञानिक जीवन मूल्यों को स्थापित करने की दिशा में सबको सक्रिय होने की आवश्यकता है। हर स्तर पर हिन्दू संगठन और गहन विचार-विमर्श, शक्ति-संचय और अस्तित्व-रक्षा के लिए आत्म बलिदान को तैयार होना पड़ेगा। अस्तित्व-रक्षा की इस समस्या से बढ़कर और कोई समस्या नहीं हो सकती। इसलिए अपनी जीवनशैली, धारणा, सोच और कार्य में शीघ्र बदलाव लाकर, भय, संकोच, और झिझक त्याग कर, तन-मन और धन से अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए कुछ करें अन्यथा आनेवाला इतिहास आप को अपने ही बच्चों का हत्यारा लिखा करेगा जैसा कश्मीरी पंडितों के पूर्वजों को, उनके अपने ही वंशजों का हत्यारा लिखा कर रहा है।

◆

3. देश-विभाजन के समय जेहाद

पंजाब स्थित शेखपुरा के एक प्रत्यक्षदर्शी का कथन है :—"दिनांक 26 अगस्त (1947 में, लाहौर में) की सुबह 7 बजे मैं सरदार आत्मा सिंह के मिल पर पहुँचा। करीब सात आठ हजार गैर मुस्लिम शरणार्थी शहर के विभिन्न भागों से आकर वहाँ जमा हुए थे। करीब 8 बजे मुस्लिम बलूच मिलिटरी ने मिल को घेर लिया। उनके द्वारा एक फायर किया गया जिससे मिल के अंदर एक औरत की मृत्यु हो गई। उसके बाद कांग्रेस समिति के अध्यक्ष स्वामी आनन्द सिंह मिलिटरी वालों के पास अपने हाथ में हरा झंडा लेकर गये और पूछा कि आप क्या चाहते हैं ? उन्होंने कहा कि शहर में पूरी गैर मुस्लिम सम्पत्ति लूट ली गई है और जला दी गई है। मिलिट्री वालों ने दो हजार छः सौ रुपये की माँग की, जिसे उन्हें दे दिया गया। इसके बाद दूसरा फायर किया गया जिससे एक आदमी की मौत हो गई। पुनः आनन्द सिंह द्वारा अनुरोध करने पर उन्होंने बारह सौ रुपये की और मांग की; उसे भी दे दिया गया। इसके बाद उन लोगों ने कहा कि वे सभी लोगों की तलाशी लेना चाहते हैं, इसलिए सभी बाहर निकल जायें, जो अन्दर रह जायेंगे उन्हें गोली मार दी जायेगी। सभी सात–आठ हजार शरणार्थी बाहर निकल गये। तब उन्हें कहा गया कि उनके पास जो भी कीमती सामान और रुपये हों उसे एक जगह जमा करें। स्वामी आनन्द सिंह ने अभागे शरणार्थियों को आदेश पालन करने की सलाह दी। थोडी ही देर में सात–आठ मन सोने का ढेर और करीब तीस–चालीस लाख रुपये जमा हो गये। मिलिटरी के लोगों द्वारा यह सारी दौलत उठा ली गई। उसके बाद वे शरणार्थियों में से सुन्दर लड़कियों की छँटैया करने लगे। इस पर स्वामी आनन्द सिंह ने आपत्ति की तो उन्हें तुरंत गोली से उडा दिया गया। उसके बाद एक बलूच मुस्लिम सैनिक द्वारा सभी गैर मुस्लिम शरणार्थियों के सामने ही एक लड़की को छेड़ा जाने लगा। यह असह्य था। इस पर एक युवक ने बलूच सैनिक पर वार किया। इसके बाद तो सभी बलूच सैनिक शरणार्थियों पर गोलियाँ बरसाने लगे। शरणार्थियों की अलगी पाँत के लोग उठकर अपनी लड़कियों की इज्जत बचाने के लिए उनकी हत्या करने लगे। इस बीच फायरिंग जारी रही जिससे शरणार्थी उसी जगह गिर कर मरने लगे। मैं एक पेड़ के पीछे जमीन पर पड़ गया। कुछ देर बाद मैंने सोचा कि यहाँ रहने से मैं बच नहीं सकूँगा, इसलिए अति विक्षिप्तता में उठा और गोली वर्षा के बीच में ही बगल की दीवार फाँद कर उस तरफ चला गया। इस अन्तराल में मेरे सिर और पैर के पास गोलियों की बौछार आ रही थी। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मैं जीवित कैसे बच गया। दूसरी तरफ एक बलूच सैनिक जो पहरे पर था, मुझ पर बन्दूक तान दिया। मैं उसके बहुत करीब था। मैंने झपट कर उसकी बन्दूक छीन ली और कुंदे के, जोर से, उसके सिर पर वार किया, जिससे वह बेहोश हो गया। पूरे समय मेरे चारों ओर गोलियों की बौछार हो रही थी। मैं पूरी ताकत से दौड़ कर मैदान की ओर भागा, जहाँ सटे हुए एक मिल में रखे हुए जूट के बोड़ों के नीचे छिप गया। मिल के अंदर भी बन्दूकें चलने

की आवाज सुनाई पड रही थी। दो–तीन घंटे बाद, इस डर से कि मैं यहाँ पकडा जाऊँगा, मिल के ऊपर के एक कमरे में गया जहाँ दो अभागी हिन्दू लड़कियाँ पहले से ही छिपी हुई थीं। वहाँ से मैं देख सकता था कि जिस मिल से मैं भागा हूँ वहाँ के अभागे गैर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। जो बलूच सैनिकों के हमले से बच निकले थे, उन्हें मुस्लिम दंगाई बर्बर तरीके से कत्ल कर रहे थे। एक घटना में, उन्होंने एक औरत से उसके छोटे बच्चे को छीन कर टुकड़े–टुकड़े कर दिया और उसके बाद औरत के पेट में भाला घोंप दिया। अब वहाँ से जीवित बच निकलना असंभव था कि तभी एक मुसलमान सिपाही, जो मेरा बहुत पुराना मित्र था, को देखकर उसके पास गया। मैंने लडकियों को अपना बहन बताया। हमलोगों पर दूसरे दंगाइयों द्वारा हमला होने ही वाला था लेकिन मुसलमान सिपाही पास ही था। मैंने हाथ देकर उसे पुकारा और बहनों के साथ अपनी रक्षा की भीख माँगी। सौभाग्य से वह मान गया और हम लोगों को छुपाकर मालियाँ कलाँ बस्ती में पहुँचा दिया।"

(स्टर्न रेकनिंग – जस्टिस जी0 डी0 खोसला, पृष्ठ 133)

खिलपाड़ा के एक शिक्षक ने बताया कि इस प्रकार उनके घर पर सात भिन्न–भिन्न जत्थों द्वारा आक्रमण किया गया। प्रत्येक जत्थे में तीन सौ से चार सौ तक मुसलमान होते थे। उनके घर में मूर्तियों और देवी–देवताओं के चित्रों को तहस–नहस कर बलपूर्वक उनको परिवार सहित मुसलमान बनाया गया। पूरे जिला के लिए यह एक मिसाल है। लगातार बसे कई बस्तियों से मुसलमान जमा होकर किसी चुने हुए गाँव पर आक्रमण करते थे। उनके घरों को लूट कर आग लगा देते थे। उसके बाद मौत की धमकी पर सामूहिक रूप से मुसलमान बनाते थे। उनकी जवान औरतों को उठा ले जाते थे और मुसलमानों से उनकी शादियाँ कर देते थे। इस प्रकार से नोआखाली जिला के 95 प्रतिशत हिन्दुओं को मुसलमान बनाने का आयोजन किया गया था जिसमें उनकी औरतों का बलात्कार और अपहरण के बाद मुसलमानों से शादियाँ होना शामिल था। धर्मान्तरितों को कलमा पढ़ाया जाता था, बाद में गाय कटवाई जाती थीं और उनका मांस खिलाया जाता था, मुसलमानों से निकाह के पहले औरतों की चूड़ियाँ तोड़ कर सिन्दूर मिटा दिया जाता था।

10 अक्टूबर 1946 को लक्ष्मीपूजा के दिन साहापुर इंगलिश हाई स्कूल में पन्द्रह हजार मुसलमानों की सभा हुई। पीर, गुलाम सरवर ने मुसलमानों को नारायणपुर के जमीन्दार बाबू सुरेन्द्र नाथ बोस की कचहरी बाड़ी और राय साहब राजेन्द्र लाल चौधरी, कारापाड़ा के मकान पर धावा बोलने के लिए उकसाया। उसके तुरंत बाद साहापुर बाजार के हिन्दुओं की दुकानें पुलिस अवर निरीक्षक के सामने ही जला दी गईं। मुसलमानों ने फिर नारायणपुर कचहरी पर धावा बोल कर उसमें आग लगा दी। जब घर जलने लगा, सुरेन्द्र बाबू ने छत से छलांग लगा दी। वे मुसलमानों के सामने ही गिरे। उन्मादी मुसलमानों ने उनके शरीर के टुकड़े–टुकड़े कर आग के हवाले कर दिया और उनका सिर काट कर पीर साहब के पास ले गये जो पास ही खड़ा था।

उसके बाद राजेन्द्र बाबू के घर पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। उनके परिवार के सभी लोग छत पर चढ़ गये। कुछ बदमाशों ने उन पर गोलियाँ

चलाईं। ऊपरी कमरा के पीछे कुछ ने छिपने का प्रयास किया कि छत टूट गया। वे आग में गिर पड़े और जलकर मर गये। कुछ उपद्रवियों ने एक नारियल का पेड़ काटा। उसे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर छत पर चढ़ गये। एक–एक कर मर्दों को नीचे लाया गया और उन्हें कसाई की तरह क्रूरता से काट डाला गया। औरतों को नीचे लाकर उन्हें पीर साहब के यहाँ हाँक कर ले जाया गया। जो, कुछ दूरी पर एक नाव में उनका इंतजार कर रहा था। उसने किसी दूसरे घर में उनको ले जाने के लिए कहा। राजेन्द्र बाबू और दूसरों का सिर काट कर पीर साहब को भेंट किया गया। चौंतीस लोग जिनमें आधा दर्जन अनजान लोग थे, उस स्थान पर काट डाले गये।

("स्टर्न रेकनिंग" – जस्टिस जी0डी0 खोसला, पृष्ठ 71, 72)

इन घटनाओं से निष्कर्ष निकालना और अपने बन्धु–बान्धवों को इसकी जानकारी देना हिन्दू विद्वानों और विचारकों का कर्तव्य था। किन्तु इसकी समीक्षा करने के विपरीत इसे ढँक कर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। नेहरूवादी सरकार ने कानून बना कर इसकी व्यवस्था कर दी कि कोई इसकी स्पष्टता के साथ समीक्षा प्रकाशित न कर सके। यह कानून बनाया गया कि ऐसी कोई सामग्री प्रकाशित न की जाय जिससे उत्तेजना या निराशा प्रकट हो और समाज में शांति भंग होने की आशंका हो।

लेकिन यह तो, और भी बुरा हुआ। इससे कुछ आगे चलकर बहुत बड़े विध्वंस, बर्बादी, नरसंहार, लूट, नारियों के शीलभंग और अपहरण जैसे असभ्य और जंगली कृत्य के लिए आसानी हो गयी। जिनके साथ यह हैवानियत होती रही है और आगे भी होने वाली है उसके बचाव के लिए कोई उपाय नहीं किया गया। उल्टे उससे वह जाति, वह समुदाय अनभिज्ञ बना रहे इसकी व्यवस्था कर दी गई। जिस मजहबी व्यवस्था में यह शैतानियत एक सबाब (पुण्य) माना गया है, ऐसा करना उनका फर्ज बतलाया गया है, उसके विस्तार के लिए तो सरकारी सहूलियत प्रदान की गई; लेकिन जिसे भुक्तभोगी होना है उसे इस अत्याचार के स्वरूप की समीक्षा और समुदाय को इससे अवगत कराने के लिए इसके प्रकाशन पर ही रोक लगा दी गई। यह कैसा दुष्चक्र है ? इस तरह का अन्यायपूर्ण कृत्य करने वाले की खोजकर उसकी भर्त्सना करनी चाहिए। वैसे अपवित्र और विश्वासघातियों को अपमानित किया जाना चाहिए, जिससे आगे आने वाले समय में किसी को भी अपनी सनक, गैर जिम्मेदारी, मूढ़ता या हैवानियत के कारण ऐसा करने का साहस न हो। अब तो उस महाविनाश का समय निकट आता जा रहा है।

हिन्दुओं को ऐसे कानूनों का पालन क्यों करना चाहिए ? अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करने का सबको अधिकार है। जब हम जान चुके हैं कि मुसलमानों का मजहब ही जेहाद के नाम पर मूर्तिपूजकों का कत्ल करने, उनको लूटने, उनकी औरतों को बेइज्जत करने, उनका अपहरण करने, उनको बल पूर्वक गोमांस खिलाकर धर्मान्तरित करने, उनकी पूजा की मूर्तियों को तोड़ने, उनके मंदिरों को ध्वस्त करने, उनके विश्वास के हर चीज को तहस–नहस करने, उनको हर तरह से कुचल कर अपमानित करने, उनसे अकारण झगड़ा करने, उनके साथ सख्ती से पेश आने और

उनसे शत्रुता बनाए रखने का हुक्म देता है तो फिर मूर्ति पूजकों को क्या करना चाहिए?

चुपचाप रहना चाहिए ? इसकी कोई जानकारी उन्हें न हो इसकी व्यवस्था कर देनी चाहिए ? इस विषय की समीक्षा नहीं करनी चाहिए ? अपने समुदाय के लोगों से इस विषय में बात नहीं करनी चाहिए ? यदि जानकारी हो भी जाय तो अपने बचाव या शत्रुता रखने वाले से मुकाबला की कोई तैयारी नहीं करनी चाहिए ? अपनी शक्ति नहीं बढ़ानी चाहिए ? मुकाबला के लिए अपने समुदाय को तैयार रहने की प्रेरणा नहीं दी जानी चाहिए ? यदि मुसलमान अपने मजहब का पालन करते हुए शत्रुता का बर्ताव करता है और हिन्दुओं के साथ दुर्व्यवहार पूर्वक और कड़ाई से पेश आता है, तो हिन्दुओं को फिर भी सहिष्णुता के साथ व्यवहार करना चाहिए और सहन करते रहना चाहिए ? हिन्दुओं को हर हालत में अहिंसा का पालन करना ही चाहिए, जब तक कि उनका अन्त न हो जाय ? गाँधी-नेहरू के विचार से तो यही चाहिए। इसी 'चाहिए' के चलते पाकिस्तान बना, कश्मीर से हिन्दुओं का सफाया हो चुका है और अब पूरे भारत में वही होने वाला है।

यदि वे हिन्दुओं की हत्या कर दें तो वैसा करना उनका धर्म है। ये बातें कोई व्यंग्य में नहीं हैं। हमारे महात्मा गाँधी ने अपनी महा आत्मा का परिचय कई बार दिया है। मालावार में मोपला मुसलमानों ने हिन्दुओं पर जेहादी आक्रमण किया था। हिन्दुओं को इस आक्रमण की कोई जानकारी नहीं थी। कल शाम तक सब कुछ सामान्य था। जीवन रोज की तरह चल रहा था। शाम को मस्जिदों में विषेश नमाजें और बैठकें हुईं और सुबह में जेहाद की शुरुआत के लिए निर्णय हो गया। समुदाय को तो पहले से ही तैयार रहने की चेतावनी थी। वैसे मुसलमान हर समय जेहाद की तैयारी में लगे ही रहते हैं। तो अगले दिन का सुबह भी रोज की तरह ही हुआ। वही सूरज। वैसे ही सूरज की रोशनी भुवन में छा गई थी। सर्वत्र प्रकाश फैल चुका था। सभी हिन्दू अपनी नित्य क्रिया के बाद दैनिक काम में लग चुके थे। हवा रोज की तरह मन्द–मन्द चल रही थी। तभी जगह–जगह हथियार बन्द मुस्लिम जत्थे अल्लाह–ओ–अकबर का घोष करते हुए हिन्दुओं पर टूट पड़े। उनके घरों में आग लगा दी गई। उनकी सम्पति लूटी जाने लगी। उनकी जवान औरतों को खींच कर बाहर लाया जाने लगा। उनके पतियों के कातिलों से उनका निकाह कर दिया गया। वे खींच खींच कर मुसलमानी घर में पहुँचायी जाने लगीं। मजबूर बचे हिन्दुओं को गोमांस खिला–खिला कर मुसलमान बनने पर विवश किया जाने लगा। बर्बर अत्याचार की ऐसी आँधी चली कि देखते देखते सारी खुशहाली मातम में बदल गई। दूर–दूर तक समाचार पहुँचने लगा। हिन्दुओं के सर शर्म और ग्लानि से झुकने लगे। सब जहाँ थे, पड़े रहे। खून की दरिया बही, किन्तु हिन्दू समाज में सुगबुगाहट का नाम नहीं था। हाय रे पतन ! हाय री कायरता ! इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में लगभग 5000 हिन्दुओं का कत्ल कर दिया गया। अपार सम्पति लूट ली गई। असंख्य औरतों के बलात्कार सहित 20000 लोगों का बलात् धर्म परिवर्तन कराया गया। मानवता रो पड़ी थी। सभ्य और सुसंस्कृत समाज के लिए यह कालिमा थी।

इसका वर्णन करते हुए डॉ0 एनी बेसेन्ट ने कहा :– "उन्होंने जी भर हत्याएँ कीं, लूट–पाट कीं और उन सभी हिन्दुओं को मार डाला जिन्होंने अपना धर्म नहीं त्यागा। एक लाख लोगों को उनके घरों से खदेड़ दिया गया। उस समय उनके तन पर केवल उनके कपड़े ही थे, शेष सब छीन लिया गया।"

(एनी बेसेन्ट – "द फ्युचर ऑफ इण्डियन पालिटिक्स")

मालावार में (मुगल कालीन) राजस्थान की भाँति सैकड़ों हिन्दू महिलाओं ने अपना सम्मान बचाने के लिए मृत्यु को गले लगाया और जिसे जो साधन मिला, उसी के सहारे "जौहर" कर लिया। मालावार की हिन्दू महिलाओं ने वायसराय की पत्नी लेडी रीडींग को हृदय विदारित करने वाली जो याचिका प्रस्तुत की थी उसमें कहा गया था, "आपको तो निश्चित रूप से पता होगा कि यद्यपि गत एक सौ वर्षों में हमारे अशांत जिले में अनेक मोपला उपद्रव हुए हैं; परन्तु इस बार का उपद्रव तो सबको मातकर गया। इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी नृशंसता तो कभी नहीं हुई। हो सकता है कि नृशंस उपद्रवियों द्वारा ढाये गये अत्याचारों के बारे में आपको पूरी जानकारी न मिली हो। विदित रहे कि हमारे जिन प्रियजनों ने अपने पूर्वजों का धर्म त्यागने से इनकार कर दिया, उनके क्षत–विक्षत बहुधा अधमरे शरीरों से कुएँ और तालाब पट गये, गर्भवती महिलाएँ खण्ड–खण्ड में काट डाली गयीं, उनके शव सड़क के किनारे और जंगलों में फेंक दिये गये। कैसा वीभत्स दृश्य था ! गर्भ के अजन्में शिशुओं के लोथड़े माताओं के क्षत–विक्षत शवों से बाहर लटक रहे थे। हमारे सुकुमार, असहाय बच्चों को हमारी गोद से छीन कर उन्हें हमारी आँखों के सामने ही काट कर फेंक दिया गया। हमारे पतियों, हमारे माता–पिताओं को सताया गया, उन पर कोड़े बरसाये गये और उन्हें जीवित ही जला दिया गया। हमारी बहिनों को बलात् अपने प्रिय जनों के बीच से उठा लिया गया। उनके साथ लज्जा और ग्लानि में डुबा देने वाला क्या–क्या दुराचार नहीं किया गया। काश धरती फट जाती। मानवता की तो जैसे अर्थी ही निकल गई। लज्जा भी लजा गई। इन जंगली कुत्तों ने जीभर कर अपनी मनमानी की। नृशंसता का नंगा नाच हुआ, विनाश की ताण्डव लीला हुई। हमारे सैकड़ों हजारों घर बार राख के ढेर बन गये। हमारे मंदिरों को अपवित्र कर, धराशायी कर दिया गया। हमारे देवी–देवताओं की मूर्तियों को चूर–चूर कर फेंक दिया गया। उनका घोर अपमान किया गया। फूल–मालाओं के स्थान पर उनके गले में मांस के लोथड़े लटका दिये गये...हम पर जो बीती हम ही जानते हैं, बेघर होकर हम इधर–उधर भटकते रहे, जंगलों में, बीहड़ों में, भूखे, प्यासे, नंगे....."।

(हो0 वे0 शेषाद्रि की पुस्तक –"..... और देश बँट गया" में शंकरन नायर की पुस्तक "गाँधी एण्ड एनार्की" से उदृधृत।)

हिन्दू समाज के लोग, जिन्हें मुस्लिम मजहबी कट्टरता और उनके द्वारा किये जाने वाले उत्पात, उपद्रव और अत्याचारों के मौलिक कारणों की जानकारी नहीं होती है; भ्रम में पड़े रहते हैं। वे समझ लेते हैं कि जिस प्रकार हिन्दुओं के भी दो गुटों में कभी–कभी लड़ाई हो जाती है, वैसी ही लड़ाई इनके द्वारा भी की जाती है भले ही यह कुछ बड़े पैमाने पर होता है। लेकिन बात उससे भिन्न है। हिन्दुओं के किसी गुट

से यदि किसी दूसरे गैर हिन्दू से लड़ाई हो जाय और गलती हिन्दू गुट की हो, तो हिन्दू समाज अपने लोगों को दोषी कहता है, आलोचना करता है, डाँटता–फटकारता है। ऐसा कभी नहीं होता कि हिन्दू द्वारा गलत किया जाय और उसके भाई–बन्धु, जाति–बिरादरी, उसका पूरा समर्थन करें। इसका कारण है कि हिन्दू धर्म और हिन्दू संस्कृति के प्रभाव से सामान्य हिन्दू मानव धर्म के प्रति और मानवीय नैतिक मूल्यों के प्रति एक सीमा तक अवचेतन रूप से समर्पित होता है। यह संभव है कि कदाचित् मानवीय आवेगों और भावनाओं में बहकर कुछ अनुचित और अन्यायपूर्ण आचरण का प्रदर्शन कर बैठे, किन्तु जहाँ तक पूरे हिन्दू समाज का सवाल है, सामूहिक रूप से हिन्दू गलत, अनुचित, अन्याय, अनैतिकता और अधर्म का समर्थन कभी नहीं कर सकता है।

मुस्लिम समाज का सामूहिक आचरण इसके ठीक विपरीत होता है। कभी–कभी अकेला मुसलमान अपने व्यक्तिगत गुणों और भावनाओं के कारण गैर मुसलमानों के साथ भी अच्छा आचरण करता है। मजहब के संस्कार के बावजूद वह मानवीय पक्ष की ओर झुक जाता है। सदाचार और कारुणिक प्रभाव के कारण सत्कर्म कर बैठता है। किन्तु वही मुसलमान जब अपने समुदाय में होता है और उसे अपने व्यक्तित्व के सामाजिक प्रदर्शन का अवसर उपस्थित होता है तब वह इस्लामी मान्यताओं के अनुसार मुसलमान द्वारा किये गये हर प्रकार के अत्याचार, दुराचार, अनाचार का समर्थन करता है। मुसलमान द्वारा किये गये गैर मुसलमानों के साथ हर प्रकार के अन्याय का पक्ष लेता है। ऐसा वह अपने मजहबी निर्देशों के कारण करता है। बचपन से उसके दिमाग में मजहब की बातें, जो गैर–मुसलमानों से शत्रुता और घृणा पर केन्द्रित होती हैं, भर दी जाती हैं जिससे न्याय–अन्याय का निर्णय करने का उसका विवेक दमित हो जाता है। मजहबी संस्कारों के भार से इतना दब जाता है कि मानवीय दृष्टिकोण के आधारभूत तत्वों की पकड़ भी उसके पास नहीं रहती। इस्लामी जेहाद की भावना में डूबा अब वह पूरी तरह गैर मुसलमानों के लिए अन्यायी, क्रूर और उन्माद से भरा इंसान होता है; क्योंकि कुरान के अनुसार यही "नेक" का पर्याय है। इसका सामान्य परिस्थितियों में अनुभव नहीं होता है पर जो मौका पाते ही उबल पड़ता है और अपने समाज के सार्वजनिक मंचों से गैर मुसलमानों के साथ अन्याय का समर्थन करने वाला बन जाता है।

मोपला कांड के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी में मोपला निन्दा प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें राष्ट्रवादी कहे जाने वाले मुसलमानों ने भी आततायी मोपलों का पक्ष लिया।

हो0 वे0 शेषाद्रि ने अपनी पुस्तक "....और देश बँट गया" में स्वामी श्रद्धानंद की पुस्तक "इन साइड कांग्रेस" से उद्धरण देते हुए कहा है :–

स्वामी श्रद्धानंद ने बताया कि प्रस्ताव पर जब चर्चा हुई तब किस प्रकार कांग्रेस के राष्ट्रवादी मुस्लिम भी खुल्लम–खुल्ला दो–दो हाथ करने के लिए अपने साम्प्रदायिक रंग में आ गये : "हिन्दू सदस्यों ने स्वयं संशोधन रखे, जब तक कि प्रस्ताव सीमित हो कर इतना सा ही नहीं रह गया कि केवल उन कतिपय व्यक्तियों

की ही निन्दा की जाय जो उक्त अपराधों के दोषी थे। लेकिन कुछ मुस्लिम नेता इसे भी सहन नहीं कर सके। मौलाना फखीर तथा अन्य मौलानाओं ने प्रस्ताव का विरोध किया। वह तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन मुझे आश्चर्य तो तब हुआ जब मौलाना हसरत मोहानी जैसे पक्के राष्ट्रवादी कहलाने वाले व्यक्ति ने इस आधार पर प्रस्ताव का विरोध किया कि चूँकि मोपला देश अब दारुल अमन नहीं रहा बल्कि दारुल हरब बन गया है और चूँकि उन्हें आशंका है कि हिन्दुओं की साँठ–गाँठ मोपलों के शत्रु अंग्रेजों से है, अतः मोपलों ने हिन्दुओं के आगे कुरान या तलवार रखकर ठीक ही किया है। यदि हिन्दू अपने प्राण बचाने के लिए मुसलमान बन गये तो यह स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन था, बलात् धर्मान्तरण नहीं। और, अन्त में हुआ यह कि कतिपय मोपलों की निन्दा करने वाला अहानिकर प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से नहीं, बल्कि केवल बहुमत से ही पारित हो सका।''

दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे हिन्दू समाज के सिरमौर ने, जिनको हिन्दू समाज अपना त्राता समझ लिया था, जिस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की वह एक दब्बू और कायर कौम के दब्बू और कायर प्रतिनिधि की ही प्रतिक्रिया थी –

''वे धर्मभीरु वीर लोग हैं, जो उसके लिए युद्ध कर रहे हैं जो उनके विचार में धर्म सम्मत है।'' (बी0 आर0 अम्बेडकर ''पाकिस्तान'' में)

स्वामी श्रद्धानन्द ने हिन्दू से मुसलमान बने लोगों का शुद्धिकरण कर पुनः अपने धर्म में वापसी का कार्यक्रम चलाया था। उनके प्रयास से थोड़े ही दिनों में लगभग 20,000 मुसलमानों को धर्मान्तरित कर पुनः हिन्दू धर्म में वापस लाया जा चुका था।

इससे मुसलमानों में बेचैनी बढ़ गई। उन्होंने देखा कि यदि यह क्रम चलता रहा तो बहुत मुसलमान पुनः हिन्दू बन जायेंगे। इस्लामीकरण के उनके मजहबी काम में बड़ी रुकावट आ गई थी। शुद्धिकरण का विरोध करने वाले कुछ मुस्लिम नेताओं को कांग्रेस की नीति का मार्गदर्शक ही बना दिया गया था। उनके द्वारा स्वामी जी की आलोचना पर कुछ हिन्दू कांग्रेसी नेता तो उल्टे स्वामी जी पर ही मुस्करा कर उनका उपहास करते और मुसलमानों का मनोबल बढ़ाते थे, जिस प्रकार आज के मूर्ख सेक्युलरिस्ट कर रहे हैं।

मुसलमानों ने स्वामी जी की हत्या की योजना बनाई। 23 दिसम्बर 1926 को स्वामी जी बीमार थे। अब्दुल रशीद नामक एक मुसलमान उनसे मिलने के बहाने उनके घर में पहुँचा और चार–पाँच गोलियाँ चला कर उनकी हत्या कर दी। वह पकड़ा गया। उसे फाँसी की सजा हुई। अब्दुल रशीद के वकील ने अपने मुवक्किल के बचाव में फाँसी के विरुद्ध जो तर्क दिया था मात्र वही इस्लामी चरित्र को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। उसने कहा था कि रशीद सच्चा मुसलमान है। उसने अपने मजहब के निर्देशों का पालन करते हुए एक काफिर (स्वमी श्रद्धानन्द) की हत्या की भी हो, तब भी उसे दण्डित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अपने धर्म का पालन करना सबका अधिकार है। किसी काफिर की हत्या के लिए किसी मुसलमान को दण्डित करने का अल्लाह का हुक्म नहीं है। यह तर्क अमान्य कर दिया गया और

अब्दुल रशीद को फाँसी पर चढ़ा दिया गया। उसकी शव यात्रा में 50,000 मुसलमान शामिल हुए थे। मस्जिदों में उसके लिए विशेष नमाजें अदा की गईं। मुस्लिम पत्र में उसे शहीद घोषित किया गया।

30 नवम्बर 1926 के टाइम्स ऑफ इण्डिया का समाचार था ''समाचार है कि स्वामी श्रद्धानंद के हत्यारे अब्दुल रशीद की आत्मा को जन्नत में स्थान दिलवाने के लिए देवबंद के प्रसिद्ध इस्लामी कॉलेज के छात्रों और प्रोफेसरों ने कुरान की पूरी आयतों का पाँच बार पाठ किया और निश्चय किया कि कुरान की आयतों के प्रतिदिन सवा लाख पाठ किये जायेंगे। उन्होंने दुआ माँगी, अल्लाह मरहूम रशीद को अलाये इल्ली–ईन (सातवें बहिश्त की चोटी) में स्थान दे।''.....

(वी0वी0 नागरकर कृत ''जेनेसिस''और ''...और देश बँट गया से'')

पट्टाभि सीता रमैया ने लिखा है कि गाँधी जी ने बताया कि सच्चा धर्म क्या होता है और हत्या के कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा ''अब शायद आप समझ गये होंगे कि किस कारण मैंने अब्दुल रशीद को भाई कहा और मैं पुनः उसे भाई कहता हूँ। मैं तो उसे स्वामी जी की हत्या का दोषी भी नहीं मानता। वास्तव में दोषी तो वे हैं जिन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध घृणा फैलायी।'' गाँधी जी का एक रूप : हिंसा में प्रवृत्त होने के कारण भगत सिंह आदि देशभक्तों की जीवन रक्षा चाहने वाली याचिका पर हस्ताक्षर करने से गाँधी जी ने इन्कार कर दिया था और हिंसा के कारण उन्होंने शिवा जी, राणा प्रताप तथा गुरू गोविन्द सिंह को पथभ्रष्ट देशभक्त कहा था। गाँधी जी का दूसरा रूप : उन्होंने रशीद की करनी को उसी अहिंसा दृष्टि से नहीं देखा।''

(....और देश बँट गया) पृष्ठ – 95

इन तीन दृष्टान्तों से ही अनेक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। बीती घटनाओं की समीक्षा कर उसका निष्कर्ष निकाल भविष्य की योजना निर्धारण में मदद ली जाती है। लेकिन हिन्दू समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही है कि उसके इतिहास को विकृत कर उसे सच्चाई को जानने ही नहीं दिया गया। इसके अलावा संपूर्ण समुदाय के भविष्य के हित के लिए कोई योजना बनाने की सर्वमान्य संस्था नहीं है। कोई ऐसी बॉडी नहीं है जहाँ हिन्दुओं के सभी पंथ के लोगों को एक जगह इकट्ठा कर सर्वमान्य विषयों कि पहचान की जाती हो। आवश्यकता थी कि हिन्दू समाज की अवनति, जनसंख्या ह्रास, पंथों–संप्रदायों की भरमार, जाति प्रथा और ऊँच नीच का भेद भाव, छुआ छूत की बुराई, आदि विषय में चर्चा कर ऐसा मार्ग निकाला जाता जिससे हिन्दू के पतन को रोका जाता। इतिहास की घटनाओं की समीक्षा की जाती और उनके नतीजों का भविष्य में उपयोग और कमियों में सुधार के लिए तैयारी की जाती। ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं रहने के कारण ही कोई सुधारवादी या क्रांतिकारी दिशा का निर्धारण नहीं हो सका और हिन्दू समाज आज अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। आर0एस0एस0 और विश्व हिन्दू परिषद की हिन्दू समाज में कोई पैठ नहीं है। ये अपने कार्यालयों तक सिमटी मात्र कागजी संस्थाएँ हैं। इनसे कोई उम्मीद करना व्यर्थ है। इनकी अक्षमता के कारण ही आज का युवा एवं तथाकथित शिक्षित हिन्दू समुदाय अनजान और उदासीन बना हुआ है।

इसलिए मुसलमानों के हिंसात्मक, बर्बर और कुसंस्कृत व्यवहार के पीछे कौन से तत्व हैं, जो सदियों से ज्यों के त्यों चले आ रहे हैं, इसे जानना हर हिन्दू के लिए आवश्यक है। जानना इसलिए आवश्यक है कि इतिहास से यह बात स्पष्ट है कि भारत में पाँव रखने के साथ ही उपर्युक्त व्यवहार द्वारा हिन्दुओं का संहार करने और उनका धर्म और उनकी संस्कृति को मिटाने का जो सिलसिला शुरू किया, वह आजतक जारी है। निकट भविष्य में ही वह हिन्दुओं के अस्तित्व का खतरा बनता नजर आ रहा है। इसलिए हिन्दुओं को अति गम्भीरता से और सबसे पहले, इस विषय में ध्यान केन्द्रित करना होगा। यह अस्तित्व के संकट का सवाल है, इसलिए जीवन से संबंधित किसी भी समस्या से अधिक महत्वपूर्ण है। हिन्दू अपने सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में कुछ क्षण का विराम देकर इस समस्या को समझने हेतु चिन्तन–मनन करें तथा उदासीनता और असावधानी का त्याग कर हर गाँव–मुहल्लों में एकत्र होकर संगठनात्मक कार्रवाई करें। हर आदमी एक धारणा के साथ जीता है। आप की भी कोई धारणा होगी। पर किसी धारणा को स्थाई नहीं बनाना चाहिए और सत्य की खोज एवं तद्नुरूप कार्रवाई हेतु सदा सचेष्ट रहना चाहिए। निष्पक्षता और सहिष्णुता के दिखावे के झूठे मोह में इस अति गम्भीर समस्या से जी चुराने का परिणाम इतना बुरा होने वाला है, जितना शायद ही आप ने कभी सोचा हो। याद रखिये आपकी यह उदासीनता आपके बच्चों के विनाश का कारण बनने वाली है जिनके भविष्य के लिए आप सारे दुष्कर्म पर उतारू हैं।

◆

4. आर्य संस्कृति, अतीत, वर्तमान एवं भविष्य

प्राचीन काल में विश्व के अधिकांश भाग में आर्य संस्कृति फैली हुई थी। यह संस्कृति एशिया के दक्षिणी पूर्वी देशों इण्डोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो फीलीपीन्स, वर्मा, मध्य एशिया के देशों, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, उजबेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान आदि पूर्व सोवियत संघ के क्षेत्र में दूर–दूर तक फैली हुई थी। यूरोप के कई भागों में पुरातात्विक महत्व के अवशेषों और खोजों द्वारा इस संस्कृति के कभी फैले होने की जानकारी मिलती है। इराक में यहूदी, ईसाइयत और इस्लाम जैसे सेमेटिक मजहबों से पूर्व यही आर्य संस्कृति विद्यमान थी। न केवल इराक बल्कि इसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग 5000 वर्ष पूर्व इस संस्कृति के फलने–फूलने के साक्ष्य की जानकारी मिलती है।

एल0 लितक नामक यहूदी विद्वान ने लिखा है कि यहूदी और आर्य विश्वासों में अनेक साम्य मिलते हैं। गौ पूजन यहूदी मजहब के उदय के समय समाज में पहले से मौजूद था। इसका कुरान में भी जिक्र है। मूसा अपने लोगों पर आरोप लगाता है कि तुमने बछड़े को पूज्य बना डाला है। यह पूज्य बछड़ा आर्य लोगों के सिवा और किसका हो सकता है ?

ईसाई सम्प्रदाय में ट्रिनिटी की अवधारणा आर्यों के ब्रह्मा, विष्णु, महेश की अवधारणा का ही रूप है। जिसे बाद में ईसाइयों ने पिता, पुत्र और पवित्रात्मा के रूप में बदल दिया। जल प्रलय की वही कथा जो शतपथ ब्राह्मण के मनु द्वारा नाव में सभी जीवों के जोड़ों को लेकर रक्षा की गई थी, नूह की कथा के रूप में मेसोपोटामियन सभ्यता में जानी जाती है। संस्कृत साहित्य से अरबी भाषा में गणित और ज्योतिष आदि का अनुवाद किया गया था। आर्यशक्ति के मूल केन्द्र भारत के अनेक महत्वपूर्ण और पवित्र चिन्हों की अरबी भाषा में चर्चा मिलती है – जैसे गंगा, शिव आदि। इस्लाम पूर्व अरब में शिवोपासना के अनेक चिन्ह मिले हैं। ."....सीटियाँ बजाने और तालियाँ पीटने के सिवाय उनकी नमाज (पूजा) ही क्या थी।" (कुरान 8:35)। शिवपूजा की इन विधियों की कुरान में चर्चा से यह प्रमाणित होता है कि काबा शिव मंदिर था। अजरबैजान में बाकू के ज्वालादेवी मंदिर के रूप में आर्य निवास का साक्ष्य मिलता है। कैस्पियन सागर से लेकर मंगोलिया, चीन, वियतनाम, अरब और अफगानिस्तान तक हिन्दू–बौद्ध मंदिरों की भरमार के साक्ष्य आज तक मौजूद हैं।

अफगानिस्तान के उत्तर में ऑक्सस नदी के पास खुदाई में कुछ सिक्के प्राप्त हुए थे जिससे पता चलता है कि ई0पू0 दूसरी शताब्दी में यूनान शासक अगाथोलिक्स ने इनको जारी किया था। इनके एक ओर चक्रधारी श्रीकृष्ण और दूसरी ओर हलधर बलराम की आकृतियाँ अंकित थीं। इससे यूनान में भी इस आर्य संस्कृति का प्रभाव उजागर होता है।

जब दुनिया के अधिकांश भागों में लोग ज्ञान के प्रकाश से वंचित थे, असभ्य और बर्बर जीवन जी रहे थे, उस समय भारत के लोग ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, ज्योतिष

साहित्य और कला को विकसित कर चुके थे। अपने इस ज्ञान को दुनिया में फैलाना आर्य मनीषियों ने अपना कर्तव्य समझा था। इस ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति को स्वीकार करने वाले लोग आर्यजन अर्थात श्रेष्ठ लोग कहे जाते थे। जहाँ–जहाँ यह संस्कृति पहुँचती थी वहाँ के लोग आर्य होते जाते थे। उस समय हमारे ऋषि मुनि सारी दुनिया का भ्रमण करते हुए ज्ञान की रोशनी पूरे संसार में बिखेर रहे थे।

इतिहास के विशेष काल में पाश्चात्य समाज में संस्कृति में बदलाव आ चुका था। पश्चिम में ईसाई सम्प्रदाय का प्रचार–प्रसार हो चुका था। ईसाइयत ने अपनी संस्कृति और संप्रदाय (रिलीजन) के प्रचार के लिए अपने प्रचारकों का दीर्घकालिक योजनानुसार उपयोग किया। उन्हें हर प्रकार की आर्थिक और सैनिक सहायता, राज्य और प्रशासनिक सहायता का सम्बल देकर ईसाइयत के प्रचार में लगाया। धीरे–धीरे ईसाइयत का दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रचार–प्रसार हो गया।

आर्यों ने "कृण्वन्तो विश्वमार्यम्" का परित्याग कर दिया था। प्राचीन समय में उनका उद्देश्य और उनका "मीशन" सारी दुनिया को आर्य बनाने का था, किन्तु समय के थपेड़ों ने उन्हें इससे विमुख कर दिया।

पाश्चात्य संस्कृति के विस्तार में लगे ईसाइयों के प्रचार विभाग के विद्वानों ने आर्यों के विषय में भ्रमित करने वाली शोधों को जानबूझ कर विकृत कर रखना शुरू किया। उन्होंने कहा कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे। वे मध्य एशिया के निवासी थे। भारत में आकर यहाँ के मूल निवासी अनार्यों से युद्ध किया। अनार्यों को परास्त कर उन्होंने यहाँ की भूमि पर कब्जा कर लिया। यहाँ के शासक और सर्वेसर्वा बन गये। उनकी संस्कृति भारत की मूल संस्कृति नहीं है। यह आर्यों द्वारा अपने साथ बाहर से लाई हुई संस्कृति है। वेद को गड़ेरियों का गीत कहा।

इस प्रचार का उनका विशेष उद्देश्य था। वे यह साबित करना चाहते थे और हिन्दुओं के मन में बिठाना चाहते थे कि यह भारत देश विदेशियों का सदा से चारागाह रहा है। इस आधार पर अपने निवास और अपनी प्रभुता के औचित्य को तर्कपूर्ण ऐतिहासिक आधार प्रदान करना चाहते थे। अंग्रेजी शिक्षा द्वारा भारतीयों को उनके गौरवपूर्ण इतिहास और सांस्कृतिक जीवनधारा से काटने का काम किया। इसमें वे बहुत हद तक सफल भी हुए। आज तक मैकाले शिक्षा–नीति के प्रभाव में शिक्षित भारतीय, इसी भ्रामक, विकृत और मनगढ़ंत इतिहास को स्वीकार कर भ्रमित हैं। इसी कारण हिन्दू राष्ट्र की उनकी धारणा दूषित हो चुकी है। वे भारतीय अध्यात्म और धर्म के मूल्य की समझ खोकर, पाश्चात्य भौतिकता की सतही दृष्टि से ही सारी समस्याओं का मूल्यांकन करने लगे हैं और अपना शत्रु आप ही बन चुके हैं।

विद्वानों का कहना है कि ऋगवेद में 33 स्थानों पर आर्य शब्द प्रयुक्त हुआ है और प्रत्येक शब्द इसका अर्थ श्रेष्ठ बताता है। श्रेष्ठ लोगों का एक समुदाय हो सकता है जो उन्नत संस्कृति के साथ जीवन यापन कर रहा हो जबकि कुछ लोग इसी समाज में ऐसे हो सकते हैं जिनपर उस उच्च संस्कृति का प्रभाव न हो और ऐसे लोगों को अनार्य कहा जाता हो। जब इनका भी एक बड़ा समुदाय हो और उच्च संस्कृति को स्वीकार करने के योग्य न हों; बल्कि असभ्यता और बर्बरता के साथ

संस्कृति लोगों को लूटने, छीनने, अपहरण, बलात्कार जैसे कार्यों में लगे रहते हों तो संघर्ष अवश्यंभावी होना निश्चित है। ऐसे ही लोग अनार्य होंगे। आर्यों और अनार्यों के युद्ध का यही रहस्य है। इन्हीं युद्धों को भिन्न जातियों में युद्ध, देशी और विदेशी लोगों का युद्ध कह कर पाश्चात्य विद्वानों ने आर्यों को विदेशी बताकर भ्रमित करने का प्रयास किया है।

ईसाइयत के बाद इस्लाम दूसरा मजहब आया जिसका उद्देश्य है पूरी दुनिया को मुसलमान बना देना। ये दोनों ही अपने मत के प्रचार–प्रसार में अपने–अपने तरीके से लगे हुए हैं। जावा, सुमात्रा, इण्डोनेशिया, मलेशिया, बोर्नियो, ताजिकिस्तान, उधर अरब, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, उजबेकिस्तान, अजरबैजान आदि देश मुसलमान बन चुके हैं। यही हिन्दू धर्म यानी आर्य संस्कृति उनमें कभी फलफूल रही थी जिसे इस्लाम ने लील लिया।

उसके बाद इस्लाम ने अपना खूनी जबड़ा भारत को लील लेने के लिए बढाया। अफगानिस्तान के हिन्दुओं को मार–काट, लूट–पाट, बलात्कार–व्यभिचार, अपहरण–गुलामी के असभ्य और बर्बर तरीके से इस्लाम मानने के लिए मजबूर करने के बाद भारत की ओर रुख किया। मुहम्मद बिन कासिम नाम के अरबी शैतान ने 1912 में सिंध पर आक्रमण किया और भयानक अत्याचार द्वारा सिंध को जीत लिया। उसने हिन्दुओं पर अकथनीय अत्याचार किये। राजा दाहिर की सेना को पराजित करने के बाद उनको अपमानित किया। राजा दाहिर का सिर काट लिया। उनकी बेटियों को गिरफ्तार कर खलीफा की भोग की सामग्री के रूप में बगदाद भेज दिया। हिन्दुओं को धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया। जब उन्होंने अपना धर्म छोड़ने से इनकार कर दिया तब 17 वर्ष से ऊपर उम्र के सभी पुरुषों का कत्ल करने का हुक्म दिया। इस्लाम के असभ्य क्रूर और बर्बर सिपाहियों ने देखते–देखते निहत्थे और असहाय हिन्दुओं की लाशों से जमीन पाट दी। रक्त की नदियाँ बह गईं। उनकी तमाम दौलत घरों से निकाल कर जमा की गई। पाँचवाँ हिस्सा खलीफा के लिए निकाल कर सोने, चाँदी, हीरे, जवाहरात, अन्न, मवेशी जो कुछ भी था, उसका चार भाग सिपाहियों में बाँट दिया गया। दारुण विलाप करती औरतों को घरों से खींच कर इस्लामी दरिंदे बाहर निकालते थे, उनसे बलात्कार करते थे और फिर एक जगह इकट्ठा करते थे। अति खूबसूरत औरतों में कुछ को गवर्नर हज्जाज को भेज कर बाकी को सिपाही रख लेते थे, जिनको बीवियाँ या लौंडियाँ बनाकर भोग करते थे। बचे हुए पुरुषों–स्त्रियों और बच्चों को गोमांस खिलाकर मुसलमान बनने पर विवश करते थे। यदि कोई इनकार करता तो सबके सामने ही पहले उनके बच्चों का कत्ल करते, उनके टुकड़े करते और उनका मांस, माँ–बाप के मुँह में ठूँस देते। उसके बाद उनका भी सर उतार लेते। इस वीभत्स और क्रूर आतंक से भयभीत लोग गोमांस खाकर मुसलमान बनने को विवश हो जाते थे। उसके बाद वे उनका अरबी नामकरण करते थे। उन्हें नमाज पढ़ना और इस्लामी नियमों के पालन के लिए मजबूर कर देते थे। उनके पूजा स्थलों को नष्ट करते, मंदिरों को धराशायी कर देते और मूर्तियों को तोड़कर चूर–चूर कर देते थे। पवित्र ग्रंथों और पूजा के सामानों–साधनों को जला डालते। टूटे हुए मंदिरों

की सामग्रियों से और इन्हीं हिन्दू गुलामों द्वारा मस्जिद बनवाते थे। दूर–दूर तक इलाके के लोगों को कत्ल करने से पहले उनके पीने के पानी के स्रोतों में जहर मिलवा देते थे ताकि वे बीमार हो जायँ और उनमें प्रतिरोध की ताकत न रह जाय। इस प्रकार नाना प्रकार से इन इस्लामी दरिंदों द्वारा अल्लाह के नाम पर जो अत्याचार किये गये उसका कोई अंत नहीं था। इसको वे जेहाद कहते थे।

तब से लेकर आज तक लगभग तेरह सौ वर्षों से हिन्दुओं पर इसी प्रकार के अत्याचार होते चले आ रहे हैं। इसी तरीके से हिन्दू से मुसलमान बनाने का काम होता आ रहा है। आज के सभी मुसलमान कभी न कभी इसी तरीके से मुसलमान बने हैं। इस प्रकार से मुसलमान बनाने की उनकी कार्रवाई सभी मुसलमान बादशाहों के समय में होती रही। वे अनजान–बेसहारा लोगों का कत्ल करते–करते थक जाते थे, क्योंकि बहुत सारे हिन्दुओं ने गोमांस खाने और मुसलमान बनने के बदले अपना सर कटवाना ही स्वीकार किया। अनेक बार औरतों ने अपनी लाज बचाने के लिए सामूहिक रूप से कुएँ में कूद कर अपनी जान दे दी, कभी सामूहिक चिता में जलकर अपने को पंचतत्व में विलीन कर लिया। कभी हिन्दू पुरुष, शत्रुओं की अपवित्र तलवार से कटने के पूर्व स्वयं ही अपनी जान दे देते थे। इस परिस्थिति को देखकर अर्थात असंख्य लोगों के कत्लेआम से थककर मुसलमान सुल्तान हिन्दुओं पर जजिया कर लगा देते थे। जजिया कर वसूलने के लिए उनके साथ तरह–तरह के अमानुषिक व्यवहार किये जाते थे। इससे भी तंग आकर बहुत से हिन्दू, मुसलमान बन जाते थे। हिन्दुओं के सामूहिक कत्लेआम के भय से अनेक कस्बों के लोग इस्लाम स्वीकार कर लेते थे। दूसरे कस्बों में कत्लेआम को देखकर, अब अपनी बारी में, कत्ल से बचने के लिए वैसा करते थे। इसी प्रकार के अत्याचार से इस्लाम का विस्तार होता रहा।

1947 में जब अंग्रेजी गुलामी से मुक्ति मिली उस समय तक भारत के अनेक प्रान्तों में मुसलमानों की संख्या बहुमत से अधिक हो चुकी थी। जब भारत के टुकड़े हुए और पाकिस्तान नाम से नया देश बना तब प0 पाकिस्तानी क्षेत्र में हिन्दू लगभग 12 प्रतिशत थे। प0 पाकिस्तानी क्षेत्र में उत्तर–पश्चिम सीमा प्रान्त, बलूचिस्तान, सिन्ध और पंजाब प्रान्त थे। अब तक इस क्षेत्र के 88 प्रतिशत हिन्दू, विदेशी लुटेरे मुसलमानों के अत्याचार से मुसलमान बन चुके थे। अभी भी 12 प्रतिशत हिन्दू बचे थे। देश के बँटवारे की घोषणा होते ही हिन्दुओं को सीमित संख्या में, कमजोर पाकर मुसलमानों ने जेहाद छेड़ दिया। उसी समय पू0 पाकिस्तान में जो अब बंगलादेश कहा जाता है, 32–33 प्रतिशत के लगभग हिन्दू रह गये थे। वहाँ भी जोरदार जेहाद की शुरुआत हुई। मुहम्मद बिन कासिम से होते हुए सभी मुसलमान बादशाहों के काल में इसी तरीके से जेहाद का नंगा नाच हुआ था।

चर्चिल के अनुसार सिर्फ माउन्टबेटेन के समय में ही 20 लाख लोगों का खून बहा था। पाकिस्तान से आने वाली रेल गाड़ियाँ हिन्दुओं की लाशों से भरी होती थीं। स्त्रियों के स्तन काट लिये गये होते थे। उनके सभी सामान लूट लिये गये होते थे और उनके शरीर पर मात्र वस्त्र भर बचे होते थे। अनेक बार तो औरतों के वस्त्र छीन कर उन्हें बलात्कृत कर उनके स्तन काट कर नंगा ही छोड़ दिया जाता था। तब

कोई हिन्दू अपने तन के कपड़े का एक टुकड़ा देकर उनकी इज्जत ढँकता था। बच्चों को भाले–बर्छे से बेध दिया जाता था। फिर उनके टुकड़े–टुकड़े कर दिये जाते थे। क्रूरता और अत्याचार के इस रूप की कल्पना भी करना सामान्य हिन्दू के लिए असम्भव है।

जवान लड़कियों और औरतों को मुसलमान रख लेते थे और अपनी रखैल बना कर गुलामी की जिन्दगी जीने को विवश करते थे। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों भागों में हिन्दुओं का भयंकर संहार हुआ। कुछ हिन्दू जान बचा कर भागकर भारत में आ गये; शेष लोगों को मारकाट कर मुसलमान बना दिया गया।

दो–तीन महीने तक चलने वाले इस जेहादी अभियान में हिन्दुओं का इतना संहार हुआ कि उनकी संख्या घट कर प0 पाकिस्तान में 12 प्रतिशत से 1 प्रतिशत रह गई है। बंगलादेश में यह जनसंख्या 32 प्रतिशत से घटकर 11 प्रतिशत रह गई है। बंगलादेश में तो आज भी हिन्दुओं का संहार उसी प्रकार किन्तु धीमी गति से चल रहा है। Atrocities on The Minorities in Bangla Desh नामक अपनी पुस्तक में बंगलादेशी पत्रकार सलाम आजाद ने हिन्दुओं की दुर्दशा का वर्णन किया है। उन्होंने गणना द्वारा बताया है कि प्रतिदिन हिन्दू अल्पसंख्यकों के 475 परिवार अभी भी बंगलादेश छोड़कर भारत जा रहे हैं।

कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जब भारत में विलय की घोषणा होने की औपचारिकता हो ही रही थी कि पाकिस्तानी फौजों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। पहले मुस्लिम बलूच कबीलों के दल को आगे कर और स्थानीय विद्रोह नाम देकर पाकिस्तानी फौजों ने सुनियोजित आक्रमण किया। महाराजा हरि सिंह की फौजों में हिन्दू अधिकारी और सिपाही, मुसलमानों से बहुत कम थे। पाकिस्तानी फौजों से महाराजा के फौज का मुकाबला शुरू होते ही, महाराजा के फौज के मुस्लिम पदाधिकारियों और सिपाहियों ने अपने ही साथी हिन्दू पदाधिकारियों और सिपाहियों को गोली मार दी और पाकिस्तानी फौजों से जा मिले। इस प्रकार पाकिस्तानी फौजों का तेजी से बढना जारी हुआ। जवाहर लाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने थे। उनका झुकाव हमेशा मुसलमानों के पक्ष में रहता था। उन्होंने भारतीय फौज भेजने में देर लगा दी। तब तक एक तिहाई से अधिक हिस्से को पाकिस्तानी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। सरदार पटेल की तत्परता के कारण जब भारतीय सेना पहुँच गई और मुस्लिम सेना से भिड़ गई तो मुस्लिम सेना पीछे भागने को मजबूर हुई। भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को लगातार पीछे खदेड़ रही थी कि उसी समय जवाहर लाल नेहरू ने लड़ाई रोकने का आदेश दिया और मामले को यू0एन0ओ0 में पंचायत के लिए ले गये। यह सरासर मूर्खतापूर्ण कार्रवाई थी। वस्तुतः नेहरू के मुस्लिम झुकाव की मानसिकता और सनक ने ही ऐसी भारी भूल करने को प्रेरित किया। देश के साथ अपराध और विश्वासघात के समान की गई इस कार्रवाई के कारण आज भी कश्मीर का एक तिहाई भाग पाकिस्तान के कब्जे में है। उस क्षेत्र में हिन्दुओं की जो थोड़ी बहुत आबादी थी उसे शीघ्र ही मारकाट कर मुसलमान बना दिया गया।

जम्मू–कश्मीर रियासत का शेष दो तिहाई भाग तीन भागों में बँटा है। एक

कश्मीर घाटी, दूसरा जम्मू क्षेत्र और तीसरा लद्दाख क्षेत्र कहलाता है। कश्मीर घाटी में हिन्दुओं की बहुत थोड़ी आबादी थी। उनके साथ मुसलमानों ने वैसा ही व्यवहार किया जैसा मुहम्मद बिन कासिम ने 712 के अपने आक्रमण के बाद किया था। उसी जेहादी अभियान द्वारा वहाँ के तीन लाख हिन्दू निवासियों के साथ कत्ल, लूट, बलात्कार, अपहरण और बलात् धर्मान्तरण की कार्रवाई की गई। बचे हुए लोग अपना घर बार और अपनी करोडों की सम्पत्ति छोड़कर, अपने जवान बेटों का कत्ल होता हुआ, अपनी जवान बेटियों का अपनी आँखों के सामने बलात्कार होता हुआ तथा उनको मुसलमानों द्वारा उठा कर ले जाते हुए देखकर और इस प्रकार अपना सब कुछ गँवा कर आज जम्मू क्षेत्र और दिल्ली में शरणार्थी की जिन्दगी जी रहे हैं या यों कहें कि वे अब बेवशी से अभिशप्त जीवन जी रहे हैं।

हिन्दू फौज भी उनको नहीं बचा सकी। अब कश्मीर घाटी का पूरा इस्लामीकरण हो चुका है। लद्दाख क्षेत्र के बौद्धों और जम्मू क्षेत्र के हिन्दुओं पर अब यही कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उनका भी अन्त कुछ ही समय की बात है। वहाँ भी फौज कुछ नहीं कर सकेगी। उनका भी वही हश्र होने वाला है जो कश्मीर घाटी के हिन्दुओं का हुआ है। अगले कदम के रूप में उग्रवाद के नाम पर कश्मीर को भारत से अलग कर इस्लामी राज्य घोषित कर दारुल इस्लाम बनाने की मजहबी योजना पर भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है।

बंगलादेश से नियमित हिन्दू और मुसलमान देश छोड़कर भारत में आकर बस रहे हैं। हिन्दू भाग कर आ रहे हैं जबकि मुसलमान, भारत में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ाकर भारत को दारुल इस्लाम बनाने और भारत के पूर्ण इस्लामीकरण में सहयोग करने के उद्देश्य से आ रहे हैं। वैसे यहाँ आने से सबसे पहला फायदा उनको जीविका की समस्या के समाधान के रूप में होता है, इसी नाम पर वे आते भी हैं। प्रचार भी यही किया जाता है और कुछ हद तक बात भी ठीक है। लेकिन सिर्फ यहीं तक समझ रख कर आगे के उनके उद्देश्यों को नहीं समझना नासमझी होगी। इस्लाम के चरित्र और इस्लाम के उद्देश्य की जानकारी रखने वाले लोग जानते हैं कि उनका उद्देश्य भारत के इस्लामीकरण के लिए मुस्लिम जनसंख्या विस्तार है।

बंगलादेशी मुसलमानों ने भारत के कई राज्यों और कई क्षेत्रों में अपनी जनसंख्या बढ़ा ली है। अब वे हिन्दुओं पर भारी पड़ना शुरू हो गये हैं। आसाम, बगाल केरल, त्रिपुरा, बिहार, महाराष्ट्र, यू0पी0, आन्ध्रप्रदेश आदि के कई जिलों में मुसलमानों की जनसंख्या निर्णायक हो चुकी है। दिल्ली, मुम्बई आदि महानगरों में खास इलाकों में ये संगठित रूप से कब्जा जमा चुके हैं।

जनसंख्या विस्फोट के माध्यम से तेजी से सत्ता पर कब्जा कर भारत को दारुल इस्लाम बनाने और फिर हिन्दू आबादी को उसी जेहादी यातना के तरीके से घोरतम अपमान और फिर संहार द्वारा मुसलमान बना डालने की उनकी योजना है। मुसलमानों द्वारा हजारों मदरसे और मख्तबों में मुजाहिद (मुस्लिम लड़ाकों) को धार्मिक जेहाद की शिक्षा और युद्ध का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनके द्वारा सभी गाँवों, कस्बों, मुहल्लों, नगरों, महानगरों में युद्धक सामग्रियों का निर्माण, भंडारण, बनाने और

चलाने का प्रशिक्षण चल रहा है। युद्धक रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं। इस काम में पाकिस्तान का आई0एस0आई0 पूरा सहयोग कर रहा है। उनके क्रिया-कलापों पर विस्तार से ध्यान देने पर उनकी जेहादी कार्रवाई का पता चलता है।

अब भारत और नेपाल के हिन्दू चारों ओर से मुस्लिम जेहादियों एवं इनके अंध सहयोगी सिरफिरे मार्क्सवादियों से घिर चुके हैं। एक बार फिर हिन्दुओं के लिए वही जेहादी काला दिन सामने आ खड़ा हो गया है। उनका और उनके बच्चों का कत्ल, उनकी सम्पत्ति की लूट, उनकी जवान बेटियों–बहुओं और बहनों का कातिलों द्वारा बलात्कार और अपहरण तथा बचे खुचे लोगों को गोमांस खिलाकर धर्मान्तरण कराया जायेगा। आज तक का बना उनके सपनों का महल सब चूर–चूर होकर मिट्टी में मिल जाने का समय निकट आ रहा है और हिन्दू हैं कि अपने में मगन बेखबर सो रहे हैं। इस बार यदि इस्लामी प्रभुत्व अपना जेहाद चलाने में सफल हो गया तो हिन्दुओं का दुनिया से लगभग अंत ही हो जायेगा। पाकिस्तान और बंगलादेश के हिन्दुओं को तो कम से कम भारत के सहारे की उम्मीद थी, किन्तु भारत के हिन्दुओं को कहीं से भी सहारा मिलने की सम्भावना नहीं रह जायेगी। काश ! हिन्दू अब भी चेतते।

◆

5. इस्लाम और गैर मुसलमान

"हंस" पत्रिका का अगस्त 2003 अंक, "भारतीय मुसलमान वर्तमान और भविष्य" में अनेक मुस्लिम विद्वानों द्वारा प्रशंसनीय ढंग से खुला विचार प्रस्तुत किया गया है। भारतीय समाज में शांति के साथ जीवन यापन के लिए मुसलमानों को अनेक सुझाव दिये गये हैं। मुस्लिम समाज में दकियानूसी सोच को आधुनिक युग के अनुरूप प्रगतिशील सोच में बदलने हेतु खुल कर कहा गया है। सबसे द्रवित करने वाली घटना का वर्णन नसरीन हुसैन ने किया है जिसमें उनके पिता एहसान जाफरी सहित कई लोगों को दंगाइयों ने जला दिया था। अपने दर्द और गम की गहराई का एहसास औरों के दर्द और गम के साथ ही किया है ".....मैं अकेली नहीं हूँ, मुझ जैसी बहुत–सी औरतें हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, जिन्होंने अपने प्यारों, अपने जिगर के टुकड़ों को खो दिया है, मैं यह बात भी समझती हूँ कि मुझ जैसे बहुत से बदनसीब गोधरा और कश्मीर में भी हैं। उनका दर्द मेरे दर्द से कम नहीं; उनका नुकसान मेरे नुकसान से कम नहीं, उनकी बेगुनाही मेरी बेगुनाही से कम नहीं।"

रफीक जकरिया साहब नेक सलाह देते हैं – "मुसलमानों को अपना अलहदगी पसंदाना रवैया छोड़कर राष्ट्रीय केन्द्रीय धारा का अटूट अंग बनना होगा। इन्हें अपनी पहचान समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन्हें हिन्दुओं के साथ आवश्यक स्तर पर खुले दिल से सहयोग करना होगा ताकि मिश्रित राष्ट्रीयता परवान चढ़ सके।" असगर अली इन्जिनीयर साहब भी इस्लाम की व्यावहारिक व्यवस्थाओं में सुधार की बात करते हैं किन्तु फिर चतुराई से इस्लामी आवरण में सिमट जाते हैं। अजहर फारूकी साहब मुसलमानों की उन्नति के लिए इस्लाम की नवीन व्याख्या की बात करते हैं लेकिन दृढ़ता से इस्लामी खोल के अंदर ही। एम0 वाई0 कुरैशी परिवार नियोजन की सलाह देते हैं। कुल मिलाकर सभी विचारकों ने मुसलमानों की समस्याओं पर ही ध्यान दिया है; विशेषकर सरकार, बहुसंख्यक हिन्दुओं और थोड़ी सी अपनी कमियों के कारण होने वाली समस्याओं पर ही; लेकिन मुसलमानों के कारण समाज में किन क्षेत्रों में अव्यवस्था या आशंका का वातावरण बनता है इस पर नहीं के बराबर ध्यान दिया गया है। वैसे इस्लामी प्रावधानों की बिल्कुल ही चर्चा नहीं की गई है जिनके कारण हिन्दू समाज आशंकित एवं आतंकित है। मुस्लिम समाज को कमजोर, आतंकित, गरीब, उपेक्षित, उत्पीड़ित, दंगा पीड़ित आदि बताने का भरपूर प्रयास किया गया है। लेकिन एक साथ जीवन यापन करने वाले हिन्दुओं को आश्वस्त होने के लिए जिन प्रश्नों के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है वे अनुत्तरित छोड़ दिये गये हैं। यहाँ कुछ मौलिक प्रश्नों को रख रहा हूँ ताकि मुस्लिम विद्वानों द्वारा विशेष अवसरों पर इनके स्पष्टीकरण में सहूलियत हो।

इस्लाम का मूलाधार ग्रन्थ कुरान है। मुसलमान इसे अल्लाह की वाणी, अल्लाह का हुक्म, आसमानी किताब, कलाम पाक आदि के रूप में जानते हैं। अटूट श्रद्धा रखते हैं। संसार की पवित्रतम वस्तु मानते हैं। उसकी मान्यताओं के बाहर की कोई मान्यता

स्वीकार नहीं करते। कुरान में दिये गये अल्लाह के हुक्म का पालन करना हर मुसलमान का आखिरी फर्ज है।

बहुसंख्यक समाज को मुसलमान मजहबी भाषा में काफिर कहते हैं अर्थात् अल्लाह और अल्लाह के रसूल में ईमान न लाने वाला। अल्लाह के रसूल पैगम्बर मोहम्मद साहब ने अपने स्तर से जो कुछ कहा है उसे हदीस कहते हैं। कुरान और हदीस के साथ पैगम्बर का जीवन और चरित्र मिल कर शरीयत का निर्माण होता हैं। यही इस्लामी कानून है। गैर मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार किया जाय इसके विषय में कुरान शरीफ और हदीस में बहुत आदेश हैं –

01. मोमिनों को चाहिए कि मोमिनों के सिवा काफिरों को दोस्त न बनाएँ और जो ऐसा करेगा, उससे खुदा का कुछ (अहद) नहीं। हाँ, अगर इस तरीके से तुम उन से बचाव की शक्ल निकालो (तो हरज नहीं) और खुदा तुमको अपने (गजब) से डराता है और खुदा ही की तरफ तुमको लौट कर जाना है। (कु0 3:28)
02 मोमिनों ! किसी गैर (मजहब के आदमी) को अपना राजदार न बनाना। ये लोग तुम्हारी खराबी (और फित्ना फैलाने) में किसी तरह की कोताही नहीं करते हैं और चाहते हैं कि (जिस तरह हो) तुम्हें तकलीफ पहुँचे। (कु0 3:118)
03. ऐ अहले ईमान ! मोमिनों के सिवा काफिरों को दोस्त न बनाओ। (कु0 4:89)
. . . ईमानवालों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाओ। (कु0 4:144)
04. ऐ ईमान वालों ! यहूद और नसारा (ईसाई) को दोस्त न बनाओ, ये एक दूसरे के दोस्त हैं औरजो शख्स तुम में से उनको दोस्त बनाएगा, वह भी उन्हीं में से होगा। वेशक खुदा जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। (कु0 5:51)
05. ऐ ईमान वालों ! अगर तुममें से कोई अपने दीन से फिर जायेगा, तो खुदा ऐसे लोग पैदा कर देगा, जिनको वह दोस्त रखे और जिसे वे दोस्त रखें। और जो मोमिनों के हक में नर्मी करें और काफिरोंसे सख्ती से पेश आयें, खुदा की राह में जिहाद करें, और किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरें, यह खुदा का फजल है, वह जिसे चाहता है देता है और खुदा बड़े फैलाव वाला और जानने वाला है। (कु0 5:54)
06. ऐ ईमान वालों ! जिन लोगों को तुम से पहले किताबें दी गई थी; उनको और काफिरों को जिन्होंने तुम्हारे दीन को हँसी और खेल बना रखा है, दोस्त न बनाओ और मोमिन हो तो खुदा से डरते रहो। (कु0 5:57)
07. तुम उनमें से बहुतों को देखोगे कि काफिरों से दोस्ती रखते हैं। उन्होंने जो कुछ आगे अपने वास्ते आगे भेजा है। बुरा है (वह यह) कि खुदा उनसे नाखुश हुआ और वे हमेशा अजाब में (पड़े) रहेंगे। (कु0 5:80)
08. क्या तुमलोग यह ख्याल करते हो कि (बे आजमाइश) छोड़ दिये जाओगे और अभी तो खुदा ने ऐसे लोगों को अलग किया ही नहीं; जिन्होंने तुममें से जिहाद किये और खुदा और उसके रसूल और मोमिनों के सिवा किसी को दिली दोस्त नहीं बनाया और खुदा तुम्हारे सब कामों को जानता है। (कु0 9:16)
09. ऐ ईमान वालों ! अगर तुम्हारे (माँ) बाप और (बहन) भाई ईमान के मुकाबले में

कुफ्र को पसंद करें, तो उनसे दोस्ती न रखो, और जो उनसे दोस्ती रखेंगे, वे जालिम हैं। (कु0 9:23)

10. और तुम्हें उम्मीद न थी कि तुम पर यह किताब नाजिल की जायेगी, मगर तुम्हारे परवर दिगार की मेहरबानी से (नाजिल हुई), तो तुम हरगिज काफिरों के मददगार न होना। (कु0 28:86)

रफीक जकरिया साहब की सलाह कि "मुसलमानों को खुले दिल से हिन्दुओं के साथ सहयोग करना होगा" मुसलमान कैसे मान सकते हैं जबकि अल्लाह का हुक्म इसके ठीक विपरीत है। हिन्दू काफिर लोग हैं।

मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी कहा है– "कुरान से बाहर की कोई बात निहायत कुफ्र है।" तब कुरान के हुक्म का पालन करने वाले मुसलमान कुफ्र पसंद काफिर से कैसे सहयोग करेंगे ? इस्लाम के अनुसार दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। जिन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल अर्थात पैगम्बर मुहम्मद साहब में ईमान लाया वे ईमान वाले, मुसलमान या मोमिन कहे जाते हैं। किन्तु जिन लोगों ने ईमान न लाया वे सभी काफिर हैं। यहूदी और ईसाई भिन्न किस्म के काफिर हैं। इन्हें जिम्मी भी कहा जाता है। मूर्तिपूजक निम्न प्रकार के काफिर हैं इन्हें मुश्रिक भी कहते हैं।

इस्लाम संसार के देशों को दो श्रेणियों में बाँटता है। दारुल इस्लाम और दारुल हर्व। जिस देश में इस्लामी सत्ता है वह दारुल इस्लाम है। वहाँ शरीयत कानून अर्थात अल्लाह का कानून लागू होता है। उसमें जिम्मी काफिरों को अत्यन्त निम्न कोटि के नागरिक के रूप में अपने धर्म पालन के साथ जीवित रहने का अधिकार है। उन्हें इसके एवज में जजिया कर देना होता है। किन्तु मूर्तिपूजक काफिरों को जिन्हें मुश्रिक भी कहते हैं दो में एक विकल्प चुनना होता है इस्लाम या मौत। यद्यपि बाद में, मुहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत में अपनी विजय के बाद मुश्रिक काफिरों का धर्मान्तरण या कत्ल का नियम नहीं चलाया जा सका। काफिरों की बहुत बड़ी संख्या होने के कारण उनका पूरी तरह कत्ल द्वारा सफाया संभव नहीं था। इसलिए उनपर जजिया कर लगाकर उन्हें जीवित रहने दिया गया। जिस देश में मुस्लिम सत्ता नहीं है लेकिन वहाँ मुस्लिम आबादी है, वह दारुल हर्व अर्थात् 'लड़ाई झगड़ा का घर' है। वहाँ के मुसलमानों का फर्ज है कि वे जेहाद द्वारा दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदल डालें और शरीयत का कानून लागू करें। उनका कहना है कि धरती अल्लाह की है और उसके रसूल की है। काफिरों ने इस पर अवैध कब्जा जमा रखा है। हर मुसलमान का फर्ज है कि काफिरों के कब्जे से अल्लाह की धरती को मुक्त कराने के लिए जेहाद में शामिल हों।

दुनिया में इस्लाम से पहले जाहीलियत का काल था। अल्लाह की रोशनी धरती पर तभी पहुँची जब इस्लाम आया। सारी दुनिया के लोगों को चाहिए था कि इस्लाम की रोशनी के पहुँचते ही, इस्लाम स्वीकार कर लेते जैसा मोमिनों ने किया। उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल में ईमान लाया और जाहीलियत से मुक्ति पाई, किन्तु कितना भी अल्लाह का पैगाम सुनाया गया, बताया गया, समझाया गया,

काफिरों ने मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह का पैगाम (वह्य) स्वघोषित पैगम्बर, मुहम्मद साहब द्वारा ही आता था। अपने संदेश को पूरी मानव जाति तक पहुँचाने के लिए अल्लाह ने एक मात्र व्यक्ति मुहम्मद साहब को ही चुना। जब मोहम्मद साहब ने अपने को अल्लाह का पैगम्बर बनाये जाने की घोषणा की तो काफिरों ने उनका मजाक उडाया। उनको यातना दी। मक्का से उनको भागने पर मजबूर कर दिया। वे भाग कर मदीना पहुँचे। वहाँ अपने सहाबियों (साथियों) के साथ, जिन्होंने इस्लाम ग्रहण कर लिया था, मदीना वालों को इस्लाम मानने के लिए जोर देना शुरू किया। वहाँ कई कबीले के लोग रहते थे। कुछ लोगों ने तो इस्लाम स्वीकार किया और कुछ लोगों ने इनकार कर दिया। इसलिए उन्हें इस्लाम मानने के लिए बाध्य किया जाने लगा। अब तक मोहम्मद साहब के साथ कई सौ आदमी हो चुके थे। सबको लड़ाई करने के लिए, जिसे जेहाद कहते थे, प्रेरित किया जाने लगा। मानव समाज दो भागों में बँट गया। जो मुसलमान बने वे अल्लाह की पार्टी वाले और गैर मुसलमान शैतान की पार्टी वाले हुए। अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह की पार्टी के साथ मोहम्मद साहब ने काफिरों को कुचलने, जैसे उनका कत्ल करने, उनको गुलाम बनाने, जिसमें औरतें भी शामिल थीं; औरतों से बलात्कार करने सुन्दर औरतों को बीवियाँ या लौंडियाँ बनाकर रख लेने, काफिरों को लूट लेने आदि का सिलसिला शुरू किया।

मदीना के कई कबीलों को जो मुसलमान नहीं बने मारकाट कर मदीना के बाहर खदेड़ दिया गया। अब तक वे मदीना के सर्वोच्च शासक बन चुके थे। बानू कैनुका और बानू नाजिर कबीलों को अरब से निकालने के बाद पैगम्बर ने एक अन्य कबीला बानू कुरैजा का समूल नाश करने का संकल्प लिया। अनवर शेख ने अपनी पुस्तक "इस्लाम अरबी साम्राज्यवाद" में पृष्ठ : 95–96 में घटना का इस प्रकार वर्णन किया है – "उसने यहूदियों को घेरा डाल लिया। उन्होंने 25 दिनों तक कष्ट झेल कर इस शर्त्त पर आत्म समर्पण किया कि उनके भाग्य का फैसला अनसार का मुखिया साऊधबिन मुआध करेगा। सहीह मुस्लिम की हदीस सं0 4369 में उसका फैसला वर्णित है जो यह बयान करता है कि "उनके योद्वओं को मार दो और उनकी महिलाओं और बच्चों को बन्दी बना लो।" यहूदियों को उनके किले से बाहर लाया गया और जानवरों की भाँति अलग–अलग बाड़ों में बंद कर दिया गया। वे सारी रात अपने मालिक अल्लाह के पास दया की प्रार्थना करते रहे जबकि उत्साही मुसलमान पैगम्बर के आदेश पर एक गहरी खंदक खोदते रहे। यह यहूदियों के लिए एक विशाल कब्र थी जिन्होंने अपने धर्म, सम्पत्ति, पत्नियों और बच्चों की रक्षा के लिए मुहम्मद को चुनौती दी थी। जब रात के अंधेरे को चीर कर सूर्य की किरणें बाहर आ रही थीं तो वह कब्र निःसहाय लोगों के लिए अंतिम शरण देने के लिए तैयार थी। अति कृपालु अल्लाह के आगे नमाज पढ़ने के बाद पैगम्बर मुहम्मद जिसने सभी प्राणियों के लिए दया की माँग की थी, वह खंदक के पास बैठ गया ताकि वह उस कार्यवाही को व्यक्तिगत तौर पर देख सके। यहूदी पुरुषों को पाँच–पाँच, छः–छः के टोले में लाया जा रहा था जिन्हें अपनी मंजिल का ज्ञान नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति जिसके हाथ पीछे बँधे हुए थे, को लेटने का आदेश दिया गया और अपनी गर्दन खंदक की ओर फैलाने के लिए

कहा गया जहाँ अली और जुबेर खड़े थे। उन्होंने बड़ी–बड़ी तलवारों से उनके सिर धड़ से अलग कर दिये। गोधूलि के समय तक सारा काम तमाम हो गया।अल्लाह और मुहम्मद की खुशी के लिए 800 यहूदियों का निर्ममता से वध कर दिया गया। उनके बच्चों को गुलाम और महिलाओं को रखैल बना लिया गया ताकि निष्ठावानों को स्वर्गीय विलास का पूर्ण आनंद मिल सके।"

उसके बाद आक्रमणों का जो सिलसिला शुरू हुआ वह पैगम्बर साहब के जीवन के अंत तक चलता रहा. व्यापारिक कारवाँओं और बस्तिओं पर धावा बोलकर मर्दों का कत्ल करना, उनका धन लूटना और औरतों–बच्चों को गुलाम बना कर ईमान वालों में बाँटना। गुलामों की मुक्ति के लिए धन लेना और जो रह गये उनको मुसलमान बना कर अपने दल में शामिल करना। इस अभियान में शामिल जेहादियों को प्राप्त धन का 4/5 भाग और रसूल का 1/5 भाग होता था। जो अल्लाह के रसूल के हुक्म में संदेह करता था या मानने से इंकार करता था उसे तुरंत मौत के मुँह में पहुँचा दिया जाता था।

इस प्रकार पैगम्बर की मृत्यु के बाद भी लगातार इस्लाम के विस्तार के लिए कबीलों के व्यापारिक कारवाँ, अस्थाई कैम्पों और बस्तियों पर आक्रमण करना, पुरुषों का कत्ल करना, उनका धन लूटना, स्त्रियों–बच्चों का अपहरण कर बीवियाँ–लौंडियाँ बनाना और सभी लोगों को बलात् इस्लाम मानने पर विवश करना जैसी कार्रवाई चलती रही। यही जेहाद कहलाता है। कुरान और हदीस में जेहाद को बहुत पवित्र कर्म कहा गया है। यदि जेहाद में कोई मोमिन व्यक्ति मारा जाता है तो वह शहीद कहलाता है और अल्लाह उसको सबसे ऊँचे वहिश्त में तुरंत दाखिल करता है। बाकी मोमिनों को मौत के बाद कब्र में ही, कयामत के दिन तक रहना पड़ता है। इसलिए जेहादी सबसे पवित्र होता है। जो मुसलमान कम से कम एक काफिर की हत्या करता है वह गाजी कहलाता है। वह शहीद जेहादी के बाद दूसरी श्रेणी का पुण्यात्मा गिना जाता है। पैगम्बर मुहम्मद साहब ने अपने जीवन में जैसा आचरण निभाया है उनके व्यवहार का जो तरीका रहा है उसका श्रद्धापूर्वक अनुसरण करना प्रत्येक मुसलमान का मजहबी फर्ज है जिसे सुन्नत या सुन्ना कहते हैं। मुसलमानों द्वारा दाढ़ी रखना उसी सुन्ना का भाग है। अपने शत्रुओं से अर्थात् काफिरों से उसी प्रकार व्यवहार करना जितना क्रूरता पूर्ण ढंग से पैगम्बर साहब करते थे, मुसलमानों का फर्ज है। चूँकि अल्लाह संसार में भौतिक रूप में उपस्थित होता नहीं है, वह सारे हुक्म पैगम्बर को ही देता है इसलिए हर कार्य का आदर्श और हर आदेश का स्रोत पैगम्बर ही होता हैं। किसी व्यक्ति के पैगम्बर होने का साक्ष्य कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि अल्लाह जिसको अपना पैगम्बर चुनता है सिर्फ उसीको पता होता है और वही उद्घोषित करता है कि उसे अल्लाह ने अपना पैगम्बर बनाया है।

उस समय अरब में अनेक लोग अपने को पैगम्बर घोषित कर रहे थे। लेकिन मुहम्मद साहब ने जिस मार्ग को अपना कर विजय प्राप्त की उससे न सिर्फ उस समय वरन् आज तक उनकी स्थाई पैगम्बरी को किसी द्वारा चुनौती न दी जा सकी।

कुरान और हदीस में जेहाद करने का बार–बार हुक्म दिया गया है। जेहाद

के तरीके बताये गये हैं। उसके लाभालाभ का विवरण दिया गया है जिनमें से कुछ का यहाँ जिक्र किया जाता है –

01. ऐ पैगम्बर ! काफिरों और मुनाफिकों से लड़ो और उन पर सख्ती करो। उनका ठिकाना दोजख है और वह बहुत बुरी जगह है। (कु0 66:9)
02. तो काफिरों की बात न मानना और इस (कुरान) से तुम उनसे बड़ा जिहाद करो। (कु0 25:52)
03. तुम पर युद्ध फर्ज किया गया और तुम्हें अप्रिय है – और हो सकता है एक चीज तुम्हें बुरी लगे और वह तुम्हारे लिए अच्छी हो, और हो सकता है कि एक चीज तुम्हें प्रिय हो और वह तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। (कु02:216)
04. फिर जब हराम के महीने बीत जायें तो मुश्रिकों (मूर्तिपूजकों) को जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो, और उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो, और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। यदि वे तौबा कर लें और नमाज कायम करें और जकात दें, तो उनका मार्ग छोड़ दो। (कु0 9:5)
05. हे नबी ! काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो और उनके साथ सख्ती से पेश आओ। उनका ठिकाना जहन्नम है और वह क्या ही बुरा ठिकाना है। (कु0 9:73)
06. वे तो यही चाहते हैं कि जिस तरह से वे खुद काफिर हैं (उसी तरह) तुम भी काफिर होकर (सब) बराबर हो जाओ, तो जब तक वे खुदा की राह में वतन न छोड़ जायें, उनमें से किसी को दोस्त न बनाना। अगर (वतन छोड़ने को) कुबूल न करें तो उनको पकड़ लो और जहाँ पाओ कत्ल कर दो और उनमें से किसी को अपना साथी और मददगार न बनाओ। (कु0 4:89)
07. निःसंदेह काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। (कु0 4:101)
08. फिटकारे हुए गैर मुस्लिम जहाँ कहीं पाये जायेंगे बुरी तरह कत्ल किये जायेंगे। (कु033:61)
09. अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों (लूट) का वादा किया है जो तुम्हारे हाथ आयेगी। (कु0 48:20)
10. तो जो कुछ गनीमत (लूट) का माल तुमने हासिल किया है उसे हलाल और पाक समझ कर खाओ। (कु0 8:69)

इसी प्रकार के आदेशों की भरमार कुरान और हदीस में है। उनमें से थोड़े का यहाँ जिक्र किया गया है।

इस्लाम के इस वास्तविक स्वरूप से हर मुसलमान परिचित है। बचपन से ही इस्लामी विधि-विधानों और शिक्षा का विधिवत ज्ञान देने की प्रथा के कारण उपर्युक्त आदेशों को मुसलमान उसी प्रकार ईश्वरीय आदेश मानते हैं जैसे बचपन के संस्कारों के कारण हिन्दुओं में मूर्तियों में दैवी शक्ति होने की धारणा बन जाती है। लेकिन जहाँ हिन्दू अपनी पूजा विधियों तक ही अपने को सीमित रखता है और दूसरे की पूजा विधियों में हस्तक्षेप करना या किसी प्रकार के बल प्रयोग द्वारा दूसरों के विश्वास में बाधा डालने की इच्छा नहीं रखता, वहीं इस्लाम मजहब का मौलिक सिद्धांत अन्य सभी

पंथो, सम्प्रदायों, मजहबों, रिलीजनों और धर्म को समाप्त कर इस्लाम का सारी दुनिया में विस्तार करना है।

अल्लाह ने अपने दूत पैगम्बर मुहम्मद के माध्यम से सारी दुनिया में सत्य धर्म इस्लाम की रोशनी फैलाने के लिए तब तक युद्ध करते रहने का हुक्म दिया है जब तक सारी दुनिया के लोगों को मार–काट कर बलात् इस्लाम स्वीकार न करा दिया जाय। इस्लाम के विस्तार का जो तरीका उसके प्रवर्त्तक के जमाने में शुरू हुआ वह परिस्थिति के अनुसार थोड़ा कम या ज्यादा आज तक चला आ रहा है।

इतिहास में; मजहबी विश्वास के कारण इतना रक्तपात, उत्पीड़न और बर्बरता मानव जाति ने नहीं देखा था। यह विश्वास, कि इस्लाम के पूर्व का काल जाहीलियत का काल होता है और उस काल की ज्ञान की पुस्तकें वास्तव में जाहीलियत की पुस्तकें होती हैं, मुसलमानों को उन्हें जलाकर नष्ट कर देने की प्रेरणा देता है। इसी कारण प्रत्येक इस्लामी आक्रमण में गैर इस्लामी काल की पुस्तकें जलाकर मानवता का अपार नुकसान किया गया। अनेक गैर इस्लामी शिक्षण संस्थाओं और पुस्तकालयों के महीनों तक धू–धू कर जलने का इतिहास कौन नहीं जानता है। ज्ञान, कला और संस्कृति के क्षेत्र में आज दुनिया के सभी मुस्लिम देश दूसरों की तुलना में पिछड़े हुए हैं। फिर भी रफीक जकरिया साहब कहते हैं कि "इन फिदायीन के पागलपन के कारण मुसलमानों की सर्वोच्च सभ्यता, संपूर्ण विश्व जिसका गवाह है, आज चारों ओर जलील और बदनाम हो चुकी है।" सर्वोच्च सभ्यता और सर्वोच्च असभ्यता की, लगता है, अपनी–अपनी धारणाएँ हैं। फिदाईन जो कर रहे हैं, इस्लाम की वही सभ्यता, वही संस्कृति और वही मजहब है। इतिहास, मजहब की इसी सभ्यता और संस्कृति की गवाही देता है। तथ्य, जो अपने को अनेक प्रकार से प्रकट करता है, मात्र शब्दों के जाल से उलटा नहीं जा सकता।

इस्लाम के इसी स्वरूप के कारण सारी दुनिया में मुसलमान एक विचित्र समुदाय के रूप में देखे जाते हैं। कुछ लोग इस्लामी भाईचारा, मजहबी निष्ठा और सामुदायिक एकजुटता को देखकर यह समझते हैं कि इस्लाम की ये विशेषताएँ मजहबी समझ से विकसित हैं। बात वैसी नहीं है। कोई संगठन, दल या समुदाय, जब दूसरों के साथ आक्रामक व्यवहार में तल्लीन होता है, तब उसके अंदर भाईचारा, संगठन, आपसी एकजुटता, अनुशासन आदि की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है; क्योंकि इनके बिना समुदाय न संगठित रह सकता है और न ही आक्रमक कार्रवाई कर सकता है। इसलिए मुस्लिम समुदाय द्वारा जेहाद करना, जिसमें हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण, दूसरों के पूजा स्थलों को ध्वस्त करना, बलात् धर्मान्तरण कराना आदि सर्वाधिक पवित्र कर्म शामिल हैं; अनुशासन, आपसी भाईचारा और सामुदायिक एकजुटता के बिना हो ही नही सकता है; इसलिए यह कोई महानता की बात नहीं है। इसे मजहब की जेहादी कार्रवाई का बाई प्रोडक्ट या साइड इफेक्ट कह सकते हैं।

जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है और जिसे सभ्यता और संस्कृति की पहचान का केन्द्र विन्दु तत्त्व माना जा सकता है वह है दूसरों के साथ व्यवहार का तरीका।

इस मापदण्ड पर इस्लाम अपने जेहादी स्वरूप के कारण सभ्य और सुसंस्कृत होने का दावा किस आधार पर कर सकता है ? यदि उसे सर्वोच्च सभ्यता कहा जाय तो सर्वोच्च असभ्यता किसे कहा जाय ! चौदह सौ वर्षों का लम्बा इतिहास दर्पण की तरह साफ दिखा रहा है। मालावार के मोपला विद्रोह को विद्रोह कहकर इसके मजहबी स्वरूप को ढँकने का प्रयास किया जाता है। देश बँटवारे के समय पंजाब और बंगाल के क्षेत्र में जो मारकाट, लूट–पाट, बलात्कार, अपहरण, बलात् धर्मान्तरण और पूजा स्थलों का ध्वंस हुआ, वह जेहाद था। आज कश्मीर में जो हो रहा है वह जेहाद है। आगे इस जेहाद को सफलता पूर्वक संपूर्ण भारत के इस्लामी करण के लिए पूरा करने की तैयारी चल रही है। आमतौर पर गैर मुस्लिम और विशेष तौर पर हिन्दू इस्लाम के वास्तविक स्वरूप को जानते ही नहीं हैं। यदि कोई पत्र-पत्रिका इन्हें प्रकाशित करते भी हैं तो संगठित जेहादी मानसिकता किसी न किसी रूप में उस पर दबाव बनाती है। सरकारी पदाधिकारी जो लगभग अविद्वान हैं और जिनका संबंध मात्र प्रशासनिक व्यवस्था तक सीमित है, उनके विरुद्ध कोई न कोई कार्रवाई कर प्रोत्साहित करते हैं। ये अपने को हर हाल में निष्पक्ष दिखा कर अपनी साफ सुथरी छवि बनाते हैं और हिन्दू मूर्खता की परम्परा को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय जो अपने मजहबी कर्तव्य के प्रति सचेत है जेहाद की तैयारी के लिए सारी व्यवस्थाएँ कर रहा है। उसके ऊँचे से ऊँचे पदाधिकारी भी अपने मजहबी जेहादी उद्देश्य के प्रति सजग और मददगार होते हैं।

सभी शहरों, कस्बों, मुहल्लों में मुस्लिम समुदाय द्वारा हथियारों का संग्रह, उनका पकड़ा जाना, समय समय पर विस्फोट आदि बातें समाचार में आती ही रहती हैं। क्या ये छुपी हुई बातें हैं ? पहले हिन्दू–मुस्लिम दंगे ज्यादा होते थे। इन दंगों के कारणों को सब लोग जानते हैं। सभी दंगे मुसलमानों द्वारा किये जाते रहे हैं। योजनाबद्ध ढंग से दंगे की शुरुआत करना, अनजान, निहत्थे और असंगठित हिन्दुओं का कत्लेआम चंद घंटों में कर डालना और फिर सुरक्षात्मक रणनीति अख्तियार करना, यही तरीका रहा है। बाद में पुलिस वाले पहुँचते हैं। क्रूरता और अत्याचार का दृश्य देखकर उत्तेजना में कभी कुछ लोगों पर गोलियाँ चला देते हैं। फिर जाँच और पुलिस की ज्यादती का ढिंढोरा पिटना शुरू होता है। मुस्लिम वोटों पर आश्रित सरकारें जाँच प्रतिवेदनों को कभी प्रकाशित नहीं करती हैं। सभी जाँच प्रतिवेदन इसी निष्कर्ष पर पहुँचे होते हैं कि मुस्लिम समुदाय द्वारा योजनाबद्ध ढंग से सोच समझ कर दंगे की शुरुआत की गई थी।

हिन्दू–संस्कारों और धर्म–शिक्षाओं के अवचेतन प्रभाव के कारण ही सामान्य हिन्दू चाहे वह समाचार पत्रों से संबंधित हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, प्रशासनिक या न्यायिक पदाधिकारी हो, बुद्धिजीवी हो, राजनीतिज्ञ हो, सभी एक स्वर से हिन्दुओं के विरुद्ध और मुसलमानों के समर्थन में बोलना शुरू करते हैं। जिसका परिणाम होता है सत्य, असत्य हो जाता है और असत्य, सत्य।

मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित शिक्षकों और विद्यार्थियों की सोचने विचारने की दिशा एक पक्षीय बन कर दृढ़ हो गई है। मैंने कहीं पढ़ा था कि मार्क्सवादियों के

माथा में, बुलेट छोडकर दूसरी चीज आप नहीं घुसा सकते। "हंस" के उपर्युक्त अंक के सम्पादकीय में यही विचार यों व्यक्त है, " पचास सालों में सारी दुनिया और उसे समझने की भाषा और दृष्टिकोण बदल गये हैं–कहीं भी बिल्कुल नहीं बदले हैं तो वे हैं किताबी मार्क्सवादी गुरुकुलिए वेदान्ती। इस्लाम के विषय में इनकी सिरफिरी धारणा, जो बिना अध्ययन और उसकी समीक्षा के ही दृढ़ है, ज्यों की त्यों बनी हुई है।

हिन्दुओं में मूर्खतापूर्ण धारणा बनी हुई है कि वे बहुसंख्यक हैं और इसलिए बलवान हैं। मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, इसलिए कमजोर हैं। हिन्दू सहिष्णुता की भावना के कारण उन पर दया की जानी चाहिए, उनकी मदद की जानी चाहिए। वास्तविकता यह है कि मुस्लिम समुदाय अपने मजहबी कारणों से अत्यन्त सबल है और अपने धर्म जनित लौकिक व्यवस्था की कमियों के कारण ही हिन्दू निर्बल हैं। पुलिस और सेना में मुस्लिम अनुपात वही हो जाय जो जनसंख्या का अनुपात है तो आज ही जेहाद द्वारा भारत का इस्लामी करण हो जाय।

मजहबी जेहादी भावना इतनी तीव्र होती है कि दूसरा कोई संबंध उसके आड़े नहीं आ सकता। पैगम्बर मुहम्मद साहब के समय जेहाद का जो तरीका आरम्भ हुआ था वह आज तक चला आ रहा है। यदि किसी को इसे देख सकने की आँख ही न हो तो कोई क्या कर सकता है। हाँ, बहुत चतुराई से जेहाद का भिन्न–भिन्न नाम देकर इसके मजहबी स्वरूप को छिपा लिया जाता है। कभी इसे विद्रोह, कभी उग्रवाद, कभी डाइरेक्ट एक्सन, कभी गदर, कभी दंगा आदि नामों से पुकारा जाता है। मोपला, देश विभाजन के समय के दंगों, डाइरेक्ट एक्शन डे, कश्मीर की घटनाएँ आदि के विस्तार में जाते ही साफ–साफ जेहाद दिखाई पड़ने लगता है।

प्रख्यात साम्यवादी स्व0 प्रो0 कल्याण दत्त ने अपनी जीवनी "आमार कम्युनिस्ट जीवन" में 1946 के "दि ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स" के समय की एक घटना का यों वर्णन किया है – "खिदरपुर डॉक यार्ड के हिन्दू मजदूरों ने वामपंथी ट्रेड युनियन्स की सदस्यता के, जिनके हिन्दू–मुसलमान दोनों ही मजदूर सदस्य थे, कार्ड दिखा कर प्राण रक्षा की भीख माँगी और कहा कि अरे कॉमरेडों (साथियों) तुम हमारा वध क्यों कर रहे हो ? हम सभी एक ही युनियन में हैं।" किन्तु चूँकि इन मुजाहिदों को इस्लाम का राज्य (दारुल इस्लाम) मजदूरों के राज्य से कहीं अधिक प्रिय है, सभी हिन्दुओं का वध कर दिया गया।" (आमार कम्युनिस्ट जीवन, पर्ल पब्लिशर्स, पृष्ठ – 10, प्रथम आवृत्ति, कलकता, 1999, "भारत में जेहाद" में जयदीप सेन द्वारा उद्धृत)

पैन इस्लामिज्म का सिद्धांत मुसलमानों को अपने देश की तुलना में बाहरी किसी मुस्लिम देश के निकट पहुँचाता है। जब तक देश दारुल इस्लाम न हो जाय, अपने देश के विकास को अपना विकास नहीं समझते। छोटी–छोटी बातों पर तोड़–फोड़ करने और सार्वजनिक या काफिरों की निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने में उन्हें तनिक देर नहीं होती है। राजनीति, इस्लामी मजहब का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर मुसलमान का मजहबी फर्ज है कि वह जिस देश में रहता है उसे दारुल इस्लाम बनावे अर्थात् इस्लामी सत्ता स्थापित करे। इसके लिए मजहबी निर्देशानुसार उसे जेहाद करना चाहिए। जेहाद क्या है ? सुन्नत के अनुसार सैनिक

कार्रवाई ही जेहाद है, जैसा मुहम्मद साहब ने किया था। सैनिक कार्रवाई के लिए सैनिक साजो–सामान की आवश्यकता होती है; इसलिए मुसलमान अस्त्र–शस्त्र संग्रह करते हैं और युद्धाभ्यास करते हैं। युद्ध में उच्च मनोबल के लिए अल्लाह के हुक्म की शिक्षा लेते हैं। इसलिए संख्या में कम होने के बावजूद वे हिन्दुओं की तुलना में बलवान हैं।

हिन्दू को बचपन से अहिंसा, जीवों पर दया करने और सहिष्णुता का पाठ पढाया जाता है। जीवन में आध्यात्मिक चिन्तन के साथ सत्कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्ति का धार्मिक लक्ष्य निर्धारित होने के कारण वह आत्म केन्द्रित और व्यावहारिक जीवन में अति स्वार्थी होता है। सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण हेतु कोई स्थाई सांगठनिक व्यवस्था नहीं है। छुआ–छूत, ऊँच–नीच और जाति-प्रथा के कारण समाज पूरी तरह असंगठित, अस्त्र–शस्त्र हीन, निर्बल और असहाय बना हुआ है। इसीलिए हिन्दुओं पर अत्याचार की बड़ी–बड़ी घटनाएँ घटती हैं जो मानव समुदाय के लिए अत्यन्त शर्मनाक और अपमान जनक होती हैं, फिर भी उनमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। उनका स्वाभिमान मर चुका है। न जोश है न शक्ति। वास्तव में लम्बे समय से धर्म के ठेकेदारों, जैसे धर्म गुरुओं, महात्माओं, धर्मोपदेशकों, शास्त्रकारों, पंडितों–पुरोहितों, ज्योतिषियों, कर्मकांडियों, पुजारियों आदि–आदि के रूप में पाखंड और धर्माडम्बर का जाल बिछाकर, आर्थिक और बौद्धिक शोषण द्वारा हिन्दू समाज का कचूमर निकाल दिया गया है। आज भी इस वर्ग द्वारा जो कुछ किया जा रहा है, वही है। आज टी0वी0 पर जितने धर्मोपदेशक हैं वर्तमान हिन्दू समाज की समस्या और उसमें क्रांतिकारी सुधार से संबंधित कोई गम्भीर बात नहीं करते। चार हजार वर्ष पहले की जमीनी कथाओं को आसमानी बना कर लोगों को अवैज्ञानिक भ्रम जाल में डालने का ही काम करते हैं। ये वास्तव में सुविधाभोगी और कायर लोग हैं। इनमें से कोई भी क्रान्तिकारी उपायों से हिन्दू समाज की रूढ़ियों को मिटाने के लिए प्रयत्नशील नहीं है। उनका काम रह गया है सिर्फ हिन्दू समाज की भावनाओं को पौराणिक युग के कर्मकाण्डों में उलझा कर उनका आर्थिक शोषण करना। फिर भी हिन्दू धर्म में कम से कम एक बात तो है ही और वह है अनन्त सुधार की प्रक्रिया की स्वतंत्रता। यही बात इस्लाम में नहीं है। मजहब के मामले में मुसलमानों में अकल की जगह नकल की ही प्रधानता होती है और चूँकि इस्लाम का जीवन के अनेक क्षेत्रों में दखल है, इसलिए सामाजिक समरसता स्थापित करना लगभग असम्भव हैं। इसे सभी मुसलमान जानते हैं, लेकिन हिन्दू बिलकुल नहीं।

मुसलमानों की गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ेपन की बातें बहुत की जाती हैं। इसके लिए सुविधा की कमी और सरकारों द्वारा उपेक्षा का आरोप लगा कर विशेष मदद की माँग की जाती है। लेकिन मूल कारण दूसरा है जिसे प्रकाश में न आने देने की भी भरपूर चेष्टा की जाती है।

परिवार को सीमित रखने हेतु प्रचार अभियान मुस्लिम शिक्षित वर्ग द्वारा भी नहीं चलाया जाता। जनसंख्या बढ़ने से, पूँजी बँट कर थोड़ी–थोड़ी हो ही जायेगी। मजहबी भावना में सदा सराबोर रहने, इबादत और जेहाद की तैयारी और लड़ाई–झगड़ा

में लगे रहने से कमाने का समय कम ही बचता है। मुस्लिम युवकों को आज गौर से देखिये। हिन्दू मुहल्लों में, सार्वजनिक जगहों, स्कूलों, कॉलेजों, मंदिरों, बाजारों में गुंडई करते और हिन्दू लड़कियों को फँसाने के लिए डोरे डालने में व्यस्त देख सकते हैं। पूरे देश में यही हो रहा है। मुस्लिम समाज का यह धार्मिक कर्तव्य हो गया है कि हिन्दू लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा फँसाया जाय और वे वैसा कर भी रहे हैं। उनका कन्सेन्ट्रेशन कमाई में कम, मजहबी काम में ज्यादा है। तब आर्थिक कमजोरी तो आनी ही है। फिर भी, इस प्रकार के व्यवहार में किसी प्रबुद्ध या बुजुर्ग मुसलमान को टोका–टोकी करते नहीं देखा जाता। वास्तव में यह सब उनकी सहमति और निर्देश पर ही होता है। मुसलमानों द्वारा किसी अपराध, विस्फोट, नरसंहार की निन्दा नहीं की जाती। पाकिस्तान द्वारा खेलों में विजय मिलने पर बच्चे, युवा और वृद्ध सभी एक साथ जश्न मनाते हैं। बँगलादेश और पाकिस्तान से मुसलमान आते हैं और मुस्लिम बस्तियों में जगह पाते हैं। उन्हें न केवल आश्रय दिया जाता है वरन् सारी सुविधाओं सहित भारत में स्थाई नागरिकता की चोर दरवाजे से व्यवस्था कर दी जाती है। यह कार्रवाई देशद्रोह के समान है फिर भी की जाती है और इनकी चर्चा न हो इसकी पूरी व्यवस्था की जाती है। भारत में मुस्लिम समुदाय जनसंख्या विस्तार के हर उपाय में लगा हुआ है। सर्वाधिक शांत और बढ़िया उपाय ज्यादा बच्चे पैदा करना है। इसके द्वारा 20–25 वर्षों में वोट के माध्यम से ही इस्लामी सत्ता स्थापित हो सकती है।

प्रकृतिवश सामान्य लोग बचपन के संस्कारों और शिक्षाओं से निर्मित धारणा को आजीवन ढोते हैं। बचपन से ही बनी मजहब और उसके जेहाद की धारणा को आम मुसलमान त्याग नहीं सकता। संवेदनशील, मेधावी, मानवीय करुणा से अभिभूत और ज्ञानी मुस्लिम विद्वान, जेहाद की अमानवीय, घृणित, क्रूर, बर्बर और असभ्य कार्रवाई से द्रवित और बेचैन भले हो सकते हैं, लेकिन उसके विरुद्ध बोलने का साहस नहीं कर सकते। असगर अली इंजिनीयर साहब को अपनी बात कहने में कितना घुमाव–फिराव करना पड़ा है। हम मुस्लिम विद्वानों से आग्रह करेंगे कि वे अपना विचार हिन्दुओं के भविष्य के विषय में भी व्यक्त करें, जो मुस्लिम जेहाद की विध्वंसात्मक मार झेलते रहे हैं और जिन्हें आगे भी झेलना है । उनकी नियति क्या जेहाद की आग में जलकर भस्म होना ही है या उनके अस्तित्व के बचने की क्षीण संभावना भी नजर आती है। हिन्दुओं की अज्ञानता, आत्म केन्द्रीयता, स्वार्थपरता, सांगठनिक–असांगठनिक बिखराव, जाति–पाँत, ऊँच–नीच और छुआछूत जैसी कुरीतियों और रूढ़ियों के कारण अगर हिन्दू धर्म मिटता है तो परिणाम की भयानकता को इसी अंक में वर्णित विचारों में देखा जा सकता है।

अतिथि संपादक – असगर वजाहत की कलम से – ".....जरा कल्पना कीजिए कि मैं अरबी, इराकी, इरानी मुसलमान होता तो क्या होता ? क्या आदमी की सबसे बड़ी आवश्यकता आजादी वहाँ इतनी होती ?"

"इक्कीसवीं सदी के आरम्भ में इस्लाम" – असगर अली इंजिनीयर के शब्दों में".....इसके अलावा दकियानूस इस्लामी विचारक यह मानते हैं कि औरतों का असली कर्तव्य अपने बच्चे पालना, अपने मर्द की सेवा करना और घर की देखभाल करना है

(तदवीर अल मंजिल) और खासतौर पर इसी को आधार बना कर वे औरतों को यह इजाजत नहीं देते कि वे घर से बाहर निकलें और काम करें, लेकिन कुरान में ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है।"

".....उन्हें तब तक अकेले बाहर नहीं जाने दिया जाता, जब तक उसके साथ ऐसा पुरुष रिश्तेदार न हो, जिसके साथ विवाह के मामले में पाबंदी हो। कुवैत में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है। इससे औरतों की कमजोरी और बौद्धिक हीनता का नहीं, बल्कि सउदी और कुवैती समाजों के पिछड़ेपन का पता चलता है।"

".....अधिकांश इस्लामी देशों में सामंती इस्लाम कायम है और पुनर्विचार तथा इज्तिहाद के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। तर्क संगत विचार और ताजगी भरे दृष्टिकोण के लिए जनतांत्रिक खुलेपन तथा आजादी की संस्कृति की दरकार होती है। बदकिस्मती से आज इक्कीसवीं सदी के आरम्भ में भी शायद ही कोई ऐसा मुस्लिम देश हो, जो आजादी की संस्कृति का दावा कर सके। यहाँ तक कि आधिकारिक मुफ्तियों (न्यायविदों और विधि निर्माताओं) द्वारा इसे "वास्तविक इस्लाम" से विचलन कह कर इसकी निन्दा की जाती है। आज ऐसे अनेक मुद्दे पैदा हो रहे हैं, जिन पर आधुनिक दृष्टिकोण से सम्पन्न न्यायविदों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। शरीर के अंगों का प्रत्यारोपण, किराये के कोख वाली माँएँ (सरोगेट मदर्स), परखनली शिशु (टेस्ट ट्यूब बेबी) सुख मृत्यु, मानव क्लोनिंग आदि ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिसका कोई भी ईमानदार मुसलमान इस्लामी जबाब चाहता है। परंपरागत न्यायविद् इसे यांत्रिक तरीके से खारिज कर देते हैं। इनके साथ केवल टेक्नोलॉजी का ही नहीं, बल्कि नैतिकता का भी मुद्दा जुड़ा है, लेकिन इन सवालों का इस्लामी जबाब उन्हीं देशों में पाया जा सकता है, जहाँ आजादी की संस्कृति मौजूद हो। डाली नामक कृत्रिम भेंड़ के बनाये जाने के समय क्लोनिंग के सवाल पर जब बहस चल रही थी, तो सऊदी अरब के न्यायविदों ने इसके खिलाफ फतवा जारी करते हुए इसे अनैतिक बताया और कहा कि यह अल्लाह के क्षेत्र में दखल देना है, क्योंकि जीवों का एकमात्र निर्माता वही है। मैं यहाँ क्लोनिंग के पक्ष में दलील नहीं दे रहा हूँ बल्कि इस बात की ओर ध्यान दिला रहा हूँ कि दकियानूस लोग इस पर किस तरह सोचते हैं। ....हर नई टेक्नोलोजी की इस्लामी न्यायविदों ने कमोवेश भर्त्सना की।"

इस्लाम के इस चरित्र को उसके जन्म की परिस्थितियों, मानव-प्रकृति और मनोविज्ञान तथा उसकी शिक्षाओं और संस्कार विधियों पर ध्यान देने से सहज ही समझा जा सकता है। मदीना में इस्लाम विस्तार के समय कैसी कार्रवाई हो रही थी और आतंक का कैसा साम्राज्य था ? चारों ओर कत्लेआम चल रहा था। इस्लाम और मुहम्मद की पैगम्बरी पर संदेह और विरोध का मतलब था मौत। विरोधियों की एक एक कर हत्याएँ की जा रही थीं। इस्लाम नहीं मानने वालों को घेर-घेर कर कत्ल किया जा रहा था। उनका धन लूटा जा रहा था। उनकी औरतों को घसीट कर मुसलमानों के भोग का सामान बनाया जा रहा था। उनसे खुल्लम-खुल्ला बलात्कार हो रहा था। उनके बच्चों को गुलाम बना कर इस्लाम में बलात् ढकेला जा रहा था। उनकी आँखो के सामने आठ सौ यहूदियों को बाँध-बाँध कर कसाई की तरह वध

किया गया था। इन हत्याओं के प्रभाव से पूरा अरब थर्राया हुआ था। महत्वपूर्ण व्यक्ति मारे और अपमानित किये जा रहे थे। बूढों और महिलाओं को भी बख्शा नहीं जाता था। कवियित्री आसमा, सौ वर्षीय कवि अबू अफाक, कवि काब, अबू रफी, कवि नाजिर सहित अनेक लोगों की रोज-रोज हत्याएँ हो रही थीं। यहूदियों को मार-काट कर उनके घरों से निकाला जा रहा था। उनके सामान और घर--खेतों को मुसलमानों द्वारा हथियाया जा रहा था। इन्हें ही अल्लाह का हुक्म और इस्लामी फर्ज बताया जाता था। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। उस वातावरण की सहज ही कल्पना की जा सकती है। उसी वातावरण, यातना, अत्याचार, उत्पीड़न और आतंक के साये में लोग मुसलमान बन रहे थे। बच्चों के दिमाग पर इन्हीं दण्डों और मजहबी फर्जों का स्थाई प्रभाव पड़ रहा था। इसी वातावरण में बच्चे जवान हो रहे थे। उनको इस्लाम में दीक्षित कर, इन्हीं फर्जों को पूरा करने में लगाया जाता था। यही इस्लामी संस्कार पा कर मुसलमान, उसी तरीके से, और आगे इस्लाम विस्तार कर रहे थे। यह सिलसिला जो शुरू हुआ वह आजतक चला ही आ रहा है। उत्पीड़न, अत्याचार और आतंक के साये में बनने वाले संस्कार का प्रभाव बहुत स्थाई होता है जो कट्टरता का रूप ले लेता है। हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण, गुलामी, यातना, बलपूर्वक दूसरों को अपने उद्देश्य के लिए कुचलना, दूसरों की संस्कृतियों को मिटाना आदि की इस्लामी शिक्षाओं के प्रभाव से यह पुष्ट होता चलता है। आज भी पूरी दुनिया में उन्हीं शिक्षाओं और संस्कारों के कारण आतंक का बर्बर और घिनौना रूप चल रहा है। कोई इसे सर्वोच्च संस्कृति कहे तो उसकी मर्जी।

◆

6. इस्लाम, जेहाद और गैर मुसलमान

इस्लाम का जन्म सातवीं शताब्दी में अरब में हुआ था। इसके प्रवर्त्तक का नाम मुहम्मद था। सौर वर्ष के अनुसार इस्लाम को पैदा हुए चौदह सौ वर्ष पूरा होने में कुछ शेष है जबकि मुस्लिम हिजरी वर्ष, जो चाँद वर्ष भी कहलाता है, के अनुसार चौदह सौ वर्ष से कुछ अधिक हो चुका है। इस्लाम दुनिया भर में अपना पाँव पसार चुका है। विस्तार के आतंकवादी तरीके के कारण आज यह पूरी दुनिया के लिए एक समस्या बन चुका है।

इस्लाम को एक पूर्ण मजहब या जीवन पद्धति के रूप में जाना जाता है; क्योंकि जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में इसका दखल है।

इस्लाम के चार आधार स्तम्भ हैं – (1) कुर्आन (2) हदीस (3) हिदाया और (4) सिरत–अन–नबी। इन सभी के संयुक्त प्रावधानों से इस्लामी शरीयत (धर्म-विधान) बनता है। शरीयत ही मुस्लिम जीवन के लगभग सभी क्रिया–कलापों में मार्ग-दर्शन करता है। यह मुस्लिम समाज की हर गतिविधि को नियन्त्रित करता है।

(1) कुर्आन को आसमानी किताब, अल्लाह का पैगाम, कलाम पाक आदि नामों से जाना जाता है। मुसलमानों को विश्वास है कि अल्लाह का हुक्म (वह्य) मुहम्मद साहब पर उतरता था जिसे वे ज्यों का त्यों बोल कर प्रकट करते थे। ये संदेश कभी फिरिश्ते लाकर देते थे। इन्हें लिखकर रख लिया जाता था। उनके कुछ अनुयायी इन्हें रट भी लिया करते थे। इनका ही संग्रह कुरान ग्रन्थ के रूप तैयार हुआ, जो मुसलमानों के लिए सर्वाधिक पवित्र ग्रन्थ है।

(2) हदीस :– का शाब्दिक अर्थ होता है बातचीत (Speech, talk) परिभाषा में हदीस उसे कहते हैं जो अल्लाह के रसूल ने कहा या किया हो या जो कार्य उनके सामने हुआ और उसे रोका नहीं।

(3) हिदाया :– इसमें इस्लामी कानूनों और हदीसों का संग्रह है।

(4) सिरत–अन–नबी में मुहम्मद साहब का पूरा जीवन चरित्र है। उन्होंने अपने जीवन में जो आचरण अपनाया और जैसा व्यवहार किया वह सब मुसलमानों का अनुकरणीय विधान बना। उसके पालन को सुन्ना या सुन्नत कहते हैं। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। कोई एक ही प्रामाणिक पुस्तक इसे जानने हेतु नहीं है, बल्कि अनेक प्रचीन और आधुनिक लेखकों की रचनाएँ उपलब्ध हैं। अन्य स्रोतों से भी मुहम्मद साहब के पूरे जीवन की जानकारी मिलती है। इस्लाम को समझने के लिए उपर्युक्त सभी विषयों की जानकारी प्राप्त करना जरूरी होता है। व्यवहार की दृष्टि से मुहम्मद साहब का जीवन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

मुहम्मद साहब का जन्म अरब के मक्का नामक स्थान में कुरैश कबीले के बानू हाशिम वंश में 570 ई0 में हुआ था। उनके जन्म से पहले ही पिता "अब्द–अल्लाह" और जन्म के छह वर्ष बाद माता "आमना" का निधन हो गया। अब मुहम्मद की परवरिश दादा अब्द–अल–मुतालिब की देखरेख में होने लगी। जब मुहम्मद आठ वर्ष

के हुए दादा भी चल बसे। मरते समय दादा ने मुहम्मद की देखभाल की जिम्मेवारी चाचा अबू–तालिब को सौंप दी।

अबू–तालिब ने आजीवन अपनी जिम्मेदारी निभायी और मुहम्मद की देखभाल उचित तरीके से की। जब मुहम्मद किशोर हुए, चाचा अबू तालिब व्यापार के सिलसिले में उन्हें अपने साथ सीरिया ले गये। इस प्रकार पचीस वर्ष की अवस्था तक विभिन्न स्तर और विभिन्न प्रकार के कार्य करते हुए वे कुशल व्यक्तित्व के धनी बन गये। अबू–तालिब ने उन्हें खदीजा नाम की धनी महिला के यहाँ नौकरी पर लगा दिया। मुहम्मद के व्यापारिक अनुभवों को जान कर खदीजा ने उन्हें अपने व्यापारिक कार्य की जिम्मेवारी देकर सीरिया भेजा। सीरिया में सामनों को बेच कर और कुछ सामान खरीदने के बाद मुहम्मद अच्छी आमदनी के साथ मक्का वापस आये। मुहम्मद की योग्यता, ईमानदारी एवं सौन्दर्य ने चालीस वर्षीय, दो बार की विधवा और दो बच्चों की माँ, खदीजा का मन मोह लिया। उसने मुहम्मद का हाथ माँगा जिसे मुहम्मद ने स्वीकार कर लिया। खदीजा को सुन्दर आकर्षक और अपने से पन्द्रह वर्ष कम उम्र का नौजवान मिला और निर्धन मुहम्मद को धन का सहारा।

मुहम्मद कुछ समय के लिए हीरा पहाड़ की गुफा में निवास कर ध्यान वगैरह किया करते थे। कहा जाता है, वहीं उन्हें जिब्रील फिरिश्ता से सम्पर्क हुआ। जिब्रील ने उन्हें अल्लाह का दूत बनाये जाने की सूचना दी।

वे घर आये और खदीजा को घटना की जानकारी दी। खदीजा के सहयोग एवं समर्थन से मुहम्मद ने अपने पैगम्बरी दायित्व को आगे बढ़ाया। वे अपने मित्र और सहयोगी अबू–बक्र सिद्दीक के साथ मिल कर अपने नये मजहब इस्लाम में कुछ लोगों को शामिल करने और गुप्त तरीके से नमाज पढाने का काम करने लगे। उन्होंने बड़ी सूझ–बूझ से अपना मजहब गुप्त तरीके से शुरू किया। आरम्भ में इसमें समाज के उपेक्षित लोग ही शामिल हुए। कुछ गुलामों को आजाद कराकर, कुछ जरूरत मंदों को कर्ज और आर्थिक सहायता देकर, कुछ परिवार के निकलुओं को भोजन देकर, कुछ सरोकारी, कुछ रिश्तेदारों आदि को अपने साथ लेकर मुहम्मद ने अपने गुप्त मजहब को बढ़ाना जारी रखा। उन्हें पहले से ही भय था कि मूर्तिपूजा का सार्वजनिक विरोध करने पर उनके विरुद्ध लोगों की तीव्र प्रतिक्रिया होगी।

मक्का में काबा का प्रसिद्ध देवालय था। यह पूरे अरब में प्रसिद्ध था। इसमें देव–देवियों की 360 मूर्तियाँ थीं। पूरे अरब से साल में एक या दो बार लोग तीर्थ करने मक्का आते थे। मक्का के आसपास और भी देवालय थे। तीर्थ यात्रा के समय वहाँ मेला लगता था। काबा की प्रसिद्धि के कारण पूरे अरब में मक्का वासियों को सम्मान मिलता था। मक्का के लोगों की आमदनी का मुख्य आधार व्यापार और काबा से प्राप्त आमदनी थी।

मुहम्मद के मजहब का मूल सिद्धांत था कि अल्लाह अकेला है। वही सृष्टिकर्ता है। वह सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता है। सातवें आसमान पर उसका अर्श (सिंहासन) है। वह वहिश्त और दोजख का मालिक है। उसकी आज्ञा से फिरिश्ते सभी कार्य करते हैं। सृष्टि का संचालन उसकी ही मर्जी से होता है। वही एक मात्र माबूद

(पूज्य) है। उसके साथ पूजा में और किसी को शरीक करना गुनाह है। मूर्तियों को पूजना अल्लाह के सामने अपराध है। इसके अलावा मजहब के स्थाई नियम बनाये। ये थे कलमा, नमाज, रोजा, जकात और हज जो आज भी जारी हैं। कलमा में यह शपथ लेना है कि अल्लाह से बढ़कर दूसरा कोई पूज्य नहीं है और मुहम्मद उसके रसूल हैं। "लाइलाह–इल–अल्लाह– मुहम्मदुर्रसूल अल्लाह"। प्रतिदिन पाँच बार नमाज पढना, साल में एक माह का रोजा रखना, आमदनी का कुछ भाग जकात के नाम से दान देना और साल में एक बार मक्का में हज करना, मजहब के फर्ज निश्चित किये गये।

जब मुहम्मद के पास लगभग चालीस–पचास अनुशासित और आज्ञाकारी अनुयायियों की संख्या हो गई तब उन्होंने अपने नबी होने का और अपने मजहब का खुला एलान किया। इनकी मजहबी योजना की जानकारी मक्कावासियों को पहले ही हो चुकी थी और लोग इन पर क्रुद्ध थे। जब काबा के प्रांगण में मुहम्मद ने पहली बार मूर्तिपूजा को कुफ्र कहा और स्वंय को अल्लाह का रसूल, तो लोगों की उत्तेजित भीड मुहम्मद पर टूट पड़ी। मुहम्मद को बचाने में उनका सौतेला पुत्र मारा गया जो इस्लाम का पहला शहीद बना। मुहम्मद द्वारा मजहब का प्रचार कार्य और मक्कावासियों द्वारा उनका विरोध जारी रहा। यह तनाव इतना बढ़ा कि मुहम्मद को अपने साथियों सहित मक्का छोडकर मदीना भागना पड़ा।

मक्का के अपने जीवन काल में मुहम्मद को लोग नेक और ईमानदार इंसान समझते थे। उनका विरोध उनके मजहब के मूल सिद्धांत, मूर्तिपूजा का विरोध और स्वंय को अल्लाह का रसूल घोषित करने के बाद ही शुरू हुआ था। मक्का और सीरिया के बीच में मदीना एक यहूदी बहुल शहर था। वहाँ मूर्तिपूजक कबीलों की संख्या भी बहुत थी। उनमें आपस में बहुत दिनों से लड़ाई–झगड़ा का माहौल था। मुहम्मद द्वारा अल्लाह के पैगम्बर होने की घोषणा और मक्का में उथल–पुथल के समाचार के बाद मदीना के कुछ लोगों में उत्सुकता पैदा हुई और उन्होंने उनको अपने यहाँ सादर आमंत्रित किया। मदीना में अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त होने तथा मदीना वालों को अपने मजहब की जानकारी देने के उद्देश्य से मुहम्मद ने मुसाब नाम के अपने अनुयायी को पहले मदीना भेजा। वहाँ अनेक लोगों ने मुसाब के जाने के बाद इस्लाम स्वीकार कर लिया और मुहम्मद के आने की गर्मजोशी से इंतजार करने लगे। मुहम्मद के वहाँ जाने के बाद इसमें और तेजी आई। पर यहूदियों और अनेक मूर्तिपूजक लोगों ने अपना धर्म नहीं बदला और इस्लाम का विरोध किया। उसके बाद मुहम्मद में भारी परिवर्तन आया। अब वे मजहब के प्रचार के लिए शास्त्रार्थ की जगह युद्ध और कूटनीति, संगठन और फूट द्वारा समूहों की हत्या, निष्कासन, लूट, व्यभिचार के सभी दुष्कृत्यों का सहारा लेकर अपना आधिपत्य स्थापित करने में लग गये। उन्होंने मक्का के अपने अनुयायी मुसलमानों और मदीना के अनुयायियों को मिला कर सैन्यबल का गठन कर लिया और मक्का के व्यापारिक कारवाँओं की लूट के लिए छापामारी का सिलसिला जारी किया। मदीना में जो कोई उनका विरोध करता या उनके विरुद्ध कोई टिप्पणी तक करता, उसकी हत्या षड्यन्त्र द्वारा करा दी जाती थी।

इस प्रकार अपने सहयोगियों और विरोधियों, सबके ऊपर आतंक का ऐसा साम्राज्य स्थापित किया कि मुहम्मद के विरुद्ध एक शब्द भी बोलना अपनी हत्या को आमंत्रित करना हो गया। बिखरे हुए लोगों में कुछ को मिला कर कुछ का समूल नाश कराना मुहम्मद की नीति बन गई।

मदीना में षड्यन्त्र द्वारा जिन विरोधियों की हत्याएँ की गईं, उनमें आसमा नाम की एक कवियित्री भी थी। उसने मुहम्मद की बढती शक्ति, क्रूरता और आतंक के तरीके की भर्त्सना की थी। अपनी कविता में उसने अपने लोगों को धिक्कारा था और मुहम्मद के विरुद्ध लोगों को ललकारा भी था। मुहम्मद ने उसे अपने लिए खतरा समझ कर उसकी हत्या करा दी। जब रात में वह सोई हुई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी कि हत्यारे ने उसके सीने में कटार भोंक दी। (Life of Mahomet /Sir William Muir/Page 239) दूसरे विरोधी, सौ वर्ष से भी अधिक उम्र के यहूदी कवि अबू अफाक की हत्या उस समय की गई जब वह अपने आँगन में बाहर सो रहे थे। उन्होंने भी मुहम्मद के विरुद्ध तुकबन्दी की थी।

(Life of Mahomet/Sir William Muir/Page 240)

कवि काब इब्न अशरफ को भी मुहम्मद बर्दाश्त नहीं कर सके और जुलाई 624 ई0 में उसकी हत्या की योजना बना डाली। हत्यारों के साथ कुछ दूर तक मुहम्मद स्वयं भी गये। षड्यंत्र के अनुसार काब के घर जाकर हत्यारों ने उनको मुहम्मद के विरोध में बैठक में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया। पत्नी के मना करने के बाद भी काब उनके साथ चल दिये। चाँदनी रात थी। कुछ दूर ले जाकर काब का कत्ल कर दिया गया। फिर 'अल्लाह–ओ–अकबर' की तकबीर ऊँची आवाज में बोलते हुए हत्यारे चले गये, ताकि उनके आका के कानों में आवाज पहुँच जाय और उनका कलेजा काब की हत्या की खुशी में शीघ्र ठंडा हो जाय।

(Life of Mahomet/Sir William Muir/Page 248)

इन हत्याओं के विरुद्ध सक्रिय प्रतिरोध के अभाव ने, मुहम्मद को और उत्साहित किया और उन्होंने अपने अनुयायियों को आज्ञा दे दी कि विरोधियों को जहाँ पाओ वहीं उनकी हत्या कर डालो। उसके बाद इब्न सुनैना नाम के यहूदी व्यापारी की हत्या मुहीसा नामक व्यक्ति द्वारा कर दी गई। यह काब की हत्या के तुरंत बाद की घटना है। (Life of Mahomet/Sir William Muir/Page 249)

मार्च 626 ई0 में बानू कुरैजा कबीले के 800 यहूदियों की उनकी गिरफ्तारी के बाद, बाँध कर, बारी–बारी से कसाई की तरह हत्या की गई। उन्होंने कुरैश आक्रमण के समय मुहम्मद का साथ नहीं दिया था। कुरैश सैनिकों से उनकी मिली भगत का आरोप लगाकर उनकी हत्या की गई। उनकी सम्पत्ति और औरतों–बच्चों को मुसलमानों में बाँट दिया गया।

उसके पहले बानू नाजिर कबीला के यहूदियों को मदीना छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया गया था। बिना युद्ध के ही उनके निष्कासन के कारण जो भी उनका छूटा हुआ सामान हाथ लगा, सब मुहम्मद के हिस्से में गया। यदि उनसे लड़ाई हुई होती तो उनके माल का चार भाग मुसलमानों और एक भाग ही मुहम्मद को मिलता।

कैनुका कबीला के यहूदियों को भी जो मालदार थे और मदीना के अर्थ तंत्र पर जिनका अधिकार था, मर्दीना छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा था। मदीना के मुख्य बाजार के मालिक वही थे। उनकी अपार दौलत से मुसलमान देखते–देखते धनी बन गये।

दिसम्बर 627 ई0 में खैबर में पाँच मुसलमान हत्यारों ने मुहम्मद के निर्देश पर अबू रफी नाम के यहूदी की सोये में ही हत्या कर दी। पाँचों हत्यारे हत्या के बाद आपस में इस विवाद में उलझे थे कि किसकी तलवार की चोट अधिक प्रभावी थी जिससे अबू रफी की मौत हुई। मुहम्मद ने सबके तलवार का निरीक्षण किया। अब्द अल्लाह की तलवार में अन्न कण लगा पाया गया जिससे यह निष्कर्ष निकला कि पेट पर वार के कारण उसके अधपचे अन्न कण तलवार में सट गये हैं। मुहम्मद ने अब्द–अल्लाह को ही उसकी हत्या का श्रेय दिया और धन्यवाद भी।

(Life of Mahomet/Sir William Muir/Page348)

जनवरी 628 ई0 में खैबर के वसीर नामक यहूदी की छल से हत्या कराने के लिए मुहम्मद ने इब्न रवाहा को उपाय तलाशने के लिए खैबर भेजा। खैबर से लौटते समय रवाहा के दिमाग में एक उपाय सूझा। उसने मुहम्मद को बताया। मुहम्मद को योजना जँच गई। उसके अनुसार मुहम्मद ने तुरंत 30 आदमियों को पुनः खैबर भेजा। उनलोगों ने यहूदी प्रमुख वसीर को मदीना चलने के लिए आमन्त्रित किया और कहा कि पैगम्बर मुहम्मद उन्हें खैबर का शासक बनाना चाहते हैं। वह इस धोखा को भाँप नहीं सका और अपने तीस आदमियों के साथ उनके साथ ही चल दिया। प्रत्येक ऊँट पर एक मदीनी के पीछे एक यहूदी को बैठा लिया गया। जब कारवाँ खैबर से बहुत दूर निकल गया तो मुसलमानों ने तलवार खींच ली और सभी निहत्थे यहूदियों की हत्या कर दी । सिर्फ एक आदमी बच कर भाग निकला था। मुहम्मद ने अनुयायियों को धन्यवाद देते हुए कहा, "अल्लाह ने बुरे लोगों को दुनिया से हटा दिया।"

(Life of Mahomet/Sir William Muir/Page 349)

खैबर के किनाना नाम के यहूदी सरदार को सितम्बर 628 में तड़पा–तड़पा कर मारा गया। उसे बाँध कर उसके सीने पर आग के अंगारे डाल दिये गये। वह तब तक आग से जलते हुए तड़पता रहा जबतक कि उसके प्राण नहीं छूट गये। क्रूरता के इस हद तक उसे सताने का कारण छिपा कर रखे गये उसके धन का पता लगाना था जिसकी बहुत ख्याति थी। उसके बाद किनाना की औरत को लाने के लिए बिलाल को भेजा गया। उसकी पत्नी, साफिया नाम की 17 वर्षीय युवती के सौंदर्य की ख्याति पूरे मदीना में थी। उसे अपनी चचेरी बहन के साथ बिलाल उस स्थान से होते हुए मुहम्मद के पास ले गया, जहाँ किनाना और उसके चचेरे भाई की क्षत–विक्षत लाशें बिखरी हुई थीं। यह देखकर वे दहाड़ मार कर रोने लगीं। उधर से लाने के कारण मुहम्मद ने बिलाल को बहुत डाँटा। फिर भी साठ वर्षीय मुहम्मद ने साफिया के सौंदर्य के आकर्षण के वशीभूत उसे अपना बनाने के संकेत के तौर पर अपना चादर उसके ऊपर डाल दिया। मुहम्मद का एक अनुयायी साफिया पर अति मोहित

हो गया पर उसे उसकी चचेरी बहन से ही संतोष करना पड़ा। अति कामुकता के वशीभूत मुहम्मद ने उसी रात साफिया को हमबिस्तर बनाया। ऐसा करके मुहम्मद ने अपने ही पूर्व आदेश का उल्लंघन किया जिसके अनुसार, कब्जे में लायी गई औरतों से सम्भोग के लिए उसके अगले मासिक धर्म तक इंतजार करने का मुसलमानों को आदेश था।

(Life of Mahomet/Sir William Muir/Page 376-77)

बद्र की लडाई में एक और कवि अल नाजिर इब्न हरीथ, जो गिरफ्तार कर लिया गया था, की बद्र से मदीना जाने के रास्ते में ही हत्या कर दी गयी थी। मक्का में एक समय मुहम्मद की चुनौती स्वीकार कर उसने कुरान जैसी आयतें बना कर सुना दिया था। मुहम्मद के अभियान के लिए वह भारी खतरा प्रतीत हुआ, इसलिए गिरफ्तार कर अन्य कैदियों की तरह धन लेकर छोड़ने का लाभ उसे देने का विचार ही नहीं किया जा सकता था। उसकी मृत्यु पर उसकी बेटी या बहन ने जो मर्सिया (शोकगीत) गाया वह इतना भाव पूर्ण था कि उसे सुन कर एक बार मुहम्मद की आँखों से भी आँसू आ गये। उसके परिवार में बेजोड़ कवि प्रतिभा थी। मामूली बात के लिए विद्वान कवि और वीर योद्धा की कैद कर नृशंस हत्या के लिए उसने मुहम्मद को हृदयहीन, क्रूर एवं बर्बर चरित्र कहकर धिक्कारा था। (जहू–अल–अदाब, 28)

(D.S. Margoliauth—Mohammed And The Rise of Islam, Page 268)

अपने विरोधियों की छोटी–छोटी बातों पर हत्या करा कर मुहम्मद ने जिस आतंक को कायम किया, उसके कारण और कुछ लूट के माल के लोभ में मदीना के लोग धडाधड इस्लाम में शामिल होने लगे। लूट का धन और लूट की औरतों का युवाओं में इतना आकर्षण था कि वे बिना बुलाये ही इस्लाम में शामिल होने और छापामारी में जाने लगे। हुदैविया के जंग में, जहाँ लूट के माल की आशा नहीं थी, कुछ लोग नहीं गये थे। इसलिए उनको यहूदी बस्ती 'खैबर' की लूट में शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई, जहाँ यहूदियों से बड़े पैमाने पर उनका धन और उनकी औरतें, लूट के माल के रूप में मिलने वाली थीं।

"जब तुम खैबर में गनीमत (लूट) का माल लेने जाने लगोगे तो जो लोग (हुदैविया के सफर से) पीछे रह गये थे, कहेंगे कि हमको भी अपने साथ चलने दो। इनका मतलब यह है कि अल्लाह के कहे हुए को बदल दें। ऐ पैगम्बर इन लोगों से कह दो कि तुम हमारे साथ (जंगे खैबर में) न चलने पावोगे कि अल्लाह ने पहले ही ऐसा कह दिया है। यह सुन कर फिर कहेंगे कि नहीं, बल्कि तुम डाह रखते हो (और हमें माले गनीमत के फायदे से अलग रखना चाहते हो), कुछ नहीं यह लोग कम समझ रखते हैं।" (कुरान 48: 15)

मक्का से जिस वर्ष मुहम्मद भाग कर मदीना आये थे उसी साल से हिजरी वर्ष की शुरुआत हुई थी। मदीना पहुँचने पर लगातार अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने और व्यापारिक कारवाँओं को लूटने के लिए छापामारी का जो सिलसिला प्रारम्भ किया उसका तालिकाबद्ध विवरण इस प्रकार है :–

क्रं0सं0	युद्धकाल	विरोधी	मुस्लिमों का संख्या
01.	दिस0 622 ई0 (हिजरी 1)	व्यवसाई कारवाँ (रक्षक 300)	30 (सब शरणार्थी) मोहम्मद के चाचा हमजा के नेतृत्व में।

मदीना पहुँचने के केवल 7 मास बाद यह छापा मारा गया। अबू जहल के नेतृत्व में व्यावसायिक कारवाँ था। बेनीजुहैना के प्रधान के हस्तक्षेप के कारण, छापा नहीं पड़ा।

02.	जन0 623 ई0 (हिजरी 1)	व्यवसाई कारवाँ (200 रक्षक) अबू सुफियान के नेतृत्व मे	लगभग 60 शरणार्थी

कारवाँ व्यावसायिक था और मोहम्मद के चाचा जाद भाई उबैद के नेतृत्व में था। रक्षक बल की तुलना में अपने को कमजोर पाकर वे दूर से ही तीर छोड़कर भाग निकले।

03.	फर0 623 ई0 (हिजरी 1)	अज्ञात	20, साद के नेतृत्व में

इस छापे में मक्का से आये हुए शरणार्थियों के साथ मदीना निवासी भी शामिल हो गये थे, यद्यपि उन्होंने केवल मुहम्मद साहब की वैयक्तिक सुरक्षा की सौगंध ली थी। आक्रामक युद्ध में उनका साथ देने की शपथ नहीं ली थी। करवाँ पहले ही जा चुका था। छापा असफल रहा।

04.	जून 623 ई0 (हिजरी 2)	अज्ञात कारवाँ पहले ही जा चुका था	अज्ञात
05.	जुलाई 623 ई0 (हिजरी 2)	100 रक्षक	200

अब मोहम्मद साहब की ओर से लड़ने वालों में काफी सख्या में मदीना निवासी भी शामिल थे। म्योर साहब के अनुसार लूट के लोभ में अनेक मदीना निवासी जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, मुसलमान होकर मोहम्मद साहब की ओर से युद्ध में शामिल हो गये। (पृ0 207)

06.	अक्टूबर 623 (हिजरी 2) ओसैरा के पास	अबू सुफियान के नेतृत्व में बहुत बड़ा सीरिया जाने वाला बहुमूल्य कारवाँ	मोहम्मद साहब के नेतृत्व में 100–150 छापामार जिसमें 30 ऊँट भी थे। वे बारी बारी से उनपर सवारी करते थे

कारवाँ पहले ही निकल चुका था परन्तु यहाँ पर मोहम्मद साहब ने कई स्थानीय कबीलों से जो मक्का के प्रभाव में थे संधि कर ली कि वह युद्ध में कुरैश का साथ नहीं देंगे। यही कारवाँ जब सीरिया से वापस हुआ, मोहम्मद ने पुनः धावा बोला और बद्र की लड़ाई हुई।

07.	नवम्बर 623 ई0 (हिजरी 2)	व्यवसायी कारवाँ, केवल चार रक्षक, इब्न जहस के नेतृत्व में	अब्दुल्ला के नेतृत्व में, छः छापामार

पहली बार सफलता हाथ लगी। चार रक्षकों में एक की हत्या कर दी गई। एक भाग गया। दो को गिरफ्तार कर कारवाँ के सभी सामान के साथ मदीना लाया गया।

यह छापामारी पवित्र महीने में हुई थी। अरब की परम्परा के अनुसार साल में चार पवित्र महीनों की मान्यता थी जिसमें मार–काट, लूट–पाट आदि वर्जित था। इसलिए सिर्फ चार रक्षकों के साथ ही सुरक्षित महीना जान कर कारवाँ जा रहा था।

इधर बार–बार असफलता से मोहम्मद का असंतोष इतना बढ गया कि उन्होंने पवित्र महीनों की भी परवाह नहीं की बल्कि इसमें सफलता को सुनिश्चित समझ कर परम्परा को भंग कर डाला। इससे परम्परा से बँधे मुसलमान, जो अब तक नई इस्लामी संस्कृति के अभ्यस्त नहीं हुए थे इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। तब उनको संतुष्ट करने के लिए तुरंत अल्लाह का संदेश अवतरित हो गया "वे तुमसे पवित्र महीनों में युद्ध के बारे में पूछते हैं ? कह दो, उसमें युद्ध बहुत बुरा है, परन्तु अल्लाह के मार्ग से रोकना, उसका कुफ्र करना, काबा से रोकना और उसके लोगों को उससे निकालना अल्लाह की दृष्टि में इससे भी बढ़ कर बुरा है; और मूर्तिपूजा रक्तपात से भी बढ़कर है। (कुरान 2 : 217)

08.	जनवरी 624 ई0 (हि02)	950	(700 ऊँट और 100 घुड़सवार शामिल)	315 या 313

बदर का युद्ध

युद्ध में मुसलमानों की पूर्ण विजय हुई। विरोधियों में से 49 व्यक्ति मारे गये और 45 बन्दी बना लिये गये। मुसलमानों में कुल 14 व्यक्ति मारे गये। बाद में बंदियों को फिरौती लेकर छोड़ दिया गया।

(Life of Mahomet/Sir William Muir/Page 206-07,226)

इन प्रारम्भिक युद्धों के बाद भी युद्ध का सिलसिला चलता रहा। मुहम्मद के जीवन काल में काफिरों के साथ लगभग बयासी युद्ध लड़े गये, जिनमें छब्बीस का नेतृत्व उन्होंने स्वंय किया था। दो–चार युद्धों को छोड़कर लगभग सभी युद्ध मुसलमानों द्वारा किसी न किसी बहाने किये गये एक तरफा आक्रामक युद्ध थे।

मोहम्मद साहब के जीवन और चरित्र को इस्लाम का स्थाई अनुकरणीय विधान माना जाता है। उनके जीवन की इन घटनाओं के अलावा उनके विचार और आचरण से संबंधित सभी बातें हदीसों में संग्रहीत हैं। ऊपर वर्णित युद्धों और उनके द्वारा छल से कराई गई हत्याओं के कारण और तरीकों का पालन करना भी इस्लामी सुन्नत का भाग है जिसका मुसलमान बड़ी श्रद्धा से अनुकरण करते हैं। मुसलमान के अमल की प्राथमिकता से संबंधित एक हदीस है --

"हजरत अबू हुरैरह रजि0 से रिवायत है कि (एक बार) रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा अमल सब से अच्छा है। फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। यह पूछा गया कि इसके बाद (कौन सा अफजल अमल है) फर्माया, खुदा की राह में जिहाद करना। अर्ज किया गया, फिर (कौन सा अमल बेहतर है), फर्माया मकबूल हज।"

(ह0 सं0–23 : हिन्दी, बुखारी शरीफ पृष्ठ 27, नाज पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली–6)

उपर्युक्त हदीस के अनुसार मुसलमान के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने के बाद सबसे अच्छा अमल खुदा की राह में जिहाद करना है। यह जानी हुई बात है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने के बाद ही कोई मुसलमान बनता है। इसलिए किसी मुसलमान के लिए प्रथम और सबसे उत्तम कर्म अल्लाह की राह में जेहाद ही है। जेहाद के बाद हज है। जेहाद द्वारा गैर

मुसलमानों से लूट का माल और हज द्वारा मुसलमानों से उनकी कमाई का एक हिस्सा, सारी दुनिया से अरब पहुँचाने की व्यवस्था, मुहम्मद की विलक्षण बुद्धि का ही कमाल था। उसके बाद कलमा, नमाज, रोजा, जकात आदि के नियमित अभ्यास से उन्हें मजहब से दृढ़ता पूर्वक बाँधे रखने की व्यवस्था की गयी है। यही वह व्यवस्था है जिसके कारण दुनिया भर में मुसलमान मजहब के असली उद्देश्य से बेखबर होकर और अपनी मातृभूमि और संस्कृति से विमुख हो कर अरब के गुणगान में लगे रहते हैं। जेहाद क्या है, जो मुसलमानों का सबसे महत्वपूर्ण मजहबी फर्ज है और इससे गैर मुसलमानों के साथ उनके संबंधों पर क्या असर होता है; इस लेख का मुख्य विषय है।

मुहम्मद ने चालीस वर्ष की अवस्था में घोषण की थी कि अल्लाह ने उन्हें अपना पैगम्बर बनाया है। पैगम्बर को नबी या रसूल भी कहते हैं। उनके मजहब में जिन लोगों ने ईमान लाया (विश्वास किया) उनको मुसलमान, मोमिन, ईमानवाला आदि कहा गया। जिन लोगों ने ईमान नहीं लाया उन्हें काफिर (इनकारी) कहा गया। मूर्तियों को पूजने को शिर्क करना या कुफ्र करना और मूर्तिपूजकों को मुश्रिक या काफिर कहा गया।

इस्लाम मानने वालों के लिए अल्लाह; अल्लाह के रसूल, कुरान, फिरिश्तों, कयामत (आखिरत), वहिश्त (जन्नत), दोजख आदि में ईमान लाना और सर्वोच्च फर्ज जेहाद के बाद कलमा, नमाज, रोजा, जकात और हज का पालन करना आवश्यक होता है।

मुस्लिम मान्यता के अनुसार अल्लाह का वह्य (संदेश) मुहम्मद साहब को प्राप्त होता था जो कुरान के रूप में संग्रहीत है। कुरान के हुक्म के अनुसार चलना हर मुसलमान का फर्ज है। अल्लाह के रसूल के बाद मोमिनों का यह कर्तव्य है कि कुरान के रूप में प्राप्त अल्लाह की रोशनी या सच्चे धर्म को सभी मनुष्यों को बतावें। अल्लाह के सच्चे दीन के अवतरित होने से पहले दुनिया में जाहीलियत का अंधकार छाया हुआ था। जिन लोगों ने इसमें ईमान लाया वे अल्लाह के सत्यधर्म पर चलने वाले अल्लाह की पार्टी के लोग हुए और जिन लोगों ने इनकार किया वे शैतान के भ्रमित करने से जाहीलियत के अंधकार में ही पड़े रह गये। यही लोग शैतान की पार्टी वाले हैं। इस प्रकार इस्लाम के अनुसार, मुसलमान अल्लाह की पार्टी वाले और दुनिया भर के सभी गैर मुसलमान (काफिर) शैतान की पार्टी वाले हुए।

.....यह (गैर मुस्लिम) शैतान की पार्टी है। सुन लो शैतान की पार्टी ही घाटा उठाने वाली है। (कु0, 58 : 19)

.....ये (मुसलमान) अल्लाह की पार्टी है। सुन लो अल्लाह की पार्टी ही सफलता पाने वाली है। (कु0, 58 : 22)

जो लोग ईमान लाये और जेहाद किया वे ही सच्चे मुसलमान हैं और वहिश्त के वे ही अधिकारी हैं और काफिर जिन्होंने अल्लाह के दीन से इनकार किया, दोजख के भागी हैं।

धरती अल्लाह, अल्लाह के रसूल और अल्लाह की पार्टी वालों की है। काफिरों ने इस पर अवैध कब्जा जमा लिया है। हर मुसलमान का फर्ज है कि वह

जेहाद में शामिल होकर शैतान की पार्टी वाले काफिरों से लड़े और धरती को उनसे छीन कर दारुल इस्लाम बनावे, जहाँ अल्लाह के कानून शरीयत द्वारा शासन हो सके और इस शासन के बल से काफिरों को कुफ्र से मुक्त करा कर सत्य धर्म इस्लाम में शामिल किया जा सके। मुसलमानों के लिए स्थायी युद्ध (जेहाद) में शामिल होने का आह्वान करते हुए पैगम्बर मोहम्मद ने घोषणा की, "मुझे लोगों से तब तक युद्ध करते रहने का (अल्लाह से) आदेश मिला है जब तक कि वह यह सत्यापित न करने लगें कि अल्लाह के अतिरिक्त दूसरा कोई उपास्य नहीं है और मुझमें अल्लाह का रसूल (संदेश वाहक) होने के नाते और उस सब में जो मेरे द्वारा लाया गया है विश्वास न करने लग जायें। (हदीस सं0 31 : सहीह मुस्लिम)

जेहाद, मुसलमानों के लिए अल्लाह का निर्दिष्ट विधान है। हिन्दू समाज में जेहाद का अर्थ धर्म युद्ध समझा जाता है। हिन्दू अपने संस्कारों के कारण समझते हैं कि धर्मयुद्ध वह युद्ध है जो अन्याय और अधर्म के मार्ग पर चलने वाले अत्याचारी के विरुद्ध लड़ा जाता है। हर न्यायी और धर्मनिष्ठ व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अन्याय और अधर्म के विरुद्ध युद्ध करे। यहाँ धर्म का अर्थ, मानव कल्याण और मानव प्रेम है जो मानवीयता के पर्याय हैं न कि मजहब, रिलीजन या सम्प्रदाय के। यह सशस्त्र युद्ध है जिसे अन्यायी को दण्ड देने और उसे मिटा डालने के लिए लड़ा जाता है। महाभारत को धर्म युद्ध इसलिए कहा गया कि कौरवों के अन्याय और अधर्म के विरुद्ध पाण्डवों ने युद्ध किया। भगवान श्रीकृष्ण ने पाण्डवों को इस युद्ध के लिए तैयार किया था, जो युद्ध के परिणाम स्वरूप वंशनाश की सम्भावना से चिन्तित थे। उन्हें समझाया गया कि वंश तो पैदा होते हैं और मिट जाते हैं पर धर्म मिट गया तो मानवता का ही नाश हो जायेगा। इसलिए उन्होंने अर्जुन को इस धर्म युद्ध के लिए प्रेरित किया।

फिर साधना के क्षेत्र में, मानव के अंदर की दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध आन्तरिक संघर्ष को भी वे धर्म युद्ध समझते हैं जिसके कारण मनुष्य दानवी और आसुरी मनोवृत्तियों से ऊपर उठ कर दैवी सद्वृत्तियों से सम्पन्न होता है। अनेक मुस्लिम विद्वान भी जेहाद को यही अर्थ प्रदान करने का छद्म प्रयास करते हैं।

धर्मयुद्ध का एक अन्य अर्थ, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं के विरुद्ध लड़ते हुए धर्मशास्त्रों में वर्णित युद्ध के नियमों का पालन करना भी है। जैसे निःशस्त्र से युद्ध नहीं करना। शरणागत पर वार नहीं करना। असावधान सैनिकों के शिविरों पर धोखा से आक्रमण नहीं करना। पराजितों की नारियों, उनके धर्माचार्यों और उनके धर्मस्थलों को अपवित्र नहीं करना। प्राण–रक्षा के लिए भागे हुए शत्रु का वध नहीं करना आदि। इस्लाम पूर्व अरब में भी न्यूनाधिक यह भावना विद्यमान थी।

इस्लामी जेहाद का वास्तविक अर्थ ऊपर वर्णित सारे मान्यताओं के ठीक विपरीत है। हिन्दू धर्मयुद्ध की तरह अन्याय और अधर्म के विरुद्ध किसी से भी, युद्ध करना नहीं; बल्कि जेहाद का अर्थ है एक मजहबी समुदाय के लोगों (मुसलमानों) द्वारा निर्दोष, धर्म–प्रिय, संत, कल्याणकारी, सच्चरित्र और न्यायी समुदाय के लोगों से भी अकारण युद्ध करना जो उनके मजहबी मत को नहीं मानते। वे सभी गैर–मुस्लिम

(काफिर) अल्लाह के सच्चे दीन से विमुख, शिर्क और कुफ्र के अपराधी हैं। उनको पराजित कर सत्ता अपने हाथ में लेना, और उस भूखण्ड में, जहाँ वह रहते हैं; इस्लामी सत्ता स्थापित कर अल्लाह का कानून, शरीयत, लागू करना, हर मुसलमान का फर्ज है। फिर सत्ता की ताकत से काफिरों को जलील कर इस्लाम मानने के लिए विवश करना। अपने अनुयायियों में हिंसा, लूट और नारियों से बलात्कार की निम्न मनोवृत्तियों को उभाड़ कर भड़काना और लड़ाई द्वारा काफिरों का संहार कर धर्मान्तरित कराना, यही इस्लाम का तरीका और मुख्य उद्देश्य है।

एक हदीस है – "हजरत अबू हुरैरह रजि0 कहते हैं कि हुजूर नबी अक्रम सल्ल0 ने लडाई का नाम खुदअः (धोखेबाजी) रखा है।"

(ह0स0 1213 पृ0 327 बुखारी शरीफ हिन्दी)

जेहाद, जो मुसलमानों का सर्वोच्च मजहबी कर्तव्य है, गैर–मुसलमानों से हथियारबंद युद्ध ही होता है। अल्लाह के रसूल का मुसलमानों के लिए सर्व कालिक संदेश और आदेश है कि लड़ाई को धोखाबाजी जानें। समय के साथ युद्ध–कौशल और रणनीति का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। मात्र सीधे सशस्त्र संघर्ष की जगह शत्रु की पराजय के लिए आज अनेक तरीके विकसित हो गये हैं। अल्लाह के रसूल ने छल–कपट या धोखाबाजी से एक–एक कर अपने छोटे मोटे विरोधियों की भी हत्या कराई। यही वह सुन्नते रसूलुल्लाह है जिसका पालन करना हर मुसलमान का कर्तव्य है और जिसके अनुसार मुसलमान को काफिरों से कभी सच्चाई से व्यवहार नहीं करना है। अगर कोई मुसलमान काफिरों से सच्चाई से पेश आता है तो वह भी कुफ्र का दोषी होता है। सार्वजनिक जीवन में मुसलमान काफिरों के प्रति वहीं तक सच्चे रह सकते हैं जहाँ तक उनका अपना लाभ एवं लाचारी है। इसे ही अनुभव कर परम पूज्य महान गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज ने अपने ग्रंथ में मुसलमानों पर कभी भी विश्वास नहीं करने का निर्देश दिया। अल्लाह के रसूल के जीवन चरित्र के इस सुन्नत के अनुपालन में आज तक मुसलमान अपने विरोधियों की छल और षड्यंत्र से हत्या कराते रहते हैं। मक्का के कवि अल नाजिर इब्न हरीथ ने कुरान की आयतों के समान आयतें बना कर सुना दिया था उसके बाद तो कवियों की हत्या का सिलसिला ही शुरू हो गया। आसमा, अबू अफाक और काब के अलावा अल नाजिर की भी हत्या कराई गई।

इसी सुन्नते रसूल के पालन में मुसलमान आज तक असहमत लेखकों, कवियों, प्रकाशकों, कलाकारों आदि की धोखे से हत्याएँ करते कराते रहते हैं। चौदह सौ वर्षों से यह व्यापार चल रहा है लेकिन दुनिया के किसी समुदाय ने इसी रणनीति द्वारा बदले की कार्रवाई को सक्रियता प्रदान कर इसे रोकने की व्यवस्था नहीं की, जिसके कारण उग्रवाद, कट्टरपंथ आदि के नाम पर यह होता चला आ रहा है।

"लड़ाई की धोखेबाजी" युद्ध क्षेत्र के हिन्दू धर्मशास्त्र के नियमों के ठीक उलटा पड़ता है, जैसे निःशस्त्र से युद्ध नहीं करने की जगह, ऐसे अवसर को न चूककर शत्रु की हत्या करना; शरणागत पर वार नहीं करने की जगह, अगर शरणागत कलमा पढ़ने को तैयार न हो तो उसकी तुरंत हत्या कर देना; असावधान सैनिकों के

शिविरों पर धोखा से आक्रमण नहीं करने की जगह, उनको धोखा में डालकर उन पर आक्रमण करना; उनकी नारियों, धर्माचार्यों और धर्मस्थलों को अपवित्र न करने की जगह, उनकी नारियों को गुलाम बनाकर उनसे बलात्कार करना, धर्माचार्यों की तुरंत हत्या कर देना, क्योंकि वे कुफ्र को बढ़ावा देने वाले लोग होते हैं, और उनके धर्मस्थलों को नष्ट कर उनकी जगह अपना धर्मस्थल बना देना। चौदह सौ वर्षों का इस्लामी इतिहास इसकी स्पष्ट गवाही देता है। जेहाद और गैर मुसलमानों से संबंधों के विषय में कुरान और हदीस के बड़े स्पष्ट हुक्म है। भारत के लोग अध्यात्म बोध एवं अपने धर्म संस्कारों के अवचेतन प्रभाव के कारण इस्लाम को भी एक धर्म समझ कर इन सब तथ्यों से अनजान बने रहते हैं और सदा धोखा खाते हैं। वे नहीं जानते कि इस्लाम एक धर्म नहीं बल्कि शामी परम्परा की अरबी राजनीति का हथियार है जिसका उद्देश्य राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, उसे दृढ़ता से बनाये रखना और साम्राज्य विस्तार करते रहना है।

कुरान में जेहाद का हुक्म

.....बेशक काफिर तो तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। (कु0 4 : 101)

ईमानवालों को चाहिए कि ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त न बनावें.....हाँ किसी तरह उनसे अपना बचाव करना चाहो। (कु0 3 : 28)

ऐ ईमान वालों ! यहूद और ईसाई को मित्र न बनाओ..... (कु0 5 : 51)

हे ईमान लाने वालों ! मुश्रिक (मूर्तिपूजक) नापाक हैं। (कु0 9 : 28)

और (ऐ ईमान वालों !) अल्लाह की राह में लड़ो और जाने रहो कि अल्लाह सब सुनता और जानता है। (कु0 2 : 244)

फिर जब अदब के महीने बीत जावें तो मुश्रिकों को जहाँ कहीं पाओ, कत्ल करो और उनको पकड़ो। उनको घेर लो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो, फिर अगर वह लोग (कुफ्र से) तौबा करें और नमाज कायम करें, और जकात दें, तो उनका रास्ता छोड़ दो, बेशक अल्लाह माफ करने वाला बेहद मेहरबान है। (कु0 9:5)

नोटः—यह आयत उस समय की है जब मक्का और मदीना सहित अरब के बड़े भाग पर मुहम्मद साहब का कब्जा हो चुका था और अरब को दारुल इस्लाम बनाया जा चुका था। उस प्रथम इस्लामी राज्य में काफिरों के साथ व्यवहार का, मुसलमानों को, सदा के लिए अल्लाह का यह हुक्म, अवतरित हुआ था। इस हुक्म के पालन में ही देश विभाजन के समय पंजाब और बंगाल के हिन्दुओं (जिनमें बौद्ध—सिक्ख भी थे) का कत्लेआम शुरू हुआ था। मात्र तीन महीने में पश्चिम पाकिस्तान की ग्यारह प्रतिशत हिन्दू आबादी एक प्रतिशत रह गई। बंगलादेश में 33 प्रतिशत की आबादी अब ग्यारह प्रतिशत रह गई है। भारत से भय के कारण, बंगलादेश में यह जेहादी कार्रवाई उतनी तीव्रता से नहीं हो सकी जितनी तीव्रता से प0 पाकिस्तान में हुई थी।

तो ऐ मुशरिकों ! अमन के चार महीने मुल्क में चल फिर लो, और जाने रहो कि तुम अल्लाह को हरा नहीं सकोगे, और (यह कि) अल्लाह काफिरों को हमेशा जिल्लत देता है। (कु0 9:2)

ऐ ईमान वालों ! इन लोगों से लड़ो यहाँ तक कि अल्लाह तुम्हारे ही हाथों इनको सजा दे, और इनको जलील करे। और इन पर तुमको जीत दे और कितने ही ईमान वालों के दिलों को ठण्डा करे। (कु09:14)

हल्के और बोझिल (हथियार कम या जियाद; जिस हालत में भी हो पैगम्बर के बुलाने पर निकल खड़े हुआ करो, और अपनी जान माल से अल्लाह की राह में जिहाद करो। (कु0 9:40) जो लोग अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं वह तुझसे इस बात की मोहलत नहीं माँगते कि अपनी जान व माल से जिहाद में शरीक न हो..... (कु0 9:44)

ऐ पैगम्बर ! काफिरों और मुनाफिकों (ऊपर से मुसलमान और अंदर से विरोधी) के विरुद्ध जिहाद करो, और उनसे सख्ती से पेश आओ। .... (कु0 9:73)

ऐ ईमान वालों ! अपने आसपास के काफिरों से लड़ो और चाहिए कि वह तुमसे सख्ती पायें। ... (कु0 9:123)

और काफिरों से लड़ते रहो यहाँ तक कि कुफ्र बाकी न रहे और सब अल्लाह ही का दीन (मजहब) हो जाय..... (कु0 8:39)

नोटः—अल्लाह के इस हुक्म का पालन मुसलमानों को तब तक करना है जब तक कि सारी दुनिया में अल्लाह का दीन (इस्लाम) स्थापित न हो जाय। गैर मुस्लिम लोगों को इसकी गम्भीरता का ज्ञान नहीं होने के कारण वे कुछ भी स्थाई निदान खोजने में विफल रहते हैं।

ऐ नबी ! मुसलमानों को जिहाद पर उभारो । अगर तुममें बीस आदमी साबित कदम रहने वाले होंगे तो दो सौ काफिरों पर गालिब रहेंगे और अगर सौ (ऐसे) होंगे तो हजार पर गालिब रहेंगे, इसलिए कि काफिर ऐसे लोग हैं कि कुछ भी समझ नहीं रखते। (कु0 8:65)

और काफिर यह न समझें कि वह भाग कर हमेशा के लिए बच निकले। वह कदापि (हमको) थका नहीं सकते। (कु0 8:59)

नोटः—काफिर, बेखकर, लापरवाह और गैर जिम्मेदार लोग होते ही हैं, विशेष रूप से भारत के हिन्दू। वे न तो खतरे का अध्ययन करते हैं, न संगठित होने का उपाय करते हैं और न अपने बचाव के लिए खुला या गुप्त कोई सैनिक तैयारी ही करते हैं; अल्लाह को यह बात मालूम है, इसलिए काफिरों को नासमझ कहते हैं। अल्लाह को यह भी मालूम है कि ये हद दर्जे के पशुवृत्ति वाले स्वार्थी लोग हैं और स्वार्थ के अलावा इन्हें और कुछ सूझता ही नहीं है। दिन—रात स्वार्थ के धुन में लगे रहने वाले नासमझ और लापरवाह काफिरों की दो सौ की संख्या का नाश कर डालने के लिए सिर्फ बीस ही मुसलमान काफी हैं। अल्लाह की इस गणना के अनुसार 15 करोड़ मुसलमान 150 करोड़ काफिरों के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन नासमझ काफिर कभी समझदार शायद ही बन सकें। आधुनिक हथियारों के उपयोग का निहत्थों और लापरवाहों के लिए क्या महत्व होगा, यह उन्हें उस दिन पता चलेगा, जब उनके प्रियजनों की हत्या के बाद, उनकी कमाई सारी दौलत, उनके आलिशान महल, उनकी बेटियाँ, बहनों और बहुओं सहित अल्लाह के पार्टी वालों की हो जायेगी और

वे कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इस्लाम के जन्म काल से आज तक वैसा ही होता आ रहा है। आज सबकी आँखों के सामने कश्मीर में वही हुआ।

हदीस में जेहाद का हुक्म

स्थानाभाव के कारण यहाँ उद्धरण को उसके मूलरूप में न देकर संक्षिप्त में प्रस्तुत किया गया है – (बुखारी शरीफ,हिन्दी, नाज प0 हाउस, नई दिल्ली से)

(सवाब में) जिहाद से बढ़कर दूसरा कोई काम नहीं है। (बु0श0 1122)

वह मोमिन बेहतर है जो अपनी जान व माल से खुदा के रास्ते में जिहाद करे। (1124)

जन्नत में सौ दर्जे हैं। ये जेहाद करने वालों कि लिये हैं। उन्हें फिरदौस, जो सबसे ऊँचे दर्जे की जन्नत है, अल्लाह से माँगना चाहिए। वहाँ अल्लाह का अर्श है। इसी फिरदौस से जन्नत की नहरें जारी होती हैं। (1127)

हारिसा बिन बीरका की बद्र की लड़ाई में तीर लगने से मौत हो गई थी। उसकी माँ के पूछने पर नबी स0 ने बताया. "वह सबसे ऊँचे दर्जे के जन्नत जन्नतुल फिर्दौस में है।" (1135)

हजरत उमर रजि0 कहते हैं कि बानू नजीर का माल उन मालों में से था जिसे अल्लाह तआला ने अपने रसूल के लिए गनीमत करार दिया था और घोड़ों और ऊँटों के बगैर पामाल किए हुए हासिल हुआ था, इसलिए यह माल हजरत मुहम्मद सल्ल0 के लिए खास था। आप उसमें से अपने घर वालों को एक साल का खर्च देते थे और जो कुछ बचता तो उससे घोड़े और हथियार खरीद कर जिहाद के लिए सामान की तैयारी करते। (1170)

एक रिवायत में है कि कियामत उस वक्त ही कायम होगी जब तुम यहूदी से लड़ोगे। (1177)

नबीस० ने कहा हिजरत का जमाना गुजर चुका अब बैअत इस्लाम और जिहाद पर लेंगे। (1190)

ह0 मुहम्मद (स0) ने कहा –मुकाबले के वक्त सब्र से काम लो, क्योंकि जन्नत तलवारों के साये के नीचे है। (1192)

हुजूर सल्ल0 से पूछा गया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल0 अगर कुफर पर शब खून मारा जाए और उनकी बीबी–बच्चे कत्ल हो जायें तो यह क्या गुनाह है ? फर्माया, इस हालत में उन ही में से हैं काफिरों के बच्चे भी। इसके बाद फर्माया कि अहाता (चारागाह) खुदा और उसके रसूल ह0 मुहम्मद सल्ल0 के लिए है। (1207)

रसूलुल्लाह सल्ल0 के फर्मान के मुताबिक अगर कोई शख्स अपने दीन को बदल दे तो उसको कत्ल कर डालो। (1209)

ह0 मुहम्मद सल्ल0 एक सफर में थे कि मुश्रिकों का एक जासूस आया और सहाबा रजि0 से बातें करने लगा और इसके बाद उठकर चला गया। आपने कहा इसको खोज कर कत्ल कर डालो। चुनाचे उसको कत्ल कर दिया गया और उसका सामान हुजूर सल्ल0 ने उसके कातिल को दिला दिया। (1219)

हुजूर सल्ल0 ने फर्माया अल्लाह तआला ने गनीमत (लूटा हुआ माल) हलाल कर दिया है और सिर्फ हमारी कमजोरी और आजिजी देखकर हलाल किया है। (1239)

ह0 मुहम्मद सल्ल0 जराना नाम की जगह में गनीमत (लूट) का माल बाँट रहे थे, एक शख्स कहने लगा, इंसाफ से बाँटिये, तो आपने फर्माया, अगर मैं इंसाफ से न बाँटू तो बदबख्त हो जाऊँ। (अआजहुल्लाहु) (1241)

ह0 मुहम्मद सल्ल0 ने फर्माया कि मैं कुरैश को माल, उनके दिल झुकाने के लिए देता रहता हूँ, क्योंकि वे नव मुस्लिम हैं। (1244)

गनीमत (लूट) के बारे में–कुरान और हदीस

तुमसे गनीमत के बारे में सवाल करते हैं कि क्या हुक्म है। कह दो गनीमत (लूट का माल) अल्लाह और उसके रसूल का माल है। (कु0 8:1)

और जान रखो कि जो चीज तुम (कुफ्फार से) लूट कर लाओ उसमें से पाँचवा हिस्सा अल्लाह का और उसके रसूल का और करावतदारों, यतीमों, मुहताजों और मुसाफिरों का..... (कु0 8:41)

जो गनीमत (लूट) का माल तुमको मिला है, उसे खाओ कि वह तुम्हारे लिए पाक हलाल है। (कु0 8 : 69)

मदीना वालों और उनके आसपास के देहातियों को शोभित (जेब) न था कि अल्लाह के पैगम्बर (के साथ) से पीछे रह जावें, और न यह (मुनासिब था) कि पैगम्बर की जान के मुकाबले अपनी जानों को जियादः प्यारा समझें, यह इसलिए मुनासिब न था कि उनको अल्लाह की राह में प्यास और मेहनत और भूख की जो तकलीफ पहुँचती है, और जो कदम वह ऐसे चलते हैं कि काफिरों को (उनसे) गुस्सा आये, या दुश्मनों से कुछ चीज छीनते हैं, तो हर काम के बदले इन का नेक अमल लिखा जाता है।

अल्लाह नेककारों का अज्र (प्रतिफल) अकारथ नहीं होने देता। (कु0 9:120)

नोट :–(1)अल्लाह की राह में प्यास, मेहनत और भूख की तकलीफ (अल्लाह की राह का अर्थ है, काफिरों पर आक्रमण का अभियान), (2) ऐसे कदम चलना जिनसे काफिरों को उनपर गुस्सा हो और (3) काफिरों से उनका माल लूटना, ये सभी काम नेक अमल हैं। इन्हें अल्लाह के यहाँ लिखा जाता है। अल्लाह की गारंटी है कि इन नेक कामों का प्रतिफल अवश्य मिलेगा।

अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों (लूट का माल) देने का वादा किया है जो तुम उन्हें पाओगे। ..... (कु0 48:20)

काफिरों के यहाँ से लूट के माल के रूप में मिलने वाली औरतों को, जो मुसलमानों के हाथ में पहुँचती हैं, बीवियाँ या रखैल बनाना मुसलमानों को अल्लाह के हुक्म से जायज है। बीवियों की संख्या की सीमा चार है लेकिन रखैलों या बाँदियों की कोई सीमा नहीं है।..... और औरतें जो (किसी के) निकाह में हैं (वे भी तुम पर हराम है) सिवाय उनके जो (कैद होकर) तुम्हारे अधिकार में आई हों। अल्लाह के ये हुक्म तुम पर (फर्ज) हैं।..... (कु0 48:24)

.....और उनकी जमीन और उनके घरों और मालों का और उस जमीन (खैबर) का जिसमें तुमने कदम तक नहीं रखा था (अल्लाह ने) तुमको वारिस बना दिया और अल्लाह हर चीज पर सर्व शक्तिमान है। (कु0 33:27)

बनी कुरैजा के आठ सौ यहूदी पुरुषों के आत्म समर्पण के बाद उन्हें उनके घरों से निकाल कर कैद कर लिया गया और कसाई के समान बारी–बारी से दिनभर में उनका कत्ल कर एक विशाल कब्र में भर दिया गया। फिर उनकी सारी दौलत और उनकी जवान औरतों को मुसलमानों में बाँट दिया गया। यह काम अल्लाह के रसूल की देखरेख में ही सम्पन्न हुआ।

खैबर के यहूदियों पर भी अचानक धावा बोलकर कुछ की हत्याएँ कर दी गईं और उन्हें अधीन बना कर उनकी सारी दौलत जो हाथ लगी लूट ली गई। उनकी जमीन को अपनेअधीन कर उनको अपनी जमीन पर ही कुछ दिनों के लिए रैयत बना दिया गया, और बाद में उन्हें स्थाई रूप से निष्कासित कर उनकी जमीन और दौलत हड़प ली गई। उनकी सुन्दर जवान औरतों को मुसलमानों द्वारा छीन लिया गया जिसमें साफिया नाम की 17 वर्षीय युवती भी थी जिसकी ऊपर चर्चा की जा चुकी है।

उपर्युक्त आयत में अल्लाह मुसलमानों को अपनी इसी कृपा की याद दिला रहा है।

.....और वह जो विषय वासना से अपने को बचाये रखते हैं। अलबत्ता अपनी बीवियों और (बाँदियों से) जो उनकी सम्पत्ति हैं (को छोड़कर उन) के बारे में दोष नहीं है। (कु0 23 : 5, 6)

बाँदियाँ और कोई नहीं बल्कि वही गुलाम औरतें होती हैं जो लूट के माल के रूप में काफिरों से छीनी जाती हैं।

लूट के माल के बँटवारे में यद्यपि अल्लाह के रसूल का पाँचवाँ भाग होता था फिर भी प्रधान के नाते हर चीज में, औरतें, धन और गुलाम में चुनाव की उनकी प्राथमिकता होती थी। यहूदियों के निष्कासन के बाद जब्त जमीन पर मुहम्मद के मदीना में आठ बाग–बगीचे थे जिनमें एक, उनकी एक रखैल मेरी के नाम पर "मेरी का ग्रीष्मकालीन बाग" कहलाता था। उसी प्रकार खैबर में भी उनकी सम्पत्ति थी। (Understanding Islam Through Hadis : Ram Swaroop, Page 107)

जेहाद के ऊपर वर्णित निर्देशों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस्लाम का उद्देश्य युद्ध के बर्बर, कपटी, क्रूर और असभ्य तरीकों से इस्लामी सत्ता स्थापित करना है और तब इस्लाम विशुद्ध राजनीति और सम्प्रदायवाद के सिवाय और कुछ नहीं रह जाता है। मजहब का वाह्य स्वरूप, इस उद्देश्य की पूर्ति का छन्दावरण मात्र है। वास्तव में साम्प्रदायिकता और राजनीति ही इस्लाम है जो मध्य कालीन अरबी संस्कृति के रंग में रँगा हुआ है।

मुहम्मदी सम्प्रदाय का उद्देश्य है, मुसलमान समुदाय का सृजन कर, बुद्धि नियंत्रण द्वारा उसमें वृद्धि करते हुए, उसके द्वारा अरबी सांस्कृतिक साम्राज्य का विस्तार करना; दुनिया के देशों को मजहबी घुसपैठ द्वारा कमजोर करना तथा अरब के अर्थतंत्र को समृद्ध करने की स्थाई व्यवस्था करना। मुस्लिम साम्प्रदायिकता किस

प्रकार उन्माद के हद तक बढ़ कर अरबी लाभ के लिए अपना अहित करती है, थोड़ा ध्यान देने पर इसे समझना कठिन नहीं है। मुस्लिम साम्प्रदायिकता के (1) उन्माद के हद तक बढ़ने और (2) अपना अहित करने, दोनों ही विषयों पर यहाँ विचार करना संभव नहीं है क्योंकि ये इस लेख के विषय नहीं है। हमें यह देखना है कि इस्लाम ने गैर मुसलमानों के साथ अपने जन्मकाल से ही कैसा व्यवहार किया है और आने वाले समय में इसका स्वरूप क्या होगा ? इस्लाम के आचरण के विषय में दुनिया भर के काफिरों की क्या राय है ?

मुसलमान भले ही अल्लाह और अल्लाह के रसूल में ईमान लाने की कसम खाते हैं और उसके बाद आजीवन बुद्धि नियंत्रण प्रक्रिया की जाल में उलझ कर इसे मानने के लिए विवश रहते हैं कि कुर्आन अल्लाह का संदेश है जो मुहम्मद साहब पर उतरा था, लेकिन गैर मुसलमान न तो उस समय ही इसमें विश्वास करते थे और न आज ही करते हैं। यह और बात है कि जिस प्रकार उस समय के काफिर नासमझ और लापरवाह थे, उसी प्रकार आज के भी काफिर नासमझ और लापरवाह हैं, अन्यथा इतिहास की धारा कब की उलट चुकी होती। मुहम्मद और कुर्आन के विषय में उस समय काफिर कहते थे –

".....कहते हैं कि कुर्आन को पैगम्बर ने खुद गढ लिया है।"(कु0 11:35)

और काफिर (कुर्आन के निस्बत) कहते हैं कि यह तो निरा झूठ बाँधनू है जिसको इसने गढ़ लिया है और उसमें दूसरे लोगों ने उसकी मदद की है..... (कु0 25 : 4)

दुनियाँ के धर्मों का इतिहास देखने से पता चलता है कि जिस प्रकार भारत में भगवान के अवतार की परम्परा थी। उसी प्रकार शामी प्रथा में पैगम्बरों की परम्परा थी। लेकिन दोनों में मौलिक अंतर था। भारतीय परम्परा में जहाँ व्यक्ति में भगवान की पहचान कर लोगों ने उन्हें माना और भक्ति से पूजा। वहीं शामी परम्परा में पैगम्बरों ने पैगम्बर बनने की स्वंय घोषणा की और लोगों से इसे बलपूर्वक मनवाया। आतंक के संस्कार ने बुद्धि नियंत्रण द्वारा बाद की पीढ़ियों में आतंक के साये में बलात् पैदा की गई श्रद्धा को स्थाई बना दिया।

अनवर शेख नामक ब्रितानी विद्वान ने अपनी पुस्तक "इस्लाम अरब राष्ट्रीयता का साधन" में लिखा है "इलहाम के सिद्धांत के अनुसार सृष्टि का सर्जनहार भगवान है जो अपनी पूजा करवाना चाहता है। वह अपने पैगम्बर द्वारा मानव जाति को अपनी इच्छा प्रकट करता है। भगवान के संदेश वाहक पैगम्बर की आज्ञा पालन किये बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। परिणाम स्वरूप हर नगर, देश आदि का अपना–अपना भगवान होता था जिसका प्रतिनिधि मुल्ला राजा होता था। मानव कैसे रहें कैसे खायें कैसे सोएं आदि यह सब आदेश भगवान राजा को देता था और राजा (जो भगवान का सेवक था और जिसका अपना कोई प्रभुत्व नहीं) अपनी प्रजा से सब कुछ करवाता था। इस्लाम का यह सिद्धांत कि राज्य अल्लाह का है और इसको अल्लाह के विधान के अनुसार ही चलाना चाहिए इसी पुरानी शामी प्रथा पर निर्धारित है।"

स्वयं को अल्लाह का रसूल या पैगम्बर घोषित कर मुहम्मद ने अपनी अद्वितीय विलक्षण योग्यता से शून्य से उठकर अरब साम्राज्य की स्थापना करने में

सफलता पाई और स्वयं को दिव्य व्यक्ति और सम्राट बनाया। विडम्बना यह है कि इसकी कीमत जिनको चुकानी पड़ी वही लोग इसके साम्राज्य विस्तार का वाहक भी बने। दमन और आतंक के साये में जो संस्कार बनता है वह उसी रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी तबतक चलता रहता है जबतक कि वैसी ही परिस्थिति पैदा कर लोगों को उससे मुक्त न करा दिया जाय या नियमित शिक्षा द्वारा इसकी गहरी समझ पैदा न करा दी जाय।

मुहम्मद के जीवन काल और उनके चार खलीफाओं के कार्यकाल में इस्लाम दुनिया के अनेक भागों में फैल चुका था। इसका विस्तार जेहाद के विध्वंसक और गैर मुसलमानों के सर्वनाशी मार्ग से ही होता गया। आक्रामक मुस्लिम सैनिकों का निहत्थे, निर्दोष, अनजान लोगों पर अचानक हमला, युवा लोगों का कत्ल, उनकी सम्पत्ति की लूट, उनकी औरतों–बच्चों को गुलाम बनाना, उन्हें धर्मान्तरित करना, काफिरों की संस्कृतियों को मिटाना, इस्लामी संस्कृति और मजहब को लादना, अपने समुदाय में उन्हें शामिल करना और फिर उनको अपने साथ लेकर दूसरों पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ जाना, इसी तरीके से इस्लाम बढ़ता गया। कल जिनके पूर्वज इस्लामी कहर झेले थे आज उन्हीं के वंशज इस्लामी झंडा उठाये चल रहे हैं।

धन और सुन्दर औरतों का लोभ अति संयमित मनुष्य के भी अंदर की दमित आकांक्षाओं को उभाड़कर भ्रष्ट करने में समर्थ होता है। फिर इनकी उपलब्धता की गारंटी और सुसंस्कृत समाज की मर्यादा के बंधन से मुक्ति मिलते ही मनुष्य दानव बन जाता है। मनुष्य की इन स्वाभाविक कमजोरियों का इस्लाम ने अपने पक्ष में भरपूर उपयोग किया। अनेक हिन्दू इनके प्रभाव में आकर उत्साह से इस्लामी बर्बरता के वाहक बन गये। संयमित पुजारी भोगी इमाम बन गये।

सबसे पहले 712 ई0 में मुहम्मद बिन कासिम ने भारत में विजय प्राप्त करने में सफलता पाई। यद्यपि, उसके पहले भी अनेक मुस्लिम आक्रमण हो चुके थे जिनमें उन्हें पराजय का मुँह देखना पड़ा था और भारत से भागना पड़ा था। भारत की सुन्दर नारियों का लुभावना रूप और सोने–चाँदी, हीरे–जवाहरात से भरे हुए वैभव का शोर अरबों को बार–बार भारत की ओर खींच रहा था। मु0 बिन कासिम ने सिंध के 70 राजाओं को पराजित किया और एक लाख हिन्दू स्त्रियों को कैद कर लिया। बर्बर, कृतघ्न अरबवासियों ने भारत में लूटने, जलाने, सताने, हरण करने, मुसलमान बनाने, व्यभिचार करने और गुलाम बनाने का जो आसुरी जाल फैलाया था वह दो प्रकार का था। एक ओर घोड़े, भाले, बर्छे, तलवार, धनुष, तीर और मादक द्रव्यों से सुसज्जित बर्बर अरबी–गिरोह को भारत भेजा जाता था, दूसरी ओर पाप की फसल दमिश्क और बगदाद के बाजारों में भेजी जाती थी। अपहृत हिन्दू स्त्रियों और बालकों, लूटी हुई सोने चाँदी की ईंटों और जवाहरातों, हिन्दू सरदारों के रक्त रंजित सिरों, भग्न देव प्रतिमाओं और हजारों मंदिरों के खजानों के वहाँ ढेर लग रहे थे।

(भारत में मुस्लिम सुल्तान, लेखक : पी0 एन0 ओक, पृष्ठ 27)

मु0 बिन कासिम, जीते हुए क्षेत्र के हिन्दुओं को तरह–तरह से तड़पाता था। उन्हें अपनी टुकड़ी में शामिल कर अगले अभियानों में सख्त निगरानी में अगले मोर्चे

पर लड़ने के लिए बाध्य करता था। सम्पूर्ण हिन्दू समाज को सैनिक संगठन के तौर पर प्रशिक्षित करने की कार्रवाई कभी नहीं हुई, परिणाम स्वरूप क्षत्रियों को छोड़कर कोई संगठित रूप से लड़ना जानता ही नहीं था। क्षत्रिय भी युद्ध की धर्मनीति का पालन करते थे। वे इस्लाम की छलनीति से बिल्कुल अनजान थे। इनकी जगह मुसलमान होते तो ठीक मुकाबला के समय शत्रु पक्ष से मिल जाते जैसा वे हमेशा करते हैं। उनके मजहब का सर्व प्रमुख भाग जेहाद होने के कारण हथियारों का प्रशिक्षण, हथियारों का संग्रह, युद्ध कौशल और रणनीति से सदा परिचित रहते हैं।

बिन कासिम, अपने आक्रमणों में बर्बर शैतानियत का परिचय देते हुए निर्दोषों का संहार करने में तनिक ढील नहीं देता था। खड़ी फसलों को जला देना, झीलों में विष घोल देना, स्त्रियों से बलात्कार करना, घरों को लूटकर मटियामेट कर देना, गाँवों में आग लगा देना, मंदिरों को मस्जिद बना देना, मूर्तियों को तोड़कर फेंक देना, कोड़े मार कर पुजारियों को कलमा और नमाज पढ़ाना आदि भाँति–भाँति के अत्याचार करता था। उनके सारे अत्याचार कुरान और हदीस की शिक्षाओं से संस्कारित हुक्म के अनुसार ही होते थे।

देवालयपुर (करांची), नीरून, शिव स्थान, वज्रनगर, सीरशाम आदि को रौंदता हुआ आगे बढ़ता ही जा रहा था। हर जगह एक ही तरीका और एक ही काम था, पराजित लोगों को गुलाम बनाना, उनको अपने साथ लेकर लूटपाट और स्त्रियों से व्यभिचार के लिए उभाड़ना, अपने आगे के अभियानों में उन्हें शामिल करना, हर स्थान पर अपने आक्रमणों में आतंक पैदा करने के लिए सैनिकों और नागरिकों का कत्लेआम करना आदि–आदि। मु0 बिन कासिम की छल–कपट के अनेक दिनों के युद्ध के बाद अन्ततः राजा दाहिर मारा गया। उसका सिर काट कर एक पत्र के साथ हज्जाज को भेज दिया गया। इस पहली इस्लामी विजय युद्ध में कुछ विशेष उल्लेखनीय बातें देखने को मिलीं –

(1) पैगम्बर की शिक्षाओं के अनुसार "लड़ाई धोखाबाजी है" का बिन कासिम और उसकी सम्पूर्ण सेना द्वारा अपने प्रत्येक अभियान में पालन किया गया। वास्तव में, इस्लामी शिक्षाओं के प्रभाव से धोखाबाजी उनके जीवन का अभिन्न आचरण बन चुका था। 500 अरबी लोगों के साथ एक अरबी व्यक्ति अल्लाफी बहुत दिनों से दाहिर की सेना में नौकरी कर रहा था। एक रात उसने बिन कासिम के लिए नगर द्वार खोल दिया जिससे नगर कासिम के कब्जे में चला गया। इस प्रकार अपनी भलाई करने वाले हिन्दू की पीठ में एक अरब मुसलमान ने छुरा घोंप दिया। सभ्य और सीधे सादे हिन्दुओं ने कभी यह नहीं सोचा था कि उनकी सेवा में एक भी मुसलमान का होना देशद्रोह और विश्वासघात के साँप को दूध पिलाना होगा।

(भारत में मुस्लिम सुल्तान – पी0एन0ओक पृष्ठ 50)

मुसलमान के लिए देशद्रोह भी धोखाबाजी के समान ही मजहबी फर्ज होता है। क्योंकि वह जिस देश में रहता है यदि वह दारुल इस्लाम नहीं; तो (लड़ाई–झगड़ा वाला दारुल हर्ब) देश होता है; और वहाँ इस्लामी सत्ता स्थापित करने के लिए, उस देश को बर्बाद भी करना हो, तो करना, उसका मजहबी दायित्व है। इस कर्तव्य पालन

में देशद्रोह भी उसका धर्म ही है। ऊपर देख चुके हैं कि इस्लामी सत्ता स्थापित करने के लिए जेहाद करना ही मुसलमानों का सर्वोच्च मजहबी फर्ज है। स्वयं मुहम्मद ने भी नेगस (नजासी) को मक्का पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था।

दूसरी बात, हिन्दू स्वार्थ में इतने आत्मकेन्द्रित होते हैं कि उनको यह भी चेत नहीं रहता कि पड़ोस के शत्रुओं का अध्ययन करें या पराजित शत्रुओं को उनके घरों तक खदेड़ कर मिटा डालें। इस प्रथम इस्लामी विजय युद्ध के बाद से एक भी ऐसा अवसर नहीं आया जब काफिर सेना के मुस्लिम सैनिक विश्वासघात कर मुस्लिम पक्ष में न जा मिले हों। लेकिन क्या मजाल कि कभी हिन्दुओं ने इस सच्चाई से कुछ सीखा हो। वे सदा अपनी मूर्खता को सहिष्णुता और उदारता नाम देकर स्वयं को ही छलते रहते हैं। तीसरी बात, मुसलमानों ने शत्रु की संस्कृति को मिटाने के लिए धर्मस्थलों को बदल कर मस्जिद बनाने के अभियान में कभी ढील नहीं दी। अरबी इतिहासकारों के अनुसार यह काम बड़ी सरलता से हो गया था। उन्हें सिर्फ तीन काम करने पड़े – (1) देव प्रतिमाओं को चूर–चूर करना, (2) मंदिरों में मीनार और मंच बना देना और (3) मुख्य पुजारी को तलवार की नोक पर मुल्ला बना देना। वह उनका खतना करा देता था। 'देवल के ब्राम्हणों ने जब इसका प्रतिरोध किया तो सत्तरह वर्ष से ऊपर के सभी पुरुषों का कत्ल करा दिया। (Indian Islam MT Titus, Page 30)

मुहम्मद बिन कासिम तीन वर्ष तक लगातार सिन्ध को रौंदता रहा। उसकी मुलतान (मूल स्थान) की लूट काफी कीमती रही। यहाँ एक विख्यात सूर्य मंदिर था। जहाँ सोने से भरपूर 40 घडे थे। इनका वजन 13,200 मन था। सूर्य की प्रतिमा रक्तिम स्वर्ण की बनी हुई थी। आँखें लाल चमकीले रत्नों की थीं। इसके अतिरिक्त मोतियों की झालरें, अन्य बहुमूल्य हीरे, रत्न, जवाहरात और बेहिसाब खजाना प्राप्त हुआ। अरेबियन नाइट की अलीबाबा, कासिम, चालीस घड़े और चोरों की कहानी कासिम की मुलतान की लूट और अन्त में खलीफा की आज्ञा से कासिम की मृत्यु पर ही आधारित है।

बिन कासिम के आक्रमण के बाद से लगभग एक हजार वर्ष तक यही जेहादी विनाश लीला चलती रही और हिन्दुओं का नाश होता रहा। यह अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाने के बाद ही रुक सका था। लेकिन जाते-जाते अंग्रेजों ने भी इस्लामी जेहाद में मुसलमानों का साथ देकर इतिहास का सबसे वीभत्स और क्रूरतम नरसंहार कराया।

सुबुक्तगीन (977–997) ने अमीर लम्घन नामक शहर को, जो दौलत से भरा था जीत लिया और अल्लाह की राह में जेहाद करते हुए काफिरों के घरों में आग लगा दी। मूर्तियों और मंदिरों को नष्ट कर तथा नीच हिन्दुओं का वध कर इस्लाम और मुसलमान की महिमा बढ़ाई।

(तारीख–ई–यामिनी–अल उत्वी/भारत में जेहाद पृष्ठ 20 जयदीप सेन)

महमूद गजनवी (997–1030) द्वारा पुरुषपुर (पेशावर) में जेहादः – अल उत्बी के अनुसार अभी मध्याह्न भी नहीं हुआ था कि मुसलमानों ने "अल्लाह के शत्रु" हिन्दुओं के विरुद्ध बदला लिया और पन्द्रह हजार को काट कर कालीन की भाँति भूमि पर बिछा दिया। अल्लाह की कृपा से प्राप्त माले गनीमत (लूट का माल) गिनती की

सीमा से परे था। पाँच लाख सुन्दर औरतें और मर्द गुलाम बने। मुहर्रम की आठवीं 392 हिजरी का दिन था। उसके बाद नन्दना की लूट, थानेश्वर में कत्लेआम, सिरसवा में कत्लेआम और सोमनाथ की लूट सहित मुहम्मद ने सत्तरह बार भारत के सैकड़ों नगरों को लूटा। अल्लाह के हुक्म से, कुफ्र के पाप से हिन्द की धरती को पाक करने के लिए सुल्तान ने हिन्दू काफिरों को काट–काट कर धरती को पाट दिया। तालाबों के पानी खून से लाल हो गये। मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बना दी गईं। औरतों और मर्द गुलामों के साथ अपार दौलत, सोना, चाँदी, हीरे, मोती, जवाहिरातों से ऊँटों को लाद–लाद कर गजनी भेजा गया। काफिरों को कोड़े मार मार कर गोमांस खिलाया गया और मुसलमान बनाया गया। सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़ों को गजनी के जामी मस्जिद की सीढ़ियों में जोड़ने हेतु ले जाया गया। सोमनाथ की लूट के लिए तीन दिनों तक काट काट कर पचास हजार पंडितों और नगर वासियों से शहर को पाट दिया गया। जब लाशें सड़कर बदबू करने लगीं तभी वे वहाँ से हटे।

मुहम्मद गोरी (1173–1206) उसने भी वही सब किया। मंदिरों, मूर्तियों व आकृतियों के स्थान पर मस्जिदें बना दी। बनारस में एक हजार मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। हिन्दुओं को काट कर उनके सिरों से आसमान तक ऊँचे तीन बुर्ज बनाये गये और उनके शवों को जंगली पशु–पक्षियों के लिए छोड़ दिया गया। आतंक से भयभीत काफिरों को अल्लाह के सच्चा धर्म में शामिल कर लिया गया और हठी मूर्खों का वध कर दिया गया।

कुतुबुद्दीन ऐबक (1206–1210) – मंदिरों को तोड़कर, भलाई के आगार मस्जिदों में रूपान्तरित कर दिया गया और मूर्तिपूजा का नामों निशान मिटा दिया गया। निडरता और शक्ति से किसी मंदिर को खड़ा नहीं रहने दिया गया। ....पचास हजार व्यक्तियों को घेरकर बन्दी बना लिया गया तड़ातड मार के कारण मैदान काला हो गया। (ताज–उल–मासीर–हसन निजामी, भारत में जेहाद)

मु0 बख्तियार खिलजी (1204–1206) – मिन्हाज के अनुसार बख्तियार ने नालन्दा पहुँचते ही सिर मुँड़ाये हुए ब्राह्मणों का कत्ल कर सफाया कर दिया। (वास्तव में वे ब्राह्मण न होकर बौद्ध भिक्षु थे, जिसे मिन्हाज ने ब्राह्मण समझ लिया)। उसमें रखी किताबों को पढ़ने के लिए जब किसी व्यक्ति को लाने को कहा तब वहाँ कोई नहीं मिल सका क्योंकि सभी भीक्षु मारे जा चुके थे। उसने पुस्तकालय में आग लगा दी। पुस्तकालय की पुस्तकें महीनों तक जलती रहीं।

अलाउद्दीन खिलजी (1296–1316) विस्तार में लिखना यहाँ संभव नहीं है सभी सुल्तानों की वही शैतानी कार्रवाई अल्लाह के नाम पर चलती रही। प्रसिद्ध सूफी कवि अमीर खुसरू ने लिखा था – हमारे पवित्र सैनिकों की तलवारों के कारण सारा देश एक दावाग्नि के कारण काँटों रहित जंगल जैसा हो गया है। हमारे सैनिकों की तलवारों के वारों के कारण हिन्दू काफिर भाप की तरह समाप्त कर दिये गये हैं। हिन्दुओं में शक्तिशाली लोगों को पाँवों तले रौंद दिया गया है। इस्लाम जीत गया है, मूर्तिपूजा हार गई है, दबा दी गई है।

(तारीख–ई–अलाई) "भारत में जिहाद" पृष्ठ 26 में उदधृत)

मुहम्मद बिन तुगलक (1326–1351) :– मुहम्मद बिन तुगलक का अत्याचार इतिहास प्रसिद्ध है। उसके राज में आम हिन्दुओं की औरतों का मनमाना अपहरण और बलात्कार मुसलमानों द्वारा किया जाता था और फिर उन्हें बेच दिया जाता था। लेकिन राजाओं की औरतों की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं थी। इब्न का प्रत्यक्षदर्शी वर्णन इस प्रकार है – सर्वप्रथम युद्ध के मध्य बन्दी बनाये गये काफिर राजाओं की पुत्रियों को अमीरों और महत्वपूर्ण विदेशियों को उपहार में भेंट कर दिया जाता था। इसके पश्चात अन्य काफिरों की पुत्रियों को सुल्तान अपने भाइयों या संबंधियों को दे देता था।

(तुगलक कालीन भारत, एस0ए0 रिजवी, पृष्ठ 189–"भारत में जिहाद" में उद्धृत)

फीरोजशाह तुगलक (1357–1388):–"ताजरीयत–अल–असर" के अनुसार–"फिरोजशाह तुगलक के राज में मुस्लिम आक्रमणकर्ताओं द्वारा लाई हुई हिन्दू महिलाओं के साथ मात्र शील भंग ही नहीं किया जाता था वरन् उनके साथ अनुपम, अवर्णनीय यातनायें भी दी जाती थीं यथा लाल गर्म लोहे की सलाखों को हिन्दू महिलाओं की योनियों में बलात घुसेड़ देना, उनकी योनियों को सिल देना और उनके स्तनों को काट देना।"

बंगाल में नरसंहार – बंगाल में हार के बदले के लिए फिरोजशाह ने आदेश दिया कि असुरक्षित बंगाली हिन्दुओं का अंग-भंग कर वध कर दिया जाय। प्रत्येक सर के लिए एक चाँदी का टंका दिया जाता था। हिन्दू मृतकों के सिरों की गिनती की गई। जो 1,80,000 निकले। (तारीख–ई–फिरोजशाही बरनी, भारत में जेहाद)

तिमूर (1398–1399) :–उलेमा और सूफियों ने जिहाद का समर्थन किया। भटनिर में एक दिन में दस हजार हिन्दुओं का सर काट उनके खजानों, औरतों और बच्चों को पाकर मुसलमान निहाल हो गये। अल्लाह के सत्य धर्म इस्लाम के हुक्म के अनुसार सिरसा के हिन्दुओं का कत्ल कर उनकी औरतों, बच्चों और धन ले लिया गया।

जाटों का संहार :– तिमूर ने अपनी जीवनी में लिखा – मेरे ध्यान में लाया गया था कि ये उत्पाती जाट चींटी की भाँति असंख्य हैं। मुझे लगा कि जाटों का वध कर देना मेरे लिए आवश्यक है। मैं जंगलों और बीहड़ों में घुस गया और दैत्याकार दो हजार जाटों का वध कर दिया। लोगी में चुनचुन कर कत्लेआम हुआ। एक लाख असहाय हिन्दुओं का एक ही दिन में कत्ल हुआ। तिमूर ने लिखा – अमीर जहान शाह और अमीर सुलेमानशाह ने मेरे ध्यान में लाया कि हिन्दुस्तान में घुसने से लेकर अब तक हमारे पास एक लाख हिन्दू बंदी हो गये हैं। मैंने इस्लामी कानून का परामर्श माँगा जो कुर्आन में स्पष्ट दिया गया है – "किसी नबी को छूट नहीं है कि वह युद्ध में लोगों को बन्दी बनाये जब तक कि वह धरती में कत्लेआम न कर दे। तुम लोग दुनिया की सुख–सामग्री (लूट का माल) चाहते हो और अल्लाह आाखिरत चाहता है, और अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है।" (कु0 8 : 67) सभी एक लाख हिन्दुओं को कत्ल कर मौत के घाट उतार दिया गया।

बाबर (1519–1530) का शौक था कि वह हिन्दुओं का कत्लेआम कर उनके

सिरों के मीनार बनवाया करता था। "...मुहर्रम के नौवें दिन मैंने आदेश दिया कि मैदान में हिन्दू मृतक सिरों की एक मीनार बनाई जाय।

'निकृष्ट और पतित हिन्दुओं का वध कर, गोली और पत्थरों से,
बना दिये मृत देहों के पर्वत, गजों के ढेर जैसे विशाल,
और प्रत्येक पर्वत से बहती रक्त की धाराएँ, हमारे सैनिकों के तीरों से भयभीत,
पलायन कर छिप गये, कुंजों और कंदराओं में।
इस्लाम के हित घूमता फिरा मैं वनो में, हिन्दू काफिरों से युद्ध की खोज में।
इच्छा थी बनूँगा इस्लाम का शहीद मैं, उपकार उस खुदा का कि बन गया गाजी।"

(बाबरनामा पृष्ठ 370–71, भारत में जेहाद)

अपने समकालीन मुसलमानों की गुरूनानक ने भर्त्सना की थी और उन्हें पतित, भ्रष्ट और नीच कहा था। पर जवाहर लाल नेहरू की नजर में बाबर एक दक्ष, चतुर और भावुक कवि था। नेहरू ने अपने विषय में कहा था कि वे शिक्षा से अंग्रेज, दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीयतावादी और संस्कृति से मुसलमान हैं। वे हिन्दू तो मात्र जन्म की दुर्घटना के कारण हैं। इसलिए उनकी दृष्टि में मुस्लिम संस्कृति का क्रूर वाहक बाबर भावुक कवि और प्रशंसनीय व्यक्ति था, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। सच्चाई यह है कि बाबर ने भी अन्य जेहादी मुस्लिम सुलतानों के समान ही असभ्य, बर्बर, आतंकपूर्ण और यातना पूर्ण क्रूरता के साथ हिन्दुओं का वध, लूट, बलात्कार, अपहरण, आगजनी, धर्मान्तरण, मूर्तिभंजन, मंदिर ध्वंस और उनके ऊपर मस्जिद निर्माण का कार्य किया।

1528–29 में, बाबर के आदेशानुसार, मुगल सैन्य संचालक मीरबकी ने अयोध्या में रामजन्म भूमि पर बने मंदिर का विध्वंस करा दिया और उसके स्थान पर एक मस्जिद बनवा दी। (बाबर नामा अनु0ए0एस0 बैवरिज, नई दिल्ली 1979 संस्करण, पृष्ठ 656, भारत में जेहाद)

शेरशाह सूरी (1540–1546):–"तारीख–ई–शेरशाही" में अब्बास खान शेरवानी ने शेरशाह की महानता का वर्णन यों किया है। "उसने अपने अश्वधावकों को आदेश दिया कि हिन्दू गाँवों की जाँच पड़ताल करें, उन्हें मार्ग में जो पुरुष मिलें, उनका वध कर दें, औरतों और बच्चों को बंदी बना लें, पशुओं को भगा दें, किसी को भी खेती न करने दें, पहले से बोई फसलों को नष्ट कर दें, और किसी को भी पड़ोस के भागों से कुछ भी न लाने दें।" (पृष्ठ 316)

शेरवानी आगे लिखता है – 1593 में रायसीन के दुर्ग पर आक्रमण कर शेरशाह ने हिन्दू राजा पूरनमल को सुरक्षा और सम्मान के आश्वासन पर आत्मसमर्पण कराया। लेकिन उनके किले के बाहर आते ही, अल्लाह के रसूल के "धोखाबाजी" हुक्म का पालन करते हुए मुस्लिम सेना ने आक्रमण कर दिया। सभी हिन्दू पुरुषों का वध कर दिया गया। उनकी पत्नियाँ और परिवार बन्दी बना लिये गये। अन्यों को मरवा कर उसकी पुत्री को एक बाजीगर को दे दिया गया जो उसे बाजार में नचा सके और लड़कों को बधिया, खस्सी करवा दिया ताकि हिन्दुओं का वंश न बढ़े।

(भारत में जेहाद में उद्धृत)

अकबर महान (1556–1605) – अकबर ने अपनी पहली सफलता पर पराजित और बँधा हुआ राजा हेमचन्द्र (हेमू) का सिर काट कर गाजी की उपाधि प्राप्त की थी। हेमू के 80 वर्षीय वृद्ध पिता की भी, इस्लाम नहीं मानने पर, हत्या कर दी गई। अबुल फजल ने "अकबरनामा" में लिखा – चितौड में आठ हजार राजपूत योद्धाओं को हथियार विहीन कर उनकी हत्या कर दी गई और उनके साथ 40 हजार किसानों की भी। सामान्य तौर पर इसे बादशाहों का युद्ध समझ लिया जाता है पर इन सभी युद्धों में इस्लामी मजहबी उद्देश्यों और तरीकों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसे गैर मुसलमानों को जानना उनके हित के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। ऊपर वर्णित कुर्आन के सूर : 8 आयत 67 के हुक्म के अनुसार ही ये हत्याएँ की गई थीं। अकबर, पैगम्बर के सुन्नत के अनुसार पराजित राजाओं को अपमानित करने और विजय को अपनी पूर्णता प्रदान करने के लिए उनकी बेटियों को अपने हरम में डाल देता था। हिन्दू राजाओं, सरदारों और रईसों की सुन्दर औरतों को चुनने के लिए बाजार लगाता था। काफिरों को नीचा दिखाने और उन्हें अपमानित करने के लिए कुर्आन में अनेक हुक्म हैं। वैसे तो सम्पूर्ण इस्लाम ही काफिरों से शत्रुता करने और उन्हें कुचल कर इस्लाम में शामिल कराने का मजहब है। अकबर ने बाद में हिन्दुओं पर से जजियाकर हटा कर और उनसे निकटता बना कर वही सब किया। यद्यपि उसमें मजहबी कट्टरता नहीं थी फिर भी इस्लामी संस्कारों का असर तो था ही।

शाहजहाँ (1628–1658): –शाहजहाँ ने अपने इस्लामी फर्ज को पूरा करते हुए भयानक बर्बरता का परिचय दिया। हिन्दू नागरिकों को घोर यातनाओं द्वारा अपने संचित धन को दे देने के लिए विवश किया गया और अनेकों उच्च कुल की कुलीन हिन्दू महिलाओं का शील भंग और अंग भंग किया गया। (किन्स हैण्ड बुक फौर विजिटर्स टू आगरा एण्ड इट्स नेबरहुड तथा भारत में जेहाद, पृ0 45) उसने अनेक हिन्दू मंदिरों और हिन्दू भवन निर्माण कला केन्द्रों का बड़ी लगन और जोश से विध्वंस किया था। शाहजहाँ को पता चला कि बनारस और आसपास, उसके पिता के समय से ही कुछ मंदिर बनने शुरू हो गये हैं। यह सूचना मिलते ही उसने उन सब मंदिरों को ढहा देने की आज्ञा दी।

कश्मीर से लौटते समय 1632 में शाहजहाँ को बताया गया कि अनेकों महिलायें हिन्दू हो गईं और हिन्दू परिवारों में शादी कर लीं। शहंशाह के आदेश पर उन सभी हिन्दुओं को बन्दी बना लिया गया उन पर आर्थिक दण्ड लगाया गया। भुगतान नहीं करने पर धर्मान्तरण या मौत का विकल्प चुनने को कहा गया। धर्मान्तरण स्वीकार नहीं करने पर इस्लामी निर्देशों के अनुसार सबका वध कर दिया गया।

औरंगजेब (1658–1707) – औरंगजेब द्वारा हिन्दुओं पर किये गये अत्याचार इतने व्यापक हैं कि इस छोटे लेख में उसका वर्णन संभव नहीं है। औरंगजेब ने पूर्ववर्ती इस्लामी शासकों से कई गुना बढ़कर हिन्दू विनाश किया। इस्लामी तरीका, जिसमें काफिर की हत्या करना, उनको यातना देना, उनका धन लूटना और अचल सम्पत्ति को अपने अधिकार में करना, उनकी औरतों को लूटना, उनसे बलात्कार

करना, औरतों, बच्चों और शेष लोगों को मुसलमान बनाना, आदि का भरपूर पालन किया गया। उनके मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाना, मंदिरों में गाय कटवाना, हिन्दुओं को अपने भजन–कीर्तन, व्रत–पूजा, तीर्थ आदि से रोकना, हिन्दुओं पर जजिया कर लगाना, उनकी फसलों को जलाना, उनके घरों को फूँकना, उनके अंग–भंग करना आदि अत्याचारों द्वारा औरंगजेब ने अपने लंबे शासन काल में हिन्दुओं का विनाश करने में कोई कमी नहीं की। सिक्ख गुरुओं की हत्याएँ और हिन्दू यातना के उसके तरीके क्रूरता की सभी सीमाएँ पार कर गये थे। उसने मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने की नियमित कार्रवाई चलाने हेतु विभाग ही बना दिया था। अपनी नौकरियों में मुसलमानों को वरीयता देना, मुसलमान व्यापारियों को सह देने के लिए हिन्दू व्यापारियों पर अधिक कर लगाना, मूर्तियों को तोड़कर मस्जिदों की सीढ़ियों और रास्ते में बिछाने का प्रदर्शन करना, उनके टुकड़ों को मांस बेचने का बाट बना कर कसाइयों को देना, पाठशालाएँ और पुस्तकालयों को जलाना, इस्लाम नहीं मानने वालों को स्त्रियों, बच्चों सहित गुलाम बना कर नीलाम करना, छोटे हिन्दू बच्चों को पकड़कर बधिया कराना, हिन्दू खोपड़ियों के मीनार बनाना, दीवाली पर प्रतिबंध लगाना आदि कार्रवाई हिन्दुओं को सताने, नीचा दिखाने और तंग कर इस्लाम में शामिल करने हेतु शरीयत के अनुपालन में किये जाते थे।

अहमदशाह अब्दाली (1757 और 1761) – मथुरा शहर पर अब्दाली के आक्रमण में निहत्थे, असुरक्षित और असैनिक लोगों का चार घण्टे बेरहमी से वध किया गया। मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ कर पुजारियों का कत्ल कर दिया गया। (हुसैनशाही, पृ0 39, भारत में जेहाद)

अब्दाली की सेना आगे बढ़ी तो नजीब की सेना ने तीन दिन ठहर कर लूटपाट की। उसके सैनिकों ने अकूत धन लूटा और बहुत सी सुन्दर हिन्दू महिलाओं को बन्दी बनाकर ले गये। कुछ यमुना में, कुछ कुओं–तालाबों में कूद कर डूब मरीं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने लिखा था, गलियों और बाजारों में सर्वत्र वध किये हुए व्यक्तियों के सिर रहित धड़ बिखरे पड़े थे। सारे शहर में आग लगी हुई थी। रक्त से दूषित हो यमुना का पानी पीला रंग का हो गया था। वृंदावन में भी विध्वंश की वही लीला हुई। एक भ्रमणशील मुसलमान ने अपनी डायरी में लिखा था "जहाँ कहीं तुम देखोगे शवों के ढेर देखने को मिलेंगे। तुम अपना मार्ग बड़ी कठिनाई से निकाल सकते थे। एक जगह बिना सिर के दो सौ बच्चों के शवों का ढेर पड़ा था.....दुर्गन्ध और सड़ान्ध इतनी थी कि मुँह खोलना और साँस लेना भी कष्टकर था।

(फॉल ऑफ दी मुगल अम्पायर–सर जदुनाथ सरकार खण्ड।।, पृ0 69–70)

पानीपत में लाखों छिपे हुए मराठों को खोज कर कत्ल कर दिया गया। बन्दी लोगों को लाकर कसाई की तरह काटा गया।(यह इस्लामी सुन्ना के अनुसार ही था जिसमें मुहम्मद ने आठ सौ यहूदियों को बँधवा कर कसाई की तरह कटवाया था) युद्ध के स्थल पर शवों के इकतीस बड़े–बड़े ढेर गिने गये थे। प्रत्येक ढेर में शवों की संख्या पाँच सौ से एक हजार के बीच थी।

टीपू सुल्तान (1786 – 1799) – विख्यात इतिहासकार सरदार पाणिक्कर ने

लन्दन के इण्डिया ऑफिस लाइब्रेरी से टीपू के कुछ पत्रों–संदेशों आदि को खोजा था। उनके अनुसार बारह हजार नम्बूदिरी लोगों को धर्मान्तरित कर शेष लोगों को वैसा ही करने का हुक्म दिया। एक संदेश में कहा – "सभी हिन्दुओं को बन्दी बना कर वध कर देना। बीस वर्ष से कम उम्र वालों को कारागृह में लेना और बाकी में से पाँच हजार का पेड़ पर लटका कर वध कर देना।" एक संदेश कहता है – "चार लाख से अधिक हिन्दुओं को मुसलमान बना दिया गया है। अब पापी रमन नायर की ओर बढ़ना है। उसकी प्रजा को भी इस्लाम में धर्मान्तरित कर लिया जायेगा।" एक अन्य संदेश में – "मेरी महान अभिलाषा का उद्देश्य जिहाद है। मैं विचार करता हूँ कि अल्लाह और उसके पैगम्बर के आदेशों से एक मत हो हमें काफिरों के विरुद्ध जेहाद के लिए संगठित हो जाना चाहिए। मुसलमान जुमा को प्रार्थना करते हैं, "हे अल्लाह ! उनलोगों को जिन्होंने पन्थ का मार्ग रोक रखा है, कत्ल कर दो। उनके पापों के लिए उनके सिरों को दण्ड दो।"

श्री रंगापट्टनम दुर्ग में प्राप्त टीपू का एक महत्वपूर्ण शिलालेख है। शिलालेख के शब्द इस प्रकार हैं – "हे सर्वशक्तिमान अल्लाह ! गैर–मुसलमानों के समस्त समुदाय को समाप्त कर दे। उनकी सारी जाति को बिखरा दो, उनके पैरों को लड़खदा दो, अस्थिर कर दो और उनकी बुद्धियों को फेर दो। मृत्यु को उनके निकट ला दो, उनके पोषण के साधनों को समाप्त कर दो। उनकी जिन्दगी के दिनों को कम कर दो। उनके शरीर सदैव उनकी चिन्ता के कारण बने रहें, उनके नेत्रों की दृष्टि छीन लो, उनके मुँह (चेहरे) काले कर दो, उनकी वाणी (जीभ) को, बोलने के अंग को नष्ट कर दो, उन्हें शिदौद की भाँति कत्ल कर दो जैसे फरोहा को डुबोया था, उन्हें भी डुबा दो और भयंकरतम क्रोध के साथ उनसे मिलो। हे बदला लेने वाले ! हे संसार के मालिक ! पिता ! मैं उदास हूँ। हारा हुआ हूँ। मुझे अपनी मदद दो !"

टीपू के कामः– कालीकट में अधिकांश मर्दों और औरतों को फाँसी पर लटका दिया जाता था। पहले माताओं को, उनके बच्चों को उनकी गर्दनों से बाँध कर, लटका कर फाँसी दी जाती थी। उस बर्बर टीपू द्वारा नंगे हिन्दू और ईसाई लोगों को हाथियों की टाँगों से बँधवा दिया जाता था और हाथियों को तब तक घुमाया जाता था, दौड़ाया जाता था, जब तक कि उन सर्वथा असहाय, निरीह, विपत्तिग्रस्त प्राणियों के शरीरों के चिथड़े–चिथड़े नहीं हो जाते थे। मंदिरों और गिरिजों में आग लगाने, खण्डित करने और ध्वंस करने के आदेश दिये जाते थे।

(वौयेज टू ईस्ट इण्डीज – फ्रा बारटोलोमाको, पृ0 141–142)

दी मैसूर गजटियर के अनुसार – "टीपू ने दक्षिण भारत में आठ सौ से अधिक मंदिर नष्ट किये थे। अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों से सत्ता छीन लिये जाने के बाद से हिन्दू लोगों पर इस्लामी सत्ता द्वारा चलाये जाने वाली जेहादी कार्रवाइयाँ लगभग समाप्त हो गईं। मुस्लिम शरीयत कानूनों के अनेक प्रावधानों को हटाकर नये कानून लागू कर दिये गये। मुस्लिम अत्याचारों के सीधे प्रहार से हिन्दुओं को राहत मिली। लेकिन धीरे–धीरे अंग्रेजों ने भारतीय अर्थ तंत्र को छिन्न–भिन्न कर, मात्र शोषण का उपनिवेश बना दिया। इससे हिन्दुओं और मुसलमानों में समान असंतोष फैला। 1857 ई0 में अंग्रेजों

के विरुद्ध हिन्दू और मुसलमान का संयुक्त विद्रोह हुआ। मुसलमानों द्वारा अंग्रेजों के विरोध का कारण उनसे सत्ता छिन जाना था। जबकि हिन्दुओं में असंतोष अनेक कारणों से भड़का था। मुसलमानों ने हिन्दुओं को विश्वास में लेकर अपना पक्ष मजबूत कर अपनी कूटनीति सफल की। उनकी राजनीति, उनके मजहब का अंग होने के कारण, निश्चित उद्देश्य के लिए होती है। हिन्दुओं को न अपनी निश्चित दिशा का ज्ञान होता है और न मुसलमानों के उद्देश्यों और दिशा की जानकारी होती है। इस कारण हिन्दू राजनीति को सदा पराजय का मुँह देखना पड़ता है। वर्तमान समय में भी स्थिति में कोई अंतर नहीं आया है।

अपने से मजबूत शत्रु अंग्रेजों से लड़ने के लिए उन्होंने हिन्दू वर्ग को आगे कर दिया जिससे मुसलमानों को शत्रु समझने वाली ब्रिटिश सरकार हिन्दुओं से नाराज हो गई। अब वह हिन्दू सुरक्षा में अधिक रुचि नहीं लेती थी। इसलिए देश भर में हिन्दू मुस्लिम दंगों की बाढ आ गई। काफिरों को नीचा दिखाना, उन्हें दबा कर रखना, उनसे सख्ती से पेश आना आदि इस्लामी हुक्मों के आधार पर ही मुसलमान अपनी रणनीति निर्धारित करते हैं जबकि हिन्दू इस सब की बिलकुल ही समझ नहीं रखते। वे कभी अपनी शक्ति और संगठन में वृद्धि का उपाय नहीं करते हैं। बिना अपनी दिशा, कार्य योजना और उसके अनुकूल सांगठनिक और सैनिक शक्ति या सुरक्षात्मक शक्ति के आकलन के, उत्तेजनात्मक शेखी बघारने में आगे अवश्य रहते हैं। स्वार्थपरता और कायरता को अहिंसा और सहिष्णुता कहते हैं। परिणाम स्वरूप 1921 में मालावार में मोपलों द्वारा जेहाद की शुरुआत कर दी गई। जिसमें कई हजार हिन्दुओं की हत्या हुई। उनकी सम्पत्ति और औरतों की लूट और बलात धर्मान्तरण हुआ। आधुनिक युग में भी मध्ययुगीन बर्बरता का ताण्डव हुआ। इस जेहादी कार्रवाई की चर्चा इसी पुस्तक में अन्यत्र थोड़ी की गई है। उसके बाद 1946 में दी "ग्रेट कलकता कीलिंग्स" और 1947 में देश–विभाजन के समय इतिहास का क्रूरतम और बर्बरतम शैतानिय से भरा हुआ रक्त रंजित जेहाद हुआ। बंगाल, पंजाब, सिन्ध, बलूचिस्तान और सीमा प्रान्त में खून की धाराएँ चलने लगीं।

पाकिस्तानी–पंजाब से यात्री गाड़ियाँ सनातनी और सिक्ख पंथ के हिन्दुओं की लाशों से भर–भर कर भारत में आने लगीं। पूरे पाकिस्तानी क्षेत्र में, पूरी मुस्लिम जनसंख्या अपने मजहब के सर्वोच्च कर्तव्य जेहाद के आह्वान में शामिल हो गई। दो–दो, चार–चार गाँवों के मुसलमान एक साथ, दस–दस, बीस–बीस, तीस–तीस हजार के जत्थों में जमा होकर गाँव के गाँव हिन्दू–सिक्खों का कत्ल करने, गाँवों को फूँकने, उनकी सुन्दर औरतों–लड़कियों से बलात्कार करने, उनका अपहरण करने, उनका धन लूटने, मंदिरों को ढहाने, मूर्तियों को तोड़ने, गाय काट कर हिन्दुओं–सिक्खों को गोमांस खिलाने और धर्मान्तरित करने के काम में लग गये। इसमें मुस्लिम समुदाय के हर तबके के लोगों द्वारा सक्रिय भाग लिया गया। नवाब, जमीन्दार, किसान, मजदूर, कारीगर, व्यापारी, डाक्टर, वकील, पुलिस आफिसर, सिपाही, डी0सी0, कमिश्नर और सेना के साथ–साथ इस्लामी मजहबी विद्वान, मौलवी, उलेमा और राजनीतिक कार्यकर्ता, सबको एक साथ अवसर मिला, और वे सभी जेहाद के अपने सर्वोच्च

मजहबी दायित्व की पूर्ति में लग गये। अपनी पुस्तक "स्टर्न रेकनिंग" में जस्टिस जी0डी0 खोसला ने हिन्दू–सिक्ख संहार का दिल दहलाने वाला वर्णन किया है। आने वाले दिनों में अब उससे भी अधिक वीभत्स रूप में वही सब दुहराये जाने की तैयारी चल रही है।

मोपलों के जेहाद के समय गाँधी जी ने कहा था कि वे ऐसे धर्मभीरु लोग हैं जो अपने धर्म की आज्ञाओं के अनुसार युद्ध कर रहे हैं। लेकिन गाँधी महोदय ने इसके लिए उनकी भर्त्सना नहीं की। इस प्रकार उनका तो मनोबल बढ़ाया पर उनके लिए क्या कहा जो मुसलमानों के धर्मपालन का शिकार बन रहे थे ? जिनकी हत्या हो रही थी, जिनकी औरतें लुट रही थीं, जिनका धन लूटा जा रहा था और जिन्हें हर प्रकार से मटियामेट किया जा रहा था ? उनके लिए उन्होंने कहा कि हमारा धर्म अहिंसा पालन है, आप किसी पर आक्रमण न करें और अपने घरों में रहें। भगवान पर विश्वास रखें।

दुनिया के इतिहास में किसी समुदाय का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अपने समुदाय को इस प्रकार गुमराह कर उसका संहार कराया हो और फिर भी पूजा जाता हो, ऐसा पौराणिक युग में माथा रखने वाले भारत में ही सम्भव है।

जिस व्यक्ति को कम से कम इतना मालूम था कि उसके पड़ोसी का सर्वोच्च मजहबी दायित्व हमारे धर्म को मिटाना है और वह भी निर्ममता पूर्वक हत्या, लूट, अनैतिक और घृणित दुष्कर्म द्वारा, तब क्या उसका यही दायित्व था कि वह धर्म का झूठा पाठ पढ़ा कर अपने लोगों को गुमराह और असावधान कर दे और उसका विध्वंश करा दे ? यदि बंगाल और पंजाब के हिन्दुओं–सिक्खों को सावधान किया गया होता, हथियारबंद रहने, सुरक्षा की व्यवस्था करने, सुरक्षा के साधन जुटाने और प्रशिक्षण लेने को कहा गया होता तो क्या उनका इस प्रकार सरलतापूर्वक सर्वनाश हो जाता ?

आज भी हिन्दुओं की वही स्थिति है। सोच का वही मूर्खतापूर्ण ढंग है। असावधान, असंगठित और अव्यवस्थित जीवनशैली का वही क्रम है। किसी व्यक्ति में आस्था बना लेना, उसके दोषों को भी आस्था की नजर से गुण मान कर आलोचना नहीं करना, उससे शिक्षा नहीं ग्रहण करना और सीख लेकर आगे की व्यवस्था नहीं करना, आत्मघाती मार्ग पर ही चलने के समान होता है। सभी वर्ग के हिन्दुओं जैसे सिक्ख, बौद्ध, जैन, आदि की सदियों सहस्राब्दियों की पैतृक भूमि से, उनकी पीढ़ियों की संचित दौलत को छीन कर बेदखल कर दिया गया। इस क्रम में उन्हें जिस भयंकर दानवी कृत्य का सामना करना पड़ा क्या उन्होंने उसकी कभी कल्पना भी की थी ? उनकी आँखों के सामने उनके बच्चों को टुकड़े–टुकड़े किया गया। उनकी लड़कियों को उनके सामने ही बलात्कार का शिकार बनाया गया। वे हजारों लाखों की संख्या में लकड़ी, तेल, पुआल में आग लगा कर जीवित जल मरीं। कुँओं, तालाबों में कूद कर जानें दीं। मर्दों को घरों से निकाल-निकाल कर काटा गया। बसों, ट्रेनों को रोक-रोक कर उनकी हत्याएँ की गईं। हैवानियत और पाशविकता का ऐसा बर्बर ताण्डव क्यों हुआ ? जब लोग खुद ही घर छोड़–छोड़ कर भागे जा रहे थे, तब उन्हें

रोक–रोक कर क्यों कत्ल किया गया ? क्या कभी किसी हिन्दू ने इसे जानने का प्रयास किया कि वह कौन सी बात थी जिसके कारण एक मजहबी समुदाय के सभी तबके के लोग एक साथ निर्दोषों के संहार में शामिल हुए ?

देश का विभाजन हो गया। एक तिहाई भाग को दारुल इस्लाम बना दिया गया। वहाँ से काफिरों को कत्ल कर, उनकी औरतों और उनका धन लूट कर, कुछ को धर्मान्तरित कर, शेष को निष्कासित कर उन्हें मिटा दिया गया। क्योंकि अल्लाह का हुक्म है: –

"और युद्ध करो उनसे यहाँ तक कि फितना (मूर्तिपूजा) बाकी न रहे और दीन अल्लाह ही का हो जाय।" (कु0 2:193)

"और जब कुफ्र करने वालों से तुम्हारी मुठभेड़ हो जाये तो गर्दनें मारना.....।" (कु0 47:4)

".....तो मुश्रिकों (मूर्ति पूजकों) को जहाँ पाओ कत्ल करो, और पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो।" (कु0 9 : 5)

लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। भारतीय क्षेत्र से अधिकांश मुसलमान, मुसलमानों के लिए ही बने पाकिस्तान में नहीं गये, और जो गये भी उनमें से अधिकांश धीरे–धीरे वापस आ गये। उन्होंने देश विभाजन में बढ़–चढ़ कर हिस्सा इसलिए नहीं लिया था कि उनको यहाँ कोई दबा या सता रहा था बल्कि उन्होंने वैसा इसलिए किया कि वैसा करना उनका मजहबी फर्ज था और इस बात को उन्होंने कभी नहीं छिपाया। देश विभाजन के अवसर पर अति उत्साहित मुस्लिम नौजवान नाचते–गाते नारा लगा रहे थे –

हँस के लिया है पाकिस्तान
लड़ के लेंगे हिन्दुस्तान।

उन्हें अपने मजहबी उद्देश्य की जानकारी थी और हिन्दुओं के ऊँचे से ऊँचे रहनुमाओं को भी इसका ज्ञान नहीं था। गाँधी द्वारा विभाजन के समय मुसलमानों के पक्ष में खड़ा होने और हिन्दू हितों के साथ घात करने के कारण उनसे और उनकी कांग्रेस से हिन्दू अत्यन्त कुपित हो गये थे। नेहरू ने अपने स्थाई वोट की व्यवस्था के लिए मुसलमानों को भारत में ही रोक दिया। जब किसी समुदाय का प्रतिनिधि सिर्फ अपना हित देखता है तब वह निश्चय ही देश और समाज के हित की परवाह नहीं करता है। हिन्दू व्यक्ति के नस–नस में स्वार्थपरता ऐसी समाई है कि आज के दिन भी उसका प्रत्येक नेता अपने लिए देश और समाज को नष्ट करने पर तुला है।

आज मुस्लिम जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। मुस्लिम समुदाय उसे बढ़ाने के हर संभव उपाय में लगा हुआ है। जेहादी फर्ज की शिक्षा के लिए मदरसों की बाढ़ आ गई है। मुस्लिम देशों में भारत में जेहाद की तैयारी के लिए बेहिसाब दौलत झोंकी जा रही है। पड़ोसी पाकिस्तान का आई0एस0आई0 पूरे भारत में मुस्लिम मुहल्लों और ठिकानों में आधुनिकतम हथियारों के संग्रह में लगा हुआ है। "पाकिस्तान की आई0एस0आई0 की खतरनाक गतिविधियाँ" (प्रकाशक सांस्कृतिक गौरव संस्थान) और "आई0एस0आई0 का आतंक" लेखक राम नरेश सिंह (शिवा प्रकाशन, पटना)

जैसी पुस्तकों में इनकी गतिविधियों की विस्तार से चर्चा की गई है। मुजाहिदों (मुस्लिम लड़ाकों) के प्रशिक्षण की कार्रवाई चल रही है। मजहबी माँगें अब धीरे–धीरे बढ़ने लगी हैं। अलगाववादी मनोवृत्ति को बढ़ाने के लिए हवा दी जाने लगी है ताकि इसे उन्माद की हद तक पहुँचाया जा सके। मुसलमान अलग पहनावे, दाढियाँ रखने एवं पहचान के अलग ढंग अपनाने में सक्रियता दिखाने लगे हैं। मुस्लिम समाज की गतिविधि का केन्द्र बनाने हेतु मस्जिदों का विस्तार किया जा रहा है। हिन्दुओं पर दबदबा दिखाने के लिए लाउडस्पीकरों से अजान का शोर किया जाने लगा है। (अभी अभी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से इस पर रोक लगी है)। परिवार नियोजन को अस्वीकार कर दिया गया है। पाकिस्तान और बंगलादेश से घुसपैठ कराकर मुसलमानों की स्थाई बस्तियाँ बसाई जा रही हैं। तोड़–फोड़ और भीतरघात के लिए विस्फोटकों का प्रबंध हो रहा है। इसका प्रमाण है कि देश के विभिन्न भागों में विस्फोटक सामग्रियाँ उनसे ही पकड़ी जा रही हैं। देश के चुने हुए इलाकों जैसे असम, बंगाल, केरल आदि में मुस्लिम जनसंख्या का विस्तार कर उन्हें उपद्रव ग्रस्त क्षेत्र बनाने की कोशिश चल रही है।

कश्मीर घाटी से हिन्दुओं का सफाया किया जा चुका है। तीन लाख कश्मीरी अपने स्वतंत्र देश में, अपनी जमीन से बेदखल हो चुके हैं। उनकी जमीन, उनके बाग–बगीचे, उनके घर और उनकी लड़कियाँ छीनी जा चुकी हैं। उनके युवाओं का कत्ल हो चुका है। बापों ने अपनी आँखों के सामने अपनी बेटियों से बलात्कार होता देखा है। जेहादी, अत्याचार और उत्पीड़न के दिल दहलाने वाले किस्से हिन्दुओं को शर्म आने के लिए बताये जा रहे हैं। कुछ किस्से इस प्रकार हैं:–तीस–चालीस मुजाहिद पचास एकड़ सेव के बाग के मध्य में बने भवन में प्रवेश करते हैं। घर के सारे पुरुषों और महिलाओं को अपने कब्जे में लेते हैं। फिर गाय काट कर उनके घरों में मांस पकाते हैं, शराब पीते हैं। घर के सभी लोगों को बाहर निकाल कर एक घेरा में खड़ा करते हैं। उनकी लड़की को बीच में खींच लाते हैं, उसे नंगी करते हैं, फिर बलात्कार करते हैं। सबको इस क्रिया को देखने के लिए विवश करते हैं। जो देखने से आँख चुराता है उसको गोलियों से उड़ा देते हैं। एक, दो, तीन.....लाशें गिरती हैं। बलात्कार का क्रम चलता है। लड़कियों को उठा ले जाते हैं। बूढ़ी औरतों का स्तन काट कर उसके बूढ़े पति के साथ, घूमघूम कर इस्लाम की महिमा सुनाने के लिए, भेज देते हैं। हिन्दू सुनते हैं पर उनको परवाह नहीं, कोई चिन्ता नहीं, कोई शर्म नहीं। वे इससे ऊपर उठ चुके हैं। वे सेक्युलरवादी हो चुके हैं। वे विकृत मार्क्सवादी हो चुके हैं और वे शर्म को भी शर्मा चुके हैं। उनका स्वाभिमान मिट चुका है। वे संवेदनहीन हो चुके हैं, पैसा कमाने वाली मात्र मशीन। उन्हें अयोध्या काला दिवस लगता है। उन्हें ट्रेन में जिन्दा जलाये गये लोगों की घटना ड्रामा नजर आती है। उन्हें गुजरात दंगे से शर्म आती है। वे ट्रेन में जलाये लोगों को स्टोव से जला बताते हैं। उनका स्वाभिमान मर चुका है। उन्हें सिर्फ धन चाहिए। जज पैसा लेकर इच्छानुसार कोई जाँच प्रतिवेदन दे सकता है। राजनीतिज्ञ पद, पैसा और प्रभुत्व के लिए सब कुछ बेच सकता है। ईमान, धर्म, सिद्धांत, स्वाभिमान और देश को भी। धर्म के नाम पर देश

बँटवाने वाला उसे धर्मनिरपेक्ष लगता है। मुस्लिम वोट की महिमा के आगे सभी नत मस्तक हैं। इनमें होड़ लगी है। मुम्बई में बम फटते हैं और सैकड़ों हिन्दुओं के चिथड़े उड़ते हैं और सब चुप। फिदायीन हमले होते हैं। सब चुप। कश्मीर के विस्थापितों की समस्या पर सब चुप। लोग अक्षरधाम में भूँज दिये जाते हैं। सब चुप। वोट की खुशामद में शर्म को भी शर्माने वाले वक्तव्य देते हैं।

कश्मीर के बाद अब लद्दाख और जम्मू की ओर जेहाद बढ़ चला है। अब आसाम, बंगाल, बिहार और केरल में जिहाद शुरू होगा और कल पूरे देश में शुरू होगा। जो कश्मीर में हुआ, जो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और बंगाल में हुआ, जो मालावार में मोपलों का जिहाद हुआ, जो इतिहास के लम्बे काल में होता रहा वही अब पूरे भारत में होने वाला है। बाज को देखकर कबूतर आँखे बन्द कर ले तो यह उसके लिए अच्छा ही है। इस्लाम विस्तार के लिए हिन्दुओं जैसा निकम्मा, नीच–स्वार्थी, लापरवाह, कायर, मूर्ख, असावधान और असंगठित दूसरा समुदाय कहाँ मिलेगा। इधर इस्लाम अपने विध्वंस और रक्तपात के जेहादी कर्तव्य से तनिक भी पीछे नहीं हटा है। अबतक कुछ नहीं बदला है। यदि कुछ बदला है तो यही कि वह कुछ और उग्र होकर उन्माद की ओर बढ़ गया है। तलवार की जगह बारूद, आर0डी0एक्स, मशीनगन, रॉकेट और अन्य अत्याधुनिक हथियार उनके हाथों में आ चुके हैं। अब बदला है तो यही कि उन्हें मदद देने के लिए पूरब और पश्चिम दो मुस्लिम देश, उनके जेहाद में कुमक पहुँचाने के लिए तैयार हो गये हैं। अब बदला है तो यही कि मुजाहिदीन ज्यादा प्रशिक्षित हो गये हैं।

उन्हें पैगम्बर के सुन्नत पालन का मार्ग याद है। अपने कार्यों और जेहादी गतिविधियों की गोपनीयता बनाये रखना, काफिरों को अपनी सही जानकारी न देना और उन्हें भ्रमित किये रखना। काफिरों की हर स्तर पर जासूसी करना, उनके हर आन्तरिक और बाह्य कार्यों में उनके साथ जुड़े रहना। मस्जिद को अपनी जेहादी कार्रवाई का केन्द्र बनाना। सभी सूचनाएँ वहाँ देना और निर्देश लेना। देश को दारुल हर्ब समझना और जब तक इस्लामी सत्ता न स्थापित हो जाय, अनेक रूपों में अनवरत चलने वाले जेहादी कार्य को आगे बढ़ाना, आदि।

काफिरों से उनका अकूत धन और उनकी सुन्दर औरतें देने का अल्लाह का वादा उन्हें याद है। जैसे-जैसे वह दिन निकट होता जा रहा है, ईमान वालों का उत्साह बढ़ कर मजहबी उन्माद में बदलता जा रहा है।

ब्रिगेडियर एस0 के0 मल्लिक, "कुरानिक कनसेप्ट ऑफ वार" में कहता है – जिहाद एक निरंतर कभी न समाप्त होने वाली जद्दो जहद है जो सभी मोर्चे पर लड़ी जाती है – राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, घरेलू, नैतिक और आध्यात्मिक मोर्चे पर जब तक कि ध्येय प्राप्त न हो जाय। इसका उद्देश्य इस्लामिक राज्य का सम्पूर्ण ध्येय प्राप्त करना है और सैनिक कूटनीति उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए अनेक उपायों में से एक उपाय है। यह वैयक्तिक, सामुदायिक आन्तरिक और वाह्य सभी मोर्चों पर लड़ी जाती है।

अपने विरोधियों की, विशेषकर लेखकों, प्रकाशकों, कलाकारों, धर्मगुरुओं

आदि की "धोखाबाजी" से हत्या कराना। अशांति के सभी कर्म करना और स्वंय को शांति का पुजारी कहना। व्यापार में टैक्स चोरी, स्मगलिंग और दो नम्बरी सारे काम करना जिससे दारुल हर्ब देश कमजोर होकर शीघ्र ही इस्लाम द्वारा पराजित हो जाय। इस्लाम की सेवा में देशद्रोह की सभी कार्रवाई करना। काफिरों के कुछ व्यक्तियों और कुछ समूहों को मिलाकर उनके ही कुछ व्यक्तियों और कुछ समूहों के लोगों में झगड़ा कराना, उनकी हत्याएँ कराना और उनका नाश कराना। उनकी औरतों को जीत कर बीवियाँ या लौंडियाँ बनाना। जैसा पैगम्बर और सभी सुल्तानों, सेनापतियों, नवाबों आदि ने किया। आज थोड़ा रूप बदलकर, फुसला–बहला, लोभ, लालच, छल–कपट से उनकी लड़कियों को अपहरित कर पूरे समुदाय को अपमान और निम्नता का एहसास कराना और अपना निरंतर विस्तार जारी रखना। किसी स्थान पर जा कर वहाँ कुछ को मिलाना, कुछ को शत्रु बनाना और धीरे–धीरे लड़ाई करते कराते वहाँ के मूल निवासियों को हटा कर कब्जा कर लेना जैसा मुस्लिम बस्तियों के विस्तार के लिए बंगलादेशियों द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से किया जा रहा है; ताकि इस्लामी सत्ता स्थापित की जा सके, शरीयत कानून लागू किया जा सके और अल्लाह का राज दारुल इस्लाम बनाया जा सके। यही सुन्नते रसूल है। इसके लिए मुसलमानों को उभाड़ना और जेहाद के लिए आह्वान करना, फिर युवाओं की हत्या, कत्लेआम, खून की दरिया, धन की लूट, खेतों–महलों पर कब्जा, जवान औरतों, बच्चों पर कब्जा और भारत का सम्पूर्ण इस्लामीकरण। आगे, भविष्य का यही दृश्य है। इसे और भी स्पष्ट करने वाली एक कविता है –

जेहाद के अभियान में जत्था मुजाहिद मोमिनों का जब चलेगा,
ध्वस्त होंगे महल तेरे, कत्ल सारे नौजवानों का,
आज हो बेचैन जिस धन के लिए, सब लुट चुकेगा,
बेटियों, बहुओं और बहनों से निकाहें हो चुकेंगी कातिलों का।।
अर्थ अर्जन और संग्रह की पिपासा तृप्त भी होने न पायेगी कि तुम,
चिर–शांत होगे, देख अपनी आँख से विध्वंश अपने प्रियजनों का,
सांत्वना के हेतु भी जीवित न कोई शेष होगा, और जो होगा अगर
धर्मान्तरित होगा, विवश, खा मांस गो का।।
हिन्दुओं ! इतिहांस से सीखो, जरा सोचो, हजारों साल से,
बन पद दलित हमलावरों का, गौरव हीन औ श्रीहीन हो कर,
हत्या, लूट, उत्पीड़न, गुलामी, अपहरण, व्यभिचार, अत्याचार
'औ' अपमान सहकर
जीना भी बकरियों, भेंड़, कुत्तों, गीदड़ों सा और क्यों कर ।।
त्याग सब कमजोरियाँ, हो संगठित औ सबल, धारण तेज कर, उत्साह,
साहस, जोश में, हो आत्म बलिदानी, कुलिश सम, शत्रु संहारक बनोगे ?
कहो तुम क्या करोगे ?

हिन्दुओं को इन सब फिजूल बातों पर ध्यान देने का कहाँ समय है ? हिन्दू समाज के सिर और हिन्दू समाज के मार्गदर्शक बेसिर और दिक्भ्रमित हो चुके हैं।

धर्मगुरू को नहीं मालूम कि धर्म क्या है ? संतों की साधना सुन्दर शाही सदनों में सद्गति प्राप्त कर रही है। धर्मोपदेशक धर्म के व्यवसाय में जुटे हैं। पंडित, कथा–वाचक, ज्योतिषी, पंड़े, पुरोहित सब अलग–अलग धर्म की चिता पर रोटियाँ सेंक रहे हैं। नये देवी–देवताओं का जन्म हो रहा है। पुराने विस्मृत हो रहे हैं। पूरा समाज अंध विश्वास में भटक रहा है। हिन्दू समाज के सभी धर्माचार्य संयुक्त रूप से विचार कर, कोई सर्वसम्मत मार्ग निकालने, जिसमें पूजा–पाठ, कर्मकाण्ड, संस्कार, सामाजिक जातीय व्यवस्था और हिन्दू धर्म में पुनः वापस लेने का विधान शामिल हो, से बिल्कुल दूर और सामाजिक हित की चिन्ता से बेखबर अपने में मग्न हैं। वे धर्माचार्य के कर्तव्य से च्युत हो चुके हैं।

राजनेता का धर्म एक मात्र सत्ता प्राप्ति तक सिमट चुका है। सत्ता का धर्म विस्मृत हो चुका है। "समुदायों के घोषित अन्यायपूर्ण विधानों" को नियंत्रित करने, रोकने या मिटाने के सत्ता के कर्तव्य से वे दूर का भी संबंध नहीं रखते। सत्ता प्राप्ति के लिए वोट की शक्ति के सामने एक इशारे पर नृत्य कर रहे हैं। सभी के सभी, तरह–तरह के लुभावने नृत्य करने में जुटे हैं। लेकिन वोट का मालिक नृत्य से संतुष्ट नहीं है, उसे तो नर्तकी का जिस्म भी चाहिए और ताज भी। नर्तकियाँ अब उसके लिए भी प्रस्ताव देने की होड़ लगा रही हैं ताकि महारानी की ताज उसे ही मिल जाय। राजनीति से न्याय और नैतिकता की विदाई हो चुकी है। इनमें किसी से कोई उम्मीद व्यर्थ है।

समाज के मालदार वर्ग, राजनेताओं के अलावा सरकारों के बड़े–बड़े नौकरशाह, व्यापारी, उद्योगपति, धनोपार्जन के काम में इतना व्यस्त हैं कि उन्हें दूसरा कुछ भी सोचना नहीं है। पेशेवर लोग और सरकारी–गैर सरकारी अधिकारी–कर्मचारी सभी अपने–अपने काम में व्यस्त हैं। किसान, मजदूर, कारीगर आदि जीविका जुटाने में लगे हैं। भविष्य का विध्वंस उन्हें नहीं सूझ रहा है। सबसे बढ़कर उनकी स्थिति सोचनीय होगी जो दोनों हाथ से धन बटोरने में लगे हैं। उन्हें क्या पता कि उनका यही धन उनके बाल–बच्चों का नाश कराने वाला है।

ये बातें कुछ लोगों को हल्की और हास्यास्पद लगेंगी क्योंकि मनुष्य–प्रकृति की यही विशेषता है। जब किसी उपेक्षित समस्या की ओर उनका ध्यान दिलाया जाता है तब वे उसका उपहास करते हैं; लेकिन उनकी उपेक्षा और मतिहीनता से जब समय निकल जाता है, तो पश्चाताप करते हैं। आज हिन्दू समाज की यही स्थिति है। नवयुवक और विद्यार्थी, मिश्र–संस्कृति के उन्नयन हेतु बनाई गई पाठ्य–पुस्तकों से शिक्षा ग्रहण कर तथ्यों और सच्चाई से अनभिज्ञ हैं। सबसे भयानक स्थिति, पूरे समाज के स्वार्थी और आत्मकेन्द्रित बन जाने के कारण उत्पन्न हुई है, जिसने समाज की नैतिक दृष्टि को भ्रष्ट बना दिया है।

पूरे हिन्दू समाज को एक इकाई में संगठित करने के बदले हिन्दू समाज में प्रत्येक जाति के लोग जातीय संगठन बना कर समाज को बाँटने का बड़ा ही स्थाई खतरनाक खेल खेल रहे हैं। उन्हें सामाजिक प्रचार और प्रभुत्व प्राप्ति से सत्ता में

भागीदारी की कुछ संभावना भले ही नजर आती हो लेकिन दीर्घ कालिक हिन्दू हित का नाश वे किस सीमा तक करते हैं, इसका आकलन करने का तनिक भी कष्ट नहीं उठाते। इसका परिणाम बहुत विनाशक और आत्मघाती होगा। अगर हिन्दू समाज शीघ्र चेत कर उचित मार्ग पर तेजी से नहीं बढता है तो आने वाली पीढी को उनकी लापरवाही का पाप झेलना पड़ेगा, जैसा अभी कश्मीरी पंडितों के वंशजों को झेलना पड़ा है।

हिन्दुओं मानो न मानो, हो खड़े तुम पतन के जिस आखिरी सोपान पर,
भविष्यत काल की हो कालिमा से बेखबर,
नष्ट होने से तेरे अस्तित्व को, सकता न है कोई बचा,
यूँ ही अगर चलते रहे, खो दूर दृष्टि मूढ बन कर.
स्वार्थान्ध, अति निकृष्ट, मतवालों दिवानों, पागलों सा,
दौलत हेतु बन विक्षिप्त व्याकुल,
और धरकर रूप, गृद्धों, श्वान की पशुवृत्ति का,
छल–कपट षड्यंत्र, छीना झपट, बेईमानी ठगी से,
त्याग नैतिक, श्रेष्ठ मानव मूल्य "औ" सद्वृत्ति का,
प्रेम, शिष्टाचार, अनुशासन, विनत–व्यवहार, आदर श्रेष्ठ जन का त्याग,
विकृत, भ्रष्ट, धन के लोभ से हो बन रहे,
नियति को सौंप, गौरव भूल, खोकर तेज, बन असहाय, निर्बल मेमनों सा
आत्म–हत्या हेतु उद्यत, एकता खोकर, कलह में सन रहे,
स्वजन, सम्पत्ति, संस्कृति, न्याय, रक्षा हेतु, जन–जन को जगा, कर संगठित
शस्त्रास्त्र कर धारण, मिटाने दनुजता का धर्म निज पालन करोगे ?
कहो तुम क्या करोगे ?
न्याय, शांति, स्वतंत्रता को छीनने है आ रही बढ़कर दनुजता सामने
सहस्रों साल से ही, अनगिनत निर्दोष मानव का वधिक,
कहती हुई काफिर तुम्हें, लूटती सर्वस्व, माँ, बहन, बेटी–बहू को रौंदती
धन, धर्म, संस्कृति, श्रेष्ठ मानव मूल्य को मिट्टी मिलाती आज तक।
पाखण्डी मजहबी जुनून के उन्माद में विध्वंस को कुछ और भी
वीभत्स करती, "औ" यहाँ अवदार्य और सहिष्णुता कादर्य का पर्याय बन
तप्त हिन्दू रक्त को शीतल बनाती।
प्रसंगातीत मूल्यों की तिलांजलि दे, नसों में
तप्त नूतन रक्त का संचार क्या अब तुम करोगे ?
कहो तुम क्या करोगे ?
एक छोटे से इलाके में, जहाँ पर सबल हिन्दू फौज रक्षा में लगी है क्या हुआ?
रोंगटे कम्पित, कभी बेहद उबलता रक्त है, सुनकर वहाँ जो हो रहा, जो कुछ हुआ।
मुजाहिद उग्रवादी नाम से हिन्दू घरों में गोलियों से भूँजते, बच्चों, जवानों को,

लाशें चीर कर हैं टाँग देते डालियों में पेड़ के, हिन्दू दिलों में डालने आतंक को,
लूट कर सम्पत्ति सारी तेरी माँओं के स्तन काटते, फिर विवश, मूर्छित बेटियों
बहुओं को तेरी, रेप करते हैं पिता के सामने,
फिर अपहरित करते उन्हें, उनके घरों को फूँक कर।
आज स्तनहीन पत्नी साथ बूढ़ा, स्मृति के डंक से पीड़ित, पड़ा है शिविर में
सर्वस्व खो, निज देश में।
कहो तुम क्या करोगे ?

◆

7. हिन्दू पराजय का कारण

हिन्दू इतिहास पराजय की लम्बी कहानी है। इस ऐतिहासिक सत्य की, तथ्यों के आलोक में, गहनतम एवं सूक्ष्मतम विवेचन द्वारा कारणों का पता लगाना हिन्दू समुदाय का प्रथम कर्तव्य था। जिन कमजोरियों के कारण हिन्दू सदा हारते रहे, उनका पता लगाना और उनमें सुधार करना हिन्दुओं ने कभी सीखा ही नहीं। इसलिए विजय के लिए आवश्यक शर्तों की न पूर्ति हो सकी और न जीत हो सकी। सिलसिला आज तक चला आ रहा है।

ऐ हिन्दुओं ! क्या कभी ठहर कर जरा भी सोचने की चेष्टा की कि हारते–मिटते, सिमट कर दुनिया के छोटे से भूभाग में ही शेष बचे हो। चारों ओर से, तुम पर, तुम्हारा अस्तित्व ही मिटा डालने के लिए प्रहार जारी है। इस्लाम और ईसाइयत सोची समझी रणनीति के तहत विभिन्न तरीकों से अपना विस्तार कर रहे हैं। प्रतिदिन तुम्हारी जनसंख्या सिमटती जा रही है। तुम्हारी तुलना में वे दोनों शामी मजहब दिन दूनी रात चौगुनी अपनी वृद्धि करते जा रहे हैं। वह समय बहुत दूर नहीं जब इस अन्तिम भूभाग से भी तुम्हारा अन्त हो जायेगा, अगर तुम इसी प्रकार बेखबर निश्चेष्ट बने रहे।

जो भी राष्ट्रीय समुदाय इतिहास से शिक्षा ग्रहण नहीं करता और उसके आलोक में अपनी वर्तमान परिस्थितियों में सुधार हेतु प्रयास नहीं करता उसका निश्चित अंत होता है।

तुम्हारे पूर्वजों ने यही किया है और तुम यही कर रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि संसार में सिर्फ वे ही बचते हैं जो जीवन की परिस्थितियों के सबसे अनुकूल होते हैं। इस परिवर्तनशील जगत में जो लोग बदलाव के साथ–साथ स्वंय को नहीं बदलते बल्कि अतीत में ही उलझे रहते हैं, अतीत के स्थापित मूल्यों में ही पूर्णत्व की तुष्टि पाने लगते हैं वे पीछे, बहुत पीछे छूट जाते हैं और समय की तेज चाल में पिस कर तहस-नहस हो जाते हैं।

इतिहास में अपनी पराजयों की समीक्षा नहीं करने, अपनी कमजोरियों का पता नहीं लगाने और पता लगा कर अपनी कमजोरियों को मिटाने का प्रयास नहीं करने के कारण ही तुम नष्ट होते जा रहे हो।

एक समय था जब अरब के रेगिस्तानों में यही आर्य संस्कृति फूल फल रही थी। मक्का में मक्केश्वर नाथ का भव्य मंदिर काबा बन गया और आर्य मुसलमान बनने पर विवश हो गये। इराक के ब्राह्मणों का सफाया हो गया। अफगानिस्तान में आर्य संस्कृति का नामोंनिशान नहीं बचा। दक्षिण पूर्व एशिया के इण्डोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिंस, सुमात्रा, जावा जो कभी आर्य संस्कृति के केन्द्र हुआ करते थे इस्लाम के हाथों पराजित हो चुके हैं। आज वहाँ के रहने वाले इस्लामी परेड में दीक्षित और उसके एडिक्ट हो चुके हैं। भारतीय भूभाग के एक तिहाई भाग, पाकिस्तान और बंगलादेश में इस्लामी झंडा गड़ चुका है। वहाँ के रहने वाले हिन्दुओं

को मुसलमान बनने को विवश होना पड़ा। खुद भारत के अंदर ही कश्मीर प्रान्त से हिन्दुओं को या तो भागना पड़ा या धर्मान्तरित होना पड़ा या मर–कट कर समाप्त हो जाना पड़ा। कश्मीर घाटी से हिन्दुओं का सफाया कर लेने के बाद उसके जम्मू और लद्दाख क्षेत्र में हिन्दुओं और बौद्धों की भी वही स्थिति होनेवाली है जो कश्मीर के हिन्दुओं की हो चुकी है। भारत के अनेक प्रान्तों में बहुत से जिले मुस्लिम बहुल हो चुके हैं। आसाम, बंगाल और बिहार के पूर्वी जिलों में बंगलादेश से घुसपैठ करा कर मुस्लिम आबादी बढ़ा ली गई है। कुछ ही दिनों में वहाँ की स्थिति भी कश्मीर जैसी ही होने वाली है। इसके अलावा ईसाई भी धोखाधड़ी, छल–कपट, शिक्षा, इलाज, आर्थिक मदद आदि के नाम पर समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को फँसा कर ईसाई बनाते जा रहे हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे नागालैण्ड, मेघालय, मणिपुर, असम, गोवा, केरल, तमिलनाडु के अलावा पूरे देश में ही ईसाई मिशनरियों का जाल फैल चुका है और अबाध धर्मान्तरण की प्रक्रिया जारी है। बंगलादेश में अभी भी रह रहे थोड़े से हिन्दुओं पर इस्लामी कहर जारी है। वहाँ से भाग–भाग कर हिन्दू हिन्दुस्तान में शरण लेने के लिए लगातार आते जा रहे हैं। अभी बगल में ही हिन्दू बहुमत वाले भारत देश में स्वंय को हिन्दू हितों का रक्षक कहने वाली सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। कोई हिन्दू संगठन या स्वंयसेवी संस्था की ओर से, समाचार पत्रों, टी0वी0, रेडियो कहीं से भी इसकी ओर न ध्यान दिया जाता है और न ही शोर मचाया जाता है। वह हिन्दू हितों की रक्षक सरकार वास्तव में संपूर्ण हिन्दू समुदाय की मानसिकता का ही प्रतिनिधित्व करती है। यह वही मानसिकता है जिसके कारण सहस्रों वर्ष से हिन्दू हारता और मिटता हुआ अपने संपूर्ण विनाश की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

हिन्दुओं ! अब भी तो चेतो। अभी भी समय पूरी तरह हाथ से निकला नहीं है। अभी भी समय शेष है। अभी भी अपने को संकट से उबारने का अवसर गया नहीं है। लेकिन अब तनिक भी देर हुई तो अंत हो कर ही रहेगा।

कैसा दुर्भाग्य है! न तो तुम्हारे पूर्वजों ने दूर दृष्टि रखी और न ही तुम्हीं दृष्टि खोल रहे हो। जब मनुष्य आत्म केन्द्रित होकर सिर्फ अपने और अपने परिवार के हितों तक ही सिमट जाता है और अपने समाज के हित की ओर ध्यान नहीं देता, तब उस समाज का नाश हो जाता है और समाज के साथ व्यक्ति का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। तुम उसी स्वार्थ की पशुवृत्ति मार्ग का अनुसरण करते हुए स्वयं में सिमट कर विनाश को आमंत्रित कर रहे हो।

तुम अपने धार्मिक और मानवीय कर्तव्य से च्युत हो चुके हो। क्या वैदिक काल में भी तुम वही थे जो मध्य काल में हो चुके और जो आज बन चुके हो ? क्या तुम्हारे प्राचीन पूर्वजों ने विजीगिषु जीवनवाद को स्वीकार कर पूरे विश्व में आर्य संस्कृति का प्रचार नहीं किया था ? विश्व के दूर–दूर के देशों में आज आर्य संस्कृति के जो चिन्ह दिखाई पड़ते हैं क्या तुम्हारे पूर्वजों के संस्कृति विस्तार की अनन्य कामना और अनवरत उद्योग का फल नहीं था ? किन्तु उत्थान के बाद पतन का काल आता है। पूर्वजों ने जिस गौरव का सृजन किया था तुम उस मार्ग से भटकने लगे। स्वार्थ और भोग की ओर मुड़ कर संस्कृति की तेजधार को कुंद कर दिया। क्या त्याग

और समर्पण के बिना भी कोई उत्थान कर सकता है ? किन्तु त्याग और समर्पण की जगह स्वार्थ और भोग को चुन कर ही अपने अस्तित्व को मिटाने की ओर तुम तेजी से बढ़ रहे हो।

मुसलमानों के मौलवी, मुफ्ती आदि उलेमा तथा ईसाइयों के फादर आदि धर्मगुरू सभी अपने–अपने मजहबों के विस्तार के उपाय में लगे हैं। उनके राजनीतिक नेता मजहबी उद्देश्य और उसके लाभ के लिए सदा सक्रिय रहते हैं। सरकार पर और राजनीतिक दलों पर दबाव डालकर अपनी शक्ति विस्तार की कार्रवाई में कभी नहीं चूकते। इतिहास में शायद ही कोई अवसर आया हो जब ये अपने समुदाय, मजहब या राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भरपूर प्रयास न किये हों। यहाँ तक कि अपने और अपने परिवार के हितों की हानि भी समुदाय के हित के लिए करते रहे हैं।

लेकिन तुम्हारे नेता, तुम्हारे शासक कितने कमजोर, कितना स्वाभिमानहीन, कितना ना समझ और कितना स्वार्थी हैं, यह रोज–रोज के क्रिया कलापों में साफ दिखाई देता है। जिस राष्ट्रीय समुदाय के प्रतिनिधि इतना संकल्पहीन और दिग्भ्रमित हों उसका कल्याण कैसे संभव है। वास्तव में जिस नैतिक पतन का शिकार पूरा हिन्दू समाज हो चुका है उसी का ये राजनेता प्रतिनिधित्व करते हैं। सिर्फ राजनेताओं को दोष देकर अपनी संपूर्ण गिरावट से आँखें चुराते रहने से हिन्दू समाज का कल्याण नहीं हो सकता। इस बात की समीक्षा करनी पड़ेगी कि इतनी गिरावट का मौलिक कारण क्या है। किन्तु अपनी कमजोरियों की पड़ताल करने की जगह हर हिन्दू अपने प्राचीन पूर्वजों के गौरव का मात्र गीत गा–गा कर आत्मतुष्टि में भूला रहता है।

तुम्हारे धर्मगुरू हिन्दू समाज पर आसन्न संकट की ओर से उसी प्रकार उदासीन हैं जैसे राजनेता। यह कहने में तनिक संकोच की आवश्यकता नहीं है कि कुछ को छोड़कर ये धर्मगुरू ही हिन्दू समाज को स्वार्थी और आत्म केन्द्रित बनाते रहे हैं। समय के बदलते परिदृश्य से तालमेल बिठा कर जीवन के सत्य से साक्षात्कार कराने के अपने कर्तव्य से ये बिल्कुल ही अलग थलग रहे हैं। आज भी अन्तर्मुखी हिन्दू समाज की वाह्य आक्रमणों से सुरक्षा एंव शत्रुओं के विनाश के लिए धर्म सिद्धांत का सम्बल प्रदान करने में ये शत प्रतिशत विफल रहे हैं। वास्तविकता यह है कि संसार को माया और भ्रम बता कर, भाग्यवाद का झूठा सिद्धांत गढ़ कर कर्म की तीव्रता की धार को कुंद करते रहे हैं। जप, तप, व्रत, तीर्थ, उपासना, दर्शन, पूजा–पाठ, भजन, मोक्ष, स्वर्ग, नरक, आत्मा–परमात्मा आदि विषयों के महत्व में उलझा कर, पारलौकिक जीवन में व्यक्तिगत लाभ तक सीमित रखने से लौकिक जीवन में भी, व्यक्तिगत स्वार्थ तक संपूर्ण समाज की सोच बन गई।

पारलौकिक जीवन से संबंधित सिद्धांतों का लौकिक जीवन के उत्थान में नाम मात्र का ही प्रभाव हुआ। वे वैदिक काल के धर्म सिद्धांतों का लौकिक कर्म के लिए प्रेरणा के मूल स्रोत के रूप में इस्तेमाल से भटक गये। बाद में विकसित पुरोहिती कर्म द्वारा जीविका अर्जन के लिए निर्मित, धार्मिक विधि विधानों में उलझ जाने के कारण भरपूर विकृति एवं कमजोरी पैदा हुई। हिन्दू समाज अन्याय और अधर्म के विरुद्ध वीरतापूर्ण सशस्त्र संघर्ष के अपने न्यायोचित कर्तव्य से विमुख हो गया। इसका

परिणाम हुआ कि वह धीरे–धीरे कायर बन गया। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद्भागवदगीता में अर्जुन को, श्री कृष्ण के 'अन्याय और अधर्म' के विरुद्ध युद्ध करने के उपदेश का, बाद के काल में, सामयिक व्याख्या द्वारा, हिन्दू समाज में जान फूँकने हेतु, धर्म गुरुओं द्वारा कोई प्रयास नहीं हुआ। हिन्दू समाज 'क्षमा वीरस्य भूषणम्' के सैद्धांतिक आवरण से अपने को ढँक कर अपनी कायरता में ही तुष्टि पाने लगा। "संगठन ही बल है" के ऋगवेद के महान मंत्र 'सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं ओ मनान्सि जानताम्' की कहीं चर्चा तक होनी बन्द हो गई। छुआछूत, जात–पाँत, ऊँच–नीच जैसी बुराइयों के विरुद्ध जोरदार आक्रमण करने के बदले उनको चुपचाप फलने–फूलने दिया गया। जिससे समाज में विघटन, ईर्ष्या और वैमनस्य का बोलबाला हो गया। हिन्दू जनता का मार्गदर्शन करने के बदले धर्मगुरू उनके अनुरूप, अपने को और अपने सिद्धांतों को ढालने लगे। उनका ध्यान इस बात पर केन्द्रित होता गया कि उनको प्रतिष्ठा देने वाली जनता उनके उपदेशों से नाराज न हो जाय। पूरे समाज के हित के लिए आवश्यक कटु बातों से बचने लगे। इनके द्वारा, हिन्दू समाज की सर्वाधिक हानिकर जाति व्यवस्था पर कभी सीधा प्रहार नहीं किया गया। ऊँच–नीच और छुआछूत की विकृति से पूर्ण जन्मना जाति व्यवस्था को मिटानेके लिए प्राचीन साहित्य के प्रमाणों द्वारा समाज को जागृत करने के विपरीत ये स्वयं ही उन बुराइयों का सहभागी बने रहे। उन्हें भय था और आज भी वही स्थिति है कि कहीं नाराज हो कर उनका मान–सम्मान और दान–दक्षिणा देना वे बन्द न कर दें। इसके अलावा सच्चाई यह है कि वे स्वयं भी सैद्धांतिक संसार में अपने को उतना नहीं उठा सके जितना जनता के मार्ग दर्शन हेतु विद्वत्ता और त्याग की आवश्यकता होती है। जब धर्मगुरू विद्वान की जगह अविद्वान और त्यागी की जगह भोगी बन जायँ तब उनसे मार्ग दर्शन प्राप्त करने वाली जनता का जो स्तर होना चाहिए वही हिन्दुओं का हो चुका है। वास्तव में, पारलौकिक जीवन और आध्यात्मिक दुनिया में सैर कराने वाले इन लोगों में अधिकांश ने लौकिक जीवन में भोग और आनन्द के लिए इसे व्यवसाय बना डाला है। उनके लिए पूरे समाज के कल्याण की कोई योजना नहीं है जिसमें वाह्य आक्रमणों से सुरक्षा और उत्थान शामिल हो। उनके आश्रम, पर्वतीय विश्राम गृहों और आधुनिकतम सुविधाओं से सज्जित मात्र लौकिक भोग के स्थल बने हुए हैं। विडंबना यह कि सभी साधन भक्तों द्वारा दिये गये दान से प्राप्त होते हैं। इनमें अलौकिक दिव्य शक्ति का विश्वास और उस शक्ति से लाभ की आशा, भक्तों को दान दक्षिणा देने के लिए प्रेरित करती है। यद्यपि इनके अपने चमत्कारों से भौतिक साधन पैदा होते हुए कभी नहीं देखा गया जिसका उपभोग कर वे सिर्फ अपनी ही जीविका चला पाते। वे सदा दूसरों की कमाई पर ही आश्रित रहे हैं।

मध्य काल से मुस्लिम आक्रमणों का, अत्याचार–अनाचार का, लूट और कत्ल का, बलात्कार और अपहरण का तथा बलात् धर्मान्तरण का जो दौर शुरू हुआ वह चलता ही गया। हिन्दू समाज पर आई इस घोर विपत्ति से ये धर्माचार्य बेखबर बने रहे। हिन्दू समाज से उनकी मात्र अपेक्षा मान सम्मान और दान दक्षिणा की रही। उनका, जैसे समाज के प्रति कोई दायित्व न हो। वे अन्तर्मुखी, आत्म केन्द्रित बने रहे।

मूर्तियों को अपवित्र किया गया। मंदिरों को धराशायी किया गया। पुस्तकालयों और कला मंदिरों को जला डाला गया। लेकिन हिन्दू धर्मगुरू अपने में ही मस्त रहे। तपस्या, साधना, आत्मज्ञान, दिव्य–शक्ति और न जाने किन–किन विशेषताओं का दावा करने वाले कर्महीन बने रहे। समाज के लिए अनुपयुक्त बल्कि शोषक बने रहे, इनसे समाज का कोई लाभ न हो सका। जिससे समाज का कोई लाभ न हो वह उसका पूज्य नहीं हो सकता।

यह कितना नीचतापूर्ण व्यवहार था कि अपने ही भाई बन्धु मुस्लिम आक्रमणकारियों के अत्याचार से विपत्तियों में पिसकर, हृदय को विदीर्ण करने वाले दुःखों और अपमान को सहकर अपने समुदाय से टूट कर विलग हो रहे थे और समुदाय के गुरू और धर्म के ठेकेदार उनका साथ देने, उनके घावों पर मरहम लगाने, उन्हें प्यार से पुनः अपना बनाने के बदले उन्हें दुत्कार कर अपनी श्रेष्ठता दिखा रहे थे। उन्हें जाति बहिष्कृत और अछूत बना रहे थे। उन पीड़ित बान्धवों के लिए आखिर अब कौन सा मार्ग रह गया था। मुस्लिम समुदाय का हिस्सा बन कर उनकी संस्कृति को अपनाने के अतिरिक्त वे कर ही क्या सकते थे।

और अब, जबकि वे संगठित शक्ति बन कर इन तथाकथित श्रेष्ठ लोगों के संपूर्ण विनाश की तैयारी में जुट गये हैं; तब भी इनमें न बुद्धि उपजती है, न विवेक जागृत होता है। पलायनवादी नीच वृत्ति का मोह भंग होता कहीं नहीं दिखता है। इन धर्माचार्यों का तो यह कर्तव्य था कि समाज पर आई विपत्ति का गहन अध्ययन करते। कमियों को ढूँढते उसको दूर करने के लिए लोगों को प्रेरित करते, बिछुड़े हुओं को अपनाते, किंतु वैसा कुछ भी नहीं किया। मध्यकाल से आज तक वही स्थिति बनी हुई है। इनकी दिव्य शक्ति के भ्रम जाल में पड़ा हुआ सम्पूर्ण हिन्दू समाज कर्महीन और कायर बन कर मिटता जा रहा है और इनका व्यवसाय ज्यों का त्यों चल रहा है। जनता को दिये जाने वाले उपदेशों में वही पारम्परिक शास्त्रीय ज्ञान होता है। मध्यकाल की दुःखद परिस्थितियों की समीक्षा करने के बदले प्राचीन काल की परिस्थितियों का शास्त्रीय ज्ञान पिलाना ज्यादा आसान लगता है। उस गौरवशाली अतीत के ज्ञान से भटक कर आधुनिक समाज की ज्ञान पिपासा तृप्त करने की नाकाम कोशिश चल रही है। क्योंकि सदियों की बनी बनाई लीक पर चलना सरल लगता है। समय की माँग के अनुसार शास्त्रीय ज्ञान को ढालना, लगता है, न तो इनके वश की बात है और न वैसा करना इनका उद्देश्य ही है।

हिन्दू नाम के राष्ट्रीय समुदाय की समाप्ति की जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं उनकी पहचान कर और उनको मिटा कर अपनी सुरक्षा के लिए शक्ति प्राप्त करने हेतु कोई उपाय होता दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ हिन्दूवादी संगठन नाम मात्र को इस दिशा में प्रयासरत हैं। उनके कार्यों के स्वरूप और उसकी परिमाणात्मक उपलब्धियों पर ध्यान देने से ऐसा लगता है कि इनके कार्य मात्र औपचारिक हैं। इनका कोई तीक्ष्ण निर्णायक महत्व नहीं है जो संकट की दिशा को मोड़ सके। जब तक हिन्दू समाज चेतेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और तब आत्मरक्षा के लिए किये गये सारे प्रयास अपर्याप्त और निरर्थक साबित होंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है

कि धर्मगुरू अपने कर्तव्य को समझें। वे मात्र रामायण, महाभारत, पुराणों एवं अन्य प्राचीन हिन्दू धर्मग्रंथों से किस्सा–कहानियाँ सुनाकर, लोगों की भावनाओं का शोषण न करें। हिन्दू समाज को उस प्राचीन वातावरण से निकाल कर आधुनिक परिस्थितियों पर गंभीरता से विचार करने और उनसे निपटने के लिए मानसिक रूप से तैयार करें।

उन्हें यह बताना चाहिए कि 712 ई0 में मुहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत विजय के अभियानों की शुरुआत के बाद से आज तक उनका किस प्रकार विनाश होता रहा है। किस प्रकार मुसलमानों ने अपनी मजहबी जेहादी कार्रवाइयों में हिन्दुओं की सामूहिक हत्याएँ कीं। उनकी सुन्दर औरतों को चुनचुन कर अपने भोग का शिकार बनाया। अपनी रखैलें बनाया। उनको लाखों की संख्या में गुलाम बना कर गजनी आदि मुस्लिम बाजारों में मुसलमानों के भोग की सामग्री के रूप में बेचा। किस प्रकार पूर्वजों और स्वंय की कमाई सारी सम्पत्ति छीन ली गयी। असंगठित हिन्दू किस प्रकार भेंड़ बकरियों की तरह काटे गये। असंगठित और असहाय गुलामों के रूप में मुसलमान मालिकों का लथेर बने रहे। किस प्रकार हिन्दू, अपनी मूर्तियों को पूजने और उनकी कृपा से अपनी सुरक्षा का मूर्खतापूर्ण भ्रम पाले रहे और लाखों की संख्या में काटे गये। किस प्रकार मंदिरों को तोड़कर धराशायी किया गया और मूर्तियों को खण्डित कर मस्जिदों की सीढ़ियों में जोड़ दिया गया ताकि मुसलमान उस पर चढ़कर हिन्दुओं और उनके देवी–देवताओं की औकात बतावें। किस प्रकार हिन्दू विवश और श्रीहीन होकर जीवन गुजारते रहे। किस प्रकार मोपले मुसलमानों द्वारा मालावार में और देश विभाजन के समय पंजाब और बंगाल में हिन्दुओं का कत्लेआम हुआ। किस प्रकार अभी-अभी कश्मीर के हिन्दुओं पर वही अत्याचार कर उनका सफाया कर दिया गया। किस प्रकार बंगलादेश के हिन्दुओं पर आज अत्याचार हो रहा है। भारत में किस प्रकार हिन्दुओं की जनसंख्या सिमटती जा रही है। पड़ोसी मुस्लिम देशों के भीतरघात और मदद से भारत के ही जेहादी मुसलमान किस प्रकार पूरे हिन्दू समुदाय को मारकाट कर मुसलमान बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। जनसंख्या विस्तार, मुजाहिदीनों का प्रशिक्षण और अवैध हथियारों का संग्रह पूरे भारत में अबाध चल रहा है। राजनीतिज्ञ, गाँधी–नेहरू के सर्वनाशी बुरे मार्ग से भी आगे बढ़ कर हिन्दू विनाश की तैयारी में सहयोगी बने हुए हैं।

साधू–महात्मा और गुरू आध्यात्मिक व्यवसाय में जुटे हैं और सामान्य जनता उनके उपदेशों से लाभ उठा कर लोक–परलोक सँवारने में लगी है। हिन्दू समाज को जागृत करने, सतर्क करने और संगठित होकर परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार करने के बदले जब धर्मगुरू पूरे समाज की भावनाओं का शोषण कर भोगवादी बन जायँ तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। पूरे समाज को सिर्फ पौराणिक कथाओं और पांथिक कर्मकाण्डों में उलझा कर रखना तो परोक्ष रूप से शत्रुओं से भी ज्यादा हानि करने के समान है।

जब भारत मुसलमानों के क्रूरतापूर्ण, बर्बर और हैवानियत से भरे आक्रमणों को झेल रहा था, जब पूरा देश अस्त व्यस्त और लहू–लुहान हो रहा था और चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था तब हिन्दू समाज के धर्माचार्य हिन्दू समाज को संगठित

करने, शासकों में तालमेल और संधि कराने और संगठित शक्ति द्वारा शत्रुओं को अन्तिम रूप से मिटा डालने तक युद्ध हेतु प्रेरित करते रहने के विपरीत, स्वयं कायरों की भाँति भाग कर जंगलों में साधना करने चले गये। कुछ लोग भाग कर एकांतवास में इस विपत्ति से त्राण पाने हेतु भगवत भजन में तल्लीन हो गये। एक समय तो इनके भजनों की इतनी भरमार हुई कि इसे हिन्दी साहित्य में भक्ति काल नाम दे दिया गया। बाद में अपने पूर्वजों की नाकामी और कायरता पर पर्दा डाल कर अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए इस भक्तिकाल को खूब महिमा मंडित किया गया, वरना इसका नाम भक्तिकाल की जगह भगोड़ा काल रख दिया गया होता। आज हिन्दू के अस्तित्व का सवाल उपस्थित है, लेकिन हिन्दू धर्मगुरू घर्म का व्यवसाय करने में जुटे हैं। हिन्दू मानस पौराणिक विश्वासों में भटक रहा है और ये लोग उसके आर्थिक शोषण में लगे हैं। उसे ठोंक-ठोंक कर सुलाया जा रहा है। कैसा दुर्भाग्य है। काश, ये अब भी चेतते!

◆

8. मनुष्य की मनोभावनाएँ, निम्नता की ओर सहज ही आकर्षित होती हैं।

मनुष्य का स्वभाव अपने नैसर्गिक स्वरूप में ही सहज बना रहना चाहता है। उसकी स्वाभाविक रुचि बिना कठिनाई के ही वह सब कुछ प्राप्त करने की होती है जिसकी प्राप्ति से उसे आनन्द मिलता है। वह श्रम तभी करता है जब उसे श्रम एक मनोरंजन के रूप में लगे या वह उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक हो। उसकी आवश्यकताएँ, उसके मनोभावों को श्रम की ओर उन्मुख करती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति का आश्वासन ही उसे श्रम को सहने के लिए बल प्रदान करता है, यदि वह कष्टसाध्य है। यह शारीरिक श्रम के संबंध में कटु सत्य है।

मनुष्य जब आत्मा और हृदय की तृप्ति के लिए युक्ति, बुद्धि और मन की सीमा के पार, चेतन ब्रम्ह की ओर उन्मुख होता है और साधना के कठिन मार्गों पर चलते हुए तपन को आनन्द प्राप्ति की आकांक्षा में सराबोर कर जीता है तब आत्म विकास की अवस्था अति उच्च होती है। इस गंतब्य तक मनुष्य बिना क्रमिक और लम्बे प्रयास के जा नहीं सकता। यह सामान्य जन के लिए या सभ्य कहे जाने वाले अनेक शिष्ट और सुसंस्कृत लोगों के लिए भी कभी–कभी बेतुकी लगने वाली बात होती है। जिनकी दृष्टि भौतिक जगत (ज्ञान, मन, बुद्धि और युक्ति) की सीमाओं से बाहर न देखपाती हो, उनके लिए ऐसी धारणा का होना बिल्कुल ही सहज सामान्य स्थिति है।

गणित के लम्बे सूत्रों की व्याख्या, भौतिकी, रसायन, जीव एवं चिकित्सा विज्ञान तथा विद्या की अन्य हजारों शाखाओं की उच्चतर स्थितियों के बारे में निकट से समझ सकना क्या सामान्य लोगों के वश की बात हो सकती है ?

किन्तु उन उन्नत स्थितियों तक पहुँचने में मनुष्य की बुद्धि, मन, युक्ति और ज्ञान–विकास को सैकड़ों हजारों पीढ़ियों का लम्बा समय देखना पड़ा है और उन्हें कठिन श्रम से गुजरना पड़ा है। यही बात आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए भी सही है। सफलता की आशा मनुष्य को श्रम के लिए प्रेरणा देती है और स्वयं आशा, सफलता प्राप्ति के हर्ष की अनुभूति से पैदा होती है। उत्थान के इस क्रमिक प्रक्रिया में मनुष्य को अपना बहुत श्रम खर्च करना पड़ा है, उसे बहुत दुःख झेलना पड़ा है और उसे बहुत तपस्या करनी पड़ी है।

इस क्रम में उसे अनेक विपत्तियों का, तूफानों और झंझावातों का सामना करना पड़ा है, कभी प्राकृतिक कभी मानवीय। वह जूझ–जूझ कर, गिरकर, उठकर, मरकर और मिटकर पुनः–पुनः उभरा है। उसने एक–एक पग बढ़ाये हैं, सफलता और विकास की सीढ़ियाँ चढ़ने में। मानव-जीवन के इस लम्बे अंतराल में मनुष्य की विविधता, दृष्टियों में अंतर, रुचियों में अंतर, स्वभाव में अंतर, क्षमता में अंतर और जीवन के विभिन्न परिस्थितियों और स्तरों की भिन्नता के कारण विश्व में अनेक प्रकार की

संस्कृतियों का उदय और विकास हुआ है। बनते बिगड़ते फिर–फिर विकसित होने की उनकी अन्तर्भूत प्रेरणाएँ उन्हें सदा आगे की ओर ही बढ़ाती चलती हैं।

किन्तु यह बात सदा सही नहीं रही है। हमने देखा है कि अनेक बार विकसित संस्कृतियों को बर्बर और असभ्य लोगों की संस्कृतियों द्वारा कुचल कर तहस–नहस कर दिया जाता रहा है।

हमें मनुष्य के उन मनोभावों की ओर उनके अंदर दुष्प्रवृत्तियों की ओर भी ध्यान देना होगा जो उन्हें उच्चतर अवस्था की ओर न ले जाकर कभी–कभी बर्बर और असभ्य व्यवहार के लिए प्रेरित कर मानवीय सांस्कृतिक जीवन के निम्न पायदान पर खड़ा कर देती हैं। न सिर्फ इतना ही वरन उच्चतर संस्कृतियों को उनके लिए असहय बना देती हैं और अन्ततः उनका विनाश कर डालने की ओर बढ़ जाती हैं।

संस्कृति का निर्माण सदा ही मनुष्य की निम्न प्रवृत्तियों के दमन और उच्च प्रवृत्तियों के विकास के बल पर, सामाजिक संबंधों में उचित तालमेल बिठा कर किया जाता है।

मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति स्त्री संभोग की भी उसी प्रकार प्रबल होती है जिस प्रकार स्वाँस, भूख और प्यास की उसे आवश्यकता होती है। भूख की ज्वाला शान्त करने के लिए उसे भोजन का जुगाड़ करना पड़ता है और इस क्रम में समाज के अन्य लोगों से उसके संबंध बनते हैं। जब एक सुन्दर सुव्यवस्थित सामाजिक विधान द्वारा और उसके अनुसार आचरण द्वारा समाज के सदस्यों को जीवन यापन की प्रेरणा मिलती है तो वह सुसंस्कृत समाज होता है। किसी विद्वान द्वारा इसे यों समझाया गया है – हमें भूख लगती है, यह प्रकृति है; हम रोटी मिल बाँट कर खाते हैं, यह संस्कृति है और हम छीन-झपट कर खाना शुरू करते हैं, यह विकृति है।

दैहिक मैथुन की भूख भी प्राकृतिक है, इसके लिए सामाजिक व्यवस्था के अनुसार स्व पत्नी से सहवास संस्कृति है और अन्यों से बलात्कार विकृति।

रोटी और मैथुन ये दो अति महत्वपूर्ण आवश्यकताएँ हैं। रोटी में मानव जीवन के लिए आवश्यक सभी साधनों एवं वस्तुओं का समावेश कर, हम देखें, तो अनुभव से ही इस स्थिति को समझ सकते हैं कि हममें धन की लिप्सा और मैथुन की प्रबल कामना सहज ही उत्पन्न होती है। किन्तु सुसंस्कृत समाज के विधानों और नैतिक मापदण्डों की स्थापना द्वारा समाज अपने सदस्यों में जन्म के साथ ही ऐसा संस्कार डालता है ताकि किसी प्रकार की विकृति न हो और समाज के क्रिया–कलाप सुव्यवस्थित रूप से चलते रहें। धर्म द्वारा इसे स्थायित्व प्रदान कर और मनुष्य को अनन्त सत्ता से जोड़ कर उसमें आध्यात्मिक बोध के साथ उसके भौतिक जीवन को एकाकार कर देने की अटल चेष्टा होती है।

मनुष्य की भावनाओं को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं उच्च और निम्न। "श्रेष्ठ" या "आर्य" की भारतीय परिकल्पना में उच्च भावनाओं का होना आवश्यक माना गया है। श्री अरविन्द जी के अनुसार उसके हृदय, चरित्र, मन, कर्म, आभ्यंतरिक सत्ता और आचरण में उच्च भावनाओं की ही उपस्थिति जरूरी है। उसका हृदय करुणा, उदारता, दयालुता, सहिष्णुता और परोपकार की भावना से ओतप्रोत

होना चाहिए।

मन में – उदात्त विचारों का ज्ञान, सौन्दर्य के प्रति अनुराग, विद्या–प्रेम, प्रज्ञा, मनीषा और कलाओं की ओर झुकाव ।

चरित्र में – साहस, शौर्य, तेज और उत्साह के साथ न्याय प्रियता, सम्मान का भाव और विनयशीलता होनी चाहिए फिर भी प्रबल स्वातंत्र्य भावना और उदात्त आत्माभिमान होना चाहिए।

कर्मों में – उत्कृष्टता, ईमानदारी और कुशलता से कार्य संपादन की योग्यता, आभ्यंतरित सत्ता में तीव्र धार्मिक भावना, पुण्यशीलता और आध्यात्मिक झुकाव तथा आचरण में शुचिता, पवित्रता, स्पष्टवादिता, निष्कपटता।

सामाजिक संबंधों और आचार व्यवहार में – पिता, पुत्र, भाई, पति उसी प्रकार माँ, पुत्री, बहन, पत्नी, मित्र, संबंधी, शासक, शासित, स्वामी, सेवक, योद्धा, कर्मी, राजा, ऋषि, जाति या वर्ण के सदस्य, जो जीविका व्यवसाय से संबंधित किसी कार्य में या किसी पेशा से संबंधित हों, सबके साथ परस्पर संबंधों का धर्म और नैतिकता के आधार पर निर्मित सामाजिक आचार का कठोरता से पालन करना।

ये सभी विशिष्टताएँ श्रेष्ठ मानवों द्वारा स्थापित संस्कृति में दिखाई पड़ती हैं। मनुष्य के मनोभाव क्रमशः विकसित हो कर संस्कृति के जिस उच्चतम सोपान पर पहुँचते हैं वे ही उसके सामाजिक जीवन में महानता को प्रकट करते हैं। तभी वह सच बोलने, दूसरों की भलाई में तत्पर रहने, स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों की सहायता करने, अपने को संकट में डालकर भी दूसरे की रक्षा करने, आत्म संयम रखने, चोरी और बेईमानी नहीं करने, विश्वासघात से घृणा करने, दूसरी नारियों में माता, बहन और पुत्री की भावना और दृष्टि रखने, दूसरों को उचित सम्मान देने, शिष्टाचार का पालन करने आदि सद्व्यवहारों का पालन करता है।

वास्तव में संस्कृति संपूर्ण समाज के साथ सुख या आनन्द के साथ जीने की कला है जिसे मनुष्य अपने लम्बे अनुभव और ज्ञान से धर्म और नैतिकता के नाम से समाज पर लागू करता है। जीवन के सभी क्षेत्रों में मूल्यों और सौन्दर्य का बहुविध समावेश करते हुए इस उच्च स्थान पर मनुष्य निरंतर परिष्कार, संयम और तपस्या से ही पहुँचता है; क्योंकि मनुष्य की सहज प्रवृत्ति, लोभ और काम वासना के वशीभूत होकर सामाजिक मर्यादा के नियमों के उल्लंघन की होती है।

सुसंस्कृत समाज में नियमों, संयमों और मर्यादाओं की सीमा निर्धारण के बाद भी समाज में ऐसे लोग होते ही रहते हैं जो लोभ और काम वासना के झोंके में आत्म संयम और नैतिकता की मर्यादा से बाहर निकल कर अनुचित आचरण करने लगते हैं। कभी–कभी ऐसे लोगों की संख्या अधिक हो जाती है और वे अपना गिरोह बना कर निरंतर अनैतिक काम करते हैं।

इस्लाम के पैगम्बर मुहम्मद ने मनुष्य की इन्हीं दुर्बलताओं को उभाड़ा और अपने हित साधन के लिए ऐसे ही कृत्य द्वारा जिनसे मनुष्य के लोभ और काम वासना की पूर्ति होती रहे सभ्य और सुसंस्कृत समाजों को कुचलना शुरू किया। मुहम्मद के साथ जब लोग उनके इस्लाम मजहब में शामिल होने लगे तो ऐसे लोगों को मुस्लिम

कहा जाता था। मुस्लिम का अर्थ था अपने लोगों को शत्रु के हाथ में सौंपना। लोग धन के लोभ और काम वासना की तृप्ति के लिए मुहम्मद के गिरोह में शामिल होकर अपने ही लोगों के साथ विश्वासघात करते थे और उन्हें शत्रु के हाथ में सौंपने के कारण मुस्लिम कहलाते थे। मुहम्मद ने इसे बुद्धिमानी से मुस्लिम का अर्थ अल्लाह के हाथ में सौंपने वाला कर दिया। (Mohammed And The Rise of Islam by D.S. Margoliouth)

जैसे–जैसे मुहम्मद का गिरोह बड़ा होने लगा वैसे–वैसे ये लोग जेहाद के नाम पर पूर्व के उन्नत, स्वतंत्र और मर्यादित समाज को नष्ट करने लगे। इनका मुख्य काम था अरब के वासिन्दों और व्यापारिक काफिलों को लूटना। काफिलों को लूट कर उनके लड़ाकू सदस्यों का कत्ल कर देना और शेष लोगों को गुलाम बना लेना। अपने अधीन किए हुए लोगों में औरतों, बच्चों और पुरुषों को ये अपने मुस्लिम गिरोह का सदस्य बनने के लिए बाध्य करते थे। इनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करने पर पुरुषों का कत्ल कर औरतों और बच्चों को गुलाम बना लेना, इनका तरीका था। औरतों से बलात्कार कर अपनी काम वासना की तृप्ति करते थे और धन की लूट से जीविका चलाते थे। बच्चों को स्थाई रूप से गुलाम बना कर अपना सेवक रख लेते थे।

शुरू में जीविका एवं लुटेरी शक्ति में वृद्धि के लिए धन की अधिक आवश्यकता थी इसलिए गुलाम सदस्यों को छुड़ाने को प्रयासरत उनके परिजनों से धन लेकर छोड़ते थे; लेकिन बाद के दिनों में जब इस समुदाय के पास पर्याप्त धन हो गया, उनको अपने गिरोह में शामिल होने के लिए विवश और अस्वीकार करने पर कत्ल कर देते थे।

धन और काम इच्छा की पूर्ति के ऐसे खुले आमंत्रण से, समाज पूर्व में अपरिचित था। वह इन्हें घृणित और नीच कर्म समझता था। अरब में भी यह पाप कर्म था और ऐसा करने वालों को नीच और पापी समझ कर समाज उससे घृणा और नफरत करता था। किसी लाभ की आशा में बुरे मार्ग के अवलम्बन से लोगों को भ्रमित करने के लिए सदा अच्छे का रूप दिखाया जाता है और फिर उसकी आड़ में अपना उल्लू सीधा किया जाता है। वंचना का यह सामान्य नियम है।

मुहम्मद ने इसके लिए अल्लाह का आविष्कार कर जोर दिया कि एकमात्र अल्लाह ही पूज्य है। इसी बात को मनवाने के लिए उनका सारा अभियान है। यह तो पहले से ही बहुत लोगों के लिए स्वीकार्य सिद्धांत था और आज भी है। लेकिन मुहम्मद की चतुराई यह थी कि स्वयं को अल्लाह का रसूल घोषित किया और अल्लाह की अज्ञात–काल्पनिक शक्ति का प्रकट रूप में स्वंय को उत्तराधिकारी बना लिया। फिर अल्लाह के नाम के साये में दुष्कर्मों को सत्कर्म बना कर कुछ लोगों को अपने हित में उभाड़ा और बाकी लोगों का दमन कर राज्य सत्ता और धर्म प्रधान का सर्वोच्च पद छीन लिया। दमन के लिए अपने अनुयायियों को ललकारते हुए आदेश दिया कि ".....मुश्रिकों (मूर्तिपूजकों) को जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो, और पकड़ो, और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो।....." (कु0 9:5)

बाद में मुहम्मद के गिरोह में बढ़–चढ़ कर इस काम में हिस्सा लेने वालों को

सम्मान मिलने लगा। उन्हें आश्वस्त किया जाता था कि मुहम्मद का कथन अल्लाह का हुक्म है। जिन को लूटना है वे सभी काफिर लोग हैं। वे अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते। मुहम्मद को अल्लाह का रसूल नहीं मानते। वे अल्लाह के साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर पूजते हैं। यह सब पाप कर्म है। ऐसा करने वालों को लूटना पुण्य काम है। मुहम्मद के इस आश्वासन से नव युवकों की धन और काम वासना की पिपासा भभक उठी। उनको सब प्रकार के नैतिक बन्धनों से एकाएक खुली छूट ही नहीं मिली वरन् अनैतिक और नीच कर्म जैसे हत्या, लूट, व्यभिचार, अपहरण, आदि को अल्लाह की इच्छा से किया जाने वाला पुनीत कर्म की बोध दृष्टि भी मिली। उनके साथ रहने वाला उनका नेता स्वयं को अल्लाह का दूत बताता था और अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए अपने निर्देशों को अल्लाह का हुक्म। युवकों को और क्या चाहिए था ! अनजान और असावधान लोगों पर अचानक आक्रमण कर उनका कत्ल कर देना, उनकी सारी दौलत लूट लेना, उनकी विधवा औरतों ओर लड़कियों से मनमाना बलात्कार करना और उन्हें बीवियाँ या रखैल बनाना आदि। कितना आनंद का विषय था और ऊपर से यह अल्लाह का हुक्म पालन। अल्लाह के संदेश वाहक साथ रह कर लूट, हत्या, व्यभिचार की खुशखबरी अल्लाह को बताते जा रहे थे।

लूट के माल का चार हिस्सा लूटने वालों को, एक हिस्सा इनके सरदार, अल्लाह के पैगम्बर को और जीभर कर भोगने के लिए असंख्य सुन्दर औरतों की प्राप्ति। ऐसा आनन्द अल्लाह के सिवा और कौन दे सकता था।

लेकिन फिर भी लूटने का प्रयास तो करना ही पड़ता था। यद्यपि अनजान और असावधान लोगों पर ही चढ़ाई करनी थी। वे तो कुछ जानते नहीं। जाना था और एकाएक उनका सिर धड़ से अलग कर देना था फिर सब कुछ उनका हो गया। उनका धन उनकी औरतें और बच्चे सब कुछ। फिर भी खतरा तो था। कभी–कभी लुटेरों का भी कत्ल हो जाता था। अनेक लुटेरे भी मारे जा चुके थे। इसलिए युवकों के मन में भय की एक लहर दौड़ जाती थी। मन थर्रा जाता था। ना बाबा इसमें खतरा है कौन अपनी जान जोखिम में डाले।

इसकी भनक लगते ही अल्लाह का हुक्म, पैगम्बर के मुँह से धारा प्रवाह आयत बन कर निकलने लगता था। "अगर कोई अल्लाह के मार्ग में जेहाद करते हुए मारा जाता है तो अल्लाह का उसके लिए जन्नत का वादा है। बाकी सभी लोग जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए हैं वे सभी मोमिन मरने के बाद कब्र में दफन होंगे। उनकी रूह भी उनके साथ ही कब्र में पड़ी सोई रहेगी। जब कयामत का दिन आयेगा तब अल्लाह की तुरही बज उठेगी। तब सभी मुर्दे जी उठेंगे। उन्हें अल्लाह के सामने लाया जायेगा। उनके बीच में मध्यस्थता करने को वहाँ अल्लाह के रसूल मौजूद रहेंगे। उनके कर्मों के अनुसार उन्हें जन्नत या दोजख में जगह दी जायेगी। जन्नत में जिसे वहिश्त भी कहते हैं सभी सुख के साधन मौजूद रहेंगे। वहिश्त की कई श्रेणियाँ हैं। वहिश्त के वर्णन में कहा गया है – वहाँ मीठे जल की नहरें बहती हैं। अनेक बाग–बगीचें हैं। वहाँ न ज्यादा जाड़ा पड़ता है न ज्यादा गर्मी अर्थात पूरा वहिश्त एयरकन्डीशन्ड है। वहाँ शहद, दूध और शराब की नहरें बहती हैं

जिनका मजा कभी खराब नही होता। वहाँ एक–एक आदमी को सुख पहुँचाने वाली कोमल, कुँआरी और अति सुन्दर बहत्तर हूरें मिलती हैं। ये कभी बूढ़ी नहीं होतीं। सदा उसी उम्र में होती हैं। इनका जिस प्रकार से चाहो भोग करो।" इसका मजाक उड़ाते हुए गालिब ने लिखा है "खूब मालूम है जन्नत का हकीकत लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है।" फिर व्यंगय करते हुए कहा "उस जन्नत का क्या कहना जहाँ लाखों बरस की हूरें हों।" इसके अलावा मोती के समान सुन्दर लड़के रेशम के वस्त्र पहने किसी प्रकार की सेवा और संतुष्टि के लिए तत्पर रहेंगे।

तो जो जेहाद में शामिल होगा और शहीद होगा उसे अल्लाह तुरंत सातवें वहिश्त में भेजेगा जहाँ उसे ऊपर वर्णित सभी भोगों का तुरंत आनन्द मिलेगा।

अब नवयुवकों के बुझते मन को एक ऐसे ललचाने वाले भोग का प्रलोभन तैयार कर दिया गया जिससे अरब साम्राज्यवाद के विस्तार की युक्ति में उन्हें सहज ही भागीदार हो जाना पड़ा।

अब उनके दोनों हाथों में लड्डू पकड़ा दिया गया। यहाँ लड़ते हैं तो उन्हें लूट की सम्पदा मिलती है जिससे जी भर कर सुख के सामान खरीद सकते हैं; नई–नई सुन्दर औरतें मिलती हैं जिनका जी भर कर भोग कर सकते हैं और यदि शहीद होते हैं तो तुरंत सातवें वहिश्त में पहुँचते हैं जहाँ सुख के अपरिमित साधन उपलब्ध होते हैं।

लौकिक और पारलौकिक सुख के इसी प्रलोभन के वशीभूत नासमझ जंगली और असभ्य युवाओं की जमात खड़ी कर साम्राज्य विस्तार के अपने मंसूबे में मुहम्मद ने कामयाबी हासिल की। आज भारत के अंदर मुस्लिम समुदाय में अधिक से अधिक बच्चा पैदा करने की होड लगी हुई है। हिन्दुओं को कोई समझ नहीं है कि आखिर अधिक बच्चे पैदा कर मुसलमान क्यों पारिवारिक बोझ बढ़ा कर कष्ट सहते हैं। अधिक बच्चों के लिए साधन जुटाना उनके लिए भी कष्ट साध्य है फिर भी वैसा क्यों करते हैं ? जब इनकी जनसंख्या हिन्दुओं के आसपास हो जायेगी तब क्या होगा ? हिन्दू को इसकी कोई समझ नहीं होती और मुसलमानों के हित में यह बात है कि हिन्दू को कोई समझ न हो। उसे तो तब पता होगा जब जेहादी तलवार उसके सर पर चल रही होगी। उसकी सम्पत्ति और उसकी युवा औरतें जेहादियों की हो चुकेंगी। उसी दिन के लिए और उसी लाभ के लिए मुसलमान अधिक से अधिक बच्चा पैदा करने की होड़ में हैं क्योंकि अल्लाह के वादे के पूरा होने की वे प्रतीक्षा कर रहे हैं –"अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों (लूट) का वादा किया है जो तुम्हारे हाथ आयेगी।" (कु0 48:20)

मुहम्मद ने अपने संगठन की ऐसी युक्तिपूर्ण व्यवस्था कर दी है कि एक बार उस चंगुल में फँसने के बाद उससे बाहर निकल जाना किसी के लिए भी आसान नहीं हो सकता है। मुसलमान के लिए ऊपर वर्णित उत्प्रेरक प्रलोभन अपने आप में पर्याप्त हैं; लेकिन सिर्फ इतनी ही व्यवस्था पर बस नहीं किया गया। मजहब में अल्लाह के रसूल, पैगम्बर मुहम्मद ने यह भी व्यवस्था कर दी कि कोई मुसलमान यदि अपना मजहब छोड़े तो उसका तुरंत कत्ल कर दिया जाय।

"(.....रसूलुल्लाह सल्ल0 के फर्मान के मुताबिक अगर कोई शख्स अपने दीन को बदल दे तो उसको कत्ल कर डालो।)"

(ह0सं0 1209 पृ0 326, बुखारी शरीफ)

किन्हीं परिस्थितियों में कोई व्यक्ति जब एक बार मुसलमान बन जाता है उसके लिए बाहर निकलने का द्वार भी सदा के लिए बन्द हो जाता है। फिर बचपन से ही इस्लामी संस्कारों का प्रभाव मुस्लिम समुदाय के हर व्यक्ति में इतना गहरा और तीव्र होता है कि उसके लिए उचित–अनुचित, नैतिक–अनैतिक, न्याय–अन्याय जैसे विषयों पर चिन्तन करने का सवाल ही नहीं रह जाता। उसे उन प्रावधानों पर विचार करने, उनमें परिवर्तन करने या सिर्फ असहमत होने तक का भी अधिकार नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने बौद्धिक आवेग के कारण इस सीमा से बाहर निकलने की कभी भूल कर बैठता है तो उसे इस्लामी शिक्षा, संस्कार और धर्मान्धता से ग्रसित मुल्लाओं के फतवे का सामना करना पड़ता है और दण्डित होना पड़ता है।

मानव मनोविज्ञान और इस्लाम की व्यवस्थाओं के अध्ययन से इस्लाम विस्तार की अनिवार्य परिस्थितियाँ आने वाली पीढ़ियों के लिए जिस कालिमामयी रात्रि का आभास करा रही हैं; वह आज ही संवेदनशील लोगों के लिए दिल दहलाने वाली हैं।

◆

9. भारत में अध्यात्म और प्रपंच

रहस्यमय एवं आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग जैसे सद्गुरू, साधू, संत, महात्मा, पंडा, पंडित, पुजारी, पुरोहित, कर्मकांडी, ज्योतिषी, भविष्यवक्ता, ओझा, सन्यासी, वैरागी, अवधूत, योगी, धर्मोपदेशक, ब्रह्मचारी, तांत्रिक, कथावाचक, महंथ, शंकराचार्य, स्वामी, साधक, वेदान्ती, शास्त्री, आचार्य, नागा, ऋषि, मुनि, बाबा, तपस्वी, आदि न जाने कितने नामों से कुछ को छोड़कर शेष लोग रहस्यमय आध्यात्मिक क्षेत्र में भ्रमण कराने के काम में प्राचीन काल से ही जुटे हुए हैं। ये हजारों–लाखों नामों से विभिन्न स्तर पर, विभिन्न श्रेणियों का आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं।

इनमें कुछ का काम मूल आध्यात्मिक दर्शन की शिक्षा देना है। उसकी व्याख्या करना है। कुछ लोग साधना का प्रशिक्षण देते हैं। कुछ लोग अपनी साधना और तपस्या से प्राप्त चमत्कारी शक्तियों का प्रदर्शन कर लोगों में अपनी अलौकिक शक्ति का विश्वास पैदा करते हैं। सामान्य लोग जो जीवन की तरह–तरह की समस्याओं से रोज–रोज जूझते रहते हैं इन तथाकथित अलौकिक शक्ति वाले महात्माओं के आशीर्वाद से अपने कल्याण की आशा लिए हुए उनके पास पहुँचते हैं। उसके लिए वे दीन भाव से याचक के रूप में उनके पैरों पर अपना माथा पटकते हैं कि ये महात्मा प्रसन्न होकर कृपा करेंगे। इनके आशीर्वाद से मुसीबतों का निवारण हो जायेगा। कुछ लोग समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए या जीवन में अन्य उपलब्धियों के लिए जैसे कोई चुनाव में जीत कर विधायक, मुखिया, एम0पी0, मंत्री आदि बनना चाहता है, बाबाओं के पास उनका आशीर्वाद लेने जाता है।

समय के साथ इन भ्रांतियों का जन्म हुआ है। आज तक इनमें ह्रास होने के बजाय वृद्धि ही हुई है। किसी को अपने गिरते व्यवसाय में सुधार की अपेक्षा है। किसी को किसी प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने की चाह है। किसी को पारिवारिक समस्याओं, जैसे बीमारी, गरीबी के कारण परेशानी है, किसी के यहाँ अचानक कोई दुर्घटना होती चली गई। किसी औरत को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी के यहाँ परिवार में मेल–मिलाप नहीं है। कलह के कारण परिवार में गिरावट है। किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। इसी प्रकार की विभिन्न सांसारिक समस्याओं के निवारण के लिए लोग इन महात्माओं की शरण में जाते हैं।

लोग जायें भी तो कैसे नहीं। पता चला कि अमुक स्त्री को बच्चा नहीं हो रहा था। वह बाबा के पास आशीर्वाद लेने गई थी। बाबा ने झाड़–फूँक किया, भभूत दिया, आशीर्वाद दिया और उसको बच्चा हुआ। इतनी जानकारी मिलनी काफी है। बच्चा चाहने वाली औरतें बाबा का आशीर्वाद लेने पहुँच जाती हैं। किसी ने कहा कि मेरा लड़का पागल हो गया था, बाबा ने उसको चॉकलेट खाने को दिया तब से वह ठीक है। ऐसा भी सुनने में आया कि एक बच्चे ने काँटी निगल ली। पेट में दर्द होने पर डाक्टर को दिखाया गया। एक्स–रे हुआ। काँटी का पता चला। बाबा के पास गया। बाबा ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से काँटी निकाल दी। पुनः एक्स–रे हुआ।

काँटी नदारद थी। एक औरत को उन्माद की बीमारी थी। बाबा ने माथे पर हाथ फेर दिया वह ठीक हो गई। एक आदमी गरीबी से अत्यन्त पीड़ित था उसने बाबा का शिष्यत्व ग्रहण किया। उसके बाद ही उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और वह मालामाल हो गया।

कोई व्यक्ति अपनी बीमारी का इलाज सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त चिकित्सालयों में करा चुका था। सभी बड़े डाक्टरों को दिखा चुका था, लेकिन उसकी बीमारी में कोई सुधार नहीं हुआ। उसके बाद वह बाबा के पास गया और चमत्कार हो गया। उसकी बीमारी ठीक हो गई।

कुछ को बाबा के आशीर्वाद से प्रतियोगिता में सफलता, कुछ को चुनाव में सफलता, कुछ को व्यवसाय में सफलता तो कुछ को कृषि में सफलता की खबरें समाज में हमेशा सुनने को मिलती रहती हैं।

कुछ बाबा अपनी व्यक्तिगत चमत्कारिक शक्ति से और कुछ लोग किसी खास स्थान पर स्थित देवी, देवता, ब्रह्म सती आदि की स्थापित शक्ति से लोगों का कल्याण कराने का दावा करते हैं। वे नहीं करते तो उनके शिष्य और प्रचारक चमत्कारिक शक्तियों का प्रचार करते रहते हैं। इसलिए यह क्षेत्र अपना अस्तित्व सुरक्षित रखकर प्रगति कर रहा है। जो लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बाबाओं के पास जाते हैं, वे लोग समस्याओं के हल के लिए प्रयासशील रहने वाले लोग होते हैं। वे लगातार प्रयास में लगे रहते हैं। उन्हें जहाँ भी किसी मदद की संभावना नजर आती है उधर दौड़ पड़ते हैं। उसी क्रम में वे बाबाओं की ओर भी बढ़ आते हैं। यद्यपि उनके कार्य में सफलता का श्रेय उनके अनवरत प्रयास को ही जाता है। फिर भी चूँकि वे सारी संभावनाओं को आजमाते हुए साधू–संतों के यहाँ भी जाते हैं, इसलिए अपनी सफलता का श्रेय अन्तत में बाबा के आशीर्वाद को दे देते हैं। ऐसा समाज में जड़ जमाये पारम्परिक विश्वासों के कारण होता है।

चूँकि यह क्षेत्र रहस्मय है, और इसकी वैज्ञानिक व्याख्या नहीं होती है, इसलिए सही जानकारी का लोगों में अभाव रहता है। जानकारी के अभाव के कारण अनेक लोग या यों कहें कि ज्यादातर लोग इस क्षेत्र का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य से करते हैं। साफ–साफ कहा जाए तो लोगों की अज्ञानता का लाभ उठाकर चमत्कारिक शक्ति का झूठा प्रचार कर, लोगों में विश्वास पैदा करते हैं और फिर लोगों को अपने पीछे घमाते हैं और उनका शोषण करते हैं। ऐसा एकाधबार होता तो कोई विशेष बात नहीं होती। सबसे दुःखद बात यह है कि इस भ्रम में पड़े रहने के कारण वे उचित कार्रवाई नहीं कर पाते हैं और फलतः आजीवन इन चमत्कारों की आशा में अटक कर अपना पूरा जीवन ही बर्बाद कर लेते हैं।

अब यह विचार करने की आवश्यकता है कि इस रहस्यमय क्षेत्र का फैलाव कैसा है। किन–किन कार्यों और विषयों को इस क्षेत्र में गिनेंगे। क्या यह मात्र अस्तित्वहीन काल्पनिक जगत है या इसमें कुछ सच्चाई भी है। व्यवहार में घटने वाली घटनाओं का इन से क्या संबंध है। इन घटनाओं का व्यावहारिक जीवन में क्या महत्व है, इत्यादि।

कुछ लोग अपने पंथ के विश्वास के अनुसार भजन करने वाले, ईश्वर के प्रति समर्पित, गृह–त्यागी, साधू–संत, महात्मा आदि हैं जो सामान्य व्यक्ति की तरह हैं। वे किसी चमत्कार, विशिष्ट साधना आदि का दावा नहीं करते। वे स्थिर रूप से किसी आश्रम में रहते हैं और उनमें से कुछ लोग भ्रमणशील भी हैं। यद्यपि वे अपने में विशिष्ट शक्ति होने का दावा नहीं करते और भोजन से अधिक उनकी कोई चाह भी नहीं होती, वैसे लोगों के प्रति भी गृहस्थों में श्रद्धा रहती है और यथा संभव उनकी सेवा करते हैं। इन्हीं के वेश में अब कुछ वंचक भी फिरते हैं, जो लोगों की भावनाओं का लाभ उठा कर उनको ठग लेते हैं।

कुछ लोग विशुद्ध रूप से धर्म-दर्शन की शिक्षा देते हैं। कथा वाचक, धर्मोपदेशक, संत, महात्मा नाम से इस प्रकार के काम में लगे रहते हैं। कुछ गुरू, स्वामी या अन्य नाम से भी साधना की शिक्षा देते हैं एवं आध्यात्मिक बोध कराते हैं।

कुछ लोग कर्मकांडी, पंडित, तांत्रिक, ज्योतिषी आदि के रूप में विशुद्ध व्यवसाई हैं। इनमें ही अधिकतर व्यापक रूप से लोगों में भ्रान्तियाँ फैलाने, अंधविश्वास की जडें जमाने और चमत्कार का दिलासा देकर ठगी का काम करते रहते हैं। इनके प्रति समाज में तरह–तरह की धारणाएँ हैं। इनके कार्यों में कुछ लोग विश्वास करते हैं और इनके व्यवसाय में सहायक बनते हैं, जबकि कुछ लोग इनमें विश्वास नहीं करते हैं। इन सभी प्रकार के आध्यात्मिक पुरुषों में तरह–तरह के चमत्कार दिखाने वाले लोग हैं। जिनमें कुछ का तो अत्यन्त ही उपयोगी महत्व है। जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। यू0पी0 के गाजीपुर जिला में एक गाँव है बिरनो। वहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति थे सूबा सिंह। मैं बचपन में ईश्वर भक्ति की अन्तर्प्रेरणा से घर छोड़ कर हरिद्वार चला गया था। घर के लोग बहुत बेचैन और दुःखी थे। किसी से सूबा सिंह की विशेषता सुन कर, लोग उनसे पूछने गये। जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि सूबा सिंह ने ऐसा बताया था। सुनकर आश्चर्य हुआ कि सब कुछ बिल्कुल सही बतलाया था। आजीवन सूबा सिंह यह काम करते रहे। पता नहीं उनमें यह शक्ति कैसे आई। वे आध्यात्मिक व्यक्ति भी नहीं थे। कोई साधना भी नहीं करते थे।

एक अत्यन्त विश्वसनीय व्यक्ति से यह जानकारी मिली कि एक महात्मा ने उनके यहाँ घटने वाली एक मृत्यु की घटना की अस्पष्ट पूर्व सूचना उन्हें दे दी थी। कह रहे थे कि उसके बाद उनके मन में महात्मा जी के प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न हुई। वे एक पहुँचे हुए महात्मा थे, जिनमें महान ईश्वरीय गुण थे। कुछ लोग दूसरे प्रकार के चमत्मकार दिखाते हैं। जैसे – एक व्यक्ति ने अपनी धोती के अंदर हाथ डाला और नारियल का फल निकाल लिया। उसे फोड़कर दिया। हम लोगों ने भी खाया। एक आदमी बता रहे थे कि एक व्यक्ति ऐसे ही चमत्कारी पुरुष थे। उनको रुपया दिया। जिस दुकान से कहा था उसी दुकान से ताजा मिठाई रसीद सहित आ गयी। आते किसी ने नहीं देखा पर उन्होंने अपने झोले में से निकाल दिया। इसमें सन्देह जैसी कोई बात नहीं थी।

ये सब चमत्कारी कार्य हैं। इनके विषय में जान कर किसी व्यक्ति का दिमाग अवश्य ही भ्रमित हो जायेगा। जबकि इसकी कोई स्पष्ट भौतिक या वैज्ञानिक

व्याख्या अभी तक नहीं की जा रही है तो स्वाभाविक ही है कि आदमी अपने विश्वासों, संस्कारों और शिक्षा के अनुरूप अलग–अलग व्याख्या करे।

अब आगे विचार किया जाय कि इन विषयों में अभी तक जो भी जानकारी प्राप्त हुई है वह क्या है। इनमें कुछ क्रियाओं को परामनोविज्ञान के क्षेत्र में रखा जाता है। इनके विषय में अब तक बहुत अध्ययन हुआ है। अनेक बार बच्चों द्वारा अपने पुनर्जन्म के रहस्योद्घाटन का पता चलता है। यह भी परामनोविज्ञान के क्षेत्र में ही आता है। बहुत तरह के कार्य या घटनाओं का प्रकाशन होता रहता है जिनका उपयुक्त कारण समझ में नही आता और भ्रांतियाँ बन जाती हैं। कुछ ऐसी चीजें भी देखने में आती हैं, जिनके घटित होने का कारण पता नहीं चलता है लेकिन उसे करने वाले उसे हाथ की सफाई कह कर किसी चमत्कार के होने के भ्रम का निवारण कर देते हैं। जैसे जादूगर दर्शकों को ऐसी–ऐसी चमत्कार पूर्ण चीजें दिखाते हैं कि यदि इस तरह की चीजों को कोई साधू महात्मा दिखा दे तो लोग उसे सीधा महात्मा की दैवी शक्ति से जोड़ कर देखने लगते हैं। किन्तु जादूगर इसे हाथ की सफाई बता कर लोगों को किसी अंधविश्वास का शिकार नहीं बनाते। ऐसा इसलिए स्पष्ट कर देते हैं कि उनका उद्देश्य अपनी कला के नाम पर कमाना होता है न कि ठगी के। क्या यह सम्भव नहीं है कि इनके समान ही साधू वेशधारी ठग इन कलाओं द्वारा लोगों में अपने सिद्ध पुरुष होने का विश्वास पैदा कर, लोगों को ठगते रहे हों ?

लोगों में अंध विश्वास पैदा न हो जाय और साथ ही लोगों के मनोरंजन का साधन भी बना रहे, इसलिए जादू को पूर्व सोवियत संघ के सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दिखाये जानेकी अनिवार्यता कर दी गई थी। फिर इनके विषय में जानकारी देना भी आवश्यक था ताकि वैज्ञानिक समझ से किसी तरह भी इन्हें विमुख हो जाने का कोई अवसर न पैदा हो। इसलिए सोवियत समाज में अपनी चमत्कारिक शक्ति के प्रदर्शन से भ्रम जाल में डाल कर किसी का शोषण का अवसर नहीं मिल पाता था।

हम यह जानते हैं कि विभिन्न तरह की विद्युतीय तरंगें आकाश में और पृथ्वी पर सर्वत्र गमन करती रहती हैं। ये तरंगें विभिन्न यंत्रों से संचालित कराई जाती हैं। जैसे रेडियो, टेलीवीजन, मोबाइल फोन एवं अन्य संचार संबंधी कार्यों के लिए इन तरंगों को भेजा जाता है। इसके अलावा विभिन्न ग्रहों से अलग–अलग फ्रिक्वेन्सी की तरंगे आती रहती हैं। फिर विभिन्न जीवों से तथा मानव-मस्तिष्क से भी इन तरंगों का निरंतर प्रवाह होता रहता है। मानव-मस्तिष्क एक ऐसी जटिल संरचना है जो न केवल तरंगों का प्रेषण करता है वरन तरंगों को प्राप्त कर उसकी अनुभूति कर लेता है। अलग–अलग मनुष्य के दिमाग की अलग संरचना है। इसलिए विभिन्न तरंगों के प्रेषण और ग्रहण की क्षमता अलग–अलग होती है। हम लोग व्यवहार में अपने अनुभव से जानते हैं कि किसी निकट संबंधी के संबंध में किसी प्रकार की घटना की संवेदनात्मक पूर्व जानकारी का आभास मिल जाता है।

अभी हाल में ही हमारे पाँच भाइयों में अंतिम की मृत्यु हो गई। वे दिल्ली स्थित लोहिया अस्पताल में भर्ती थे। मृत्यु के एक दिन पूर्व अस्पताल में उनको बहुत बेचैनी हुई। ठीक उसी समय बिहार के विभिन्न जगहों में हम तीन भाइयों में एक ही

प्रकार की विचित्र तरह की उदासी और बेचैनी का एहसास हुआ। दूसरे ही दिन हमलोगों ने उस विषय पर बातें कीं कि एक ही समय तीनों के साथ जो तीन जगहों पर थे, ऐसा क्यों हुआ। टेलीफोन से उनका समाचार मिला कि आज शाम को उनकी मृत्यु हुई। बाद में मालूम हुआ कि हमलोगों की इस असाधारण अनुभूति के समय वे वहाँ मृत्यु से एक दिन पूर्व बहुत बेचैन थे। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है, कि हममें सहोदर भाई होने के कारण जैवकोशीय मानसिक संरचना में समानता है। इसी समानता के कारण एक भाई द्वारा प्रेषित किसी खास फ्रिक्वेन्सी पर विद्युतीय तरंगों को रिसीव करने की क्षमता सिर्फ भाइयों में ही हो सकती थी इसलिए हमलोगों ने उसे रिसीव किया। दूसरे लोग भी किसी निकट संबंधी या मित्र के आने की पूर्व अनुभूति का आभास होने की बात कहते ही रहते हैं। मनुष्य के अंदर तरंगों का उत्पन्न होना उनका प्रेषण होना और उन्हें अन्य व्यक्तियों द्वारा महसूस किया जाना, यह विशेषता अपने आप में इतनी बड़ी है कि अलग-अलग व्यक्तियों में विभिन्न स्तर और प्रकार के कारण बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़ने लगता है। यह मन के विज्ञान का विषय है।

कई व्यक्तियों के संयुक्त ऐच्छिक प्रभाव से टेबुल पर रखे कप को खिसका देने, किसी व्यक्ति द्वारा अपने घर से दूर पार्क में बैठे व्यक्ति पर अपनी इच्छा शक्ति या यों कहें कि अपने मस्तिष्क द्वारा प्रेषित विद्युतीय तरंगों के प्रभाव से सुला देने आदि को प्रयोग के तौर पर किये जाने का समाचार प्रकाशित होता रहता है। संभव है कि ऐसी विशेषताएँ कुछ व्यक्तियों में जन्म से ही प्राकृतिक रूप से प्राप्त हों। यही लोग अपना प्रभाव किसी न किसी रूप में दूसरों पर डाल कर लोगों को अपने विशिष्ट सामर्थ्य से चकित कर देते हों और लोगों में अंधश्रद्धा का भाव भर देते हों।

पुनर्जन्म में यहूदी, ईसाई और मुसलमान विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन वे सड़कर नष्ट हो गये शरीरों के पुनः जी उठने में विश्वास करते हैं। विश्वास की परम्परा, भले ही बिना सिर पैर की हो, सदियों-सहस्राब्दियों तक चलती रहती है। बाइबिल को भी मुसलमानों के विश्वास के अनुसार अल्लाह की किताब कहा जाता है। उसमें पृथ्वी को सपाट बताया गया है। ब्रूनों द्वारा पृथ्वी को गोल बताने पर उसे जीवित जला दिया गया था। उसका दोष था कि उसने अल्लाह या गॉड के नियम के विरुद्ध निष्कर्ष निकाला था। आज सारी दुनिया जानती है कि अल्लाह की वह बात गलत निकली। मुसलमान अपने संस्कार के बंधन के कारण वैसा ही मानते हैं जैसा लिखा है। दुनिया में इस प्रकार की अनर्गल बातों का कोई अंत नहीं है।

लेकिन मनुष्य की आवश्यकता सत्य के उद्घाटन की है न कि अनर्गल बातों में विश्वास या ईमान लाने की। हिन्दू भी पुनर्जन्म के विश्वास के लिए जी जान से, प्रमाण तलासने में लगे रहते हैं। अनेक बच्चे अपने पूर्व जन्म की बातें बताते हैं। हिन्दू विश्वास को पुष्ट करने के लिए ये प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं पर वैज्ञानिकों ने एक भिन्न सम्भावना पर अध्ययन किया है। विभिन्न तरंगों के, विभिन्न व्यक्तियों से निस्सरण की क्रिया चलती रहती है। माँ के गर्भ में सृजन की अवस्था में, शिशु का मस्तिष्क, अपनी स्मृति में किसी व्यक्ति से निकलने वाली अनुकूल और विशेष तरंगों का संग्रह कर बाद में जब उसे प्रकट करता है तब उसे पुनर्जन्म की बात समझी

जाती है। आने वाले समय में इसका और स्पष्टीकरण होगा। आवश्यकता, विश्वास के स्वनिर्मित खोल में स्वयं को डाल कर तुष्टि पाते रहने की नहीं, बल्कि तथ्यों के उद्घाटन की है, जो अन्ततः मानव जाति के लिए सर्वाधिक हितकारी होता है।

अनेक व्यक्तियों में हिप्नोटाइज करने की शक्ति के विषय में सुनने में आता है। एक जादूगर अपने द्वारा आयोजित शो में एक घंटा विलम्ब से पहुँचा। उसके विलम्ब से आने पर लोग बहुत उत्तेजित थे। लोगों ने इसकी जोरदार शिकायत की। उसने कहा कि मैं पाँच मिनट पहले आ गया हूँ, अपने निर्धारित समय से। सभी लोग यह देख कर चकित थे, कि सबकी घड़ियाँ जादूगर की इच्छा के अनुसार समय बता रही थीं। इन उदाहरणों से यह बात स्पष्ट है कि दिव्य चमत्कारिक कार्यों के करने वाले लोगों के अलावा भी बहुत लोग हैं जो उसी प्रकार के प्रदर्शन में सक्षम हैं। तब आँख मूँद कर उनके कारण अंधश्रद्धा क्यों पाली जाय!

अब इस बात पर विचार किया जाय कि इनकी आध्यात्मिक उपलब्धियों के कारण समाज कितना सम्पन्न हुआ है। उन समाजों से जिनमें भारत की तुलना में या उन देशों की तुलना में, जहाँ आर्य संस्कृति के विपरीत विचार चलते रहे हैं, हमारी तुलनात्मक स्थिति पूर्व में क्या थी और आज क्या है।

धर्म की मूल दार्शनिक अवधारणा और उनके वैचारिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव से निर्मित हिन्दू समाज की स्थिति पर सूक्ष्म विचार करने के क्षेत्र को किनारे कर के अभी यहाँ यही विचार किया जाय कि ये तथाकथित चमत्कारिक प्रतिभा संपन्न साधक समाज को क्या दे सके हैं, क्या देते हैं और इनसे क्या उम्मीद है। सीधे-सीधे विचार करने पर इनका क्षेत्र भौतिक प्रगति में कहीं उपयोगी नजर नहीं आता है। आजतक किसी चमत्कार से कोई खेती नहीं उपजी है। कोई बगीचा नहीं उग गया है। पेड़ों में फल नहीं लग गये हैं। कोई मकान, पुल या वाहन नहीं बन गये। इनके चमत्कार से कोई सड़क नहीं बन गई। कोई सुरंग नहीं खुद गई। किसी कारखाने का निर्माण नहीं हो गया। किसी संपत्ति का अर्जन नहीं हुआ। कोई रेल इंजन या हवाई जहाज नहीं बन गया। नदियों पर बाँध नहीं बन गये। नहरें नहीं बन गईं। विध्वसंक लड़ाइयाँ नहीं रुक संकीं। किसी की हत्या नहीं रुकी। इनके चमत्कारों से कोई लड़ाई नहीं जीती गई। इनके समुदाय के ही लोगों का संपूर्ण विनाश हो गया है, किन्तु कभी कोई ऐसा चमत्कार नहीं हुआ कि इनके प्रभाव से उनकी रक्षा हो गई हो। किसी साधक द्वारा किसी चमत्कारिक शक्ति का आधुनिक युग में कोई खुला प्रदर्शन नहीं किया जा सका है। इसलिए जहाँ तक भौतिक निर्माण का सवाल है इनकी कोई उपयोगिता नहीं है, जो व्यावहारिक तौर पर कहीं देखी गई हो और किसी समाज ने सामाजिक रूप से इसकी स्वीकृति दी हो।

यद्यपि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इनकी बड़े पैमाने पर व्यापक चर्चा है कि चमत्कारिक शक्तियों से अमुक कार्य हुआ। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है। राम वन गमन के बाद, ननिहाल से लौटने पर भरत उनको वापस लाने के लिए शोकाकुल अपने प्रजाजनों, अयोध्या वासियों के साथ वन को चल पड़े। जाते-जाते वे भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुँचे। उनसे भरत राम के ठहरने का पता जानना चाहते थे।

भरद्वाज ने भरत की अच्छी भावनाओं से खुश हो कर अपने आश्रम पर प्रजाजनों एवं सेना के साथ ठहरने का अनुरोध किया। अपने तप एवं योग बल से भरद्वाज मुनि ने भरत की संपूर्ण सेना और प्रजाजनों के लिए ठहरने और खाने की व्यवस्था कर दी। वहाँ जंगल में कोई साधन नहीं था लेकिन भरद्वाज मुनि में वैसी अद्‌भुत शक्ति थी कि उनकी इच्छा मात्र से सभी साधन उपलब्ध हो गये। जैसे– चार–चार कमरों से युक्त गृह तैयार हो गये। हाथी और घोड़े के रहने के लिए शालाएँ बन गईं। अट्टालिकाओं तथा सतमंजिले महलों से युक्त सुन्दर नगरद्वार भी निर्मित हो गये। तदन्तर वहाँ दो ही घड़ी में भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत की सेवा में नदियाँ उपस्थित हुईं, जिनमें कीच के स्थान पर खीर भरी थी। उन नदियों के दोनों तटों पर ब्रह्मर्षि भरद्वाज की कृपा से दिव्य एवं रमणीय भवन प्रकट हो गये, जो चूने से पुते हुए थे। उसी मुहूर्त में ब्रह्मा जी की भेजी हुई दिव्य आभूषणों से विभूषित बीस हजार दिव्यांगनाएँ आईं। इसी तरह स्वर्ण, मणि, मुक्ता और मुंगों के आभूषणों से विभूषित बीस हजार महिलाएँ भी वहाँ उपस्थित हुईं, जिनका स्पर्श पाकर पुरुष उन्मादग्रस्त सा दिखाई देता है। इनके सिवाय नन्दन वन से बीस हजार अप्सराएँ भी आईं। नारद, तुम्बुरू और गोप अपनी कांति से सूर्य के समान प्रकाशित होते थे। वे तीनों गंधर्वराज भरत के सामने गीत गाने लगे। अलम्बुष, मिश्रकेशी, पुण्डरीका और वामना नाम की ये चार अप्सराएँ भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत के समीप नृत्य करने लगीं। सात–आठ तरुणी स्त्रियाँ मिलकर एक–एक को नदी के मनोहर तटों पर उबटन लगा कर नहलाती थीं। बड़े–बड़े नेत्रों वाली सुन्दर रमणियाँ अतिथियों का पैर दबाने के लिए आई थीं। वे उनके भींगे अंगों को वस्त्रों से पोंछ कर, शुद्ध वस्त्र धारण कराकर उन्हें स्वादिष्ट पेय पिलाती थीं। सम्पूर्ण मनोवांछित पदार्थों से तृप्त हो कर लाल चन्दन से चर्चित हुए सैनिक अप्सराओं का संयोग पाकर निम्नांकित बातें कहने लगे – अब हम अयोध्या नहीं जायेंगे.....। तटों पर तपे हुए पिठर (कुण्ड) में पकाये गये मृग, मोर और मुर्गों के स्वच्छ मांस भी ढेर के ढेर रख दिये गये थे। वहाँ सहस्रों सोने के अन्नपात्र, लाखों व्यंजन पात्र और लगभग एक अरब थालियाँ संग्रहीत थीं।

महर्षि भरद्वाज के द्वारा सेना सहित भरत का किया हुआ वह अनिर्वचनीय आतिथ्य सत्कार अद्‌भुत और स्वप्न के समान था। उसे देख कर वे सब मुनष्य आश्चर्य चकित हो उठे। जैसा देवता नन्दन वन में विहार करते हैं, उसी प्रकार भरद्वाज मुनि के रमणीय आश्रम में यथेष्ट क्रीड़ा-बिहार करते हुए उन लोगों की वह रात्रि बड़े सुख से बीती। तत्‌पश्चात् वे नदियाँ, गंधर्व और वे समस्त सुन्दरी अप्सराएँ भरद्वाज की आज्ञा से जैसे आयी थीं, वैसे ही लौट गयीं। यह चमत्कारिक शक्ति ब्रह्मर्षि के तप से प्राप्त वास्तविक सिद्धि की उपज थी या काव्यरचनाकार के मन की काल्पनिक उड़ान यह तो रचनाकार ही जानें।

आज हिन्दू मानस इस तरह इन शब्दव्यूह के आवरण में उलझा हुआ है कि उस जालसे हजारों हजार वर्ष से, पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कारों एवं चिंतन परम्परा से बँधा होने के कारण निकल पाना मुश्किल पा रहा है। यह तो मात्र एक उदाहरण है। ऐसे ही कथा और प्रसंगों से हमारा प्राचीन और दिव्य साहित्य संसार हमें अपने में समाहित

किये हुए है। उससे हम न छूट पाते हैं और न वैज्ञानिक सोच विकसित कर पाते हैं। चमत्कारों में आस्था और वैज्ञानिक तथ्यों के बीच आदमी कभी इधर तो कभी उधर डोलता रहता है।

आज के युग में इस प्रकार की रचना को तथ्य की दृष्टि से हास्यास्पद या बकवास कह कर कोई तुरंत ही त्याग देगा। वैसी रचना काल्पनिक या काव्यधर्मी ही समझी जाएगी। क्योंकि अब तक तथ्यों के उद्‌घाटन की समृद्ध दुनिया उनकी जगह समाप्त कर चुकी है। आज के युग में इस कल्पना के आतिथ्य सत्कार में चूने पुते महलों की जगह सेवेन स्टार आलिशान होटल होते। स्नान के लिए नदियों की जगह अत्याधुनिक स्वीमींग पुल और सुगन्धित बाथरूम होते। अप्सराओं की जगह कैबरे डान्सर, काल गर्ल्स, लेडी वेटर्स और मोडर्न लड़कियाँ होती। आलीशान मल्टी स्टोरिड विल्डिंग चूना पुते होने की जगह बाहर भीतर सुन्दर रंगों वाले ग्रेनाइट पत्थरों से बने होते। कमरे, टी0वी, मोबाइल फोन सहित अत्याधुनिक तकनीक से सजाये गये होते, जिनको सजाने वाले विशिष्ट इंटिरियर डेकोरेशन्स इंजिनियर होते। हाथी, घोड़े, ऊँट, गधे, रथ आदि के स्थान पर वाहन के रूप में जेट विमान, हेलीकाप्टर, जंगल में अंदर जाने के लिए लक्जरी ए0सी0 जीपें आदि होतीं। खाने के लिए आधुनिक शाकाहारी–मांसाहारी डिसें होतीं जिसे दुनिया के जाने माने कुक तैयार किये होते। अपनी पुरानी दुनिया के काल्पनिक चमत्कारों से बँधे होने के कारण आज भी आध्यात्मिक दुनिया के हमारे तथाकथित सम्माननीय महापुरुष अपने जाल में फँसा कर लोगों का शोषण कर रहे हैं। वैज्ञानिक सोच के आधार पर निर्मित आत्म विकास के मार्ग पर चलने में इनके द्वारा बराबर रुकावट खड़ी की जाती है।

समय के विभिन्न अन्तराल में तात्कालिक विद्वानों, सन्तों, मनीषियों और ऋषियों द्वारा साधारण अशिक्षित लोगों को समझाने के लिए अनेक किस्से कहानियों की रचना की गई है। समय बीतने के साथ जन–मानस में सत्य कथा के रूप में उनका स्थान बन गया है। भक्ति की भावना में आस्था बनाने के लिए पुराण में नरसिंह अवतार के किस्सा का वर्णन है। आज भी भक्त लोग ज्यों का त्यों उनमें विश्वास करते हैं। वे ध्यान नहीं देते कि दुनिया भर में एक से बढ़कर एक दुष्कर्म और अन्याय होता है लेकिन किसी की रक्षा करने भगवान खम्भा फाड़कर उसके अंदर से क्यों नहीं निकलते। इस प्रकार के विश्वास हिन्दू संस्कार की परम्पराओं के कारण लोगों के मन में गहरे बैठे हैं। यद्यपि इनके कारण ही हिन्दू समाज हमेशा हानि उठाता रहता है फिर भी घटनाओं से कुछ भी सीखने के बजाय उसके विरुद्ध कोई बात भी सुनना पसंद नहीं करता।

इतिहास में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना हिन्दुओं के संस्कार गत विश्वास के कारण उनके विनाश के रूप में जानी जाती है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटने और उसे ध्वस्त करने के उद्देश्य से चढ़ाई की। सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग, जो नीलम पत्थर का बना हुआ था, बहुत विशाल था। शिव की मूर्ति चुम्बकीय प्रभाव से बिना सहारे के हवा में लटक रही थी। लोगों की अपार श्रद्धा थी। दूर–दूर से लोग सोमनाथ में दर्शनार्थ आते थे और बहुमूल्य वस्तुएँ दान करते थे।

जब महमूद गजनवी की सेना सोमनाथ के निकट पहुँच गई तब मूर्ख हिन्दू अपने दुर्ग पर और मूर्ख पंडित सोमनाथ के कंगूरे पर चढ़ गये ताकि वे शिव जी के तीसरे नेत्र के खुलने और मुस्लिम सेना के भस्म होने का दृश्य देख सकें। वे सभी आत्मविश्वास से भरे हुए उपहास की हँसी हँस रहे थे। कुछ पंडित मूर्ति के चारों ओर बैठे विलख कर रो रहे थे और प्राण रक्षा की प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन अंधविश्वास हमेशा मुनष्य का विनाश ही कराता है। महमूद की सेना ने पंडितों और नगर वासियों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू किया। तीन दिनों तक कत्लेआम चलता रहा। यदि इनमें दैव सम्बल का अंधविश्वास नहीं होता और अस्त्र–शस्त्रों से सज्जित हो शत्रु का मुकाबला किये होते तो वे अपनी और सम्पत्ति की रक्षा करने और शत्रु का नाश करने में सफल हुए होते।

मंदिर और नगर से अपार दौलत लूट कर, जिसकी कीमत अरबों–खरबों में थी और लगभग पचास हजार लोगों का कत्ल कर तथा शिव की मूर्ति को टुकड़े–टुकड़े कर महमूद ले गया। इस प्रकार के अंधविश्वास से उत्पन्न मूर्खता के कारण हिन्दुओं का सदा संहार और पराजय होता रहा है।

इससे यह सीख मिलती है कि किसी देव मूर्ति में शक्ति का विश्वास कर पूजने से आत्म तुष्टि भले ही मिलती हो पर उससे कोई चमत्कार या मदद की आशा करना स्वयं को धोखा देना है। सर्प को रस्सी मान कर उससे निश्चिन्त होना ऐसी मूर्खता हो सकती है जिससे प्राण चला जाय। उसी प्रकार रस्सी को सर्प मान लेना, नाहक डरने की मूर्खता करना होता है। आवश्यकता है सर्प को सर्प और रस्सी को रस्सी समझने की। लेकिन हिन्दू, अध्यात्म व्यवसाय के जाल में शायद ही कभी सत्य को समझें। वास्तव में मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी है कि बचपन में उस पर जिस वातावरण का प्रभाव पड़ता है, वह लगभग स्थाई बन जाता है। जिन बातों और किस्सों कहानियों में विश्वास करते हुए वह बचपन में लोगों को देखता है, उन पर संदेह करने और विचार कर नया निष्कर्ष निकालने के बदले उन्हें धारण कर, उनमें विश्वास बनाये रखने में ही आनन्द अनुभव करता है। इसे ही संस्कार का बंधन कहते हैं। मानव जीवन पर इसका प्रभाव अच्छा और बुरा दोनों ही होता है।

अच्छी बातों में विश्वास दृढ़ हो जाने के कारण, मनुष्य आजीवन अच्छा बना रहता है लेकिन गलत विश्वासों में स्थायित्व होने के कारण विकास की गति धीमी हो जाती है। इससे कालान्तर में विनाश ही होता है।

मनुष्य अपने जीवन की परिस्थितियों से प्राप्त अनुभव द्वारा जो कुछ सीखता है वह उसका पालन करता है पर संस्कार से प्राप्त उसके अनेक विश्वास जो इन अनुभवों के अनुरूप नहीं होते, उसके दैनिक जीवन में द्रुत विकास की गति को अवरोधित करते रहते हैं।

जैसे भारत में मनुष्य अपने संस्कारों से प्राप्त ज्ञान के कारण मानता है कि जो कुछ होने वाला है सब ईश्वर ने पहले से ही निश्चित कर दिया है। ऐसा ही उदाहरण गीता में है, जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को पहले ही वह दृश्य दिखाया जो बाद में घटित होने वाला था और अर्जुन को निमित्त मात्र बतलाया। इसी सिद्धांत और

विश्वास के कारण फलित ज्योतिष का भविष्य कथन का व्यवसाय चलता है। लेकिन दूसरी ओर अपने अनुभव से प्राप्त ज्ञान से हर व्यक्ति जानता है कि करने से ही कुछ होता है अन्यथा वे अपने संस्कार से प्राप्त विश्वासों को धारण कर क्रियाहीन बन जाते। अति विश्वासी व्यक्ति भी अपने प्रियजनों की बीमारी के उपचार की व्यवस्था करता है। उस समय वह अपने विश्वासों को भूल जाता है कि जो होना है वह निश्चित है, इसलिए क्यों अकारण परेशान होना चाहिए। विश्वास और अनुभव एक दूसरे के उलटे होने के बाद भी मनुष्य को उस द्वंद्व में फँसे रहने में अच्छा लगता है। जबकि आवश्यकता हर विश्वास में संदेह की और हर संदेह की जाँच की है ताकि वर्तमान जरूरतों के अनुसार सत्य मार्ग की खोज हो सके। सत्य मार्ग द्वारा ही आगे बढ़ा जाता है। वास्तव में ईश्वर की खोज, सत्य की खोज को ही समझना चाहिए। झूठे विश्वासों को धारण किये रहने से बड़ा अहित होता है। बिना गहन छानबीन के किसी बात को मान लेना और उसी मान्यता के आधार पर जीवन के संचालन हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लेना, आँख बाँध कर अग्नि कुंड में सीधे कूद जाने के समान है जिसे हिन्दू समाज सदियों से करता आ रहा है। जीवन की आवश्यकता किसी चीज को मानने की नहीं बल्कि उसे वास्तविक रूप में जानने की होती है।

लेकिन दुर्भाग्य है कि समाज के मार्ग दर्शक लोग जिनका संबंध धर्म–संप्रदाय से है, अंधविश्वासों को बनाये रखने में ही रुचि लेते हैं और समाज के विकास को बाधित करते हैं। इसका कारण है कि समाज में व्याप्त अंधविश्वास ही उनकी जीविका का आधार होता है।

अज्ञानता के कारण उपजे अंधविश्वासों के कूप से निकालने में विज्ञान की तथ्यपूर्ण रोशनी ने अवश्य ही बहुत काम किया है। फिर भी अभी तक हमारे समाज के लोग अंधविश्वासों से मुक्त नहीं हो सके हैं। हम अपनी जानकारी से इतना निश्चय पूर्वक जानते हैं कि आध्यात्मिक दुनिया में सैर कराने का दावा करने वाले प्रभावित करने के लिए अपनी योग्यता और शक्ति का प्रदर्शन कुछ भौतिक चमत्कारों को दिखा कर ही करते हैं लेकिन उनकी चमत्कारिक शक्ति, निर्माण के क्षेत्र में किसी प्रकार उपयोगी नहीं होती है।

इनका क्षेत्र मन–मस्तिष्क में होने वाले कुछ विकारों, बीमारियों में सुधार, कुछ शारीरिक व्याधियों में सुधार, कुछ व्यावसायिक या पेशागत सफलता के लिए आशीर्वाद के रूप में जन सामान्य में जाना जाता है। अंधश्रद्धा के कारण लोगों की भीड़ जुटती है। एक पत्रिका में देखने को मिला था कि सत्य साईं बाबा के चमत्कारों की जाँच करने, उनका वैज्ञानिक परीक्षण करने के लिए बाम्बे विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की एक गठित कमिटी ने उनसे अनुरोध किया था जिसकी अनुमति उन्होंने नहीं दी थी। पूरा समाज भ्रम में पड़ा है कि यह सब क्या है।

कुछ आध्यात्मिक गुरू साधना कराते हैं। वे बताते हैं कि साधना की अनेक सीढ़ियाँ हैं उन सीढ़ियों से क्रमशः आगे बढ़ते–बढ़ते मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करता है और मनुष्य का यही प्राप्य है। मानव जीवन की यही सार्थकता है। भजन, कीर्तन करते हुए ईश्वर भक्ति में सराबोर हो जाना चाहिए। इसी से वह मोक्ष की प्राप्ति करता

है। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाने वाले सद्गुरुओं के शरण में जा कर ही साधना की गूढ़ शिक्षा प्राप्त हो सकती है।

यदि मान भी लिया जाए कि ईश्वर भक्ति में डूबने के लिए आध्यात्मिक साधना का मार्ग, सद्गुरुओं के माध्यम से अपनाना आवश्यक है ताकि मनुष्य, जीवन का प्राप्य मोक्ष प्राप्त कर ले, तो भी इसका निवारण कैसे होगा कि मनुष्य का शरीर और साधना की सारी क्रियाओं के चलते रहने के लिए आवश्यक भोजन की पूर्ति कहाँ से होगी। जब भोजन के बिना काम चलना ही नहीं है और बिना श्रम के प्रकृति या भगवान भोजन की व्यवस्था करते ही नहीं हैं तब यह भक्ति होगी कैसे ? इसका मतलब है दूसरे के श्रम से पैदा हुए भोजन को चुराकर, ठग कर या छीन कर खाना और भक्ति करना। जो गृह त्यागी सन्यासी हैं, श्रम के बिना या श्रम को स्वस्थ रखने में कोई सहयोग के बिना, अन्य के श्रम से उत्पादित भोजन करते हैं, तो वह न्यायपूर्ण नहीं हो सकता है। दूसरों की भावना को अपने प्रति श्रद्धा और विश्वास में बदलकर उससे किसी प्रकार का लाभ प्राप्त कर लेना क्या अनुचित नहीं है ? क्या हमारे आध्यात्मिक पुरोधा इसी मार्ग की शिक्षा देते हैं। जिन भौतिक वस्तुओं का वे स्वयं उपभोग करते हैं, उनके उत्पादन को वे कर्म नहीं कहते। वे कर्म कहते हैं साधना को। साधना किस उद्देश्य के लिए ? ईश्वर प्राप्ति और मोक्ष के लिए । क्या है ईश्वर प्राप्ति और क्या है मोक्ष; इसका निर्णय असंभव है। यह निजी विश्वास का विषय है, सिर्फ संस्कार की मान्यता का विश्वास।

अब चलते हैं बाबाओं के आश्रम पर। एक बाबा के पास जाने पर देखा कि बाबा के गैरेज में कई गाड़ियाँ हैं और वे गाड़ियों पर ही चलते हैं। उनके आश्रम में जो दूर–दूर तक फैला है कृषि बागवानी अच्छी है। भक्त मन लगा कर अपने श्रम से उसको सींचते हैं। विद्युत की व्यवस्था है। लाइन कटने पर बाबा को असुविधा न हो इसलिए जेनरेटर, तेल और भक्त ऑपरेटर सदा तैयार हैं। टेलीफोन है जिससे भक्तों को दूर से ही अपनी समस्याओं के निवारण में सुविधा हो। 10–20 किलो दूध देने वाली गायें अनेक हैं। आने वाले भक्तों को खाने ठहरने की मुफ्त व्यवस्था है। उनके लिए अलग से बाथरूम और नहाने के नल की व्यवस्था है। पाइप लाइन दूर–दूर तक बिछी हुई हैं, टंकी में पानी भरे रहने की व्यवस्था है। ताकि बाबा और भक्तों को असुविधा न हो। आखिर साधना का कठिन मार्ग जो है। सुविधा का होना आवश्यक है। यह सब विश्वास, श्रद्धा और भक्ति में सराबोर गाँठ के पूरे, दूर–दूर के भक्तों द्वारा पूरा किया जाता है। वे पैसा देते हैं और पैसे से क्या नहीं हो सकता है। लोगों द्वारा चढ़ावा चढाने का कोई अंत नहीं है, मिठाई के साथ हर आने वाला अपनी सामर्थ्य के अनुसार नकद मुद्राएँ भी अर्पित करता है। प्रति दिन की आमदनी का क्या कहना। मुफ्त नास्ता, खाना की व्यवस्था बाबा की ओर से होता है। लोग समझते हैं कि बाबा के महात्म्य से यह खर्च भगवान के खजाने से आता है।

अब विचार करने का विषय है कि अपने जीवन में भौतिक सुख साधनों का पर्याप्त भोग करना और दूसरों को साधना सिखाना, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बतलाना कैसे उचित है ? जिन भौतिक वस्तुओं का स्वयं उपभोग करते हैं और यह जानते हैं

कि इनका उत्पादन श्रम से होता है उसे कर्म नहीं कह साधना को कर्म कहना जिसका कोई उपयोग नजर नहीं आता है, क्या समाज का अहित करना नहीं हुआ ? वह साधना भी करने वाले 10–15 से अधिक नहीं दिखाई पड़े। जो भी आश्रम पर जाने वाले हैं, सब किसी न किसी अपने सांसारिक कष्टों के निवारण के लिए इस विश्वास से जाते हैं कि बाबा में कोई चमत्कारिक शक्ति है और इस शक्ति के प्रभाव से बाबा खुश होकर उनके कष्टों का निवारण कर देंगे। लोगों में अस्पष्ट अपनी चमत्कारिक शक्तियों का विश्वास पैदा करना उनमें अपने लाभ की आशा जगा कर अपने पीछे घुमाना, सम्मान पाना और अर्थ पाना यह सब विशुद्ध वंचना नहीं तो और क्या है ? यदि भरद्वाज मुनि की तरह ही सब व्यवस्था कर लेते तो धन की आवश्यकता भी नहीं होती।

भौतिक सुख–सुविधाओं के भोग से ऊबा हुआ या फिर सांसारिक समस्याओं से परेशान मनुष्य का मन बेचैन हो जाता है। कुछ लोग स्वभाववश प्रकृति के रहस्यों के प्रति अति उत्सुकता से व्याकुल हो जाते हैं, निरंतर चिंतन से, मनुष्य ने आध्यात्मिक दुनिया की श्रृष्टि की है। उसका विस्तार किया है और लगातार उसके चिंतन से जीवन के अंतिम लक्ष्य के रूप में मोक्ष के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में पैठकर, आत्म तृप्ति का मार्ग ढूँढ़ना जारी रखा है। इसलिए अध्यात्म अत्यन्त महत्वपूर्ण, मानव जीवन की तृप्ति का मार्ग बन गया है। अध्यात्म चिन्तन की जड़ें अब इतनी गहरी और क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि अनेक बार मनुष्य भयंकर भटकाव में पड़ कर जीवन को सुख से तृप्त करने के वजाय दुखी बना लेता है।

इस क्षेत्र के अग्रणी महानुभाव जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की व्यवहार में अनदेखी कर नहीं सकते हैं, तब भौतिक सुविधाओं के लिए किसी न किसी रूप में वंचना का ही कार्य करने लगते हैं। वे स्पष्ट कोई शिक्षा नहीं देते। इस क्षेत्र के रहस्यों की सही जानकारी नहीं देते, जो कुछ भी उनके पास हो। इसके विपरीत लोगों में अनेक भ्रम की सृष्टि कर अपना उल्लू सीधा करने का काम करते हैं। उन्हें स्पष्ट बताना चाहिए कि साधना क्या है इससे क्या प्राप्त होगा। ध्यान, साधना, कुंडलिनी जगाना, योग निद्रा, सिद्धि प्राप्त करना, मंत्रों का प्रयोग आदि की उपयोगिता का खुला प्रदर्शन होना चाहिए। सारा समाज भ्रम-जाल में भटक रहा है। क्यों नहीं इसके शिक्षण संस्थान, विषय की जानकारी, शुल्क आदि का स्पष्ट प्रकाशन करते हैं। फिर चमत्कारिक कलाओं को सिखाने सम्मोहित करने की कला को सिखाने या अन्य जो भी विद्या और कला वे जानते हैं उसको बतावें, लोगों को शिक्षित करें। अपनी फीस लें, क्योंकि उनको भौतिक सुविधाएँ तो चाहिए ही। यह स्पष्ट है कि उनकी साधना से भौतिक सुविधाएँ उपजेंगी नहीं तो चाहे फीस लें या लोगों को भ्रमित कर ठगें।

सृष्टिकर्ता ने सृष्टि के संचालन के लिए जो विधान या नियम बनाये हैं उन्हें ही हम ईश्वरीय विधान या प्रकृति के नियम के रूप में जानते हैं। सृष्टि के विस्तार और उसे संचालित करने वाले प्रकृति के नियमों, उसकी विविधता और गणना की कोई सीमा नहीं है। उसकी तुलना में मनुष्य की बुद्धि और सामर्थ्य की पहुँच बहुत थोड़ी है। वह शारीरिक और मानसिक किसी रूप में भी ईश्वरीय विधानों के अतिक्रमण

की शक्ति नहीं रखता है। वह उनमें थोड़ा भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। पर सृष्टिकर्ता ने मनुष्य को मस्तिष्क प्रदान किया और मस्तिष्क की क्रिया, मन और बुद्धि द्वारा उसे बोधगम्य बनाया। फलतः मनुष्य ने उसका संज्ञान प्राप्त कर क्रमशः अपनी बौद्धिक और दैहिक क्षमता के अनुसार उसका यथायोग्य उपयोग करना जारी रखा।

हमें कोई वस्तु रहस्यमय सिर्फ इसलिए लगती है क्योंकि हम उसके विषय में नहीं जानते हैं। हमें कोई घटना चमत्कार पूर्ण सिर्फ इसलिए लगती है, क्योंकि ईश्वरीय विधान या प्रकृति के नियमों की जितनी हमारी जानकारी है, हम उसे उसके विपरीत घटित होते हुए देखते हैं। चमत्कारपूर्ण घटनाओं को घटित कराने वाले व्यक्तियों को हम अलौकिक, दैवी या ईश्वरीय सत्ता का अधिकारी मान लेते हैं। किन्तु बात सिर्फ इतनी होती है कि उसने उन ईश्वरीय विधानों या प्रकृति के नियमों में से कुछ को जान लिया है, जिसे हम नहीं जानते। उसने उनके अनुरूप कुछ घटनाओं को घटित कराने की सामर्थ्य पैदा कर ली है जिसे हम नहीं कर सकते या फिर उनमें प्राकृतिक रूप से जन्मना ही, कुछ ऐसी घटनाओं को करने की शक्ति आ गई है, जो हममें नहीं है। हम अपनी अज्ञानता के कारण उसे दैवी महत्व देते हैं जबकि यह मात्र एक प्राकृतिक संयोग की बात होती है। यद्यपि उनमें ईश्वरीय विधानों या प्रकृति के नियमों में किंचित् भी परिवर्तन की क्षमता नहीं होती है इसलिए वे किसी प्रकार भी दैवी सत्ता के अधिकारी नहीं हो सकते; फिर भी उनके ज्ञान, उनकी शक्ति और सामर्थ्य की शेष लोगों के लिए कुछ न कुछ उपयोगिता होती है, जिसका लाभ प्राप्त करने के लिए लोग उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं।

मनुष्य बचपन से ही अपने को ऐसे लोगों से घिरा पाता है जो उससे अधिक ज्ञान रखते हैं और अधिक सामर्थ्यवान होते हैं; जो जीवन के हर पग पर उसका मार्ग दर्शन और उसकी सहायता करते हैं; माता, पिता, गुरू, संबंधी, पड़ोसी और पूरा समाज ही। यह क्रम आजीवन चलता है। वह भी, समाज में किसी न किसी के लिए और किसी न किसी प्रकार से उपयोगी होता है। इस प्रकार पूरा समाज ही यथायोग्य एक दूसरे के ज्ञान, शक्ति और सामर्थ्य के सम्बल से लाभान्वित होता है। तथाकथित दैवी महापुरुष भी इसी समाज के अंग हैं। वे भी समाज को कुछ देते हैं तो समाज से कुछ लेते भी हैं। समाज के लोग, अपनी भौतिक एवं सामाजिक क्रिया–कलापों का संज्ञान भी रखते हैं। उनके क्रिया कलाप बोधगम्य होते हैं।

कठिनाई तब होती हैं जब कुछ लोग अपने ज्ञान को छुपाये रखते हैं; उसे रहस्यमय बताते हैं; उसे रहस्मय बनाये रखने के लिए सचेष्ट रहते हैं और उसका उपयोग कर, अनजान लोगों के समक्ष चमत्कारिक प्रदर्शन करते हैं और इस प्रकार स्वंय को अलौकिक, दैवी या ईश्वरीय आभा से दीप्त होने का बोध कराकर, लोगों से सम्मान, प्रभुत्व, अर्थ एवं अन्य प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त करते हैं। यह वृत्ति संत–महात्मा की अवधारणा के अनुकूल नहीं है। मनुष्य ने जो भी पाया, भौतिक या आध्यात्मिक, शक्ति या सामर्थ्य, ज्ञान या अर्थ उसे सम्पूर्ण मानवता के कल्याण में लगा कर तृप्ति नहीं पाई तो वह ईश्वरीय, संत या महात्मा कैसा ? सामान्य बोधगम्य प्राकृतिक नियमों के अलावा कुछ नियम व्यक्तिगत अनुभव से संबंधित हैं, उसी का लाभ उठा कर कुछ

लोग संत वेश में लोक कल्याण की जगह स्वकल्याण में लग जाते हैं। तब उनका दिव्य ज्ञान संत का ज्ञान न हो कर पेशेवर का ज्ञान बन जाता है।

स्पष्टता के अभाव में पूरा हिन्दू समाज भ्रमित होकर दिशाहीन बना हुआ है। पूरा हिन्दू समाज ही इन भ्रम जालों में फँसकर उचित निर्णय के अभाव में नष्ट होता जा रहा है। इसलिए आध्यात्मिक दुनिया के सभी महापुरुषों से विनम्र निवेदन है कि वे अपने जीवन शैली में आवश्यक परिवर्तन कर समाज को स्वस्थ दिशा दें। यह तो आज के कुछ महात्माओं की क्रियाओं से दुखित मन की आवाज है, अन्यथा उनकी जगह दूसरी है। वे समाज के सामान्य जनों के कल्याण के लिए निःस्वार्थ भाव से ज्ञान से अभिभूत करने वाले समर्पित, सर्वोच्च लोग थे जिनके उपकार से समाज उपकृत था। समाज अपनी कृतज्ञता उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट कर व्यक्त करता था। उसी कृतज्ञता के कारण सम्मान और श्रद्धा प्रदर्शन की परम्परा आजतक चली आ रही है। किन्तु दुर्भाग्य है कि उन महापुरुषों की परम्पराओं से जुड़कर उनका वारिस बन कर अधिकांश लोग समाज का कल्याण करने के बदले सर्वत्र समाज से ही कुछ प्राप्त कर लेने की निरंतर तृष्णा में फँसकर उस महानता का नाश कर रहे हैं। अंधविश्वासों, पाखण्डों और व्यर्थ के कर्मकांडों के जाल में फँसा हुआ कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। प्रकृति के पार, मानवातीत, अद्भुत, अलौकिक, आत्मिक या दैव अनुभूति का ज्ञान सामान्य मनुष्य के लिए रहस्यमय है। रहस्योद्घाटन के लिए ज्ञान-प्रकाश करना कर्तव्य है, न कि वंचना।

आज हिन्दू समाज (आर्य संस्कृति) संसार के मानचित्र से मिटते–मिटते अपने अंतिम स्थान भारत वर्ष में सिमट कर चारों ओर से शत्रुओं से घिर चुका है। दुनिया के इस्लामी और ईसाई देश भारत वर्ष को इस्लामी और ईसाई राज्य में बदलने के लिए सभी तरह के छद्म और प्रत्यक्ष तरीकों के साथ, हिन्दू समुदाय को दबाते हुए अपना विस्तार करने में तेजी और दृढ़ता से लगे हुए हैं। इस्लाम की मजहबी मान्यताएँ गैर मुसलमानों के लिए भयंकर रूप से घातक हैं। आज धर्मगुरुओं का प्रमुख कर्तव्य है कि हिन्दू समुदाय पर बहुत शीघ्रता में आने वाले इस्लामी एवं ईसाइयत के खतरों की स्पष्ट समझ रख कर हिन्दुओं की रक्षा के लिए उनको जगाने का कार्य अपने हाथ में लें। इसके लिए अपने आश्रम पर जमा होने वाली भीड़ को संबोधित कर, उत्साही लोगों को शिक्षित कर, गाँव–कस्बों, शहरों, हर जगह, हिन्दुओं को जगाने के लिए भेजें। अपने आश्रमों का पूरा उपयोग हिन्दुओं की रक्षा के लिए त्यागी और समर्पित योद्धाओं को तैयार करने में करें। बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी पर बल पूर्वक नियंत्रण करने के लिए एवं छद्म ईसाई विस्तार को रोकने के लिए हिन्दुओं को वास्तविक खतरे की जानकारी देने, उनको संगठित करने और उनकी शक्ति में वृद्धि के लिए समुचित उपाय करने के लिए प्रचार करना आवश्यक है। अभी तक लगता है धर्मगुरुओं को यह भी पता नहीं है कि इस्लाम क्या है और उसका मूल स्वरूप क्या है। गैर इस्लामी लोगों के साथ उसका क्या व्यवहार है, उसका निकट भविष्य में हिन्दू समाज पर क्या असर पड़ने वाला है और अन्ततः परिणाम क्या होगा। ईसाइयत के विस्तार के संबंध में भी यही स्थिति है। उनका कर्तव्य है कि समुचित अध्ययन और

स्पष्ट समझ रख कर हिन्दू समाज के जागरण के लिए तुरंत कार्रवाई करें। अपने शिष्यों को इस विषय में पूर्ण शिक्षित करें। नये शिष्यों को बड़े पैमाने पर तैयार करें और उन्हें शिक्षित बना कर गाँव–गाँव में हिन्दू समाज को जगाने के लिए भेजें। हिन्दू समाज को एकता के सूत्र में बाँधने के लिए नियमित ध्यान–योग एवं प्रवचन का नया विधान करें। छुआ–छूत एवं जाति प्रथा की निन्दा करें। इनका किस तरह ऐतिहासिक दौर में धीरे–धीरे निर्माण हुआ और ये आज की परिस्थिति में किस प्रकार हिन्दू समाज के विकास और उसके अस्तित्व के लिए अनुपयोगी तथा बाधक बने हुए हैं। साथ ही शादी में फिजुल खर्ची और दहेज की बुराई का भी विरोध कर समाज को समझावें। इससे हिन्दू समाज स्वस्थ होगा और संगठित होगा। जब समाज संगठित बनेगा तो उत्थान अवश्य होगा। इसके बाद खतरे की पूर्व जानकारी हो जाने से हिन्दू समाज यह समझ जायेगा कि अब बिना अस्त्र–शस्त्र के अपनी रक्षा होना सम्भव नहीं है। इसलिए अस्त्र–शस्त्रों के संग्रह, उनके निर्माण, उनके संचालन का कौशल जानने का प्रयास करेगा। हिन्दू समाज, इसके प्रति उदासीनता का परिणाम, देश विभाजन के समय लाखों लोगों के कत्लेआम के रूप में देख चुका है और रोज ही देख रहा है। इससे समाज के विनाश की संभावनाएँ कम हो जायेंगी।

हिन्दू समाज के अग्रणी महात्माओं, संतों, गुरुओं, साधुओं को अब संकोच, भय, लोभ, लालच आदि छोड़कर अपने उच्च स्थान के अनुरूप हिन्दू समाज की रक्षा और उसके विकास के लिए प्राण–पण से समर्पित भाव से तुरंत लग जाना चाहिए। बड़ी–बड़ी धर्मसभाओं और दूरदर्शन पर धर्मोपदेश देने वाले हिन्दू उपदेशकों का यह कर्तव्य है कि वे मात्र चार हजार वर्ष और उससे भी पहले के पौराणिक कथा कहानियों में पूरे हिन्दू समाज को उलझाये नहीं रखें। उनकी शिक्षाओं का उपयोग वर्तमान परिस्थितियों से निपटने में करें। इस्लाम और ईसाइत के खतरे तथा हिन्दू समाज की आंतरिक कमजोरियों को दूर करने के लिए प्रचार अभियान तेज कर दें।

सुरक्षित रहकर सम्मान और सुविधा प्राप्त कर भोगवादी बनना हिन्दू संतों की पुरानी परंपरा नहीं रही है। वे तो समाज के संपूर्ण कल्याण के लिए स्वंय को समर्पित करने वाले लोग रहे हैं। विजीगिषु जीवन वाद को अपना कर निःस्वार्थ भाव से उन्होंने पूरी दुनिया में भ्रमण कर पूरी दुनिया को ही आर्य बनाने का व्रत ले रखा था। उन महान संतों की परम्परा को दूषित नहीं किया जाना चाहिए। यदि हिन्दू समाज मिटता है, जो आज की परिस्थिति और दिशा को देखने से निश्चित लगता है तो उसके लिए गुनहगार पूर्णरूप से धर्मगुरू, उपदेशक और संत महात्मा ही होंगे, जिन्होंने हिन्दू समाज को जागृत करने के अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया।

◆

10. हिन्दू अस्तित्व – संकट और समाधान

हिन्दू समाज या भारत राष्ट्र के लिए, बहुत ही बुरा दिन आने वाला है। भारत भूखण्ड को जो आदि काल से हिन्दू समुदाय का अपना घर रहा है, इस्लाम और ईसाइयत के हाथों अधिग्रहीत किये जाने की स्थिति बन रही है। दुर्भाग्य यह है कि पूरा हिन्दू समाज ही उस भयावह दृश्य को देख सकने में अक्षम आँख वाला बना हुआ है। उदासीन, असावधान, सुषुप्त, स्वार्थान्ध और आत्मकेन्द्रित जीवन शैली अपना लेने के कारण अस्सी करोड़ की हिन्दू जनसंख्या बिखरी हुई, असंगठित और शक्तिहीन बन गई है। इस सबके पीछे सबसे बड़ा कारण दिशाहीनता की है। कोई समाज जब तक संगठित नहीं होता है सशक्त नहीं बन सकता है। संगठित होने के लिए आवश्यक शर्त है, पूरे समाज को एक मत का होना। मतैक्यता से ही एकता, संगठन और फिर शक्ति का निर्माण होता है। मतभिन्नता से बिखराव होता है। आज हिन्दू समाज में बिखराव की जो स्थिति दिख रही है उसका कारण यही है। किसी समाज में जब वैचारिक स्वतंत्रता होती है तो मत–भिन्नता का उभरना स्वाभाविक होता है। किन्तु मत की स्वतंत्रता और समाज के संगठन हेतु सामाजिक अनुशासन की अलग–अलग व्यवस्था की जा सकती है। समाज स्वतंत्र भी बना रहे और संगठित भी। दोनों में एक का अभाव समाज को इस या उस रूप में क्षति पहुँचाता है।

इस्लाम में विचार की कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। कुरान, हदीस, हिदाया और सीरत–अन–नबी से प्राप्त निर्देशों, विचारों और भावनाओं से बाहर निकलकर विचार व्यक्त करना मुसलमानों के लिए वर्जित है। यही कारण है कि दुनिया के सभी मुस्लिम देश कट्टरता के साथ अपने मजहबी निर्देशों से बँधे होते हैं और स्वतंत्र, आधुनिक, विकसित, तर्क संगत, न्याय प्रिय एवं नैतिक आदर्शों के साथ नहीं चल पाते हैं। औरतों के अधिकारों को मध्ययुगीन, बुर्कों में कैद कर मानवीय अधिकारों का घोर उल्लंघन करते हैं। चार–चार शादियों की छूट, मनमाना तलाक का अधिकार और जेहाद द्वारा प्राप्त गैर मुसलमानों की औरतों को रखैल रखना और उनसे बलात्कार करना उनके मजहब द्वारा स्वीकृत विधान है। वे विश्वास करते हैं कि ये सब अल्लाह के हुक्म के अनुसार हैं। अपनी मजहबी परम्पराओं के कारण कोई मुस्लिम देश प्रजातंत्र को नहीं अपना पाता है और नागरिक अधिकारों से अपनी जनता को वंचित रखने का ही प्रयास करता है। जेहाद को सर्वोच्च या प्रथम मजहबी फर्ज जानता है, जिसमें गैर मुसलमानों की हत्या करना, उनका धन लूटना, उनकी औरतों और बच्चों को गुलाम बनाना, औरतों से बलात्कार करना, उनको बीवियाँ या रखैलें बनाना आदि पवित्र कर्म माना जाता है। दुनिया के दूसरे सभी समाजों में इन कर्मों को शैतानियत और नीच कर्म समझा जाता है। अन्याय, अनैतिकता, आतंक और अत्याचार के इन दुष्कर्मों का कोई मुसलमान विरोध नहीं कर सकता है। सारी दुनिया में मुसलमानों ने गैर मुसलमानों के साथ यही किया है। दारुल इस्लाम बनाना उनका मजहबी कर्तव्य है। उसके लिए धोखाधड़ी, चोरी, बेईमानी, तस्करी, झूठ, फरेब सब कुछ नैतिक है।

ऐसा नहीं है कि इन दुष्कर्मों को मुसलमान बुरा कर्म नहीं समझते हैं। वे अपने समाज के अंदर इसे वैसा ही समझते हैं। लेकिन अपने समाज के बाहर अर्थात गैर मुसलमानों के साथ उनके ये व्यवहार पवित्र कर्म बन जाते हैं। क्योंकि उनके मजहब के निर्देश के अनुसार जेहाद उनका सर्वोच्च कर्तव्य है। जेहाद का अर्थ है लड़ाई। उनके पैगम्बर के अनुसार लड़ाई का अर्थ है धोखाबाजी। धोखाबाजी किसके साथ ? काफिरों के साथ; जिन्हें कुरान का अल्लाह मुसलमानों का खुला दुश्मन घोषित करता है। अभी मुसलमान दुनिया को दारुल इस्लाम बनाने के कार्य में जुटे हैं। यदि मानवता के दुर्भाग्य से यह संभव हो गया तो अविचार, आतंक और धर्मान्धता की परम्परा उनके विभिन्न फिर्कों में ही ऐसा विध्वंश पैदा करेगी कि मानवता का ही अन्त हो जायेगा। जो संस्कृति तर्क, न्याय और नैतिकता की जगह बल, विध्वंश और उत्पीड़न से पैदा होती है वह अन्ततः अपना शत्रु आप ही होती है। उसे संस्कृति नहीं, विकृति समझना चाहिए।

वैचारिक स्वतंत्रता के अभाव के कारण मुस्लिम समाज कहीं भी सुसंस्कृत नहीं बन पाता है, कम से कम गैर मुसलमानों से व्यवहार के मामले में। लेकिन जहाँ तक संगठन का सवाल है पूरा समाज संगठित है और एक मत है। कम से कम जेहादी मामलों में, आतंक कायम करने के मामलों में और उन सभी कार्रवाइयों में एक मत है जिससे देश को दारुल इस्लाम बनाने के लिए मुस्लिम समाज को संगठित होने की आवश्यकता है। परिणाम स्वरूप वह अभी ही सशक्त बन चुका है। इस संगठन और शक्ति का परिणाम सदा उसके पक्ष में रहा है। संगठन और शक्ति का उपयोग कर काफिरों का विध्वंश करना, राज सत्ता प्राप्त करना और राज सत्ता द्वारा पुनः इस्लामी राज्य और इस्लामी संस्कृति का विस्तार करना आदि कार्य इस्लाम अपने जन्म काल से आज तक सदा एक ही रास्ते से करता आ रहा है। अरबी सांस्कृतिक साम्राज्य विस्तार के लिए ही मुहम्मद ने शामी प्रथा में प्रचलित पैगम्बरी युक्ति द्वारा यह सफलता प्राप्त की। एक गुप्त लड़ाकू संगठन तैयार किया, जिसका उद्देश्य समुदाय का विस्तार करते हुए, अरबी संस्कृति को दुनिया पर थोपना था।

इस्लाम के चरित्र की विशेषता की ध्यानपूर्वक समीक्षा करने से उसके विस्तार का कारण स्पष्ट दिखाई देता है। मुहम्मद अपने कुछ अनुयायियों के साथ मदीना पहुँचे थे। सैनिकों के ड्रिल के समान नमाज पढ़ाने और अन्य इस्लामी विधियों के पालन का उन्हें पहले ही मक्का में तेरह वर्षों तक पूरा अभ्यास कराया जा चुका था और अभी भी वह अभ्यास पूर्ववत् जारी था। मदीना में काफिरों के विरुद्ध लगातार की जाने वाली कूटनीतिक और सैनिक कार्रवाई और षड्यन्त्रकारी हत्याओं के कारण आतंक का साम्राज्य छा चुका था। अनेक यहूदी कबीलों का मदीना से निष्कासन, 800 यहूदियों का कैद कर कसाई की तरह एक–एक कर दिनभर में हत्या और अपने विरोधियों की छल–कपट से बारी–बारी से हत्याओं के कारण, मदीना में आतंक के साम्राज्य की सहज ही कल्पना की जा सकती है। उसी आतंक के साये में मुसलमान बने लोग इस्लाम का पालन कर रहे थे। किसी मुसलमान द्वारा भी खुले रूप से इस्लाम, मुहम्मद और मुहम्मद की पैगम्बरी पर संदेह व्यक्त करने का अर्थ था मौत।

विभिन्न उम्र के मुस्लिम लोगों पर इसी आतंक का संस्कार तैयार हो रहा था। दो ही प्रकार के लोग थे एक मुसलमान, जो संगठित शक्ति के रूप में गैर मुसलमानों पर बर्बरता और क्रूरतार्पूण आक्रमण करते थे और दूसरे गैर मुसलमान जो असावधान, निहत्थे और असंगठित लोग होते थे। इन पर मुसलमानों द्वारा संगठित और योजनाबद्ध हमले का परिणाम उनके संहार के रूप में होता था। इन हमलों में उनके युवाओं का कत्ल, उनके धन की लूट और उनकी महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना कर उन्हें बीवियाँ या रखैलें बना लिया जाता था। यही पराजित लोग, विशेषकर औरतें और बच्चे इस्लाम विस्तार का साधन बनते थे। इनमें वही इस्लामी संस्कार बनता था। भय और आतंक के साये में मुसलमान बनना, भय और आतंक के साये में इस्लामी प्रावधानों का पालन करना और बर्बरता और क्रूरता के साथ पुनः दूसरे गैर मुसलमानों पर आक्रमण करना; फिर उसी अत्याचार से उन्हें अधीन बना कर इस्लामी परेड में शामिल करना होता था। प्रारंभ में जो तरीका बना और भय और आतंक के साये में उपजे मजहबी ईमान से जो श्रद्धा पैदा हुई, उसने स्वाभाविक ढंग से कट्टरता का रूप ले लिया। इस्लाम विस्तार का यही तरीका आज तक चला आ रहा है। परिणाम स्वरूप इस्लामी आतंक और कट्टरता, मुसलमानों के अंदर अपने मजहब के सामान्य नियमों के पालन से लेकर गैर मुसलमानों के साथ उनकी जेहादी कार्रवाई तक में स्पष्ट दिखाई पड़ती है।

यह संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी परम्परा द्वारा चलता है। निरंतर चलने वाले इस्लामी जेहाद के बर्बर और क्रूर तरीके से नवीनीकृत होता चलता है। इस्लामी विस्तार का यह तरीका आज भी चल रहा है। भारत में निकट भविष्य में विध्वंश का खूनी खेल बड़े पैमाने पर खेलने की योजना बन रही है जैसा पिछली सदी में मालावार में मोपलों का उपद्रव और देश-विभाजन के समय पंजाब और बंगाल में तथा देश के अनेक हिस्सों में अनगिनत दंगों के रूप में देखा गया। अभी–अभी जो कश्मीर में सम्पन्न हुआ तथा जम्मू–लद्दाख और देश के अन्य हिस्सों में छिटफुट शुरू हो चुका है। शीघ्र ही जो सारे देश में फैलने वाला है।

इस्लाम के विस्तार के लिए और भारत को दारुल इस्लाम बनाने के लिए भारत के मुसलमान लुकछिप कर विदेशी मुस्लिम देशों की सहायता से भारत को कमजोर करने, मुस्लिम जनसंख्या का विस्तार करने और जेहाद की तैयारी की व्यापक कार्रवाई में जुट गये हैं। उदारवादी सेक्युलर संविधान और वोट के लालची, अनैतिक, अदूरदर्शी एवं सत्ता के भूखे राजनीतिज्ञों के सहयोग से वे आसानी से सत्ता हथियाने, फिर शरीयत कानून लागू करने और पूरी आबादी को बलात् धर्मान्तरित करने की अपनी योजना पर काम कर रहे हैं। साथ–साथ पारम्परिक एवं निर्देशित जेहादी तरीके के लिए भी तैयारी में किसी प्रकार की ढील नहीं दे रहे हैं। अस्त्र–शस्त्र का संग्रह, मुजाहिदीनों का प्रशिक्षण और जेहादी मानसिकता को उभाड़ने की कार्रवाई साथ–साथ चल रही है। विदेशों से चोरी–छिपे अत्याधुनिक हथियारों और विस्फोटकों का जमाव चल रहा है। विभिन्न मुस्लिम देशों की सरकारों और संगठनों से इस काम के लिए अकूत धन आ रहा है। आने वाले समय में इसका परिणाम बहुत भयंकर होने

वाला है। हिन्दुओं का कत्लेआम होगा। उनके बड़े–बड़े महलों, फैक्टरियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और चल–अचल सम्पत्ति सभी मुसलमानों की हो जायेगी। जैसा देश विभाजन के समय हिन्दुओं–सिक्खों की सम्पत्ति के साथ हुआ। इतना ही नहीं, उनकी बेटियाँ, बहुएँ और बहनें भी उनके पतियों के हत्यारों की बीवियाँ या रखैल बन जायेंगी। बचे खुचे बूढ़े और बच्चे सभी गोमांस खिला कर मुसलमान बना दिये जायेंगे। हिन्दू धर्म के सभी चिन्ह मिटा दिये जायेंगे। मंदिर, कसाईखाने में बदल जायेंगे। मंदिर की स्थापित देवी–देवताओं की मूर्तियाँ तोड़कर मस्जिद की सीढ़ियों और फर्शों पर जड़ दी जायेंगी, आजके जितने पुजारी, महंथ, साधक, साधू, संत, पंडित, पुरोहित सभी कत्ल कर दिये जायेंगे या मस्जिदों में नमाज पढ़ाने के काम में लगा दिये जायेंगे। साधुओं के आश्रम और मठ इस्लामी दरगाह, मदरसों आदि में बदल जायेंगे। उनके धर्मग्रंथ जाहीलियत काल की व्यर्थ की वस्तु समझ कर जला दिये जायेंगे और इस प्रकार हिन्दू समुदाय का इस दुनिया से लगभग अंत हो जायेगा। जैसी इस्लाम विस्तार की जेहादी कार्रवाई चौदह सौ वर्ष से चल रही है। किसी समुदाय पर आने वाली इतनी बड़ी मानवीय विपत्ति की पूरे समुदाय को कुछ भी खबर न हो यह घोर आश्चर्य का विषय है। इसके कारण को समझना आवश्यक है। क्योंकि जब तक उसके सही कारण का पता नहीं चलता है तब तक सही निदान का उपाय भी नहीं हो सकता है।

आज से तेरह सौ वर्ष पूर्व से ही जब मुहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमणकारी जीत हासिल की और हिन्दू समाज को इस्लाम में बलात् धर्मान्तरित करना शुरू किया, हिन्दू समाज असावधान बना रहा। इस्लामी विजय और विस्तार की कार्रवाई चलती रही और हिन्दू समाज सोया रहा। जो भी थोड़ा बहुत प्रयास मुस्लिम आक्रमण को रोकने के लिए हुआ वह शासकों के स्तर पर ही हुआ, धर्माचार्यों के स्तर पर कुछ भी नहीं हुआ। धर्माचार्यों ने इस विपत्ति के संबंध में अध्ययन कर कभी यह जानने का प्रयास नहीं किया कि मुस्लिम आक्रमणों का असली उद्देश्य क्या है ? वे क्यों विजय प्राप्त करने के बाद जनता को इस्लाम में धर्मान्तरित करते जा रहे हैं। वे धर्मान्तरण द्वारा किस प्रकार हमारे ही भाई–बन्धुओं को हिन्दू समुदाय का शत्रु और देश द्रोही बना डालते हैं। इसे रोकने के लिए जनता को जागृत करने और राजसत्ता के सहयोग से सभी स्तर पर इस्लाम के विरुद्ध जी तोड़ कार्रवाई कर उसे मिटा डालने की कोई कोशिश नहीं की गई। उल्टे धर्माचार्य के अधिकार का उपयोग करने वाले आत्मकेन्द्रित और पाखण्डी पंडितों ने उन्हें समाज वहिष्कृत करने, म्लेच्छ और अछूत बना कर अपने समाज से काटने का ही काम किया। परिणाम सामने है। हिन्दू समाज को मिटाने के संकल्प वाला इस्लामी समाज बढ़ने लगा। अपनी हत्या, लूट, व्यभिचार, दुराचार, क्रूरता और अत्याचार वाली बर्बर संस्कृति के साथ हिन्दू समाज को विपत्ति के दलदल में ढकेलना शुरू किया जो आज तक उसी मार्ग से होता हुआ चला आ रहा है और हिन्दू समाज अपनी नासमझी, असावधानी के साथ मिटता चला जा रहा है।

जो परिस्थिति मुस्लिम आक्रमणों के शुरुआती दिनों में थी आधुनिक काल

में भी वही स्थिति है जबकि आज संचार के विकसित साधनों के माध्यम से हिन्दू समाज को शीघ्र ही खतरों से सचेत कर उससे अपनी सुरक्षा की तैयारी हेतु तैयार किया जा सकता था।

आधुनिक काल में हिन्दू समाज राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ नामक संगठन से बहुत आशा लगाये हुए था कि वह इस दिशा में कुछ निर्णायक महत्व का कार्य कर रहा है किन्तु सच्चई यह है कि वह बिल्कुल ढोल का पोल साबित हुआ है। अस्सी वर्ष के अपने जीवन काल में आर0एस0एस0 ने जो कुछ किया है वह लगभग नहीं के बराबर है। आदिवासी क्षेत्र में उसके द्वारा मिशनरियों के धर्मान्तरण अभियान के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई अवश्य ही प्रशंसनीय है पर अन्य क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियों का चित्र निराशाजनक ही है। भारत के गाँव–गाँव और शहर–शहर घूम कर देखिये हिन्दू समाज में कहीं आर0एस0एस0 नहीं है। आज तक यह संगठन पूरे समाज को आंदोलित करने वाला कोई आंदोलन नहीं चला सका, जिससे हिन्दू समाज का जुड़ाव होता और सम्पूर्ण समाज को जागृत करने में मदद मिलती।

"समस्त हिन्दू समाज को एकत्रित करने का यह कार्य है। दल या संस्था के रूप का कार्य करते रहने की हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं। हमारा सम्प्रदाय नहीं बनना चाहिए। समाज के साथ हम एक रूप हों। समाज से अलग गुट का रूप हमारा नहीं होना चाहिए। अपने सम्पूर्ण समाज को संगठित रूप से खड़ा करना ही हमारा लक्ष्य है।"

1962 में श्री गुरू जी द्वारा (विजय पथ में) व्यक्त विचार और निर्धारित लक्ष्य का 2005 में मूल्यांकन करने पर संघ की अक्षमता और दिशाहीनता साफ झलकती है। उस समय ही संघ की कमियों का उन्होंने जो उल्लेख किया उसमें आज तक कोई सधार नहीं हआ और यह कागजी संगठन बन कर रह गया। जहाँ तक इस्लाम और उससे हिन्दू समाज को खतरे से सावधान करने हेतु हिन्दू शिक्षण द्वारा समाज को जागृत, सतर्क और संगठित करने का सवाल था, उसके प्रति उनकी क्या स्थिति थी?

सीताराम गोयल लिखते हैं – ".....आर0 एस0 एस0 ने कभी इस्लाम और भारत में उसकी गतिविधि को समझने की चेष्टा नहीं की। एक सार्वजनिक मंच से बोलते हुए मैंने गुरू गोलवरकर को अपने कानों से कहते हुए सुना,"मैं इस्लाम का सम्मान हिन्दू धर्म के समान ही करता हूँ और कुरान को वेद के समान ही पवित्र मानता हूँ।" (How I become A Hindu, Page 89)

1925 में जब डॉ0 केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा संघ की स्थापना हुई तब प्रतिक्रियात्मक प्रेरणा के मुख्य कारक, बार–बार होने वाले मुस्लिम–हिन्दू दंगे ही थे। इन दंगों में अकारण ही असंगठित, असावधान और अनजान हिन्दुओं को मुसलमानों द्वारा काट डाला जाता था। उस समय 'गदर' नाम से प्रचलित ये दंगे देश भर में हो रहे थे। बहुसंख्यक होने के बाद भी हिन्दुओं का अकारण ही अति सरलता से बार–बार संहार होता हुआ देखकर हेडगेवार जी ने हिन्दुओं में धार्मिक और राष्ट्रीय भावनाओं को जगा कर उन्हें शिक्षित, सचेत, संगठित और सशक्त बनाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की थी। मुसलमानों को राष्ट्रीय धारा में शामिल करना भी अपना लक्ष्य

बनाया था। उस समय हिन्दुओं की दुर्दशा से सभी हिन्दू दुःखी थे। समान भावनात्मक परिवेश में संगठन तेजी से विकसित हुआ। पर इसका लक्ष्य और कार्यदिशा के निर्धारण में सूझबूझ और उचित कौशल का अभाव रहा जिससे यह भटकता हुआ अति धीमी गति से चलता रहा। परिणाम स्वरूप आज अस्सी वर्ष बाद हिन्दू समाज से पूरी तरह कटा हुआ अपरिचित संगठन बन कर रह गया है। इसका परिचय, टी0वी0, समाचार पत्र और पत्र–पत्रिकाओं से ही मिलता है। परिस्थितियों के अनुसार हिन्दू समाज की भावनात्मक स्थिति जैसे-जैसे बदलती है आर0 एस0 एस0 में भी उसके अनुसार ही गति बनती है। इसका अपना निर्धारित उद्देश्य और उसकी प्राप्ति हेतु सुनियोजित कार्यक्रम का प्रखर और नियमित विधान नहीं है या है तो निष्क्रिय है।

जबकि मुसलमानों का एक निश्चित मजहबी विधान है कि काफिर हिन्दुओं को मिटा डालना है। इसके लिए उनके निश्चित जेहादी कार्यक्रम हैं। वे उसके लिए सदा सचेत, संगठित और सशक्त बने रहने के प्रयास में रहते हैं तथा मौका मिलते ही कार्रवाई कर बैठते हैं। देश-विभाजन के बाद से भारतीय क्षेत्र में परिस्थिति पूरी तरह उनके अनुकूल नहीं होने के कारण वे विवशता में बड़े पैमाने पर जेहादी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और एक शांत समुदाय की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। पर अपने जेहादी कार्यक्रम को लागू करने के लिए अंदर ही अंदर उनकी तैयारी जोर–शोर से चल रही है। जैसे ही परिस्थिति उनके अनुकूल होगी सारे देश को खून की दरिया में डुबो देने में उन्हें समय नहीं लगेगा।

आर0एस0एस0 को इसकी स्पष्ट समझ कभी नहीं हो सकी, न पहले ही और न आज ही। इसलिए हिन्दू जागृति के लिए उसने कुछ भी नहीं किया। इसकी स्थापना के 22 वर्षों के बाद ही मुस्लिम अलगाववाद के चलते देश बँट गया पर इसे तब भी मुस्लिम चरित्र का ज्ञान नहीं हुआ। 1951 में, काँग्रेसी प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा हिन्दू हितों के भीतरघात से क्षुब्ध होकर जब आर0 एस0 एस0 प्रेरित भारतीय जनसंघ नाम की पार्टी बनी, तब भी इनमें भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने का विचार नहीं उपजा। 1980 में जब जनसंघ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बनी उस समय तो उसका आदर्श ही 'गाँधीवादी समाजवाद' घोषित कर दिया गया। सारा हिन्दू समाज भ्रम में पड़ा रहा और व्यर्थ ही बी0जे0पी0 को हिन्दू हित रक्षक समझता रहा। जबकि सच्चाई यह थी कि यह भी काँग्रेस की तरह स्वार्थी लोगों की जमात बन गई जो हिन्दू राजनीति के माध्यम से अपना हित साधन करती गयी। इसने भी अपने हितों के लिए हिन्दू हितों का ही त्याग किया; हिन्दू हितों के लिए अपने हितों का नहीं।

आर0एस0एस0 मात्र दिखावा के लिए सैनिक तर्ज पर बना हुआ कार्यकर्ताओं का संगठन है जो हिन्दू समाज पर आने वाली मानवीय या प्राकृतिक त्रासदियों के समय अपने साधनों और कार्यकर्ताओं द्वारा पीड़ित लोगों के बीच राहत कार्य चला कर अपनी वाहवाही का ढोल पीटता है। इसमें सैनिक शक्ति नाम मात्र भी नहीं है। यह समय–समय पर प्रशिक्षण शिविर लगा कर मात्र उन हिन्दू युवकों को, जो इसके सदस्य होते हैं, राष्ट्रीयता का उपदेश देकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेता है। न तो हिन्दू समाज की ज्वलंत समस्याओं को सुलझाने और न मुसलमानों को ही

राष्ट्रीय बनाने का कोई काम आजतक कर सका है।

अपने संसाधनों से इस संगठन ने कार्यकर्ताओं की अच्छी संख्या खड़ी की है, जो घटती बढ़ती रहती है। जगह–जगह बड़े–बड़े निजी कार्यालय बने हैं। कभी धर्मान्तरण का विरोध, कभी दंगों के विरुद्ध कार्रवाई, कभी दुर्घटनाओं एवं अन्य दैवी आपदाओं के समय काम करना आदि ये लोग जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, पर जो भी करते हैं वह सम्पूर्ण हिन्दू समाज के अस्तित्व रक्षा के लिए किये जाने वाली आवश्यकता की तुलना में नगण्य होता है। यह भयंकर रूप से दिशाहीनता का भी शिकार है।

कार्यकर्ताओं से बात करने पर वे संघ के कार्यों एवं उपलब्धियों का रटा रटाया ब्योरा सुना कर लोगों को प्रभावित करने की मिथ्या चेष्टा करते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि इसके चालीस वर्ष के शिक्षित और समर्पित कार्यकर्ता को भी हिन्दू समाज पर आने वाली इस्लामी विपत्ति और उससे बचाव की कार्य योजना का ज्ञान नहीं होता है। इसके नेताओं की भी वही स्थिति है। वे आधे अधूरे सुनी–सुनाई बातों तक ही जानकारी रखते हैं। स्वयं भ्रमित हैं तो हिन्दू समाज को दिशा कहाँ से दे सकते हैं ? संघ ने इस दिशा में कभी क्रांतिकारी कदम नहीं उठाया। वह एक अत्यन्त ढीला-ढाला दिशाहीन कच्छप गति से चल कर दिन काटने वाला संगठन बन कर रह गया है। कुछ लोगों की सामाजिक हैसियत और सुविधा देने का साधन मात्र। उसकी अस्सी वर्ष की उपलब्धियाँ, हिन्दू समाज पर उसकी पकड़ और उसके कार्यकर्ताओं का ज्ञान और समर्पण की भावना, कुल मिला कर यही निष्कर्ष दिखाते हैं।

सीताराम गोयल ने अपनी पुस्तक How I become A Hindu में बी0एच0पी, बी0जे0पी और आर0एस0एस0 के नेताओं की अज्ञानता और भ्रम के विषय में लिखा है कि ये इस्लामी धर्मशास्त्र और इस्लामी इतिहास के विषय में सामान्य ज्ञान भी नहीं रखते हैं। उन्होंने सलाह दी है कि हिन्दुओं को इस्लाम की पूर्ण जानकारी देना आवश्यक है ताकि हर मुस्लिम कार्रवाई का वे अर्थ समझ सकें, जिसका उद्देश्य वीभत्स, बर्बर एवं क्रूर तरीकों से हिन्दू समाज को मिटाना है।

गोयल जी ने आगे लिखा है, "संघ परिवार के लोगों को अक्सर मैंने कहते सुना है कि मुसलमानों से व्यवहार का तरीका कांग्रेस नहीं जानती है। मुसलमानों के बारे में अपना कथन व्यक्त करते हुए वे कहते हैं कि कांग्रेस उन्हें सिर्फ वोट बैंक समझती है जबकि संघ परिवार उन्हें मानव और सच्चे मुसलमान का सम्मान देता है। वे मुसलमानों से बी0जे0पी0 के झंडे तले एकत्र होने की अपील करते हैं।" (पृष्ठ–102) राष्ट्रीय शब्द से भ्रमित बना आर0एस0एस0 यह समझता रहा कि वह मुसलमानों को भारतीय राष्ट्रीयता से जोड़ सकता है। वे नहीं समझ सके कि मुसलमान की मुस्लिम राष्ट्रीयता होती है जिसका उद्देश्य ही किसी अन्य राष्ट्रीयता को बल पूर्वक या छल से पलट कर मुस्लिम राष्ट्र (दारुल इस्लाम) बनाने का होता है।

संघ परिवार की इसी विद्वता की उपज अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी हैं, जिनकी कार्यशैली और जिनके वक्तव्य उन्हें हिन्दुओं के विश्वासघाती नहीं तो कम से कम अविश्वासी के रूप में अवश्य ही स्थापित करते हैं। सत्ता के अंदर

रहकर इन्होंने हिन्दू हितों की जिस प्रकार अनदेखी की और नेहरू की तरह महान नेता बनने की स्वार्थी तृष्णा पाली उससे हिन्दू संगठन भी इनके साथ नहीं रह सके। यह सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हिन्दुओं को आजतक इस्लाम के विषय में सही जानकारी नहीं है। मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी सुविधाजनक बात यह होती है कि उनके आसपास के गैर मुस्लिम उनके मजहब के विषय में जानें नहीं और सैनिक शक्ति अर्जित न कर पावें। इसके लिए मुसलमान हमेशा चौकन्ने और प्रयासरत रहते हैं।

आर0एस0एस0 हिन्दू संस्कृति की रक्षा के नाम पर बना था। कार्यकर्ताओं की सैनिक वेशभूषा और नियमित परेड से मुसलमान उन्हें लड़ाकू समझने लगे। स्वाभाविक था कि वे इस संगठन को कमजोर करने के लिए हर स्तर पर प्रयास करते। स्वतंत्र भारत में मुस्लिम हितैषी प्रधानमंत्री नेहरू ने आर0एस0एस0 को कमजोर करने का भरपूर प्रयास किया। इन्हीं सब कारणों से सरदार पटेल तो नेहरू को मुसलमान ही कहा करते थे। हिन्दू अपनी सरलता या अनभिज्ञता के कारण ऐसे लोगों द्वारा सदा ठगे जाते हैं।

आर0एस0एस0 प्रेरित सभी संगठन उदासीनता और शिथिलता के शिकार हैं। हिन्दू हितों के लिए उनके कार्यों का कोई निर्णायक महत्व नहीं है।

आर्य समाज एक बहुत ही क्रान्तिकारी विचारधारा का संगठन बना था जो आज लगभग समाप्तप्राय है। इसने हिन्दू समाज के अनेक पाखण्डों और रूढ़ियों का खण्डन किया था। मुसलमान बने लोगों को पुनः हिन्दू धर्म में वापस लाने का विधान बनाया था। हिन्दू समाज को नवजीवन प्रदान करने का मंत्र लेकर आया था। लेकिन क्रांतिकारी क्रियाशीलता के अभाव में यह शिथिल हो कर मृतप्राय हो गया। सबसे आवश्यक काम था हिन्दुओं को हथियारबन्द कर लड़ाकू बनाना। पूरे समुदाय को हथियार बन्द कर लड़ाकू बनाने से सभी क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ जाती परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी विचारों का तेजी से प्रसार होता और बाहरी शत्रुओं से मुकाबला के कारण हिन्दू समाज के अंदर बिखराव की स्थिति नहीं रहती।

आज आर्य समाज की स्थिति यह है कि यह स्कूल चलाने वाली ऐसी संस्था बन चुका है जिसमें आर्य समाज का ही पूरा ज्ञान नहीं दिया जाता। डी0ए0वी0 के विद्यार्थियों को स्वामी दयानन्द सरस्वती के नाम और सिद्धांत की विशेष जानकारी नहीं रहती है। आर्य समाजी स्वयं इतने संकुचित और दकियानूस बन चुके हैं कि हिन्दू समाज से धर्मान्तरित होकर मुसलमान बने लोगों को पुनः हिन्दू बना कर अपने समाज में शामिल कर रोटी–बेटी का संबंध कायम कर सकने की स्थिति में नहीं हैं। सिर्फ सिद्धांत बघारने से कुछ नहीं होता, जब तक कि सिद्धांत को व्यावहारिक कार्य रूप न दिया जाय। विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल और हिन्दू महासभा आदि सभी सिर्फ कार्यालयों में हैं। हिन्दू जनता के अंदर इनकी कहीं कोई पैठ नहीं है। ये ऊपर से ज्ञान बाँटते हैं। अखबार, टी0वी0, पत्र–पत्रिका और कुछ समारोहों तक ही इनका कार्य सीमित रहता है।

कोई जन समुदाय अपनी धारणा और जीवनशैली एक दो भाषण सुनकर,

एक दो समारोहों और सम्मेलनों में शामिल होकर, टी0वी0, सिनेमा या नाटक देखकर और पत्र–पत्रिकाएँ या पुस्तकें पढ़कर, एक दिन में नहीं बदलता है। समय के लम्बे अन्तराल में विभिन्न परिस्थितियों के थपेड़ों से मनुष्य एक विशेष जीवनशैली अपनाता है और उसका अभ्यस्त बन जाता है। क्रूर दमन और क्रान्तिकारी परिस्थितियाँ ही उन्हें तुरंत बदल पाती हैं या फिर उनके बीच रहकर लगातार शिक्षित, प्रशिक्षित और अभ्यस्त करते रहने से वे अपनी धारणाओं, सोच और परिस्थितियों के अनुरूप जीवन के नवीन ढंग अपना पाते हैं।

हिन्दू समाज की सर्वोन्नति को गति प्रदान करने के लिए किसी हिन्दूवादी संस्था ने इसके लिए कभी कोई व्यवस्था नहीं की। कुछ एकाकी साधुओं, महात्माओं, गुरुओं आदि द्वारा की भी गई तो वह पूरे हिन्दू समाज को गति देने के लिए नहीं बल्कि अपना शिष्य तैयार कर और अपना सम्प्रदाय चला कर आत्म तुष्टि के लिए, वह भी बहुत सीमित। सर्वांगीण विकास और रूढ़ियों को मिटाने के लिए नहीं। समाज सुधार जैसे छुआ छूत का अंत करना, जाति प्रथा को मिटाना, अन्य धर्मावलम्बियों को अपने धर्म में शामिल करना, ऊँच–नीच के भेद भाव का अंत करना, 'सभी मनुष्य जन्म से समान हैं' की भावना को स्थापित करना, सभी प्रकार के सामाजिक और आर्थिक शोषण तथा अन्याय और अधर्म को मिटाने के लिए पूरे समाज में क्रांतिकारी आन्दोलन चलाने जैसा कार्य किसी संगठन द्वारा नहीं किया गया। जिसके कारण पूरा हिन्दू समाज सोया हुआ है। इस्लाम और ईसाइयत उसको मिटा डालने के लिए अति उत्साह से अपनी योजनानुसार कार्य में लगे हैं और हिन्दू समाज इस सबसे बेखबर आपसी कलह में उलझा हुआ है।

हिन्दू हितैषी होने का दिखावा कर सत्ता में पहुँचने, फिर हिन्दू हित की उपेक्षा करने और अन्ततः मुस्लिम वोट द्वारा सत्ता में स्थाई जगह बनाने के लोभ से, मुस्लिम खुशामद में औरों को भी मात देने वाली बी0जे0पी0, हिन्दुओं के लिए अब आकर्षण का केन्द्र नहीं रह गई।

बी0जे0पी0 नेताओं द्वारा हिन्दू हितों की उपेक्षा और स्वयं को सत्ता में स्थापित करने की तृष्णा कोई नई बात नहीं है। गाँधी और नेहरू ने भी हिन्दू समर्थन से ही अपने जीवन में वह ऊँचाई पाई थी। लेकिन ऊँचाई और सत्ता की ताकत मिलते ही हिन्दुओं के हितों पर इनके द्वारा जो प्रहार किया गया वह दुनिया की किसी सभ्य जाति के नेता द्वारा अपनी जाति के हितों के साथ शायद ही किया गया हो। गाँधी नेहरू द्वारा संविधान निर्माण में मनमाना हस्तक्षेप, नेहरू सरकार की नीति एवं कांग्रेसी परम्परा ने हिन्दुओं के साथ अनेक घात किये :–

(1) महाराजा हरिसिंह द्वारा 25 अक्टूबर 1947 को अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद जो बिना शर्त एवं पूर्ण अधिमिलन था, नेहरू ने कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की बात निकाल दी। वे इतिहासकार थे। उन्हें मुस्लिम चरित्र का अवश्य ज्ञान होगा। वे अवश्य जानते होंगे कि इस्लाम का मौलिक तत्व ही विस्तार, साम्प्रदायिकता और पृथकता पर आधारित है। तब जनमत संग्रह की बात करने की क्या आवश्यकता थी ? क्या वह उनकी मुस्लिम परस्त मानसिकता का परिणाम नहीं था ?

(2) कबीलों के विद्रोह के नाम से पाकिस्तानी सेना ने अक्टूबर 1947 में कश्मीर पर नियमित आक्रमण कर दिया। नेहरू के टालमटोल और ढीला–ढाला रुख के कारण सेना भेजने में काफी देर हो गई। तब तक पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर के अधिकांश भाग को हथिया लिया। महाराजा की सेना के मुस्लिम सैनिकों ने अपने साथी हिन्दू सैनिकों और अधिकारियों को गोली मार दी और पाकिस्तानी सेना के साथ मिल गये। इसलिए बिना कठिन मुकाबला के ही उन्होंने कश्मीर के दो तिहाई भाग से भी अधिक इलाके पर कब्जा कर लिया। जब भारतीय सेना कश्मीर पहुँची और प्रत्याक्रमण की कार्रवाई शुरू हुई तो पाकिस्तानी सेना जिस तेजी से आगे बढी थी उसी तेजी से पीछे भागने लगी। अभी कश्मीर का लगभग एक तिहाई भाग पाकिस्तानियों के कब्जे में ही था कि नेहरू ने तत्परता दिखाई और अपनी विलक्षण बुद्धि (?) या मुस्लिम पक्षपात या फिर घोर मूर्खता का परिचय देते हुए एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। परिणाम सामने है।

(3) इतना ही नहीं, उन्होंने कूटनीतिक चातुर्य (?) का परिचय देते हुए इस मामले को संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में पहुँचा दिया। इससे पाकिस्तान को एक पक्ष की स्वयं स्वीकृति मिल गई। राष्ट्रीय समस्या को अन्तर्राष्ट्रीय बना दिया और भारत के पक्ष को रखने के लिए प्रतिनिधि मंडल में शेख अब्दुला को रख कर और उसे विदेशों में भेज कर भरपूर प्रचार का अवसर दे दिया।

(4) 1947 में देश-विभाजन के बाद प0 पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर से आये हिन्दू-सिक्ख विस्थापितों को कश्मीर घाटी में नहीं बसने दिया गया। यदि वे बसे होते तो हिन्दुओं की संख्या बढ़ गई होती; तब इतनी जल्दी एवं सरलता से उनका विनाश नहीं किया गया होता। जम्मू क्षेत्र के लगभग दो लाख हिन्दू शरणार्थियों को जो 1947 में पाकिस्तान से आये थे, आज तक भारत की नागरिकता नहीं मिल सकी। सेक्युलरवादी, बंगलादेशी घुसपैठियों को धड़ाधड़ भारत में बसा रहे हैं और नागरिकता भी दिला रहे हैं; पर हिन्दुओं को नागरिकता दिलाने की पहल इसलिए नहीं करते कि मुस्लिम नाराज हो कर वोट नहीं देंगे। आज उन हिन्दुओं की स्थिति यह है कि वे न तो सरकारी नौकरी पा सकते हैं और न अपने बच्चों को इंजिनियरिंग–मेडिकल की शिक्षा दिला सकते हैं। उनके कठिन जीवन की सहज ही कल्पना की जा सकती है।

(5) मुस्लिम परस्ती में गाँधी–नेहरू की जोड़ी इस हद तक अंधी बन गई थी कि इन्होंने विस्थापित शरणार्थी हिन्दुओं को जो क्रूरतम यातना झेलकर दिल्ली पहुँचे थे कड़कड़ाती शीत में सड़कों पर फेंकवा दिया; क्योंकि खाली मस्जिदों में शरण लिए हुए इन हिन्दुओं–सिक्खों को निकालने के लिए मुसलमानों ने इनसे आग्रह किया था। पाखण्डी संत को उन पीड़ित हिन्दुओं पर तनिक दया नहीं आई।

(6) हिन्दुओं–सिक्खों का पाकिस्तानी क्षेत्र में एक तरफ कत्लेआम हो रहा था और दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना कश्मीर पर आक्रमण कर उसे हथिया रही थी। इधर गाँधी पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया दिलाने के लिए आमरण अनशन कर रहे थे।

(7) नेहरू और मौलाना आजाद की मिली भगत से राष्ट्रभक्त नेता सरदार पटेल पर दबाव डालने के लिए उनपर आरोप तक लगाया गया।

(8) कांग्रेस के नेताओं ने अंग्रेज सरकार के प्रभाव में आकर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और उनकी आजाद हिन्द फौज के विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा तक की थी। इसका खुला एलान नेहरू ने किया था। गाँधी के प्रभाव में राष्ट्रघात के समान इस कदम का उद्देश्य था अपने को सुरक्षित रखते हुए अंग्रेजों की कृपा दृष्टि का पात्र बनना और धीरे–धीरे आजाद भारत की सत्ता का स्वंय दावेदार बनना। महान देशभक्त नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से इनकी क्या तुलना थी।

(9) विभाजन के बाद आबादी के स्थानान्तरण को जिन्ना ने भी स्वीकार किया था। डा0 अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक Pakistan or Partition of India जो 1942 में प्रकाशित हुई थी, में तर्क पूर्ण ढंग से विभाजन के बाद आबादी के अदला–बदली को भारत और हिन्दुओं की भलाई के लिए उचित बताया था। लेकिन गाँधी–नेहरू ने हर बात में अपनी प्रधानता बनाये रखने की मानसिकता और मुस्लिम परस्ती के कारण, इसे स्वीकार नहीं किया। देश भर के मुसलमान विभाजन स्वीकार कर लिए जाने के बाद भारी संख्या में पाकिस्तान जाने के लिए अपने घरों से निकलकर स्टेशनों पर जमा थे। वे गाडियों में भर–भर कर पाकिस्तान जा रहे थे। हप्तों तक स्टेशनों पर गाड़ियों में जगह मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय नेहरू ने रेडियो से घोषणा की कि जो मुसलमान भारत में रहना चाहता हो वह रह सकता है। परिणाम स्वरूप सभी मुसलमान अपने घरों को लौट गये। नेहरू ने अपने लिए वोट की स्थाई व्यवस्था तो कर ली पर साथ ही हिन्दुओं के सर्वनाश की भी स्थाई व्यवस्था कर दी।

(10) देश-विभाजन स्वीकार करने के बाद मुसलमानों तक ने भारत में हिन्दू राष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था। जमाते इस्लामी के संस्थापक सैयद अबू आला मौदूदी ने कहा था : "अब यह यकीनी जान पड़ता है कि मुल्क दो हिस्सों में बँट जायेगा। पहले वाले हिस्से में वह जनमत को इस बात के पक्ष में संगठित करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ का संविधान इस्लामी कानूनों पर आधारित हो। दूसरे हिस्से में हमारा अल्पमत होगा और आप हिन्दू बहुमत में होंगे। हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आप रामचन्द्र, कृष्ण, बुद्ध, गुरू नानक और दूसरे हिन्दू संत–महात्माओं की जीवनियों और उनकी शिक्षाओं का अध्ययन करें। कृपा कर वेदों, पुराणों, शास्त्रों और दूसरे ग्रंथों को पढ़ें। अगर आपको इनसे कोई दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त हो सके, तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपना संविधान इसी मार्गदर्शन के आधार पर बनाइये।"

लेकिन गाँधी–नेहरू युग्म तो अंग्रेजियत मानसिकता से ओत–प्रोत था। गाँधी द्वारा राम नाम, रामराज्य, हिन्दूधर्म, गो–हत्या, सत्य–अहिंसा का उच्चारण और प्राचीन भारतीय संतों और महात्माओं की बानगी धारण करना तो मात्र हिन्दुओं को भ्रमित करने के लिए था। क्या कभी हिन्दू हित और हिन्दू आदर्श के लिए उन्होंने अनशन किया ? परिणाम स्वरूप भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया।

(11) संविधान में 370 धारा जोड़ा गया जो कश्मीरी मुसलमानों को भारत के सभी नागरिकों से विशेष अधिकार देता है। नेहरू की मुस्लिम परस्ती के इस पाप को

पूरा देश झेल रहा है।

(12) समान नागरिक कानूनों की जगह मुसलमानों के निजी कानून को मान्यता दी गई। इस प्रकार उन्हें चार–चार शादियाँ और अनगिनत बच्चे पैदा करने की छूट दी गई; जिससे नेहरू को सत्ता में बने रहने के लिए स्थाई कांग्रेस वोट में वृद्धि कराई जा सके।

(13) मुसलमानों और ईसाइयों को अपने निजी स्कूल खोलने, उनमें मजहबी शिक्षा देने (जो पूरी तरह अराष्ट्रीय और हिन्दू विरोधी होती है) की सुविधा दी गई। उन्हें अल्पसंख्यक के नाम पर इन स्कूलों में मजहबी शिक्षा के लिए सरकारी सहायता भी दी गई। लेकिन हिन्दुओं को इस सुविधा और अधिकार से वंचित कर दिया गया। हिन्दुओं को अपने शिक्षा संस्थान खोलने की भी अनुमति नहीं है।

(14) मुसलमानों और ईसाइयों को अपने मजहब के प्रचार की छूट संविधान की धारा 25 (।) के अंतर्गत दी गई ताकि वे हिन्दुओं को तोड़ कर इस्लाम और ईसाइयत में शामिल कर सकें और कांग्रेसी वोट बढ़ा सकें। हिन्दुओं को अपना धर्म प्रचार करने या धर्मान्तरण अभियान चलाने के लिए हर सुविधा से वंचित रखा गया।

(15) जम्मू कश्मीर की लड़की से शादी कर एक पाकिस्तानी भारतीय बन सकता है, परन्तु यदि वही लड़की जम्मू–कश्मीर के अतिरिक्त किसी भारतीय से शादी करती है तो उसकी जम्मू–कश्मीर की नागरिकता समाप्त हो जाती है।

(16) गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगाने से नेहरू ने इनकार किया।

(17) राष्ट्रपति डा0 राजेन्द्र प्रसाद की असहमति के बावजूद नेहरू ने हिन्दू कोड बिल पास कराया। लेकिन मुसलमानों के निजी कानूनों में हस्तक्षेप करने की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया, जो औरतों को मानवीय अधिकारों से बहुत हद तक वंचित करता है। पर सवाल तो मुस्लिम तुष्टिकरण का था।

(18) नेहरू हिन्दू विरोध के प्रतीक थे। हिन्दुओं ने उन्हें वोट देकर सत्ता में पहुँचाया था जिसका बदला उनके हितों से घात कर चुका रहे थे। वे बार–बार कहा करते थे कि "मैं जन्म के संयोग से ही हिन्दू हूँ वरना शिक्षा से अंग्रेज और संस्कृति से मुसलमान हूँ।"

(19) विभाजन स्वीकार करते समय नेहरू ने पाकिस्तानी क्षेत्र के हिन्दुओं को आश्वासन दिया था कि वे उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध करेंगे लेकिन जब उनका कत्लेआम शुरू हुआ तो वे चुप हो गये। प्रतिक्रिया में भारतीय क्षेत्र के सिक्ख बहुल इलाके में जब मुसलमानों पर आक्रमण शुरू हुआ तब नेहरू सैनिक टुकड़ी के साथ स्वयं दंगा ग्रस्त क्षेत्र में पहुँच गये। इनका यह आचरण अनेक बार स्पष्ट रूप से देखने में आया। दिल्ली में ही; नेहरू ने स्वंय हिन्दुओं पर लाठियाँ चलाईं। इसके पूर्व 1946 में कलकत्ता और नोआरवाली में हिन्दुओं का कत्लेआम हो रहा था। पर वहाँ हिन्दुओं को बचाने के लिए न तो नेहरू ही गये और न गाँधी ही। नेहरू की अध्यक्षता वाली केन्द्र सरकार ने प्रान्त का मामला कह कर हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया।

लेकिन नोआरवाली और कलकत्ता के हिन्दुओं की भयंकर हत्या और विध्वंश की प्रतिक्रिया में जब बिहार में हिन्दुओं ने मुसलमानों के विरुद्ध कार्रवाई की, तब लार्ड

बेवेल के साथ हवाई जहाज से नेहरू वहाँ तुरंत पहुँच गये। नेहरू के आदेश से पठान सैनिकों ने हिन्दुओं पर अंधाधुंध गोलियाँ चला कर कई हजार हिन्दुओं को भूँज डाला। कांग्रेस के मेरठ सम्मेलन में नेहरू अपने इस दुष्कृत्य को स्वीकार करने का साहस न जुटा सके। नेहरू का यह कुकर्म कभी सार्वजनिक नहीं हो पाता यदि विन्स्टन चर्चिल द्वारा 13 दिसम्बर 1946 को हाउस आफ कामन्स में भाषण देते हुए इसे सार्वजनिक नहीं किया गया होता। चर्चिल ने कहा था – "मुझे सूचित किया गया है कि प्रान्तीय सरकार, पुलिस तथा सैनिकों को हिन्दुओं की भीड पर गोली चलाने के लिए जिस आदेश को देने में भय, मान रही थी, वही आदेश स्वंय पंडित नेहरू ने दिया था।

(कन्हैया लाल एम0 तलूरेजा – "हिन्दू विश्व" अगस्त 16–31)

(20) जम्मू–कश्मीर, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैण्ड में हिन्दू अल्पसंख्यक हैं पर उन्हें अल्पसंख्यक का अधिकार नहीं प्राप्त है। परन्तु दूसरे जो वहाँ बहुसंख्यक हैं, उनको अल्पसंख्यक का अधिकार प्राप्त है।

(21) नेहरू की नीति की परम्परा आगे भी चलती रही। 1971 में जीता गया पाँच हजार वर्गमील क्षेत्र मुफ्त में छोड़ दिया गया जबकि 34 हजार वर्गमील कश्मीर का क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में बना रह गया।

(22) इन्दिरा गाँधी ने 1983 में मुस्लिम वोट बैंक के लोभ में आई0एम0टी0डी0 (इलीगल इमीग्रैन्टस डिटेक्शन बाई ट्रिब्यूनलस) एक्ट पास कराया था। इसके अनुसार अब संदिग्ध विदेशी पर अभियोग लगाने वाले अधिकारी पर ही आरोप सिद्ध करने की जिम्मेवारी डाल दी गई। इस प्रकार किसी घुसपैठिये को स्वंय को भारतीय सिद्ध करने की जिम्मेवारी से छूट देकर घुसपैठ को खुला बढ़ावा दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने, अन्ततः इस कानून को असंवैधानिक करार देते हुए केन्द्र सरकार को विदेशी आक्रमण और आंतरिक उपद्रवों से अपने नागरिकों की रक्षा करने के संविधानिक दायित्व (अनुच्छेद 355) के निर्वहन में असफल कहा।

(23) सरकार की निर्लज्जता और धृष्टता की तब पराकाष्ठा हो गई जब उसने बहलफ सुप्रीम कोर्ट में कहा "चूँकि घुसपैठियों के पास यात्रा संबंधी या अन्य कोई दस्तावेज नहीं होते इसलिए उन्हें वापस नहीं भेजा जा सकता। खदेड़ने के प्रयास में बांग्लादेश राइफल्स के जवान गोलीबारी करते हैं इस कारण उन्हें खदेड़ा नहीं जा सकता।"

तब सुप्रीम कोर्ट ने सांसद सर्वानन्द की याचिका पर फैसला सुनाते हुए बांग्लादेशी घुसपैठ को असम पर आक्रमण बताया।

(दै0 जागरण दिनांक 30.07.2005, लेख– हृदय नारायण दीक्षित)

(24) जहाँ से हिन्दू थोड़े मतों से जीत जाते हैं, उन जगहों में सुनियोजित रूप से बांग्लादेशी मुसमलानों को बसाया जा रहा है।

(25) सन् 1989 में चुनाव के समय राजीव गाँधी ने कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि यदि मिजोरम की जनता ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी तो मिजोरम में बाइबिल के नियमों के अनुसार सरकारी कारोबार होगा।

(26) मुहर्रम का जुलूस हिन्दू बाहुल्य मुहल्लों से जा सकता है। परन्तु

हिन्दुओं के त्योहारों का जुलूस मुस्लिम बहुल मुहल्लों से नहीं जा सकता।

(27) दिल्ली जामा मस्जिद का शाही इमाम सार्वजनिक घोषणा करता है कि मुसलमानों के लिए तालिबान एक आदर्श है और ओसामा बिन लादेन उनका हीरो। उसने अपने आँगन में शौकिया काला हिरण पाल रखा है जो कानूनन अपराध है। उस पर कोर्ट का गिरफ्तारी वारंट है लेकिन वोट के लालच में मुस्लिम नाराजगी से बचने के लिए सरकारें चुप रहती हैं।

(28) मुसलमानों को हज करने के लिए सरकारी खजाने से करोड़ों का धन दिया जाता है। जबकि हिन्दू तीर्थ यात्रियों (अमरनाथ, कैलाश और सबुरीमलाअ आदि) पर यात्रा कर लगाया जाता है। यह पूरी दुनिया में सिर्फ भारत में होता है। कोई इस्लामी देश भी अपने नागरिकों को हज करने के लिए सरकारी खजाने से पैसा नहीं देता है। लेकिन भारत में यह होता है। यह सत्ता सुख के लिए वोट की व्यवस्था का उपाय है। हज के लिए अनुदान और व्यवस्था मद में खर्च मिला कर यह राशि चार अरब रुपये होती है। संप्रग सरकार अब इसमें और विस्तार करने का प्रस्ताव कर रही है।

(29) हिन्दुओं के मंदिरों का, जहाँ हिन्दुओं द्वारा चढ़ावा का अकूत धन आता है, सरकारी अधिग्रहण कर लिया गया है। उनकी सारी आमदनी सरकार के खजाने में पहुँचती है, जिस खजाने से मुसलमानों को हज करने के लिए करोड़ों रूपये दिये जाते हैं। लेकिन मस्जिदों और चर्चों को संबंधित समुदाय द्वारा अपनी इच्छा से चलाने का पूरा अधिकार है। अजमेर शरीफ और दूसरे दरगाहों के चढ़ावों को उनके द्वारा मनमाना खर्च किया जाता है, जिसमें इस्लाम विस्तार के लिए मुजाहिदीन तैयार करने हेतु मदरसों का निर्माण और हथियारों की खरीदगी शामिल है।

(30) अरबी भाषा की उन्नति के लिए तो भारत सरकार सहायता देती है। पर संस्कृत के लिए नहीं। इनकी दृष्टि में अरबी राष्ट्रीयता का प्रतीक है और संस्कृत पिछड़ापन का।

(31) जेहादी कार्यों के लिए मुस्लिम देशों की सरकारों और जेहादी संगठनों द्वारा इस्लाम विस्तार तथा ईसाई देशों से ईसाइयत के विस्तार हेतु बड़े पैमाने पर धन आ रहा है। हिन्दुओं के अस्तित्व पर दिन पर दिन संकट बढ़ता जा रहा है पर अज्ञानी, स्वार्थान्ध और सत्तालोलुप नेताओं को इसकी कुछ भी परवाह नहीं है।

विगत काल से लेकर आज तक गाँधी नेहरू जोड़ी ने मुस्लिम परस्ती की जो हवा बहाई उसे आज तक काँग्रेसियों ने न केवल अपनाया वरन उसमें वृद्धि ही की है। थोक मुस्लिम वोट की आशा में अब सभी दलों ने मुस्लिम परस्ती और तुष्टिकरण की होड़ ले ली है जिसका सबसे घिनौना रूप 'हिन्दू विरोध' है।

(32) वर्ष 2002–03 में कर्नाटक सरकार ने वहाँ के मंदिरों की दान पेटियों से प्राप्त 72 करोड़ रूपयों में से 50 करोड़ मदरसों, 10 करोड़ चर्चों और मात्र 10 करोड़ मंदिरों के रख–रखाव के लिए दिया। हिन्दू का धन हिन्दू के विनाश के लिए हिन्दू द्वारा लुटाने का कारण है वोट का लोभ, जो हिन्दू के पतन को उजागर करता है।

(33) एक साजिश के तहत योजनाबद्ध ढंग से नेहरू के जमाने से ही इतिहास का विकृतिकरण किया गया। पहले नेहरू के नाम पर जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय बनवाया गया जिसमें ऊँचे वेतन पर देश भर से मार्क्सवादियों को खोज–खोज कर लाया गया। यह विश्वविद्यालय मार्क्सवादी निर्माण का कारखाना बन गया। सारे देश के मेधावी छात्र यहाँ से मार्क्सवादी विचारधारा के नकारात्मक सिद्धांत सीख कर, जो अन्तर्राष्ट्रीयतावाद की विकृति, अराष्ट्रीयतावाद और देशद्रोहवाद का रूप ग्रहण चुका है, निकलते हैं। ये देश भर के विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक नियुक्त हो कर इस संस्कृति या विकृति को युवा पीढी में फैलाने का महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। आर्थिक या सामाजिक शोषण और अन्यायपूर्ण आर्थिक और सामाजिक विषमता के विरुद्ध संघर्ष और समर्थन की बात तो समझ में आती है, पर खुले रूप से घोषित मुस्लिम जेहादी सिद्धांत और व्यवहार के समर्थन को निरा पागलपन के सिवाय और क्या कहा जा सकता है।

ये मुस्लिम आक्रमणों के कारण, तरीका, सिद्धांत, बर्बरता, क्रूरता, आतंक, अत्याचार को छिपाकर उसे ऐसा रूप देने का प्रयास करते हैं जिससे हिन्दू, इस्लाम विस्तार के असली कारण को नहीं जान पावें। ताकि जेहादी इस्लाम अपने प्राचीन बर्बर तरीके से इन अनजान और असावधान हिन्दुओं का आसानी से नाश कर दे। पता नहीं इन्हें इस्लामी चरित्र का ज्ञान होता है या नहीं। यदि नहीं होता है तो दुनिया भर में इनकी गतिविधियों को देखकर उसका अध्ययन करना चाहिए और इतिहास को तथ्यों और सच्चाई से समृद्ध बनाना चाहिए न कि विकृत। यदि ये इस्लाम को जानते हैं तो फिर मार्क्सवाद में ऐसा कौन सा तत्त्व है जो इस बात के लिए प्रेरित करता है कि इस्लाम के निर्देशों के अनुसार मुसलमानों को जेहाद द्वारा हिन्दुओं को नष्ट कर देना चाहिए, जैसा वे चौदह सौ वर्षों से करते आ रहे हैं ? उन्हें नष्ट करने के बाद कट्टर इस्लामी संस्कृति की स्थापना से मार्क्सवादियों को कौन–सा पुरस्कार मिल जायेगा जिसके लिए वे अंधा होकर इस्लामी आतंकियों का समर्थन करते और मदद पहुँचाते हैं ? इसका उन्हें गम्भीरता से आत्ममंथन करना चाहिए।

मार्क्सवादी इतिहासकार एवं साहित्यकार भारतीय राष्ट्रीयता के एकमात्र वाहक हिन्दू समाज को अराष्ट्रीय बनाने के लिए उनके प्राचीन साहित्य से काटने, जो अत्यन्त समृद्ध है, की चेष्टा क्यों करते हैं ? क्या वे समाज में प्रचलित अंध विश्वास और रूढ़ियों को ही हिन्दूधर्म समझ बैठे हैं ? अंधविश्वास और रूढ़ियों को मिटाकर वैज्ञानिक जीवन मूल्यों की स्थापना के लिए प्रयास करते तो वह एक स्वस्थ दिशा होती। तब उन्हें सामाजिक–आर्थिक शोषण के विषय में सचेत कर सकते जिसे वे अपनी दिशा और लक्ष्य बतलाते हैं। किन्तु उन्होंने भारत के सुसंस्कृत अतीत के अनेक सुनहरे पृष्ठों को गंदा करने का ही प्रयास किया। यह सब कुछ नेहरू वादी परम्परा और प्रयासों का ही परिणाम है।

(34) तुष्टिकरण की होड़ में सरकारें अब इस देश को मुसलमानों और ईसाइयों को सौंप देने पर आमादा दिखती हैं। हाजियों को अनुदान के अलावा, प्रबंध व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए मक्का में सरकारी व्यवस्था दल, उनको

कवर करने के लिए टी0वी0 की टीम, सरकारी खर्च पर हज के लिए जाने वालों को राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की ओर से इफ्तार पार्टी, जामा मस्जिद के रख रखाव के लिए 50 लाख रुपये का अनुदान, केवल मुसलमानों के लिए 10 पोलिटेकनिकों की स्थापना, बैंकों, रेलों, पुलिस में बिना प्रतियोगिता परीक्षा के नियुक्तियों के लिए अल्पसंख्यक समिति (सैल), अलीगढ़ युनिवर्सिटी के मुस्लिम ढाँचे को बनाए रखने के लिए संसद का विशेष बिल, मुसलमानों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण, अब 100 प्रतिशत की भी माँग होने लगी है जिसे ये आज या कल पूरा कर ही देंगे, विरोध करेगा ही कौन ? मुस्लिम वक्फ जायदादों की किराया कानून से छूट, वक्फ बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय परिसम्पत्तियों को धीरे–धीरे अपने अधीन लेने की साजिश, जिससे देश का अधिकांश धन मुस्लिम संस्थाओं के हाथ में पहुँच जाय। अभी–अभी ताजमहल को वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति की एक तरफा घोषणा कर दी गई पर सरकार के लिए तो तुष्टिकरण का सवाल है उसे चुप रहना ही पड़ेगा। पूरे भारत में महानगरों, नगरों, कस्बों, मुहल्लों में सरकारी भूमि पर कब्र का पत्थर रख कर सरकारी जमीन जायदाद मुसलमानों द्वारा दखल किया जा रहा है। सब तमाशा देख रहे हैं। उन जमीनों पर दरगाह बना कर फिर धीरे–धीरे घुसपैठियों को बसाने का सुनियोजित देशद्रोह जैसा आपराधिक काम चल रहा है।

दिल्ली में गरीबी रेखा का मुसलमानों के लिए आधार है 40,000/– रुपये वार्षिक आमदनी से नीचे; लेकिन हिन्दू के लिए वह 20,000/– रुपये से नीचे है। मुस्लिम तुष्टिकरण की कोई सीमा नहीं है। कांग्रेसी सरकार ने इमामों को वेतन देने की पेशकश की थी जैसे सरकारी खजाना उनके बाप का हो, जैसे चाहे लुटावें। पोप को भी दो बार करोड़ों रुपये खर्च कर भारत बुलाया गया। ईसाई वोट के लिए। पर, हिन्दू नेपाल नरेश महाराजा महेन्द्र को मकर संक्रान्ति उत्सव पर नागपुर आने से रोका गया जिसका आयोजन सारे हिन्दू समाज की ओर से 1965 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने किया था। महाराजा महेन्द्र को खेद के साथ हिन्दुस्तान आने के अपने कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। इसी प्रकार वर्तमान नरेश (अब दिवगंत) महाराजा वीरेन्द्र को भी हमारी सरकार ने रामेश्वरम् में पूजा के लिए आने की अनुमति नहीं दी।

(भारत में छद्म धर्मनिरपेक्षतावाद, लेखक कन्हैया लाल एम0 तलरेजा, पृ0 531)

हिन्दू जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम जोर शोर से चलाया गया इसके लिए हर पंचवर्षीय योजनाओं में भारी धन का प्रावधान किया गया पर मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रित करने के नाम पर चुप्पी साध ली गई। किसी पर इस दिशा में कार्रवाई करने का साहस नहीं हुआ। मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए बिना मांग के ही पैगम्बर मुहम्मद के जन्म दिवस पर छुट्टी घोषित की गई। शादी करे मुस्लिम, तलाक दे मुस्लिम पर तलाकशुदा मुस्लिम औरत का जीवन निर्वाह करे हिन्दू। हिन्दुओं के टैक्स के रुपयों को सरकार वक्फ बोर्ड को देती है ताकि वक्फ बोर्ड तलाकशुदा मुस्लिम औरतों को पेंशन दे सके। चार शादियाँ करने वाले मुसलमान अपनी पहली वाली बीवियों को अक्सर तलाक दे ही देते हैं। जिसका खर्च हिन्दू चलाते हैं। वे नई बीवी से जनसंख्या विस्तार कर रहे हैं। राजीव गांधी का 15 सूत्री

कार्यक्रम मुस्लिम –ईसाइयों को ही तुष्ट कर वोट की व्यवस्था करने का कार्यक्रम था। स्कूल–कॉलेजों की पढाई से संस्कृत को निकाल कर हिन्दुओं को नेहरू की नीति के अनुसार उन्हें उनके अतीत से काटने की व्यवस्था की जा रही है जबकि उर्दू को द्वितीय राष्ट्रभाषा बनाकर देश में स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। कश्मीरी विस्थापितों के विषय में सरकारें चुप रहती हैं। इस अत्याचार के विरुद्ध सरकार की ओर से निन्दा, उनके सहायता के लिए कार्य जिस हद तक किया जाना चाहिए नहीं किया जाता है क्योंकि वे हिन्दू हैं। यदि वे उनकी मदद की ओर उन्मुख होंगे तो इससे मुसलमान नाराज़ होंगे।

ईसाई मिशनरियाँ हिन्दू धर्म और हिन्दू समाज को विकृत और पिछड़ा दिखाने के लिए अपनी पाठ्य पुस्तकों में छिटफुट किस्से–कहानियों और घटनाओं में चालाकी से ऐसे प्रसंगों को जोड़ती हैं जिससे पढ़ने वालों के मन में हिन्दू धर्म से नफरत होने लगता है। अब यह सबको मालूम है कि ईसाई मिशनरियों ने भारत के शिक्षा तंत्र पर अपना अधिकार कर लिया है। बाहर से आने वाले अकूत धन और भारत सरकार से अल्पसंख्यकों को अनुदान के नाम पर मिलने वाली सहायता से वे अपना चौतरफा विस्तार करने में लगे हैं। सरकारें तो वोट के लोभ में उन्हें खुश करने के लिए उनका तलवा चाटती रहती हैं। ईसाई स्कूलों में शिक्षित लोग अंग्रेजी समाचार पत्रों, रेडियो, टी0वी0 आदि प्रचार माध्यमों में पहुँच कर वातावरण ऐसा बना चुके हैं कि ईसाई या मुसलमान के विरुद्ध यदि कोई घटना घटती है तो वे आकाश–पाताल एक कर देते हैं लेकिन हिन्दू के विरुद्ध कितना भी बड़ा अन्यायपूर्ण व्यवहार हो जाय, वे चुप्पी साध लेते हैं। ग्राहम स्टेन्स की हत्या पर लगा था कि हिटलर का यहूदी विध्वंश कार्यक्रम चालू हो गया है और गोधरा काण्ड पर इन समाचार पत्रों के सम्पादकीय, जो उस समय आते थे, उससे इनकी मक्कारी को देखकर लहू खौलने की स्थिति बन जाती थी। आज जो परिस्थिति बन चुकी है सब नेहरू और उनकी कांग्रेस के षड्यंत्र के कारण ही बनी है। आज तो ईसाई सोनिया के हाथ में इन्होंने इस देश को ही सौंप दिया है।

बिहार में कब्रिस्तानों की घेराबन्दी सरकार ने सरकारी खजाने से कराया। यह तुष्टिकरण में कांग्रेसियों से होड़ लेने में राजद ने किया। तुष्टिकरण और मुस्लिम उपद्रव को सहने की कुछ ताजा घटनाएँ इस प्रकार हैं –

इतिहास को विकृत करने के उद्देश्य से एन0सी0ई0आर0टी की किताब में लिखा गया है कि "पौराणिक जनश्रुति के अनुसार अयोध्या के राम का काल 200 ई0 पू0 के आसपास भले ही मान लें, पर अयोध्या में की गई खुदाई और व्यापक छानबीन से तो यही सिद्ध होता है कि उस काल के आसपास वहाँ कोई बस्ती थी ही नहीं।" 11वीं और 12वीं की इतिहास की पुस्तक के पृष्ठ 22 पर पुनर्मुद्रण में बदलकर यह बात लिखी गई है। इसके सम्पादक हैं वामपंथी इतिहासकार प्रो0 राम शरण शर्मा। यद्यपि ई0 पू0 15वीं सदी की बस्ती का प्रमाण पुरातत्व विभाग को मिला है। यह इतिहास की विकृति के साथ ही मुस्लिम परस्ती दिखाने के लिए हिन्दू आस्था के विरोध की एक भद्दी साजिश है।

11वीं की "एन सी ई आर टी" की नई किताब "मध्यकालीन भारत" में जिसके सम्पादक वामपंथी इतिहासकार प्रो0 सतीशचन्द्र हैं, पृथ्वीराज चौहान को कायर और भगोड़ा बताया गया है तथा जयचन्द को रणभूमि का शहीद। वक्फ बोर्ड द्वारा ताजमहल को वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति घोषित किये जाने पर यू0पी0 के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव अंध मुस्लिम परस्ती दिखाने के लिए बोर्ड के फैसले के पक्ष में खड़े हो गये। ये पहले भी इमराना प्रकरण में मुल्ले मौलवियों द्वारा जारी फतवे को उचित करार दे चुके हैं। (हिन्दू विश्व– अगस्त 1–15)

अमरनाथ यात्रा पर सदैव आतंकवाद की छाया तो मंडराती ही रहती है, ऊपर से कश्मीर की मुफ्ति सरकार जो केन्द्र की धर्मनिरपेक्ष सरकार के सहयोगियों के गठबंधन से चल रही है; हिन्दू तीर्थ यात्रियों के साथ स्पष्टतया शत्रुओं जैसा व्यवहार करती है। "हिन्दू सभा वार्ता" के विशेष प्रतिनिधि ने लिखा, कि "मैंने तीर्थ यात्री के रूप में पहली बार ऐसा देखा है कि सरकारी टेंटों में रात्रि विश्राम के लिए पैसा वसूला जा रहा हो, वह भी दस–बीस रुपये नहीं अपितु एक सौ पचास रुपये से अधिक रकम जो कि सामान्यतः किसी होटल के कमरे के किराये से भी अधिक है। इसके अतिरिक्त भंडारे आयोजित करने के लिए स्थान भी धन लेकर दिया जाता है।" एक तरफ हिन्दू के पैसे मुसलमानों को हज कराने, उनके मदरसे चलाने, उनकी तलाकशुदा बीवियों को गुजारा भत्ता देने और उनके दरगाहों और मस्जिदों के निर्माण और मरम्मत पर खर्च होते हैं और दूसरी ओर मुस्लिम राज्य में इस्लामी असहिष्णुता और काफिर को शत्रु समझने वाली मानसिकता हिन्दुओं से "जजिया" कर वसूल रही है। हिन्दू बहुल राज्यों में सभी दल तुष्टिकरण में अल्पसंख्यक को आरक्षण देने की मांग करने लगे हैं। कल सेना पुलिस सहित सभी सुरक्षा बलों में यह आरक्षण दे कर हिन्दू विनाश का काम सरल बना देंगे।

मुस्लिम और ईसाई तुष्टिकरण, अल्पसंख्यक वाद और धर्मनिरपेक्षता का नाम लेकर किया जाता है। हिन्दू समाज के विनाश की दिशा में की जाने वाली इन सभी कार्रवाइयों के कर्ता स्वयं हिन्दू ही हैं। "निजी लाभ के लिए अपने हिन्दू समाज को मिटा डालने तक के घृणित काम में लगने वाली मानसिकता कब से और क्यों बनी तथा इसे शीघ्रता से कैसे दूर किया जाय" इस विषय पर गम्भीर चिन्तन की चुनौती को स्वीकार कर हिन्दू बुद्धिजीवियों को लगना चाहिए। अब समय बहुत कम है। क्रांतिकारी विचार और क्रिया द्वारा हिन्दू समाज की रक्षा और उत्थान के काम में प्रत्येक हिन्दू को अब सभी पूर्वाग्रहों को त्याग कर समर्पित भाव से लग जाना चाहिए।

स्वार्थान्ध, आत्मकेन्द्रित और असंगठित हिन्दू क्यों निजी लाभ के लिए बड़े से बड़े सामाजिक हितों के साथ घात कर बैठता है, इसकी छानबीन करना बहुत आवश्यक है। आज किसी भी संगठन में हिन्दू अपने पद, निजी प्रतिष्ठा, प्रभुत्व, धन आदि के लिए संगठन के मूल उद्देश्यों की परवाह न कर अक्सर आपसी कलह और एक दूसरे की टाँग खीचने में ही उलझे रहता है। संस्कार से उसे जो चरित्र मिलता है उसमें सामाजिक हित के लिए त्याग की भावना का सर्वथा अभाव होता है जिसके कारण अपनी सामाजिक, जातीय या राष्ट्रीय हितों के ऊपर वह अपने निजी हित को

रखने का अभ्यस्त बन जाता है। हिन्दू धर्म में व्यक्तिगत पुण्य लाभ द्वारा स्वर्ग प्राप्ति, मानवयोनि में पुनर्जन्म एवं मोक्ष प्राप्ति के सिद्धांत और विश्वास पर आधारित पूजा–पाठ, व्रत, उपवास, कर्मकाण्ड, तीर्थ आदि का पालन करते करते एक हिन्दू पूरी तरह से आत्मकेन्द्रित और अन्ततः स्वार्थी बन जाता है। इन संस्कारों से प्रभावित मन लौकिक जीवन में भी अपने ही तक सिमट जाता है।

सामाजिक, सामुदायिक, जातीय या राष्ट्रीय हित के लिए अपने हित का त्याग करने की भावना एक हिन्दू के अंदर उत्पन्न हो, इसके लिए हिन्दू धर्म विधान में कोई प्रभावकारी प्रावधान नहीं है। स्वयं में ही सिमट कर राष्ट्रीय हित की परवाह नहीं करने के कारण एक धार्मिक समूह के रूप में हिन्दू कमजोर बना हुआ है। हिन्दूवादी या हिन्दू हितकारी संगठनों के अंदर भी नाम मात्र के ही त्यागी लोग हैं, शेष तो सभी प्रभुत्व, यश या जीविका के लोभ में एक सहारा के रूप में ही इन संगठनों में शामिल होते हैं। इसे समझना होगा और हिन्दू समाज की वैचारिक सोच पर पड़ी धूल को साफ करने का बीड़ा उठाना ही होगा।

समाज सुधार का काम एक साथ पूरा समुदाय नहीं करता है। एक व्यक्ति या एक ही सोच के अनेक लोगों के संगठन द्वारा समाज में बड़ा से बड़ा उलट-पलट किया जा सकता है। जो जागृत लोग हैं और हिन्दू समाज की दुरवस्था देखकर चिन्तित एवं बेचैन हैं यह उन्हीं का कर्तव्य है कि अपनी उदासीनता, आलस्य और झिझक छोड़कर समाज में उथल–पुथल करने के उद्देश्य से आगे आवें। आज की सबसे बड़ी समस्या हिन्दू समाज के अस्तित्व रक्षा की है। इस कार्य को ही प्राथमिकता की सूची में प्रथम स्थान पर रखना होगा। इसके लिए जातियों में विभाजित पूरे हिन्दू समाज को एक करने का मुश्किल काम हाथ में लेना होगा। छुआछूत मिटाने और अन्य सामाजिक सुधार का काम भी करना होगा। संगठन तैयार करना और बिना किसी भेदभाव के हिन्दू समाज के सभी श्रेणी के लोगों की गाँव, मुहल्ला, टोला आदि के स्तर पर नियमित साप्ताहिक या अर्द्ध साप्ताहिक बैठकें करना और समाज पर आने वाले इस्लाम और ईसाइयत के खतरों से सचेत करना आवश्यक है। पूरा समाज जब सही जानकारी प्राप्त कर लेगा तो स्वयं ही उसके निदान का उपाय खोजना शुरू करेगा।

आज कल विभिन्न जातियों के नेता जातिगत आधार को बनाये रख कर निजी प्रभुत्व और राजनीतिक लाभ के लिए जातियों के बीच कटुता पैदा करने की चेष्टा में लगे रहते हैं। ये अपना अस्तित्व जाति के अस्तित्व में ही देखते हैं। यदि पूरा हिन्दू समाज एक बनता है तो इनको अपना आधार नष्ट होता हुआ दिखने लगता है इसलिए ये सामाजिक कटुता बढ़ाने का ही प्रयास करते हैं। इन भीतरघाती लोगों का पर्दाफाश करना होगा। हिन्दू समाज पर अस्तित्व का संकट गहराता जा रहा है। उसका मुकाबला करने में वह जिन कारणों से अक्षम बना हुआ है उनमें सर्वप्रमुख है अस्तित्व संकट की जानकारी का अभाव। यह विषय सबसे महत्वपूर्ण है। सारी कठिनाईयों के मूल में समस्याओं के ज्ञान का अभाव ही है। पहले ही इसकी चर्चा की जा चुकी है कि पूरे हिन्दू समाज को शिक्षित करने का काम किसी हिन्दू संगठन,

धर्मगुरू या प्रचार माध्यमों द्वारा सुनियोजित रूप से नहीं किया गया। यह काम बहुत बड़ा है लेकिन उतना ही आवश्यक भी।

इस्लाम की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक बच्चे को इस्लामी नियमों के पालन का अभ्यास कराने और इस्लामी शिक्षा की जानकारी देने की कार्रवाई की जाती है। इससे बचपन में पड़े संस्कार सारी उम्र के लिए स्थाई स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। इन नियमों और शिक्षाओं के पालन के कारण उनमें कट्टरतापूर्ण आचरण की परम्परा स्थापित हो जाती है।

ईसाई भी अपने पंथ की शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। नियमित प्रार्थना और चर्च के कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के कारण ईसाई बच्चे भी बड़ा हो कर सच्चा ईसाई बनते हैं। इन दोनों मजहबों में एक समानता है कि दोनों अपने-अपने मजहब में अन्य धर्मावलम्बियों को शामिल करने के लिए प्रयासशील रहते हैं। इनके मजहबों का सर्वाधिक प्रमुख भाग विस्तार है। इसलिए ये जहाँ भी रहते हैं अपने आसपास के विधर्मियों को अपने मजहब में सम्मिलित करने के लिए उनके समाज को तोड़ने का प्रयास करते रहते हैं। इस उद्देश्य के लिए उनके कार्यक्रमों के स्वीकृत विधान हैं। ये विधान ऐसे हैं जो सामान्य नैतिकता और प्राकृतिक न्याय के सर्वथा विरुद्ध हैं।

भारत में ये दोनों मजहब इस्लाम और ईसाइयत, अपने उन्हीं अनैतिक और अन्यायपूर्ण मार्ग से विस्तार के लिए हिन्दू समाज को कमजोर कर तोड़ने और अन्ततः मिटा डालने के कुचक्र में लगे हैं। ये दोनों ही शामी प्रथा के ईश्वर–पुत्र और पैगम्बर का आवरण ओढ़कर क्रमशः ईसा और मुहम्मद द्वारा चलाये गये मजहब हैं। अपने मजहब के विस्तार के लिए ईसाई चालबाजी, ठगी, धोखाबाजी, झूठा प्रचार, झूठा चमत्कार, रिश्वत, भावनात्मक शोषण आदि सभी प्रकार के अनैतिक आचरण अपनाते हैं। इनके विषय में सामान्य मान्यता है कि जब ये कमजोर होते हैं तब मेमने की तरह सरल होते हैं; जब समान होते हैं तब लोमड़ी की तरह चालाक बन जाते हैं और जब शक्तिशाली होते हैं तब चीते के समान आक्रामक बन टूट पड़ते हैं। धूर्तता इनके मजहब का धर्म है, जिसका ईसाई मिशनरी सदा पालन करते हैं। नवधर्मान्तरित इसी धूर्तता का प्रथम शिकार बनता है और बाद में इसी धूर्तता को अपना कर ईसाई के रूप में ईसाइयत विस्तार में सहयोगी बनता है। भारत में कमजोर, पिछड़ों, दलितों और असहाय के मददगार के रूप में इन्होंने अपना जाल फैलाया क्योंकि दुष्कर्म सदा सत्कर्म के आवरण के नीचे ही होता है। चंगाई चमत्कार का झूठा पाखण्ड गढ़ कर भोले–भाले लोगों को फँसाया। अब जिन इलाकों में बहुसंख्यक बन गये हैं; वहाँ भारत से अलग होने की माँग करने लगे हैं। इनके मजहब का चरित्र ही है असहिष्णुता। इनके विषय में स्वामी विवेकानन्द और डॉ0 अम्बेडकर ने कहा था कि एक भारतवासी जब तक हिन्दू (किसी भारतीय सम्प्रदाय का जैसे सिक्ख, बौद्ध, जैनी, सरना आदि) रहता है तब तक तो वह राष्ट्रीय रहता है लेकिन ईसाई बनते ही वह अराष्ट्रीय या राष्ट्रद्रोही तक बन जाता है। ये देश को तोड़ कर टुकड़े–टुकड़े करने के दुष्प्रयास में लग जाते हैं। ईसाई और इस्लाम दोनों के आमंत्रण को ठुकरा कर उन्होंने अराष्ट्रीय बनना स्वीकार नहीं किया।

इस्लाम का तो विधान ही जेहाद है, जिसके विषय में पहले बहुत कुछ कहा जा चुका है। इस्लाम विस्तार के लिए हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार आदि अति घिनौना और नीच कर्म भी इस मजहब में अल्लाह का स्वीकृत कानून है। इन्हीं दुष्कर्मों को भोग कर लोग मुसलमान बनते हैं। फिर मुसलमान इन्हीं दुष्कर्मों द्वारा गैर मुसलमानों को इस्लाम में शामिल होने के लिए विवश करते हैं। आतंक के साये में जन्मा मजहब कट्टरता और आतंक से संस्कार पा कर वैसा ही बन जाता है। इस्लाम विस्तार के लिए गैर मुसलमानों के साथ किया गया प्रत्येक अन्यायपूर्ण और अनैतिक कर्म अल्लाह द्वारा प्रशंसित पुण्य काम है। इनकी असहिष्णुता तो कुख्यात ही है। ये अपने जन्म से ही पृथकतावादी हैं। इनकी पृथकतावाद की ही उपज है – पाकिस्तान। इन सबका शिकार होना है गैरमुसलमानों को या स्पष्ट कहा जाय तो भारत में हिन्दुओं को।

हिन्दू की कठिनाई यह है कि इन सबके विषय में वह कुछ जानता ही नहीं है। अगर हिन्दुओं को इन समस्याओं की नियमित जानकारी दी जाती और इनसे निपटने के संबंध में आपस में विचार-विमर्श कर रणनीति बनाने एवं तद्नुरूप कार्रवाई करने हेतु नियमित बैठकें करने का धार्मिक प्रावधान होता तो हिन्दू ऐसे शत्रुओं से लड़कर उन्हें मिटा डालने की सामर्थ्य पैदा कर लेते। पर इस ओर किसी ने न तो ध्यान ही दिया और न ही इससे निपटने के लिए कोई धार्मिक, सामाजिक या राष्ट्रीय नीति ही तैयार की। परिणाम स्वरूप मुसलमान बढ़ रहे हैं, ईसाई बढ़ रहे हैं और हिन्दू मिटते जा रहे हैं। वह दिन बहुत दूर नहीं रह गया है जब हिन्दू, बर्बरता, क्रूरता और नीचतापूर्ण अत्याचार की यातना झेल कर और अपनी सारी दौलत खो कर अपने प्रियजनों सहित समाप्त हो जायेंगे यदि इसी प्रकार अज्ञानता के अंधकार और अप्रतिकारात्मक निष्क्रियता में पड़े रहे। यह अज्ञानता ही है जिसके कारण हिन्दू समाज के हितों के लिए समर्पित भाव से काम करने वाली एक भी राजनीतिक पार्टी नहीं हैं। हिन्दू जिस बी0जे0पी को ईसाइयत और इस्लाम के आक्रमण से हिन्दू हितों की रक्षक पार्टी समझ रहे थे वह अब तक साफ हो चुका है। बी0जे0पी0 भी पूरी तरह से अन्य पार्टियों की तरह ही मुस्लिम तुष्टिकरण की होड़ में शामिल हो चुकी है। अब पूरे देश के राजनीतिक क्षितिज पर हिन्दू हितों के लिए स्पष्टता और दृढ़ता के साथ आवाज उठाने वाला कोई दल नहीं बचा है।

इस्लाम और ईसाइत के विस्तारवादी आक्रामक चरित्र का शिकार हिन्दुओं को ही होना है। अब तो बिना रोक-टोक उनके सभी हिन्दू विरोधी प्रस्तावों को एक तरफा स्वीकृति मिलती जायेगी। इससे हिन्दू समाज को कमजोर करने की उनकी किस्तवार योजना तेजी से सफल होगी और एक हल्के झटके में ही वह टूट–फूट कर बिखर जायेगा। सऊदी अरेबिया के प्रोफेसर नासिर बिन सुलेमान उल उमर का कथन है कि "भारत स्वयं टूट रहा है। यहाँ इस्लाम तेज गति से बढ़ रहा है और हजारों मुसलमान पुलिस, सेना और राज्य शासन व्यवस्था में घुस चुके हैं और भारत में इस्लाम सबसे बड़ा दूसरा धर्म बन चुका है। आज भारत भी विध्वंश के कगार पर है। जिस प्रकार किसी राष्ट्र को उठने में दसियों वर्ष लगते हैं उसी प्रकार उसको ध्वंस

होने में भी लगते हैं। भारत एक दम रातों–रात समाप्त नहीं होगा। इसे धीरे–धीरे समाप्त किया जायेगा। निश्चित ही भारत नष्ट कर दिया जायेगा। (आर्गे 18.7–04)

मुस्लिम तुष्टिकरण की होड़ लेने वाले हिन्दू नेता ही कुछ दिनों में मुस्लिम मुख्यमंत्री और मुस्लिम प्रधानमंत्री की रट लगाने लगेंगे। मुस्लिम मजहबी राजनीतिक बुद्धि इन मूर्खों को पराजित करने में निपुण है। इस कार्यक्रम को मुसलमान खूब चतुराई से आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपना नारा "हँस के लिया है पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिन्दुस्तान" को बदलकर अब नया नारा बना लिया है – "हँस के लिया है पाकिस्तान, घुस के लेंगे हिन्दुस्तान" और इस घुसपैठ को बड़े पैमाने पर व्यावहारिक रूप देना शुरू कर दिया है। यह सब बेरोक–टोक चल रहा है इसलिए कि पूरा हिन्दू समाज ही इस षड़यंत्र से बेखबर है। घुसपैठ की जेहादी कार्रवाई की सफलता के लिए निर्णायक महत्व है। इससे जनसंख्या वृद्धि, शत्रुओं की स्थिति की जानकारी, उनको विश्वास में लेना, समय पर भीतरघात करना, उनके अन्दर घुस कर उनमें लड़ाई कराने की व्यवस्था आदि काम बिना खतरे के होना संभव होता है। पाकिस्तान और बंगलादेश से भारत में अवैध घुसपैठ करना, वीसा लेकर भारत आना और मुस्लिम बस्तियों में छुप कर रह जाना, स्थाई रूप से भारत के विभिन्न जगहों में बस जाना, विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों में घुसना, चोरी, स्मगलिंग, जैसे अवैध कारोबार करना, मादक पदार्थों जैसे अफीम, हिरोइन आदि का हिन्दू मुहल्लों–बस्तियों में व्यापार कर काफिर शत्रुओं को नसेड़ी बनाना, हिन्दू मुहल्लों, स्कूलों–कॉलेजों, नौकरियों आदि में खुलापन का लाभ उठाते हुए हिन्दू लड़कियों का सुनियोजित रूप से पीछा करना, उन्हें फुसलाना–बहकाना, उन्हें भगाना, भ्रष्ट करना, बीवियाँ, रखैल और वेश्याएँ बनाना, हिन्दुओं के मुहल्लों, बस्तियों, कस्बों, घरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, कारखानों, बड़ी फैक्टरियों, दुकानों, सेवा, व्यवसायों परिवहन के साधनों आदि हर जगह घुस कर हिन्दुओं के यहाँ नौकरी या व्यापार में हिस्सेदार बन कर उनकी हर गतिविधि से जुड़ जाना, हिन्दुओं के निजी उत्सवों, विवाह, पूजा, व्रत, सभा, सम्मेलनों, संस्थाओं, राजनीतिक दलों, स्वयंसेवी संस्थाओं हर जगह घुसकर अपनी सतर्क दृष्टि से जेहाद के दिन के लिए तैयारी में लगे रहना और उन्हें अपने मजहब के प्रावधानों की भनक तक न लगने देना आदि कार्रवाई अपने मजहबी फर्ज को पूरा करने के लिए करते हैं। दूसरी ओर उनके मुहल्लों में आतंकवादी और आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण सामान्य हिन्दू की बात कौन करे पुलिस भी हर जगह निर्भय होकर घुसने का साहस नहीं कर पाती है। इसलिए हर प्रकार की अवैध गतिविधि के लिए उनका मुहल्ला सुरक्षित स्थान बन जाता है।

यदि पूरा हिन्दू समाज इस्लाम मजहब के असली विस्तारवादी उद्देश्य को समझता तो वह मुसलमानों से सतर्क रहता। उन्हें अपने घरों और प्रतिष्ठानों, त्योहारों, उत्सवों से दूर रखता या ऐसी रणनीति तैयार करता जिससे कम से कम अपनी रक्षा की दीर्घ कालिक योजनानुसार चल पाता। कश्मीर के तीन लाख हिन्दुओं को अपना धन और परिजनो में बहुतों को खोकर दर दर की ठोकरें खाते हुए शरणार्थी जीवन जीना पड़ रहा है। कोई हिन्दू इस विषय पर कभी सोचने का समय निकालता है कि

ऐसा क्यों हुआ ? उनकी सारी दुर्गति हो गई फिर भी इस्लाम को जानने समझने का प्रयास नहीं किया। मुसलमानों का महानतम या पवित्रतम धर्मग्रन्थ 'कुर्आन' जिसे वे अल्लाह का हुक्म कहते हैं; घोषित करता है कि "काफिर तुम्हारे खुले शत्रु हैं" और हिन्दू कहते हैं; "हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई आपस में सब भाई–भाई।" हिन्दू अपने धर्म और संस्कारों के कारण पूरी सृष्टि को ईश्वरमय समझता है, इसलिए वह सबमें एकात्म जीवन दृष्टि के कारण उसे भाई समझने का आग्रह करता है। ऐसा इस्लाम के चरित्र का ज्ञान नहीं होने के कारण ही करता है; क्योंकि जैसे ही मुसलमानों का अल्लाह, काफिरों (गैर मुसलमानों) को शत्रु घोषित करता है वैसे ही स्वतः मुसलमान, गैर मुसलमानों के शत्रु हो जाते हैं। अब वे भाई और मित्र नहीं रह जाते हैं। अगर मुसलमानों को कोई भाई या मित्र समझे तो वही अज्ञानी और मूर्ख है। यही वह अज्ञानता और मूर्खता है जो हिन्दुओं का नाश करा रही है। क्योंकि वह तो शत्रु जान कर अल्लाह के हुक्म का पालन करते हुए काफिर की हत्या करने की तैयारी कर रहा है –

"फिर, जब हराम के महीने बीत जाएँ, तो मुश्रिकों (मूर्तिपूजकों) को जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो, और पकड़ो, और उन्हें घेरो, और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वे तौबा कर लें , नमाज कायम करें और जकात दें, तो उनका मार्ग छोड़ दो। निःसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है।"

(कुर्आन 9 : 5)

"हे ईमान लाने वालों ! (मुसलमानों), मुश्रिक नापाक हैं।" (कु0 9 : 28)

गैर मुसलमानों को इस्लाम का अल्लाह नापाक घोषित करता है और गैर मुसलमान इससे बेखबर रहते हैं।

पैगम्बरी युक्ति से मानव समुदाय में विभेद पैदा कर मुहम्मद ने अरबी साम्राज्य विस्तार की योजना बनाई थी जिसमें वे सफल भी हुए। उनके लिए इस बात की क्या चिन्ता थी कि दूसरे देश के लोग आपस में बँट कर, भाई–भाई का शत्रु बन कर अनजान और निर्दोषों का गला काटे। भारत के हिन्दुओं का एक भाग टूट कर मुसलमान बने और फिर दूसरे भाग पर बर्बर अत्याचार कर उन्हें भी मुसलमान बनावे ताकि सदा के लिए वे मानसिक रूप से अरब के गुलाम बन जायँ। अरब की ओर पाँच बार प्रतिदिन माथा झुकावें, अरब के प्रति श्रद्धा भाव रखें, अरबी लोगों को फिरिश्ता समझें और हज के माध्यम से प्रतिवर्ष करोड़ों का धन अरब पहुँचावें और उस देश को जहाँ जन्म लेते हैं, परवरिश पाते हैं, सारी जिन्दगी व्यतीत करते हैं और अपने वंशजों की सुख–सुविधा के लिए आजीवन अर्जन करते हैं उसे शत्रु देश (दारुल हर्व) समझें और विध्वंश कर उसके ऐश्वर्य का नाश करें। चतुर मुहम्मद ने अपनी बुद्धि चातुर्य से किस प्रकार अरब के हित में दुनिया को गुलाम बनाने की चाल चली और उसमें सफलता हासिल की; आज इसे पूरी दुनिया देख रही है। अरब से बाहर के मुसलमान भी इस्लाम नाम के इस अरबी छद्म से पीड़ित होते हैं पर मानव प्रकृति की विशेषता के कारण वे पारम्परिक मजहबी व्यवस्था के इस चक्रव्यूह में ऐसा फँस जाते हैं कि उससे निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है।

विगत दिनों में तो उनके लिए हिन्दू समाज भी दुखदाई ही रहा। भारत के 95 प्रतिशत या उससे भी अधिक मुसलमान इस्लामी बर्बर अत्याचार से पीड़ित होकर ही मुसलमान बने थे। आज जो मुसलमान नहीं हैं और जो मुसलमान हैं उनके पूर्वजों की पहचान शुरू की जाय तो कहीं न कहीं दोनों का पूर्वज एक ही व्यक्ति या एक ही वंश मिल जायेगा। यह कोई भावनात्मक कल्पना नहीं है, ऐतिहासिक सच्चाई है। उन पर आई विपत्ति टलते ही वे पुनः अपने पुराने धर्म में वापस आना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किये। किन्तु इस हिन्दू समाज के जो मार्गदर्शक थे, जिन पर धर्म के संचालन की जिम्मेवारी थी, वे धर्मगुरू रूढ़ियों में फँसे हुए अदूरदर्शी, अज्ञानी, मूर्ख और पाखंडी सिद्ध हुए जिन्होंने अपने ही विपत्तिग्रस्त भाइयों को नहीं अपनाया। उल्टे उन्हें अछूत, तिरस्कृत और पतित घोषित कर दिया। उनके लिए अब इस्लाम में बने रहने के सिवाय अन्य कोई मार्ग नहीं बचा था। तब हिन्दू धर्माचार्यों, गुरुओं, पंडितों और पुरोहितों के इस घृणित व्यवहार से कुपित होकर पूर्व मुसलमानों से भी ज्यादा उग्रता के साथ इन पर अत्याचार किया। उसके बाद इन्हीं मूर्खों पर बर्बर आक्रमण हुए। इनकी हत्याएँ की गई। कई शासकों ने तो इनकी हत्या के बाद जनेऊ निकाल कर जमा करने और उसे तौलने की प्रथा बनाई थी ताकि पता चल सके कि कितनों की हत्या की गई है। इनके पास धन तो था नहीं पर इनकी जवान लड़कियों को उठा कर ले गये और अपने भोग का साधन बनाया। फिर भी इनके वंशजों को बुद्धि नहीं उपजी। आधुनिक काल में भी ये ऐसी ही रूढ़िग्रस्त परम्परा के शिकार हैं। जहाँ शिक्षा, बुद्धि और विवेक निष्प्रभावी हो जाता है वहाँ मूर्खता का साम्राज्य होता है। मूर्ख, ज्ञान की बातों को सहन नहीं कर पाता है। वह जहाँ रहता है वहीं बने रहना चाहता है। विवेक सम्मत परिवर्तन का वह विरोधी बन जाता है। इसके कारण मुसलमान बने भाइयों को अपने धर्म में बड़े पैमाने पर वापस लाना और उनसे रोटी–बेटी का संबंध कायम कर उन्हें अपने में आत्मसात कर लेने की कार्रवाई रुकी पड़ी रह गई। ऐसा नहीं है कि पहले विधर्मियों को आर्य बनाने का काम धर्माचार्यों ने न किया हो। उन्होंने तो विजीगिषु जीवनवाद को अपनाते हुए पूरी दुनिया को ही आर्य बनाने का संकल्प लिया था।

"कृण्वन्तो विश्वमार्यम्"

सारी दुनिया को आर्य बना दो।

ऐसा इसलिए था कि वे महान ब्राह्मण धर्माचार्य जो सभी वर्णों के श्रेष्ठ लोग थे मानव समुदाय के सर्वोत्कृष्ट ज्ञानी और संत हुआ करते थे। वे आज के समान ब्राह्मण जाति के सदस्य नहीं होते थे, जो बिना ज्ञान, चरित्र, आचरण, गुण, सत्कर्म और संतवृत्ति के ही ब्राह्मण कहे जाते हैं और मिथ्या बड़ाई का अहंकार ढोये चलते हैं। हिन्दू समाज बहुत दिनों से ऐसे ही लोगों के नेतृत्व के कारण पतन के गर्त्त में गिरने की स्थिति में पहुँच गया है। आज स्थिति यहाँ तक पहुँची है कि पूरा हिन्दू समाज दिशाहीन बन गया है और ये परम्परा से बँधकर आज भी बहुत हद तक धर्म और उससे जुड़े व्यवसाय से अपनी जीविका चलाने में व्यस्त हैं। स्वयं तुच्छ बन चुके हैं। इनकी तुच्छता को देखकर समाज इनसे मुँह–मोड़ चुका है और स्वयं भी

दिशाहीनता का शिकार बन चुका है।

यह स्थिति हर जगह देखी जा रही है। आज की राजनीति, शिक्षा और समाज व्यवस्था को देखने से हिन्दू समाज का विखराव और दिशाहीनता का स्पष्ट बोध होता है। ऊपर से इस्लाम और ईसाइयत हिन्दू समाज की इस कमजोरी को भाँप कर तेजी से इसे मिटा डालने की कार्य योजना में लगे हुए हैं। इस काम के लिए अकूत धन मुस्लिम देशों और संगठनों से तथा पश्चिमी ईसाई देशों से प्राप्त हो रहा है। दोनों ही शामी मजहबों के विदेशी केन्द्र, भारत की सांस्कृतिक और अन्ततः आर्थिक पराधीनता के लिए मजहब के सहारे भारत में धन झोंक रहे हैं और मजहब के सामूहिक उन्माद (mass frenzy) के अधीन ईसाई और मुसलमान अपनी–अपनी शक्ति के अनुसार भारत को ईसाई या मुस्लिम देश बनाने पर तुले हैं।

यहाँ गैर–मुस्लिमों विशेषकर हिन्दुओं पर पड़ने वाले इस्लामी प्रभाव से संबंधित विषयों से ही मतलब है, पूरे इस्लामी शास्त्र की समीक्षा से नहीं, फिर भी अनवर शेख की उक्ति जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक "इस्लाम, अरब राष्ट्रीयता का साधन" में व्यक्त किया है, को उद्धृत करना अप्रासंगिक नहीं होगा। अपनी उक्त पुस्तक की भूमिका में उन्होंने लिखा है –

"जो मुसलमान अरब नहीं उन्हें इस्लाम ने इतनी हानि पहुँचाई है जो किसी भी दैवी आपत्ति ने नहीं पहुँचाई। फिर भी मुसलमानों को पक्का विश्वास है कि इस्लाम समानता और मानव प्रेम का प्रतीक है। (क) मुहम्मद ने इस झूठ को बड़ी चतुरता से अटल सत्य के रूप में प्रस्तुत किया है। वास्तव में मुहम्मद ने सारी मानव जाति को दो भागों में बाँट दिया है – एक ओर अरब और दूसरी ओर सब दूसरे। इस विभाजन के अनुसार अरब तो राज करने वाले हैं, और बाकी सब अरब संस्कृति और साम्राज्यवाद द्वारा अरबों के अधीन रहने योग्य हैं। (ख) इस्लाम में मानव प्रेम का उल्लेख तो एक ढोंग है। दूसरों के प्रति घृणा ही इस्लाम का मूल आधार है। इस्लाम के अनुसार मुसलमानों को छोड़कर बाकी सब सदा के लिए घोर नरक में जायेंगे। इस्लाम का ध्येय मुसलमानों और दूसरों में संघर्ष है जो कार्ल मार्क्स के सामाजिक संघर्ष के तत्व से कहीं अधिक अनिष्टकारी है। क्योंकि इस्लाम का ध्येय अरबों की महत्ता स्थापित करना है। इसलिए इस्लाम को एक मत न कहकर अरब राष्ट्रीय आंदोलन कहना चाहिए। इसकी सफलता का कारण दूसरे देशों के मुसलमानों का बुद्धि नियंत्रण है। जिससे वे अपनी संस्कृति और धरोहर को ठुकराकर अरबों की महत्ता स्वीकार करने लगते हैं। इस विचारधारा का आधार मुसलमानों के इस अंधविश्वास पर है कि मुहम्मद उन्हें स्वर्ग दिलवा सकता है। परिणाम यह हुआ है कि हिन्दुस्तान, ईजिप्ट (मिस्र) और ईरान जो संसार के महान देश गिने जाते थे इस्लाम के प्रभाव से अपने गौरव को भूल गये हैं और अब संसार के हीन देशों में गिने जाते हैं।"

अनवर शेख के उपर्युक्त विचार से यह पूरी तरह पुष्ट होता है कि इस्लाम धर्म नहीं बल्कि राजनीति है जो मजहब के छद्म आवरण में छुप कर अरबी सांस्कृतिक साम्राज्य विस्तार में लगा हुआ है। इससे अरब को राजनीतिक और आर्थिक लाभ की

स्थाई व्यवस्था होती चलती है। मजहबी अफीम के नशे में डूबा हुआ दुनिया भर का मुस्लिम समाज अपनी हानि उठा कर यह सब कर रहा है। इस्लाम ने मजहबी उन्माद और उससे जुड़े आतंक की व्यवस्था द्वारा मुसलमानों को इस विषय पर सोचने ही नहीं देता है। इस्लामी देश किस परिस्थिति में हैं इसका विस्तृत विवरण देना यहाँ संभव नहीं है पर एक दो घटना का यहाँ वर्णन करना समीचीन होगा।

पाकिस्तान के किसी मस्जिद का एक इमाम जो अत्यन्त धार्मिक और सन्त प्रकृति का था अपने घर की सफाई के बाद रद्दी सामानों, रद्दी अखबारों, कूट के डिब्बों आदि को जमा कर नष्ट करने के लिए जला रहा था। उसी क्रम में किसी ने देखा कि जलते कागजों में दीमक खाये, नष्ट कुरान की एक प्रति भी जल रही है। उसने शोर मचाया कि मौलवी कुरान जला रहा है। सुनते ही उन्मादी भीड़ दौड़ पड़ी। जो भी आता बिना कुछ समझे कुरान जलाने के नाम पर मौलवी पर टूट पड़ता। पत्थर मार–मार कर मौलवी को वहीं मौत की नींद सुला दी गई। इस्लामी उन्माद की भयानकता खुद मुस्लिम समाज को ही सुव्यस्थित मानव जीवन नहीं जीने देती है।

दिनांक 01.06.2003 दैनिक जागरण, पटना में प्रकाशित एक समाचार इसे और भी साफ कर देता है। शीर्षक था – "ईश निंदा पर मौत व मोहब्बत के अपराध पर 'सामूहिक दुष्कर्म'" – जहाँ आज भी 'ईशनिंदा' के नाम पर आरोपी को पत्थर मार–मार कर मौत के घाट उतार दिए जाने की सजा दी जाती हो, 'इज्जत' के नाम पर अपने ही घर की सैकड़ों लड़कियों की इहलीला समाप्त कर दी जाए और अदालत में मामला भी तभी चले जब परिवार वाले राजी हों, बच्चों को भी मृत्युदंड सुनाया जा सकता हो और भाई के प्यार की सजा उसकी बहन को सामूहिक दुष्कर्म के फरमान से दी जाती हो तो उस समाज को आप क्या कहेंगे ? जाहिर है कि ऐसा समाज सभ्य समाज कहलाने के लायक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में आज भी यह बदस्तूर जारी है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट यह खुलासा करती है कि किस तरह से पाकिस्तान में आज भी कठमुल्लापन हावी है और 'किसास' और 'दियात' जैसे कानूनों पर अमल होता है। सत्ता इस्लामिक गुटों के गठबंधन के हाथ में आ जाने के बाद तो इस तरह की घटना का अंदेशा और ज्यादा बढ़ गया है। भारत में अल्पसंख्यकों पर जोर–जुल्म पर हाय तौबा मचाने वाले पाकिस्तान में खुद अल्पसंख्यक शिया लोगों की जान को लाले हैं। जबकि पिछले एक साल में ही 65 पश्चिमी देश के लोगों और ईसाइयों को लक्ष्य बना कर मारा गया है। जांच के नाम पर खानापूर्ति चल रही है और कोई हत्यारा नहीं पकड़ा गया। ईशनिंदा को लेकर आज भी सदियों पुराने कानून चल रहे हैं। इसी के तहत कई लोगों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। एक रोमन कैथोलिक अनवर केनेथ को, जिसका दिमागी संतुलन भी ठीक नहीं था खुद को पैगंबर कहने के दोष में मौत की सजा सुना दी गई। इसी तरह पिछले साल जुलाई में जाहिद महमूद अख्तर को केवल इसलिए पत्थरों से मार–मार कर मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि उसने खुद को इस्लाम का पैगंबर कहा था। सबसे ज्यादा बुरा हाल औरतों का है। हर साल परिवार की इज्जत बचाने के नाम पर सैकड़ों

लड़कियों–औरतों को मार दिया जाता है। हालांकि हाल में लेघारी कबीले के प्रमुख ने इस तरह के अपराधों को गलत बताया है पर इन पर लगाम नहीं लग पाई है। पंजाब प्रांत के मीरवाला गांव में मुख्तरान बीबी के साथ सिर्फ इसलिए सामूहिक दुष्कर्म की सजा सुना दी गई क्योंकि उसके छोटे भाई का एक ऊँचे कहे जाने वाले कबीले की लड़की के साथ चक्कर चल रहा था। बाद में इस घटना को लेकर राष्ट्रीय, अंतराष्ट्रीय स्तर पर बहुत शोर मचा तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। यह ठीक है कि वहां इस तरह की घटनाओं के खिलाफ आवाज उठ रही है पर अभी पिछले साल जून में ही एक हत्या के मामले में अदालत के बाहर दो कबीले वालों ने यह समझौता कर लिया कि जिस कबीले के लोग मारे गए हैं उन्हें आठ औरतें व पैसा दिया जाएगा।"

भारत में अभी हाल में एक मुस्लिम महिला इमराना का उसके पति के पिता (स्वसुर) ने बलात्कार किया। विवाद मुस्लिम पंचायत में पहुँचा। दार–उल–उलूम–देववंद ने फतवा जारी किया कि इमराना से संबंध बनाने के कारण उसका स्वसुर उसका पति, और पति पुत्र हो गया। अब वह अपने पति के साथ नहीं रह सकती, यद्यपि फिर भी पति–पत्नी साथ रहना चाहते थे। अब उस का निकाह किसी दूसरे के साथ होगा। नया पति उससे सम्भोग करेगा, फिर तलाक देगा, तभी अपने पूर्व पति के साथ वह दुबारा निकाह कर रह सकती है। ऐसी शर्मनाक परिस्थिति और अन्याय दुनिया के किसी भी समाज में शायद ही होता है। ऐसा सिर्फ इस्लाम में ही संभव है।

प्रभात खबर, रांची दिनांक 07.07.95 की एक महत्वपूर्ण खबर इस प्रकार है–"मानवाधिकार संगठन एशिया राइट्स वाच की एक रिपोर्ट से भीषण विवाद छिड़ने की संभावना है, रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा और विध्वंश इस्लाम की शिक्षा की बुनियादी बातों में हैं।

एशिया राइट्स वाच द्वारा कुछ विद्वानों से कराये गये एक अध्ययन में कहा गया है कि मुसलमान अपनी परंपरा और शिक्षा के कारण किसी काफिर (इस्लाम में विश्वास न रखनेवालों) के साथ शांति से नहीं रह सकते हैं। भले ही मामला इस्राइल, बेरूत, बोस्निया, चेचन्या, कश्मीर या त्रिनिदाद का ही क्यों न हो। इसके अलावा इस्लाम में औरतों को महज एक चीज समझा जाता है। एशिया राइट्स वाच का कहना है कि उसने हाल में इस्लाम के अनेक विद्वानों और इतिहासकारों को संगठित किया और उनसे कहा कि वे इस्लामी सिद्धांत और आतंकवाद के बीच संबंधों को स्पष्ट करें। रिपोर्ट में विद्वानों और इतिहासकारों का नाम नहीं बताया गया है लेकिन उनके अध्ययन में इस्लाम और आतंकवाद का सारांश दिया गया है।

रिपोर्ट में जिस पर इस्लामी जगत में तीखी और आक्रामक प्रतिक्रिया होना लगभग निश्चित है, कहा गया है कि इस्लाम को अच्छी तरह जानने वाले सभी लोगों का यह कर्तव्य है कि वे इस्लाम को इसी तरह का एक धर्म बता कर लोगों को गुमराह न करें। वास्तविकता यह है कि इस्लाम एक अरब राष्ट्रवादी आंदोलन है, जिसका मकसद हिंसा के जरिये अन्य लोगों की जमीन छीनना रहा है।"

दूसरी ओर मुस्लिम इस्लामी विद्वान, मुल्ला, मौलवी, उलेमा, मुफ्ती मुस्लिम

राजनेता, राज्याध्यक्ष एवं सामान्य मुसलमान तक पूरी दुनिया को गुमराह करने में लगे हैं। उनकी जेहादी सफलता और इस्लाम–विस्तार के लिए यह आवश्यक है कि काफिर शत्रु उनकी आक्रामक योजना को न जान सकें। गैर–मुसलमानों को अंधकार में रखना तो उनके मजहब का आवश्यक निर्देश भी है, जिसे सुन्ना या सुन्नत कहते हैं। दुनिया भर में इस्लाम के सर्वश्रेष्ठ और आदरणीय अनुयायी मुस्लिम लड़ाके होते हैं, जिनको मुजाहिदीन कहा जाता है। इन्हीं को आजकल उग्रवादी, आतंकवादी, फिदाइन आदि नामों से पुकारा जाता है। ये इस्लाम के सच्चे और सर्वोच्च सेवक होते हैं। इनकी शहादत पर अल्लाह इन्हें अपने पास जन्नते फिरदौश में तुरंत जगह देता है जबकि बाकी मुसलमान कयामत के दिन तक कब्र में पडे सडते रहते हैं। एक–एक को 72–72 हूरें और मोती जैसे [illegible] मिलते हैं। वहाँ दूध, शहद, शराब की नदियाँ बहती हैं। कुँवारी हूरें मिलती हैं और अल्लाह मुजाहिदों को कभी न चुकने वाला यौन शक्ति देता है। इस प्रकार वे जन्नत में शराब पीकर हूरों के साथ बिना थके यौन सुख का आनंद उठाते रहेंगे। यौन सुख की चाह में उन्मादी युवक अंधविश्वास का शिकार बन आत्म बलिदान को तैयार हो जाते हैं। काफिरों की हत्या, लूट, औरतों का बलात्कार अपहरण आदि सभी कार्य, इनके सर्वोच्च फर्ज है। इनके कार्यों की यदि कोई मुसलमान भी निन्दा करे तो वह कुफ्र का दोषी होता है। इसलिए इनकी सभी विध्वंसात्मक गतिविधियों और कार्यों का चुप रह कर पूरा मुस्लिम समुदाय मौन समर्थन करता है। फिर भी ये गैर मुसलमानों को गुमराह करते हैं और इस्लाम को शान्ति, प्रेम और भाईचारे का मजहब बताते हैं। अपनी आदत, संस्कार और धर्म शिक्षा के प्रभाव के कारण गैर मुसलमान विशेषकर हिन्दू तुरंत विश्वास भी कर लेते हैं।

ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी ने ईरान कल्चरल हाउस, दिल्ली में, 27 जनवरी 2003, को कहा था कि "महमूद गजनवी आक्रान्ता और दुस्साहसी शासक था। उसके भारत पर 17 हमलों का इस्लाम और उसकी विचार धारा से कोई लेना देना नहीं है। गजनवी ने भारत में जो कुछ किया वह इस्लामी संस्कृति और विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता।"

(दै0 जागरण 28.10.03 "जिहाद और गैर मुसलमान" में डॉ0 कृ0 व0 पालीवाल द्वारा उद्धृत)

भारतीय इतिहास लेखक प्रोफेसर हबीब का विचार है कि "इस्लाम के अनुसार न तो आक्रमणकारी (महमूद गजनवी) का कलाकृतियों के प्रति बर्बर आचरण ही उचित था और न उसके लूट के उद्देश्य ही।" यह कथन बिल्कुल भ्रामक है। मक्का विजय के बाद काबा में स्थापित 360 मूर्तियाँ क्या कलाकृतियाँ नहीं थीं ? इन्हें पैगम्बर ने अपने हाथों तोड़कर दुनिया के मुसलमानों को सुन्नत का आदेश दिया। अर्थात पैगम्बर ने जैसा किया, वैसा करना हर मुसलमान का मजहबी फर्ज है। उसी फर्ज को पूरा करने के लिए हर मुस्लिम आक्रमणकारी मंदिरों को ध्वस्त कर मूर्तियों को तोड़ने का काम करता रहा है। यह इस्लाम का मौलिक तत्त्व है। प्रो0 हबीब की ही बातें भ्रामक नहीं है। मार्क्सवादी समझे जाने वाले हिन्दू या मैकाले शिक्षानीति से प्रभावित नेहरूवादी इतिहासकार भी ऐतिहासिक सच्चाई को विकृत करने के काम में जोरशोर से लगे हुए हैं। इसमें मुसलमानों और ईसाइयों की संस्कारित और मजहबी बुद्धि के

[illegible] बाहरी दौलत का लोभ भी काम करता है जबकि मार्क्सवादी एक पक्षीय शिक्षा और [illegible] वातावरण से प्रभावित होकर ऐसा करते हैं। अगर फातमी का कथन सही [illegible] उन्होंने भारत के उलेमाओं और मुफ्तियों को इस प्रकार का फतवा जारी करने की सलाह क्यों नहीं दी ?

सामनाथ की लूट के समय महमूद गजनवी मूर्ति को तोडने वाला ही था कि कुछ पुजारियों ने हाथ जोडकर प्रार्थना की कि मंदिर की सारी दौलत बिना किसी रुकावट के आप ले जायें पर मूर्ति को छोड दें। इस पर महमूद ने कहा,"क्या तुम चाहते हो कि मैं बुतशिकन की जगह अपना नाम बुतफरोश में लिखा लूँ" और यह कहकर उसने अपने हाथ से ही मूर्ति पर पहला प्रहार किया। इस्लाम के विषय में गैर–मुसलमानों को भ्रम में रखना उनके मजहब का भाग है इसलिए वे वैसा करते हैं। सवाल है गैर–मुसलमानों का कि वे भ्रमित होते हैं या सच्चाई को समझते हैं।

यहाँ प्रस्तुत है एक सफेद झूठ की बानगी – "आतंकवाद को इस्लाम से जोडना ओछी मानसिकता : ओबूदी"– इस्लाम और आतंकवाद में कोई संबंध नहीं है। जो लोग दोनों को जोड रहे हैं उनमें ज्ञान की कमी है। लेकिन ओछी मानसिकता के कारण ऐसे आरोप मढते हैं। यह बात मुस्लिम वर्ल्ड लीग, सऊदी अरब के उप महासचिव शेख नासिर अल ओबूदी ने शनिवार को 'जागरण' से एक विशेष भेंट में कही। वे यहाँ एक जलसा में भाग लेने आये हैं।

उन्होंने कहा आतंकवाद सामाजिक असमानता, राजनीतिक धोखाधड़ी व अनुशासन हीनता का परिणाम है। यदि इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा देता तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे महान राष्ट्रवादी पैदा नहीं होते। ......इस्लाम सहित कोई भी धर्म आतंकवाद की शिक्षा नहीं देता है........।"

(दै0 जागरण, पटना 20 मार्च 2005)

पर सत्य क्या है ? सत्य यह है कि इस्लाम और आतंकवाद का संबंध उसके संस्थापक के समय से ही है। बल्कि यों कहा जाय कि संस्थापक द्वारा ही स्थापित है। अपने विरोधियों की चुन–चुन कर धोखा से हत्या कराना और सामूहिक रूप से 800 यहूदियों को बन्दी बना कर कसाई की तरह कटवाना आतंकवाद नहीं है तो क्या प्रेमवाद है ?

इसे कहना ओछी मानसिकता है ? इसका मतलब हुआ इसकी प्रशंसा करना ऊँची मानसिकता है।

मुसलमान निश्चय ही घोर राष्ट्रवादी होते हैं। लेकिन जब वे "दारुल इस्लाम मुल्क" में होते हैं। दारुल हर्ब देश में अर्थात जहाँ इस्लामी शरीयत लागू न हो जैसे भारत, तब उनका राष्ट्रवाद उनके महजबी समुदाय से जुड जाता है न कि उस देश की सीमा, सम्पत्ति और नागरिकों से। तब उनका राष्ट्रवाद अराष्ट्रवाद और देशद्रोह तक में बदल जाता है। अबुल कलाम आजाद को मुसलमान राष्ट्रवादी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि "इस देश को जो एक बार इस्लामी सत्ता के अधीन रह चुका है, इस्लाम के लिए पुनः अवश्य ही जीता जाना चाहिए।" निश्चय ही उन्होंने इस्लामी राष्ट्रवाद का पालन किया और काफिर गाँधी–नेहरू को खूब मूर्ख बनाया।

वे हिन्दुओं के लिए राष्ट्रवादी कदापि नहीं थे।

भारत के किसी नागरिक की तुलना में कश्मीर के लोगों की सुख सुविधा के लिए भारत सरकार कई गुना (यह बहुत ज्यादा है) खर्च करती है। वहाँ की मुस्लिम सरकार हिन्दू बहुल जम्मू और बौद्ध बहुल लद्दाख पर नाम मात्र का खर्च कर पूरी राशि मुस्लिम बहुल कश्मीर घाटी में खर्च कर डालती है, पर हिन्दू और बौद्ध आतंकवादी नहीं होते, आतंकवादी होते हैं मुसलमान। इसलिए असमानता, राजनीतिक धोखाधड़ी व अनुशासनहीनता का परिणाम न होकर यह मजहब की शिक्षा और संस्कार का परिणाम है। सारी दुनिया में आतंकवाद का पर्याय बने मुसलमान इस बात को सही सिद्ध करते हैं। मुस्लिम आतंकवाद का मजहबी विधान के अनुसार विरोध न कर, पूरा मुस्लिम समुदाय ही आतंकवाद का समर्थन करता है। ओबूदी भी अपने मजहब के पालन में ही गैर–मुसलमानों को धोखा में डालने के लिए इस झूठ को चिकना बना कर कहते हैं। ओबूदी की पूरी की पूरी बात ही असत्य पर आधारित है।

सच्चाई यह है कि सभी शामी (Semetic) मजहब आतंकवाद से किसी न किसी रूप में अवश्य जुड़े हुए हैं। पर इस्लाम तो पूरा का पूरा ही आतंकवाद है क्योंकि यह पैगम्बर के कारनामों से सीधा जुड़ा हुआ है। पैगम्बर ने यह साफ कहा है कि 'लड़ाई धोखाबाजी है।' इसके साथ इस्लाम विस्तार की जेहादी कार्रवाई तब तक चलाने का हुक्म दिया है जबतक पूरी दुनिया ही इस्लाम में न बदल जाय।

"तुम उनसे लड़ो यहाँ तक कि फितना (कुफ्र का उपद्रव) शेष न रह जाय और दीन (मजहब) अल्लाह ही का हो जाय। अतः यदि वे बाज आ जायँ तो अत्याचारियों के अतिरिक्त किसी के विरुद्ध कोई कदम उठाना ठीक नहीं।" (कु0 2 : 193)

वे किताब वाले जो न अल्लाह पर ईमान रखते हैं और न अंतिम दिन पर और न अल्लाह और न उसके रसूल के हराम ठहराए हुए को हराम ठहराते हैं और न सत्य धर्म (इस्लाम) का पालन करते हैं, उनसे लड़ो, यहाँ तक कि वे सत्ता से विलग होकर और छोटे (अधीनस्थ) बनकर जजिया देने लगें। (कु0 9 : 21)

मुहम्मद ने उमर के समक्ष यह घोषणा की, "मैं यहूदियों और ईसाइयों को अरब प्रायद्वीप से निकाल बाहर करूँगा। यहाँ मुसलमानों के अतिरिक्त कोई नहीं रहेगा।" (सहीह मुस्लिम 4366)

अबू हुरैरह का कथन है, "हमलोग मस्जिद में बैठे थे कि अल्लाह के रसूल पधारे। उन्होंने कहा कि यहूदियों के पास चलो। हमलोग चल पड़े.....पैगम्बर ने उनको बाहर बुलाया और कहा कि ऐ यहूदियों ! इस्लाम स्वीकार कर लो। तभी सुरक्षित रह सकोगे। जब उनका उत्तर संतोषजनक नहीं मिला तब उन्होंने उनको चेतावनी देते हुए कहा, तुमको जानना चाहिए, यह पृथ्वी अल्लाह और उसके रसूल की है, मैं यहाँ से तुम लोगों को खदेड़ कर ही दम लूँगा।" (स0मु0 4363)

मुझे लोगों से तब तक युद्ध करते रहने का (अल्लाह से) आदेश मिला है जब तक कि वह यह सत्यापित न करने लगें कि अल्लाह के अतिरिक्त दूसरा कोई उपास्य नहीं है और मुझमें अल्लाह का रसूल (संदेश वाहक) होने के नाते और उस सब में जो मेरे द्वारा लाया गया है विश्वास न करने लग जायँ। (स0मु0 31)

"निःसंदेह अल्लाह ने ईमान वालों (मुसलमानों से उनके प्राणों और उनके माल को इसके बदले में खरीद लिया है और उनके लिए जन्नत है, वे अल्लाह के मार्ग में लड़ते हैं तो मारते भी हैं और मारे भी जाते हैं" (कु0 9:11)

".....निःसंदेह काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं।" (कु0 40:101)

"हे ईमान लाने वालों! .....और 'काफिरों' को अपना मित्र मत बनाओ, अल्लाह से डरते रहो यदि तुम ईमान वाले हो।" (कु0 5:57)

"फिटकारे हुए, (गैर मुस्लिम) जहाँ कहीं पाए जायेंगे पकड़े जायेंगे और बुरी तरह कत्ल किये जायेंगे।" (कु0 33:61)

"तो फिर, जब हराम के महीने बीत जायें तो मुश्रिकों (मूर्ति पूजकों) को जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो और पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वे तौबा कर लें, नमाज कायम करें और जकात दें तो उनका मार्ग छोड़ दो। निःसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है।" (कु0 9:5)

"जब काफिरों से तुम्हारी मुठभेड़ हो तो गर्दनें काटो। यहाँ तक कि जब खूब अच्छी तरह उनका (जोर तोड़कर) कत्ल कर चुको तो बचे हुओं की मजबूती से मुश्कें कस लो। फिर (कैद करने के) बाद या तो एहसान रखकर या (बदला) फिदयः (अर्थ दण्ड) लेकर छोड़ दो यहाँ तक कि (दुश्मन) लड़ाई के हथियार डाल दें।... (कु0 47:4)

पाकिस्तानी सेना के अवकाश प्राप्त ब्रिगेडियर एस0 के0 मलिक ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक "कुरानिक कनसेप्ट ऑफ वार" में लिखा है – "जेहाद कुफ्र के विरुद्ध राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, गृह और अन्तर्राष्ट्रीय मोर्चा पर लड़ी जाने वाली सदा चलते रहने वाली लड़ाई है। सशस्त्र युद्ध तो उसके अनेक तरीकों में से एक है। जेहाद हर मुसलमान का निजी और सामूहिक फर्ज है।"

जेहाद मुसलमान का सर्वोच्च निजी और सामूहिक फर्ज है। यह हर मोर्चे पर लड़ी जाने वाली और निरंतर चलने वाली लड़ाई है। लड़ाई धोखाबाजी है। इस कारण आतंक के साथ–साथ छल–कपट मुस्लिम जीवन का अभिन्न भाग बन जाता है।

इस्लाम के आतंकवादी चरित्र को साफ करते हुए उसने लिखा – "शत्रुओं को आतंकित कर देना केवल साधन ही नहीं साध्य भी है। एक बार विपक्षी के मन में आतंक बैठ जाता है तो करने को कुछ विशेष नहीं रह जाता।.....रणनीति चाहे कोई भी उपयोग में लायी जाय वह शत्रु के हृदय में आतंक उत्पन्न करने में समर्थ होनी चाहिए।" उसी आतंक की राह पकड़कर इस्लाम अपने जन्म से यहाँ तक पहुँचा है। भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी जेहाद के ही नाम पर आते थे और इस्लामी प्रावधानों के अनुसार ही आतंक की सारी कार्रवाई करते थे। हिन्दुओं का कत्ल कर उनके सिरों का मीनार बनाते थे। ये सैनिक ही नहीं सामान्य नागरिक होते थे। उद्देश्य होता था, बर्बर और क्रूर आचरण से शत्रु को आतंकित करना जिससे वे पहले ही इतना भयभीत हो जायँ कि आतंक के सामने समर्पण कर दें। हिन्दू मर्दों, औरतों और बच्चों को बंदी बना कर यातना देते हुए नगरों में घुमाना, औरतों से व्यभिचार करना, फिर उन्हें अपने मुल्क के बाजारों में ले जाकर बेचना, मंदिरों को ध्वस्त कर मूर्तियों को तोड़ना फिर

उन्हें मस्जिद के फर्श और सीढ़ियों में जुड़वाना, मूर्तियों के टुकड़ों का मांस तौलने का बाट बनाना आदि काम उन्हें आतंकित करने और मानसिक रूप से तोड़ देने के लिए ही किया जाता था। इससे अधिक और क्या किया जा सकता था ?

हिन्दुओं को समझ लेना चाहिए कि मुसलमान अपने उसी राह पर हैं। वे तनिक भी उससे विचलित नहीं हुए हैं। वे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म का पालन करना कभी नहीं त्याग सकते हैं। उनकी कथनी और करनी कभी एक नहीं हो सकती। वे अल्लाह के रसूल के सिद्धांत "लड़ाई धोखाबाजी है" का कभी त्याग नहीं कर सकते हैं। .....मूर्ति पूजकों को जहाँ पाओ कत्ल करो और पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो।..... (कु0 9:5)" के पालन में ही मुसलमान हर शहरों–बाजारों में वैसी जगह बसते हैं जहाँ से काफिरों को आसानी से घेरा जा सके और अल्लाह के हुक्म के अनुसार उन्हें पकड़ कर जेहाद के समय उनकी हत्या की जा सके।

मुंबई में 1993 में अनेक विस्फोट कर 800 लोगों की जान ले ली गई। तब से लेकर आज तक वहाँ अनेक विस्फोट हुए हैं, ट्रेनों में, बसों में, बाजारों में और सैकड़ों लोग मौत के मुँह में समा गये। कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। इसके विरोध में कोई फतवा जारी नहीं हुआ। अक्षरधाम (अहमदाबाद) और जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर हमला कर सैकड़ों की जान ले ली गई। पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों पर हमला कर उनकी हत्याएँ की गईं। गोधरा काण्ड में, साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बों में तेल छिडककर 59 रामभक्तों पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को जिन्दा जला दिया गया। भारत की संसद पर दिन दहाडे हमला हुआ। संयोग से वे सफल नहीं हुए वरना सभी मंत्री और सांसद बंधक बन चुके होते। जान बचाने के लिए ये इस देश का ही सौदा कर लेते। जम्मू कश्मीर में रोज-रोज आतंकवादी हत्याएँ हो रही हैं। छिटपुट घटनाएँ तो देशभर में घट रही हैं। यही जेहाद है। जेहाद चल रहा है। पूरे देश को आतंकित कर एक साथ इसके चपेट में लेने की जोरदार तैयारी चल रही है।

लेकिन हिन्दू समाज, सामाजिक स्तर पर कभी यह विचार नहीं करता कि यह सब क्यों हो रहा है। निर्दोष, अनजान, असावधान और धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोगों तक की मुसलमान क्यों हत्याएँ करते हैं। हिन्दुओं के लिए इस प्रकार की बर्बर और क्रूर आतंक की घटनाएँ तब तक मनोरंजक समाचार बनती हैं जब तक कि वैसी ही घटनाएँ उनके आसपास नहीं पहुँच जाती हैं। जब ये घटनाएँ उनके आसपास घटने लगती हैं तब उन्हें अपनी उदासीनता, असावधानी और उपेक्षा भाव का भाव समझ में आता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ तो नष्ट हो जाते हैं और शेष भेंड़, बकरियों की तरह पुनः चरने (जीविका अर्जन) में रम कर रह जाते हैं। लगता है उनके लिए धन जुटाना ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। हजार वर्ष का हिन्दू इतिहास इस कमजोरी को दिखाता है। आज वे धन जुटाने में लगे हैं। अपने आद–औलाद को आगे बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के दुष्कर्म के साथ सुविधा जुटाने में व्यस्त हैं। अपने ही भाई बंधुओं की ठगी, बेईमानी, चोरी, रिश्वतखोरी से हानि पहुँचा कर अपना और बाल बच्चों के लिए दिन–रात कमाई में लगे हैं। बड़े–बड़े नौकरशाह

और सत्तासीन राजनीतिज्ञ का पेट तो इतना बड़ा हो गया है कि भरता ही नहीं है। व्यापारी, उद्योगपति से लेकर सभी प्रकार के पेशेवर लोग उसी धुन में लगे हैं। पूरे हिन्दू समाज की यही स्थिति है। वह स्वार्थ में पशु बन गया है। जिस प्रकार पशु को अपने सामने की घास से अधिक का कोई ज्ञान नहीं होता। वह अपना पेट भरता है और आराम करता है। फिर भूख लगने पर वही काम करता है। उसे नहीं पता होता है कि उसे बंधन में जकड़ कर उससे काम लिया जायेगा कि उसकी हत्या कर उसके मांस का भक्षण किया जायेगा। इस सबसे बेपरवाह वह सिर्फ पेट भरना जानता है।

आदमी को बुद्धि होती है इसलिए वह भोजन एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए साधन जुटाने, उसका संग्रह करने, शिक्षित होने, स्वस्थ रहने की व्यवस्था के अलावा अपनी अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुरक्षा की भी साथ–साथ तैयारी करता है। कोई समुदाय जब धन–अर्जन और धन–संग्रह तक ही सिमट जाता है उसके सारे क्रियाकलाप वैयक्तिक और सामाजिक स्तर पर बस उसी के आसपास केन्द्रित हो कर रह जाते हैं, तब उसकी वृत्ति, पशुवृत्ति बन जाती है। अब उसे सिर्फ तात्कालिक और निकटस्थ आर्थिक स्वार्थ की पूर्ति में ही आनन्द आने लगता है, उसी में रम जाता है, और उसके अतिरिक्त उसे कोई चर्चा अच्छी नहीं लगती है। वह अपना समय महत्वपूर्ण आत्मविकास एवं आत्मसुरक्षा के लिए भी नहीं निकाल पाता है, जिसका स्वरूप विशेषकर सामाजिक हो। उसे पूरे समाज के हित से कोई मतलब नहीं रह जाता है; भले ही पूरे समाज के हित के साथ उसका अपना हित भी जुड़ा हो। आज हिन्दू समाज के ऊँचे से ऊँचे तबके के लोग इसी नीचाई के स्तर पर जी रहे हैं। आध्यात्मिक और बौद्धिक स्तर के लोग भी।

यही कारण है कि उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कश्मीर के हिन्दू अपने ही देश में, जहाँ उनकी सुरक्षा के लिए इस देश की शक्ति, सेना के रूप में लगी है, क्यों अपना सबकुछ खोकर दर–दर की ठोकरें खा रहे हैं। आतंक की ये घटनाएँ क्यों हो रही हैं। इसके पीछे कौन से तत्व काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य क्या है ? इनकी तैयारी कैसी है ? पूरे देश में जब एक साथ वही सबकुछ शुरू होगा तब उनका यह धन किस काम आयेगा ? सामाजिक स्तर पर पूरे हिन्दू समाज को एकत्रित कर हर मुहल्ले, बस्ती, टोले, नगर, महानगर में इस विषय पर विचार–विमर्श करने का सिलसिला क्यों नहीं हो पा रहा है ? यह ध्यान रखना होगा कि हजारों जातियों, सैकड़ों सम्प्रदायों, भाषाओं, क्षेत्रीय संस्कारों, रीति–रिवाजों के बावजूद सारा हिन्दू समाज एक ही धार्मिक सांस्कृतिक विरासत का अंग है। सबको कैसे जोड़ कर चट्टान की एकता में बदल दिया जाए ताकि इसे मिटाने के मंसूबों के साथ कार्य में लगे मजहबों को अपने नापाक इरादों में सफलता नहीं मिले, इस पर पूरे हिन्दू समाज को मंथन करना जरूरी है। फिर अपनी कमजोरियों को पहचान कर सामूहिक और संगठित रूप से कौन से और किस प्रकार के कार्यक्रम बनाए जायँ और उन्हें कार्यरूप दिया जाय ये सभी विचार–विमर्श के विषय हैं। इसकी विवेचना करने पर जो परिस्थिति दृष्टिगोचर होती है उस पर संक्षेप में टिप्पणी करते हुए आगे उसके लिए कुछ उपायों पर विचार करना उचित होगा।

भाग - II

हमारे अस्तित्व संकट की कौन–कौन प्रमुख समस्याएँ हैं ? ये हैं – (1) इस्लाम (2) ईसाइयत और (3) आंतरिक कमजोरियाँ। इनके विषय में ऊपर मोटा–मोटी इतना विचार किया जा चुका है जिससे इनके द्वारा उत्पन्न हिन्दू समाज के अस्तित्व के संकट की एक रूप रेखा का आभास हो जाता है। इनसे निपटने में हमारी आंतरिक कमजोरियाँ प्रमुख कारण हैं। इन्हीं कमजोरियों को ढूँढना और दूर करना हमारा कर्तव्य है। हमारे लिए इस विषय पर विचार करना और उसके स्थाई समाधान के लिए नीति निर्धारित करना, कार्यक्रम बनाना और उस कार्यक्रम पर अमल करना हमारे जीवन में जितने महत्वपूर्ण काम हो सकते हैं उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह अस्तित्व का सवाल है। यह सवाल है, हमारे प्रियजनों की जिन्दगी का, यह सवाल है हमारी पीढ़ियों की अर्जित सम्पत्ति का, यह सवाल है हमारी महिलाओं के अस्मत का, यह सवाल है हमारे धर्म–सम्प्रदाय का, यह सवाल है हमारी संस्कृति का और इस प्रकार यह सवाल है हमारे सम्पूर्ण अस्तित्व का। इससे बढ़कर हमारे लिए और कौन–सा विषय महत्वपूर्ण हो सकता है ?

इस्लाम और ईसाइयत का सिद्धांत, भारत में इनका आक्रमण, हिन्दुओं पर इनके बर्बर अत्याचार और भारत में विस्तार पर व्यापक प्रकाश डालते हुए मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों, आधुनिक, विदेशी और स्वदेशी विद्वानों द्वारा बहुत पुस्तकें लिखी गई हैं। इनके अध्ययन और पहले के और आज के मुस्लिम ईसाइयों के कार्य–कलापों से सारी स्थिति साफ हो जाती है। विस्तारवादी चरित्र और विदेशी सहायता, जो सैनिक शक्ति और धन के रूप में प्राप्त होती रही है, के अतिरिक्त हमारी सामाजिक व्यवस्था की कमजोरियाँ और सामाजिक रूढ़ियाँ बहुत हद तक जिम्मेवार रही हैं। हमारे पास अतीत होता है, जिसे हम देखते हैं और जिससे कुछ सीख सकते हैं पर कुछ कर नहीं सकते। हमारे पास वर्तमान होता है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं और अपनी पीढ़ियों के भविष्य को सुखमय बना सकते हैं।

भारत का 95 प्रतिशत मुस्लिम और ईसाई समुदाय हमारा अपना ही खून है। विदेशी आक्रमणकारियों ने उन्हें मुसलमान बनने पर मजबूर किया था। उनके पूर्वज भारी विपत्ति, विध्वंश, आतंक, बर्बरता और क्रूरता पूर्ण यातना झेल कर मुसलमान बने थे। लेकिन हमारे पूर्वजों ने उनके घावों पर मरहम नहीं लगाया, उनके आँसू नहीं पोंछे. उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा नहीं बनाया। मिथ्या श्रेष्ठता का दम्भ पाले सामान्य मानवीय करुणा की संतवृत्ति से भी च्युत हो गये। श्रेष्ठता के ढोंग में क्षुद्रता को अपनाये फिरते रहे। उन्हें जाति बहिष्कृत और अछूत बनाया। उन्हें आत्मसात करने से इनकार किया। रूढ़ियों और अज्ञानता में फँस कर अपने ही बंधु–बांधवों को छोटी–छोटी बातों पर म्लेच्छ बनाते रहे। उनके लिए इस्लाम में शामिल होकर रहने के सिवाय अब और कोई मार्ग नहीं बचा था। वे मुसलमान बने। इस्लाम के नियमों, सिद्धांतों और संस्कारों के प्रभाव से कट्टर मुसलमान बन गये। अब वे उसके अभ्यस्त बन गये हैं। उनमें उससे बाहर निकलने का कोई विचार पैदा नहीं हो सकता। फलतः वे इस्लामी

प्रावधानों के अनुसार मजहबी फर्ज का पालन करते हुए भारत को "दारुल इस्लाम बनाने, ताकि हिन्दुओं का बलात् धर्मान्तरण किया जा सके, के काम में जुट गये हैं। उनके मजहब के प्रावधानों के अनुसार यदि उनका अस्तित्व बना रहा तो हिन्दुओं का अस्तित्व का मिटना निश्चित है। यहाँ संदेह की कोई जगह नहीं है। इसके तरीकों की जानकारी ऊपर दी जा चुकी है। सिर्फ विवाद इस आकलन में हो सकता है कि इसमें कितना समय लगेगा और यह किस प्रकार सम्पन्न होगा। बीच का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ हिन्दुओं को निर्णय लेना होगा कि वे स्वयं मिटने को तैयार हैं या अपने भाइयों को, जो मुसलमान और ईसाई नाम से जाने जाते हैं, उनके मजहबों से मुक्त करा कर अपने में आत्मसात करेंगे। वह समय निश्चित रूप से आना है जब या तो हिन्दू रहेंगे या मुसलमान। एक को मिटना होगा। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कबूतर के आँख बन्द कर लेने से बाज उसे छोड़ नहीं देगा।

कश्मीर में मुस्लिम शासन से त्रस्त होकर धार्मान्तरित हुए कश्मीरियों ने पुनः हिन्दू धर्म में वापस आने की बहुत चेष्टा की थी। पंडितों ने उन्हें वापस लेने से इनकार कर दिया। बल्कि दबाव बना कर पुनः हिन्दू बनने से रोका। आज उनके वंशजों की दुर्गति पूरी दुनिया देख रही है। पुत्र की हत्या, बेटी का बलात्कार, सम्पत्ति की लूट सब कुछ अपनी आँख से देखकर वे आज जीवन विहीन बन चुके हैं। उनके लिए अब जीवन का कोई अर्थ नहीं है। उनके पूर्वजों ने मिथ्या पवित्रता और झूठी बड़ाई के लिए अपने वंशजों का सर्वनाश कराया। यदि वे धर्मान्तरितों को पुनः अपने धर्म में शामिल कर आत्मसात कर लिए होते तो आज कश्मीर हिन्दुओं का होता और उनके वंशज सुख चैन का जीवन जी रहे होते। किन्तु जो समाज मूर्खों को ज्ञानी समझ लेता है और उसे अपने सामाजिक जीवन रूपी नौका का पतवार थमा देता है, उसका निश्चय ही विनाश होता है। जैसे कश्मीरी पंडितों के समाज का होकर रहा।

यह बात केवल उस समय के कश्मीरी पंडितों का ही नहीं है, आज के पूरे हिन्दू समाज की स्थिति वही है। अन्य धर्मावलम्बियों को अपने धर्म में शामिल करने के सभी दरवाजे आज तक बंद कर रखे गये हैं। विवेकशील, विद्वान और ज्ञानी धर्माचार्यों को संकीर्णता और रूढ़ियों से बाहर निकलकर अन्य धर्मावलम्बियों को अपने धर्म में मिलाने कें प्रचार का काम जोर–शोर से हाथ में लेना होगा। रूढ़िग्रस्त, अज्ञानी और मूर्ख गुरुओं का त्याग करना होगा। अन्यथा पूरे हिन्दू समाज का वही हश्र होकर रहेगा, जो कश्मीरी पंडितों का हुआ।

यदि मुसलमान या ईसाई विशेष प्रयास न भी करें तब भी एक दिन वे छा जायेंगे और हिन्दू समाज समाप्त हो जायेगा। दो जल–पात्रों की कल्पना करें, एक में बूँद–बूँद जल भर रहा है और दूसरे से बूँद–बूँद जल निकल रहा है। एक समय आयेगा जब खाली पात्र भर जायेगा और भरा पात्र खाली हो जायेगा। इसलिए यदि हिन्दू समाज को जीवित बचना है तो उसे दूसरों को अपने में शामिल करने की व्यावहारिक कार्रवाई तुरंत शुरू करनी पड़ेगी। इस्लाम और ईसाइयत के विस्तार का जो तरीका है वे उसे छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए हिन्दू समाप्ति का समय बहुत दूर नहीं है।

प्रसंगवश इसे समझ लेना उचित होगा कि इस्लाम विस्तार के लिए मुसलमानों की सर्वाधिक प्रेरणाप्रद व्यवस्था अल्लाह का वादा है—

अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों (लूट का माल) देने का वादा किया है कि तुम उन्हें पाओगे..... (कु0 48:20)

और औरतें जो (किसी के) निकाह में हैं (वे भी तुम पर हराम हैं) सिवाय उनके जो (कैद होकर) तुम्हारे अधिकार में आई हों। अल्लाह के ये हुक्म तुम पर (फर्ज) हैं।..... (कु0 48:24)

लूट की सम्पत्ति और लूट की औरतें ये ही दो प्रोत्साहन–पुरस्कार इस्लाम विस्तार के लिए इस लोक में प्राप्त कराने का कुरान के अल्लाह ने वादा किया है जिसके कारण मुसलमान जेहाद के लिए बहुत इच्छुक और उत्साहित रहते हैं। अल्लाह के इन्हीं पुरस्कारों के कारण दुनियाँ में इतनी तेजी से इस्लाम का विस्तार हुआ। आगे भी वे इस अवसर का यथाशीघ्र लाभ पाने के लिए तेजी से जनसंख्या विस्तार और हथियारों के संग्रह में लगे हैं।

लूट के माल और लूट की औरतों का मुसलमानों के लिए महत्व और अधिकार के संबंध में और स्पष्टीकरण के लिए एक–दो घटनाओं का वर्णन करना उचित होगा।

एक घटना में, जिहाद के क्रम में एक काफिर का सारा धन लूट कर मुसलमान ले आये। वह काफिर तुरंत मुसलमान बन गया। तत्कालीन खलीफा उमर के यहाँ वह फरियाद लेकर गया कि वह मुसलमान बन चुका है, इसलिए लूटा हुआ उसका धन दिला दिया जाय। खलीफा ने पूछा कि "तुम्हारा धन तुम्हारे मुसलमान बनने से पहले लूटा गया या बाद में', उसने बताया, "पहले"। खलीफा उमर ने फैसला दिया कि चूँकि धन काफिर रहते हुए लूटा गया इसलिए उसका अधिकारी लूटने वाला मुसलमान हुआ; क्योंकि काफिर का लूटा माल लूटने वाला मुसलमान का होता है। उस नव मुस्लिम को उसका धन वापस नहीं मिला।

दूसरी घटना मुहम्मद साहब के समय की है। हुनैन की लडाई में काफिरों की सारी सम्पत्ति और उनकी औरतों–बच्चों को मुसलमान जीत कर ले गये। काफिरों ने उसके बाद इस्लाम स्वीकार कर लिया और अपने परिवार तथा धन को वापस करने की माँग की। मुहम्मद साहब के बहुत कहने पर मुसलमान उनकी औरतें–बच्चे या धन दोनों में एक देने पर राजी हुए। वे धन छोड कर अपना परिवार ले गये।

लूट का माल मुसलमानों का अधिकार होता है जिसे अल्लाह ने दिया है। मुस्लिम विद्वान अनवर शेख ने अपनी पुस्तक "इस्लाम–काम–वासना और हिंसा" में इस्लाम विस्तार का कारण हिंसा और काम वासना को प्रोत्साहन देना बताया है। इस विषय में कही से भी संदेह की जगह नहीं रह जाती है। जिन के पास धन है और सुन्दर औरतें हैं उन पर ही अल्लाह के वादा के अनुसार धन और औरतें प्राप्त करने के लिए मुसलमानों का ध्यान विशेष रूप से केन्द्रित होता है। जेहाद की पहली कार्रवाई उन्हें ही मिटाने की होती है। इसका दो लाभ होता है। समाज के सबसे प्रभावशाली, प्रतिष्ठित और सम्पन्न परिवारों के अपमान, पराजय और विनाश के बाद

तो पूरा समाज ही आतंकित और भयभीत हो जाता है। फिर उनको समाप्त करने के लिए बहुत कुछ करना शेष नहीं रह जाता है जैसा "कुरानिक कन्सेप्ट ऑफ वार" में ब्रिगेडियर एस0 के0 मलिक ने कहा है। दूसरा प्रत्यक्ष लाभ धन और औरतों की प्राप्ति का होता है। मुसलमान काफिरों के धन और औरतों का आपस में पहले ही बँटवारा कर लेते हैं ताकि बाद में आपस में विवाद न हो । देश–विभाजन के समय जिन इलाकों से मुसलमानों को भागना पड़ा था, उनके घरों की तलाशी में ऐसी सूचियाँ मिली थीं जिनमें मुसलमानों का नाम और उनके सामने हिन्दू–सिक्ख लड़कियों–महिलाओं का नाम–पता लिखा था। इसका उद्देश्य था हिन्दुओं –सिक्खों के कत्ले आम के बाद उनकी औरतों के बँटवारे में आपसी विवाद से बचना। इसलिए इसे पहले से ही तय कर लिया गया था। हिन्दुओं के घर–घर में इनकी पहुँच रहती है जबकि हिन्दू इस सबसे बेखबर रहते हैं।

पूरा मुस्लिम समुदाय एक ऐसे मजहबी चैनल का भाग बन चुका है कि उसे सहजता से उससे मुक्त नहीं कराया जा सकता है। यदि अपने परिवार का कोई सदस्य किसी बुरी संगति, मानसिक असंतुलन या मादक पदार्थ के सेवन का अभ्यस्त बन, परिवार का शत्रु बनता है या असंतुलित बन हानिकारक बनता है तो परिवार के बाकी सभी लोग मिलकर उसे सुरक्षित पकड़ कर उपचार की व्यवस्था करते हैं। हिन्दू समाज को उसी भावना से निपटना होगा।

लेकिन यह काम अत्यन्त कठिन है। खूँखार बने प्रियजन को सुरक्षित नियंत्रित करने के लिए उससे पाँच गुनी अधिक शक्ति रखनी पड़ती है। हिन्दू समाज को यही करना होगा। सबसे पहले हिन्दू समाज को स्थिति की सही जानकारी देने का काम हाथ में लेना होगा। यह काम सामूहिक प्रयास से ही सम्भव है। इस देश के वैसे सभी लोगों को एक मंच पर इकट्ठा करना होगा जो सारी स्थिति की समझ रखते हों और जिनको हिन्दू हितों की चिन्ता हो। आज हिन्दू समाज के सभी तरह के लोगों में हिन्दू विरोध द्वारा अन्य लोगों के प्रति उदारता और सहिष्णुता का दिखावा करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। इसमें हिन्दू साधू–संत, धर्माचार्य, पंड़ित, पुजारी, बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ, समाजिक कार्यकर्ता, सांस्कृतिक संगठन संचालक आदि के साथ ही पूरे हिन्दू समाज के सभी पेशा और श्रेणी के लोग शामिल हैं। हिन्दू ही हिन्दू हितों का घात करने के लिए तैयार हैं। कारणं सिर्फ अज्ञानता और अंधस्वार्थ है। इस विकट परिस्थिति में जो जागृत हैं उनका यह स्वतः कर्तव्य हो जाता है कि सोये हुओं को जगायें।

एक घटना में, तीन शराबी नशे में रेल पटरी के समतल पर लेट गये। थोड़ी ही देर में ट्रेन की सीटी सुनाई पड़ी। उसमें एक ने कम पी थी। वह जग गया और शीघ्रता से दोनों को झकझोर कर कहा, "रेल की पटरी पर सो गये हो, जल्दी उठो गाड़ी आ रही है, कट कर मर जाओगे। एक ने गाली देते हुए कहा क्यों नींद में खलल डालता है, उसकी इतनी हिम्मत कि मुझे काटेगी ? दूसरे ने उसे पत्थर मारते हुए कहा, अरे मूर्ख वह बगल से चली जायेगी ? सोजा। अपने फूटे माथे को पकड़े हुए दोनों को खींचकर पटरी से हटाया। जैसे ही हटाया गाड़ी पार कर गई। गाली और पत्थर के

चोट से क्रुद्ध होकर यदि उन्हें छोड़ देता तो क्या वह स्वंय को माफ कर पाता ! आजीवन उसकी आत्मा उसे हत्या का अपराधी कहकर कोसती नहीं !इसलिए पहले जगने वाले का स्वतः कर्तव्य होता है कि वह दूसरों को भी जगावे। यह हिन्दू समाज शराबियों की तरह रेल की पटरी पर सोया हुआ है, जागृत लोगों का कर्तव्य है कि इसे जगावें, अन्यथा यह नष्ट होकर रहेगा।

आर0एस0एस0, विश्व हिन्दू परिषद्, हिन्दू महासभा और अन्य छोटे–बड़े संगठन, राजनीतिक दल, हिन्दू धर्म के विभिन्न सम्प्रदाय, वनवासी, पर्वतीय लोगों, सिक्ख, जैन, बौद्ध अनेक पंथ के साधू–संत, महात्मा, कथावाचक, उपदेशक सभी मिलकर एक छत्र के नीचे जमा हों। सबसे पहले इनलोगों को ही विधिवत शिक्षित करने का काम करना होगा। इनके लेखों, वक्तव्यों, प्रवचनों, उपदेशों से यह पता चलता है कि इन्होंने इस्लाम और ईसाइयत के खतरों की गम्भीरता को आजतक समझने का प्रयास नहीं किया। ये सर्वधर्म समभाव, सहिष्णुता, बसुधैव कुटुम्बकम् आदि की बातें करते हैं। हिन्दुओं को बताते हैं कि सभी धर्म प्रेम, सत्य और न्याय की शिक्षा देते हैं कोई धर्म हिंसा नहीं सिखाता। इन धर्माचार्यों की बातें सुनकर ईसाई और मुसलमान इनकी अज्ञानता पर मुस्कराते हैं। ये लोग न तो ईसाइयत और इस्लाम का ही अध्ययन करते हैं और न ही अपने ही धर्म की आत्मा का ज्ञान रखते हैं। श्री राम और श्रीकृष्ण दोनों ईश्वर के अवतार के रूप में हिन्दू मानस में श्रद्धा और आस्था के केन्द्र हैं। दोनों ने ही अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़ा होकर सशस्त्र युद्ध द्वारा अत्याचारियों का अंत किया। अन्याय और अधर्म के विरुद्ध सशस्त्र संग्राम में शामिल होना और अत्याचारियों का विनाश करना ही हिन्दू धर्म की आत्मा है। धर्म और न्याय की रक्षा करना ही परम कर्तव्य है। लेकिन आज के भ्रमित महात्मा अहिंसा का नकारात्मक पाठ पढ़ाकर समाज को कायर बनाते रहते हैं। वे अन्यायी और अधर्मी का विनाश करने की बात कभी करते ही नहीं हैं। इसलिए हर स्तर पर ज्ञान प्रकाश का काम करना होगा। सदाचारी और दुराचारी का भेद किये बिना सबके लिए एक ही व्यवहार की बात करना अपने आप में अधर्म है। सदाचारी की रक्षा के साथ दुराचारी का विनाश करना भी धर्म है। यह काम आगे बढ़कर कोई संगठन करे। गोष्ठियाँ, सभाएँ, सम्मेलनों या अन्य प्रचार माध्यमों, पत्र–पत्रिकाओं और पुस्तकों के व्यापक प्रचार–प्रसार द्वारा शहर–शहर, गाँव–गाँव और घर–घर तक इनको पहुँचाने का कार्यक्रम चालू करना होगा। यदि हिन्दू संगठनों ने इस दिशा में समुचित प्रयास किया होता तो आज तक पूरा हिन्दू समाज सजग हो गया होता। आज पूरा समाज जो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वालो सिरफिरों की जमात जैसा दिख रहा है, वैसा न होता। आज हिन्दू समाज के हिन्दू विरोधियों का कहीं अतापता नहीं होता, हिन्दू हित रक्षक सरकार होती और भारत हिन्दू राष्ट्र घोषित हो चुका होता। अब इस काम में देर करना आत्मघात होगा।

न्याय, प्रशासन,सेना और पुलिस को प्रथम लक्ष्य बना कर पूरे समाज को ही शिक्षित करने की आवश्यकता है। इस काम में अनेक कठिनाइयाँ हैं। उसकी चिन्ता

न कर, आवश्यकता है सिर्फ लगने की। इस्लाम और ईसाई समुदाय को बाहर से अकूत धन विदेशों से मिल रहा है। यह सुविधा हिन्दुओं को नहीं है। मादक पदार्थों की बड़ी पैमाने पर तस्करी पड़ोस के मुस्लिम देशों की मदद से होता है। उसके लिए भारत के मुस्लिम समाज की सुरक्षित बस्तियों में वे इस व्यापार को गुप्त तरीके से चलाने की व्यवस्था करते हैं। इस व्यापार से मुस्लिम देशों को सीधा लाभ मिलता है। उसके बाद दूसरा लाभ भारत के उन मुसलमानों को मिलता है जो इस व्यापार से जुड़ते हैं। इन मादक पदार्थों में अफीम, हिरोइन, ब्राउन सुगर आदि होते हैं। व्यापार हिन्दू बहुल इलाकों में होता है। लाभ की आशा में इस्लामी षड्यंत्र से अनजान हिन्दू युवक भी इस व्यापार से जुड़ कर हिन्दू समाज में इन मादक वस्तुओं को खपाते हैं। हिन्दुओं का आर्थिक नुकसान भी भारी पैमाने पर होता है। उससे भी भयंकर क्षति बड़े पैमाने पर युवकों के नशेड़ी होकर बर्बाद होने के कारण होता है। उनके घर के घर उजड़ रहे हैं। इस्लामी आतंकवाद की अन्तर्राष्ट्रीय कार्रवाई का यह एक महत्वपूर्ण भाग है। हिन्दू स्वयं शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से बर्बाद होते हैं और इस्लामी आतंक को मदद पहुँचाकर अपने ही सर्वनाश का उपाय करते हैं।

हिन्दू जागरण का काम किसी स्तर पर नहीं होने से इसके प्रति जागरुकता और सतर्कता नहीं हो पाती है। इसे तुरंत शुरू करने की आवश्यकता है। उनके हिन्दू जागरण के किसी कार्यक्रम में मुस्लिम–ईसाइयों की तरह सरकारी सहयोग के बदले असहयोग और विविध तरह की बाधाएँ ही खड़ी की जायेंगी। धन की व्यवस्था भी सामान्य हिन्दू द्वारा ही करना होगा। हिन्दूवादी राजनीति करने वाली बी0जे0पी0 अगर चाहती तो इस काम के लिए सरकार में रहते हुए बहुत धन की व्यवस्था कर सकती थी; पर इनका उद्देश्य हिन्दू हित नहीं, हिन्दू राजनीति द्वारा सत्ता की कुर्सी पाना भर रहा है।

सबसे महत्वपूर्ण काम प्रचारकों को गाँवों, कस्बों में स्थाई रूप से रहने की व्यवस्था करना है। जब तक सालों रहकर पूरे क्षेत्र के बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री पुरुष को इस रंग में रँग कर विचार धारा के प्रवाह को एक स्थाई दिशा न दे दी जाय; उनके सोच–विचार और उनकी धारणा को भटकाव से हटा कर और इनके ही द्वारा प्रचार की कार्रवाई को आगे बढ़ाते रहने के योग्य और अभ्यस्त बना कर उनके नियमित जीवन से न जोड़ दिया जाय, तब तक लक्ष्य प्राप्ति में सफलता नहीं मिलेगी। आर0एस0एस0 ने यही काम नहीं किया; फलतः हिन्दू समाज को जागृत न कर सका और स्वंय भी इससे कट कर रह गया। लेकिन बीते समय से सीख लेकर आगे के लिए तुरंत कार्य योजना में लग जाना चाहिए। निराशा तो पराजय है। एक चिनगारी पूरे जंगल को जला डालने की शक्ति रखती है। एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है यदि वह पूर्ण समर्पित हो; यह तो संगठन है। आवश्यकता है, अहंकार त्याग कर और मिथ्या दम्भ छोड़कर, छोटे–छोटे लोगों और छोटी–छोटी घटनाओं से भी सीखने का। स्वार्थ के कींचड़ से निकल कर त्याग और आत्मोसर्ग की ऊँचाई तक उठने का; अटल **निश्चय के साथ अनवरत उद्योग में लीन होने का; क्योंकि बिना इस व्रत के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। लक्ष्य प्राप्ति तक कष्ट से विचलित नहीं होने का संकल्प लेना**

होगा। आप पैर तो आगे बढ़ाइये। आप देखियेगा, सहमा और ठिठका हुआ पूरा हिन्दू समाज कोई मार्ग नहीं सूझने से हताशा में जी रहा है. स्वार्थान्ध, अज्ञानियों. मूर्खों और पाखंडियों को छोड़कर। आप के आगे बढ़ते ही आपके साथ चल पडेगा। आप हिन्दू समाज पर मँडराती विपत्ति की छाया को शीघ्र ही नष्ट कर सकेंगे। पर आप का लक्ष्य पद और यश के ही आसपास रह गया तो कभी कुछ न कर सकेंगे।

सभी श्रेणी के लोगों से समय निकालने का अनुरोध कर टोलियाँ बनाना. उनको सिद्धांत और कार्यक्रम की समुचित जानकारी देना. उसके बाद प्रचार सामग्रियों की व्यवस्था के साथ उनको गाँवों में भेजना होगा। वहाँ कुछ दिनों तक भरपूर प्रचार कर एक दो व्यक्तियों को स्थाई रूप से रहने के लिए छोडना होगा जो नियमित बैठकें, प्रार्थना, योग, ध्यान सहित अध्ययन, विचार–विमर्श का क्रम जारी रखें। फिर कुछ दिनों में उसी गाँव से कुछ व्यक्तियों को तैयार करें जो आगे के गाँव में यही काम कर सकें। आज जो भी थोड़े से समर्पित लोग हैं वे भी गाँवों में नियमित रह नहीं पाते हैं। एक दो कार्यक्रम आयोजित कर चल देते हैं। इससे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। मिशनरी काम निरंतर लगे रहने से होता है। प्रचार सामग्री में, पुस्तकें, पत्रक, पत्रिकाओं के साथ ऑडियो, भीडीओ कैसेट, नाटक, गायन आदि प्रचार के जितने उपाय हो सकते हैं, उनको ढूँढ कर उनका उपयोग करना होगा। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र–पत्रिकाओं का इसी उद्देश्य से प्रकाशन करना होगा। इनका प्रकाशन हिन्दू समाज के लिए अलग, मुस्लिम समाज के लिए अलग और ईसाई समाज के लिए अलग करना होगा। हिन्दू को अपने अस्तित्व पर आये खतरे और उससे निपटने के उपाय के लिए शिक्षित करना, जबकि मुस्लिम और ईसाई समाज को बताना कि उनके हिन्दू पूर्वजों को किस प्रकार बर्बरता, क्रूरता और छल–कपट का शिकार बनाया गया था, आवश्यक है। दुनिया के इस्लामी समाज की गुलामी, पिछड़ापन, अंधविश्वास और मजहबी उन्माद के कारण कितना बुरा हाल है। उन्हें अपने पूर्वजों के धर्म में वापस आने की प्रेरणा देनी होगी। हिन्दू समाज की रूढ़ियाँ, जिनमें जाति प्रथा और छुआछूत भी शामिल हैं, तेजी से मिटने की ओर उन्मुख हैं। तब यह आर्थिक विकास, मानवीय प्रेम, समरसता की भावना और सबके प्रति आदर सम्मान के धार्मिक सिद्धांत के कारण दुनिया में सुख–शांति का समाज होगा। मुसलमानों को बताना होगा कि इस्लाम कोई मजहब नहीं है, इसमें कहीं आध्यात्मिकता नहीं है। जिस प्रकार सैनिकों को विशेष प्रकार के अभ्यास द्वारा लड़ाकू और अनुशासित बनाया जाता है उसी प्रकार अरबी साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से मुहम्मद ने आतंक के साये में गुलाम समुदाय को सांस्कृतिक बदलाव का अभ्यस्त बनाने का उपाय किया है। थोड़ा ध्यान देने से इस मध्ययुगीन अरब की बुद्धि कौशल को समझा जा सकेगा।

टी0वी0, रेडियो, अखबारों आदि में आध्यात्मिक वार्ता करने वालों से सम्पर्क कर उनसे इस विषय पर अपने हर प्रवचन में बोलने के लिए अनुरोध किया जाय। दुनिया में होने वाली आतंकवादी कार्रवाइयों का कारण बताया जाय। हिन्दू समाज को खतरों से सावधान किया जाय। हिन्दू धर्म के साथ इस्लाम और ईसाइयत के चरित्र की सच्चाई को बताया जाय।

विश्व हिन्दू परिषद को चाहिए कि हिन्दुओं को सतर्क करने के लिए एक विशेष टी0 वी0 चैनल की व्यवस्था कर हिन्दू धर्म पर इस्लाम और ईसाइयत के खतरों के प्रति हिन्दू जनता को सतर्क करे। आज इन चैनलों पर सिर्फ भजन–कीर्तन और पौराणिक कथाएँ होती हैं। सत्ता की लोभी पार्टियाँ, जो आज तुष्टिकरण की सारी सीमाएँ निर्लज्जतापूर्वक तोड़ रही हैं, उनकी परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। उपदेशक लोग उपदेश को पेशा बना कर कमाई में ही लगे न रह जायँ, हिन्दू समाज की रक्षा के लिए स्वंय त्याग करें और लोगों को त्याग के लिए प्रेरित करें।

कुछ चुने हुए समर्पित लोगों को शिक्षित कर, साधू–संतों, कथावाचकों, धर्मोपदेशकों, महात्माओं, पंडितों, पुरोहितों, कर्मकांडियों केअलावा सामाजिक कार्यकर्ताओं और वैसे सभी लोगों की समय–समय पर बैठकें, गोष्ठियाँ आदि कर उन्हें इस विषय से पूरा परिचित कराने के लिए भेजा जाय। उनको स्वंय अध्ययन के लिए प्रेरित किया जाय और अनुरोध किया जाय कि अपने स्तर से वे जहाँ तक कर सकते हैं हिन्दू समाज को सच्चाई से अवगत करावें। ये लोग घर–घर, गाँव–गाँव में जाकर हिन्दू रणनीति की जानकारी दें।

जैसे–जैसे प्रचार कार्य बढ़ेगा वैसे-वैसे समर्पित लोगों की संख्या बढ़ेगी। तब हर गाँव, मुहल्लों, टोलों के स्तर पर संगठन तैयार करना होगा जो हिन्दू समाज की सुरक्षा और विकास के लिए काम करे। मुसलमान और ईसाई अपने मजहबों के मौलिक चरित्र से ही साम्प्रदायिक और राजनीतिक हैं और हिन्दू अपने धर्म के मौलिक चरित्र से ही असाम्प्रदायिक और अराजनीतिक हैं; लेकिन अधकचरे या अंधस्वार्थी लोग उल्टा ही कहते हैं। अब उनके कहने की चिन्ता छोड़कर हिन्दू समाज को तब तक साम्प्रदायिक और राजनीतिक रूप देना होगा जब तक इस्लाम और ईसाइयत के साम्प्रदायिक, राजनीतिक, विस्तारवादी और आतंकवादी आचरण को नष्ट न कर दिया जाय। यह काम सरकारों से नहीं हो सकता है। क्योंकि वे सत्ता लोभ में अन्याय और अनैतिकता का पक्षधर बन जाती हैं। यह काम पूरे हिन्दू समाज को संगठित होकर करना पड़ेगा और यदि हिन्दू समाज जागृत और संगठित बनता है तो फिर इस प्रकार की सड़ी गली सरकारें बनेंगी ही नहीं, जैसी आजादी के समय से ही बनती आ रही हैं। तब समर्पित और योग्य लोगों की सरकार होगी जिसका कर्तव्य न्याय और धर्म की स्थापना होगा।

हर स्तर पर हिन्दू स्वंयसेवकों की आवश्यकता होगी जिनसे हिन्दू रक्षादल, हिन्दू स्वास्थ्य सेवा, हिन्दू शिक्षासेवा जैसी अनेक सेवाओं का विस्तार हो सके। इनमें सबसे प्रमुख हिन्दू शिक्षा अभियान होगा। इसी से लोगों को प्रेरणा मिलेगी, जानकारी मिलेगी और कार्य दिशा का ज्ञान होगा। इसके कारण ही विचारधारा का तेजी से प्रचार–प्रसार होगा।

देश विभाजन के समय हिन्दू–सिक्खों के विरुद्ध मुस्लिम समाज के हर तबके के लोग सक्रिय रूप से लगे थे। जिन पर रक्षा की जिम्मेवारी थी वे ही हिन्दुओं पर गोलियाँ चला रहे थे। लेकिन कहीं हिन्दू अधिकारी, सेना या पुलिस वालों ने मुसलमानों के विरुद्ध वैसा नहीं किया। वे मुस्लिम मजहबी भावनाओं को नहीं जानने

के कारण उन पर विश्वास कर हमेशा धोखा खाते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि सरकार में स्थित सभी श्रेणी के अधिकारियों कर्मचारियों को सच्चाई से परिचित कराया जाय। उनकी कठिनाई है कि वे अति व्यस्त लोग होते हैं, उनके पास अध्ययन का समय बहुत कम होता है। उनकी इधर रुचि भी नहीं होती है। यद्यपि वे मेधावी होते हैं. उन्हें पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने पर सच्चाई समझने में देर नहीं लगेगी। विद्यार्थी जीवन में उन्हें इस सत्य के साक्षात्कार का मौका ही नहीं लगा: क्योंकि पाठ्य पुस्तकों में इस सत्य को छिपाने की नेहरू के समय से ही पर्याप्त व्यवस्था की जाती रही है। विद्यार्थी जीवन के बाद नौकरी में आ जाने से उनके पास न वह वातावरण ही मिलता है और न समय ही बचता है। यह काम भी समर्पित लोगों को ही करना होगा।

प्रचार–प्रसार का काम तेजी से बढ़ने, हिन्दू टोलों, मुहल्लों, गाँवों, शहरों आदि में हिन्दू संगठनों के बनने और पूरे समुदाय के सभी श्रेणी के लोगों की नियमित (दैनिक, अर्द्ध साप्ताहिक, साप्ताहिक) बैठकें होने के बाद आपसी विचार विमर्श में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का निर्धारण होगा। आवश्यकतानुसार विभिन्न विषयों पर विचार होगा।

किन्तु अभी जो हिन्दू समाज में छुआछूत और ऊँच–नीच की भावना बनी हुई है उसको मिटाने की कार्रवाई तुरंत करनी होगी। जाति-प्रथा का भी अन्त होगा लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। गाँव मुहल्लों में नियमित बैठकें और सहभोज करना होगा, जिनमें धीरे–धीरे औरतों बच्चों को भी शामिल किया जाय। पढ़ी–लिखी सवर्ण घर की महिलाएँ जो जागृत हैं दलित महिलाओं के साथ आने लगेंगी। एक ही तरह के वातावरण का अभ्यस्त होने के कारण आदमी उससे बँध जाता है। वह उसी स्थिति में रहना पसंद करता है। बदलाव बुरा लगता है।

सहभोज में पहले हलके ढंग से जैसे प्रसाद वितरण, खड़े–खड़े जलपान फिर बैठ कर जलपान, फिर खड़े–खड़े भोजन फिर एक पंक्ति में बैठ कर भोजन खिलाने पिलाने से सभी जाति के लोगों को सम्मिलित करने, विशेष कर जो अछूत समझे जाते रहे हैं, आदि तरीकों से अत्यन्त पिछड़े ग्रामीण इलाकों में भी सामाजिक समरसता पैदा की जा सकती है। इसे तुरंत करने की आवश्यकता है।

हिन्दू समुदाय को समझना होगा कि दलित समाज के ही व्यक्तियों को ईसाई धर्मान्तरित क्यों करते हैं। क्योंकि वे कई कारणों से आकर्षित हो जाते हैं। उन्हें आर्थिक मदद, शिक्षा में सहायता, बीमारी में सहायता, सामाजिक मान्यता और सम्मान मिलता है। यह हिन्दू समाज उन्हें नहीं दे पाता। आर्थिक सुविधा तो ईसाइयों के मुकाबले जुटा पाना हिन्दू समाज के लिए संभव नहीं है पर कम से कम सामाजिक मान्यता और सम्मान तो दे सकता है। हिन्दू समाज में समानता और सम्मान मिलते ही और भेदभाव मिटते ही उनमें एकता का भाव दृढ़ होगा और हिन्दू समुदाय से अलग होने की इच्छा नहीं होगी। एक तरफा दोष देने से काम नहीं चलेगा। पूरे हिन्दू समाज के मन में यह बात बैठानी पड़ेगी कि दलित समाज तो हमारा ही अंग है। लगातार होने वाले मुस्लिम आक्रमण, अत्याचार, उत्पीड़न और बलात् धर्मांतरण से बचने के लिए

भारी संख्या में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं कृषि से सम्बन्धित जातियों के लोग भाग कर जंगलों में रहने लगे थे। कुछ लोग धर्मांतरण के बदले उत्पीड़न के रूप में दलित जातियों का पेशा अपनाने को बाध्य हुए थे। आज के अनेक आदिवासी और दलित जातियों के लोग उसी उच्चकुलीन लोगों के वंशज हैं, यही लोग सच्चे हिन्दू थे जिन्होंने उत्पीड़न सहकर भी अपना धर्म नहीं बदला। परिस्थितियों ने उनकी पहचान बदल दी। उनसे सामाजिक जीवन में हर तरह की निकटता बढ़ाना जरूरी है। इस निकटता को बढ़ाने के लिए सहभोज और समरसता के साथ हिन्दू दिनचर्या में उन्हें समान रूप से अपना भागीदार बनाना सर्वोत्तम उपाय है।

ईसाई जहाँ जमा होकर तरह–तरह के अंधविश्वासों और झूठे चमत्कारों का ड्रामा करते हैं, जैसे चंगाई सभा, वहाँ उनका विरोध और पर्दाफाश कर उनको खदेड़ना भी पड़ेगा। उनसे कहीं-कहीं कड़ाई से पेश आना भी आवश्यक है। ये मुलायम तभी तक रहते हैं जब तक कमजोर रहते हैं। इनका उपद्रव देखना हो तो तिलक लगाकर और माला पहन कर उत्तर पूर्वी ईसाई बहुल राज्यों में जाइये। ये हर जगह छेड़खानी करते हैं। "हिन्दू सभा वार्ता" अपने 3 से 9 अगस्त 2005 के अंक में लिखा– "स्थानीय (अरूणाचल) जनजातियाँ प्रकृति पूजक हैं और अपने पारम्पारेक विश्वासों पर चलना चाहती हैं। परन्तु ये बन्दूकधारी उन्हें चैन से जीने देना नहीं चाहते। उनके मंदिरों को जलाने की कई घटनाएँ घटित हो चुकी हैं। उन्हें 25 दिसम्बर को ईसा मसीह का जन्म दिन मनाने को बाध्य किया जाता है। उनका निर्देश न मानने पर मार दिया जाता है। उनके गोवंशों को जबरदस्ती उठा ले जाते हैं और नौजवानों को आतंकवादी बनने को बाध्य किया जाता है।" गोवा में इनके द्वारा जितने अत्याचार किये गये वे मुस्लिम अत्याचारों से किसी प्रकार कम न थे। ज्यादा संभावना है कि इनके ही आतंकवादी विस्तार के चरित्र से मुहम्मद ने भी प्रेरणा ली हो और इनसे ही सीख कर दो कदम और आगे निकल गये हों।

हिन्दुओं के मिटने का सबसे प्रमुख कारण शस्त्र त्याग करना भी है। उन्हें अपनी रक्षा के लिए इसे तुरंत ग्रहण करना पड़ेगा। दुनिया में यहूदी हर जगह कमजोर हो गये थे। जब थोड़े रह गये तब मिटने–मिटाने के लिए कमर कस लिये। अब मुस्लिम देश उन पर सीधा हमला करने का साहस नहीं जुटा पाते हैं। हिन्दुओं को भी यहूदियों से शिक्षा और सहायता लेकर आत्मरक्षा के लिए उनकी ही राह पर चलना पड़ेगा। लेकिन सबसे प्रथम काम तो इस अज्ञानी हिन्दू समाज को ही शिक्षित करने का है। वरना सेना और परमाणु अस्त्र धरे रह जायेंगे और बिना युद्ध के ही भारत इस्लाम और ईसाइत के हाथों बँट जायेगा।

इस देश के सर्वोच्च आसन पर एक ईसाई महिला बैठी है। सारा हिन्दू शासनतंत्र जिसकी कृपा दृष्टि का आकांक्षी बना है। केन्द्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री एक से बढ़कर एक ईसाई तुष्टिकरण के लिए हिन्दू विरोधी काम करेंगे, क्योंकि उनका राष्ट्रधर्म स्वार्थ और सत्तासुख है। ये हिन्दू समाज को नष्ट कराने में कोई कोर कसर छोड़ने वाले नहीं हैं। भले ही हिन्दू समाज के अन्त के साथ इनका भी अन्त हो जाय। लेकिन जब तक पूरे हिन्दू समाज को सच्चाई से अवगत न करा दिया जाय तब तक

चालबाज उन्हें ठगते ही रहेंगे। हिन्दू समाज को जागृत होते ही गद्दारों की संख्या स्वतः कम हो जायेगी तब इनसे निपटना सरल हो जायेगा।

तिरुपति में तिरुमले स्थित बालाजी धाम के आसपास की पवित्र पहाड़ियों से सटी भूमि को ईसाइयों को देने का षड्यंत्र वहाँ की सरकार कर रही थी कि यह समाचार अखबारों में छप गया। विरोध के कारण सरकार ने इससे इनकार किया। अब धीरे–धीरे प्रचार माध्यमों में समाचार आते–आते हिन्दुओं का उत्तेजनात्मक विरोध क्रमशः कम होगा और अन्त में षड्यंत्रकारी सफल होंगे। यह सुनियोजित कार्यक्रम है जिससे हिन्दुओं के धर्म–स्थलों के पास चर्च बना कर उनको धर्मान्तरित करने का जाल बिछाया जा सके। ईसाइयत छल–कपट और गुप्त तरीके से धीरे–धीरे अपने विस्तार के कुचक्र में लगी है। इसमें अमेरिका भी भरपूर मदद दे रहा है। अपनी कपट नीति के तहत एक तरफ अमेरिका भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। मुस्लिम आतंकवाद से पीड़ित भारत के रुझान को देखकर आतंकवाद के नाम पर यह संधि कर रहा है। जबकि वास्तविक रूप में आतंकवाद से निपटने में वह भारत की कोई मदद नहीं करता है। उसका उद्देश्य है ईसाई मिशनरियों को भारत की किसी कठोर कार्रवाई से सुरक्षित बचाये रखना। भारत में ईसायइत के विस्तार के लिए धन झोंक रहा है। ईसाई विस्तार में रुकावट पैदा करनेवाले आर0एस0एस0 को अलकायदा के समान आतंकवादी संगठन घोषित करना, उसका मनोबल तोड़ने की अमेरिकी कपट रणनीति का भाग है। इनका भी उद्देश्य और चरित्र इस्लाम के समान ही है। जिस प्रकार मुसलमान की प्रथम राष्ट्रीयता इस्लाम होता है उसी प्रकार ईसाइयों की प्रथम राष्ट्रीयता भी ईसाइयत है। इसलिए ये दोनों जिस देश में रहते हैं उसे किसी सहधर्मी देश की तुलना में अपना देश नहीं समझते और अपने मजहबों के विस्तार के लिए देशद्रोह तक को अपना मजहबी फर्ज मानते हैं। "ईसाई चर्च इस विचार से समझौता नहीं कर सकता कि मेरा देश, गलत या सही, मेरा देश है। चाहे वह मातृभूमि का कितना ही ऋणी क्यों न हो लेकिन उस पर ईसा का अधिकार सर्वोपरि है (लेम्बेय विशेष कांफ्रेंस रिपोर्ट 1930)। इसी प्रकार विशप एजारिया ने कहा "जब हम ईसाइयत के बारे में बात करते हैं तो हमारी निष्ठा पहले अपने स्वामी (जीसस क्राइस्ट) में होनी चाहिए और मातृभूमि के लिए बाद में"। अतः अन्तर्राष्ट्रीय ईसाइयत का एक ही उद्देश्य है कि वह हिन्दू राष्ट्रभक्ति को समाप्त कर दे ताकि हिन्दुस्तान को अस्थिर कर इसे ईसाई राज्य बनाया जा सके।

(डा0 कृष्ण वल्लभ पालीवाल द्वारा "हिन्दू क्या करें ?" में उद्धृत)

दूसरी ओर इस्लाम आतंक और विध्वंस द्वारा गैर मुसलमानों को कुचल कर अपना विस्तार करता है। हिन्दू समाज क्या करे ? यह ठीक है कि प्रचार द्वारा सम्पूर्ण हिन्दू समाज को इस खतरे की जानकारी दी जाय। हर स्तर पर जातिभेद, ऊँच–नीच, छुआछूत, तिलक दहेज जैसी रूढ़ियों को मिटाया जाय। टोला, मुहल्ला, गाँव, शहर, जिला, प्रदेश, देश स्तर पर हिन्दू संगठन तैयार किये जायँ; लेकिन इससे होगा क्या? यह सब मात्र प्राथमिक कार्य होंगे। अभी करने को सबकुछ शेष रह

जाता है।

हिन्दुओं को जिन इस्लामी आतंक, बर्बरता, क्रूरता और विध्वंस को आज तक सहना पड़ा है और आगे उसी की व्यापक तैयारी में देश–विदेश का इस्लामी समाज जुटा हुआ है, उससे कैसे बचा जा सकता है ? यह सच है कि विदेशों से मुस्लिम देशों और संगठनों द्वारा भारत के इस्लामीकरण के लिए बड़े पैमाने पर धन भेजा जा रहा है। यह भी सच है कि इस धन का उपयोग मदरसों एवं अन्य मुस्लिम जेहादी केन्द्रों में हो रहा है। वहाँ मुजाहिदीनों (मुस्लिम लड़ाकों) का शिक्षण और प्रशिक्षण चल रहा है। वहाँ वैसे तालिबानी तैयार हो रहे हैं जैसा विशुद्ध खूँखार सैनिक के रूप में उन्होंने अफगानिस्तान में रूसी सेना को पराजित किया था। यह भी सच है कि अनेक उग्रवादी (जेहादी) संगठन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, बंगलादेश और पाकिस्तान में, भारत में जेहाद को कार्यरूप देने की तैयारी में सहयोग दे रहे हैं। पाकिस्तानी खुफिया संगठन आई0एस0आई0 और बंगलादेशी खुफिया संगठन भारत के मुस्लिम इलाकों में आतंकवादी कार्रवाइयों के लिए विस्फोटकों और अत्याधुनिक हथियारों का संग्रह कर रहे हैं। यह भी सच है कि भारी संख्या में बंगलादेशी मुसलमान और पाकिस्तानी मुजाहिदीन भारत के विभिन्न भागों में घुसकर बैठ गये हैं। वे विभिन्न पेशा जैसे चोरी, स्मगलिंग, जालीनोट का व्यापार, मादक पदार्थों के व्यवसाय में लग कर भारत को नष्ट करने के भीतरघाती काम में जुटे हुए हैं। सेना, पुलिस, विभिन्न सुरक्षा एजेसियों एवं सरकारी गैर सरकारी महत्वपूर्ण जगहों पर जेहाद को मजहबी फर्ज समझने वाले काबिज हो चुके हैं। यह भी सच है कि मुस्लिम समुदाय भारत में परिवार नियोजन से इनकार कर, चार–चार शादियों के प्रचलन को बढ़ावा देकर, गैर मुस्लिम लड़कियों का अपहरण कर और उन्हें बहला–फुसला कर विभिन्न स्थानों पर धर्मान्तरण कर मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि की जी तोड़ कोशिश कर रहा है।

हिन्दुओं पर इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है ? यद्यपि इसका ऊपर वर्णन किया जा चुका है फिर भी इसे दुहरा देने से पुनः इसका स्मरण होगा।

हिन्दू युवाओं की हत्या, उनकी महिलाओं और सम्पत्ति की लूट, अचल सम्पत्ति पर दखल और बालक वृद्धों सहित सबका इस्लामीकरण; मुसलमानों को अल्लाह के हुक्म से यही करना है और यही पाना है। हिन्दुओं का यही भविष्य है। जो आज की परिस्थिति के अनुसार, निश्चित लगता है। जो हजार वर्ष से चला आ रहा है। निर्णय हिन्दू को लेना है, क्या करें ? क्या न करें ? अगर हिन्दू ने संकल्प ले लिया है कि वह तो हाथ पर हाथ धरे बैठेगा, क्योंकि जो कुछ होना है वह तो निश्चित है। भगवान ने तो उसे पहले ही तयकर दिया है अब किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है तो वह समझ ले कि उसका मिटना निश्चित हो चुका है। अगर उसका पुरुषार्थ, आत्म गौरव और शौर्य का कुछ भी भाग शेष होगा तो अन्याय और अधर्म को मिटा कर ही दम लेने का सौगंध लेगा और तब वह कहेगा, आत्म सुरक्षा हर प्राणी का प्रकृति प्रदत्त स्वयं सिद्ध जन्म सिद्ध अधिकार है। किसी अत्याचार के विरुद्ध प्रतिकार हर व्यक्ति

और समाज का न्यायसिद्ध अधिकार है। अत्याचार, शैतान, मानव या अल्लाह किसी नाम से किसी रूप में आवे, अत्याचार का मुकाबला हर प्राणी का न्यायोचित धर्म है। अन्याय को सहन करना अधर्म है। गीता में कृष्ण का अर्जुन को उपदेश है कि अन्याय और अधर्म को मिटा डालने तक युद्ध करो।

इस्लाम का अल्लाह सर्व शक्तिमान और सृष्टिकर्ता है। वह सातवें आसमान पर रहता है। वह जन्नत और दोजख का मालिक है। वह अपने अर्श (सिंहासन) पर विराजमान रहता है। उसकी कोई पत्नी नहीं है। वह फिरिश्तों से घिरा रहता है। फिरिश्ते बराबर उसकी स्तुति करते रहते हैं। वह इन्हीं फिरिश्तों को हुक्म देकर सृष्टि का संचालन कराता है। वह अपनी पूजा कराना चाहता है। जो उसके साथ दूसरों की अर्थात देवी देवताओं की पूजा करता है वह कुफ्र का दोषी है। वह धरती पर अपनी इच्छा को बताने और उसका प्रचार–प्रसार करने के लिए पैगम्बर नियुक्त करता है। मुहम्मद को उसने अंतिम पैगम्बर बनाया। उसके पहले लाखों पैगम्बर वह बना चुका है। यही वह शामी प्रथा है जिसके अनुसार ईश्वर का प्रतिनिधि बन शासक राज किया करते थे।

अल्लाह के आसपास ही शैतान रहता है जो अल्लाह के काम में विघ्न डालता है, आदमियों को बहकाता है, वह नबियों के दिमाग में भी कभी कभी उल्टी बात भर देता है। वह अल्लाह के विपरीत विचार रखता है और वैसा ही आचरण करता है। कुल मिला कर वह अल्लाह का उल्टा है और अल्लाह की इच्छा पूरी होने देने में रुकावट डालता है। अल्लाह के हुक्म को न तो स्वयं मानता है और न ही मनुष्यों को ही मानने देता है। अल्लाह ने अपना अंतिम पैगम्बर मुहम्मद को बनाया, यह बात सिर्फ अल्लाह ही जानता है और मुहम्मद। अल्लाह कभी स्वयं मुहम्मद के निकट आकर और कभी फिरिश्तों द्वारा अपना संदेश देता है। वे सभी संदेश कुरान ग्रंथ में संग्रहीत किये गये हैं। कुरान अल्लाह की किताब है यह सदा के लिए अर्थात कयामत (प्रलय) के दिन तक लागू रहेगा। यह पूरी मानव-जाति के लिए सत्य धर्म है। मुहम्मद ने पहले पहल लोगों से अल्लाह का हुक्म सुनाया तो लोगों ने विश्वास नहीं किया। ईमान नहीं लाया। जिन लोगों ने ईमान लाया वे ईमान वाले, मोमिन या मुसलमान बने, जो ईमान नहीं लाये उनमें किताब वाले (यहूदी और ईसाई), मुश्रिक (मूर्तिपूजक) और अन्य लोग भी थे। इन सभी को काफिर कहा गया। अल्लाह ने नबी और मुसलमानों को काफिरों से तब तक युद्ध करते रहने का हुक्म दिया है जब तक कि वे मुसलमान न बन जायँ। इसके लिए छल–कपट, विश्वासघात, हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार सब नेक काम बतलाये गये। जैसे–जैसे इस्लाम बढ़ा और इसके जितने अनुयायी दुनिया भर में फैले, उनको उम्मा (मुस्लिम बिरादरी) कहा गया और बाकी सभी लोगों को काफिर। मुसलमानों के लिए, अल्लाह का कुरान में हुक्म है कि वे काफिरों के साथ कैसा व्यवहार करें। पहले ही कह चुके हैं कि शैतान उससे उल्टा विचार रखता है। अल्लाह के हुक्म और उससे उल्टा शैतान के हुक्म के तुलनात्मक अध्ययन से इस्लाम के अल्लाह और शैतान के चरित्र का पता चलता है।

अल्लाह का हुक्म	अल्लाह के उल्टा शैतान का हुक्म
01. निःसंदेह काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। (कु0 4:101)	01. काफिर भी तुम्हारे मित्र हैं, क्योंकि वे तुम्हें दुश्मन नहीं, भाई समझते हैं।
02. हे ईमान लाने वालों ! मुश्रिक नापाक हैं। (कु0 9:28)	02 हे ईमान लाने वालों ! मुश्रिक (मूर्तिपूजक) पवित्र हैं, क्योंकि वे देव–देवियों सहित सभी प्राणियों में,जिनमें तुम भी हो, ईश्वर को ही देखते है।
03. हे ईमान लाने वालों ! उन काफिरों से लडो जो तुम्हारे आसपास हैं और चाहिए कि वे तुममें सख्ती पायें। (कु0 9:123)	03. हे ईमान लाने वालों ! उन काफिरों से, जो तुम्हारे आसपास हैं लडो नहीं, प्रेम और विनम्रता से व्यवहार करो।
04. हे ईमान लाने वालों ! (मुसलमानों) अपने बापों और भाईयों को अपना मित्र मत बनाओ यदि वे ईमान की अपेक्षा कुफ्र को पसंद करें। और तुममें से जो कोई मित्रता का नाता जोड़ेगा तो ऐसे ही लोग जालिम होंगे। (कु0 9:23)	04. हे ईमान लाने वालों (मुसलमानों) ! तुम्हारे बाप और भाई तो तुम्हारे शुभचिन्तक और परम हितैषी हैं उनसे प्रेम, आदर और सेवाभाव रखो, भले ही उनका ईमान (विश्वास) कुछ भी हो। विश्वास तो व्यक्तिगत विषय है। जो कोई उनसे प्रेम, आदर और सेवाभाव रखे तो ऐसे ही लोग भले लोग होंगे।
05. अल्लाह काफिर लोगों को मार्ग नहीं दिखाता। (कु0 9:37)	05. अल्लाह सबको उचित मार्ग दिखाता हैं।
06. हे ईमान लाने वालों! .....और काफिरों को अपना मित्र न बनाओ। अल्लाह से डरते रहो यदि तुम ईमान वाले हो। (कु0 5:57)	06. हे ईमान लाने वालों ! ....काफिरों को अपना मित्र बनाओ। अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह से प्रेम करते रहेा। डरने वाले तो अपराधी और पापी होते हैं।
07. (कहा जायेगा) निश्चय ही तुम और वह जिसे तुम अल्लाह के सिवा पूजते थे जहन्नम का ईंधन हो। तुम अवश्य उसके घाट उतरोगे। (कु0 21:98)	07. (कहा जायेगा) निश्चय ही तुम और वह जिसे तुम अल्लाह के सिवा पूजते थे जन्नत की शोभा बनोगे क्योंकि तुम देवी–देवताओं के रूप में परमेश्वर की ही पूजा करते थे और इस प्रकार सम्पूर्ण सृष्टि को ही ईश्वरमय जानते थे। इसलिए तुम अवश्य ही जन्नत के अधिकारी हो।

08. फिटकारे हुए, (गैर मुस्लिम) जहाँ कहीं पाये जायेंगे पकड़े जायेंगे और बुरी तरह कत्ल किये जायेंगे।
(कु0 33:61)

09. और उससे बढ़ कर जालिम कौन होगा जिसे उसके 'रब' की आयतों के द्वारा चेताया जाय और फिर वह उनसे मुँह फेर ले। निश्चय ही हमें ऐसे अपराधियों से बदला लेना है।
(कु0 32:33)

10. अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों (लूट) का वादा किया है जो तुम्हारे हाथ आयेगी। (कु048:20)

11. जो कुछ गनीमत (लूट) का माल तुमने हासिल किया है उसे हलाल और पाक समझ कर खाओ।
(कु0 8:69)

12. हे नबी ! काफिरों और मुनाफिकों के साथ जिहाद करो, और उनपर सख्ती करो और उनका ठिकाना जहन्नम है और बुरी जगह है जहाँ पहुँचे। (कु0 66:9)

13. हे नबी ! ईमान वालों (मुसलमानों) को लड़ाई पर उभारो। यदि तुममें 20 जमें रहने वाले होंगे तो वे 200 पर प्रभुत्व प्राप्त करेंगे और यदि तुममें 100 हों तो 1000 काफिरों पर भारी रहेगें, क्योंकि वे वैसे लोग हैं जो समझबूझ नहीं रखते। (कु0 8:65)

08. फिटकारे हुए (गैर मुस्लिम) भी जहाँ कहीं पाये जायेंगे उनसे सहानुभूति दिखाई जायेगी, उन्हें भी समुचित आदर दे कर अपने विश्वास के अनुसार जीने की स्वतंत्रता दी जायेगी।

09. यह किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वह अपनी बात को 'रब' या किसी और का वास्ता देकर किसी दूसरे को चेताये और न मानने पर उसे जालिम कहे। निश्चय ही ऐसा करना अपराध है, क्योंकि किसी विचार को मानना या नहीं मानना हर व्यक्ति का अपना अधिकार है।

10. अल्लाह भला किसी को गनीमत (लूट का माल) का वादा करेगा ? यह तो निहायत शर्मनाक बात है। लूट तो जघन्य पाप है। अल्लाह तो सदा ईमानदारी से कमाई करने को कहता है।

11. अगर तुमने लूट का माल हासिल किया है तो यह घोर पाप किया है। यह असभ्य, विकृत और संस्कारहीन लोगों का आचरण है। उसे त्याज्य और अपवित्र समझ कर उसका त्याग कर दो।

12. हे नबी ! काफिरों और मुनाफिकों के साथ लड़ाई न करो और उनसे विनम्रता का व्यवहार करो उनका ठिकाना जन्नत है और अच्छी जगह है जहाँ पहुँचे।

13. हे नबी ! काफिर निर्दोष, अनजान और असावधान लोग हैं, अपने विश्वास के अनुसार जीवन जीने वाले। मुसलमानो को उनके विरूद्ध लड़ाई के लिए उभाड़ो नहीं। ऐसे निर्दोष अनजान और असावधान लोगों को तुम्हारी आक्रामक नीयत

और योजना का कोई ज्ञान नहीं रहने और अचानक हमला से तुम्हारे 20 आदमी 200 और 100, 1000 काफिरों को मार अवश्य सकते हैं किन्तु यह तो अन्याय, अधर्म और पाप की बात होगी।

14. इन (मुनाफिकों) की तबीयत यह है कि जिस तरह खुद काफिर हो गये हैं (उसी तरह) तुम (यानी सच्चे मुसलमान) भी काफिर हो जाओ ताकि सब बराबर हो जाओ। तो जब तक अल्लाह की राह में देश त्याग (हिजरत) न कर जायँ, इनमें से (किसी को) मित्र न बनाना। फिर अगर हिजरत से मुँह मोड़े तो उनको पकड़ो और जहाँ पाओ उनको कत्ल करो। उनमें से किसी को अपना मित्र और सहायक न बनाना।
(कु0 5:89)

15. फिर जब हराम के महीने बीत जायें तो मुश्रिकों (मूर्तिपूजकों) को जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो और पकड़ो और उन्हें घेरो, और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वे तौबा कर लें, नमाज कायम करें और जकात दें, तो उनका मार्ग छोड़ दो। निःसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है।
(कु0 9:5)

14. मुनाफिक (अर्द्ध–मुस्लिम) लोग स्वतंत्रतापूर्वक अपना विश्वास धारण कर लिए हैं। अल्लाह को तो मानते हैं पर मुहम्मद को अल्लाह का रसूल नहीं मानते हैं। उनका विचार है कि तुम लोग भी किसी दबाव में कोई विश्वास न पैदा करो और स्वतंत्रता पूर्वक अपने विश्वास के साथ उनके ही जैसा हो जाओ। कोई बात नहीं वे मुहम्मद को अल्लाह का रसूल मानें या न मानें, मुहम्मद की जमात में शामिल होने के लिए देश त्याग (हिजरत) करें या न करें। तुम उनसे मित्रता करो और उन्हें कोई हानि न पहुँचाओ। विश्वास हर व्यक्ति का निजी अधिकार होता है। अपनी बात मनवाने के लिए किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव देना मानवता के विरुद्ध बात है।

15. फिर जब हराम के महीने बीत जायें तब भी मूर्तिपूजकों को जहाँ कहीं पाओ प्रेम से ही मिलो, उन्हें घेर कर उनसे सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में शास्त्रार्थ करो। यदि वे तुम्हारे मत को स्वीकार करते हैं तब भी ठीक, नहीं करते हैं तब भी ठीक। सिर्फ विश्वास (ईमान) नहीं लाने के कारण किसी को कष्ट पहुँचाना तो पाप कर्म है और हत्या तो घोर पाप है। सदा प्रेमवत व्यवहार करना सीखो। मनुष्यता का यही अर्थ है।

ऊपर अल्लाह और शैतान के विचारों और आदेशों का, जो परस्पर विरोधी होते हैं, तालिकाबद्ध विवरण दिया गया है। पाठक स्वयं ही इस्लाम के अल्लाह और शैतान के चरित्र की तुलना करें। जहाँ तक हिन्दुओं का सवाल है, उन्हें इस्लाम के अल्लाह या शैतान के चरित्र से, मुसलमानों के ईमान या बे–ईमान से, उनके नमाज या पर्व त्योहार से, उनके मस्जिद या दरगाह से और उनके किसी क्रिया कलाप से कुछ भी लेना–देना नहीं होता यदि उनके मजहब का मौलिक तत्त्व और विधान, मूर्तिपूजकों को बर्बरता, क्रूरता, असभ्यता, अन्याय, अनैतिकता, अधर्म और अत्याचार द्वारा कुचल कर, उनकी हत्या कर, उनकी सम्पत्ति लूट कर, उनकी बहू–बेटियों को बेइज्जत कर उनके समाज को धर्मान्तरित करने के लिए, तहस–नहस करने का नहीं होता।

चूँकि इस्लाम का यह घोषित विधान है, इसलिए हिन्दुओं को आत्म सुरक्षा के लिए इस्लाम के विरुद्ध वैसी ही कार्रवाई करने का, जिसकी वे घोषणा करते हैं, स्वतः अधिकार मिल जाता है। मुसलमान का निजी और सामूहिक मजहबी फर्ज है कि वे निरंतर जेहाद को जारी रखें। गैर मुसलमानों को कुचल कर धर्मान्तरित करने के लिए सत्ता पर अधिकार करें, देश को पहले दारुल इस्लाम बनावें और फिर शरीयत कानून लागू करें। फिर शरीयत कानून द्वारा उनका दमन कर मुसलमान बनने पर विवश करें या हत्या करें। तब क्या हिन्दू का यह अधिकार नहीं है कि उसे मिटाने की घोषणा करने वाले को आततायी घोषित करे और उससे निपटने की कार्रवाई में लग जाय, क्योंकि उसकी सतर्कता और कार्रवाई में ढील हुई तो वह शत्रु शीघ्र ही ऐसी परिस्थिति में पहुँच जायेगा कि हिन्दू समाज उसका कुछ भी न बिगाड़ सकेगा और वह उसे मिटाने में सरलता से सफल हो जायेगा।

हिन्दू समाज, निकट भविष्य में अपने जीवन–मरण की परिस्थिति वाली भारी विपत्ति में पड़ने वाला है। यदि आप इस समस्या को समझने और इससे निपटने के लिए हर स्तर पर प्रयास से विमुख होते हैं और धन कमाने की लिप्सा में ही लिपटे रहते हैं और उसे ही जीवन के आनन्द का सम्पूर्ण आधार बना डालते हैं या कोई अन्य शौक पाल कर उसी में खोये रहते हैं भले ही वह अध्यात्म और धार्मिक विषय ही क्यों न हो तो यह निश्चित जानिये कि आप अपने बच्चों के हत्यारे साबित होइयेगा। उनके विनाश के लिए आपका धन और आपका अध्यात्म मददगार ही होगा। तथ्यों की अनदेखी कर जो हवा में उड़ता है वह अन्ततः गिरकर चूर हो जाता है। हिन्दू समाज का मन तथ्यों से दूर पौराणिक दुनिया के कल्पना लोक में ज्यादा ही विचरण करता है। वे जिस धरती पर और जिस परिस्थिति में रहते हैं उसका गम्भीर अध्ययन कर राह निकालने की चेष्टा नहीं करते। इसी का परिणाम है कि गुलामी और अपमान की जिन्दगी जीते–जीते उनका आत्मगौरव और स्वाभिमान मर गया है। स्वार्थ की अंधी दौड़ में पूरे सामाजिक हित की चिन्ता से दूर, लम्बे समय से वह अपना विनाश करा रहा है। हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह मुखर और सक्रिय बने ताकि पूरे समाज को जगाने में विलम्ब न हो। जो बुद्धिजीवी हैं या समाज के ऐसे लोग जो स्वयं को सबसे काबिल समझते हैं और किसी बात को बिना समझे तुरंत काटते हैं वैसे

नकारात्मक लोगों से आग्रह है कि वे अध्ययन कर सारी स्थिति को पहले समझें, उसके बाद अपनी काबलियत दिखावें। उन्हें क्या पता कि उनकी मिथ्या दिखावा काबिलियत उनके ही बाल–बच्चों के विनाश का कारण बनने वाली है।

देश विभाजन के समय सनातनी और सिक्ख पंथ के हिन्दुओं का कत्लेआम हो रहा था, पंजाब में खून की धारा बह रही थी। हिन्दुओं को सैनिक प्रशिक्षण, सारी परिस्थिति की जानकारी और हथियार की आपूर्ति करने की जगह मूर्ख गाँधीवादी अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे थे। इन मूर्खों के कारण बीस लाख हिन्दुओं की हत्या कर दी गई। वह दिन फिर आ रहा है और बहुत दूर नहीं है। कुछ अध्यात्म का पाठ पढ़ाने वाले श्लोक पढ़ रहे थे –

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
परित्राणाय साधूनाम् विनाशाय च दुष्कृताम्
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।

यही श्लोक पढ़ते–पढ़ते और अंधविश्वास की मूर्खता से हिन्दू धर्म दुनिया के बहुत बड़े हिस्से से मिटते–मिटते आज भारत में अपने अंतिम विनाश का दिन गिन रहा है। कायर अपनी कायरता को और पतित अपने पतन को छिपाने के लिए अनेक सिद्धांत गढ़ लेते हैं। जैसे गाँधी ने अहिंसा के सिद्धांत की, अपने अनुसार व्याख्या कर ली। ठीक उल्टी। उन्होंने हिन्दुओं को कहा कि अत्याचार और अन्याय सह कर भी अहिंसा का पालन करो। अपनी जान दे दो पर दूसरों को मारो नहीं। इस्लामी बर्बरता के लिए काफिरों को दी गई गाँधी की शिक्षा उनके अपने किसी उपाय से ज्यादा लाभकारी सिद्ध हुई। अब उन्हें निहत्थे और बिना प्रतिरोध वाले शत्रु से निपटना था। सिर्फ एक तरफा काफिरों (हिन्दू–सिक्खों) के विरुद्ध कार्रवाई करनी थी। मुकाबला का कोई भय नहीं था। उनका काम बिल्कुल सरल हो गया था। अब तो सिर्फ अपनी ताकत भर भेंड़–बकरियों को काटना था। इसलिए गाँधी की कृपा से मुसलमानों ने एक तरफा बीस लाख लोगों को काट डाला। घरों से खींच कर, खेतों, मैदानों, बसों, ट्रेनों में छेंक-छेंक कर जितना लोगों को वे काट सकते थे, अल्लाह के हुक्म पालन में उन्हें काटा। क्योंकि उनको विश्वास था, अल्लाह ने ही काफिरों का नाश कराने के लिए गाँधी जैसे महात्मा को उनका नेता बना कर भेजा। उनकी सारी सम्पत्ति और उनकी जवान और सुन्दर औरतें अल्लाह ने बिना मेहनत के उन्हें सौंप दी। गीता का बार–बार स्मरण करा कर और गीता के ठीक उल्टा आचरण कर गाँधी ने अपनी प्रकृति और अज्ञानतावश हिन्दुओं का उद्धारक बनकर उनके साथ जो अपराध किया उसकी कोई सीमा नहीं है। हिन्दुओं को भगवान पर भरोसा रखने और अहिंसा के नाम पर कट मरने का उपदेश दे रहे थे। लेकिन स्वंय नोआखाली में सैनिक टुकड़ी के बीच में सुरक्षित चल रहे थे। आखिर पाखण्ड कहते किसको हैं ?

हर कोई जानता है कि अन्याय और अधर्म के पक्ष में अर्जुन के निकट संबंधी, गुरू, प्रिय और सम्माननीय लोग खड़े थे। अर्जुन ने उन्हें देखा और शोकग्रस्त होकर युद्ध करने से इनकार कर दिया। उसके लिए अपने प्रिय जनों की हत्या से

बढकर राज्य सुख नहीं था। किन्तु श्रीकृष्ण के लिए न्याय और धर्म की रक्षा से बढकर प्रियजनों का भी मूल्य नहीं था। उन्होंने अन्याय और अधर्म के विरुद्ध शस्त्र धारण कर हिंसक युद्ध द्वारा अपने निकट के संबंधियों तक की हत्या के लिए अर्जुन को प्रेरित किया। वही कराने के लिए श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया वह गीता है। पर, गीता का नाम लेकर गाँधी ने गीता के ठीक उल्टा कर्म किया। उन्होंने अन्याय और अधर्म को सहते हुए अपनी जान दे देने का उपदेश दिया। ताकि अन्यायी और अधर्मी निष्कंटक दुष्कर्म कर निर्दोषों का संहार कर सकें। इस प्रकार हिन्दू धर्म की आत्मा को ही उलट दिया। राम और कृष्ण दोनों को ही हिन्दुओं ने भगवान माना। दोनों ने ही अन्यायी और अधर्मी के विरुद्ध शस्त्र धारण कर उनका नाश करने के लिए हत्याएँ कीं या हिंसक युद्ध के लिए ललकारा। हिन्दू धर्म की यही आत्मा है। अन्यायी और अधर्मी को सहना तो धर्म भ्रष्टता है। हिन्दुओं के हर देवी और देवता के हाथ में हथियार है, जिससे अस्त्र–शस्त्र द्वारा दुष्टों के संहार की प्रेरणा मिलती है पर हिन्दू धर्मशिक्षक भी ठगकर पेट पालने वाले और सुविधाभोगी बन कर हिन्दू धर्म के तेज को ही मंद करने का काम करते रहे हैं।

अब बातें करने, रोना रोने, शिकायतें करने, प्रतिरोध जताने भर से काम चलने वाला नहीं है। अब ठोस कार्रवाई करने का समय आ गया है। ठोस कार्रवाई तब तक नहीं हो सकती है जब तक पूरा हिन्दू समाज इस खतरे की वास्तविकता को गहराई से समझ न ले। इसलिए पहली ठोस कार्रवाई तो इस्लाम और ईसाइयत की सच्चाई से हिन्दू समाज को अवगत कराना है। अहिन्सा, सहिष्णुता, निष्पक्षता, उदारता, आदि की बातें करने वाले, अपनी निष्पक्ष छवि का दिखावा करने वाले और बिना जाने 'कोई धर्म हिन्सा नहीं सिखाता है' कहने वाले अध्ययन करें।

विशेष रूप से धर्मनिरपेक्षता शब्द का बढ़चढ कर बार–बार उच्चारण करने वाले, मार्क्सवादियों और आधुनिकता और प्रगतिशीलता के समर्थन का अहंकार पाले लोगों को इस विषय का अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए। जो साम्प्रदायिक और फासिस्ट शब्द का बार–बार प्रयोग करते हैं, उन्हें भी। अध्ययन करना कोई बुरी बात नहीं है। यदि यह विषय आप की धारणा के विपरीत भी हो तब भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि खण्डन करने के लिए भी जानकारी का होना आवश्यक है। आधुनिक शिक्षा, मार्क्सवाद, धर्म निरपेक्षता या साम्प्रदायिकता आदि पर लिखने वालों के लेखों, वक्तव्यों और प्रवचनों आदि से यह आभास मिलता है कि उन्होंने इस विषय का गम्भीर अध्ययन नहीं किया है। प्रसंगवश प्रख्यात लेखक श्री कमलेश्वर का एक उदाहरण प्रस्तुत है – 10.01.04 के सहारा समय में महावीर अग्रवाल के प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने कहा था "भगवान, खुदा या पैगम्बर के यहाँ मनुष्य का कोई बँटवारा नहीं हुआ"। यह कथन सफेद झूठ है। पैगम्बर ने पूरी मानव जाति और पूरी दुनिया को ही दो हिस्सों में बाँट दिया है। एक मुसलमान और दूसरा काफिर। अल्लाह का मुसलमानों को हुक्म है कि "काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं।" कुरान का अल्लाह कहता है कि काफिरों से तब तक युद्ध जारी रखो जब तक कि अल्लाह का दीन (इस्लाम) सब जगह न हो जाय। दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब में दुनिया का

बँटवारा मानवीय भेदभाव पर आधारित, पैगम्बर की ही देन है। इसे श्री कमलेश्वर की अज्ञानता कहें कि भ्रम या जानबूझ कर हिन्दुओं को अंधकार में रखने की चेष्टा ? पता नहीं मार्क्सवाद में इन लोगों ने कहाँ पढ़ लिया कि अत्याचार का शिकार होने वाले को ही ठोंककर सुला देना चाहिए ताकि आसानी से उसका नाश हो जाय !

सभी प्रगतिशील लेखकों, कवियों एवं सभी प्रकार के बुद्धिजीवियों का यह कर्तव्य है कि वस्तुस्थिति को उसके असली रूप में प्रस्तुत करें। क्योंकि समस्या का समाधान सत्य को छिपा कर नहीं किया जा सकता है। यह कोई अल्पकालिक समस्या नहीं है कि कुछ समय के लिए इसे छुपाकर समय निकल जाने दिया जाय ताकि कोई अवांछित घटना न घटे। यह विकट और स्थाई समस्या है, इसके स्थाई हल के लिए सत्य को ऊपर लाना ही होगा। पैर न काटना पड़े इसलिए घाव में समय रहते चीरा लगाना होगा। सत्य–अहिंसा की नौटंकी के बदले यदि ऐतिहासिक मजहबी चरित्र का अध्ययन कर खतरे की पूर्व जानकारी ली गई होती, तथ्यों का उद्घाटन किया गया होता और सभी पंथ के हिन्दुओं को आत्मसुरक्षा के लिए हथियार की आपूर्ति और प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई होती तो क्या बीस लाख लोगों की हत्या होती? प्रियजनों की हत्या, पीढ़ियों की संचित कमाई का लुट जाना, महिलाओं का बेइज्जत होना और दूसरों द्वारा उठा लिया जाना, फिर जीवित व्यक्ति को आतंक के साये में मुसलमान बनाना क्या इससे भी बढ़कर विपत्ति हो सकती है, जिसे हल्के से लेना चाहिए ? निश्चय ही टकराव की स्थिति में भी बहुत कम लोग मारे गये होते। शक्ति संतुलन से संघर्ष टल जाता है।

आज फिर आजादी पूर्व की परिस्थिति पैदा हो रही है और उसी प्रकार धर्मनिरपेक्षतावादी, मार्क्सवादी, उदारवादी, अहिंसावादी, अध्यात्मवादी आदि बचकाना भटकाव में हिन्दू समाज को मिटवाने की दिशा में लगे हुए हैं। आज हिन्दू समाज अस्तित्व संकट के निकट पहुँच रहा है और राजसत्ता अदरदर्शी स्वार्थान्ध लोग चला रहे हैं। जिस परिस्थिति से दुनिया भर में बेचैनी फैली है उसी को बढ़ावा देने की कार्रवाई कर रहे हैं। इनको क्या कहा जाय पागल, मतवाला या गद्दार। ये सब कुछ हैं, सत्ता लोलुपता के कारण। लेकिन इसके पीछे आर0एस0एस0, विश्वहिन्दू परिषद्, हिन्दू महासभा, बी0जे0पी0, शिवसेना आदि जितने राष्ट्रीयतावादी सांस्कृतिक और राजनीतिक संगठन हैं सभी के सभी इस परिस्थिति के जिम्मेवार हैं। आज तक ये बैठ कर झाल बजा रहे थे। ये अपने कार्यकर्ताओं तक को शिक्षित नहीं कर सके। सिर्फ धन के, पद के, यश के और सत्ता के लोभ में, ये भी लगे रहे हैं। ये भी अपने और परिवार के विकास के केन्द्र के ही आसपास घुमते रहे हैं। पर त्याग और समर्पण के बिना लोक कल्याण का काम नहीं होता है। आदमी के मान को, उसके विवेक को जागृत कर उसमें त्याग और आत्मोसर्ग की भावना भरते रहने से उसका मनोबल उठता है। उस दिशा में कोई काम न कर सिर्फ अपना मतलब साधने की तिकड़मबाजी और पेट भरने में लगे रहने से तो कुछ भी नहीं होता है। पेट तो जानवर भी भरता है। मनुष्यता के गुणों को ऊँचा उठाने के लिए नियमित कार्रवाई नहीं हो सकी। इसलिए समर्पित लोग आगे नहीं आ सके। सिर्फ एक ही पाठशाला चल रही है एक

ही शिक्षा, किसी प्रकार धन कमाओ, चोरी, बेईमानी, लूट, डकैती, रिश्वतखोरी, घोटालाबाजी और उसके लिए नौकरी या राजनीतिक सत्ता या बढ़िया व्यापार में लगो, आदि।

अब हर हिन्दू अपनी चेतना को झकझोर कर अपने से ही प्रश्न करे। वह स्वयं से ही पूछे कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है ? वह पूछे कि आदमी पैदा हुआ है या पशु। उसका अपने, अपने परिवार, अपनी हिन्दू जाति या राष्ट्र और समाज के प्रति कुछ कर्तव्य है, वह उनका कहाँ तक निर्वहन कर सका है ? आज विवेकहीनता, लापरवाही, असावधानी और भटकाव में उलझे-उलझे अपना जीवन तो बिता कर दुनिया से चल देंगे और छोड़ देंगे अपनी औलाद को दरिन्दगी का शिकार होने के लिए। देखने तो नहीं आयेंगे कि उनके बाल बच्चों के साथ क्या हो रहा है लेकिन उनकी औलादों की वेदना और तड़प का कारण उनके पूर्वजों के पाप ही होंगे जैसा आज के कश्मीरियों के पूर्वजों के पाप का फल भोग रहे हैं उनके वंशज और कांग्रेसियों के पाप का फल भोग रहे हैं बंगलादेश के हिन्दू। कल को तो पूरे देश को ही, वही भोगने का समय निकट पहुँच रहा है। कुरान के अनुसार सभी गैर मुसलमान शैतान की पार्टी वाले हैं।

".....यह (गैर मुस्लिम) शैतान की पार्टी है। सुन लो शैतान की पार्टी ही घाटा उठाने वाली है। (कु0 58:19)

अल्लाह की पार्टी में सिर्फ मुसलमान हैं लेकिन अब मुसलमानों के कुछ फिर्कों को भी अल्लाह की पार्टी से निकाला जाने लगा है। जैसे अहमदिया (कादियानी) एवं अन्य को भी।

".....ये (मुसलमान) अल्लाह की पार्टी है। सुन लो अल्लाह की पार्टी ही सफलता पाने वाली है। (कु0 58:22)

अब समय आ गया है कि शैतान की पार्टी वाले लोग (गैर मुसलमान) अल्लाह की पार्टी वालों (मुसलमानों) से संयुक्त रूप से अनुरोध करें कि अल्लाह के उस हुक्म को संशोधित करें जो शैतान की पार्टी वालों की हत्या, लूट, व्यभिचार, अपहरण और सांस्कृतिक विध्वंस के लिए हैं। पैगम्बर के आदेशों और पैगम्बर के सुन्ना को बदलें जो गैर–मुसलमानों के विध्वंस के लिए मुसलमानों के आदर्श बने हुए हैं। इसके लिए अपने नियम के अनुसार फतवा जारी करें कि जेहाद युद्ध नहीं आत्म संयम है। अल्लाह और पैगम्बर के हुक्म जो गैर–मुसलमानों से दुराचरण के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें निरस्त किया जाता है। साथ ही मुस्लिम समुदाय के आचरण में उसको उतारा जाय। "लड़ाई धोखाबाजी है" के सिद्धांत का त्याग कर सभी प्रकार के व्यवहार में ईमानदारी को स्थापित किया जाय। तभी समाज के सभी वर्ग के लोग साथ-साथ प्रेम और शांति से रह सकेंगे। सारे उथल–पुथल की जड़ में जो बातें हैं वे इतनी साफ हैं कि उनकी लीपापोती से कोई लाभ होने वाला नहीं है। शैतान की पार्टी में शामिल लोग जैसे – धर्म निरपेक्षतावादी, मार्क्सवादी, अहिंसावादी, आधुनिकतावादी, मैकाले शिक्षावादी, कांग्रेसी, बी0जे0पी0, कम्युनिस्ट, सभी स्थानीय पार्टियाँ, शिवसेना, बहुजन समाज पार्टी, अगड़े, पिछड़े, दलित, ईसाई, यहूदी, सभी

पंथ के हिन्दू (सिख, बौद्ध, जैन, सरना,आदि) आर0एस0एस0, बी0एच0पी0, बजरंग दल, सभी संगठनों, धर्मों, जातियों के अंदर के गैर मुस्लिम, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, अधिकारी, सभी पेशा के लोग कुल मिला कर सभी के सभी गैर–मुस्लिम लोग शैतान की पार्टी वाले हैं। वोट के लिए मुस्लिम खुशामद में होड़ लेने वाले लोगों सहित राज्यों के प्रत्येक मुख्यमंत्री, केन्द्रीय मंत्री, सांसद, पत्रकार सभी शैतान की पार्टी में शामिल हैं। इनके विरुद्ध भी अल्लाह का हुक्म और शरीयत के सभी कानून वैसे ही लागू होंगे जैसे अन्य काफिर के विरुद्ध; ये चाहे कितना भी मुस्लिम कृपा के लिए तुष्टिकरण की नीति अपनावें और हिन्दुओं के हितो की हानि करें। समय आने पर मुसलमान अल्लाह का हुक्म पालन करते हुए इनसे भी वैसे ही निपटेंगे। इसलिए हर काफिर (गैर मुसलमान) का यह कर्तव्य है कि इस समस्या को सार्वजनिक मंच पर लावें। इसे ढँकने का निरन्तर प्रयास करते रहने का परिणाम सरलता से हिन्दू विनाश ही होगा। पूरे समाज में इसकी चर्चा करें ताकि इस्लामी विस्तार की योजना और उसकी रीति को लोग शीघ्र ही समझ जायँ। साथ ही मुस्लिम समाज को सहिष्णुता के लिए प्रेरित भी किया जाय। उन्हें आत्मसात करने का प्रयास किया जाय।

पर इतिहास यही कहता है कि इस्लाम, विस्तार की अपनी योजना के कार्यान्वयन में किसी प्रकार की ढील नहीं देता है। उससे जितनी सहिष्णुता, उदारता, विनम्रता और सद्भावना का व्यवहार किया जाता है वह उतना ही असहिष्णुता, आतंक, बर्बरता और क्रूरता का व्यवहार करता है। उनकी कार्रवाई मजहबी उन्माद में होता है, जहाँ दूसरों के विचारों या भावनाओं का आदर नहीं किया जाता, वरन् उन्हें कुचला जाता है। कुरान, हदीस और पैगम्बर के जीवन के मेल से प्राप्त आदेश और शिक्षाओं का अनुसरण ही इस्लाम है। मुसलमान इस्लाम में बने रहकर उनका त्याग नहीं कर सकते हैं। और उनके पालन का सीधा अर्थ है युद्ध, विध्वंस और अशान्ति। वे कुरान को अल्लाह का पैगाम समझते हैं जिसका एक शब्द भी बदला नहीं जा सकता है। यही बात संसद में बनातवाला ने भाषण देते हुए कही थी और यही बात सारी दुनिया के मुसलमान कहते हैं।

सारी दुनिया के गैर मुसलमानों, विशेषकर भारत के हिन्दुओं (जिसमें जैन, बौद्ध, सिक्ख, सहित हजारों पंथ और सम्प्रदाय शामिल हैं) को मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए तुरंत पहल शुरू करनी चाहिए। यदि आज पहल नहीं करते हैं तो कल कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि तब स्वंय अपना अस्तित्व समाप्त होते हुए देखने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं किया जा सकेगा।

एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो समुदाय जिस भाषा को जानता समझता है उससे उसी भाषा में बात करनी होती है, अन्यथा वह कोई बात समझ नहीं पाता है। मुस्लिम समुदाय को कोई कितना भी सटीक तर्क से यह नहीं समझा सकता कि ईमान (विश्वास) हर व्यक्ति का अपना अधिकार है। हर मनुष्य को संस्कार से जो ईमान (विश्वास) मिलता है, उसे वह शिक्षा, बुद्धि, विवेक, अनुभव एवं अनेक विधियों से प्राप्त ज्ञान द्वारा बदल सकता है और बदलना चाहिए क्योंकि मनुष्य इसी तरीके से

सृष्टि के समय से ही निरंतर विकास करता आ रहा है। यदि किसी ऐसे विधान से, भले ही उसे ईश्वर, ईश्वर पुत्र या पैगम्बर का विधान घोषित किया गया हो, आदमी बँध कर रह जाय तो उसकी प्रगति रुक जाती है। मनुष्य के लिए आवश्यक है कि अतीत के सारे विधानों और ज्ञान को अपनी नई परिस्थितियों के अनुरूप ढालने की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखे। अतीत सीखने के लिए है बँधने और ढोने के लिए नहीं। जिस मानव समुदाय को यह स्वतंत्रता नहीं होती है वह निःसंदेह पिछड़ जाता है। परिवर्तन प्रकृति का अनिवार्य और शाश्वत नियम है। मनुष्य प्रकृति का ही भाग है। वह परिवर्तन से मुक्त नहीं हो सकता है।

मनुष्य स्वभाव की एक विशेषता है कि बचपन में वह जिस वातावरण में रहता है, जैसा देखता है, जैसा सुनता है उसके साथ वह समरस होकर बँध जाता है। बचपन में जो बातें सिखाई जाती हैं, जिसका अभ्यास कराया जाता है उन सबका वह परम विश्वासी बन जाता है। उसे आजीवन वे बातें, वे परिस्थितियाँ अनुकूल और प्रिय लगती हैं। इसी प्रभाव को संस्कार कहते हैं। वह सदा उन्हीं से बँधा रहना चाहता है। शिक्षा, बुद्धि ज्ञान और अनुभव से प्राप्त तर्कपूर्ण, सटीक अनुभूत और सही–सही नयी बातों को भी वह पुराने के स्थान पर शीघ्र स्थापित करने में झिझकता रहता है, क्योंकि वे उसके अभ्यस्त जीवन के अनुकूल नहीं होती हैं।

मजहबों का पीढ़ियों तक बने रहने का यही कारण होता है। यह समझकर भी कि उनमें बहुत बातें निरर्थक और बेहूदी हैं आदमी उनको ढोये चलता है। बहुत कम ही लोग जो विद्वान, ज्ञानी, बुद्धिमान और विवेकशील होते हैं, अनेक पुरानी परम्पराओं का खण्डन करते हैं। उनकी बुद्धि के साथ उनका आत्मबल भी परम्परा की गलत बातों का विरोध करने को प्रेरित करता है। लेकिन सामान्य लोग, उन परम्पराओं से बँध कर किसी स्वस्थ नई बात का विरोध करते हैं, परिवर्तन को बल पूर्वक रोकते हैं और परम्पराओं को बनाये रखते हैं।

अतीत में अनेक लोगों ने अपनी रुचि, शौक, महात्वाकांक्षा, स्वार्थ एवं अन्य भावनाओं एवं कारणों के वशीभूत, अपने विचार से, आने वाली पीढ़ियों को बाँधे रखने के लिए अनेक उपाय किये हैं। उन्हीं उपायों में से एक मुहम्मद के उपाय हैं। स्वयं को पैगम्बर घोषित कर, अपनी राष्ट्रीय भावनाओं के कारण एक विशेष नई संस्कृति से बाँधकर, अरब के राष्ट्रीय हित के लिए उन्होंने मानव-जाति को जितनी हानि पहुँचायी, उतनी किसी प्राकृतिक आपदा ने भी नहीं पहुँचायी। उन भावनाओं से बँधकर मुस्लिम समाज की दृष्टि अजीब बन चुकी है। वह कहता है कि वैसे तमाम लोग, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल में ईमान नहीं लाते हैं काफिर हैं और अल्लाह का हुक्म है कि इन काफिरों से तब तक लड़ो जब तक कि लोग इस्लाम न मान लें। उसे हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण, अत्याचार, छल–कपट, विश्वासघात सब न्यायपूर्ण और नैतिक लगते हैं। सिर्फ लगते ही नहीं, वे उनका कट्टरतापूर्ण ढंग से पालन करते हैं। उसके पालन में अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं। अपने आसपास के काफिरों (गैर मुसलमानों) को अपनी कपट योजना की भनक भी नहीं लगने देते हैं और समय अनुकूल होते ही उनका नाश कर डालते हैं। यह सब इनके

जीवन का अंग बन चुका है। इन विचारों, भावनाओं, शिक्षाओं का वे अभ्यस्त बन चुके हैं। उनके लिए अब ये सब तर्क पूर्ण और न्यायोचित हो चुके हैं। दुनिया का कोई ज्ञान, शिक्षा, विचार और तर्क उन्हें इन बातों और व्यवहारों में विश्वास (ईमान) से बदल नहीं सकता, क्योंकि इनसे बँधे रहने हेतु मजहबी उन्माद को बनाये रखा जाता है।

मुहम्मद ने अरब राष्ट्र को स्थाई महत्व दिलाने का जो मार्ग चुना उसे आज अन्य देश के मुसलमान नहीं देख पाते हैं। जिस तरीके से इस्लाम का विस्तार हुआ, उसके अनुयायी, पराजित और उत्पीड़ित पूर्वजों पर हुए अत्याचारों का बदला लेने और इस्लाम के राष्ट्रीय उद्देश्य को समझने का साहस कभी नहीं कर सकेंगे; क्योंकि वे अत्यन्त बर्बरता पूर्वक कुचले जाने के बाद ही आतंक की साया में मुसलमान बने हैं। उनकी निर्णयात्मक बुद्धि आतंक के संस्कार में कुचल कर शक्तिहीन बन चुकी है। अब उन्हें इस्लाम के प्रावधानों में ईमान की भय कंपित स्वीकृति के अलावा कुछ भी नहीं सूझ सकता है। पर उसके अतिरिक्त उसके बंधन का पर्याप्त उपाय भी किया गया है। लोक में काफिरों की सम्पत्ति और उनकी औरतों को भोगने का अल्लाह का वादा और परलोक (जन्नत) में सुख–विलास के सभी साधन और यौन तृप्ति के लिए बहत्तर हूरों की व्यवस्था की गई है। ऐसी परिस्थिति और ऐसी व्यवस्था के आश्वासन का विश्वास मुसलमान को कहीं डिगने नहीं देता। अगर किसी में वैचारिक प्रस्फुटन हुआ और इस्लाम के उद्देश्य और चरित्र की समझ से मन में खिन्नता आई; तो भी, कोई मुसलमान धर्म-त्याग नहीं करने को विवश होता है। क्योंकि ऐसे मुसलमानों की हत्या करने का अल्लाह के रसूल का हुक्म है। अन्यथा मुहम्मद द्वारा अरब, अरबी भाषा, मक्का शहर, कुरैश जाति, हाशिम वंश की प्रधानता, काबा की ओर रुखकर सर झुकाना, काबा में आकर हज करना आदि व्यवस्थाएँ अरबी राष्ट्रप्रेम का प्रतीक नहीं तो और क्या है ? इसका उद्देश्य ही सारी दुनिया को इस्लामी गुलामी में जकड़ कर अरब के चरणों में झुकाना और उनके जीवन की बहुमूल्य कमाई का एक भाग अर्पित कराना था।

एक हदीस में पैगम्बर मुहम्मद ने अल्लाह में ईमान के बाद मुसलमान का प्रथम फर्ज जेहाद और दूसरा हज बताया।

"हजरत अबू हुरैरह रजि0 से रिवायत है कि (एक बार) रसूले अकरम (स0) से पूछा गया कि कौन सा अमल सबसे अच्छा है। फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। यह पूछा गया कि इसके बाद (कौन सा अफ्जल अमल है) फर्माया, खुदा की राह में जिहाद करना। अर्ज किया गया, फिर (कौन सा अमल बेहतर है), फर्माया मकबूल हज।" (बु0श0 23) (हिन्दी, नाज पब्लिशिंग हाउस दिल्ली, पृष्ठ 29)

जेहाद से इस्लाम का विस्तार और दुनिया को लूट कर उसका एक भाग अरब पहुँचाने की व्यवस्था तथा हज से दुनिया भर के मुसलमानों की कमाई का भी एक भाग अरब पहुँचाना, इस प्रकार अरब के बाहर की दुनिया चाहे गैर मुसलमान हो या मुसलमान, मुहम्मद की तीक्ष्ण दूरगामी बुद्धि ने, बलपूर्वक छीनकर या आंतरिक भाव नियन्त्रित कर अरबों की आमदनी और प्रभुत्व की स्थाई व्यवस्था कर दी। मजहब के उग्र उथल-पुथल में उलझा गैर अरबी मुसलमान इस्लामी व्यवस्था के चक्रव्यूह को न

तो समझ ही सकता है और न उससे निकल कर बदल ही सकता है। कट्टरता और उन्माद में डूबा मुसलमान कट्टरता और उन्माद की भाषा ही समझ सकता है। आतंकवाद को आतंकवाद से ही पराजित किया जा सकता है। लेकिन हिन्दुओं की सबसे बड़ी समस्या इस विषय की अज्ञानता है। उन्हें बदला जा सकता है तो सिर्फ उसी मार्ग से जिसे उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। उनका मजहब मानकर उनकी जमात में शामिल होकर भी उन्हें उस मार्ग से नहीं हटाया जा सकता है। हाँ, उनका ही मार्ग अपनाकर जिस मार्ग से वे दूसरों का नाश करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई कर उन्हें भले ही उससे मुक्त किया जा सकता है जैसा स्पेन वालों ने किया था। जहाँ कोई व्यक्ति या समुदाय इस निश्चय या उन्माद के साथ तलवार लेकर दूसरे को काटने के लिए तैयार है उसे तलवार या अन्य असरदार हथियार द्वारा अधीन करने के बाद ही समझाया या उपचारित किया जा सकता है। इस क्रम में यदि उसकी हत्या भी हो जाती है तब भी उसे उचित कार्रवाई ही कहनी चाहिए। अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति उसे अपने ज्ञान से समझाकर नियन्त्रित करने की चेष्टा करे तो वह महा अज्ञानी सिद्ध होगा; क्योंकि उसका अंत हो कर रहेगा।

भारत के जितने हिन्दू संगठन हैं सभी इसी अज्ञानता के शिकार हैं। करना क्या चाहिए और कर क्या रहे हैं। आवश्यकता है हिन्दू शिक्षण, प्रशिक्षण, संगठन और शक्ति संचय की; घर–घर, टोला, मुहल्ला, गाँव, शहर और महानगर में पूरे समाज को जागृत और आंदोलित करने की; लेकिन उसकी जगह ये अपनी–अपनी संस्था बनाकर कोई सैल्यूट लगवाकर महान बन रहा है कोई जय जय कार करा कर। सही दिशा में किसी मिशन के लिए समर्पित हुए बिना कोई काम नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं हो रहा है। जनता से कटे हुए इन संगठनों की लम्बी उम्र हो गई, पर कोई उपलब्धि न हो सकी। आज अनेक हिन्दूवादी अखण्ड भारत का सपना देख रहे हैं। सपना देखें, पर ध्यान रखें कि सपना ही देखते न रह जायँ कि पाँव तर की जमीन भी खिसक जाय। खण्डित भारत पुनः खण्डित या बेहाथ न हो जाय, पहले इसकी चिन्ता और व्यावाहारिक कार्य योजना में लगना चाहिए। क्योंकि आज जो परिस्थिति है उससे इसी यथार्थ की ओर बरबस ध्यान जाता है। हिन्दू शिक्षण, प्रशिक्षण, संगठन और शक्ति संचय कुछ भी तो नहीं हो रहा है। कुछ करने वाले, करने में व्यस्त रहते हैं, वे शोर नहीं करते कि मैं यह कर रहा हूँ, वह कर रहा हूँ। उनकी तो भनक तक नहीं लगती। हाँ, नहीं करने वाले सिर्फ शोर मचाते हैं, दिखावा करते हैं और आत्मप्रशंसा करते हैं। सिर्फ हिन्दू को शिक्षित करने का काम शुरू किया जाय तो शुरू करते ही भारी संख्या में, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, समर्पित लोग मिल जायेंगे।

अपना ही खून, अपना ही वंश, अपनी ही जाति और अपने ही धर्म के लोग जो आज मुसलमान के रूप में हमसे कट कर अलग हुए हैं उनको अपनाने और आत्मसात करने के लिए भी हिन्दू समाज को मानसिक रूप से तैयार करने का काम किया जाना चाहिए। साथ ही मुसलमानों को भी याद दिलाना चाहिए कि किस प्रकार उनके हिन्दू पूर्वजों को असह्य यातना सह कर मुसलमान बनना पडा था। इसे तो

अतीत में ही किया जाना चाहिए था। लेकिन हर काम का समय होता है, जब उसके होने की परिस्थिति परिपक्व हो जाती है। यदि हिन्दू समाज इसके लिए तैयार हो जाय तब मुसलमानों को भी घर वापस आने के लिए तैयार करना असंभव नहीं होगा। अपना घर किसे अच्छा नहीं लगता है ? उनकी पूरी स्मृति मिटी नहीं है। हिन्दू समाज के आसपास रहते हुए उनमें अपनी पुरानी संस्कृति का अवशेष अवश्य ही विद्यमान है। यद्यपि मानव स्वभाव के अनुरूप विशेष परिस्थिति और विश्वास के वातावरण में लम्बे समय तक रहते–रहते वे उसका अभ्यस्त हो चुके हैं और अब उन्हें उसी में बना रहना अच्छा लगने लगा है। लम्बे समय तक जेलों में रहने वाले कैदियों में जेल के वातावरण में ही रहने की इच्छा देखी गई है, जिनका जेल से बाहर कोई आकर्षण न हो। क्योंकि वे उसी जीवन के अभ्यस्त हो जाते हैं। यही बात मुस्लिम समाज पर भी लागू होती है। अपने पुराने हिन्दू समाज में वापसी की आशा नहीं रह जाने के कारण इस्लामी वातावरण के वे अभ्यस्त बन गये हैं। उनके मन में जेहाद में प्राप्त होने वाला धन और सुन्दर हिन्दू औरतों का लोभ समा गया है। इसलिए उससे उनको हटाने में काफी मशक्कत की आवश्यकता अवश्य होगी।

दुनिया में हजारों पंथ, मजहब या सम्प्रदाय हैं। पुराने सम्प्रदाय समाप्त भी होते हैं और नये पैदा भी होते हैं। यदि काफिरों (गैर मुसलमानों) का कोई नया मजहब यह घोषणा करे कि उसे ईश्वर की प्रेरणा प्राप्त हुई है कि अल्लाह के जो हुक्म काफिरों को मिटाने के लिए है उन्हीं के प्रयोग से मुसलमानों को मुक्त कराया जाय। तब इसका रूप क्या होगा ?

कुरान में मुसलमानों के लिए अल्लाह का हुक्म = क
नये मजहब में ईश्वर द्वारा गैर मुस्लिमों को आदेश =ख से दर्शाया गया है।

क – ".....निःसंदेह काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। (कु0 4:101)

ख – निःसंदेह मुसलमान तुम्हारे खुले दुश्मन हैं।

क – फिर जब हराम के महीने बीत जायँ तो मुश्रिकों को जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो और पकड़ो और उन्हें घेरो, और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वे तौबा कर लें नमाज कायम करें और जकात दें, तो उनका मार्ग छोड़ दो। निःसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमा और दया करने वाला है। (कु0 9:5)

ख – गैर मुस्लिमों तुम्हारे लिए कोई महीना हराम नहीं है। मुस्लिमों को जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो और पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वे मुक्त होना स्वीकार कर लें तो उनका मार्ग छोड़ दो। निःसंदेह परमेश्वर बड़ा क्षमा और दया करने वाला है।

क – हे ईमान लाने वालों (मुसलमानों) उन काफिरों से लड़ो जो तुम्हारे आसपास हैं और चाहिए कि वे तुममें सख्ती पायें। (कु0 9:123)

ख – हे इस्लाम में ईमान नहीं लाने वालों (गैर–मुस्लिमों) ! उन मुसलमानों से लड़ो जो तुम्हारे आसपास हैं और चाहिए कि वे तुममे सख्ती पाएँ।

क – अल्लाह काफिर लोगों को राह नहीं दिखाता। (कु0 9:37)

ख – ईश्वर मुसलमानों को भी मार्ग दिखाता है पर लूट के धन के लोभ में और लूट की औरतों के लोभ में जिसे वे अल्लाह का वादा कहते हैं मनुष्यता के मार्ग से भटक गये हैं।

क – हे नबी! काफिरों; मुनाफिकों के साथ जिहाद करो, और उन पर सख्ती करो और उनका ठिकाना जहन्नम है, और बुरी जगह है जहाँ पहुँचे। (कु0 66:9)

ख – हे गैर मुसलमानों, मुसलमानों के साथ धर्मयुद्ध करो। अन्याय और अधर्म के विरुद्ध युद्ध करते हुए कठोरता के साथ शत्रुओं को नरक पठाओ। वह बुरी जगह है जहाँ ये जायेंगे।

क – हे ईमान लाने वालों ! .....और काफिरों को अपना मित्र न बनाओ। अल्लाह से डरते रहो यदि तुम ईमान वाले हो। (कु0 5:57)

ख – हे गैर मुसलमानों ! मुसलमानों को अपना मित्र न बनाओ। ईश्वर से डरो और आदेश का पालन करो।

क – फिटकारे हुए (गैर मुस्लिम) जहाँ कहीं पाये जायेंगे पकडे जायेंगे और बुरी तरह कत्ल किये जायेंगे। (कु0 33:61)

ख – फिटकारे हुए (मुस्लिम) जहाँ कहीं पाये जायेंगे पकडे जायेंगे और बुरी तरह कत्ल किये जायेंगे।

क – निश्चय ही तुम और वह जिसे तुम अल्लाह के सिवा पूजते थे जहन्नम का ईंधन हो। तुम अवश्य उसके घाट उतरोगे। (कु0 21:98)

ख – निश्चय ही तुम और वह जिसकी झूठी बातों पर तुमने ईमान लाया नरक का ईंधन हो। तुम अवश्य उसके घाट उतरोगे।

क – "अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों (लूट) का वादा किया है जो तुम्हारे हाथ आयेगी" (कु0 48:20)

ख – जो आततायी अल्लाह के नाम पर दूसरों को लूटने को प्रोत्साहित करता है और उसे अल्लाह का वादा कहता है, ऐसे अन्यायी और अधर्मी को लूट कर नष्ट करने का ईश्वर का आदेश है।

क – तो जो कुछ 'गनीमत' (लूट) का माल तुमने हासिल किया है उसे 'हलाल' और पाक समझ कर खाओ। (कु0 8:69)

ख – दूसरों को लूट कर लूट का माल जमा करना और उसको पाक और हलाल बता कर उसका भोग करने के लिए कहना, अल्लाह का हुक्म है तो फिर शैतान का हुक्म क्या होगा। ऐसे पापियों का नाश करो।

क – हे नबी ! ईमान वालों (मुसलमानों) को लड़ाई पर उभारो। यदि तुममे 20 जमे रहने वाले होंगे तो वे 200 पर प्रभुत्व प्राप्त करेंगे और यदि तुममें 100 हों तो 1000 काफिरों पर भारी रहेंगे। क्योंकि वे वैसे लोग हैं जो समझ बूझ नहीं रखते।

ख – हे गैर मुसलमानों ! तुम दुनिया के सभी गैर मुसलमानों को लड़ाई पर उभारो। तुम आधुनिकतम अस्त्र–शस्त्रों और विस्फोटकों का इस्तेमाल कर 20 आदमी 200 मुसलमानों को और 100 आदमी 1000 मुसलमानों को नष्ट

करो। क्योंकि वे वैसे लोग हैं जो तुमको नष्ट करने की सारी तैयारी करने में लगे हैं। अपनी सुरक्षा तुमको स्वयं करने का अधिकार है। मुसलमानों का मजहब तुमको मिटा डालने का खुला एलान करता है। इसलिए ऐसे शत्रु को पहले ही मिटा देना आत्म सुरक्षा में किया हुआ कदम माना जायेगा। अन्यायी और अधर्मी का नाश करना ही धर्म है। जो तटस्थ है वह पाप का भागी होगा। लेकिन यदि मुसलमान अपने धर्म ग्रंथों में संशोधन कर गैर मुसलमानों का नाश करने के विचार का त्याग कर वैसा ही आचरण अपनाते हैं तब तुम भी उनसे प्रेम करो।

क – मुहम्मद ने उमर के समक्ष यह घोषणा की, मैं यहूदियों और ईसाइयों को अरब प्रायद्वीप से निकाल बाहर करूँगा। यहाँ मुसलमानों के अतिरिक्त कोई नहीं रहेगा। (स0मु0 4366)

ख – यहूदियों, ईसाइयों सहित सभी गैर मुसलमानों के लिए यह उचित है कि मुसलमानों को अपने पुराने धर्म में वापस आने के लिए कहें। यदि वे तैयार न हों तो उनको वैसे मुल्कों से जिसे वे दारुल हर्ब कहते हैं निकाल बाहर करें ताकि उन मुल्कों के दूसरे लोग मिलकर शान्तिपूर्वक एक साथ रह सकें।

क – पैगम्बर ने यहूदियों को बाहर बुलाया और कहा कि ऐ यहूदियों इस्लाम स्वीकार कर लो, तभी सुरक्षित रह सकोगे। जब उनका उत्तर संतोषजनक नहीं मिला तब उन्होंने उनको चेतावनी देते हुए कहा तुमको जानना चाहिए कि यह पृथ्वी अल्लाह और उसके रसूल की है मैं यहाँ से तुम लोगों को खदेड़ कर ही दम लूँगा। (स0मु0 4363)

ख – गैर मुसलमानों को चाहिए कि वे मुसलमानों से इस्लाम का त्याग करने को कहें। यदि उनका उत्तर संतोषजनक नहीं मिले तो उनको चेतावनी देते हुए कहना चाहिए कि यह पृथ्वी ईश्वर की है। सृष्टि की रचना करने की जब उसमें शक्ति है तो अपनी इच्छानुसार हर किसी से आचरण कराने की भी उसमें शक्ति है। इसके लिए किसी एक व्यक्ति को वह अधिकृत नहीं करता कि सारी दुनिया में फसाद फैलावे, लोगों को अल्लाह के नाम पर बल पूर्वक कुचल कर अपने अधीन करे, विध्वंस मचाने वाली संस्कृति का प्रचार कर उसका जड़ जमावे और अन्ततः अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए मनुष्यता को भयंकर बर्बरता अत्याचार और विनाशकारी कत्लेआम की आग में झोंक दे। 'दूसरों पर अत्याचार का सिद्धांत' छोड़े। अन्यथा उन्हें खदेड़ कर समाप्त करो।

क – मुझे लोगों से तबतक युद्ध करते रहने का (अल्लाह से) आदेश मिला है जब तक कि वह यह सत्यापित न करने लगे कि अल्लाह के अतिरिक्त दूसरा कोई उपास्य नहीं है और मुझमें अल्लाह का रसूल (संदेश वाहक) होने के नाते और उस सब में जो मेरे द्वारा लाया गया है विश्वास न करने लग जायँ। (हदीस सं0 31 स0मु0)

ख – सभी गैर मुसलमानों के लिए ईश्वर का यह आदेश है कि उन्हें मुसलमानों से तब तक युद्ध करते रहना चाहिए जब तक कि वे सभी धर्मों और विचारों को मानने वालों के साथ सहिष्णुता का व्यवहार करना स्वीकार नहीं करते और सबको अपने पंथ के अनुसार आचरण की स्वतंत्रता को नहीं मानते। यह लड़ाई तब तक जारी रखना चाहिए जब तक कि मुहम्मद द्वारा लाये गये सभी विचारों और आदेशों को त्यागना स्वीकार नहीं कर लेते।

"क" में इस्लाम के हुक्म हैं और "ख" में उसके विरोधी के। यदि "क" की बातों को उचित सिद्ध किया जाता है तो "ख" को किस आधार पर अनुचित सिद्ध किया जायेगा ? "क" में दिये गये कुछ ही उदाहरण इस्लाम के चरित्र के मूल तत्व को दर्शाते हैं जबकि ऐसे ही हुक्मों की भरमार है। अब सवाल उठता है कि गैर–मुसलमानों को क्या करना चाहिए ?

मुसलमान तो कहते ही हैं कि उनका मजहब ही सच्चा मज़हब है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म कुरान और हदीस में दर्ज हैं। वे सत्य हैं, अपरिवर्तनीय हैं। उनका पालन करना हर मुसलमान का व्यक्तिगत और सामूहिक फर्ज है। वे उस फर्ज को सदियों से पूरा करते भी रहे हैं। भारत में निकट भविष्य में उस फर्ज को पूरा करने की जोरदार तैयारी चल रही है। परिणाम क्या होगा ? लाखों–करोड़ों लोगों के खून से धरती लाल होगी। असंख्य महिलाओं का शील हरण और अपहरण होगा। अपनी सारी सम्पत्ति खोकर बचे आतंकित गैर मुसलमान लोग मुसलमान बनने को विवश होंगे। सभी वैचारिक स्वतंत्रता इस्लामी ईमान के घेरे में कैद हो जायेगी। मानव विकास की असीम संभावनाओं के पैरों में बेड़ियाँ पड़ जायेंगी। औरतों की आधी आबादी बुर्कों में और घरों में कैद हो जायेगी। मानवता घुट–घुट कर दम तोड़ेगी, वैसी परिस्थिति में "ख" में वर्णित आदेशों का पालन करना जो बिल्कुल "क" के एक तरफा आक्रमकता के विरोध में, मात्र आत्म सुरक्षा के लिए है, क्यों उचित नहीं है ? अपनी इन प्रस्थापनओं के साथ यदि इस्लाम धर्म हो सकता है तो फिर अधर्म क्या हो सकता है ?

अब भारत के तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी और आर्थिक शोषण, अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को बदलकर न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने का दावा करने वाले मार्क्सवादी, कृपया बतावें कि उन्हें इस्लाम की ये व्यवस्थाएँ क्यों और कैसे न्यायपूर्ण लगती हैं ? आप इस्लाम की किन बातों को न्यायपूर्ण समझते हैं ? आप आँख मूँद कर क्यों मुस्लिम हितों की पूर्ति में लगे रहते हैं ? इस प्रकार क्या आप हिन्दुओं के सामूहिक कत्लेआम की व्यवस्था में मददगार नहीं बन रहे हैं ? हिन्दू अभी तक सुसंस्कृत जीवन शैली के अपने गहन संस्कारों के प्रभाव के कारण बड़े पैमाने पर बदले की बर्बर हिंसात्मक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं इसलिए उन्हें दबाते चलना उचित है ? एक पूरा समुदाय ही अपनी विध्वंसात्मक मजहबी कार्रवाइयों से अपने जन्म के समय से ही बर्बरता, क्रूरता, आतंक और अन्याय पूर्वक अपने पड़ोसियों को कुचलता आ रहा है। इससे कुछ भी सीखने के बदले आप आँख मूँद कर उसका साथ देते चल रहे हैं। आप स्वंय को न्याय का पक्षधर कहते हैं और अन्याय का खुला समर्थन करते

हैं। शोषण के विरुद्ध आपके न्यायपूर्ण संघर्ष को आपके इसी व्यवहार के कारण, शोषितों का भी समर्थन नहीं मिल पाता है। क्या आपको नहीं लगता कि आप अज्ञानता के पर्याय बन चुके हैं ?स्वामी विवेकानन्द ने कहा था, "आप हिन्दू धर्म के संपूर्ण साहित्य से एक वाक्य निकालकर दिखा दीजिये जिसमें पूरी मानवता के कल्याण की कामना व्यक्त न की गई हो और सिर्फ हिन्दुओं के कल्याण की कामना हो !" "धर्म अफीम है" रट लिया गया और यह समझने की चेष्टा नहीं की गई कि मार्क्स ने इसे रिलीजन के संदर्भ में व्यक्त किया था न कि धर्म के संबंध में, जो अपने मौलिक चरित्र में ,पंथनिरपेक्ष है। लेकिन आप को हिन्दू साम्प्रदायिक लगते हैं सिर्फ इसलिए कि वे साम्प्रदायिकता जानते ही नहीं। अगर वे साम्प्रदायिक होते तो सम्प्रदाय के रूप में संगठित होते, उनकी संगठित शक्ति होती और उनका वोट बैंक होता, तब आपकी धर्मनिरपेक्षता का कुछ और अर्थ होता।

जातियों में बिखरा हुआ पूरा हिन्दू समाज आपसी वैमनस्य, द्वेष और घृणा का शिकार बना हुआ है। आज जातीय नेता अपना राजनीतिक अस्तित्व जाति के अस्तित्व में ही देखते हैं। जातीय विद्वेष की आग पर ही अपनी रोटी सेंकते हैं। इसलिए उनके लिए जातीय विखराव लाभदायक स्थिति है। जैसे ही हिन्दू समाज को संगठित करने की बात आती है जिससे जातीय विद्वेष समाप्त होने के साथ समरसता, शान्ति और विकास की प्रबल सम्भावना बनती है, ये जातीय नेता धर्मनिरपेक्षता और साम्प्रदायिकता शब्दों को खूब उछालते हैं ताकि सामाजिक सौहार्द्र, समरसता और न्याय के पक्ष में पूरे हिन्दू समाज को एकजुट करने वालों का मनोबल टूट जाय और वे पूरे समाज को संगठित न कर सकें। ये जातीय नेता स्वार्थ के लिए सामाजिक जीवन को सदा दूषित बनाये रखने की इच्छा वाले प्रकट या गुप्त अपराधी और निम्न प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं। उन्हें अपना हित सामाजिक हित से अधिक प्रिय होता है।

ये धर्मनिरपेक्षता का पाखण्ड करने वाले लोग हिन्दू समाज को संगठित करने में एक अन्य कारण से भी बाधा डालते हैं। ईसाई और मुसलमान दोनों का सर्वोच्च हित हिन्दू समाज के बिखराव और कमजोर बने रहने में है। इसलिए उसको संगठित और उसकी एकता का प्रयास करने वाले को वे अपना विरोधी समझते हैं। मुस्लिम–ईसाई वोट के लोभी उनको खुश रखने के लिए हिन्दू–विरोध की नीति पर चलते हैं। वे बँटे हुए हिन्दू जातियों में कुछ को फोड़ कर मुस्लिम ईसाई वोट की मदद से सत्ता में पहुँचने के लोभ से यह नीच हरकत करते हैं। छद्म धर्म निरपेक्षता वालों के अन्यायपूर्ण एवं अनैतिक आचरण के कारण अब हिन्दुओं के लिए साम्प्रदायिक बनने के सिवा और कोई मार्ग नहीं बचा है। अब हिन्दुओं को एक सम्प्रदाय के रूप में तुरंत संगठित होने, शस्त्र धारण करने और अन्याय और अधर्म के विरुद्ध हिंसात्मक युद्ध छेड़ने के अलावा और कौन सा मार्ग बचा है ? सरकार नाम की संस्था ने दिखा दिया है कि वह अन्याय का समर्थक है। उसने यह भी दिखा दिया है कि वह थोड़े से हिन्दुओं को भी एक मुस्लिम बहुल राज्य में सुरक्षित नहीं रख सकती। दूसरी ओर वह पूरे देश को मुस्लिम बहुल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। हिन्दुओं के साथ गाँधी–नेहरू द्वारा किये गये विश्वासघात से भी कई कदम आगे बढ़ कर आज

की सरकार कर रही है। कारण है, सत्ता–सुख के लिए संगठित मुस्लिम वोट की प्राप्ति का लोभ। आने वाले दिनों में इसका परिणाम चाहे कुछ भी हो। असंगठित हिन्दू वोट का कोई मूल्य नहीं है। वे किसी सिद्धांत के तहत किसी उद्देश्य के लिए वोट नहीं देते हैं। वे तो अपनी जाति के नेता पर गर्वित हो जाते हैं। वह भले ही हत्यारा, डकैत, स्मगलर, घोटालेबाज, स्वार्थलिप्सा में संपूर्ण हिन्दू समाज का ही नाश कराने वाला या किसी अन्य प्रकार का अपराधी ही क्यों न हो। समाज के दुराचारी और अपराधी, सामान्य लोगों को आतंकित कर वोट लूट लेते हैं। अब उन्हें दब्बू हिन्दुओं के वोट की भी बहुत आवश्यकता नहीं रह गई है। बस थोड़े से लड़ाकू समुदाय को अपने पक्ष में रखना है। उसके बाद कुर्सी अपनी है। सभी दल वाले इसी राह पर चल पड़े हैं। सत्ता की कुर्सी के लिए कुछ संगठित लड़ाकू समुदाय के वोट के बाद और उन्हें किसी की चिन्ता नहीं है। वे राजसत्ता में पहुँच कर अपने अधीनस्थ अपराधियों को संरक्षण देकर अपहरण व्यवसाय को बढ़ा चुके हैं। उसके कारण हत्या, बलात्कार जैसे दुराचार की बाढ़ आ गई है। बैंक लूटे जा रहे हैं। ट्रेनों में डकैतियाँ हो रही हैं। दिन दहाड़े दुकानें लूटी जा रही हैं। अपराधी खुले आम रंगदारी की माँग कर रहे हैं। ट्रेनों को विस्फोटकों से उड़ाने का कुचक्र शुरू हो चुका है। सरकारी विभागों के अधिकारी–कर्मचारी, ठेकेदार सभी लूट में व्यस्त हैं। सत्ता में पहुँचे राजनीतिज्ञों की तो देश जागीर ही बना हुआ है। सरकारी खजाना को मनमाना उड़ाना तो उनका अधिकार है। सम्पूर्ण राजनीतिक और सामाजिक जीवन भ्रष्टाचार की चपेट में है। अब वह दिन दूर नहीं है जब ईसाई बहुल राज्य भी इस देश से अलग होकर पाकिस्तान की तरह अपना देश बनाने की भरपूर चेष्टा करेंगे। पहले से ही भारत को मुस्लिम और ईसाई राज्यों में बाँट लेने की उनकी योजना गुप्त रूप से चल रही थी, जिसमें अब तेजी आई है।

हिन्दू असहाय बनकर अपने विनाश का चुपचाप तमाशा देख रहा है। वह लौकिक जीवन में धन और पारलौकिक जीवन में मोक्ष प्राप्ति के मोह में अपना अस्तित्व ही मिटा डालने की राह में हैं। शीघ्र ही एक तरफ इस्लामी आतंकवाद और दूसरी ओर ईसाई आतंकवाद और कपट जाल का जोर पूरे देश में फैलने वाला है। तब जगह-जगह विस्फोट और सामूहिक नरसंहार का दौर शुरू होगा। ट्रेनों में, फैक्टरियों में, सरकारी कार्यालयों में, बैंकों में, अस्पतालों में, सैनिक छावनियों में विस्फोट का दौर शुरू होगा। रेल और सड़क पुल उड़ाये जायेंगे। सारा संचार तंत्र तहस-नहस होगा। सैनिक सामान बनाने वाले कारखानों पर जेहादी कब्जा कर लेंगे। सैनिक सामान के भंडारों को उसके मुस्लिम पहरेदार ही उड़ाकर नष्ट कर देंगे। निहत्थे, असावधान और अपने तक सिमट कर रहने वाले हिन्दुओं का कत्लेआम शुरू होगा। उनकी सारी सम्पत्ति और जवान औरतों पर मुसलमानों का अधिकार होगा। बचे-खुचे आतंकित हिन्दू फटाफट मुसलमान बनेंगे, कुछ ईसाई प्रभाव में होंगे। देखते–देखते हिन्दू समाज का अस्तित्व मिट जायेगा। कश्मीर के हिन्दुओं की स्थिति पूरे देश के हिन्दुओं की होने वाली है। जगह–जगह विस्फोट और शहरों में बड़े पैमाने पर मुस्लिम आतंकियों द्वारा रंगदारी वसूलने वालों का नेटवर्क काम कर रहा है जो

अब देश भर में फैलता जा रहा है। हिन्दू कायर, श्रीहीन और बेचारा बनकर दुबके हुए हैं। हिन्दू राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी, धर्मगुरू, मानवतावादी आदि सभी हिन्दुओं को ही उपदेश दे कर अपनी निष्पक्ष छवि बना रहे हैं और हिन्दुओं पर ही अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं; क्योंकि ये अनैतिक, कायर और निम्नस्वार्थी लोग हैं, जिनमें सत्य कहने की भी ताकत नहीं है। ये हिन्दुओं को झिड़क कर और सिद्धांतवादी होने का ढोंग कर अपनी नीचता और कायरता छिपाते हैं।

सबसे बड़ा आश्चर्य यह हिन्दू समाज है, जिसे कुछ सूझता ही नहीं। यह जात–पाँत, ऊँच–नीच, छुआ–छूत आदि बुराइयों से चिपटा हुआ और स्वार्थ में अंधा बना हुआ है। निकट भविष्य में ही होने वाले अपने सम्पूर्ण विनाश को नहीं देख रहा है और निष्क्रिय बन गया है। जो सक्रिय हैं जिनका कुछ लक्ष्य है वे करने में लगे हैं जैसे ईसाई, मुसलमान और मार्क्सवादी सभी शक्ति संचय और आतंकवाद के रास्ते अपने लक्ष्य की ओर कब से चल रहे हैं। ये सभी शामी परम्परा की बर्बरता की शिक्षा और संस्कारों के प्रभाव से विकृत हो चुके हैं। उन सबकी कार्रवाई का शिकार होना है एक मात्र हिन्दू को। उनका शत्रु और उसको मिटाने का लक्ष्य एकमात्र हिन्दू है। ईसाई और मुसलमान अपने मजहबी उद्देश्य को पूरा करने में लगे हैं और मार्क्सवादी उनकी सेवा में। इनको यह ध्यान नहीं है कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हिन्दू मिट जायेंगे। वे ईसाइयत और इस्लाम में बदल जायेंगे और फिर मार्क्सवादी पाकिस्तान की तरह भारत में भी समाप्त हो जायेंगे, ये कहीं के नहीं रहेंगे। समाजवाद की स्थापना तो नहीं ही कर सकेंगे। बस हिन्दुओं को मिटाने में ईसाईयों और मुसलमानों का मददगार बनेंगे और फिर स्वंय मिटेंगे।

मार्क्सवादी जिस प्रकार इतिहास में मजदूर वर्ग की अन्तर्राष्ट्रीयता के सिद्धांत के नशे में राष्ट्रद्रोही की भूमिका निभा चुके हैं और आज जिस प्रकार मजहबी उन्माद के समर्थन के साथ अन्याय के पक्ष में खड़ा हैं उसे देखकर इनकी वैचारिक शून्यता पर तरस आती है। फिर भी कुछ लोगों को बरगला कर किस प्रकार ये अपने भटकाव में भी साथ जोड़े रहते हैं, यह विचारणीय है। अपने साथ जुड़े लोगों की बुद्धि को नियंत्रित करने और उन्हें अनुशासित रखने के लिए मुसलमानों की तरह सैद्धांतिक बहस और शंकाओं को व्यक्त करने की अनुमति नहीं या कम ही देते हैं। उनसे जुड़ा कोई व्यक्ति जैसे ही उनके कार्यों के औचित्य के विषय में कोई प्रश्न उठाता है उस पर गालियों की बौछार कर देते हैं – पूँजीपतियों का दलाल, साम्प्रदायिक, आर०एस०एस० का एजेंट, भीतरघाती, संशोधनवादी, प्रतिक्रियावादी, लासालवादी आदि आदि। उनके द्वारा उठाये गये प्रश्नों से ध्यान स्वतः ही हट जाता है और दूसरा साथी फिर वैसा प्रश्न करने का साहस नहीं करता। इस प्रकार मार्क्सवादी सोच की धारा जैसी की तैसी चलती रहती है। उसमें विचार-विमर्श, सभी विषयों की सांगोपांग समीक्षा और परिवर्तित परिस्थिति के अनुसार आत्म-सुधार का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। सिर्फ चलता है नेता का विचार।

संशोधन, प्रगतिशीलता का अनिवार्य तत्व होता है। कोई विचार सार्वदेशिक और सार्वकालिक नहीं होता। जो सार्वदेशिक और सार्वकालिक जैसा लगता है उसमें

भी सुदूर स्थानों, भिन्न परिस्थितियों और लम्बे अंतराल के बाद कुछ न कुछ संशोधन की आवश्यकता अवश्य होती है। उसके बिना जड़ता की स्थिति हो जाती है जो विकास या प्रगति की विपरीत स्थिति है। इसलिए जो संशोधन की निन्दा करता है वह किसी विचार से स्वंय को जोड़कर जड़ बन जाता है। वह बदलाव को सहन नहीं कर पाता है। जब बदलाव का नियम सम्पूर्ण जगत का एक ज्ञात तथ्य है, तब बदलाव के प्रति संवेदनशीलता, सतर्कता और समझदारी के साथ आवश्यकतानुसार स्वयं को बदलना चाहिए। जिसमें परिवर्तन से अरुचि बनती है उसे यह समझना चाहिए कि उसकी बुद्धि की क्रियाशीलता में कमी आ गई है। वह बदलाव को देखकर उसके कारणों की समीक्षा करने में असफल हो जाता है। मार्क्सवादी जो करते हैं उसकी कार्यकर्ता स्तर पर समीक्षा की व्यवस्था करें। पोलिट ब्यूरो की तानाशाही के कारण आज तक वे अनेक भद्दे और अनुचित काम करते रहे हैं। बांगलादेशी मुसलमानों को भारत की सीमा में प्रवेश कराने में मदद करना, उनको सुनियोजित रूप से बसाना, उनको राशन कार्ड बनवाना, उनका नाम वोटरलिस्ट में अंकित कराना एवं अन्य प्रकार की सुविधाओं द्वारा जानबूझ कर उन घुसपैठियों को भारत में छुपाने में सहयोग करना, राष्ट्रद्रोह नहीं है तो और क्या है ? मजदूर वर्ग के अर्न्तराष्ट्रीय चरित्र की एक पक्षीय किताबी ज्ञान से मार्क्सवादी दिशाभ्रष्टता के शिकार बने हैं। वे इन तथ्यों पर ध्यान ही नहीं देते कि मुसलमान का हर "वाद" इस्लाम की सीमा में कैद है। 1946 के "दि ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स" में उन्होंने देखा है कि किस प्रकार एक ही युनियन के मुसलमान मजदूरों ने हिन्दू मजदूरों (कामरेडों) को गाजरमूली की तरह काट डाला। आज बंगलादेशी मुसलमानों को भारत में बसाने का परिणाम यही होगा कि एक दिन वे अपने हिन्दू पड़ोसियों को उसी प्रकार गाजर मूली की तरह काटेंगे। मार्क्सवादी और कुछ नहीं सिर्फ इसी का इंतजाम कर रहे हैं। यह चाहे वे जिस उद्देश्य से करें, वोट पाकर सत्ता–सुख भोगने के लिए या मजदूर वर्ग के अन्तर्राष्ट्रीय भाईचारे के सिद्धांत के कारण, उसका अंतिम परिणाम यही होगा। पारम्परिक मुस्लिम मजहबी राजनीतिक बुद्धि के सामने वे बौने हैं। अंध-मुस्लिम-तुष्टिकरण में उन्होंने तसलीमा नसरीन की पुस्तक को प्रतिबंधित किया और उनके कलकत्ता में प्रवास को अस्वीकार किया। उनमें शोषण विहीन समाज के लिए सत्ता की ललक ने न्याय की अवधारणा का लगभग लोप कर दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने घुसपैठ को आक्रमण घोषित किया है। देश के प्रत्येक नागरिक और सैनिक का यह कर्तव्य है कि आक्रमणकारी को मार भगायें। उन पर की गई कार्रवाई राष्ट्रभक्ति होगी और उनको बचाना राष्ट्रद्रोह। मार्क्सवादी अपने देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का खुला उल्लंघन कर राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन कौन क्या करे ? वे ही तो इस देश की सरकार हैं। संविधान मजाक बन चुका है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का सरकार पालन नहीं कर रही है। देश संवैधानिक संकट के निकट पहुँचता जा रहा है। वैसी परिस्थिति में सामान्य, शांतिप्रिय और कानून में विश्वास रखने वाले लोगों का बरबस ध्यान सेना की ओर जायेगा या फिर अन्याय और अधर्म के विरुद्ध शस्त्र धारण कर हिंसात्मक प्रतिकार की ओर।

मार्क्सवादी जमात में शामिल सभी हिन्दुओं को गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस्लाम और ईसाइयत का अध्ययन कर वास्तविक विध्वंसात्मक स्वरूप को समझना चाहिए और पार्टियों के अंदर इस पर बहस छेड़ देनी चाहिए। मार्क्सवादी नेता अपनी बौद्धिक जड़ता के कारण विश्वास के योग्य नहीं होते। उनमें लचीलापन नहीं होता। वे पढ़ चुके हैं कि राजसत्ता का जन्म बन्दूक की नली से होता है। यह वाक्य उन्हें अफीम के नशे में डुबाकर, सभी वैचारिक विवेचना को नकार देता है। उसका उद्देश्य ही बलपूर्वक दूसरों को कुचलना होता है। जैसा इस्लाम का है। लगता है इसे ही मार्क्सवादी इस्लाम से अपनी एकता का आधार समझ बैठे हैं। वे शायद यह ध्यान नहीं देते कि दोनों के लक्ष्य परस्पर विरोधी ध्रुवों पर केन्द्रित हैं। सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से हताश और असुरक्षित भविष्य से भयभीत युवा वर्ग को समाजवाद का सम्मोहन बहुत आकर्षित करता है। न्याय पर आधारित शोषण विहीन समाज व्यवस्था का चित्र बड़ा ही प्रिय लगता है। पर ध्यान रखना है कि 70 वर्षों तक लाखों लोगों की हत्या के बाद बलपूर्वक स्थापित समाजवाद को कोई और नहीं वहाँ की वर्ग विहीन जनता ने ही पलट दिया। एक दो देश में नहीं, दो तीन को छोड़कर लगभग पूरी समाजवादी दुनिया में **नव शासक वर्ग** के अत्याचारों से तंग आकर।

शोषण और सामाजिक अन्याय, धर्म समर्थित नहीं हो सकते और न हैं। धर्मों के आवरण में पनपे, धर्म भ्रष्ट लोगों द्वारा स्थापित सम्प्रदायों में ही वे कहीं कहीं दिखते हैं। जिससे समाज में व्याप्त सामाजिक अन्याय और शोषण को समर्थन मिलता है। मजहब, रिलीजन, सम्प्रदाय और पंथ को धर्म नहीं समझना चाहिए। धर्म, मानव–कल्याण हेतु सर्व–सुबोध शाश्वत एवं निरपेक्ष विधान जैसी अवधारणा है। आवश्यकता है सिर्फ आर्थिक शोषण पर ही ध्यान केन्द्रित न कर सभी प्रकार के अन्याय के विरुद्ध मुखर होने की; क्योंकि अन्याय के रास्ते चल कर स्थापित न्याय, टिक नहीं सकता। हिन्दू समाज पर निकट भविष्य में आने वाले खतरे और घोर अन्याय के प्रति सावधान होना हर हिन्दू का कर्तव्य है। मार्क्सवादी–जड़ता और भटकाव में फँस कर, अपना सर्वनाश कराने से बचने के लिए मार्क्सवादी हिन्दुओं को इस विषय पर गंभीर चिन्तन करना चाहिए। ईसाई और मुसलमान सदियों से हिन्दुओं के विरुद्ध आक्रमणकारी के रूप में बर्बरता और क्रूरता पूर्वक उनको मिटाने के लिए हथियार द्वारा आतंक मचाये हुए हैं, नासमझीवश मार्क्सवादियों ने भी उनके इस अभियान में सहयोग ही दिया है। **अपनी सुरक्षा के लिए आतंक और विध्वंस का मुकाबला यदि आतंक और विध्वंस से ही करना शुरू किये होते तो आज यह स्थिति न होती। आततायी से सुरक्षा के लिए सभी मार्ग उचित हैं।**

भाग – III

हिन्दुओं को बड़ा कठोर निर्णय लेना होगा। त्याग और बलिदान के लिए तैयार होना होगा। एक–एक आदमी को तैयार होना पड़ेगा। धनिकों को अर्थ लाभ के असीमित लोभ पर लगाम लगाना होगा। कठिन तपस्या के लिए पूरे समाज को ही तैयार करना पड़ेगा। अपने वंशजों की सुरक्षा के लिए अपनी आहुति देनी होगी वरना अपनी

कायरता अपने वंशजों के सम्पूर्ण विनाश का निश्चित कारण बनेगी। हिन्दू समाज को कुछ कार्यों को तो तत्काल शुरू कर देना चाहिए। उन्हें अब विरोधियों की टिप्पणियों और प्रशासनिक कार्रवाईयों की बहुत चिन्ता न कर हिन्दू हित की बातें खुले रूप में करने और तद्नुरूप कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। दूसरा कोई इस दिशा में कुछ कर रहा है ऐसा विचार न लावें। यह समझिये कि यह काम दूसरों ने आपके लिए रख छोड़ा है। इसलिए इसके लिए आपसे बढ़कर अन्य कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है। दूसरी बात; आपके दिमाग में जब ही इस समस्या की संवेदना जागृत हो वही सबसे अच्छा मुहूर्त है हिन्दू रक्षा अभियान की शुरुआत का। अब देर करने का समय नहीं है। तुरंत लगने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य है कि हिन्दू धर्माचार्य, हिन्दू राजनीतिज्ञ, हिन्दू संगठन और संस्थाएँ सभी निष्क्रियता के शिकार हैं। उनको अपनी कार्यशैली में तुरंत बदलाव लाने की आवश्यकता है।

ऊपर कुछ उपाय सुझाये गये हैं उन्हें पुनः यहाँ स्मरण करा देना उचित होगा।

पहला काम है, हिन्दू समाज को इस्लाम, ईसाइयत, मार्क्सवादी भटकाव, धर्मनिरपेक्षता का ढोंग, मैकाले शिक्षा नीति का प्रभाव, सामान्य हिन्दू में राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक भावनाओं का ह्रास, हिन्दू समाज की रूढियों, अंधविश्वास, जातिप्रथा, ऊँचनीच, जातिभेद, छुआछूत, शादियों में तिलक–दहेज की प्रथा, सामाजिक–आर्थिक विषमता, सामाजिक अन्याय और आर्थिक शोषण आदि विषयों और सामाजिक गति–विधियों में सहयोग की शिक्षा का प्रचार करना। इसकी शुरुआत के लिए सबसे पहला काम करना है समाज की सबसे निचली इकाई का गठन। किसी गाँव या शहर में रहने वाले हिन्दू सिर्फ अपनी–अपनी जीविका और निजी या पारिवारिक विकास के कार्य में लगे रहते हैं। वे निजी या पारिवारिक सुरक्षा की भी यथा संभव तात्कालिक, अल्पकालिक और दीर्घकालिक व्यवस्था करते हैं। पर उसका स्वरूप बिल्कुल निजी होता है। सामाजिक स्तर पर ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि पूरे समाज के लोगों का नियमित एक स्थान पर जमा होने का जिसमें बालक, युवा, महिलाएँ और पुरुष सभी शामिल हों, नियम या व्यवहार हिन्दू समाज से उठ गया है। इसी कारण समाज बिखर गया। सदियों से लगातार मुस्लिम और ईसाई आक्रमण और वर्चस्व के कारण हिन्दू समाज में उथल–पुथल मचा रहा। वह इतना अस्त-व्यस्त हो गया, उसके सारे सामाजिक नियम इतने छिन्न–भिन्न और अव्यवस्थित हो गये कि लम्बे समय के उथल–पुथल के कारण वह पुनः अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित न कर सका। इस बीच अंग्रेजी राज और शिक्षा पद्धति ने हिन्दू समाज को उसके अतीत की स्मृतियों से काटने का काम किया। वे सब इतनी सुनियोजित रहीं कि हिन्दू स्मृति से उसके स्वर्ण युग और दिव्य साहित्यिक ज्ञान वैभव को विस्मृत कराया गया। वह पौराणिक काल्पनिक कथाओं, अंधविश्वासों, सामाजिक रूढ़ियों, असमानता, असमरसता, जातीय भेद–भाव, ऊँच–नीच, छुआ–छूत, बाल–विवाह, विधवा–विवाह निषेध, विदेश यात्रा पर रोक और तिलक–दहेज जैसी बुराइयों में उलझ कर रह गया। इसके साथ ही उसकी अपनी सामाजिक सुरक्षा जैसी अति महत्वपूर्ण कार्रवाई भी एकदम छुट

गई। इस कारण वह असंगठित, असुरक्षित, कमजोर और रूढिग्रस्त बन गया। यह विकृति बहुत धीरे–धीरे लम्बे समय में आई। लोगों का नियमित एक जगह जमा होना अपने आप में इतना महत्वपूर्ण कार्य है कि वह समाज को चहुँमुखी उन्नत, सहज और सुशिक्षित बना देता है। सामाजिक ज्ञान और क्रियाशीलता में तेजी आ जाती है। सामाजिक समरसता, सहिष्णुता, समानता और सुव्यवस्था पैदा होती है।

जो बीत गया उससे हम केवल आगे के लिए ही शिक्षा ले सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति या समाज, विगत पर शोक न कर भविष्य बनाने में लग जाता है। मुसलमान और ईसाई, साप्ताहिक प्रार्थना के साथ अपनी मजहबी गतिविधियों की समीक्षा करते हैं तथा आगे के कार्यक्रमों का निर्धारण करते हैं। उनकी आक्रामक प्रकृति को बनाये रखने की यह मजहबी व्यवस्था है। मजहबी नियमों से जुडने के कारण उनके प्रति बाध्यता बन जाती है। सुरक्षा के लिए भी वही कार्रवाई आवश्यक है। आर0एस0एस0 ने शाखा लगाया, पर उसका आधार राष्ट्रीय बनाया, धार्मिक नहीं। लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव की धार्मिक शुरुआत की पर दैनिक, अर्द्ध साप्ताहिक या साप्ताहिक हिन्दू समागम, धार्मिक, जातीय और सामाजिक विकास के लिए प्रवचन और विचार-विमर्श की व्यवस्था नहीं की। आर0एस0एस0 का कार्यक्रम धार्मिक नहीं होने से जड़ नहीं जमा सका। आज धार्मिक–साम्प्रदायिक आधार पर एकत्रित होने, प्रार्थना, योग, ध्यान आदि विधियों सहित नियमित धर्म समीक्षा, सामाजिक सहयोग एवं कल्याण आदि विषयों पर प्रवचन, विचार–विमर्श, कार्य योजना आदि की तुरंत शुरुआत की आवश्यकता है। शहरों और गाँवों के मुहल्लों और टोलों के प्रबुद्ध लोगों का यह कर्तव्य है कि वे इसकी शुरुआत करें। लोगों का दैनिक, अर्द्ध–साप्ताहिक या साप्ताहिक जमाव हो। सामाजिक सक्रियता बढ़ाने की आवश्यकता है। हर क्षेत्र में विचार-विमर्श होना चाहिए।

विश्व हिन्दू परिषद, हिन्दू महासभा, आर्य समाज, जैन, बौद्ध, सिक्ख, राम कृष्ण मिशन, इस्कॉन, पर्वतीय एवं वनवासी, पिछड़े और दलित और वे सभी समुदाय और संस्थाएँ जो मूल रूप से सनातन धर्म की ही विभिन्न शाखाएँ हैं और जिनमें अनेक का अहिन्दू स्वरूप बन गया है, के विद्वानों को एक जगह इकट्ठा कर एक धर्म सभा बुलाई जाय। इस सभा को कुछ सर्वमान्य नियमों और विधियों की खोज कर एक ऐसे ग्रन्थ की रचना का भार सौंपा जाय जिसे सभी अपना सकें। सनातनी हिन्दुओं के घरों में अलग–अलग देवताओं की पूजा होती है। उनके रीति–रिवाज भिन्न हैं फिर भी समानता के अनेक क्षेत्र होने के कारण वे सभी एक हिन्दू कहलाते हैं। हिन्दू धर्म में अनेक पंथ और सम्प्रदाय हैं। उनमें वैचारिक भिन्नता भी है। कोई अनेक देवी–देवताओं को पूजता है, कोई एक ईश्वर में ही आस्था रखता है और पूरी सृष्टि को ही ईश्वरमय समझता है। उसका धर्म वाक्य है – एकोऽहँ द्वितीयो नास्ति – अहम् ब्रह्मास्मि। कोई, ईश्वर या अन्य नाम के किसी सृष्टिकर्ता में विश्वास नहीं रखता है। कोई प्रकृति को ही ईश्वर समझता है। इसी प्रकार के अनेक विचार और उन पर आधारित सम्प्रदाय और संस्थाएँ बनी हैं, जो अपने-अपने पंथ के प्रचार में शास्त्रार्थ द्वारा लगी रहती हैं। हिन्दू धर्म में इसी कारण पंथों में सहिष्णुता होती है। अपने विचार को सही सिद्ध करते

हुए, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने की उच्च संस्कृति बहुत पहले ही विकसित हो गई। इस कारण हिन्दू धर्म इस्लाम और ईसाइयत के प्रति भी सहिष्णु है। वह उनकी प्रार्थना विधियों में कभी बाधा डालने की या दुर्भावना की बात सोच ही नहीं सकता है।

लेकिन सदियों से इस्लाम और ईसाइयत को बढ़ाने वाले शासकों के अत्याचार से तंग आ जाने के कारण प्रत्येक हिन्दू के मन में उनके प्रति नफरत का भाव भर गया। उनका मूल उद्देश्य ही हिन्दू धर्म को मिटाकर इस्लाम और ईसायत को स्थापित करना है। वह भी शास्त्रार्थ और अपने विचार की उत्कृष्टता सिद्ध कर नहीं बल्कि बर्बरता, क्रूरता, आतंक, अत्याचार और छल–कपट से हिन्दू समुदाय को कुचल कर। इसलिए ये मूल रूप से भारत भूमि पर जन्मे उत्कृष्ट विचारों की तुलना में अत्यन्त तुच्छ और निकृष्ट चरित्र वाले मजहब हैं। ये हिन्दू को शत्रु घोषित कर उसके विरोध में उसकी संस्कृति के दमन के लिए जानबूझ कर सदियों से उलटी हरकतें करते आ रहे हैं। इसलिए इनसे अलगाव और नफरत का भाव पैदा होना स्वाभाविक है। अब पूरे हिन्दू शाखाओं और समुदायों की सहमति से कुछ विधियों को स्वीकार कर उसके नियमित अभ्यास से पूरे हिन्दू समाज को जोड़ने की कार्रवाई करनी पड़ेगी। अपने कर्तव्य, त्याग, शौर्य, साहस की शपथपूर्वक प्रार्थना के साथ योग, ध्यान आदि विधियों को सभी अपना सकते हैं जिसका आध्यात्मिक महत्व भी है। इस बात की बहुत ही स्पष्ट समझ पैदा करनी पड़ेगी कि इस्लाम और ईसाइयत को भारत भूमि से मिटाने के लक्ष्य से कम की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर यह लक्ष्य निर्धारित न किया जाय और उस दिशा में कार्रवाई न की जाय तो हिन्दू का समूल नाश होना शत प्रतिशत निश्चित है। इसलिए हिन्दू समुदाय का संगठन बनाना ही काफी नहीं होगा बल्कि उसे आक्रामक बनाना होगा। पहले आक्रमण, आत्मरक्षा का सर्वोत्तम उपाय होता है। हिन्दू समाज के लिए यह कार्रवाई बिल्कुल ही आत्म सुरक्षा की कार्रवाई होगी।

दुर्भाग्य है कि आर0एस0एस0 कार्यकर्ताओं में हिन्दू संकट के कारणों की जितनी स्पष्ट समझ होनी चाहिए आज तक नहीं हुई है। वे सैनिक शक्ति होने का तो मात्र ड्रामा ही करते हैं। इनमें सैनिक शक्ति शून्य है। जो आतंकवादी हैं वे लाठी युग से निकल कर ए0के0 47, ए0के0 56, मोर्टार, ग्रेनेड, बम, माइन्स, आर0डी0एक्स और अनेक बहुत सारे आधुनिकतम विध्वंसक साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। वे इसी समाज में घूम कर अपने काम में लगे हैं। उन्हें जासूस भी ढूँढ पाने में विफल होते हैं। ऐसा इसलिए है कि उन्हें कुछ करना है। इसलिए वे दिखावा नहीं कर सकते। इन हथियारों का प्रयोग कर और अपनी जान की बाजी लगा कर हिन्दुओं के विरुद्ध विध्वंसात्मक और आक्रामक कार्रवाई एक निश्चित उद्देश्य से करते हैं। आर0एस0एस0 जिसे हिन्दू अपना संरक्षक प्रतिनिधि संस्था समझते हैं क्या कर रहा है ? पहले कुछ युवाओं की शाखा में सिपाही जैसा खाकी पैन्ट और काली टोपी लगाकर लाठी चलाने का अभ्यास कराता था। अब कुछ बूढ़ों के हाथों में वही लाठी और वही ड्रेस है। सिर्फ बाहरी प्रदर्शन और अंदर से खोखला। युवा वर्ग तो जानता ही नहीं है कि हमारी

समस्या क्या है। उसकी सोच अपने और परिवार के विकास तक ही केन्द्रित होती है। पूरे समाज के विकास और सुरक्षा की समस्या से उसका कुछ भी सरोकार नहीं होता। पूरे समाज को ही शिक्षित, जागृत, एकजुट, संगठित और आंदोलित कर समाज हित के लिए उसे त्यागी और समर्पित बनाने की आवश्यकता थी। पर किसी हिन्दू संगठन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया।

आर0एस0एस0 की स्थापना के साथ ही उसके लक्ष्य निर्धारण का भटकाव साथ–साथ पैदा हुआ। राष्ट्रीय भावना की जागृति उसने अपना लक्ष्य बनाया और देश की सीमा में रहने वाले प्रत्येक देशवासी को इससे जोड़कर राष्ट्रीय बनाना चाहा। उसने नहीं जाना कि इस्लाम और ईसाइयत की राष्ट्रीयताएँ भिन्न हैं। वे शामी बर्बर संस्कृति और परम्परा से उपजी राष्ट्रीयताएँ हैं। वे इस भूमि पर उपजे विभिन्न सम्प्रदायों की एकमात्र हिन्दू राष्ट्रीयता से एकाकार कभी नहीं हो सकतीं। वे हिन्दू राष्ट्रीयता के विरोधी हैं और उसे मिटा डालना उनका एकमात्र उद्देश्य है। आर0एस0एस0 के जन्म से 22 वर्ष बाद इसी भिन्न राष्ट्रीयता के कारण देश बँट गया। पर आर0एस0एस0 ने इसे नहीं समझा और आज तक वह इसी भटकाव में है। स्वयं उसके श्रेष्ठतम गुरू गोलवरकर जी इसकी गम्भीरता से अनजान थे एवं आर0एस0एस0 की उपज अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी तो इसे सिद्ध ही कर चुके।

भारतीय राष्ट्रीयता हिन्दू राष्ट्रीयता के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकती क्योंकि यह अपनी मूल प्रकृति से ही धर्मनिरपेक्ष है। इस तथ्य को समझ कर तद्नुरूप गहन कार्रवाई में जूझ पड़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं हो सकता है। इस्लाम की उत्पत्ति और उसके जन्म से आज तक का इतिहास दर्पण की तरह स्पष्ट दिखा रहा है कि इस्लाम तर्क नहीं जानता। वह चाहता है, सभी गैर मुसलमानों को अपने अधीन करना या उनकी हत्या करना। वह बर्बरता की भाषा जानता है और आज तक लोग उसको तर्क सिखा रहे हैं। पता नहीं आज तक क्यों यह बात समझ में नही आई कि उससे उसकी ही भाषा में बात की जा सकती है; यदि उसकी भाषा में बात नहीं कर सकते तो अपने अन्त का निश्चित परिणाम लिख लीजिए।

आर0 एस0 एस0 में विशेषज्ञों की कमी और कार्यकर्ताओं के उचित शिक्षण–प्रशिक्षण का अभाव रहा तथा वह सामान्य हिन्दू जनता से कटा रहकर अलग थलग बना रहा। इसके कारण ही सामाजिक न्याय के प्रति उसके प्रगतिशील दृष्टिकोण और आचरण से भी समाज अनभिज्ञ बना रहा। उन्हे वैचारिक गतिशीलता के साथ सामाजिक अन्याय और आर्थिक शोषण का विरोध करने वाले दलों–संगठनों से भी विचार–विमर्श और दृष्टिकोणों का आदन–प्रदान करना चाहिए। सुसंस्कृत लोगों का यही तरीका है। शोषण के प्रति उदासीन रहकर न्याय व धर्म की रक्षा नहीं की जा सकती है। शोषण और कुव्यवस्था के कारण उपजी गरीबी और भूख की समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। भूख और दरिद्रता की मार झेल रहे अलग–थलग पड़े लोगों की चेतना, अपनी उन समस्याओं से बाहर नहीं जा सकती है। संगठित समाज ही अपने लोगों की सभी समस्याओं की चिन्ता करता है। हिन्दू का निचले स्तर पर संगठित नहीं होने के कारण

उसमें सामाजिक चेतना का उचित विकास नहीं हो सका। बिखरा होने के कारण शक्ति और आत्मबल की भी कमी हो गई। इसलिए हिन्दू समाज के ही चतुर और धूर्त लोग उसके सामान्य बहुसंख्यक लोगों को ठगते हैं। वे जातीय, क्षेत्रीय, भाषाई, नस्ली आधारों पर उनको बाँट कर लड़ाते भी हैं। उनका हर तरह से शोषण होता है। इसलिए हिन्दू समाज को बिना भेदभाव के नियमित एकत्रित करने की व्यवस्था करना हजारों बीमारियों की एक औषधि है। अनुशासित, संगठित, शिक्षित, शक्तिशाली और आक्रामक हिन्दू समाज से सभी समस्याएँ हल होंगी। यह काम आज तक किसी ने किया ही नहीं। जिसने थोड़ा बहुत किया भी, अस्पष्ट उद्देश्य के लिए और बेतरतीब; इसलिए सफलता नहीं मिली। सब हिन्दूवादी संगठन और व्यक्ति अपने घरों में बैठकर कह रहे हैं कि हिन्दुओं पर अत्याचार हो रहा है, और आगे होने की तैयारी चल रही है, लेकिन आगे बढ कर गम्भीर रूप से सुरक्षा हेतु दीर्घ कालिक उपाय करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसा ही कहते-कहते एक दिन सबका नाश हो जायेगा, यदि यही स्थिति बनी रही तो।

विश्व हिन्दू परिषद, हिन्दू महासभा जैसे संगठनों को अपनी सक्रियता बढ़ानी पड़ेगी और अन्य हिन्दूवादी संगठनों को साथ ले कर बिना विलम्ब के इस दिशा में कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस्लाम, ईसाइयत और अन्य विषयों के हिन्दू विद्वानों की बड़ी समिति संगठित कर उनकी सलाह से कार्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। साधू–संत से लेकर हिन्दू सुरक्षा या शिक्षण में स्वेच्छा से सहयोग देने वाले बहुत से स्वयं सेवक मिल जायेंगे, उनको जुटा कर शिक्षित और प्रशिक्षित कर प्रचार के काम में लगाया जाय। अपनी कार्य पद्धति और घिसेपिटे कार्यक्रम को क्रान्तिकारी कार्यक्रम का रूप दिया जाय।

गाँवों, शहरों में जा कर नियमित प्रचार कार्यक्रम की शुरुआत करनी चाहिए। एक गाँव में बाहरी लोगों की सहायता से लगातार एक वर्ष तक कार्यक्रम चलाने का काम शुरू करना चाहिए। आरम्भ में भरपूर प्रचार सामग्री और विविध माध्यमों द्वारा हंगामेदार शुरुआत कर धीरे-धीरे बाहरी लोग अन्य गाँवों में बढ़ते जायेंगे। बाहरी लोगों की संख्या क्रमशः कम करते जाना और उनकी जगह पर गाँव से ही नये लोगों को तैयार करने का क्रम जारी रखना, इस प्रकार एक गाँव से दूसरे गाँव में कार्यक्रम बढ़ता जायेगा और पुराने गाँवों में गाँव के ही लोग नियमित कार्यक्रम चलाते रहेंगे। बीच-बीच में प्रशिक्षित और विद्वान लोगों का आगमन होता रहेगा। इस प्रकार संगठित प्रचार और अनेक प्रकार के अभ्यास जिसमें सुरक्षा के प्रशिक्षण भी शामिल होंगे, चलते रहेंगे। गाँवों–शहरों के कार्यक्रमों और लोगों की गहन भागीदारी से अनेक व्यावहारिक सुझाव आने लगेंगे जिससे कार्य में चुस्ती और निखार आयेगी। ऊपर–ऊपर नेतागिरी करने वाले लोग धन या यश की भूख का त्याग कर आत्माहुति के लिए तैयार होंगे तभी पीछे से त्यागी, समर्पित और बलिदानियों का जत्था तैयार होगा।

अभी हिन्दू समाज एकदम से घर में निश्चिन्त सोया हुआ है। उसे नहीं पता कि उसके घर में आग लगी हुई है। थोड़ी ही देर में सम्पत्ति और परिवार सहित स्वंय जलकर भस्म हो जाने वाला है। इस बीच उसे कोई जगा दे तो संभव है, वह अपना

राब कुछ बचा ले। कुछ समय के लिए बेचैनी तो होगी, पर अपनी रक्षा करने में सफल होगा, अन्यथा जल मरेगा। सोये हिन्दू समाज को जगाने का काम करना सबसे बड़ा और कठिन काम है। यह उन सभी जागृत लोगों का कर्तव्य है कि लोभ, मोह, झिझक, संकोच आदि का त्याग कर इस काम में लगें।

इस भूमि के महान सपूत वीर सावरकर ने बहुत पहले सुझाव दिया था कि "हिन्दू का राजनीतिकरण और राजनीति का हिन्दूकरण" करो। जिस प्रकार मुसलमान देश को दारुल इस्लाम बनाने के लक्ष्य के लिए समर्पित हैं, उनका कोई फिरका या कोई संगठन, जिसमें एक भी मुसलमान हो, अपनी सामर्थ्य, साधन और बुद्धि से इस्लामी राज्य के लिए काम करने से चूकता नहीं है, वही भावना हिन्दुओं के मन में हिन्दू राज्य बनाने के लिए लानी होगी। इसका एक उदाहरण प्रसिद्ध राष्ट्रवादी समझे जाने वाले अबुल कलाम आजाद का है। हिन्दू अपनी अज्ञानता वश या जानबूझ कर मुस्लिम सद्भावना के लिए, अबुल कलाम आजाद को राष्ट्रवादी कहते हैं। मरते समय उन्होंने कहा था, "मेरी मिट्टी मक्का में सुपुर्दे खाक कर दी जाये।" हिन्दुओं को यह समझना चाहिए कि मुसलमान मजहब को देश के ऊपर रखते हैं, इसलिए मक्का की मिट्टी भारत की मिट्टी से ज्यादा पवित्र है। जहाँ वे रहते हैं उस देश को दारुल इस्लाम बनाना उनका मजहबी फर्ज होता है। इस प्रकार राजनीति उनके मजहब का प्रमुख अंग है। यह समझना कि पड़ोसी मुस्लिम देश या समाज की तुलना में दारुल हर्ब देश में रहने वाला मुसलमान अपने देश का भक्त होगा निहायत अज्ञानता है। अबुल कलाम आजाद की भी वही स्थिति थी। पक्का मजहबी मुसलमान होना और देशभक्त होना (दारुल हर्ब में) दोनों परस्पर विरोधी बाते हैं।

उनकी एक अन्य घटना भी प्रसिद्ध है जो गाँधी जी की सत्यनिष्ठा पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। क्रिप्स का शिष्टमंडल भारत आया था। मौलाना आजाद ने क्रिप्स से भेंट की। यह घटना अत्यन्त गुप्त रखी गयी थी। इस भेंट में उन्होंने क्रिप्स को आवेदन पत्र दिया जिसमें माँग की गई थी कि यदि ब्रिटिश भारत छोड़कर जाने वाले हैं तो मुसलमानों के हितों के विरुद्ध कोई काम नहीं करें। क्रिप्स ने उस पत्र को गाँधी जी को उनके निजी सचिव प्यारे लाल द्वारा भिजवाया। प्यारे लाल ने उसकी एक प्रति तैयार कर रख ली और मूल पत्र को गाँधी जी को दे दिया। गाँधी जी ने उसे पढ़ा। मौलाना आजाद को बुला कर क्रिप्स से मिलने की बात पूछी, उन्होंने इन्कार कर दिया। जब गाँधी जी ने उस पत्र को दिखाया तो आजाद लज्जित हो गये। फिर गाँधी जी ने उस पत्र को जला दिया और प्यारे लाल को इस सच्चाई को छिपाने का निर्देश देकर अपने सत्यव्रत का पालन किया। मौलाना की राष्ट्रभक्ति मुस्लिम राष्ट्रभक्ति थी स्वदेश भक्ति नहीं। यही भक्ति सभी मुसलमानों में होती है। मौलाना आजाद ने अपने पत्र "अल–हिलाल" में सितम्बर 1912 में लिखा "अफसोस है कि मुसलमानों ने इस्लाम को उसके शिखर के दिनों में नहीं देखा, वरना वे हिन्दुओं की अधीनता में कभी नहीं झुकते।"

इयान ऐन्डरसन डगलस ने अपनी पुस्तक अबुल कलाम आजाद के पृष्ठ 140–141 में उन्हें कहते बताया है, "मुसलमान शासन करने को पैदा हुए हैं, शासित

होने को नहीं।" (Hindu Voice, 8/05 page 14 quoted by Ram Gopal)

जब हिन्दू समाज हिन्दू राजनीति के प्रति सजग बनेगा तभी हिन्दू सरकार बनेगी और हिन्दू के लिए कार्य किये जायेंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी अन्ततः हिन्दू शिक्षण की ही प्रथम आवश्यकता होगी। हिन्दू धर्म के सभी पंथों की संस्थाओं को इस उद्देश्य के लिए सम्पर्क कर उनको शिक्षित करने से वे इसका प्रचार करने में सहभागी बनेंगी। सभी राष्ट्रवादी, सांस्कृतिक, धार्मिक, साम्प्रदायिक, सामाजिक और राजनीतिक हिन्दू संस्थाओं को एक राजनीतिक दल में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। हिन्दू रक्षा का सबसे आसान उपाय अभी वोट से सत्ता प्राप्त करना ही है। किन्तु बिना हिन्दुओं को एक सूत्र में बाँधे यह संभव नहीं है। मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि और घुसपैठ, ईसाई धर्मान्तरण की अबाध प्रक्रिया शीघ्र ही हिन्दुओं के लिए सत्ता की संभावना समाप्त कर देगी। अभी आर0एस0एस0 और विश्वहिन्दू परिषद् भी सीधे राजनीति में कूदने से न जाने क्यों बच रहे हैं जबकि हर राजनीतिक कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। उनको भी सीधे राजनीति में कूदते हुए सिर्फ हिन्दूवादी दलों का संयुक्त मोर्चा बनाना चाहिए। विलम्बम् प्राणघातकम्।

इस सक्रियता के बाद ही हिन्दू के सैनिकीकरण का काम करना होगा। उसे लड़ाकू बनाना होगा। हर अन्याय का संघर्षपूर्ण विरोध करने की प्रवृत्ति विकसित करनी पड़ेगी। "आक्रमण और बर्बर शक्ति को केवल प्रचण्ड आक्रमण और घोरतम बर्बर शक्ति के द्वारा ही पराजित किया जा सकता है।" (वीर सावरकर)

लेकिन सबसे आवश्यक काम टोला, मुहल्ला, गाँव–गाँव और शहर–शहर में संगठन बनाना और नियमित एकत्रीकरण की व्यवस्था ही है। अभी मुसलमान अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लगे हैं। परिवार नियोजन से इनकार ही नहीं कर रहे हैं बल्कि सुनियोजित रूप से ज्यादा से ज्यादा शादियाँ कर, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की उनको प्रेरणा दी जा रही है। ज्यादा शादियों के लिए हिन्दू लड़कियों को फँसाते हैं। जो कोई हिन्दू लड़की को फँसा लेता है उसे मुस्लिम बिरादरी में शाबासी दी जाती है। यह काम गाँवों, छोटे शहरों और महानगरों में योजनानुसार चल रहा है। हिन्दू समाज के खुलेपन का वे लाभ उठाते हैं। हिन्दू लड़कियों को स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों, बाजारों एवं प्रत्येक वैसी जगह पीछा करते हैं, जहाँ उनसे सम्पर्क करने में संदेह या खतरा न हो। वे उनको पहले खूब प्रलोभित करते हैं, तरह–तरह का सुन्दर भविष्य का सपना दिखाते हैं। उस उम्र की लड़कियों में यौनाकर्षण को भड़काकर उन्हें भगाना सरल होता है। मुस्लिम छोकड़ों को इसे व्यापक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हिन्दू लड़कियों को फँसाने के लिए वे प्रशिक्षित किये जाते हैं। यदि कोई इसमें सफल होता है तो पूरा मुस्लिम समाज ही उसको संरक्षण देता है। लड़कियों को भगाने के बाद पहले उसे मुसलमान बनाते हैं, शादी करते हैं और कुछ दिनों के बाद तलाक देकर दूसरे को बेच देते हैं, या वेश्यालयों में रख देते हैं। वेश्यालयों में अधिकांश हिन्दू लड़कियाँ ही होती हैं जिनको भगा कर लाया गया होता है और जिनका अरबी नामकरण कर दिया गया होता है। महानगरों में यह काम बड़े पैमाने पर होता है। अनेक हिन्दू अभिभावक भी हिन्दू समाज की तिलक दहेज की

बुराइयों के चलते बड़े शहरों में अपनी लड़कियों को मुस्लिमों के यहाँ भाग जाने में सहयोग करते हैं।

यह देखा गया है कि मुस्लिम समाज में बुरका की प्रथा बहुत सख्त है। फिर भी वे हिन्दू लड़कियों को जब भगाकर और मुसलमान बना कर शादियाँ कर लेते हैं तब भी उनको खुला घुमाते हैं। वे उनको खुला इसलिए रखते हैं कि हिन्दू यह देखकर शर्मिन्दा हों। इस्लाम काफिरों पर हर प्रकार से अपना वर्चस्व बनाये रखने की मुसलमानों को हिदायत देता है। सामान्य हिन्दू के लिए इन घटिया बातों में विश्वास करना भी कठिन होता है।

तीसरा तरीका घुसपैठ है। घुसपैठी जनसंख्या तो बढ़ाते ही हैं, देश के अर्थतंत्र को कमजोर करने के लिए और अव्यवस्था पैदा करने के लिए सभी काम करते हैं। चोरी, स्मगलिंग, मादक पदार्थों का व्यापार, विस्फोटकों और हथियारों का व्यापार और भंडारण तथा नकली नोटों को पाकिस्तान से लाकर भारत के बाजारों में चलाना आदि। इस सब से बेखबर हिन्दू समाज सरकार के भरोसे निष्क्रिय और कायर बना हुआ है। सामाजिक मेल जोल नहीं हो पाने के कारण कोई संयुक्त वार्ता या कार्यक्रम नहीं हो पाता है। यह क्रम ऐसे ही चलता रहा तो वोट के बल से ही सत्ता मुसलमानों के हाथ में चली जायेगी और फिर हिन्दुओं की स्थिति गुलामों से भी बदतर हो जायेगी। तब इस्लामी कानून लागू होगा – "(1) काफिर की हत्या के लिए किसी मुसलमान को दण्डित नहीं किया जा सकता। (2) कोई काफिर अपनी पूजा में घंटा नहीं बजा सकता। (3) किसी काफिर के घर में तीन दिन तक रुकने का मुसलमान को अधिकार होगा और उस तीन दिन में उसके द्वारा किया गया कोई काम पाप नहीं समझा जायेगा।"

यह कितनी शर्म की बात है कि इतना सब कुछ हिन्दुओं के विरुद्ध होता रहा है और आगे अत्यन्त भयंकर रूप में होने वाला है, पर हिन्दू पशुवत सिर्फ पेट पालने में या धन बटोरने में लगा है। कायर और निकम्मा बना हुआ है। इन सबका सक्रिय विरोध करने की बात तो दूर की है अपने ही विनाश में सहयोगी बना हुआ है। घुसपैठियों को रोजगार से लेकर अनेक प्रकार के आर्थिक विकास में अपनी अज्ञानता और उदासीनता के कारण सहयोग ही दे रहा है। इसलिए सभी श्रेणी के हिन्दुओं के लिए आवश्यक है कि मुँह दबा कर नहीं, मुँह खोल कर सार्वजनिक बहस की शुरुआत करें। वे जहाँ रहें इस विषय की चर्चा छेड़ें। किसी संकोच में नहीं पड़ें। यह सब यदि बहुत शीघ्रता से नहीं किया गया तो बहुत बुरा होगा। एक बात सामान्य तौर से हिन्दुओं के मन में घूमती है कि देश के इतने बड़े–बड़े नेता और मेधावी अधिकारी जो हिन्दू ही हैं क्या मूर्ख हैं ? उनको इस बात की चिन्ता नहीं है ? ऐसा कहने वालों का कुछ स्वार्थ होगा। हिन्दू मन किसी कार्रवाई को स्वार्थ की सीमा से बाहर नहीं देखता है।

यहाँ यह समझना चाहिए कि विचार की एक धारा, हर समाज, समुदाय या राष्ट्र के अंदर चलती है। यह सामान्य तौर पर धीरे–धीरे बदलती है पर कभी–कभी एक झटके में भी बदल जाती है। इस्लाम और ईसाइयत विदेशी मजहब हैं और

विदेशी भाषा में हैं। इनका जब आक्रमण हुआ, जैसे मुस्लिम विदेशी हमलावरों द्वारा और बाद में मुसलमान समुदाय द्वारा बार–बार के दंगों में, मोपला के जेहाद, देश विभाजन के समय का जेहाद, कश्मीर का जेहाद आदि तब भी हिन्दुओं ने कभी गहराई से इस्लाम का अध्ययन कर उसके सिद्धांत, तरीके और प्रभाव को जानने का प्रयास नहीं किया। अज्ञानता सबसे बडा अभिशाप होती है। ईसाइयत का आक्रमण गोवा में विख्यात बर्बर और क्रूर "इन्क्विजीशन" के रूप में जाना जाता है। बाद में अंग्रेजों के समय इसका छल-कपट और आर्थिक आधार वाली मिशनरी का रूप दे दिया गया। मैकाले शिक्षा नीति ने हिन्दू संस्कृति धारा से युवाओं को काटने का काम किया। इनको हिन्दू समाज की रूढियों को ही हिन्दू धर्म बताया गया, जिससे हिन्दू धर्म के प्रति इनके मन में उदासीनता और नफरत का भाव भर गया।

इसी बीच गाँधी–नेहरू युग आया। गाँधी जी संत और महात्मा कहलाये। देश की आजादी का श्रेय उनको ही दिया गया। वे राष्ट्रपिता बने। उनकी अभ्यर्थना राष्ट्रभक्ति का पर्याय बना। वे देशवासियों के मन में श्रद्धा के प्रतीक बनाये गये। श्रद्धा के कारण दोषों को देखने, उसकी समीक्षा करने और भविष्य के लिए सीखने का अवसर नहीं मिल पाता है। आज प्रत्येक राष्ट्रीय उत्सव और प्रतीकों में गाँधी जी ही बसे हैं। लेकिन उनके व्यवहार की कुछ मौलिक बातें इतनी अजीब हैं कि गहराई में जाने पर गाँधी जी का दूसरा ही रूप नजर आने लगता है। उन व्यवहारों के कारण किसी सामान्य व्यक्ति को तो तुरंत ही अज्ञानी, अदूरदर्शी अव्यवहारिक और ढोंगी की उपाधि दे दी जायेगी। यहाँ उसकी व्याख्या की जगह नहीं है। पर, इतना कहना पड़ेगा कि गाँधी–नेहरू जोड़ी ने हिन्दू समाज की चहुमुँखी हानि की। यदि अछूतोद्धार के उनके काम को और अंग्रेज जमींदारों द्वारा किसानों के उत्पीड़न के विरोध को उनके जीवन से निकाल दिया जाय तो शायद ही उनके चरित्र में कुछ मिलेगा जो निर्विवाद रूप से स्वीकार करने योग्य हो।

इनलोगों ने मुस्लिम तुष्टिकरण, अहिंसा की नौटंकी से हिन्दुओं का निःशस्त्रीकरण और हिन्दू-विरोध की जो धारा तैयार की उनके राजनीतिक वारिस उसे आजतक धर्म समझ कर धारण करते आ रहे हैं। फलतः इनके मन से न्याय और औचित्य की अवधारणा का लगभग लोप ही हो गया। मुसलमानों की खुशामद, उनकी जिद के सामने आत्म–समर्पण, उनकी इच्छा की तुष्टि, हिन्दुओं के हितों को कुचलना आदि मुख्यधारा के अंग बन गये। बाद में वोट का लोभ, हिन्दुओं में जाति के आधार पर फूट और घृणा को बढ़ाना, राजनीति का अपराधीकरण और सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने से साहसपूर्वक न्याय और नैतिक मूल्यों की रक्षा के भाव तिरोहित हो गये। आधुनिक शिक्षा पाठ्यक्रमों को इस प्रकार तैयार किया गया कि इस्लाम और ईसाइयत के मौलिक चरित्र की भनक तक न लगे। यह नेहरू के कारण हुआ और बाद में उनके राजनीतिक वंशजों के कारण चलता रहा। वही शिक्षा पाकर राजनीति, सरकारी नौकरी या समाज के अन्य सभी क्षेत्रों के सामान्य लोगों के मन में इस्लाम और ईसाइयत की भयानकता की कोई गम्भीर जानकारी नहीं हो सकी। ऐसे ही लोग सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। उसी पुरानी सोच की धारा से जुड़े हैं और

अज्ञानता में अपने महाविनाश की तैयारी में खुलकर योगदान कर रहे हैं। अपने समाज में और दुनिया भर में इनके उपद्रवों (इस्लामी जेहाद और मिशनरी ढोंग) का समाचार पाकर इनके मेधावी मस्तिष्क में जिज्ञासा और आवेश की लहर तो अवश्य उठती है पर लम्बे जीवन-पद्धति का अभ्यस्त हो जाने, न्याय, नैतिकता और धर्म की अवधारणा के मन्द हो जाने तथा तात्कालिक स्वार्थ और सत्ता-सुख का लोभ जागृत रहने के कारण इनमें क्रांतिकारी भाव उदय नहीं होते। अति व्यस्तता पूर्ण जीवन-धारा से बाहर निकल कर झाँकने का इनको समय ही नहीं मिलता। ये सब लोग अब निर्जीव मशीन के यंत्र के समान हो गये हैं। इनको क्या पता कि ये इस्लामी बाढ़ में डूब कर और अपना सब कुछ खोकर नष्ट होने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारी आज की ये सभी समस्याएँ बीते हुए कल के अदूरदर्शी नीतियों की नासमझी के परिणाम हैं।

कुछ लोगों को, ऐसे मुसलमानों को देखकर जो उदार, न्यायप्रिय और देशभक्त हैं, भ्रम होता है। इसमें दो मत नहीं कि कुछ मुसलमान और ईसाई निश्चित रूप से देशभक्त हैं। उदारता, सहिष्णुता, ईमानदारी न्यायप्रियता और सर्वकल्याण की भावना वाले संत प्रकृति के लोग भी हैं। इनमें अधिकांश विद्वान और ज्ञानी हैं जिनमें औचित्य–अनौचित्य के निर्णय के भाव प्रबल होते हैं। इनमें अपने मजहबों के पाखण्ड और विगत अन्यायपूर्ण बर्बर आक्रमणों के प्रति नफरत और भविष्य में इनके कारण मानवीय क्षति की समझ और संवेदना भी है। किन्तु इनकी संख्या सीमित और इस्लामी या ईसाई समाज में उपेक्षित की है। ये अपने सद्विचारों के साथ सिमटे और सहमें हुए जीवन गुजारते है। मुस्लिम आचरण और सोच की मुख्य धारा में हस्तक्षेप करने की इनमें शक्ति नहीं होती है। जो हस्तक्षेप की हल्की-फुल्की भी चेष्टा करता है उसके विरुद्ध फतवे जारी कर उसे इस्लामी समाज का अपराधी घोषित कर दिया जाता है। मजहबी उन्माद के तूफान में इनका कहीं अता-पता नहीं होता है। इनके प्रति सद्भावना का होना स्वाभाविक है। पर इनकी लाचारी को देखते हुए इनसे किसी स्वस्थ परिवर्तन की उम्मीद करना व्यर्थ है। इसलिए इस्लाम के सम्पूर्ण चरित्र के अध्ययन के पश्चात् हिन्दुओं को अपनी रणनीति बनाने की आवश्यकता है।
निम्नलिखित कार्यक्रमों पर तुरंत अमल शुरू कर देना चाहिए :–

सांगठनिक और शैक्षणिक

यह संगठन सिर्फ हिन्दू समुदाय के लिए होगा जिसमें मुसलमान और ईसाई छोड़कर सभी होंगे। इसका उद्देश्य इस्लाम और ईसाइयत द्वारा हिन्दू समाज को मिटाकर दारुल इस्लाम और ईसाई राज्य बनाने के उनके अभियान का मुकाबला करना है, जिससे हिन्दू समाज की रक्षा की जा सके। साधू, महात्मा, सन्यासी, विभिन्न पंथों के धर्मगुरू, उनके पंथ की संस्थाएँ, आर0एस0एस0, विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल, हिन्दू महासभा, आर्य समाज, शिव सेना और बी0जे0पी0 के हिन्दू समाज के लिए समर्पित लोगों और स्वतंत्र विचारक बुद्धिजीवियों सहित उनलोगों को आमन्त्रित करना, जो हिन्दू समाज को जागृत करने में अपना समय और सहयोग दे सके। यह विज्ञापन देकर भी किया जा सकता है।

इनके एकत्रित होने पर मूल हिन्दू समाज की आन्तरिक और बाहरी समस्याओं की जानकारी और संगठन निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाय। ये लोग प्रचार साधनों जैसे पत्र–पत्रिकाओं, पत्रों, किताबों, ऑडियो, वीडियो के साथ गाँवों, शहरों में टोलियों में जायँ, वहाँ स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध सबको इकट्ठा करें। समस्याओं की चर्चा करें। प्रचार सामग्रियों का वितरण और विभिन्न कार्यक्रमों को चलायें, जिसमें नाटक, संगीत, प्रवचन, आदि हो। उसके बाद नियमित प्रार्थना, योग, ध्यान एवं प्रवचन का नियम लागू करें। बहुत धैर्य के साथ, लगातार पीछा करने से यह काम चलेगा। इसे पवित्रता के साथ धार्मिक क्रिया के रूप में धीरे–धीरे स्थायित्व देना होगा। ज्यादातर प्रचारक धीरे–धीरे दूसरे गाँवों की ओर बढ़ते जायेंगे और पीछे ज्यादा समर्पित लोग अभ्यास की प्रक्रिया को बनाये रखेंगे। फिर गाँव के ही लोगों को उसके संचालन के योग्य बना कर उसकी जिम्मेदारी देनी होगी। आगे के गाँवों में प्रचार कार्य के लिए उस गाँव से ही समर्पित लोग मिलते जायेंगे। लगातार प्रयास से यह संख्या बढ़ती जायेगी।

शिक्षण के लिए पाठ्यक्रमों का चयन प्रसिद्ध विद्वानों की सहायता से की जानी चाहिए। विशेष रूप से उन विद्वानों से जिनको इस्लाम और ईसाइयत का गम्भीर अध्ययन हो। उसके साथ ही उन्हें हिन्दू धर्म शास्त्रों का भी ज्ञान हो। धर्मान्धता, अंधविश्वास और सामाजिक रूढ़ियों को मिटाने तथा स्वस्थ वैज्ञानिक जीवन मूल्यों के प्रति जिसकी प्रतिबद्धता हो। अतीत के प्रति गौरव बोध भी हो और प्रगतिशीलता से अरुचि भी न हो। हिन्दू धर्म जो मानव धर्म का प्रतिरूप है, के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण हो। पुस्तकों, पत्रकों, पत्रों, आडियो, भीडियो, संगीत, नाटक आदि प्रचार सामग्रियों और साधनों का नियमित प्रकाशन और व्यवस्था करना और उनको उचित जगहों पर पहुँचाने का क्रम जारी रखना होगा। नियमित संगठन और शिक्षा के कार्यक्रम में विचार–विमर्श होने से नये–नये सुझाव और नई राहें निकलेंगी। संगठन का अनेक रूप बनेगा। वे प्रचार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक कार्य, आपसी झगड़े निपटाना, अर्थ संग्रह करना, सामाजिक समरसता बढ़ाना आदि अनेक प्रकार के कार्यों के अनुसार शाखाबद्ध होंगे।

उसी प्रकार शिक्षा का क्षेत्र भी बढ़ेगा। सम्पूर्ण हिन्दू समुदाय को इस्लाम और ईसाइयत के खतरे की पूर्ण जानकारी, उनसे निपटने के व्यापक उपाय और कार्यक्रमों के बाद, सर्वशिक्षा अभियान शुरू किया जाय। गाँवों–शहरों में सर्वत्र शिक्षित खाली लोग मिलेंगे जो अपनी सेवाएँ दे सकते हैं। इसके लिए सरकारी योजनाओं से आर्थिक मदद लेनी चाहिए। फिर शिक्षा का क्षेत्र व्यापक बना कर सभी विषयों की स्थानीय स्तर पर ही शिक्षा की व्यवस्था की जाय। धर्म, न्याय, नैतिकता, सदाचरण, शिष्टाचार, अनुशासन, उत्साह, साहस, स्वाभिमान और हिन्दू धर्म रक्षा के लिए आत्मोत्सर्ग की भावना को जागृत करने वाली शिक्षा देकर धर्म और सुसंस्कृति की रक्षा और विकास की दिशा में बढ़ा जा सकता है। आत्मकेन्द्रित और स्वार्थान्ध बने हिन्दू समाज को सामाजिक और त्यागी चरित्र में ढालना होगा। "उद्यमेनहि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै।" सिर्फ मनोरथ से कार्य नहीं हो जाता उसे उचित तरीके से करना आवश्यक

होता है। आर0एस0एस0 ने भी कभी ऐसा ही मनोरथ किया था। पर, काम बिलकुल उल्टा करता रहा। हिन्दू समाज को उद्वेलित नहीं कर सका। सिर्फ कार्यकर्ताओं का संगठन बन कर रह गया। इससे सीखना चाहिए। सिपाही की तरह पैंट पहन लिया पर हथियार गायब। उससे अपने ही लोगों को धोखा होता है। अपनी सुरक्षा के लिए आन्तरिक और भरपूर तैयारी चाहिए, झूठा प्रदर्शन नहीं।

हिन्दू संगठन और शिक्षा को इस रूप में ढालना होगा कि वह शक्तिशाली बने। इतना शक्तिशाली कि उसे मिटाने की इच्छा रखने वालों को, आत्म सुरक्षा के लिए, पहले ही मिटा सकें। मारकाट कर ही नहीं, आत्मसात कर। लेकिन जब तक वह नहीं होता है और वह खूँखार आतंकवादी के रूप में मौजूद है, अपनी सुरक्षा के लिए उससे पाँचगुनी शक्ति हासिल करनी पड़ेगी। क्योंकि हमने कश्मीर में देख लिया कि सरकार हमारी रक्षा नहीं कर सकती है। इस्लामी जेहाद का मुँहतोड़ जबाब देने के लिए विशेष दस्तों का गठन करना होगा जो जासूसी से उनके प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखे और किसी आक्रामक कार्रवाई को अंजाम देने के पूर्व ही उनपर आक्रमण कर नष्ट करे। इस कार्रवाई को धीरे–धीरे पूरे हिन्दू समाज में फैला कर आत्म सुरक्षा की गारंटी करनी पड़ेगी। सरकारों की दयनीयता इस स्तर तक पहुँची हुई है कि वे खुले रूप से घोषित करने वालों को, कि "काफिर को जहाँ पाओ कत्ल करो" ऐसा कहने से मना भी करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। इस प्रकार के सत्तालोलुप और चरित्रहीन लोगों के हाथ में सारी राजनीतिक सत्ता है, कैसा दुर्भाग्य है। हिन्दू दृढ़ता पूर्वक अपनी कार्रवाई में लगें, वरना उनका अस्तित्व बच पाना असंभव होगा। कश्मीर के अपने पड़ोसियों पर अत्याचार और अन्याय होते देखकर भी हिन्दू का सोये रहना उस अत्याचार और अन्याय को बढ़ावा देने और अपने घर आमंत्रित करने के समान है। हिन्दुओं को अपनी शक्ति बढ़ाने के अलावा कोई मार्ग नहीं है। सारे विश्व में दुर्बल लोगों के दर्शन को सुनने को कोई तैयार नहीं है। चाहे वह दर्शन कितना ही महान हो। उच्च संस्कृतियाँ जो अपनी रक्षा का उपाय नहीं करतीं, बर्बर संस्कृतियों द्वारा मिटा दी जाती हैं।

शिक्षा में जो एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय शामिल करना आवश्यक होगा वह है भारतीय वर्ण-व्यवस्था और जाति-प्रथा का इतिहास। प्राचीन ग्रन्थों से स्पष्ट है कि आरम्भ में एक ही वर्ण था। मनुष्य के गुणों और कर्मों के आधार पर चार वर्णों में उनका विभाजन हुआ। उसके बाद लम्बे समय में धीरे–धीरे कार्यों की भिन्नता के आधार पर, पेशागत नामों से पुकारते–पुकारते अलग–अलग समुदाय के लोगों की विभिन्न जातियाँ कहलाने लगीं। यह भावना, लगातार इसकी शिक्षा और चर्चा द्वारा लोगों के मन में स्थापित करनी होगी। हिन्दू शिक्षण कार्यक्रम में, कुछ स्थापित संस्थाओं को डाक द्वारा साहित्य प्रचार का काम हाथ में लेना चाहिए। आर0एस0एस0 या विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ता, लोगों का पता उपलब्ध करा सकते हैं। कुछ चुनी हुई पुस्तकें, पत्र–पत्रिकाएँ, ऑडियो–वीडीओ कैसेट्स सीडी, जो इसी उद्देश्य के लिए तैयार की गई हों, की सूची बना कर, उनके मूल्य सहित, प्रकाशन स्थानों की जानकारी देते हुए पर्चा छपवायें। उसे प्रत्येक व्यक्ति के पास भेजा जाय। आज की

हिन्दू समाज की स्थिति और इस्लाम और ईसाइयत के खतरे की संक्षिप्त जानकारी देते हुए उनसे आग्रह किया जाय कि स्वयं या कुछ लोगों के साथ मिलकर कुछ साहित्य खरीदें और अध्ययन करें। कुछ लोग पहली बार में ही इसके लिए तैयार हो जायेंगे। इसे व्यावसायिक आधार पर भी शुरू किया जा सकता है। अनेक लोग इसके लिए स्वेच्छा से अनुदान भी दे सकते हैं। यद्यपि पहली बार में उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, पर बिना निराश हुए इसमें लगे रहने से काम बहुत आगे बढ़ सकता है। इसके लिए मंत्री, एम0पी0, एम0एल0ए0, सभी दलों के राजनीतिज्ञ, आई0ए0एस0 अधिकारी, राज्य सेवाओं के अधिकारी और कर्मचारी, न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी, प्रोफेसर, विद्यार्थी, शिक्षक, डाक्टर, वकील, इंजिनीयर, पुस्तकालयों, हिन्दू संस्थाओं, कॉलेजों, स्कूलों, मठों, आश्रमों, कथा–वाचकों, धर्मोपदेशकों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, किसानों, मजदूर नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सेना तथा पुलिस के छोटे–बड़े अधिकारियों, सरकारी–गैर सरकारी संस्थानों, उनके अधिकारियों कर्मचारियों आदि समाज के सभी श्रेणी के लोगों से पत्राचार से सम्पर्क किया जा सकता है। इससे वास्तविक परिस्थिति को समझने में सुविधा होगी और तब वे हिन्दू हितों के लिए काम कर सकेंगे। आर0एस0एस0 के कार्यालय और उनके साहित्य भंडार भी हैं लेकिन उनमें उत्साह का अभाव है। इसमें काम करने वाले समर्पित मिशनरी नहीं बल्कि नौकरी पेशा वालों की तरह आराम तलबी से दिन गुजारने वाले लोग हैं। यही हाल विश्व हिन्दू परिषद में है, उस क्रम को बदलना होगा। वे इस दिशा में सक्रियता ला कर बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके लिए उनको प्रेरित करना आवश्यक है। आर0एस0एस0 नेतृत्व को अपने संगठन में क्रांतिकारी बदलाव लाना पड़ेगा अन्यथा वे कुछ नहीं कर पायेंगे।

साहित्य प्रचार के लिए जगह–जगह बुक स्टॉल की शुरुआत करना और बुक फेयर्स में स्टॉल लगाना चाहिए। बुक स्टाल पर हिन्दू हित समर्थक पत्र–पत्रिकाओं को मँगाना, उनका ग्राहक बनाना और वितरण की व्यवस्था होनी चाहिए। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक को बदलकर हिन्दू स्वयं सेवक बनावें। क्योंकि यहाँ राष्ट्रीयता का पर्याय हिन्दू ही है। मुस्लिम और ईसाई हिन्दू राष्ट्र में धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में ही रह सकते हैं क्योंकि उनकी राष्ट्रीयताएँ भिन्न हैं, मुसलमानों का इस्लाम और ईसाइयों का ईसाइयत। उसी राष्ट्रीयता के कारण मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया। पूर्वोत्तर राज्यों में ईसाई बहुमत होते ही अव्यवस्था और अलगाव की स्थिति बन गई।

इस्लाम के मौलिक चरित्र की जानकारी सभी हिन्दुओं को देना बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण काम है। इसकी जानकारी नहीं होने के कारण ही राजनीतिज्ञ और तेज तर्रार समझे जाने वाले अधिकारी पाकिस्तान की रणनीतियों के सामने बौने साबित होते हैं। पाकिस्तान के समझौता का उद्देश्य होता है काफिर देश भारत को छलना। उसे धोखा में डालकर उस पर आसान जीत हासिल करना। हिन्दू राजनीतिज्ञ और अधिकारी इसे व्यक्ति का विश्वासघात समझ कर फिर उसी मूर्खता को दुहराते रहते हैं। लेकिन यहाँ बात दूसरी है। इस्लाम के निर्देश के अनुसार, देश–विदेश के सभी मुसलमान एक राष्ट्र के अंग होते हैं। उनका संयुक्त प्रयास काफिर व्यक्ति,

समुदाय या राष्ट्र को पराजित करना होता है। काफिर के साथ धोखाधाजी उनके पैगम्बर द्वारा निर्देशित विधान है जो हर मुसलमान के लिए पवित्र आचरण है। उसका पालन करते हुए ही सभी पाकिस्तानी व्यवहार होता है और उसमें सहयोग करना हर भारतीय मुसलमान का फर्ज है। वे वैसा करते भी हैं। इसके हजारों साक्ष्य हैं फिर भी हिन्दू बिल्कुल ही नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वे इस्लामी शिक्षा से दूर होने के कारण उसके मौलिक चरित्र को नहीं जानते हैं।

शुद्धिकरण

मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हिन्दुओं पर असीम अत्याचार किये। वे उनकी हत्या, लूट, औरतों का बलात्कार कर अपहरण कर लेते थे। बचे-खुचे लोगों को हत्या के भय से मुसलमान बनाते थे। आज के सभी मुसलमान इसी प्रकार से मुसलमान बने हैं। वे सभी अपने ही वंश, जाति और धर्म के लोग थे। पर विपत्ति के चक्रव्यूह में फँस कर उनको मुसलमान बनना पड़ा। हिन्दू समाज आरम्भ में मुसलमान बने अपने भाइयों को पुनः अपना लेता था। बाद में धीरे–धीरे आक्रमणकारियों के दबाव के कारण हिन्दुओं ने उन्हें अपनाना बंद कर दिया जो आगे पुनः शुरू नहीं किया जा सका और रूढ़ि का रूप ग्रहण कर लिया। इस भूल को सुधारना बहुत आवश्यक है। महाभारत के अनुसार वर्णों में कोई विशेषता या भेद नहीं है। व्यापक शिक्षा और गहन चिन्तन से आज की आवश्यकतानुसार, परिवर्तन को गति देने के लिए हिन्दू मन को तैयार करना पड़ेगा।

उन सभी कार्यक्रमों की , जिनको हाथ में लेना है, शिक्षा द्वारा सही समझ लोगों के मन में बैठानी होगी। मुस्लिम और ईसाई, इस्लाम और ईसाइयत के विस्तार में सदा लगे रहते हैं। धर्म-विस्तार का कार्यक्रम नहीं होने के कारण इस दिशा में हिन्दू में वैसी समझ नहीं होती है। हिन्दू शिक्षण से इसके लिए आधार तैयार करना होगा और इसकी तीव्र शुरुआत करनी होगी। मुस्लिम–ईसाई धर्मान्तरितों को शुद्धिकरण द्वारा अपने धर्म में पुनः वापस लाने का कार्यक्रम सभी कार्यक्रमों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हिन्दू संगठन और शिक्षण के लिए समर्पित टोलियों में शुद्धिकरण कार्यक्रम की प्रधानता रहनी चाहिए। साथ ही हिन्दू युवाओं को मुस्लिम ईसाई लड़कियों से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे युवाओं को हिन्दू समाज सर्वोच्च सम्मान दे। उन्हें श्रेष्ठता की विशिष्ट श्रेणी में रखे और आर्थिक सहयोग दे। इस कार्य के लिए धन संग्रह अभियान चला कर कोष की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यह कार्यक्रम हिन्दुओं के सभी पंथ और सम्प्रदाय की संस्थाओं और गुरू आश्रमों पर भी किया जाना चाहिए।

इसके लिए आर्य समाज में पहले से ही शुद्धिकरण की विधियाँ बनी हुई हैं। उनको ही स्वीकार कर एकरूप शुद्धिकरण विधि से यह काम करना होगा। हिन्दू संगठनों के नेता सिर्फ शहरों तक ही सिमटे रहते हैं। वे स्वयं ग्रामीण कार्यक्रमों में भाग लें। भाषण और वक्तव्यों में खुल कर ज्यादा से ज्यादा इन कार्यक्रमों की चर्चा करने से आज के उन्नत प्रचार माध्यमों द्वारा लोगों तक शीघ्र ही इन्हें पहुँचा दिया जायेगा।

इससे समाज में अत्यधिक चर्चा शुरू होगी। लोगों का बंद और बँधा हुआ दिमाग खुलेगा। इससे इस उचित काम के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा लोग सहयोगी बनेंगे।

जनसंख्या

मुस्लिम जनसंख्या के बढ़ने के अनेक कारण हैं जिनमें प्रमुख हैं – (1) परिवार नियोजन निषेध (2) चार शादियों का प्रचलन (3) अन्य धर्मावलम्बियों की लड़कियों और महिलाओं को फँसाना, बहकाना और अपहरण कर उनसे शादियाँ करना या वेश्यालयों में ढकेलना, (4) पुरानी बीवियों को तलाक देकर, नई–नई लाना और बच्चा पैदा कर उन्हें बदलते रहना। ऐसी तलाक शुदा मुस्लिम महिलाओं का खर्च, बेईमान, वोट के लालची, सत्ता सुख के लिए अन्यायी और अनैतिक बने राजनीतिज्ञों के कारण, हिन्दुओं के टैक्स के पैसे से पूरा होता है। जबकि हिन्दुओं को समाप्त करने की योजना के अनुसार ये जनसंख्या बढाने में लगे हैं। "भारत में मुस्लिम जनसंख्या का विस्फोट" के लेखक बलजीत राय, पुलिस महानिदेशक (सेवा निवृत्त) ने अपनी उक्त पुस्तक में "इण्डियन एक्सप्रेस" दि0 22.06.2000 से, एक समाचार दिया है। समाचार का शीर्षक था "33 वर्ष की आयु में एक मुसलमान सज्जन के 24 बच्चे" असम के एक गाँव में अब्दुल नाम के श्रमिक की तेईस वर्षीय तीसरी बीबी जहाँआरा, अब्दुल के चौबीसवें बच्चे की माँ बनी थी। अभी अब्दुल के परिवार की जनसंख्या कहाँ पहुँचेगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। बंगलादेशी घुसपैठिये मुसलमानों को जनसंख्या वृद्धि के लिए मुस्लिम समाज विशेष रूप से प्रोत्साहित करता है। जबकि देश का पूरा मुस्लिम समाज ही अपनी योजनानुसार जनसंख्या वृद्धि कर रहा है।

बंगलादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठ

असम में बंगलादेशी मुसलमानों की बेहिसाब घुसपैठ को कांग्रेसियों और मार्क्सवादियों ने खूब छूट दी। जिस प्रकार गाँधी–नेहरू युग्म ने 20 लाख हिन्दुओं को, अपनी महात्मागिरी और महान नेता की छवि बनाने के लोभ में या नासमझी से कटवाया था, अब के राजनीतिज्ञ उसी राह पर चलते हुए करोड़ों को कटवाने का इंतजाम कर रहे हैं। मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि तो उछाल मारती बढ़ ही रही है, हिन्दुओं की अपनी जीवन पद्धति में जो बदलाव आया है, जनसंख्या के मामले में वह भी आत्मघाती ही है। जैसे –

(1) परिवार नियोजन को प्रत्येक परिवार द्वारा अपनाया जाना। इससे वे बच्चों की संख्या एक दो तक रखने लगे हैं। जो सामर्थ्यवान हैं, वे भी इस हवा में अपने बच्चे को करोड़पति–अरबपति बनाने के लिए सिर्फ एक या दो बच्चे के बाद ऑपरेशन करा लेते हैं। मेधावी लोग आनुवंशिक गुणों के मेधावी बच्चों का आना रोककर हिन्दू समाज और देश के साथ अन्याय करते हैं। यह बहुत घातक प्रथा हिन्दुओं में स्थापित की गई। इसके लिए भारी धन खर्च किया गया। लेकिन इन अन्यायी सरकारों में यह इच्छा शक्ति नहीं उपज सकी कि इसे मुसलमानों पर भी अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। भविष्य में कुछ दूर जाकर ही इसका क्या परिणाम

होगा, इनको यह न समझ थी और न उसकी परवाह। भारत का शासन दुर्भाग्य से ऐसे लोगों के हाथ में पहुँच गया जिनका आरम्भ से ही हिन्दू के साथ भीतरघात की इच्छा प्रबल थी। उनके वंशज बचे-खुचे काम पूरा कर रहे हैं और हिन्दू समाज इस सब से बेखबर विकास करने में लगा है, न जाने किसके लिए।

(2) हिन्दू लड़कियों का बड़े पैमाने पर मुस्लिम घरों में पहुँचना। इसके विषय में ऊपर चर्चा की गई है। एक अनुमान के अनुसार 10 से 15 लाख हिन्दू लड़कियाँ प्रतिवर्ष हिन्दू समाज के खुलापन और तिलक दहेज प्रथा के कारण मुस्लिम बन रही हैं। यह ज्यादातर बड़े शहरों और आदिवासी समाज में होता है जबकि छिटफुट पूरे हिन्दू समाज में ही हो रहा है। इनके अपहरण से हिन्दू जनसंख्या का सीधा ह्रास तो होता ही है, ये बच्चे पैदा कर मुस्लिम जनसंख्या बढ़ाने में पूरा योगदान करती हैं। इससे हिन्दू समाज अपमानित भी अनुभव करता है। इससे क्रमशः हिन्दू मनोबल गिर रहा है। पहले से ही गुलामी की मार झेलकर श्रीहीन बना हिन्दू समाज इसे सहन कर लगातार स्वाभिमानहीन, निम्नस्वार्थी और कायर बनता जा रहा है।

इसलिए अब हिन्दू समाज को समय और परिस्थिति के अनुकूल आचरण करना होगा। वे निम्न बातों पर ध्यान दें –

(क) परिवार नियोजन तब तक स्वीकार न करें जब तक यह सभी देशवासियों के लिए अनिवार्य न किया जाय। हर हिन्दू अधिकाधिक बच्चे पैदा करें। हर ग्राम में पारस्परिक सहयोग से शिक्षा अभियान चला कर बच्चों को शिक्षित किया जाय। धन आदमी ही पैदा करता है। संचित धन को बाँटकर कोई सुविधा जनक स्थिति में सदा नहीं रह सकता। आरम्भ में कुछ भार होगा लेकिन बाद में वही बच्चे सहायक बन जाते हैं। मनुष्य ही धन है।

(ख) हमारे समाज में जातीय विभाजन है। यद्यपि यह प्राचीन मनुष्य जाति के एक ही वर्ण से चार वर्ण और फिर हजारों जातियों में धीरे–धीरे परिवर्तित हुआ है। बुद्धिमान मनुष्य परिस्थितियों के आलोक में भविष्य के लिए कार्यक्रम बनाता है और वर्तमान में पालन करता है। आज हिन्दू समाज को यदि जीवित बचना है तो उसे जातिप्रथा को समाप्त करने की दिशा में तेजी से बढना होगा। अपने बच्चों की दर्दनाक हत्या से रक्षा के लिए आज जातिप्रथा को तोड़ना ही होगा। जो परम्पराओं से बुरी तरह बँधकर उससे एकाकार बने हैं, जातिप्रथा से बाहर दृष्टि जाती ही नहीं है उन्हें यह समझना चाहिए कि इस्लाम उन्हें जाति भ्रष्ट अवश्य ही कर देगा; वह भी उनके बच्चों की हत्या कर, उनकी महिलाओं को बेइज्जत और अपहरित कर तथा उनकी सारी दौलत पर कब्जा कर। जिनका दिमाग अभी तक इस महाविनाश को नहीं देख पा रहा है, वे अध्ययन करें और देखें उन्हें सब कुछ शीशे की तरह साफ–साफ सूझने लगेगा।

यद्यपि मुस्लिम में भी जाति प्रथा मौजूद है फिर भी वह दूसरों की औरतों को खुशी–खुशी अपने यहाँ लाते हैं। यही काम अब हिन्दुओं को बड़े पैमाने पर करने की जरूरत है। युवा वर्ग को आगे आना चाहिए और जहाँ अवसर मिले मुस्लिम और ईसाई लड़कियों से शादियाँ करें। हिन्दुओं को सार्वजनिक रूप से मिल कर ऐसे

युवाओं का मनोबल बढ़ाना होगा। उनको समाज में ऊँचा दर्जा देना होगा। हिन्दू समाज में भी अन्तर्जातीय विवाहों को बढ़ावा दिया जाय। यह प्रारम्भ हो चुका है। बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली आदि राज्यों में यह जोर पकड़ चुका है। देश के सभी हिस्सों में शिक्षित लोगों द्वारा इसे अपनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के सभी हिन्दू इस दिशा में आगे बढ़ें। हिन्दू शिक्षण में इसे प्राथमिकता दी जाय। यह समय की माँग है। इसे कोई रोक नहीं सकता। अन्तर यही है कि बुद्धिमान मनुष्य परिवर्तन की इस अनिवार्य और उपयोगी प्रक्रिया को देखकर उसके साथ चलते हैं। उसमें गति प्रदान करते हैं और उससे समाज को और अन्ततः स्वंय को लाभान्वित करते हैं और जड़ बने मूर्ख लोग उसका अंध विरोध करते हैं। अन्त में स्वंय भी भोगते हैं और अपनी पीढ़ियों का नाश कराते हैं, कश्मीरी पंडितों की तरह।

(ग) परिवार नियोजन के प्रति हिन्दुओं के विशेष रुझान का कारण लड़कियों की शादियों में होने वाला भारी खर्च है। शादियों में झूठे दिखावे, फिजूल खर्ची और तिलक दहेज प्रथा को रोकने की दिशा में हिन्दू संगठनों को सक्रिय भागीदारी निभानी पड़ेगी। परिवार नियोजन नहीं कराने और मुफ्त शादियों का प्रचलन बढ़ाने पर जोर देना होगा। इसके लिए हिन्दू शिक्षण में इन बातों का समावेश कर इसको व्यावहारिक रूप देना होगा।

(घ) मुस्लिम बस्तियों में परिवार नियोजन का खुलकर प्रचार एवं उपकरणों के वितरण के लिए काम किया जाना चाहिए। सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही स्तरों पर।

सामाजिक सुधार

किसी समाज की अवनति या विनाश का कारण, बाहरी कम, आन्तरिक अधिक होता है। हिन्दू समाज भी इसका अपवाद नहीं है। अपने सांस्कृतिक आधार पर विकसित होकर उच्चतम शिखर पर वही समाज पहुँचता है जो चहुँमुखी शिक्षा से सामाजिक रूढ़ियों को छाँटता और विवेक सम्मत नवीन मूल्यों को अपनाता चलता है, जो परिवर्तन की अनिवार्यता को स्वीकार करता है, उसके साथ स्वयं को ढालता है और उसे स्वस्थ और निष्कंटक दिशा प्रदान करता है, उच्च सांस्कृतिक मूल्यों और अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों में अन्तर करना जानता है और समाज की आवश्यकतानुसार उसके हर पहलू को गढ़ता और सँवारता है।

समय के लम्बे अन्तराल में सुन्दर, सुगठित और सुसंस्कृत समाज भी परिस्थितियों के अनेक थपेड़ों को झेलकर विकृत और विनष्ट हो जाते हैं। हमारे प्राचीन आर्य नाम के वर्तमान हिन्दू समाज के साथ भी यही हुआ है। वह अपनी महान ऐतिहासिक ऊँचाई से गिरकर बार–बार पराजय और पराधीनता की लज्जाजनक स्थिति से गुजरा है और निकृष्टतम अपमान और उत्पीड़न भोगा है। जात–पाँत, जातीय भेद–भाव, ऊँच–नीच, छुआछूत, विदेश यात्रा निषेध, तिलक–देहज प्रथा, निरर्थक कर्मकांड, विधवा–विवाह निषेध, सती–प्रथा, बाल–विवाह आदि सामाजिक कुरीतियों को पैदा कर और उनमें से अधिकांश में आज भी उलझ कर अपनी चहुँमुखी

उन्नति और सुरक्षित आत्म, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की धारा को बाधित कर रखा है जिसके कारण उसका अस्तित्व ही अब मिटने के कगार पर आ गया है। हमें अतीत के अपने पूर्वजों के महानतम गौरव की उपलब्धियों और उससे पतित होकर आज की विकृत स्थिति तक का सिंहावलोकन करना होगा। उनके कारणों को ढूँढना होगा ताकि हम उससे शिक्षा लेकर अपने आने वाले वंशजों के सुखमय जीवन के लिए काम कर सकें। जब हमारे पूर्वज सारी दुनिया के मानव-समाज की तुलना में सभ्यता और संस्कृति के सर्वोच्च शिखर पर थे उस समय समाज को दिशा देने का काम तत्कालीन ब्राह्मणों के हाथ में था। वे ब्राह्मण, समाज के सबसे मेधावी, विद्वान, ज्ञानी, त्यागी, तपस्वी और पूरी मानवता के कल्याण के लिए समर्पित लोग होते थे। उनका जीवन ही समाज कल्याण के लिए समर्पित होता था। उन्हें अर्थ की कामना तो थी ही नहीं, यश की कामना से भी वे ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाते थे। उनका जन्म किस पेशा वाले माँ–बाप के यहाँ हुआ, इसका कोई महत्व नहीं था। वे भंगी, चर्मकार और वेश्या के भी संतान होते थे। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसका प्रचुर प्रमाण उपलब्ध है। व्यास, सत्यकाम, नारद, वशिष्ट, विश्वामित्र, कवष, जाबाल, पाराशर, मातंग, ऐलूष, जानश्रुति, गृत्समद, बाल्मीकि, महीदास, कृप आदि अनेक प्रसिद्ध नाम हैं जिनके माता पिता अन्य वर्णों के थे पर ये सभी लोग ब्राह्मण बन गये। पूरे समाज के कोने कोने से आये ये समाज के सर्वश्रेष्ठ गुणों से सम्पन्न लोग होते थे। यही व्यवस्था वह कारण थी जिसने आर्य समुदाय को सभी क्षेत्रों में ऊँचाइयों पर पहुँचाया।

बाद में धीरे–धीरे वर्ण व्यवस्था का रूप विकृत होने लगा। उन ब्राह्मणों की संतानें जो यथायोग्य क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण में सम्मिलित हुआ करती थीं, अब समाज में विवादित होती गईं। कुछ लोग उन्हें शूद्र वर्ण या यथायोग्य अन्य वर्ण में रखते थे, जबकि कुछ लोग ब्राह्मण की संतान होने के कारण ब्राह्मण ही कहने लगे। इस भटकाव को दूर करने के लिए बार–बार प्राचीन ग्रंथों में स्पष्टीकरण दिया गया है कि वर्ण के निर्धारण के लिए गुण-कर्म ही आधार होंगे, जन्म नहीं। फिर भी समय के साथ विस्मृति और विकृति होती ही है। वही हुआ। कुछ समय बाद वर्णों के गुणों का आधार विस्मृत होता गया और जन्म के आधार पर वर्णों का स्थायीकरण होकर वर्ण व्यवस्था का स्वर्णयुग विकृत और समाप्त हो गया।

अब अयोग्य लोग भी ब्राह्मण और योग्य लोग भी शूद्र कहलाने लगे और समाज को दिशा देने की जिम्मेवारी ब्राह्मण के नाम पर ऐसे लोगों के हाथों में भी पहुँच गई जो उसके योग्य नहीं थे। उसका परिणाम जो हो सकता था, हुआ। उन महान प्राचीन ब्राह्मणों के वंशज तो सभी जातियों में विखर गये, पर नाम की समानता के कारण आज की ब्राह्मण जाति अपने को प्राचीन ब्राह्मण वर्ण का उत्तराधिकारी समझने लगी। पूरा समाज ही इस भ्रम में पड़कर समाज का नेतृत्व अयोग्य हाथों में सौंप दिया। जब अयोग्य लोगों को ऊँचा पद और ऊँची जिम्मेवारी मिलती है तो अपने पद को, जिसके वे योग्य नहीं होते, बनाये रखने के लिए अनेक पाखण्ड और ढोंग का सहारा लेते हैं और अपनी गम्भीर जिम्मेवारियों को नहीं निभा पाते। हिन्दू समाज को दिशाहीन होने का यही सबसे बड़ा कारण था। इस गम्भीर सच्चाई से सीख ले कर

आगे की पीढ़ियों के भविष्य के लिए काम करना है। सच्चाई को ढँकने की मिथ्या चेष्टा करना किसी के हित में नही हो सकता है। दुर्भाग्य यह कि झूठी बड़ाई के लिए इस सत्य को ढँकने का ही प्रयास किया जाता रहा।

01. उपर्युक्त मौलिक समझदारी हिन्दू समाज में शिक्षण द्वारा स्थापित करना होगा। इसके साथ ही प्राचीन काल के वास्तविक गुण कर्म वाले ब्राह्मणों को, जो छोटी–बड़ी प्रत्येक जातियों में और समाज के हर कोने में होते हैं, अपने उचित जगह पर पहुँचाना, उन्हें समाज की अगली पाँत में खड़ा करना, उनको उचित सम्मान देना और समाज को स्वस्थ दिशा देने की उनपर पुनः जिम्मेदारी डालने की कार्रवाई करनी होगी। आज के ब्राह्मण जाति के लोगों को चाहिए कि वे ब्राह्मणत्व के मिथ्या ढोंग का प्रदर्शन न कर गुण-दोष और कर्म के आधार पर अपना स्वयं मूल्यांकन करें। तब उन्हें पता चलेगा कि वे हिन्दू समाज के अन्य किसी जाति से श्रेष्ठ नहीं है। बल्कि श्रेष्ठता के मिथ्या दम्भ के कारण वे दूसरों की तुलना में हास्यास्पद ही ठहरते हैं। यही कारण है कि हिन्दू समाज उन्हें आज सम्मान की जगह निरादर की दृष्टि से देखने लगा है। श्रेष्ठता ऊँची आकांक्षा से नहीं, ऊँचे विचार और निर्मल कर्म से मिलती है। आज के ब्राह्मण यदि श्रेष्ठता की चाह रखते हैं तो उन्हें अपने सभी हिन्दू भाइयों में समानता का बोध कराना और अस्पृश्यता का दंश झेल रहे भाइयों को दौड़ कर सबसे पहले गले लगाना, सबसे अच्छा उपाय है।

02. जातपाँत के ऐतिहासिक स्वरूप का स्पष्टीकरण करना होगा। आज के हरिजन और दलित नामों से जाने जाने वाले समुदाय सहित सभी जाति के मन में इस सच्चाई को स्थापित करना होगा कि जातीय विभाजन एक विकृति है। जो एक ही वर्ण से चार वर्ण और फिर अनेक जाति में बदल जाने से पैदा हुई है। इसके साथ बँधे रहना अनुचित है। यह हिन्दू समाज को ही मिटा डालने वाला अभिशाप बना हुआ है। पूरे भारत में इसकी समझदारी तेजी से विकसित हो रही है और जाति–बंधन टूट रहे हैं। आवश्यकता है, पिछड़े और अशिक्षित समाज में इसके प्रचार की। पिछड़े और अशिक्षित समाज के लोग अपने संस्कारों से प्राप्त परम्पराओं से बँधकर उसे ही सर्वोत्तम रीति और अन्तिम ज्ञान समझ बैठते हैं। इससे मुक्त कराने का कठिन काम हाथ में लेना होगा। इसका एकमात्र उपाय शिक्षण और युवाओं को इसके लिए प्रोत्साहित करना है। प्रारम्भ में अभ्यस्त जीवनशैली और प्रथाओं से हटने में बहुत झिझक होती है। यह असंभव जैसा लगता है। पर धीरे–धीरे सब बदल जाता है।

03. छुआ–छूत जैसी शर्मनाक प्रथा किसी समाज में पैदा हो कर चलती रहे और वह समाज सभ्य और सुसंस्कृत होने का दावा करे, उस प्रथा के औचित्य को सिद्ध करे और उसे बनाये रखने पर बल दे, तो उस समाज और वैसे लोगों को सचमुच में असभ्य, विकृत, अज्ञानी और पतित कहना ज्यादा

उपयुक्त होगा। इस सामाजिक कलंक को जल्दी से जल्दी धो डालने में ही भलाई है। यह भी शिक्षण के प्रभाव और समय-समय पर नियमित सहभोज का आयोजन कर किया जा सकता है। बच्चों और महिलाओं की सहभागिता से भेदभाव शीघ्र मिटेगा। आज के प्रत्येक सवर्ण हिन्दू का यह कर्तव्य है कि आगे बढ़ कर वह इस बुराई को मिटाने में सहयोग करें। रूढ़िवादी मूर्खों पर कानूनी कार्रवाई कर उन्हें बदलना होगा क्योंकि मूर्खों पर शिक्षा का कम या उल्टा ही असर होता है।

04. हिन्दुओं के प्राचीनतम धर्मग्रन्थ वेदों में जाति भेद और छुआछूत की कोई चर्चा नहीं है। वेदों को मान्यता देना और उसके निर्देशों के विरुद्ध आचरण करना तो धर्म भ्रष्टता कहा जायेगा।

05. सभी हिन्दू पर्व त्योहारों उत्सवों आदि में बिना भेदभाव के सबसे मिलने जुलने को प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे समरसता पैदा होती है।

06. मुस्लिम ईसाई लड़कियों से शादी करने वाले हिन्दू युवाओं और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना और सहायता करना चाहिए। इससे मुस्लिम लड़कियों को उनकी सामाजिक बुराइयों से छुटकारा मिलती है।

07. मुस्लिम लड़कों द्वारा हिन्दू लड़कियों को फँसाने की योजनाबद्ध कार्रवाई पर नजर रखना। हिन्दू युवाओं द्वारा संगठित रूप से उनका पीछा कर उनके बुरे इरादों को नाकाम करना। क्योंकि वे चार शादियाँ, तलाक–प्रथा, बुर्का, अशिक्षा और वेश्यावृति जैसी बुराइयों में उन्हें ढकेल कर उनका जीवन नरक बना देते हैं।

08. मुस्लिम मुहल्लों और बस्तियों में परिवार नियोजन सामग्रियों के वितरण की व्यवस्था करना। इससे धीरे–धीरे उनमें परिवार नियोजन की जिज्ञासा बढ़ेगी।

09. मुस्लिम लड़कों को मुस्लिम आक्रमणों के इतिहास से अवगत कराना, उन्हें बताना कि किस प्रकार उनके हिन्दू पूर्वजों को मुस्लिम हमलावरों के अत्याचार को झेल कर मुसलमान बनना पड़ा था। उनको यह भी बताया जाय कि कुछ निहित स्वार्थ वाले मुस्लिम राजनीतिज्ञ और मुल्लाओं की मिली भगत से यह झूठा प्रचार कराया जाता है कि इस्लाम में परिवार नियोजन वर्जित है। इस कारण, भारतीय मुसलमानों के परिवार बड़े होने से उनके बच्चों का उचित पालन पोषण और शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाती है। इससे जीवन में वे सुख नहीं देख पाते। उनको काफिरों का लूट का धन और लूट की औरतों का प्रलोभन तथा जन्नत में हुर्रों का भोग का झूठा लोभ दिखा कर ठगा जाता है और जीवन नष्ट किया जाता है। जबकि दुनिया के सभी बड़े मुस्लिम देश परिवार नियोजन अपनाते हैं।

10. हिन्दू विधवा विवाह और अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देना।

11. जहाँ कहीं बाल–विवाह हो रहा हो उसे रोकना।

12. तिलक–दहेज का खुलकर विरोध करना। हिन्दू संगठनों की एक शाखा को

यह जिम्मेवारी दी जाय। जहाँ कहीं शादियों की बात चल रही हो वहाँ उसमें शामिल होकर इसके लिए बार–बार समझाना। इससे ही अनेक लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और तिलक–दहेज की माँग करना छोड़ देंगे। उसके साथ ही इसका कानूनी पक्ष भी है। कानून का सहारा लेकर ऐसे लोगों को हतोत्साहित किया जाय।

13. हिन्दू संगठन की एक शाखा प्रत्येक क्षेत्र में उभरते झगड़े, वैमनस्य, घृणा आदि का पता लगाकर उसमें हस्तक्षेप करे ताकि कोई झगड़ा बढ़ ही न सके। ऐसा देखा जाता है कि हल्की-हल्की बातों में झगड़ा शुरू होकर बड़ा रूप ले लेता है। बाद में पुलिस वाले और वकील इन्हें अपनी आमदनी का स्रोत समझकर इसको और भी उलझाने का प्रयास करते हैं। यदि झगड़ा के पूर्व ही, जैसे ही किसी अनबन की भनक लगे, वहाँ पहुँच कर उसे सलटा दिया जाय, समझौता करा दिया जाय और आगे के लिए समझा बुझा दिया जाय तो झगड़ा ज्यादा बढ़े ही नहीं। आज हिन्दू समाज आपसी कलह में ही उलझा हुआ है। इससे सामाजिक मेल-मिलाप और संगठन की संभावना बहुत क्षीण हो जाती है। अतः इससे निपटना बहुत आवश्यक है। इससे अनावश्यक पुलिस वकील पर खर्च और समय की बरबादी से भी हिन्दू समाज को बचाया जा सकता है।

14. अपने पड़ोसियों को नाम से न पुकार कर नाम के साथ यथायोग्य भैया, बहन या दीदी, बबुआ, चाचा, फुआ, बाबा, दादा, दादी आदि सम्बोधनों से पुकारें तो इससे अपनापन और प्रेम झलकता है। हमारे पुराने समाज की इस प्रथा को पुनः लाना चाहिए।

15. अपने पड़ोसियों से कुछ लाभ लेने के विपरीत उन्हें कुछ देने, विशेष रूप से सुविधा, सेवा, उनके कामों में मदद के साथ ही अनेक प्रकार के छोटे–मोटे त्याग से परस्पर प्रेमभाव का उदय होता है। जीवन की सबसे मूल्यवान उपलब्धि यही है। परस्पर प्रेम और शान्ति से जीवन सुखमय हो जाता है। सामाजिक संगठन और दीर्घकालिक सुरक्षा के उपायों में भी दृढ़ता आती है।

16. भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसी अनिवार्य आवश्यकताओं के बाद कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बहुत खर्च होता है। हिन्दू समाज के लोग इनके कारण बहुत परेशानी झेलते हैं। जैसे– लड़की की शादी एवं सामाजिक औपचारिकता का निर्वहन, शिक्षा और स्वास्थ्य। ग्रामीण, टोले, मुहल्ले और शहरों के स्तर पर हिन्दू संगठनों के निर्माण, स्त्री–पुरुष, बाल–वृद्ध सबके एक स्थान पर नियमित जमा होने, विचार विमर्श करने एवं अन्य कार्यक्रमों से परस्पर सहयोग की भावना का विकास होगा। परस्पर सहयोग से बहुत काम सरल हो जाते हैं। भोजन, वस्त्र और आवास की व्यवस्था के दैनिक कार्य में सिर्फ आपसी सहयोग के कारण अनेक प्रकार की आसानी हो जाती है। परस्पर विश्वास और शान्ति का वातावरण बनता है। मन में आनन्द का अनुभव

होता है। ईसाई और मुसलमान विदेशी धन और सरकारी मदद से अपनी अनेक आर्थिक समस्याओं को निपटा लेते हैं। हिन्दुओं को कोई बाहरी धन नहीं मिलने वाला है, जबकि अपनी ही सरकार हिन्दू बिखराव के कारण, हिन्दुओं को मुस्लिम ईसाइयों की तुलना में तुच्छ समझती है और बहुसंख्यक होते हुए भी उनको न बराबर का अधिकार और न मदद देती है।

इसलिए हिन्दू को कमर कस कर, जीवन के अनेक संघर्षों को, साहस, उत्साह और दृढ़ता के साथ लड़ना होगा।

(क) दैनिक योग व्यायाम, ध्यान, प्रार्थना, सफाई एवं स्वास्थ्य के नियमों के पालन का अभ्यास मात्र से ही अधिकांश बीमारियों से बचाव होगा। स्थानीय स्तर पर हिन्दू संगठन द्वारा ही दवा दारू की व्यवस्था से बहुत कुछ, लगभग 75 प्रतिशत स्वास्थ्य की समस्या से निपटा जा सकेगा। साथ ही सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का भी उपयोग किया जायेगा। प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर और जड़ी–बुटियों से निर्मित औषधियों के अधिकाधिक प्रयोग से न्यूनतम खर्च में स्वास्थ्य की समस्या से निपटने में बहुत हद तक सफलता पाई जा सकती है।

(ख) शिक्षा के लिए स्थानीय शिक्षित लोगों की मुफ्त सेवा से और आपसी सहयोग से इसे भी हल कर लेंगे।

17. प्रत्येक हिन्दू को निष्क्रियता त्याग कर अन्याय के विरुद्ध सक्रिय प्रतिरोध के लिए अभ्यस्त करना होगा। क्योंकि कहा गया है – "दुर्जनों की दुर्जनता उतनी हानिकारक नहीं होती है जितनी सज्जनों की अन्यमनस्कता।" हर हिन्दू को शपथ दिलाने का नियम प्रारम्भ करना होगा जिसमें दुर्जन और अत्याचारी को उसके आक्रमण के पूर्व ही मिटाने का निश्चय हो। घोषित आक्रमणकारी पर सुरक्षात्मक लड़ाई से विजय नहीं पाई जाती है। विजयी होने के लिए आक्रामक युद्ध अनिवार्य शर्त है।

राजनीतिक

01. देशभर के सभी हिन्दुत्व समर्थक राजनीतिक दल, सांस्कृतिक संगठन, सभी पंथों, सम्प्रदायों की संस्थाओं, मठों, मंदिरों के प्रतिनिधियों, साधू–संतों, गुरुओं, सिक्खों, बौद्धों, जैनियों आदि के प्रतिनिधियों के संयुक्त नेतृत्व में या उनके समर्थन से, या संयुक्त मोर्चा के रूप में, एक राजनीतिक दल या मोर्चा का गठन करना होगा।

02. भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित करने का लक्ष्य निर्धारित कर इसके राजनीतिज्ञों को कम से कम एक वर्ष, हिन्दू अस्तित्व पर संकट और सुरक्षा के उपायों के संबंध में तथा कार्य योजना और कार्यक्रमों की विधिवत शिक्षा देनी पड़ेगी। इससे दिशाहीनता और भटकाव की स्थिति पैदा नहीं होगी। नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक को शिक्षित करना चाहिए और उन्हें हिन्दू जनता

के बीच में लम्बे समय तक विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने की बाध्यता होनी चाहिए।

03. संयुक्त घोषणा पत्र में मुख्य उद्देश्य इस प्रकार होंगे –

(1) भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित करना।

(2) वैसे लोगों को, जिनकी निष्ठा भारत से अधिक कहीं अन्य हो, मताधिकार के प्रयोग से वंचित करना।

(3) नया संविधान बनाना या कम से कम वर्तमान संविधान से उन सभी धाराओं को समाप्त करना जिनके कारण अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय को विशेषाधिकार दिये गये हैं।

(4) कश्मीर को विशेष श्रेणी प्रदान करने वाली सभी धाराओं को मिटाना।

(5) धर्म की अनिवार्य शिक्षा देना जो न्याय, नैतिकता, शिष्टाचार, अनुशासन, मानव कल्याण और कर्तव्य के समुच्चय के रूप में परिभाषित हो। पंथो, मतों, सम्प्रदायों, मजहबों, रिलीजनों की शिक्षा पर वयस्क होने तक रोक लगाना।

(6) गैर हिन्दू विदेशी घुसपैठियों को ढूँढ कर गिरफ्तार करना, उन्हें उनके देशों में वापस ढकेलना, उन्हें अलग–अलग बंदी शिविरों में रख कर उनसे कैदी की तरह काम लेना आदि। ऐसे विदेशियों को जो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में सफल हो गये हैं उनकी नागरिकता छीनना और उन्हें नागरिकता प्राप्त कराने में सहयोग करने वालों पर मुकदमा चला कर दण्डित करना।

(7) ऐसे विदेशी जो घुसपैठ कर राष्ट्रद्रोह या जासूसी में लगे हों जैसे – मादक पदार्थों की तस्करी, जाली नोटों को विदेशों से ला कर भारत में चलाना, हत्या, डकैती, अपहरण आदि में संलग्न रहना, उनको फाँसी की सजा के लिए कानून बनाना।

(8) भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना, राजनीतिज्ञों, सरकारी अधिकारियों एवं उत्तरदायित्व के बड़े पदों पर बैठे लोगों द्वारा आर्थिक घोटालों के मामलों की तुरंत सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय की स्थापना करना एवं स्पष्ट बेईमानी को राष्ट्रद्रोह घोषित कर चौराहों पर गोली मार कर दण्डित करने की व्यवस्था करना।

(9) भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करना। इसका आधार मानवीय कल्याण एवं न्याय की अवधारणा पर आधारित होगा न कि मजहबी, पांथिक या साम्प्रदायिक व्यवस्थाओं पर।

(10) महिलाओं के अधिकारों और उनके लिए कानूनों का निर्माण उनकी सहमति से ही की जा सकेगी। लिंग के आधार पर उनके साथ किसी प्रकार के भेदभाव को स्वीकार नहीं किया जायेगा; चाहे धार्मिक, सामाजिक, पांथिक, मजहबी या साम्प्रदायिक मान्यताएँ उसकी अनुमति दें या न दें।

(11) सभी नागरिकों की भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता यथावत रखना।

(12) आर्थिक विषमता को कम करना, आर्थिक और सामाजिक शोषण को मिटाने की दिशा में सक्रिय प्रयास करना। पूँजीवादी उत्पादन पद्धति में होने वाले निर्मम शोषण को रोकना शासन की वैसी ही जिम्मेवारी होगी जैसी उत्पादन प्रक्रिया को अबाध चलने देना। सामुदायिक उत्पादन प्रणाली को प्रोत्साहन देना। कोई धर्म प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी प्रकार के शोषण का समर्थन कर धर्म नहीं रह जाता, तब वह अधर्म हो जाता है।

(13) शिक्षा और स्वास्थ्य को राज्य के अधीन रखना। आज के भ्रष्ट राज्य से भिन्न व्यवस्था में शिक्षा और स्वास्थ्य की वही स्थिति नहीं होगी जो आज है। निजी क्षेत्र भी होंगे, पर नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पित।

(14) सामाजिक सहयोग एवं समरसता के निरंतर विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की प्रधानता।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिन्दू जागृति के अलावा आज की परिस्थिति में अन्य कोई उपाय दिखाई नही देता। कुछ बुद्धिजीवियों ने वर्तमान राजनीतिक गिरावट और सत्ता के भूखे राजनीतिज्ञों की वोट के लिए विनाशक नीति को हिन्दू संहार की तैयारी के रूप में देखा है। जैसा 1947 में हुआ था। उनकी आकांक्षा है कि कम से कम 15 वर्षों के लिए सत्ता सेनाध्यक्ष के नेतृत्व में चली जाय। वे राष्ट्रवादी सरकार की स्थापना करें। सभी विभागों में देश के चुने हुए विशेषज्ञों को नेतृत्व का भार दिया जाय। पेशेवर राजनीतिज्ञों को घरेलू काम में लगाया जाय। यद्यपि आज की परिस्थिति में यह स्वागत योग्य हो सकता था पर इसका होना संभव कैसे होगा? फिर इसके अपने खतरे भी हैं।

यह अलग संभावना है। उससे हिन्दू समाज द्वारा सत्ता प्राप्त करने के प्रयासों से कोई सरोकार नहीं है। यदि आज हिन्दू जागृत होकर हिन्दू हित रक्षक दल या मोर्चा को अपना पूरा मत दें तो दो तिहाई बहुमत प्राप्त कर आसानी से संविधान में संशोधन द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें निम्न बातों पर ध्यान देना होगा –

(1) हिन्दू समाज में लगातार शिक्षण, प्रशिक्षण, संगठन और शक्ति निर्माण के कार्यक्रम चला कर हिन्दू वोट बैंक की स्थापना करना।

(2) विदेशी घुसपैठियों को पकड़वाने का अभियान चलाकर उनके नाम वोटर लिस्ट से कटवाना, उनके राशन कार्ड रद्द कराना, उन पर आपराधिक मामले दर्ज कराना। इस प्रकार उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित कराना।

(3) फोटो पहचान पत्र के अनुसार बिना फोटो देखे किसी मर्द या औरत को वोट देने से रोकना। अक्सर पर्दा वाली औरतों का चेहरा न दिखाकर उनके द्वारा बार–बार जाली वोट डलवाया जाता है। यदि उन्हें चेहरा नहीं दिखाना था

तो फोटो खिंचवाने की आवश्यकता ही क्या थी। इस व्यवहार का स्पष्ट कारण जाली वोटिंग है।

(4) हिन्दू अपना शत–प्रतिशत वोट डलवाने की व्यवस्था करें। इसके लिए पहले वोटर लिस्ट में अपना नाम देखें। यदि न हो तो नाम दर्ज करावें। पहचान पत्र बनवावें और पूरे परिवार सहित वोट अवश्य डालें। अक्सर हिन्दू में राजनीतिक चेतना और सक्रियता का अभाव होता है, इसे हिन्दू शिक्षण द्वारा ही दूर करना होगा।

(5) हर हालत में वोट हिन्दू हित रक्षक दल या मोर्चा को ही देना।

आर्थिक बहिष्कार

बाँगलादेश और पाकिस्तान से चार करोड़ से भी अधिक घुसपैठिये भारत में रहकर बेहिसाब जनसंख्या विस्तार में योगदान कर रहे हैं। ये भारत के हर क्षेत्र में फैल चुके हैं। स्थानीय मुसलमान मजहबी आधार पर इनको अपनी बस्तियों में आश्रय देते हैं। इनकी जीविका का अधिकांश भाग हिन्दुओं से व्यापार द्वारा ही प्राप्त होता है। यदि हिन्दू समाज इन पर आर्थिक नियंत्रण लगा दे तो विदेशों से आने वाला धन का अधिकांश भाग इन पर ही खर्च होने लगेगा। आज उस धन का उपयोग मदरसों में उग्रवादी प्रशिक्षण और हथियार खरीदनें में होता है। यह भी रुकेगा और आर्थिक दबाव के कारण उनमें परिवार नियोजन के तरफ रुझान होगा। इसलिए हिन्दू निम्नलिखित तरीके से ऐसा कर सकते हैं :–

(1) उनकी दुकानों से हिन्दू कोई सामान न खरीदें। यह संकल्प लें। इसका दृढ़ता से पालन करें। यह देखने में आता है कि कोई सामान्य मुसलमान भी हिन्दुओं की दुकानों से सामान नहीं खरीदता है।

(2) बिना "झटका" के काटे हुए मांस या मछली का प्रयोग हिन्दू नहीं करें।

(3) किसी ऐसे फेरीवालों को अपने यहाँ न बुलावें और न उससे कोई चीज ही खरीदें।

(4) राजमिस्त्री, मजदूरों, नाइयों या अन्य सेवा में लगे मुसलमानों को घरों में प्रवेश न करने दें। एक दिन यह बहुत ही खतरनाक सिद्ध होगा। देश विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गये मुसलमानों के घरों से ऐसे पर्चे मिले थे जिसमें हिन्दू–सिक्ख घरों की लड़कियों–महिलाओं का नाम और उसके सामने मुसलमानों का नाम लिखा हुआ था। वे भेद लेकर पहले ही तय कर चुके थे कि हिन्दुओं सिक्खों के मारे जाने के बाद कौन मुसलमान किस लड़की या औरत को रखेगा। भारत में उन गाँवों के पड़ जाने से उनका इरादा सफल नहीं हुआ। जबकि पाकिस्तानी क्षेत्र में पड़ने वाले हर जगह वे वही करने में सफल हुए। इसके अलावा वे हर घर की जानकारी रख हिन्दुओं के विरुद्ध षड्यन्त्र रचते हैं।

(5) अपने घर, व्यवसाय या किसी कारोबार में इन्हें अपना नौकर, सहयोगी या भागीदार न बनावें। अपनी पुस्तक "स्टर्न रेकनिंग" में जस्टिस जी0डी0

खोसला और "फ्रीडम ऐट मिडनाइट" में कॉलिन्स और लैपियर ने 1947 के जेहादी महाप्रलय का वर्णन करते हुए जेहाद की प्रकृति को स्पष्ट किया है। नौकर,सहायक और सरोकारी मुसलमानों ने ही आगे बढ़ कर अपने मालिकों का कत्ल किया था। इस्लामी कानून के अनुसार जेहाद में हत्यारा (कातिल) ही मृतक काफिर की सम्पत्ति और औरतों का हकदार होता है। इसलिए सभी भेद जानने वाला नौकर ही यह काम पहले करता है। कश्मीर के बाद, असम में यह जेहाद छिटपुट शुरू हो चुका है। वह समय बहुत दूर नहीं है जब यह पूरे देश में फैलेगा और पंजाब और बंगाल के हिन्दुओं की स्थिति उत्पन्न होगी। आतंक की जेहादी कार्वाई छिटफुट विस्फोटों और हत्याओं द्वारा सारे देश को आतंकित करने हेतु शुरू हो चुकी है।

(6) हिन्दू अपनी दुकानों, प्रतिष्ठानों पर किसी हिन्दू पहचान चिन्ह या ऊँ की पट्टिका लगाया करें।

(7) ये जहाँ ज्यादा संख्या में होते हैं वहाँ आसपास के हिन्दुओं से छेड़खानी करना, झगड़ना, सामान छीनना, चोरी, डकैती और हत्या तक करते रहते हैं। संगठित रूप से उनके इस कृत्य के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

(8) अपनी जमीन या मकान किसी हालत में इनके हाथ न बेचें।

(9) नशीली वस्तु, जाली नोट और स्मगलिंग का सामान बेचने वाले यही होते हैं। इनको पकड़ कर पुलिस के हवाले करना चाहिए।

(10) ये पशुओं की चोरी कर उनको काट कर खा जाते हैं जिससे पता ही नहीं चल पाता है। अधिकांश पशुओं, जिनमें गोवंश का ही बाहुल्य होता है, को बंगलादेश भेजने का काम भी करते हैं। इसलिए अपने मवेशियों को सुअर के खून, चर्बी, मांस और चमड़े से बने इन्जेक्शन दिलवाया करें। इसकी जानकारी होने पर, संभव है, मजहबी कारणों से चोरी न करें।

(11) हिन्दू नायिका के साथ काम करने वाले विधर्मी नायक के फिल्म का बहिष्कार करें। उसी प्रकार उन कलाकारों का भी त्याग करें जो ऐसे मत में विश्वास करते हैं जो अकारण दूसरों की हत्या, उनकी सम्पत्ति की लूट और महिलाओं को बेइज्जत करने का निर्देश देता है।

(12) ये खाली पड़े सरकारी जमीनों पर बड़ी चतुराई से धीरे–धीरे कब्जा करते हैं। संगठित रूप से इसका विरोध कर एफ0आई0आर0 दर्ज कराना चाहिए। ये वहाँ झूठा कब्र तैयार कर चादर चढ़ाकर धीरे–धीरे पाँव बढ़ाना शुरू करते हैं।

(13) अगर ये अपने मुहल्लों से हिन्दू जुलूसों को जाने से रोकते हैं तो इन्हें भी हिन्दू मुहल्लों से जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए।

(14) संक्षेप में हिन्दू समाज से इनको कोई आर्थिक लाभ न मिले इसका सदा ख्याल रखना है और संकल्प लेकर शपथ पूर्वक उसका पालन करना है।

(15) जब भी मुस्लिम ताकत मारने भर हो जाती है लूट के माल और लूट की

औरतों के लोभ में वे तुरंत जेहाद की शुरुआत कर डालते हैं। सोये हुए असावधान और निहत्थे हिन्दुओं को काटना एकदम सरल होता है। आज तक वे सिर्फ एक तरफा काटे ही गये हैं। इसलिए इतिहास से शिक्षा लेकर आगे के लिए सतर्क होना चाहिए। हिन्दू राजनीतिज्ञ तो इन मामलों में वोट के लोभ के कारण बिल्कुल ही अंधे बने हुए हैं। उनसे कुछ भी आशा करना व्यर्थ है। वे तो उल्टे उन्हीं के सहायक बने हुए हैं।

(16) हिन्दुओं में अंध होड़ लगी है अपने बच्चों को ईसाई स्कूलों में पढ़ाने की। वे फीस के रूप में हिन्दू समाज से भारी धन वसूल करते हैं। उस धन का इस्तेमाल अन्ततः हिन्दुओं के धर्मान्तरण में होता है। हिन्दुओं को अपने विद्यालयों की संख्या बढ़ाकर उसे ज्यादा आधुनिक बनाना चाहिए और अपने बच्चों को उसमें ही पढ़ाना चाहिए। ऐसे विद्यालयों में हिन्दू बच्चों को इस्लाम–ईसाइयत के चरित्र और उसके कारण आने वाले विनाशक संकट की जानकारी देनी चाहिए। ईसाई स्कूलों के बहिष्कार का हर हिन्दू संकल्प लें।

(17) जेहादी कार्रवाई के लिए सुरक्षित और मजबूत मस्जिदें बनाई जा रही हैं। हर शहर में हिन्दुओं की जमीने जो चौराहों और विकास की जगहों पर हैं मुसलमान खरीद रहे हैं। बाजारों के मुख्य स्थानों पर मुसलमान कारोबारी मुँह माँगा दाम, पगड़ी और किराया दे कर हिन्दुओं के घरों और दुकानों को अपने अधीन लेते जा रहे हैं ताकि वे हिन्दू आबादी को चारो ओर से घेर लें। यह सब विदेशी पैसे से योजनाबद्ध ढंग से जेहाद की सफलता के लिए हो रहा है। हिन्दू इन बातों को समझें और कोई निर्णय लेते समय इन परिस्थितियों पर ध्यान रखें।

(18) हिन्दू दुर्गापूजा के अवसर पर विशाल पंडाल बनवाते हैं। पंडाल बनाने के व्यवसाय में अधिकांश मुसलमान ही लगे हुए हैं। हिन्दुओं की मूर्खता की कोई सीमा नहीं है कि वे इतना धन इकट्ठा कर अपने विनाश करने वाले को ही दे आते हैं। उन्हें इस बात का कहाँ ज्ञान है कि इस्लाम मजहब का मुख्य उद्देश्य ही हिन्दुओं (मूर्तिपूजकों) और अन्य गैर मुस्लिमों को जेहाद द्वारा अर्थात हत्या लूट, व्यभिचार, अपहरण द्वारा मिटा कर इस्लामी राज्य की स्थापना करना है। हिन्दुओं को चाहिए कि सार्वजनिक पूजा एवं अन्य सामाजिक गतिविधियों के लिए उस धन का उपयोग स्थाई मंदिर बनाने में करें जहाँ एक साथ हजारों की संख्या में हिन्दू एकत्रित हो सकें और योग ध्यान सहित हिन्दू समाज की रक्षा के लिए आवश्यक गतिविधियों को संचालित कर सकें।

धन संग्रह और उसका उचित व्यय

कोई कार्यक्रम बिना धन के संचालित नहीं होता है। हिन्दू समाज को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए बहुत बड़ा त्याग करना होगा। मुस्लिम और ईसाई, विदेशों

से प्राप्त होने वाले अकूत धन का उपयोग अपने विस्तार में कर रहे हैं। हिन्दुओं को ऐसा कोई स्रोत नहीं है। प्रत्येक हिन्दू को अपने जीवन संचालन के दैनिक खर्च से कटौती कर, धन संग्रह में योगदान करना होगा। अस्तित्व रक्षा से बढ़कर और कोई काम नहीं हो सकता। धन-संचय और चल-अचल सम्पत्ति बटोरने के मोह में हिन्दू सब कुछ खोने की स्थिति के निकट होता जा रहा है।

अति मोह भी अन्ततः मनुष्य को पशुबुद्धि के निकट पहुँचा देता है। ऐसा सुना जाता है कि बंदरों को पकड़ने वाले छोटे मुँह के बर्तनों में चना डाल देते हैं। बर्तन को उसका मुँह ऊपर छोड़कर शेष भाग जमीन के नीचे गाड़ देते हैं। बंदर चना लेने के लिए हाथ बर्तन में डालता है और मुट्ठी में चना भरकर भागना चाहता है। बर्तन का मुँह छोटा होने के कारण चना के साथ बँधी हुई मुट्ठी बाहर नहीं निकल पाती है। तब तक बन्दर फँसाने वाला आता है और बंदर को पकड़ लेता है। बंदर चना को छोड़कर हाथ निकाल सकता था पर चना के मोह के कारण पकड़ा जाता है। यही हालत आज के हिन्दुओं की है। उनमें धन की तृष्णा इतनी व्याप्त है कि वे आजीवन धन बटोरने और विकास में ही लगे रहते हैं और उधर इस्लाम और ईसाइत के विस्तार का खूनी पंजा उसका सब कुछ छीन लेने के लिए उसके निकट बढ़ता जाता है। मरे जानवारों के मांस भक्षण में गीध और स्वान इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं रहता कि उन पर कोई हमला भी कर सकता है।

हिन्दू समाज को आत्मघाती अंधस्वार्थ लोलुपता से निकलना होगा। आज पूरे हिन्दू समाज में न्याय और नैतिकता के स्तर में गिरावट का अनुभव हो रहा है। धन के लिए परिवारों, पड़ोसियों और संबंधियों तक में आपसी वैमनस्य और घृणा का वातावरण व्याप्त है। छोटे-छोटे लाभ के लिए बेईमानी, ठगी, विश्वासघात आदि अनैतिक आचरण का बोलबाला हो गया है, लोभ और आपसी कलह की इस परिस्थिति में हिन्दू समाज को दिशा देने में लगे अनेक समर्पित लोग अन्ततः थक हार कर बैठ जाते हैं। हिन्दू में न्याय, नैतिकता, त्याग, उत्साह और आत्मोत्सर्ग का भाव जगाना होगा। बिना इसे जगाये कुछ भी संभव नहीं हो सकेगा। धन–संग्रह और धन के उचित उपयोग के क्रम में अनेक भ्रष्ट और बेईमान लोगों की दृष्टि उसके गबन पर ही होगी। इसलिए बहुत सोच विचार कर इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि कोई बेईमान इस व्यवस्था में घुस कर गड़बड़ी की चेष्टा करे तो उस पर कड़ी नजर रखते हुए उसके साथ कठोरता से निपटना होगा। वह हिन्दू द्रोही से भी अधिक खतरनाक हो सकता है। हिन्दू जागरण के साथ ही समर्पित लोगों की भारी संख्या सक्रिय होगी। तब इस प्रकार के एक–दो गद्दारों को समाप्त करना कठिन नहीं होगा। बाहरी शत्रुओं से आन्तरिक गद्दार कहीं ज्यादा हानि पहुँचाते हैं।

धनाढ्य लोग, व्यापारी, उद्योगपति एवं विदेशों में बसे हिन्दू दान देते ही हैं। हिन्दू समाज के लिए समर्पित और स्वस्थ्य दिशा देने वाली संस्थाओं की कमी के कारण वे जी खोलकर दान नहीं कर पाते हैं। जब संयुक्त हिन्दू दल का गठन या मोर्चा का गठन हो जाय और उसके अनेक संगठन एक में मिल कर सुरक्षा की विभिन्न कार्रवाइयों की जिम्मेवारी ले लें तब निश्चय ही दान देने वालों का भी उत्साह बढ़ेगा।

इस्लाम और ईसाइयत जिन मार्गों से आतंक और आक्रमण में सदियों से लगे हैं उसी मार्ग से यदि हिन्दू संगठन आत्मसुरक्षा की कार्रवाई को तीव्र गति प्रदान करें तो सारी दुनिया के हिन्दू हर्षित होकर दान की वर्षा करने लगेंगे। आवश्यकता है कदम बढ़ाने की, साहस की और आत्म बलिदान की, स्वार्थान्धता और कायरता की नहीं। सुरक्षा के लिए प्रत्याक्रमण सदा ही धर्मयुद्ध कहलाता है। हर आक्रमण का मुकाबला प्रत्याक्रमण द्वारा करने पर ही विजय मिलती है। संगठनों के लोग दानकर्ताओं को अपने कार्यक्रमों से संतुष्ट करें। वे साधू–आश्रमों, अनावश्यक धर्म उत्सवों, मठों, मंदिर निर्माण आदि के लिए तो दान करते हैं किन्तु जानकारी और सम्पर्क के अभाव के कारण हिन्दू जागरण अभियान में दान नहीं कर पाते हैं। लेकिन धन-संग्रह का असली स्रोत हर हिन्दू पुरुष और महिला को बनाना होगा जो कुछ न कुछ त्याग नियमित इस उद्देश्य के लिए किया करें। धन बटोरने के अंध मोह वालों को कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन की इन पंक्तियों पर गइराई से ध्यान देना चाहिए –

"जो कुछ समेटते हो, सब सपना है। जो लुटा रहे हो, वही बस अपना है।"

हिन्दू रक्षा मद में खर्च करना अपने अस्तित्व रक्षा के लिए किया जाने वाला आवश्यक खर्च है, जिसे करना हर हिन्दू का परम कर्तव्य है।

प्रत्येक हिन्दू यह संकल्प लें कि प्रतिमाह वे अपनी कमाई का एक अंश हिन्दू हितकारी संस्थाओं को अवश्य दान दिया करेंगे। मंदिरों, मठों, आश्रमों आदि को कम से कम दान दें। आस्था के कारण बड़े–बड़े तीर्थ स्थलों पर हिन्दू जो चढ़ावा चढ़ाते हैं वह सरकारी खजाने में चला जाता है। इसका सरकारें मनमाना उपयोग करती हैं जो हिन्दू हितों के विरुद्ध ही होता है। इसलिए ऐसी जगहों पर दान का संकल्प कर उस दान को हिन्दू संस्थाओं को दिया करें; विशेष रूप से वनवासी कल्याण कार्यक्रमों को चलाने वाली संस्थाओं और मुस्लिम जेहाद का मुकाबला के लिए कार्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं को। हिन्दू शिक्षण के लिए पाठ्य सामग्रियों को प्रकाशित करने में लगी संस्थाओं को भी खुल कर दान देना चाहिए ताकि वे सस्ती पुस्तकें प्रकाशित कर सकें। हिन्दू समाज और हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए हिन्दू शिक्षण, प्रशिक्षण, संगठन और शक्ति संचय को अपनाते हुए जैसा को तैसा के सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देने पर जोर दें। उन सभी मार्गों को हिन्दू अपनावें जिनके द्वारा इस्लाम और ईसाइयत उनपर हमला कर रहे हैं। वे हमलावर हैं और हिन्दू उसका शिकार। आत्म रक्षा सबका नैसर्गिक धर्म है। अब संकोच, झिझक, लोभ और कायरता का त्याग कर आत्म रक्षा के समर में सभी हिन्दू कूद पड़ें। राम और कृष्ण के संदेश और परम्परा के अनुसार, अन्याय और अधर्म के मार्ग पर चलने वालों को तर्कबुद्धि और ज्ञानोपदेश द्वारा मानवीय नैतिक मूल्यों का आदर करते हुए धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। यदि वे अन्याय और अधर्म के मार्ग का त्याग करने के लिए तैयार न हों तो रण कौशल के साथ अस्त्र–शस्त्र धारण कर हिंसक युद्ध द्वारा ऐसे आततायी शत्रुओं का नाश कर डालना ही हिन्दू धर्म की शिक्षा है।

◆

संदर्भ–ग्रन्थ

संदर्भ–ग्रन्थों के नाम के साथ उनके प्रकाशनों का पता एवं उनकी विशेषताओं का भी विवरण देने का प्रयास किया गया है ताकि विशेष अध्ययन के इच्छुक पाठक को सुविधा हो।

प्रकाशक – हिन्दू राइटर्स फोरम, 129 बी0, एम0 आई0 जी0, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली 110027 (दूरभाष : 011 – 25971638, 25115281)

1. "इस्लाम, ईसाइयत और हिन्दू धर्म" – लेखक डा0 कृष्ण वल्लभ पालीवाल
2. "हिन्दू धर्मशास्त्रों में छुआछूत" – " "
3. "मनु अंबेडकर और जाति व्यवस्था" – " "
4. "जिहाद और गैर मुसलमान" – " "
5. "हिन्दू क्या करें !" – " "
6. "हिन्दुत्व और राष्ट्रोत्थान" – डेविड फाउले (वाम देव शास्त्री) और नवरत्न एस0 राजाराम
7. "आधुनिक युग में इस्लाम भ्रम और सच" – " "
8. "ईसाइयत का भारत को निगलने का कुचक्र" – " "
9. "भारत में जिहाद" – जयदीप सेन
10. "राष्ट्रवाद और भारतीय इतिहास का विकृतिकरण" – डा0 एन एस राजाराम
11. "मूर्तिपूजा, इस्लाम और भारत" – अनवर शेख
12. "इस्लाम, अरब राष्ट्रीयता का साधन – "
13. "इस्लाम अरब साम्राज्यवाद" – "
14. "इस्लाम काम वासना और हिन्सा" – "
15. "इस्लाम का स्वरूप" – डा0 मंगाराम
16. "गोवा एवं पूर्वोत्तर में ईसाई मिशनरियों द्वारा हिन्दुओं पर अत्याचार – डा0 एस राजाराम और एस बी सिशागिरी राव
17. "ईसाइयत की असलियत" – राम प्रसाद गुप्त
18. "विश्व व्यापी मुस्लिम समस्या" – बलराज मधोक
19. "विश्व व्यापी इस्लामी आतंकवाद एवं भारत" – राम गोपाल
20. Islamism And Genocide of Minorities In Bangla Desh
21. Why Muslims Destroy Hindu temples — Anwar Sheikh
22. Islam "
23. Imperialist Character Of Islam — P. R . Kundu
24. Challenges Before The Hindus — Dr. K. V. Paliwal
25. Age Of Reason — Thomas Paine

"हिन्दू राइटर्स फोरम" प्रकाशन द्वारा इस्लाम और ईसाइयत के कारण हिन्दू समाज के विनाश की सम्भावना को उजागर करने वाले साहित्य प्रकाशित किये जाते हैं, एवं अन्य प्रकाशनों से भी साहित्य उपलब्ध कराये जाते हैं। इस संस्था को आर्थिक सहयोग देकर सस्ते साहित्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है ताकि हिन्दू जागरण का काम आगे बढ़ सके। इसका सदस्य बन कर भी नियमित प्रकाशित होने वाली पुस्तकें प्राप्त की जा सकती हैं।

1. STERN RECKONING — G. D. KHOSLA
   Oxford University Press, India — Managing Director—Manjar Khan, 4th Floor,

YMCA Library Building, 1, Jai Sing Road, New Delhi—110001, +91 (11) 23369146

लेखक, न्यायमूर्ति जी0 डी0 खोसला ने उच्च न्यायालय में गाँधी मर्डर केश के अपील की सुनवाई की थी। आपने इस पुस्तक में देश विभाजन के समय बंगाल और पंजाब में बौद्धों, सनातनी और सिख पंथ के हिन्दुओं का, मुसलमानों द्वारा किये गये कत्लेआम का, प्रामाणिक एवं हृदय विदारक विवरण प्रस्तुत किया है। हर हिन्दू को इसे पढ़ कर इस्लामी जेहाद के चरित्र की जानकारी अवश्य लेनी चाहिए।

538/64 क, ध्यान गंगा, मौसमबाग, सीतापुर रोड, लखनऊ से निम्न लिखित पुस्तकें प्रकाशित हैं –

1. मुस्लिम राजनीतिक चिन्तन और आकांक्षाएँ – लेखक पुरुषोत्तम सिंह योग (स0 नि0 मुख्य अभियंता)
2. अन्तिम हिन्दू (एक चेतावनी) – लेखक पुरुषोत्तम सिंह योग
3. अनुभव – "
4. हिन्दू के अस्तित्व का प्रश्न – "
5. भारतीय संविधान और शरीयत – "
6. विचित्र धर्म निरपेक्षता
7. भारत के इस्लामी करण के चार चरण – "
8. भारतीय मुसलमानों के हिन्दू पूर्वज (मुसलमान कैसे बने) – "
9. Must India Go Islamic ?
10. National Integration and Muslim "
11. Political Islam

PUBLISHED BY - VOICE OF INDIA , 2/18 ANSARI ROAD NEW DELHI - 110002

1. हिन्दू समाज संकटों के घेरे में – सीताराम गोयल
2. हिन्दू राष्ट्र की अवधारणा – आभास चटर्जी आइ0 ए0 एस0, बिहार
3. THE LIFE OF MAHOMET — Sir William Muir
4. MOHAMMED AND THE RISE OF ISLAM — D. S. Margoliouth
5. JIHAD: The Islamic Doctrine Of Permanent War—Suhas Majumdar
6. UNDERSTANDING ISLAM THROUGH HADIS——Ram Swaroop

7. WOMEN IN ISLAM "
8. HINDU VIEW OF CHRISTIANITY AND ISLAM "
9. INDIAN MUSLIMS WHO ARE THEY ? — K. S. Lall
10. JIZYA AND THE SPREAD OF ISLAM — Harsh Narayan
11. MYTH OF COMPOSITE CULTURE AND EQUALITY OF RELIGIONS — Harsh Narayan
12. THE DEMOGRAPHIC SIEGE — Koenraad Elst
13. HOW I BECAME A HINDU — Sita Ram Goel
14. ISLAM VIS-A-VIS HINDU TEMPLES "
15. THE STORY OF ISLAMIC IMPERIALISM IN INDIA "
16. MUSLIM LEAGUE ATTACK ON SIKHS AND HINDUS — IN THE PUNJAB 1947 — Gurbachan Singh Talib

Above books are available in " Low Priced Edition " Of
JAGRITI PRAKASHAN, F-109, SEC—27, NOIDA-201301
Phone-2538101

1. CRITIQUE OF GANGHI — M. M. Kothari , Rtd. Head, Department Of Philosophy University of JODHPUR

(The Halo Of Divinity Series , Vol-1)
Publisher :— Critique Publications, 985, 5th Umed Hospital Road, JODHPUR-342003 (Raj.)

2. MUSLIM POLITICS IN SECULAR INDIA—Hamid Dalwai ——— Hind Pocket Books
3. INDIAN ISLAM (A Religious History of Islam In India) —Murray T. Titus ——Distributed by Munshiram Manohar Lal Publishers Pvt. Ltd. 54 Rani Jhansi Road , NEW DELHI – 110055, INDIA.
4. ATROCITIES ON THE MINORITIES IN BANGLADESH — Salam Azad

1. कुर्आन शरीफ़ — (सानुवाद सटिप्पण) ——नन्द कुमार अवस्थी, पेशलफ़्ज (भूमिका) ——अबुल् हसन अली एवं मुहम्मद सिद्दीक मुफ़्ती ——प्रकाशक– लखनऊ किताब घर, मौसमबाग , सीतापुर रोड , लखनऊ –226020
2. कुर्आन मजीद – तर्जुमा – मौलाना फतेह मुहम्मद खां साहिब जालंधरी – प्रकाशक – महमूद एण्ड कम्पनी , मरोल पाइप लाइन , बम्बई – 59
3. बुखारी शरीफ (हिन्दी)–अनु0–कौशर यज़दानी नदवी – प्रकाशक – नाज़ पब्लिशिंग हाउस , पहाड़ी भोजला,, दिल्ली–110006
4. तलाक़ (अल्लाह का कानून बनाम मुल्ला का कानून) – महरउद्दीन खाँ – मानक पब्लिकेशन्स प्रा0 लि0 , जी–19, विजय चौक , लक्ष्मी नगर , दिल्ली – 110092.
5. फतवे, उलेमा, और उनकी दुनिया – अरुण शौरी
6. पाकिस्तान (अम्बेडकर वाङ्गमय – खण्ड–8) – बी0 आर0 अम्बेडकर ,प्रकाशक – निदेशक , डा0 अम्बेडकर प्रतिष्ठान , 15–जनपथ,, नई दिल्ली – 110001. फोन – 23320571.

7. धर्मनिरपेक्ष भारत में इस्लाम – मुशीर–उल–हक – अनु0–मुनीश सक्सेना
8. भारत में इस्लाम – डा0 विश्वम्भर नाथ गुप्त, वाराणसी प्रकाशन, लार–देवरिया (उ0 प्र0)
9. आतंकवाद – भारतीय विचार साधना पुणे, " मोतीबाग" , 309 शनिवार पेठ, पुणे–411030. फोन–020–4490454.
10. दो सौ भयंकर भूलें – कन्हैया लाल एम0 तलरेजा , राश्ट्रीय चेतना प्रकाशन, डी–13/175, सैक्टर–7, रोहिणी, न्यू दिल्ली – 110085
11. अस्तित्व का संकट (भाग–2) – वामनदास अग्रवाल, (युनिवर्सिटी प्रो0 से0 नि0), महराज गंज रोड, औरंगाबाद (बिहार)
12. इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास – स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य , 1601–ए , एच आई जी, आवास विकास कोलोनी, हंसपुरम, नववस्ता, कानपुर, फोन–0512–2626637 मोबाइल–09415218459.
13. पथ–रेखाएँ––सैयिद कुत्ब, दी होली कुरान पब्लिशिंग हाउस, पी0 ओ0 बॉक्स 2409, दमश्कस, सीरिया

सांस्कृतिक गौरव संस्थान, पो0 बॉक्स नं0–5016. सेक्टर–5, रामकृष्णपुरम् नई दिल्ली–110022. से प्रकाशित अथवा उपलब्ध
दूरभाष – 26195368 , 26181315 फैक्स (011)26195527

1. भारत में मुस्लिम जनसंख्या का विस्फोट – बलजीत राय (पुलिस महानिदेशक से0 नि0)
2. पाकिस्तान की आई0 एस0 आई0 की घातक गतिविधियाँ – कर्नल श्याम कुमार (सेवानिवृत)
3. तालिबान इस्लाम और शान्ति – अज्ञात
4. इस्लाम के सैनिक – पुरुषोत्तम
5. अयोध्या विवाद का हल(विज्ञान का दायित्व न्यायालय का नहीं)–डा0 सुरेन्द्र, अध्यक्ष (विधितः), भारतीय खनि विद्यापीठ, धनवाद
6. मुस्लिम राजनीतिक चिन्तन और आकांक्षाएँ – पुरुषोत्तम
7. विश्व व्यापी भारतीय संस्कृति –

लोकहित प्रकाशन, संस्कृति भवन, राजेन्द्र भवन, लखनऊ, पिन–226004. दूरभाष–2691384. से प्रकाशित

1. भारत विभाजन का दुःखान्त और संघ – भाग–1. भाग–2. भाग–3. भाग–4. मदन लाल विरमानी
2. घुसपैठ एक निःशब्द आक्रमण – डा0 श्रीकान्त जोशी
3. स्वदेश चिन्तन – डा0 पु0 ग0 शहस्त्रबुद्धे

जागृति प्रकाशन, एफ–109, सेक्टर–27, नोएडा–201301.

1. मुस्लिम तुष्टीकरण की मृग मरीचिका – डा0 नित्यानन्द
2. भारत गाँधी नेहरू की छाया में – गुरुदत्त
3. लज्जा – तसलीमा नसरीन
4. विजय पथ – मा0 स0 गोलवरकर

सुरुचि प्रकाशन , केशव कुंज , झण्डेवाला , नई दिल्ली––110055. फोन–3514672, 3679996

1. डा0 अम्बेडकर की दृष्टि में मुस्लिम कट्टरवाद – एस0 के0 अग्रवाल
2. परावर्तन क्यों और कैसे – राजेश्वर
3. .... और देश बँट गया – हो0 वे0 शेषाद्रि
4. ज्योति जला निज प्राण की – माणि चन्द्र वार्ड मेसी
5. Dr. Ambedkar On Muslim Fundamentlism——S. K. Agrawal
6. Agony Of Hindus In Kashmir
7. Genocide Of Hindus In Kashmir
8. आई0 एस0 आई0 का आतंक – राम नरेश प्रसाद सिंह, शिवा प्रकाशन, रोड नं0–9,(शिव मंदिर के सामने)राजीव नगर, पटना–800024 दूरभाष–(0612) 266355, 273320
9. भारतीय संस्कृति के आधार – श्री अरविन्द
10. इस्लाम का उदय और लक्ष्य – एस0 इर्तिजा हुसैन, अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी, प्रेस, अलीगढ़

दयानन्द संस्थान, 2286, आर्य समाज मार्ग, नई दिल्ली–5 से "'हिन्दू धर्म रक्षक साहित्य" एक, दो रुपये मूल्य की उपलब्ध हैं जिनसे अनेक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं।

पत्र–पत्रिका

1. "दैनिक जागरण" (दैनिक), पटना
2. साप्ताहिक "हिन्दू सभा वार्ता" – हिन्दू सभा भवन, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली – 110001
3. "अभय भारत" – अखण्ड हिन्दुस्तान मोर्चा (पं0), कमरा नं0 218, लक्ष्मी चैम्बर, निकट सी0जी0एच0एच0 डिस्पेंशरी, विकास मार्ग लक्ष्मी नगर, दिल्ली – 110092
4. "राष्ट्रीय संगठन" – पी0 65, पाण्डव नगर, नई दिल्ली – 110091 दूरभाष : 9810303033
5. "हिन्दू विश्व" – संकट मोचन आश्रम, सेक्टर 6, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली
6. "जनज्ञान (मासिक)"–2286 आर्यसमाज मार्ग,करोलबाग,नई दिल्ली – 110005 दूरभाष 011–51004741
7. "Hindu Voice" – 4 Alak Jyot, Aarey Road, Goregaoan East, Mumbai - 400063

◆

7. धर्मनिरपेक्ष भारत में इस्लाम – मुशीर–उल–हक – अनु0–मुनीश सक्सेना
8. भारत में इस्लाम – डा0 विश्वम्भर नाथ गुप्त, वाराणसी प्रकाशन, लार–देवरिया (उ0 प्र0)
9. आतंकवाद – भारतीय विचार साधना पुणे, " मोतीबाग" , 309 शनिवार पेठ, पुणे–411030. फोन–020–4490454.
10. दो सौ भयंकर भूलें – कन्हैया लाल एम0 तलरेजा , राष्ट्रीय चेतना प्रकाशन, डी–13/175, सैक्टर–7, रोहिणी, न्यू दिल्ली – 110085
11. अस्तित्व का संकट (भाग–2) – वामनदास अग्रवाल, (युनिवर्सिटी प्रो0 से0 नि0), महराज गंज रोड, औरंगाबाद (बिहार)
12. इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास – स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य , 1601–ए , एच आई जी, आवास विकास कोलोनी, हंसपुरम, नववरता, कानपुर, फोन–0512–2626637 मोबाइल–09415218459.
13. पथ–रेखाएँ––सैयिद कुत्ब, दी होली कुरान पब्लिशिंग हाउस, पी0 ओ0 बॉक्स 2409, दमश्कस, सीरिया

सांस्कृतिक गौरव संस्थान, पो0 बॉक्स नं0–5016. सेक्टर–5, रामकृष्णपुरम् नई दिल्ली–110022. से प्रकाशित अथवा उपलब्ध
दूरभाष – 26195368 , 26181315 फैक्स (011)26195527

1. भारत में मुस्लिम जनसंख्या का विस्फोट – बलजीत राय (पुलिस महानिदेशक से0 नि0)
2. पाकिस्तान की आई0 एस0 आई0 की घातक गतिविधियाँ – कर्नल श्याम कुमार (सेवानिवृत)
3. तालिबान इस्लाम और शान्ति – अज्ञात
4. इस्लाम के सैनिक – पुरुषोत्तम
5. अयोध्या विवाद का हल(विज्ञान का दायित्व न्यायालय का नहीं)–डा0 सुरेन्द्र, अध्यक्ष (विधित:), भारतीय खनि विद्यापीठ, धनवाद
6. मुस्लिम राजनीतिक चिन्तन और आकांक्षाएँ – पुरुषोत्तम
7. विश्व व्यापी भारतीय संस्कृति –

लोकहित प्रकाशन, संस्कृति भवन, राजेन्द्र भवन, लखनऊ, पिन–226004. दूरभाष–2691384. से प्रकाशित

1. भारत विभाजन का दु:खान्त और संघ – भाग–1. भाग–2. भाग–3. भाग–4. मदन लाल विरमानी
2. घुसपैठ एक नि:शब्द आक्रमण – डा0 श्रीकान्त जोशी
3. स्वदेश चिन्तन – डा0 पु0 ग0 शहस्त्रबुद्धे

जागृति प्रकाशन, एफ–109, सेक्टर–27, नोएडा–201301.

1. मुस्लिम तुष्टीकरण की मृग मरीचिका – डा0 नित्यानन्द
2. भारत गाँधी नेहरू की छाया में – गुरुदत्त
3. लज्जा – तसलीमा नसरीन
4. विजय पथ – मा0 स0 गोलवरकर

सुरुचि प्रकाशन , केशव कुंज , झण्डेवाला , नई दिल्ली––110055. फोन–3514672, 3679996

1. डा0 अम्बेडकर की दृष्टि में मुस्लिम कट्टरवाद – एस0 के0 अग्रवाल
2. परावर्तन क्यों और कैसे – राजेश्वर
3. .... और देश बँट गया – हो0 वे0 शेषाद्रि
4. ज्योति जला निज प्राण की – माणि चन्द्र वार्ड मेसी
5. Dr. Ambedkar On Muslim Fundamentlism——S. K. Agrawal
6. Agony Of Hindus In Kashmir
7. Genocide Of Hindus In Kashmir
8. आई0 एस0 आई0 का आतंक – राम नरेश प्रसाद सिंह, शिवा प्रकाशन, रोड नं0–9,(शिव मंदिर के सामने)राजीव नगर, पटना–800024 दूरभाष–(0612) 266355, 273320
9. भारतीय संस्कृति के आधार – श्री अरविन्द
10. इस्लाम का उदय और लक्ष्य – एस0 इर्तिजा हुसैन, अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी, प्रेस, अलीगढ़

दयानन्द संस्थान, 2286, आर्य समाज मार्ग, नई दिल्ली–5 से "हिन्दू धर्म रक्षक साहित्य" एक, दो रुपये मूल्य की उपलब्ध हैं जिनसे अनेक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं।

पत्र–पत्रिका

1. "दैनिक जागरण" (दैनिक), पटना
2. साप्ताहिक "हिन्दू सभा वार्ता" – हिन्दू सभा भवन, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली – 110001
3. "अभय भारत" – अखण्ड हिन्दुस्तान मोर्चा (पं0), कमरा नं0 218, लक्ष्मी चैम्बर, निकट सी0जी0एच0एच0 डिस्पेंशरी, विकास मार्ग लक्ष्मी नगर, दिल्ली – 110092
4. "राष्ट्रीय संगठन" – पी0 65, पाण्डव नगर, नई दिल्ली – 110091 दूरभाष : 9810303033
5. "हिन्दू विश्व" – संकट मोचन आश्रम, सेक्टर 6, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली
6. "जनज्ञान (मासिक)"–2286 आर्यसमाज मार्ग,करोलबाग,नई दिल्ली – 110005 दूरभाष 011–51004741
7. "Hindu Voice" – 4 Alak Jyot, Aarey Road, Goregaoan East, Mumbai - 400063

◆

"तुम लोगों के लिए अल्लाह ने तुम्हारी कसमों के (किन्हीं सूरतों में) खोल डालने का भी हुक्म रक्खा है। और अल्लाह ही तुम्हारा मालिक है। और वह बड़ा जानकार और बड़ा हिक्मत वाला है।" (कुरान 66:2)

तुमलोगों के लिए अल्लाह ने तुम्हारी कसमों, अर्थात शपथ, समझौता, वचन, आश्वासन आदि; किन्हीं सूरतों में, अर्थात आवश्यकतानुसार हर परिस्थिति में; खोल डालने, अर्थात तोड़ डालने, के साथ ही कुरान के अल्लाह ने मुसलमानों के लिए यह स्थाई विधान बना दिया कि वे गैर मुसलमानों के साथ किया गया कोई समझौता, संधि या आश्वासन एक तरफा तोड़ सकते हैं। इसलिए किसी मुस्लिम व्यक्ति या देश से किसी समझौता, आश्वासन या संधि का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। क्योंकि जैसे ही उसे अपना लाभ दिखाई पड़ता है, और विश्वासघात के कारण दूसरे पक्ष से प्रतिक्रिया में किसी खतरे की आशंका नजर नहीं आती है, वह तुरंत पलट जाता है। जिहाद काफिरों के विरुद्ध तबतक चलने वाला युद्ध है जबतक पूरी दुनिया को दारुल इस्लाम न बना दिया जाय। इस लड़ाई के लिए अल्लाह के रसूल ने, मुसलमानों के पालन के लिए जो निर्देश दिये हैं, वह इस प्रकार है–"हजरत अबू हुरैरह कहते हैं कि हुजूर नबी अक्रम सल्ल0 ने लड़ाई का नाम 'खुदअः' (धोखेबाजी) रखा है।"

(ह0 सं0 1213, बु0 श0, हिन्दी)

अल्लाह और अल्लाह के रसूल के उपर्युक्त हुक्मों के आलोक में मुस्लिमों और मुस्लिम देशों के व्यवहार को परम्परा और इतिहास के आइने में देखा जा सकता है। हिन्दू राजाओं के साथ मुस्लिम आक्रान्ताओं का व्यवहार सदा धोखेबाजी से भरा होता था। अध्यात्म और धर्म के अपने संस्कारों के कारण, अपनी अप्रतिम शूरता के बावजूद क्षत्रिय राजा सदा पराजित हुए हैं।

शत्रु की कपट नीति और चालों को नहीं समझना तथा कपटी शत्रु से धर्माचरण का व्यवहार करना मूर्खता और अधर्म दोनों है। किसी भी नीति द्वारा ऐसे शत्रु का समूल नाश करना ही धर्म है।

1. पवित्र कुरान और अल्लाह के रसूल के सुन्नत पालन में ही जिन्ना ने गैर मुस्लिमों की सुरक्षा का आश्वासन और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के साथ हुए "यथा स्थिति" की संधि को एक तरफा तोड़कर बीस लाख हिन्दुओं का कत्ल कराया और कश्मीर पर आक्रमण किया।
2. 1965 और 1971 में पाकिस्तान की पराजय के बाद हुए अनाक्रमण संधियों को पाकिस्तान ने एक तरफा तोड़कर कश्मीर में घुसपैठ कराया। और छद्म युद्ध द्वारा वहाँ के हिन्दुओं का संहार करा डाला।
3. प्रधानमंत्री के रूप में श्री वाजपेयी की लाहौर बस यात्रा और मैत्री संधि का अंत, कारगिल में छद्म आक्रमण के रूप में तुरंत ही सामने आ गया।

4. प्र0 मं0 मन मोहन सिंह ने भी इतिहास से कुछ नहीं सीखा। 'समझौता एक्सप्रेस' के रूप में आतंकवादियों के लिए आसानी से भारत में प्रवेश का मार्ग खोल दिया। अब उस एक्सप्रेस से उनके घुसपैठ का समाचार मिलने लगा है। लगता है, ये सत्ता लोलुप, नासमझ राजनीतिज्ञ, गाँधी–नेहरू मार्ग पर चलते हुए हिन्दुओं का सर्वनाश करा कर ही दम लेंगे।

ऐ पैगम्बर! काफिरों से और मुनाफिकों से जिहाद कर और उनपर सख्ती कर और उनका ठिकाना तो दोजख है, और वह बुरा ठिकाना है पहुँचने का। (कुरान 66:9)

और अल्लाह के नजदीक सबसे खराब वह जीव हैं जो कुफ़्र करते हैं, फिर वह ईमान नहीं लाते। (कुरान 8:55)

क्या अभी तक इन्होंने इतनी बात भी नहीं समझी कि जो अल्लाह और उसके पैगम्बर का विरोध करता है, उसके ही लिए दोजख की आग है, जिसमें वह हमेशा रहेगा। यह (उनकी) बड़ी जिल्लत है। (कुरान 9:63)

ऐ ईमानवालों! अपने आसपास के काफिरों से लड़े जाओ और चाहिए (कि तुम्हारा रवैया अब जियादः सख्त हो) कि वह तुमसे (अपनी बाबत) सख्ती महसूस करें,...। (कुरान 9:123)

और (ऐ ईमानवाले!) अल्लाह की राह में लड़ो और जाने रहो कि अल्लाह सब सुनता और जानता है। (कुरान 2:244)

जबकि तुम्हारा परवरदिगार फ़िरिश्तों को आज्ञा दे रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुसलमानों को जमाये रखो, मैं जल्द काफ़िरों के दिलों में भय डाल दूँगा। बस तुम इनकी गरदनें मारो और इनके पोर पोर पर वार करो। (कुरान 8:12)

ईसाई दावा करते हैं कि वे अपने शत्रु को भी प्यार करते हैं। और प्रेम से सभी समस्याओं का समाधान सम्भव है। ईसाइयों का दण्डविधान इतना बर्बर है कि इसमें अन्य धर्मावलम्बियों के प्रति स्वतन्त्रता एवं सहिष्णुता के लिये अत्यल्प ही गुंजाइश है।

एक पिता को चाहिये कि यदि उसकी पुत्री, पत्नी, पुत्र और मित्र भी अपने धर्म (रीलीजन) से भिन्न मत रखें तो उसकी हत्या कर दे। (डेटोरोनॉमी 13:6–10)

इलीजा ने स्वयं से भिन्न मजहबी मत रखने वाले 450 पुजारियों की हत्या कर दी। (1–किंग्स 18–40)

विधर्मियों को मौत की सजा की अनुमति है। (एक्सोडस 22–20)

यहाँ तक कि 'न्यू टेस्टामेंट' भी बेहिचक कहता है कि जो तुम्हारे लिये कठिनाई पैदा करता है उनका कत्ल कर डालो। (गैलेसियन्स 5–12)

इन्हीं दिव्य वचनों के कारण टर्कीमाडा ने स्पेन में इन्क्विजीशन की कार्रवाई की।

Jesus says, if one will not listen, shake the dust of his house from your feet as a testimony against it. (Lk 9:5)

And he graphically describes the horrors that will befall a twon which doesn't listen. (Lk 10:10)

Or in which a town refuses to listen; when the disciples begin to mutter imprecations against it as they had been told, Jesus rebukes them. (Lk 9:51)

Jesus says : He who is not for me is against me.
(Mt 12:30; Lk 11:23)

He says : He who is not against me is for me.
(Mk 9:40; Lk 9:49)

By : Umesh Patri in "Problems in Paradise"

◆

विषादप्यमृतं ग्राह्यममेध्यादपि काञ्चनम्।
नीचादप्युत्तमां विद्यां स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि।।

— गरुड़ पुराण (११०/८)

विष में से भी अमृत, अपवित्र स्थल में भी पड़ा स्वर्ण, नीच व्यक्ति से भी उत्तम विद्या तथा अनुत्तम कुल से भी स्त्री रत्न ग्रहण कर लेना चाहिए।

हिन्दू सहोदरा सर्वे न हिन्दू पतितो भवेत्।

सभी हिन्दू की उत्पत्ति का मूल एक ही है, कोई हिन्दू पतित नहीं होता।

पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर।
जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर।।

— दिनकर

त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्।
ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्।।

— गुरुड़ पुराण (१०९/२)

पूरे कुल के लिए एक व्यक्ति का, ग्राम के लिए कुल का, देश की रक्षा के हेतु ग्राम का और आत्मरक्षा के लिए संपूर्ण पृथ्वी के ऐश्वर्य का भी त्याग कर देना चाहिए।

दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है,
एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है।
बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं,
ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं।।

— दिनकर

.....और उनकी जमीन और उनके घरों और मालों का और उस जमीन (खैबर) का जिसमें तुमने कदम तक नहीं रखा था (अल्लाह ने) तुमको वारिस बना दिया और अल्लाह हर चीज पर सर्व शक्तिमान है। (कु0 33:27)

बनी कुरैजा के आठ सौ यहूदी पुरुषों के आत्म समर्पण के बाद उन्हें उनके घरों से निकाल कर कैद कर लिया गया और कसाई के समान बारी–बारी से दिनभर में उनका कत्ल कर एक विशाल कब्र में भर दिया गया। फिर उनकी सारी दौलत और उनकी जवान औरतों को मुसलमानों में बाँट दिया गया। यह काम अल्लाह के रसूल की देखरेख में ही सम्पन्न हुआ।

खैबर के यहूदियों पर भी अचानक धावा बोलकर कुछ की हत्याएँ कर दी गईं और उन्हें अधीन बना कर उनकी सारी दौलत जो हाथ लगी लूट ली गई। उनकी जमीन को अपनेअधीन कर उनको अपनी जमीन पर ही कुछ दिनों के लिए रैयत बना दिया गया, और बाद में उन्हें स्थाई रूप से निष्कासित कर उनकी जमीन और दौलत हड़प ली गई। उनकी सुन्दर जवान औरतों को मुसलमानों द्वारा छीन लिया गया जिसमें साफिया नाम की 17 वर्षीय युवती भी थी जिसकी ऊपर चर्चा की जा चुकी है।

उपर्युक्त आयत में अल्लाह मुसलमानों को अपनी इसी कृपा की याद दिला रहा है।

.....और वह जो विषय वासना से अपने को बचाये रखते हैं। अलबत्ता अपनी बीवियों और (बाँदियों से) जो उनकी सम्पत्ति हैं (को छोड़कर उन) के बारे में दोष नहीं है। (कु0 23 : 5, 6)

बाँदियाँ और कोई नहीं बल्कि वही गुलाम औरतें होती हैं जो लूट के माल के रूप में काफिरों से छीनी जाती हैं।

लूट के माल के बँटवारे में यद्यपि अल्लाह के रसूल का पाँचवाँ भाग होता था फिर भी प्रधान के नाते हर चीज में, औरतें, धन और गुलाम में चुनाव की उनकी प्राथमिकता होती थी। यहूदियों के निष्कासन के बाद जब्त जमीन पर मुहम्मद के मदीना में आठ बाग–बगीचे थे जिनमें एक, उनकी एक रखैल मेरी के नाम पर "मेरी का ग्रीष्मकालीन बाग" कहलाता था। उसी प्रकार खैबर में भी उनकी सम्पत्ति थी। (Understanding Islam Through Hadis : Ram Swaroop, Page 107)

जेहाद के ऊपर वर्णित निर्देशों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस्लाम का उद्देश्य युद्ध के बर्बर, कपटी, क्रूर और असभ्य तरीकों से इस्लामी सत्ता स्थापित करना है और तब इस्लाम विशुद्ध राजनीति और सम्प्रदायवाद के सिवाय और कुछ नहीं रह जाता है। मजहब का वाह्य स्वरूप, इस उद्देश्य की पूर्ति का छन्दावरण मात्र है। वास्तव में साम्प्रदायिकता और राजनीति ही इस्लाम है जो मध्य कालीन अरबी संस्कृति के रंग में रँगा हुआ है।

मुहम्मदी सम्प्रदाय का उद्देश्य है, मुसलमान समुदाय का सृजन कर, बुद्धि नियंत्रण द्वारा उसमें वृद्धि करते हुए, उसके द्वारा अरबी सांस्कृतिक साम्राज्य का विस्तार करना; दुनिया के देशों को मजहबी घुसपैठ द्वारा कमजोर करना तथा अरब के अर्थतंत्र को समृद्ध करने की स्थाई व्यवस्था करना। मुस्लिम साम्प्रदायिकता किस

प्रकार उन्माद के हद तक बढ़ कर अरबी लाभ के लिए अपना अहित करती है, थोड़ा ध्यान देने पर इसे समझना कठिन नहीं है। मुस्लिम साम्प्रदायिकता के (1) उन्माद के हद तक बढ़ने और (2) अपना अहित करने, दोनों ही विषयों पर यहाँ विचार करना संभव नहीं है क्योंकि ये इस लेख के विषय नहीं है। हमें यह देखना है कि इस्लाम ने गैर मुसलमानों के साथ अपने जन्मकाल से ही कैसा व्यवहार किया है और आने वाले समय में इसका स्वरूप क्या होगा ? इस्लाम के आचरण के विषय में दुनिया भर के काफिरों की क्या राय है ?

मुसलमान भले ही अल्लाह और अल्लाह के रसूल में ईमान लाने की कसम खाते हैं और उसके बाद आजीवन बुद्धि नियंत्रण प्रक्रिया की जाल में उलझ कर इसे मानने के लिए विवश रहते हैं कि कुर्आन अल्लाह का संदेश है जो मुहम्मद साहब पर उतरा था, लेकिन गैर मुसलमान न तो उस समय ही इसमें विश्वास करते थे और न आज ही करते हैं। यह और बात है कि जिस प्रकार उस समय के काफिर नासमझ और लापरवाह थे, उसी प्रकार आज के भी काफिर नासमझ और लापरवाह हैं, अन्यथा इतिहास की धारा कब की उलट चुकी होती। मुहम्मद और कुर्आन के विषय में उस समय काफिर कहते थे –

".....कहते हैं कि कुर्आन को पैगम्बर ने खुद गढ़ लिया है।"(कु0 11:35)

और काफिर (कुर्आन के निस्बत) कहते हैं कि यह तो निरा झूठ बाँधनू है जिसको इसने गढ़ लिया है और उसमें दूसरे लोगों ने उसकी मदद की है..... (कु0 25 : 4)

दुनियाँ के धर्मों का इतिहास देखने से पता चलता है कि जिस प्रकार भारत में भगवान के अवतार की परम्परा थी। उसी प्रकार शामी प्रथा में पैगम्बरों की परम्परा थी। लेकिन दोनों में मौलिक अंतर था। भारतीय परम्परा में जहाँ व्यक्ति में भगवान की पहचान कर लोगों ने उन्हें माना और भक्ति से पूजा। वहीं शामी परम्परा में पैगम्बरों ने पैगम्बर बनने की स्वंय घोषणा की और लोगों से इसे बलपूर्वक मनवाया। आतंक के संस्कार ने बुद्धि नियंत्रण द्वारा बाद की पीढ़ियों में आतंक के साये में बलात् पैदा की गई श्रद्धा को स्थाई बना दिया।

अनवर शेख नामक ब्रितानी विद्वान ने अपनी पुस्तक "इस्लाम अरब राष्ट्रीयता का साधन" में लिखा है "इलहाम के सिद्धांत के अनुसार सृष्टि का सर्जनहार भगवान है जो अपनी पूजा करवाना चाहता है। वह अपने पैगम्बर द्वारा मानव जाति को अपनी इच्छा प्रकट करता है। भगवान के संदेश वाहक पैगम्बर की आज्ञा पालन किये बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। परिणाम स्वरूप हर नगर, देश आदि का अपना–अपना भगवान होता था जिसका प्रतिनिधि मुल्ला राजा होता था। मानव कैसे रहें कैसे खायें कैसे सोएं आदि यह सब आदेश भगवान राजा को देता था और राजा (जो भगवान का सेवक था और जिसका अपना कोई प्रभुत्व नहीं) अपनी प्रजा से सब कुछ करवाता था। इस्लाम का यह सिद्धांत कि राज्य अल्लाह का है और इसको अल्लाह के विधान के अनुसार ही चलाना चाहिए इसी पुरानी शामी प्रथा पर निर्धारित है।"

स्वयं को अल्लाह का रसूल या पैगम्बर घोषित कर मुहम्मद ने अपनी अद्वितीय विलक्षण योग्यता से शून्य से उठकर अरब साम्राज्य की स्थापना करने में